राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 3] बारहवीं विधान सभा के तीसरे सत्र का पैंसठवां दिवस [संख्या : 16

शुक्रवार

8 अप्रैल, 2005

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन,
जयपुर में प्रारम्भ हुई)
(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : यह इतनी बार कहने के बाद भी आप लोगों पर असर नहीं होता है। यह बात तो ठीक नहीं है। जब कह दिया गया कि मोबाइल लेकर नहीं आना।

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : अब तो वापस मत दो, जिनका बजा उनको वापस मत दो।

श्री अध्यक्ष : जिसका भी बजा है कृपया वह यहां लाकर रख दो।

श्री हरिसिंह रावत।

तारांकित प्रश्नोत्तर

भीम की पंजीकृत गौशालाओं को देय अनुदान

296. श्री हरीसिंह रावत (भीम) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में वर्तमान में कितनी गौशालाएं हैं तथा पंजीकृत गौशालाओं को सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि कितनी है?

(2) क्या सरकार अकाल को दृष्टिगत रखते हुए उक्त क्षेत्र की पंजीकृत गौशालाओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था हेतु अनुदान राशि बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कितनी?

सहायता मंत्री (डा. किरोड़ी लाल) : (1) विधान सभा क्षेत्र भीम में वर्तमान में एक ही गौशाला है। सरकार द्वारा पंजीकृत गौशालाओं को 18 रुपये प्रति बड़े पशु प्रति दिन,...

श्री अध्यक्ष : आज गौशाला आपके हिस्से आ गई है?

श्री सांवर लाल : सहायता मंत्री हैं।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, राहत मंत्री, सहायता मंत्री, ठीक है।

डा. किरोड़ी लाल : ... व 9 रुपये प्रति छोटे पशु प्रतिदिन की दर से अनुदान राशि दी जा रही है।

(2) जी नहीं। क्योंकि पूर्व में 12 रुपये प्रति बड़े पशु प्रतिदिन तथा 6 रुपये प्रति छोटे पशु प्रतिदिन की दर से अनुदान राशि देय थी जिसे सरकार द्वारा माह नवम्बर, 2004 में ही बढ़ाकर 18 रुपये प्रति बड़े पशु प्रतिदिन व 9 रुपये प्रति छोटे पशु प्रतिदिन की दर से देना निर्धारित किया गया है।

श्री हरीसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि वहां पर कम से कम हजार गायें हैं। वैसे उनका रजिस्ट्रेशन तो नहीं है, तीन और भी हमारी गौशालाएं हैं। लेकिन जहां रजिस्ट्रेशन है वहां हजार से भी ऊपर गाय हैं लेकिन उन्होंने जो खाते में दिखाया है कि पांच सौ गायें हैं, पांच सौ गायें तो वैसे ही हैं। तो मैं चाहता हूं कि उनका सब का रजिस्ट्रेशन हो। उन्होंने पता नहीं कोई तकनीकी खामी बताकर कि साहब, इसमें यह कारण है, वह कारण करके उनका सब का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो मैं चाहता हूं कि उनका सब का रजिस्ट्रेशन हो। और जो उनको मूलभूत सुविधा दी जा रही है 18 रुपये, 9 रुपये उनके हिसाब से सब को दिलाई जाए। और साथ साथ वहां पानी की व्यवस्था नहीं है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय से कि वहां पानी की व्यवस्था भी की जाए क्योंकि वहां दूरदराज 5-10 किलोमीटर के अन्दर में कोई कहीं पानी नहीं है और उनको पानी पिलाने के लिए 10 किलोमीटर ले जाना पड़ता है। रास्ते में कहीं भी घास फूस भी नहीं जो उनका भरण पोषण हो सके। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर पानी का भी स्थाई समाधान किया जा सके। और साथ ही यह गायों के लिए अच्छी एक सुविधा होगी। धन्यवाद।

डा. किरोड़ी लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, भीम उपखण्ड की तहसील देवगढ़ के ताल गांव में श्री जेज एण्ड गौशाला में कुल 568 पशु हैं। जो सूचना हमें प्राप्त हुई है, जिनमें से बड़े 470 और छोटे 98 पशु हैं। और उनको सी.आर.एफ. के नार्म्स के हिसाब से अनुदान दिया जा रहा है। और पानी का जहां तक बताया वहां पर एक ट्यूबवैल था जो टयूबवैल सूख गई है इसलिए वहां से टैंकरों से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि भीम विधान सभा क्षेत्र में उक्त एकमात्र पंजीकृत गौशाला को अनुदान अब तक कितना दिया गया है और किस तारीख से दिया गया है?

डा. किरोडी लाल : वैसे तो प्रश्न अलग से है लेकिन मैं बताने का प्रयास करूंगा। कुल गौशालाएं, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 483 पंजीकृत हैं।

श्री अध्यक्ष : यह तो भीम का ही प्रश्न है, आप राजस्थान की बात कर रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल : भीम का अलग से ब्रेक-अप नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इनका बताओ।

डा. किरोड़ी लाल : ब्रेक-अप नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा : नहीं, भीम का बताइए कि आप कब से दे रहे हो, उस गौशाला को कितनी तारीख से दे रहे हो, कितना दिया है, आपने अब तक?

डा. किरोड़ी लाल : नहीं, यह तो ऐसा है, यह दे रहे हैं हम 1.3.2005 से। और अध्यक्ष महोदय, इसकी फलावट कर लेंगे, 568 बड़े पशु हैं जिनको 18 रुपये...

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपने तो पहले यही बताया है न नवम्बर, 2004 से रुपया बढ़ाया आपने।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : सरकार ने बढ़ाया, दे यह अब रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल : रेट बढ़ाकर बताया यह तो। अध्यक्ष महोदय, पहले 12 रुपये और 9 रुपये थे उसको 18 रुपये..

श्री अध्यक्ष : नहीं, 12 रुपये और 6 थे पहले।

डा. किरोड़ी लाल : हां।

श्री हरीसिंह रावत : 12 और 6 थे, आपने आकर 18 किया है।

डा. सी.पी. जोशी : नवम्बर में किया और मार्च में देना शुरू किया है। नवम्बर में पैसा दिया है और मार्च में दिया है।

श्री अध्यक्ष : कृपया सुनें मंत्रीजी का जवाब, आप विराजें, स्थान ग्रहण करें।

डा. किरोड़ी लाल : इसमें कितना पैसा दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, इसमें 568 बड़े पशु हैं उनको 18 रुपये और 98 छोटे पशु हैं उनको 9 रुपये, अब इसको मैं केलकुलेट करके बता देता हूं माननीय सदस्य को।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि जब पूरे राजस्थान में गौशालाओं को अनुदान एक जनवरी, 2005 से दिया गया है तो भीम विधान सभा क्षेत्र में इस गौशाला को आपने किस आधार पर एक मार्च से दिया है?

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें ऐसा हुआ है कि कुछ के प्रस्ताव तो समय पर आ गये थे।

श्री संयम लोढ़ा : एक ही गौशाला है, माननीय अध्यक्ष महोदय, पंजीकृत उसको भी आप एक जनवरी से नहीं दे रहे हो और यह का यह भेदभाव आपने दूसरे जिले में भी किया है। आपकी कोई समान नीति नहीं है राजस्थान में गौशालाओं को लेकर।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सिरोही से आने वाले सदस्य कह रहे हैं कि भेदभाव किया है, ऐसा नही है। रजिस्टर्ड जितनी भी गौशालाएं थीं उनकी समय पर सूचना आ गई तब ही से हमने 1.1.2005 से उनको अनुदान देना चालू कर दिया। जिनकी सूचना बाद में आई है उनको हमने बाद में देना चालू किया है। माननीय सदस्य के इलाके में भी एक गौशाला बाद में चालू हुई थी। गौशाला बाद में चालू होने के कारण उनके साथ मार्च में हमने अनुदान दिया था और आपने मेरे से फोन पर भी बात की थी। मैंने मेरे सेक्रेटरी को भी कहा था और मैंने कलक्टर को भी कहा था तो सूचना यह आई है।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय मंत्रीजी, आपके निर्देश देने के बाद भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने खुद मेरे जिले का इश्यु उठाया है। मेरा प्रश्न तो भीम से सम्बन्धित था। मंत्री महोदय खुद मेरे जिले का विषय लाये हैं, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी ने निर्देश दे दिये उसके बाद भी वहां कलक्टर ने एक जनवरी से आर्डर नहीं करके फरवरी से किया। 22 फरवरी को हजारों लोगों के साथ मैंने कलक्ट्रेट का घेराव किया उस दिन प्रभारी मंत्रीजी ने बाद में अपने सेक्रेटरी से वह आदेश करवाए। यह तो हालत है आपके डिपार्टमेंट की। बाद में फरवरी से दिला दिए और भीम की उस गौशाला का मैं स्पष्ट मांग करता हूं कि (व्यवधान) आप एक जनवरी से अनुदान क्यों नहीं दे रहे हो?

श्री हरीसिंह रावत : आपकी जो हजार से ऊपर गायें हैं तो उनका भी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं किया जाए, जो 568 गायें बताई। लेकिन वहां गायों की संख्या हजार से भी ऊपर है। तो मैं चाहूंगा बाकी जो गाय हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया जाए। इसके आलावा मेरे वहां पर दो गौशालाएं हैं तो क्यों नहीं उनको पंजीकृत किया जाए? उनका भी हमारी तरफ से निवेदन किया जा चुका है लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि जो हमारी पारडिन और वहां सौ से ऊपर गायें हैं उनको भी पंजीकृत किया जाए। जो 568 गायें हैं उनके अलावा, बछड़ों के अलावा करीब हजार से ऊपर गायें हैं। तो उनका भी पंजीकरण किया जाए ताकि उनको भूख से मरने से बचाया जा सके और उनको मूलभूत सुविधा मुहैया करवाई जा सके।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, इनकी एक ही गौशाला हमारी सूचना के आधार पर पंजीकृत है जिसमें पशुओं की संख्या बता दी। उससे ज्यादा पशु इनके पास हैं और कोई पंजीकृत गौशाला हमारे यहां एप्लाई करेगी तो सी.आर.एफ. के नार्म्स के हिसाब से हम उनको पैसा उपलब्ध करा देंगे।

श्री संयम लोढ़ा : पहले इसका तो उत्तर दिलाएं कि एक जनवरी से देंगे कि नहीं देंगे?

डा. किरोड़ी लाल : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा था, इनकी गौशाला में जब से हमने अनुदान देना चालू किया है तब से अस्तित्व में नहीं आई थी, जब से हमने उनको अनुदान देना चालू कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : डा. सी.पी. जोशी।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या आप जवाब दे रहे हो अस्तित्व में नहीं आई थी? पांच पांच हजार पशु..

श्री अध्यक्ष : उनके पास जो जवाब है दे दिया उन्होंने।

श्री संयम लोढ़ा : नहीं, यह कोई जवाब होता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि गौशाला अस्तित्व में नहीं आई थी। पांच हजार पशु पालापुर की गौशाला में और सिमरन की गौशाला में 1500 पशु हैं और आप कह रहे हैं अस्तित्व में नहीं आई थी।

श्री अध्यक्ष : अस्तित्व का मतलब रजिस्ट्रेशन से है।

श्री संयम लोढ़ा : मेरी उम्र से ज्यादा समय हो गया, अध्यक्ष महोदय सिमरन की गौशाला को रजिस्टर्ड हुए। मेरे दादाजी उसके अध्यक्ष हुआ करते थे और यह कह रहे हैं वह अब अस्तित्व में आई है। इस तरह की जानकारी तो, अध्यक्ष महोदय, इस सदन में मत दिलवाओ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सदस्य से सीधा-सीधा सम्बन्ध है।

श्री संयम लोढ़ा : आप भीम का तो जवाब दिलावाओ, भीम का तो बताइए कि एक जनवरी से अनुदान देंगे कि नहीं? (व्यवधान)

श्री हरीसिंह रावत : इनका तो व्यक्तिगत सम्बन्ध हो गया।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : राम मंदिर पर मत बोलने दो जो तो नहीं बोलने दो लेकिन गौशाला पर भी बंद? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप यहां व्यक्तिगत किसी भी अपने हित के लिए नहीं आए हैं कि दादाजी की बात करके और....

श्री संयम लोढ़ा : मेरा प्रश्न भीम से सम्बन्धित है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप जनता की बात यहां कहने के लिए आए हैं।

श्री संयम लोढ़ा : कि भीम की गौशाला को एक जनवरी से अनुदान देंगे कि नहीं देंगे? मैं यह पूछ रहा हूं।

श्री सी.डी. देवल : गलत बात है, इनको बोलने नहीं देते। यह कहते हैं व्यक्तिगत सम्बन्ध है। मुख्य सचेतक महोदय को चाहिए कि यह कम से कम नियम देखकर तो बात करें।

डा. किरोड़ी लाल : आप, देवल साहब, विराजो।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पेसिफिक पूछा है कि सरकार भीम की उक्त गौशाला को एक जनवरी से अनुदान देगी या नहीं? यह मैंने पूछा है।

डा. किरोड़ी लाल : आप हमारी बात सुन लो। भीम की भी, सिरोही की भी बात सुन लो। हमारा तहसीलदार जाकर उनकी काउंटिंग करता है और काउंटिंग के आधार पर उनकी सूचना कलक्टर के पास दी जाती है और सूचना के आधार पर हम यहां से पैसा रिलीज करते हैं। यह मनमानी नहीं चल सकती कि वहां पर आपका कैटल है ही नहीं, आप बिना काउंटिंग के पैसे ले लो, यह नहीं चलेगा।

श्री संयम लोढ़ा : आपके तहसीलदार के तो दस्तखत हैं। दिसम्बर के अन्दर वहां पर कलक्टर ने आदेश जारी किए हैं और आपके तहसीलदार के दिसम्बर में दस्तखत हैं। आप, मंत्रीजी, क्या जानकारी दे रहे हो?

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 289 (क) (ख) में यह है कि किसी माननीय सदस्य... (व्यवधान)

श्री संयम लोढा : इस तरह से समाज सेवा करने वाले लोगों के खिलाफ अगर आपकी सरकार का इस तरह का रुख है तो मुझे बहुत खेद है इस पर। गौमाता के नाम पर आप वोट लेकर आ जाते हो और जब गौमाता की सेवा की बात आती है तब आप अनर्गल आरोप लगाते हो। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन :... किसी माननीय सदस्य का उसमें हित है...(व्यवधान).... और पैसा मिले, इस बात की पैरवी करने के लिए सदन है क्या? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डा. सी.पी. जोशी ।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी तक हम पशु को चारे के नाम पर सब्सिडी देते हैं। राजसमन्द जिले में पानी की भयंकर समस्या है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या सरकार राजसमन्द जिले के पशुओं को बचाने के लिए चारे के अलावा पानी की सब्सिडी की व्यवस्था करेगी? बिना उसके वहां पर पशुधन नहीं बचेगा। इसलिए मंत्री महोदय, यह बतायें कि ऐसे जिले जहां पर पानी की भयंकर समस्या है, टैंकर से लोगों को पानी पिला रहे हैं, वहां पशुओं को पानी पिलाने के लिए क्या आप स्पेशल व्यवस्था करेंगे? यह आपसे निवेदन है।

डा. किरोड़ी लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है कि पशुओं की जो सब्सिडी चारे के लिए दी जाती है, यह तो, अध्यक्ष महोदय, सी.आर.एफ. की गाइडलाइन्स हैं। लेकिन पानी की जो सब्सिडी है वह सी.आर.एफ. की गाइड लाइन्स में नहीं है। इसका हम भारत सरकार को प्रस्ताव भिजवा देंगे...

श्री अध्यक्ष : सी.आर.एफ. में हो चाहे न हो लेकिन राज्य सरकार की तो है पशुओं के लिए?

डा. किरोड़ी लाल : हम टैंकर से पानी दिलवा देते हैं।

डा. सी. पी. जोशी : मंत्री महोदय, हमारा निवेदन है कि जैसे आपने पर पशु 18 रुपये अमाउंट फिक्स कर रखा है, ठीक उसी प्रकार जितनी गौशाला में गायें हैं उन गायों की जितनी पानी की रिक्वायरमेंट है उतनीं व्यवस्था करने के लिए क्या कोई स्पेशल पैकेज आप देंगे? राजसमंद जिले में इतनी ड्रिंकिंग वाटर की प्राब्लम है कि पशु छोड़कर मनुष्यों के लिए भी प्राब्लम है. इसके सम्बन्ध में आप कोई व्यवस्था करेंगे? यह भारत सरकार के सी.आर.एफ. में नहीं है, यह बात सही है। लेकिन राजस्थान सरकार को इस सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता है। क्या आप इसकी कोई नीति बनायेंगे?

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, यह जो 18 रुपये और 9 रुपये है, हमने इस 18 रुपये में से 6 रुपये का कैटल फीड सप्लाई किया है। हम उसी में से कितना खर्चा आता है उसी में से हम पानी की व्यवस्था करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष : बहुत अच्छा। नैक्स्ट क्वेश्चन। (व्यवधान) विराजिये। सारी बात हो गई।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमंद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, गौशाला के अलावा पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था के लिए कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : पानी के लिए कह दिया न उन्होंने। कह तो दिया। (व्यवधान)

श्री हरीसिंह रावत :....जानवरों को पानी पिलाने की व्यवस्था की जाए क्योंकि जानवर तो अनबोला जानवर होता है उसकी व्यथा कौन सुने। तो मैं चाहता हूं कि सभी जगह पानी की व्यवस्था हो, ऐसा मैं आपसे निवेदन करूंगा।

श्री बंशीलाल खटीक : सभी जगह प्याऊ बनी हुई हैं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री केसरदेव बाबर।

सीकर जिले के राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त खिलाडियों को देय सुविधाएं

297. श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़) : क्या युवा एवं खेलकूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला सीकर के कई खिलाड़ी विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक हासिल कर चुके हैं? यदि हां, तो खिलाडियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त खिलाडियों को जीवन-यापन का साधन मुहैया कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कैसे व कब तक एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला सीकर की खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

युवा एवं खेलकूद मंत्री (श्री युनूस खान) : (1) जी हां। सीकर जिले से राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक हासिल कर चुके खिलाडियों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा उत्कृष्ट खिलाडियों के लिए कतिपय सरकारी सेवा में दो प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया हुआ है। इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) राज्य के अन्य जिलों की भांति सीकर जिले की खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए सीकर में प्रतिवर्ष प्रतिभा खोज ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा प्रतिवर्ष माह मई-जून में [illegible] दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जाते हैं जिनमें सीकर जिले की खेल प्रतिभाएं चयन पश्चात भाग ले सकती हैं :-

(श्री युनूस खान)

1. केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर।

2. केन्द्रीय ग्रामीण प्रशिक्षण शिविर।

जिला मुख्यालय पर प्रशिक्षकों द्वारा खिलाडियों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री केसर देव बाबर : अध्यक्ष महोदय, उक्त अन्तरराष्ट्रीय खिलाडियों में से 1997 में नियम बनाने के बाद में आज तक राज्य सरकार की सेवा में कितने खिलाडियों को नौकरी दी? इनके बैकलॉग का ध्यान रखा गया या नहीं रखा गया?

23.9.1997 को राज्य सरकार ने दो प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने का जिस समय नियम बनाया उस समय इनको आयु में कितनी छूट दी गई और इसका खिलाडियों को कितना लाभ हुआ? मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक अर्जुन अवार्ड से पुरस्कृत श्री सुरेश मिश्रा है जो आज भी बेरोजगार है। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि शेखावाटी क्षेत्र है और शेखावाटी क्षेत्र में बहुत ही अच्छे खिलाडियों ने राष्ट्रीय स्तर पर, अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया है और कई अवार्ड से पुरस्कृत हुए हैं लेकिन सरकार की तरफ से सही ध्यान नहीं दिया गया। सीकर में तैराकी, जूडो, नौकायन, इस तरह के खिलाड़ी भी राज्य स्तर पर, अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत हुए हैं। परन्तु इस खेल के लिए सीकर में कोई सुविधा नहीं है। सीकर में जैसे माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि अस्थायी प्रशिक्षण शिविर लगाये जाते हैं और उनमें प्रशिक्षण दिया जाता है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ऐसे अस्थायी शिविर लगाने से जो शेखावाटी क्षेत्र से हीरा तराशना चाहते हैं वह तराश नहीं होता है। आपने जो सूची दी है उसमें 10 अन्तरराष्ट्रीय और 55 राष्ट्रीय, यानि 65 खिलाड़ी शेखावाटी क्षेत्र में हैं और हजारों खिलाड़ी भी छिपे हुए हैं जिनको अपन तराश नहीं सके। माननीय मंत्री महोदय शेखावटी क्षेत्र से हैं और विधान सभा....

श्री अध्यक्ष : आप तो भाषण दे रहे हो, प्रश्न पूछो।

श्री केसर देव बाबर : अध्यक्ष महोदय, भाषण नहीं है, आप शेखावाटी क्षेत्र से हैं इसलिए सीकर में स्पोर्ट्स स्कूल खोला जाए। आज वर्तमान में वहां पर सिर्फ बास्केटबाल का कोच है और किसी खेल की कोई सुविधा नहीं है। इसलिए सभी खेलों की वहां सुविधा हो। शेखावाटी क्षेत्र में स्पोर्ट्स स्कूल खुले और जितने भी खेल हैं जैसे क्रिकेट है, कुश्ती है, जूडो, वालीबाल है, उनके कोच की वहां व्यवस्था हो।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, जवाब दें।

श्री केसर देव बाबर : एक मिनट, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : भाषण दोगे क्या? प्रश्न पूछ लिया न।

श्री युनूस खान : माननीय अध्यक्ष महोदय, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो 23.9.1997 की अधिसूचना की बात कही, उसमें उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आयोग के अलावा भर्ती का प्रावधान है। चूंकि अलग-अलग विभागों द्वारा भर्ती की जाती है, दो प्रतिशत आरक्षण की उसमें किसी विभाग ने कितनी भर्तियां कीं यह सूचना हमारे खेल विभाग में उपलब्ध नहीं है क्योंकि विभाग जब रिक्तियां निकालते हैं उसमें कितना प्रतिशत आरक्षण करते हैं उसकी सूचना हमारे यहां पर नहीं आती है। तो मेरा निवेदन है कि यह अलग से है।

श्री अध्यक्ष : यह आपकी जिम्मेदारी है कि दो प्रतिशत आये हैं या नहीं आये विभागों में। यह देखने की जिम्मेदारी आपकी है।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार) : एक अर्जुन पुरस्कार विजेता को रोजगार नहीं मिला, वो बेरोजगार है उसके बारे में तो आप बतायें कि खेल विभाग क्या कर रहा है? जैसे माननीय सदस्य ने बताया कि अर्जुन पुरस्कार विजेता है उसको आपने रोजगार नहीं दिया और वह बेरोजगार घूम रहा है और आप कह रहे हो कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर किसकी जिम्मेदारी है?

श्री युनूस खान : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में बहुत सारे खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं और उनको मैडल मिलता है लेकिन अभी इस तरीक का रोजगार देने की गारंटी देने का कोई प्रावधान नहीं है...

श्री अध्यक्ष : दो प्रतिशत कोटा पूरा होता है या नहीं होता है यह तो जिम्मेदारी आपकी है।

श्री युनूस खान : जी। दो प्रतिशत आरक्षण का हमने बाकायदा सभी विभागों को लिखा हुआ है कि आपके विभाग में कितनी-कितनी भर्तियां हुईं, हुई तो उसकी सूची दें।

श्री सुभाष चन्द शर्मा : आपके दो प्रतिशत का कोटा सारे विभागों ने पूरा किया है या नहीं, यह तो आपकी जिम्मदारी बनती है। इसकी जानकारी की है तो सदन को बतायें।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, यह न तो हमारी सरकार कर सकी, न 18-18 महीने में यह सरकार कर सकी 2 प्रतिशत आरक्षण वाला। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रावधान की पालना कराने के लिए आप कानून बनाने का विचार रखते हैं?

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयजी, आपने इसी सदन में घोषणा की थी कि अन्य प्रांतों की तरह राजस्थान में भी हम यह खेल नीतिं बनाने जा रहे हैं जिसके तहत अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान प्रदेश के जो होनहार खिलाड़ी पदक प्राप्त करते हैं, उनके लिए पुरस्कृत राशि, जमीन का आबंटन, नौकरियां और अन्य सरकारी सुविधा के लिए, वह नीति सरकार कब तक बनाने जा रही है? आपने पिछले सदन में यह कहा था कि शीघ्र ही सब लोगों के सुझाव लेकर इस नीति की घोषणा करने जा रहे हैं।

श्री केसर देव बाबर : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है पहले।

श्री अध्यक्ष : डाक्टर चन्द्रशेखर बैद।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : अध्यक्ष महोदय, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। इसी से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री मोहन लाल गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी शिक्षा मंत्रालय में 30000 शिक्षकों की भर्ती की गई है, एक खिलाड़ी को एडजस्ट नहीं कर सकते थं हम? 30,000 शिक्षकों की भर्ती की है।

श्री केसर देव बाबर : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : आप एक बार स्थान ग्रहण कर लें। मैंने नाम पुकार लिया। आपको भी मौका दूंगी। आप मूल प्रश्नकर्ता हैं। दूंगी मौका आपको।

डा. चन्द्रशेखर बैद : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बार हिन्दुस्तान के अन्दर दो खिलाड़ी हैं जो अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार लेकर आये और जिन्होंने राजस्थान को गौरवान्वित किया। एक तो राज्यवर्द्धन सिंह और दूसरा, तारानगर विधान सभा क्षेत्र का देवेन्द्र जाजडिया। मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये खिलाड़ी ऐसी जगह से निकलकर आये हैं जहां इनकी ट्रेनिंग की कोई भी साधन और सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसलिए आप यह खेल नीति जल्दी बनायें क्योंकि इतनी प्रतिभा ग्रामीण इलाकों में छिपी हुई हैं, उनको आप नहीं उभारेंगे तो ये लड़के कैसे आयेंगे। आपने उनको सुविधा देने की घोषणा की थी, आज तक इस तरह की कोई सुविधा प्रदान नहीं की गई है। पूरे चूरू में, सीकर में, झुंझुनूं में ऐसे खिलाड़ी भरे पड़े हैं जो राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर खेले हुए हैं, उनके लिए आप क्या सुविधा देने का विचार रखते हैं?

श्री युनूस खान : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों की चिंता से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी खिलाडियों को दो प्रतिशत आरक्षण सभी विभागों में सुनिश्चित हो, उसके लिए हमने इन्फोर्मेशन मंगवाई थी, जो हमारे पास नहीं आई है। लेकिन मैं सदन को आपके माध्यम से यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिन-जिन विभागों में भर्तियां हो रही हैं, उनमें सरकार यह सुनिश्चित करेगी और सभी सम्बन्धित विभागों को हम पत्र लिखकर इस चीज का आग्रह करेंगे कि हमारे खिलाडियों को दो प्रतिशत के आरक्षण की जो अधिसूचना है, वह इम्प्लीमेंट हो।

दूसरा, माननीय सदस्यों ने हमारी खेल नीति की जो बात कही तो हमारी खेल नीति लगभग बनकर तैयार है, जिस तरह की हमने घोषणा की थी। अभी इस 19 तारीख तक फिर सुझाव आमंत्रित हैं। मैंने सभी सम्मानीय सदस्यों से पिछली बार भी निवेदन किया था। हमारी खेल नीति बनकर तैयार हुई, उसके पश्चात कुछ लोगों के अच्छे सुझाव आये, उनको भी हम सम्मिलित

(श्री युनूस खान)

कर रहे हैं। और जो खेल प्रेमी और इस तरह के जो माननीय सदस्य हैं, उनसे फिर आग्रह, अनुग्रह, निवेदन है कि 19 तारीख तक जो इस तरह की खेल नीति में अपनी बात को सम्मिलित करवाना चाहते हैं, इस तरह की हमारे को सूचना दें। लिखित में भी दे सकते हैं, और व्यक्तिगत मिलकर भी दे सकते हैं। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले मूल प्रश्नकर्ता ने जो बात कही, उसके सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि सीकर जिले में अब की बार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट भाषण में घोषणा की थी छह जिलों के अन्दर स्टेडियम के निर्माण की तो चूंकि सीकर के अन्दर हमारा लगभग 60 बीघा जमीन पर स्टेडियम चल रहा है जिसमें बैडमिंटन, बेसबाल, बास्केटबाल, फुटबाल मैदान ट्रैक है, कबड्डी का मैदान है, क्रिकेट का है, जिम है, डोरमेट्री वगैरह वहां सारी सुविधाएं हैं। फेसेलिटीज बनी हुई हैं। उसके बावजूद भी जो हमारे ये छह जिले हैं, उसकी सूची में सीकर जिले को लिया गया है। माननीय सदस्य के विधान सभा क्षेत्र में जो जमीन नगरपालिका के द्वारा आरक्षित की गई है, उसमें अगर सरकार के स्तर पर उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव आएगा तो उसमें भी हम विचार करेंगे। हमारे खेलों के अन्दर सरकारी नियम भी अभी तैयार हो रहे है, उसके बाद में जो अन्तरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, उनको भर्ती लेने का भी हमारी सरकार प्रयास करेगी।

श्री संयम लोढा : कानून नहीं बनाओगे?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट प्रश्न, श्री रामनारायण मीणा।

श्री मंगलाराम गोदारा : अध्यक्ष महोदय, छह जिलों में कौन-कौन से जिले लिये हैं?

श्री अध्यक्ष : सब तो जवाब दे दिये आपकी बातों के।

श्री जुबेर खान : शिक्षा विभाग में तो आप एक पी.टी.आई. की भर्ती शुरू करवा दीजिये। इतने लोग ले रहे हैं, एक भी नहीं ले रहे हैं शारीरिक शिक्षक, कहां से बनेंगे खिलाड़ी?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट प्रश्न, श्री रामनारायण मीणा।

प्रश्न संख्या 298

श्री रामनारायण मीणा।

(श्री अध्यक्ष)

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री जुबेर खान : जब आप शिक्षा विभाग में एक भी पी.टी.आई. को नहीं ले रहे हैं तो...

श्री मंगलाराम गोदारा : माननीय मंत्री महोदय यह बतायें कि ये छह जिले कौन-कौन से हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि ये छह जिले कौन-कौन से हैं, मंत्री महोदय?

श्री मोहन लाल गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम भी सवाल पूछना चाह रहे थे।

श्री केसर देव बाबर : ये जो छह जिले लिये गये हैं, इनमें सीकर जिला शामिल है?

श्री युनूस खान : हां, सीकर शामिल है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने नैक्स्ट प्रश्न पुकार लिया है। श्री शिवजीराम मीणा।

श्री केसर देव बाबर : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न रह गया है।

श्री अध्यक्ष : मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया है। अब आप स्थान ग्रहण कर लें। मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया है। आप विराजें। नैक्स्ट प्रश्न, श्री शिवजी राम मीणा।

शक्करगढ़ (भीलवाड़ा) ग्राम पंचायत के सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही

299. **श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर)** : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरपंच, ग्राम पंचायत शक्करगढ़ द्वारा ग्राम पंचायत की आबादी भूमि एवं कृषि भूमि पर अतिक्रमण किया गया है?

(2) क्या यह भी सही है कि यह कृत्य राजस्थान पंचायती राज अधिनियम एवं कानून के तहत नियम विरुद्ध है? यदि हां, तो क्या सरकार इस

(श्री शिवजीराम मीणा)

नियम विरुद्ध कृत्य के लिए कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व क्या, तथा नहीं तो क्यों?

पंचायती राज मंत्री (श्री कालूलाल गुर्जर) : (1) जी हां। सरपंच, ग्राम पंचायत शक्करगढ़ द्वारा ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर अतिक्रमण किया गया था।

(2) जी हां। सरपंच, ग्राम पंचायत, शक्करगढ़ द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 के नियम 165 के तहत नियम विरुद्ध था, जिसे जांच उपरान्त अतिक्रमण से बेदखल कर दिया गया है तथा दोषी सरपंच, ग्राम पंचायत शक्करगढ़ के विरुद्ध पद के दुरुपयोग की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

श्री शिवजीराम मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जब आपने उस सरपंच को दोषी स्वीकार कर लिया तो क्या पंचायती राज अधिनियम की धारा 38 के तहत कार्यवाही करने की मंशा है? यह कार्यवाही कब तक पूरी हो जायेगी?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि सरपंच के पद पर रहते हुए आपकी कार्यवाही प्रभावित होगी?

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, शक्करगढ़ ग्राम पंचायत के सरपंच श्री किशोर कुमार शर्मा हैं, ये अभी नये निर्वाचित हुए हैं। उसके पहले ये उप सरपंच थे। तारीख 28 दिसम्बर, 2004 को जब वहां अभियान चला तो वहां लोगों ने एस.डी.ओ. के सामने एक दरख्वास्त लगाई कि यहां सरपंच साहब ने ही अतिक्रमण कर लिया है जब ये उप सरपंच थे। उस समय उसकी जांच हुई और जांच होने के बाद तहसीलदार को लिखा गया है। एस.डी.ओ. ने और तहसीलदार ने मौका पर्चा बनाया, फिर उसके विरुद्ध धारा 91 की कार्यवाही की गई। इनके और इनके परिवार के सदस्यों का इस पर कब्जा था, इनको बेदखल किया, पेनल्टी लगाई। फसल बो रखी थी, वह भी जब्त कर ली गई। उसके पश्चात एस.डी.ओ. साहब...

श्री अध्यक्ष : आबादी भूमि पर 91 कैसे लगाओगे? आबादी भूमि है।

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, 91 नहीं लगती लेकिन रेवेन्यू विभाग ने कार्यवाही सुओमोटो कर ली।

श्री अध्यक्ष : आबादी भूमि है यह तो।

श्री जुबेर खान : किस बात की कर दी?

श्री कालूलाल गुर्जर : एक मिनट, अब कर ली तो कर ली उन्होंने, वह तो रेवेन्यू विभाग से पूछना कि क्यों की।

अध्यक्ष महोदय, उसके पश्चात तारीख 11.1.2005 को एस.डी.ओ. जहाजपुर ने ए.सी.ई.ओ. भीलवाड़ा को लिखा कि सरपंच के खिलाफ नाजायज कब्जा साबित हुआ, बेदखल हो गया, पेनल्टी वसूल की गई और फसल की भी नीलामी हो गई है। इसलिए इसी नियम 165 के तहत सरपंच की जिम्मेदारी है कि अतिक्रमण को हटाये और सैक्शन 33 में यह है कि आबादी भूमि पर अतिक्रमण नहीं हो, इसकी जिम्मेदारी भी सरपंच की होती है। तो सरपंच ने कब्जा करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया इसलिए इनके खिलाफ कार्यवाही धारा 38 के तहत की। लेकिन मैंने एस.डी.ओ को लिखकर ए.सी.ई.ओ. को भेजा और ए.सी.ई.ओ. उसकी जांच कर रहे हैं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी, तत्काल धारा 38 के प्रभाव का उपयोग करते हुए जो भी रिपोर्ट आएगी, उसके अनुसार अग्रिम कार्यवाही को तुरन्त करेंगे।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, आप रिकार्ड को देखें, सरपंच के खिलाफ कोई 91 की कार्यवाही नहीं की गई। उनकी पत्नी के खिलाफ की गई है और उनकी पत्नी को बेदखल करके, जुर्माना करके, फसल नीलाम कर दी गई है। उसके बाद सरपंच को राजनैतिक द्वेष के कारण फंसाना चाहते हैं, यह सरासर गलत है। जब उनकी पत्नी के खिलाफ आपने 91 की कार्यवाही कर दी तो उसमें सरपंच कहां? क्या सरपंच होते हुए जमीन खरीदी गई थी क्या? (व्यवधान) आप इस सदन का दुरुपयोग कर रहे हैं, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस सरपंच के खिलाफ आरोप लगाया गया है....

श्री अध्यक्ष : आबादी भूमि पर 91 नहीं होती है, यह आबादी भूमि है।

श्री जुबेर खान : आप रिकार्ड को देखिये, अध्यक्ष महोदय, यह देख पायेंगी कि यह सरासर गलत किया जा रहा है, राजनैतिक द्वेष भावना से किया जा रहा है।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : मात्र यह कहा जाता है कि उनके खिलाफ यह कार्यवाही की जायेगी, तो यह कार्यवाही कब तक पूरी होती है? कार्यवाही पूरी करने का कोई समय है क्या? पांच-पांच, दस-दस साल तक कार्यवाही नहीं होती है।

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय अध्यक्ष महादय, मैं दो-तीन बातें पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैंने नाम अर्जुनसिंहजी का पुकारा है। आपको भी दूंगी मौका। हां, आप बोलो।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने बात बताई थी कि उनके खिलाफ में कार्यवाही की जा रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाह रहा हूं कि कार्यवाही करने का क्या समय निर्धारित है? क्योंकि इसी हाउस में कई प्रश्न मैंने भी पूछे और उसमें यही उत्तर आता है कि जी हां, वह दोषी है, भ्रष्ट है, उनके खिलाफ में कार्यवाही की जा रही है। 15 महीने हो गये, एक भी आदमी के खिलाफ में कार्यवाही नहीं हुई। कृपा करके ऐसे जो भी सरपंच या जो अधिकारी पद का दुरुपयोग करते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करके उस कार्यवाही का निस्तारण करना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर तुरन्त कार्यवाही होती है। अभी माननीय सदस्य ने यह फरमाया कि 15 महीने हो जाते हैं, यह गलत है। हमने इस प्रकरण में कार्यवाही की है, अभी मार्च महीने में एस.डी.ओ. को पत्र लिखा है, एस.डी.ओ. के पास 24 मार्च को गया है और उस पर कार्यवाही प्रारम्भ हो गई। और मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि दो महीने के अन्दर-अन्दर कार्यवाही होकर इसका निर्णय कर लिया जायेगा।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : पिछले पन्द्रह महीने में कितने अधिकारियों को सस्पैण्ड किया या क्या कार्यवाही की, माननीय मंत्री महोदय? पिछले पन्द्रह महीने में पंचायत राज के जो कर्मचारी और जो अधिकारी दोषी पाये उनके खिलाफ में क्या कार्यवाही की आपने?

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, पन्द्रह महीने में मैंने कितनी कार्यवाही की, सारा यह तो कोई क्वेश्चन था नहीं, अगर यह क्वेश्चन होता तो मैं जवाब लेकर आता। अलग से प्रश्न पूछ लें, मैं जवाब दे दूंगा।

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या जो विवादास्पद भूमि आप बता रहे हैं जिस पर सरपंच को अतिक्रमण बताने का दोषी आपने माना, इस भूमि के सम्बन्ध में 91 के तहत पी–14 में जिस-जिस का भी उस भूमि पर कब्जा था और जिन्होंने फसल बोई थी, उनका तहसीलदार ने पी-14 में नाम दर्ज करवाया, नम्बर एक। उस पी-14 में नम्बर, नाम दर्ज करवाने के पश्चात क्या तहसीलदार ने 91 के नोटिस उन लोगों को दिये जिनका उस पर कब्जा प्रमाणित माना गया? क्या उसका तहसीलदार के द्वारा 91 का फैसला कर जो भी अतिक्रमी पी- 14 में माने गये उनको बेदखल किया गया, नम्बर एक? इसके साथ आप यह बताने का भी कष्ट करें, माननीय मंत्री महोदय,..(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : महावीरजी, यह क्या तरीका है।

श्री अध्यक्ष :वह किसी भी पार्टी के...

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह आपकी पार्टी के सदस्य हैं क्या?

श्री हरिमोहन शर्मा : हां, हमारी पार्टी के सदस्य हैं और आप बेबुनियाद तरीके से, हारे हुए हो और इसलिए जीते हुए को हटाना चाहते हो। फिर भी जो तथ्य है उसका जवाब दो आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हां-हां, देंगे, देंगे।

श्री कालूलाल गुर्जर : मैं सब जवाब दे दूंगा, आप तो पूछ लो। जितने पूछना चाहें, पूछ लो।

श्री हरिमोहन शर्मा : जितने क्यों, आपको अगर मनमाने ढंग से ही फैसला करना है तो कुछ भी करो न।

श्री कालूलाल गुर्जर : नहीं, आप पूछो न। (व्यवधान)

श्री शिवजीराम मीणा : हिण्डौली से माननीय सदस्य, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में ही उन सरपंच साहब का ही कब्जा था, आपको अच्छी तरह से मालूम है। वह बाद में मेनिपुलेशन किया गया है, वह फसल काटने के बाद में 91 की कार्यवाही की गई है। मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न तो पूरे हों। (व्यवधान) आप एक मिनट ठहरो तो सही।

श्री जुबेर खान : चार अप्रैल का मौका परचा की रिपोर्ट पढ़ो, क्या कहा गया है।

श्री माननीय सदस्य : आपने इनको बोलने की परमीशन दी, आप खड़े हो रहे हैं, आप व्यवस्था दें, पूरी बात को क्लियर करें।

श्री जुबेर खान : चार अप्रैल को मौके पर गये और उसमें कहा है कि यह कृषि भूमि है, सरपंच का कोई कब्जा नहीं है, यह पटवारी की, तहसीलदार की रिपोर्ट है।

श्री हरिमोहन शर्मा : क्या यह कार्यवाही जिला कलक्टर के पास भारतीय जनता पार्टी के इकाई अध्यक्ष के प्रार्थना पत्र पर एस.डी.ओ. को जो निर्देश दिये उसके अंतर्गत एस.डी.ओ. मौके पर नहीं जाकर तहसीलदार को भेजा और तहसीलदार ने किस आधार पर इस सरपंच को अतिक्रमी माना, वह आधार एक आप हमको बता दीजिये। तहसीलदार ने अपने उस आधार में लिखा है कि एक आदमी का बयान लिया और उसने कहा कि नहीं, सरपंच साहब के कहने से मैं उस पर खेती करता था। और उस आदमी के खाली कागज पर दस्तखत कराकर राजनीति दबाव से आपने उसमें बयान लिखे। यह उस आदमी का हलफनामा है कि उसने कहा कि तहसीलदार खाली कागज पर मुझसे दस्तखत कराने के लिए लेकर गया है... (व्यवधान)

श्री शिवजीराम मीणा : यह तो सब मेनिपुलेशन किया गया है..

श्री हरिमोहन शर्मा : और एक ओर सरकारी रिकार्ड में तहसीलदार 91 में उस भूमि पर जिन लोगों का कब्जा है, जिसका फैसला फरवरी में दे रहा है, इसी फरवरी में, और फरवरी में देकर उन तीन आदमियों को अतिक्रमी मान रहा है और जब माननीय, यहां पर राजनीतिक दृष्टिकोण से दबाव डालकर अपने सरकारी रिकार्ड को बदल कर..

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, प्रश्न पूछें आप। प्रश्न पूछें, भाषण नहीं।

श्री हरिमोहन शर्मा : मैंने प्रश्न ही पूछा है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछें आप।

श्री हरिमोहन शर्मा : मैंने प्रश्न पूछे हैं, आप उनका जवाब आने दें।

श्री अध्यक्ष : हां, तो प्रश्न का जवाब दें आप।

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब दे दूं। मैं सारा जवाब दे देता हूं और माननीय सदस्य ने जितने प्रश्न पूछे, सब एक साथ जवाब आ जायेगा। अध्यक्ष महोदय..(व्यवधान)

श्री रामलाल : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मेरा..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, अब बीच में, वह जवाब दे रहे हैं। नो-नो..

श्री रामलाल : मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, हमारे जिले से सम्बन्धित है, मैं इसमें..

श्री अध्यक्ष : नो-नो, बैठ जायें आप।

श्री रामलाल : फिर जब परमीशन नहीं देंगे, अध्यक्ष महोदय..

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण करें।

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई खसरा नम्बर 1038, 1029 और 1030 कुल चार रकबा दो बीघा जमीन श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी किशोर कुमार शर्मा जो कि सरपंच हैं उनकी पत्नी और नीलम पत्नी संजीव कुमार और श्रीमती सीतादेवी पत्नी बंशीलाल, जो कि सरपंच की मां हैं और यह इनके बेटे की बहू, इन तीनों महिलाओं के नाम पर इन्होंने जमीन खरीदी और इसका नामांतरण, मैं पूरा डिटेल बता देता हूं..

श्री हरिमोहन शर्मा : हां-हां, डिटेल बता दें।

श्री कालूलाल गुर्जर : तारीख 20.7.2004 को इनके नाम पर नामांतरण खोला गया, खातेदारी जमीन खरीद ली। यह जुलाई 2004 की बात है, अध्यक्ष महोदय। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि बरसात हुई जुन जुलाई में, जुलाई में बरसात हुई तब इन्होंने पास में आबादी की जमीन पड़ी थी जिसका खसरा नम्बर 1031/2 रकबा तीन बीघा और 13 बिस्वा जमीन जिस पर इन्होंने अतिक्रमण करके फसल बो ली। अब फसल बोने के बाद जब यह बेचान करना..

श्री अध्यक्ष : आबादी की जमीन पर फसल बो ली?

श्री कालूलाल गुर्जर : आबादी की जमीन पर। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद जो बेचानकर्ता थे उसमें से एक की पत्नी खातून ने दिनांक 27 दिसम्बर, 2004 को एक दरख्वास्त लगाई एस.डी.ओ. साहब के सामने, जो कि अभियान चल रहा था राजस्व अभियान, उसके अंदर, कि साहब, हमने जमीन बेची उसके अलावा इन्होंने नाजायज कब्जा कर लिया है। इसलिए यह जमीन इनका कब्जा हटाकर मुझे वापस दिलाई जाय। तब यह प्रकरण एस.डी.ओ. साहब के सामने आया और एस.डी.ओ. साहब ने तत्काल ही तहसीलदारजी को भेजा। तहसीलदारजी इंस्पेक्टर और पटवारी लेकर साथ गये और तारीख 3.1.2005 को, नहीं, 30.12.2004 को तो शिकायत हुई, अध्यक्ष महोदय, और उसके बाद तहसीलदार ने मौके पर जाकर, तहसीलदार, पटवारी और इंस्पेक्टर, उन्होंने एक मौका परचा बनया जिसमें लिखा कि आधा कब्जा तो एक खाना है उसका है और आधे में सरपंच और उसके पिता का आधा-आधा हिस्सा है। इस तरह से यानि उन्होंने क्या किया कि कब्जा करके उसको सिंजारे पर दे दी। तो आधा तो नाथ को सिंजारे दी, इसलिए आधा उसका हो गया। और वन फोर्थ, वन फोर्थ बाप-बेटे यानि सरपंच और उसके पिता का हो गया। यह परचा बनाकर लेकर उन्होंने एस.डी.ओ. कां दिया। साइमलटेनियसली जब सरपंच को यह पता लगा कि अब मैं फंस जाऊंगा तब इसने क्या किया कि तुरंत जाकर नायब तहसीलदार को पटाकर वहां 91 की कार्यवाही दर्ज करवाई, खुद ने।

डा. सी.पी. जोशी : पटा कर।

श्री हरिमोहन शर्मा : पटाकर, हां, यह ठीक बात है।

श्री कालूलाल गुर्जर : पटाकर, अध्यक्ष महोदय। मैं कह रहा हूं, पटा कर। क्योंकि अध्यक्ष महोदय..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया सुनें। कृपया सुनें।

श्री कालूलाल गुर्जर : सरपंच स्वयं पंचायत की जमीन पर अतिक्रमण करे और नायब तहसीलदार के वहां पर बचने के लिए उसने अपनी पत्नी और अपनी मां का नाम लिख कर के 91 की कार्यवाही उधर शुरू करवा दी। उस कार्यवाही में भी क्या हुआ कि पहली पेशी पर जब यह दोनों महिलाएं नहीं गईं तो इनकी तरफ से एक वकील उपस्थित हुआ। फिर जब उनके नोटिस तामील पूरे नहीं हुए तो दोबारा नोटिस गये तो एक भी बार वह महिलाएं नहीं गईं, और यह सरपंच साहब स्वयं अपनी पत्नी और मां के बिहाफ पर कोर्ट में उपस्थित हुए नायब तहसीलदार के यहां, और नायब तहसीलदार ने कहा कि नहीं, हम तुमको नहीं मानते हैं। इसलिए उन्होंने मिलीभगत करके उसी के ऊपर 91 में बेदखली का आदेश दोनों के खिलाफ करवा लिया। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह एस.डी.ओ. साहब की रिपोर्ट, तहसीलदार की रिपोर्ट और इंसपेक्टर व पटवारी की पहली रिपोर्ट जिसमें सरपंच का कब्जा माना है। बाद में इन्होंने नायब तहसीलदार से मिल करके महिलाओं का कब्जा दर्ज करा दिया ताकि सरपंच बच जाय। लेकिन मैं इसकी पूरी जांच करवा रहा हूं, एक भी दोषी को नहीं बचाया जा सकेगा। और माननीय सदस्य चाहे कितने ही चिल्लायें, दोषी दोषी होता है, वह चाहे किसी पार्टी का हो..(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : चिल्लायें, यह क्या बकवास करते हैं आप? यह क्या बकवास कर रहे हैं कि चिल्लायें..?(व्यवधान) यह क्या बकवास कर रहे हैं? (व्यवधान) यह क्या बकवास कर रह हैं, यह क्या जवाब दे रहे हैं कि चिल्लायें? आपको माफी मांगनी पड़ेगी...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : दोषी, दोषी होता है...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, यह सदन का दुरुपयोग किया जा रहा है। राजनीतिक तौर से लोगों को ..(व्यवधान) यह क्या हो रहा है, यह क्या जवाब है मंत्री महोदय का?

श्री हरिमोहन शर्मा : यह क्या जवाब दे रहे हैं?

श्री हेमाराम चौधरी : यह प्रश्न पूछते हैं तो यह कह रहे हैं कि चिल्ला रहे हैं। इस तरह की भाषा का उपयोग किया जा रहा है, यह मंत्री महोदय को आप, कुछ तो इनको भी बतायें। यह चिल्लाने की जो बात कही है, क्या यह ठीक कही है? कार्यवाही से निकाला जाये।

श्री जुबेर खान : केबिनेट मंत्री जब इस तरह की बात करता है..

श्री हेमाराम चौधरी : सदस्य अपनी बात कहता है, प्रश्न पूछता है, उसको यह चिल्लाना कह रहे हैं, इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन :.. जो पैरवी करता है वह चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। हां, बिलकुल सही है यह।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, आपके संरक्षण में यह सदन का दुरुपयोग इस तरह नहीं होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या दुरुपयोग किया, माननीय सदस्यगण?

श्री हेमाराम चौधरी : यह सदस्य का सरासर अपमान है। सदस्यों का अपमान है। चिल्लाना, इस तरह से कहना, कोई प्रश्न पूछना, यह चिल्लाने की बात है?

श्री अध्यक्ष : गुढामालानी से आने वाले माननीय सदस्य, उन्होंने यही तो कहा कि मैं जांच कराऊंगा, जांच कराकर कोई भी दोषी अधिकारी जो भी मिलेगा, या जो भी दोषी होगा उसको दण्ड दिया जायेगा। यही तो कहा, और क्या कह दिया उन्होंने?

श्री हरिमोहन शर्मा : उन्होंने कहा चिल्लायें, यह माननीय सदस्य कुछ भी चिल्लायें..

श्री जुबेर खान : यह कहा कि चिल्ला, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। यह क्या बात हो गई।

श्री हरिमोहन शर्मा : जब उन्होंने यह कहा, माननीय सदस्य कुछ भी... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप, माननीय सदस्य, शांतिपूर्वक..

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह सारा सदन देख रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सुनिये। राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य...

श्री हेमाराम चौधरी : इनके चिल्लाने से, यानि इस तरह की भाषा कहते हैं, उपयोग में लेते हैं, तहसीलदार को पटा लिया, इनके चिल्लाने से, यह सरकार में बैठे हैं, सरकार की तरफ से जवाब दे रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : गुढामालानी से आने वाले माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है और आप खड़े हैं, जो मैं पूछना चाह रही हूं, सुनना चाह रही हूं वह मुझे आप सुनने का मौका नहीं दे रहे हैं। मैं कह रही हूं उन्होंने इसके अतिरिक्त क्या कहा, मैं नहीं सुन पाई, मुझे बताइये और एक खड़ा होकर कहेंगे, एक सदस्य खड़ा होकर कह दे।

श्री हरिमोहन शर्मा : हां, माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने यह कहा कि माननीय सदस्य कितने भी चिल्लायें, मैं तो ऐसे ही करूंगा। यह उन्होंने कहा।

श्री बंशीलाल खटीक : (व्यवधान)..... दोषियों को सजा दी जाएगी। माननीय मंत्री महोदय ने ऐसा कहा कि दोषियों को सजा दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें। माननीय श्री हरिमोहनजी, स्थान ग्रहण करें। राजसमंद से आने वाले सदस्य,

(श्री अध्यक्ष)

उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं निवेदन यह कर रही हूं कि यदि उन्होंने यह कहा कि तुम चाहे जितना चिल्लाओ, मैं दोषियों के खिलाफ कुछ नहीं करूंगा तो यह उनकी हठधर्मी है..

श्री हरिमोहन शर्मा : नहीं, यह नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय..

श्री अध्यक्ष : सुनिये-सुनिये, बात सुनिये।

श्री बंशीलाल खटीक : ...(व्यवधान) दोषियों को सजा दी जाएगी, यह कहा।

श्री अध्यक्ष : आप बीच में चाहे जब खड़े हो जाते हैं, दखलंदाजी करने लग जाते हैं, यह उचित नहीं है और नियमों के विरुद्ध है। आप थोड़ा नियमों की जानकारी करें। मैं यह कह रही हूं कि यदि उन्होंने यह कहा कि आप कितना ही चिल्लाओ मैं किसी दोषी को नहीं छोड़ूंगा तो कोई गलत नहीं कहा उन्होंने। दोषी को नहीं छोड़ेंगे। यही तो कहा है कि दोषी को नहीं छोड़ेंगे और क्या कहा उन्होंने?

डा. भंवर लाल राजपुरोहित : ...व्यवधान... चिल्लाने का मतलब जोर से बोलने से है। चिल्लाने का मतलब जोर से बोलने से है और आप कोई अलग अर्थ क्यों लेते हो?

श्री अध्यक्ष : और भी कुछ कहा हो तो बताओ। अलग कुछ कहा हो तो बताओ।

श्री बंशीलाल खटीक : ...(व्यवधान) सजा दी जाएगी भले ही... (व्यवधान) उसके पक्ष में चिल्लाओ, यह कहा था।

श्री अध्यक्ष : और कुछ कहा हो तो बताओ आप। राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य, प्रतिपक्ष के नेता खड़े हैं और आप खड़े हो जाते हैं। क्या कहा था मैंने आपको? मैंने आपको कहा था कि जब नेता सदन और प्रतिपक्ष के नेता खड़े हों तो किसी को खड़े नहीं होना चाहिए। बीच में व्यवधान नहीं करना चाहिए। खड़े थे नेता प्रतिपक्ष, क्यों खडे हुए आप?

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं क्या यह सही है कि आपके स्वयं के प्रश्न के उत्तर के आधार पर कौशल्या देवी, नीलम और सीता देवी के खिलाफ 91 की कार्यवाही की गयी? और यदि 91 की कार्यवाही उनके खिलाफ की गयी तो आप सरपंच के खिलाफ कार्यवाही किस आधार पर कर रहे हैं? क्या यह सही है कि आपके ही अधिकारियों ने इन तीन महिलाओं के खिलाफ 91 की कार्यवाही की और अब आप किस आधार पर सरपंच के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं? यह ऑफटरथोट है। मैं आपके माध्यम से यह भी आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जब से पंचायत राज मंत्रीजी बने हैं हाई कोर्ट में इनके आदेशों को कम से कम 16 आदेश तो मेरे ध्यान में हैं जिनको स्थगित किया गया है। ये सरपंचों को निलंबित करते हैं और हाई कोर्ट स्थगन आदेश देती है। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि कितने आपके आदेश हाई कोर्ट से स्थगित हुए? और यह भी ऐसा ही होगा यदि आप गलत तरीके से करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष, यह तो अलग से प्रश्न है। (व्यवधान) प्लीज सुनें उन्हें।

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यह कहना सरासर गलत है कि हमारे सारे हाईकोर्ट ने स्टे किये हों। कोई इक्का-दुक्का ही ऐसा मामला होगा जिसके अन्दर प्रक्रिया की पालना में कहीं न कहीं टैक्निकल कमी रहने की वजह से मिला। बाकी यह बिलकुल गलत है। अधिकतर सरपंचों को जो सस्पैंड किया था, हाई कोर्ट ने उनकी रिटें खारिज की हैं।

श्री जोगाराम पटेल : सबसे ज्यादा कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार के आदेश हाई कोर्ट ने निरस्त किये हैं, सबसे ज्यादा।

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जहां तक आपने एक प्रश्न पूछा कि 91 की कार्यवाही महिलाओं के खिलाफ की तो सरपंच को कैसे दोषी माना जाए । अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रूल-33 आप पंचायत अधिनियम का देख लीजिये, सरपंच का पहला दायित्व है, पहला कर्तव्य है, पहला कार्य है, पहली जिम्मेदारी है कि आबादी भूमि पर अतिक्रमण नहीं होने दे।

श्री अध्यक्ष : अतिक्रमण को रोके । अतिक्रमण नहीं होने दे।

श्री कालूलाल गुर्जर : पहली बात तो आबादी भूमि पर अतिक्रमण किया तो उसको रोकने का काम उसका था नंबर-1, 1 नंबर-2 उनकी जानकारी में वो उनके परिवार वालों ने किया उसके कारण भी वो दोषी है। नंबर-3 वो खुद पेशी पर उपस्थित हो रहे हैं। अगर नायब तहसीलदार की कार्यवाही को भी सही माना जाए तो भी आप स्वयं उपस्थित हो रहे हैं। स्वयं आप पैरवी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अतिक्रमण नहीं है। और उसके बावजूद आदेश हो रहे हैं अतिक्रमण मानते हुए उनको बेदखल किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात है कि एस. डी. ओ. और तहसीलदार, यह कार्यवाही तो नायब तहसीलदार ने की, लेकिन तहसीलदार को एस. डी. ओ. ने जो आदेश दिया उसमें तहसीलदार स्वयं मौके पर गया और अभियान के दौरान गया और उसमें इंस्पेक्टर और पटवारी साथ थे। और उसके पर्चा बनाया उसमें उसने लिखा कि आधा तो एक नाथ सम्प्रदाय के आदमी का कब्जा है, आधे पर इन दोनों बाप–बेटों का है। और वो भी इनको पाली पर दे रखा है। इसलिए आधा सिंजारे पर दिया इसलिए आधा तो खेती करने वाले का कब्जा और आधा इन दोनों बाप-बेटों का कब्जा है। इस तरह उन्होंने स्वयं ने लिख करके, और पंचायत अधिनियम मेरे पास फाइल में मौजूद है, अध्यक्ष महोदय, उसके बाद में क्या चाहिए, मुझे यह समझ में नहीं आया । केवल मात्र धारा 38 के तहत हमारी कार्यवाही नहीं हुई इसलिए कहीं कोर्ट से स्टे नहीं मिले, वरना मैं तो आज ही अभी उनको यहां हाउस के फ्लोर पर सस्पैंड कर सकता हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, क्या प्रतिपक्ष के नेता महोदय सरंपच की पत्नी या काई भी प्रतिनिधि हो उनकी पत्नी को अपने पद का अपने पति के माध्यम से उसके पद का दुरूपयोग करते हुए सरकारी भूमि खा जाने का अधिकार देना चाहते हैं?.. (व्यवधान)... प्रतिपक्ष के नेता का मतलब यह है। ..(व्यवधान).. प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आप सोचिये आपका क्या स्टेटस है।

डा. बुलाकीदास कल्ला: मैने सब सोच-समझ कर किया है। आपको प्रभावित करने की जरूरत नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या सोच-समझकर किया है? यहां भ्रष्टाचार की पैरवी करने के लिए आये हो आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला: आप भ्रष्टाचारियों की पैरवी कर रहे हो । आप तो भ्रष्टाचार के भण्डार हो । भ्रष्टाचार के भण्डार हो आप ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : भण्डार नहीं है। मेडिकल मिनिस्टर रहते हुए आपने क्या नहीं किया, मैं बताऊं आपको?

डा. बुलाकीदास कल्ला : हां, क्या किया है?

श्री सी.डी. देवल (रायपुर) : प्रतिपक्ष के नेता बोल रह है.. (व्यवधान) आपको बोलने का अधिकार नहीं है। प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं। हर बार आप व्यवधान डाल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इनको रोका जाए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप क्या कहना चाहते हैं? मैं पोस्टमार्टम.. (व्यवधान)... ।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपके इतने भष्टाचार के मामले खुलेंगे तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा।

श्री सी. डी. देवल : कोई गलत कार्यवाही आपको नहीं करने दी जाएगी। प्रतिपक्ष के नेता बोलें उस समय आप चुप रहें।

श्री अध्यक्ष: आपका पोस्टमार्टम हो जायेगा तो यह सत्ता पक्ष क्या करेगा? पोस्टमार्टम नहीं करने देंगे आपका।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, आपकी परमीशन हो जाए, एक सवाल है। आपकी परमीशन से।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह गुर्जर। आपको भी दूंगी मौका ।

श्री रामलाल (बनेड़ा) : मैं कब से मांग रहा हूं?

श्री अध्यक्ष: मैंने नाम पुकार लिया। नो, मैंने नाम पुकार लिया।

श्री रामलाल : हमारे जिले का मामला है, मै कब से परमीशन मांग रहा हूं?

श्री अध्यक्ष : आपका मामला है तो पहले वो पूछेंगे, फिर आपको भी मौका दूंगी।

डा. एन. एस. गुर्जर : मुझे पुकार लिया, आप बैठो।

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि क्या फैमिली की डेफीनेशन में पति के साथ पत्नी भी आती है?

श्री अध्यक्ष: बिलकुल आती है।

डा. एन. एस. गुर्जर : एक मिनट सुनिये । जब पत्नी आती है तो कानूनों में स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी इलैक्टेड पर्सन अपनी फैमिली के किसी भी सदस्य को अगर फायदा पहुंचायेगा तो कानून के अन्तर्गत वो दोषी माना जाएगा । यह कानूनों के अन्तर्गत स्पष्ट प्रावधान है । इसलिए, अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान).. एक मिनट सुनिये। आपकी बात कह लेना। तो इसलिये अध्यक्ष महोदय, यह जो इस केस में सामने आ रहा है....

डा. सी.पी. जोशी : आप मंत्रीजी के पक्ष में बोल रहे हैं. कि खिलाफ बोल रहे हैं, पहले यह बता दो?

डा. एन.एस. गुर्जर : आप सुनिये न, एक मिनट । अभी आपको पता लग जाएगा कि पक्ष में बोल रहा हूं कि खिलाफ बोल रहा हूं।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): पत्नी नंबर-1 के पक्ष में बोल रहे हैं।

डा सी.पी. जोशी: पति नं. 1 के पक्ष में बोल रहे हैं, यही तो पूछ रहा हूं। .. (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : एक मिनिट सुनिये। अभी आपको पता लग जाएगा कि पक्ष में बोल रहा हू कि खिलाफ बोल रहा हूं। अध्यक्ष महोदय एक तो सरंपच अपनी फैमिली को लाभ पहुंचाने के दुरूपयोग के कारण दोषी है।

(डा. एन. एस. गुर्जर)

नंबर-2 सरपंच और ग्राम सेवक की जिम्मेदारी है कि किसी भी सरकारी सम्पत्ति को जो पंचायत के अधीन पंचायत के ...

श्री अध्यक्ष : आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सप्लीमेंट कर रहे हैं मंत्री जी को? मंत्रीजी को सप्लीमेंट कर रहे हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर : क्वेश्चन ही पूछ रहा हूं, मंत्रीजी क्या यह सही है कि पंचायत की बाउंड्री में उसकी विलेज पंचायत में जो भूमि है उसके संरक्षण की जिम्मेदारी संरपच की है? और इस केस में संरपच असफल रहा है? इसके लिए इसमें असफल होने के कारण सरपंच ने आबादी भूमि पर जो अवैध कब्जा करवाया है इसमें सरपंच दोषी है। और क्या उस सरपंच के खिलाफ इन कानूनों के कारण आप कार्यवाही करेंगे ? मेरा यह प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि मैं कार्यवाही करूंगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामलाल।

डा. सी.पी. जोशी : .. (व्यवधान) आपका नायब तहसीलदार जिसने यह गलत काम किया है उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की आपने सबसे पहले ?

श्री अध्यक्ष : डा. सी.पी. जोशी, मैंने श्री रामलाल का नाम पुकारा है। मैंने श्री रामलाल का नाम पुकारा है।

डा. सी.पी. जोशी: नायब तहसीलदार जिसने सबसे पहले कार्यवाही की उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की? क्या यह जिम्मेदारी नहीं बनती? आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी यह बनती है। आप जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने श्री रामलाल का नाम पुकारा है। श्री रामलाल । आप बिना मेरी अनुमति के बोल रहे हैं। आप मेरी बिना अनुमति के बोल रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : फिर बेइमानी की जरूरत क्या है? अगर परिवार की डेफीनेशन में आता है तो आपको यह रिकार्ड बदलने की जरूरत क्या है?

श्री अध्यक्ष : हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, मैंने रामलालजी का नाम पुकारा है। श्री रामलाल।

श्री रामलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मंत्रीजी ने अभी जवाब दिया कि 20.7.2004 को ये जमीन खरीदी और इसका नामान्तरण खुला, यह 9 व्यक्तियों से जमीन खरीदी कौशल्या देवी सन आफ श्री किशोर कुमार जो संरपच और इसके और नीलम कुमार ...

श्री अध्यक्ष : क्वेश्चन पूछें भाषण नहीं । क्वेश्चन। क्वेश्चन।

श्री रामलाल : मैं आपको वस्तुस्थिति बता रहा हूं । तो मंत्रीजी, 20 तारीख को जब यह जमीन खरीदी हुई थी उस समय यह अतिक्रमण उस जमीन के साथ हुआ-हुआ मिला था उस आदमी को। जब प्रशासन गांवों के संग अभियान चला तो उस औरत ने और उस आदमी ने कहा कि हमारी अतिक्रमण में जो जमीन है उसको हमारे नाम किया जाए। तो नाम करने के लिए जब संरपच को मालूम चला तो उसने कहा कि साहब ये मेरी जमीन तो नाप कर दे दो। तो नापने के बाद उसकी जमीन थी उसको मिल गयी। लेकिन राजनीतिक द्वेषता से इस संरपच को केवल लपेटने के लिए उसकी एस.डी.एम. साहब को रिपोर्ट दी, तीन तारीख को कलक्टर साहब के वहां पेश हुआ। यह कागज, मंत्रीजी, एक मिनट मेरी बात सुनिए, आपकी बात सुनी। (व्यवधान) यह बात जैसे ही सरपंच को मालूम पड़ी सरपंच की औरत के खिलाफ और अन्य दो औरतें जिनके नाम पर जमीन है, उनके नाम पर पीचोमीदा की तहसील, ना कि नायब तहसीलदार ने, बाकायदा डोक्युमेंट है, तहसीलदार ने पीचोमीदा की नकलों में फर्द बनाकर उस फसल को जब्त किया।

श्री शिवजीराम मीणा : माननीय सदस्य, आपको जानकारी नहीं है।

श्री रामलाल : जब्त करके फिर उसकी नीलामी हुई। 500 रुपये में उस फसल को नीलाम करके उसको बेदखल किया गया। उसके बाद दुबारा जांच मंत्रीजी के निर्देशों से तहसीलदार को दबाकर की गई, उसमें पटवारी गिरदावरी सही हैं। (व्यवधान) गिरदावरी और पटवारी के जो पहले वाले पीचोमीदा बनी

(श्री रामलाल)

वह कब्जे में है। उस टाइम वह उप सरपंच था। उसके बाद जब 29 तारीख को सरपंच का चुनाव हुआ, महज राजनीतिक द्वेषता से मंत्री उस सरपंच को निलम्बित करने की कार्यवाही करे। मंत्रीजी यह बताने की कृपा करें कि यह जमीन जब खरीदी थी उस टाइम में पहले वाले बेचानकर्ता के कब्जे में अतिक्रमणशुदा जमीन थी कि नहीं थी?

श्री शिवजीराम मीणा : बिलकुल नहीं थी, यह बाद में कब्जा किया गया है। आपको शायद जानकारी नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामलाल : आप तो भले ही उसको सस्पैंड कर दो, हाई कोर्ट से एक घंटे में उसको स्टे मिलेगा, कालूलालजी साहब। आप गलत कार्यवाही कर रहे हो राजनीतिक द्वेषता से तो आपकी मर्जी।

श्री अध्यक्ष : अब आपने पूछा लिया, जवाब आने दीजिए। उनका जवाब आने दीजिए।

श्री रामलाल : अध्यक्ष महोदय, वास्तविक स्थिति यह है कि वहां सरपंच को फंसाया जा रहा है।

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने दो प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न था कि इन्तकाल 20.7.2004 को खुला और इनका कहना है कि फसल पहले बो दी। इसलिए कब्जा पहले बेचानकर्ता का था।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी आप इनको यह स्पष्ट कर दें कि आबादी भूमि और कृषि भूमि दोनों पर कब्जा है, यह इनको स्पष्ट कर दें पहले आप। दोनों पर है क्या कब्जा? मैं प्रश्न के आधार पर पूछ रहा हूं।

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जमीन जो खरीदी गई उसका नामांतरण तो तारीख 20.7.2004 को तस्दीक हुआ। परन्तु रजिस्टर्ड खत पता नहीं महीने भर पहले खरीदी गई या दो महीने पहले खरीदी। मेरे पास खत नहीं है इसलिए मैं बता नहीं सकता हूं, माननीय सदस्य को जानकारी होगी।

श्री सी.डी. देवल : यह हमारे पास हैं सारे खत।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप तो यह बताएं कि आबादी भूमि और कृषि भूमि दोनों पर अतिक्रमण है क्या ?

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कह रहा हूं कि मेरे पास..

श्री कालीचरण सर्राफ : मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि एक भ्रष्ट सरपंच को बचाने के लिये यह कांग्रेस के माननीय सदस्य सदन का दुरूपयोग क्यों कर रहे हैं? जब माननीय मंत्रीजी ने कहा कि उसकी जांच की जायेगी और दोषियों को दंडित करेंगे। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं होगा। इनको बोल लेने दीजिए जो बोलना चाहते हैं। बोलने दो, अंकित नहीं हो।

श्री सी.डी. देवल : xxx

श्री अध्यक्ष : पहले प्रश्नों का तो जवाब आपने आने नहीं दिया, आप नया प्रश्न पूछने लगे। पहले उन्हें सुन लीजिए, पहले मंत्रीजी को सुन लीजिए।

श्री कालूलाल गुर्जर : जहाजपुर से आने वाले माननीय विधायक महोदय तीन दिन तक उस सरपंच को हराने के लिये बैठ रहे लेकिन वह सरपंच हारा नहीं। तीन दिन तक सरपंच को हराने के लिये वहीं बैठे रहे।

श्री सी.डी. देवल : XXX

श्री संयम लोढ़ा : XXX

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : XXX

श्री बंशीलाल खटीक : XXX

श्री बाबूलाल नागर : XXX

श्री सांगसिंह भाटी : XXX

श्री जुबेर खान : XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप खड़े क्यों हैं The chair is on legs? आरोप-प्रत्यारोप लगाकर आप थक गये हैं तो या तो आप प्रश्न का जवाब सुन लीजिए मंत्रीजी से, वरना मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पुकार रही हूं। आप उनका जवाब सुन लीजिए, नहीं सुनना चाहते तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पुकारूंगी। (व्यवधान) आप जवाब देना चाहते हैं, बोलिए।

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, बनेडा से आने वाले माननीय सदस्य ने दो प्रश्न पूछे हैं।

श्री सी.डी. देवल : XXX

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यह सुनना ही नहीं चाहते।

श्री अध्यक्ष : आप जवाब नहीं सुनना चाहते, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं आप सुनना नहीं चाहते।

श्री हरिमोहन शर्मा : XXX

डा. सी.पी. जोशी : XXX

श्री सी.डी. देवल : XXX

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप जवाब सुनना नहीं चाहते फिर प्रश्न क्यों पूछा था ?

श्री कालूलाल गुर्जर : भ्रष्ट आदमी को बचाने के लिये पूछा था।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिमोहन शर्मा।

राज्य के राष्ट्रीय वन जीव उद्यानों में बाघों की संख्या में वृद्धि हेतु कार्य योजना

300. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) व श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरिस्का एवं रणथम्भौर अभयारण्य में बाघों की गिनती वर्ष 2002, 2003, 2004 एवं 2005 में की गई थी? यदि हां तो वर्षवार कितने-कितने बाघ उक्त अभयारण्य में पाये गये?

(2) क्या यह भी सही है कि सरिस्का एवं रणथम्भौर टाइगर प्रोजेक्ट में वर्ष 2004-05 में गिनती के पश्चात पर्यटकों को बाघ देखने को नहीं मिले? यदि हां, तो क्या सरकार ने बाघों की तलाश करने का प्रयास किया? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(3) बाघों को बचाने के लिये विदेशों से सरकार को अब तक कुल कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई? इसमें से कितनी राशि का उपयोग किया गया व कितनी राशि का उपयोग करना शेष है? राशि उपयोग नहीं करने के क्या कारण रहे तथा इसके लिये जिम्मेदार दोषियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा बाघों की संख्या को बढ़ाने हेतु क्या कार्य योजना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि सरकार ने इस समस्या की जानकारी होने के पश्चात टास्क फोर्स का गठन किया है? यदि हां, तो टास्क फोर्स के कौन कौन सदस्य हैं, तथा क्या टास्क फोर्स को टाइगर प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में रिपोर्ट देने की कोई समय सीमा तय की गई है? यदि हां, तो अब तक इस टास्क फोर्स की कितनी बैठकें हो चुकी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या इस टाइगर प्रोजेक्ट में टाइगर के गुम होने के सम्बन्ध में

(श्री हरिमोहन शर्मा)

माननीय प्रधान मंत्रीजी द्वारा कोई पत्र लिखा गया है, यदि हां, तो पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या यह सही है कि बाघों के गुम होने के सम्बन्ध में जांच केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को स्थानान्तरित की है?

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री लक्ष्मीनारायण दवे) : (1) जी हां, वर्ष 2002, 2003, एवं 2004 में सरिस्का एवं रणथम्भौर में बाघों की गणना की गई थी तथा वर्ष 2005 में बाघों की गणना मई माह में की जावेगी। बाघों की वर्षवार गणना का विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष	सरिस्का	रणथम्भौर
2002	26-28	35
2003	25-28	39
2004	16-18	40

(2) जी नहीं, सरिस्का में वर्ष 2004 की गणना उपरान्त माह नवम्बर, 2004 तक पर्यटकों को बाघ के दर्शन हो रहे हैं। सरिस्का में नवम्बर, 2004 के बाद बाघ के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होने के कारण 1 से 15 फरवरी, 2005 के बीघ सघन ट्रेकिंग कार्यवाही की गई। ट्रेकिंग के दौरान बाघों के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए किन्तु उनके होने के प्रत्यक्ष प्रमाण यथा स्केट, किल तथा खरोंच के निशान मिले हैं। सही स्थिति मई माह में दिनांक 16 से 31 के बीच करायी जाने वाली गणना में स्पष्ट हो सकेगी।

(3) रणथम्भौर टाइगर प्रोजेक्ट के लिये विश्व बैंक की सहायता से ईको डवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत अब तक राशि रुपये 2021.42 लाख प्राप्त हुई। इसमें से राशि रुपये 1839.73 लाख का उपयोग नहीं हुआ। राशि बचत के प्रमुख कारण प्रोजेक्ट की धीमी शुरूआत, अतिरिक्त स्टाफ का नहीं मिलना, सलाहकार सेवाओं की स्वीकृति नहीं, प्रोजेक्ट अवधि में अकाल के कारण जैव विविधता कार्यों में ग्रामवासियों के आनुपातिक 25 प्रतिशत जनसहयोग का अभाव होना है। अनुपयोगी राशि 8.56 प्रतिशत रही तथा अनुपयोग हेतु कोई

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं पाए जाने के कारण अधिकारियों के विरुद्ध जिम्मेदारी निर्धारण की कार्यवाही नहीं की गई है।

(12.00 बजे)

(4) बाघों की संख्या बढ़ाने हेतु बाघों के आश्रय स्थल को संरक्षित करना अत्यन्त आवश्यक है। इस हेतु निम्न कार्य योजना प्रस्तावित है :-

(अ) संरक्षित क्षेत्रों में बसे हुए गांवों को अन्य स्थान पर पुनः स्थापित करना।

(ब) सरिस्का टाइगर रिजर्व के अन्दर से गुजरने वाले राज्य मार्ग संख्या-13 पर यातायात को नियंत्रित करना तथा वैकल्पिक सड़क पर यातायात को डाइवेर्ट करना।

(स) सरिस्का एवं रणथम्भौर दोनों में धार्मिक श्रद्धालुओं की आवजाही को नियंत्रित करना।

(द) संवेदनशील स्थानों पर पक्की दीवार द्वारा फेंसिग करना।

(य) शिकार की घटनाओं को रोकने हेतु सरिस्का एवं रणथम्भौर टाइगर रिजर्व में प्रशिक्षित दस्तों का गठन कर तैनाती करना।

(र) उत्साही एवं युवा वन रक्षकों का चयन कर इन क्षेत्रों में नियुक्त करना।

(ल) वन्य जीव विशेषज्ञों की राय तथा उनकी देखरेख में सरिस्का अभयारण्य में पुनः बाघों को स्थापित करने पर विचार करना।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथम्भौर एवं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की समस्याओं के समाधान हेतु एक एम्पावर्ड कमेटी का दिनांक 26.2.2005 को गठन किया है। उक्त कमेटी अपनी रिपोर्ट/अनुशंसाएं तीन माह में प्रस्तुत करेगी जिस पर राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

(5) जी हां, राज्य सरकार द्वारा दिनांक 26.2.2005 को एक समिति का गठन किया गया है जिनके सदस्यों का विवरण इस प्रकार है :-

1. माननीय सांसद श्री वी.पी. सिंह	अध्यक्ष
2. माननीय विधायक श्री भरत सिंह	सदस्य
3. सुश्री बेलीन्डा राइट	सदस्य
4. श्री बाल्मि थापर	सदस्य
5. श्री राजपाल सिंह तंवर	सदस्य
6. डा. वी.बी. माथुर	सदस्य

वन्य जीव संस्थान, देहरादून

7. मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, सदस्य सचिव। उक्त समिति अपनी रिपोर्ट तीन माह के अन्दर राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। उक्त समिति की अब तक तीन बैठकें दिनांक 26 फरवरी 2005, 5 व 6 मार्च, 2005 को एवं 12 से 14 मार्च को हो चुकी हैं एवं चौथी बैठक 5 व 6 अप्रैल, 2005 को रखी गयी है।

(6) जी हां। पत्र की प्रति संलग्न है।

(7) केन्द्र सरकार ने सरिस्का बाघ परियोजना में बाघों के गायब होने के सम्बन्ध में सी.बी.आई. को अनुसंधान के निर्देश दिए हैं।

(पत्र की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, समय समाप्त हो रहा है इसलिए आधे घण्टे की चर्चा के लिए इसको निर्धारित कर दिया जाए। (व्यवधान) आधे घण्टे की चर्चा के लिए।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : अध्यक्ष महोदय, दो सदस्यों का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : जब आपको.. (व्यवधान) आपका इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है तो पहले प्रश्न पर इतना समय क्यों लगाया?

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : अध्यक्ष महोदय, समय दे दिया गया... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : आधे घण्टे की चर्चा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का प्रश्न है। पूरे राजस्थान का ट्यूरिज्म डिपार्टमेंट इससे जुड़ा है। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : इसको आप दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचिए। पार्टी की बात मत सोचो।

श्री हरिमोहन शर्मा : राजस्थान की विभूति का सवाल है। मेहरबानी करके इस पर आधे घण्टे की चर्चा तो निर्धारित करें।

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई.... (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" (खण्डार) : उपाध्यक्ष महोदय, रणथम्भौर टाईगर सैंक्चुरी का मसला है अगर आधे घण्टे की चर्चा..

श्री अध्यक्ष : क्या बात है आपकी?

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : आधे घण्टे की चर्चा, एक भी सप्लीमेन्ट्री नहीं पूछ पाये..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पांव पर। क्या आधे घण्टे की चर्चा? आसन पांव पर है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(श्री अध्यक्ष)

1. श्री संयम लोढ़ा एवं 21 अन्य सदस्यों की ओर से जोधपुर एवं बीकानेर सम्भाग में अनुसूचित जाति के किसानों के बिजली कनेक्शन के डिमाण्ड नोटिस जारी करने पर रोक के सम्बन्ध में।

2. श्री हेमाराम चौधरी, सदस्य की ओर से तहसील गुढ़ामालानी के काश्तकारों की फसल बीमा का मुआवजा तय करने में अन्याय किये जाने से किसानों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव इतने गम्भीर प्रकृति के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री संयम लोढ़ा व श्री हेमाराम चौधरी को अपने-अपने प्रस्ताव के विषय पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी।

3. श्री हरिमोहन शर्मा एवं 4 अन्य सदस्यों की ओर से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बिना निविदा आमंत्रित किये घटिया पोषाहार क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव के विषय पर कल सदन में पर्ची के माध्यम से चर्चा हुई। माननीय मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में वक्तव्य देंगे। अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

उस समय आपको मौका मिलेगा, आप प्रश्न के जरिये जो जानकारी चाहें वह जानकारी उनसे ले लीजियेगा।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री लालचन्द, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में 586 बीघा डी-कमाण्ड रकबे को कैनाल एरिया में शामिल करने के सम्बन्ध में।

2. श्री भरत सिंह, सदस्य की ओर से कोटा नगर की जीवनधारा चम्बल नदी को प्रदूषण मुक्त करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

3. श्री मंगलाराम गोदारा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में कृषि कनेक्शन शिफ्ट करने की योजना पर रोक लगाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

4. श्री बीरूसिंह राठौड़, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क की कच्ची बस्ती "खड्डा बस्ती" को जनहित में अन्यत्र बसाने के सम्बन्ध में।

5. श्री जालम सिंह रावलोत, सदस्य की ओर से बार्डर होम गार्डस के जवानों को सुरक्षा ड्यूटी पर लगाने के सम्बन्ध में।

6. श्री खुशवीर सिंह जोजावर, सदस्य की ओर से संविदा पर नियुक्त अध्यापकों को शिक्षक-प्रशिक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में।

7. श्री हीरालाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बामनवास में ओलावृष्टि से हुए नुकसान के सम्बन्ध में।

8. श्री बंशीलाल खटीक, सदस्य की ओर से जिला राजसमन्द का विकास करने के सम्बन्ध में।

9. श्री मोहन मेघवाल, सदस्य की ओर से नगर विकास न्यास, जोधपुर के अधिशासी अभियन्ता द्वारा की गई अनियमितता के सम्बन्ध में।

10. श्री धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से जोधपुर नगर निगम द्वारा अवैध भू-खण्ड आबंटन करने के सम्बन्ध में।

11. श्री हेमराज मीणा, सदस्य की ओर से श्रमिक सहकारी समितियों के बन्द होने से वन श्रमिकों के सामने रोजगार की समस्या उत्पन्न होने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। श्री संयम लोढ़ा

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, ओलावृष्टि के ऊपर आपने स्वयं यह व्यवस्था दी थी कि ओलावृष्टि महत्वपूर्ण मुद्दा है, सरकार वक्तव्य देगी। एक

(श्री जुबेर खान)

दिन तो तय भी हो गया था कि नेक्स्ट सीटिंग में, तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इसके ऊपर सरकार से वक्तव्य दिलाएं।

श्री अध्यक्ष : कल वक्तव्य दिलाएंगे। कल देंगे वक्तव्य इस सम्बन्ध में।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं.....

श्री हरिमोहन शर्मा : सरसों पर भी, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : अब आपको क्या तकलीफ हुई?

श्री हरिमोहन शर्मा : सरसों...

श्री अध्यक्ष : मैंने नाम पुकार लिया संयम लोढ़ा का।

श्री हरिमोहन शर्मा : सरसों पर वक्तव्य के लिए, सरसों पर भी दिलवाने के लिए आपने फरमाया था। सरसों खरीद पर।

श्री अध्यक्ष : क्या?

श्री हरिमोहन शर्मा : सरसों खरीद पर वक्तव्य दिलाने के लिए फरमाया था, वह सरसों का वक्तव्य भी कब दिलवाएंगे, साहब?

श्री अध्यक्ष : आप चैम्बर में बात करिए, तब समय तय करेंगे।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, परमात्मा ने जिस संसार की रचना की उसमें सिर्फ दो जातियां बनाईं।

श्री अध्यक्ष : उसमें उन्होंने संयम लोढ़ा को भी पैदा किया। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : एक स्त्री और दूसरा पुरुष, अध्यक्ष महोदय, लेकिन समाज में जो प्रभावशाली और स्वार्थी तत्व विद्यमान रहे उन्होंने समाज के साथ, समय के साथ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दो मिनट का समय है, आप भूमिका बांध रहे हैं (व्यवधान) बिजली कनेक्शन पर आ जाओ आप।

श्री संयम लोढ़ा : दो मिनट तो बोलने दीजिए।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट बोलने दूंगी इसलिए कह रही हूं कि मुद्दे की बात पर आओ, सृष्टि की बात मत कीजिए। सृष्टि ने तो पता नहीं क्या-क्या किया है।

श्री संयम लोढ़ा : मुझे इसलिए कहना जरूरी है कि पांच हजार साल से इस व्यवस्था के अन्दर जो वर्ग शोषण का शिकार था, हमारे महापुरुषों ने समानता के लिए और सबको आगे बढने के लिए बराबर अवसर मिले इसके लिए बहुत महान संघर्ष किया। संविधान की रचना की और इन 55 वर्षों में इस बात की कोशिश की कि समाज के हर वर्ग को आगे आने का अवसर मिले। अध्यक्ष महोदय, उसी का नतीजा हुआ कि देश बहुत तेजी से आगे बढ़ा। हमारा प्रदेश आगे बढ़ा, कृषि क्रान्ति आई और देश हर लिहाज से आत्मनिर्भर बना।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में वर्तमान सरकार आई, इस सरकार ने अपने अस्तित्व में आने से पहले परिवर्तन यात्रा के माध्यम से राजस्थान की जनता में अनेकानेक सपने पैदा किये, अनेकानेक जज़्बात और भावनाएं पैदा कीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में आपकी उपस्थिति में लगातार यह कहा कि यह जो बिजली की कठिनाई है, हम तीन साल में सारे कनेक्शन रिलीज करने वाले हैं। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान की यह सरकार, समय-समय पर हमने आपका ध्यान आकर्षित किया है चाहे वह शिक्षा का मामला हो चाहे समाज कल्याण का मामला हो। चाहे वह उद्योग का मामला हो, चाहे वह बेरोजगारों को ऋण देने का मामला हो, यह सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के प्रति भेदभाव रखती है। और हर स्तर पर उनका शोषण करने के लिये आमादा है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अपने स्थगन प्रस्ताव में जिक्र किया है और मैं सरकार के आदेश को टेबल करना चाहूंगा, 28 नवम्बर, 2004 को जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक श्री एस.के. विश्नोई ने यह आदेश जारी किया।

(श्री संयम लोढ़ा)

"The Superintending Engineer, Jodhpur DISCOM, Jodhpur/Pali/ Barmer/ Bikaner/Churu/ Hanumangarh/Sriganganagar.

Subject : Issuance of demand notices to agriculture consumers. While reviewing the position regarding deposition of demand note under Scheduled Castes agriculture category , it is observed that sufficient number of applicants have deposited their demand notices....

"Hence in continuing to this office letter no. 338 dt. 17.11.2004 it is hereby instructed that issuance of demand notices to Scheduled Castes agriculture applicants be also stopped till further instructions."

माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति के जिन किसानों ने अपने कनेक्शन के लिये आवेदन किया हुआ है, 29 नवम्बर, 2004 के बाद अब पिछले 5 महीनों के अन्दर इन सारे जिलों के अन्दर एक भी डिमाण्ड नोटिस, माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर डिस्काम ने जारी नहीं किया है। मैं आपके माध्यम से, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी विराजमान हैं, मैं बहुत विनम्र शब्दों में उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस सदन में इस बात की घोषणा करें कि यह जो रोक अनुसूचित जाति के किसानों के डिमाण्ड नोट जारी करने पर लगायी गयी है, आपकी सरकार इसको तुरन्त प्रभाव से वापस लेती है। और जितने अनुसूचित जाति के किसानों के कृषि कनेक्शन के आवेदन लम्बित हैं, 15 दिन के भीतर उनके सारे डिमाण्ड नोट जारी कर दिये जाएंगे।

श्री अध्यक्ष : बस ठीक है, हो गया। मंत्रीजी, कुछ कहना है?

श्री गजेन्द्र सिंह (ऊर्जा राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने जो टार्गेट बनाया है, 60 हजार डिमाण्ड नोटिसेज पर ईयर, यानि 3 साल के अन्दर एक लाख 80 हजार। 60 हजार जो डिमाण्ड नोटिसेज हैं वह हमने 31 मार्च को, हमारा टार्गेट पहले वर्ष का हमने पूरा कर लिया है। और माननीय सदस्य से मैं यह कहना चाहूंगा कि कोई अनुसूचित जाति के लिये नहीं किया गया है। क्योंकि...

श्री अध्यक्ष : यह शब्द क्यों आया उसमें? बात तो सही है। सबके लिये लगाते तो कोई बात नहीं होती। लेकिन उसमें खास तौर से शब्द लगाया। बात तो सही है।

श्री गजेन्द्र सिंह : इसके अन्दर मैटेरियल का भी मैनेजमेंट करना पड़ता है तो हमने किया है कि हमारा चूंकि टार्गेट पूरा हो रहा है हमने सबके लिये अभी कुछ समय के लिये डिमाण्ड नोटिसेज लेना रोका हुआ है।

श्री अध्यक्ष : वह एस.टी., एस.सी. शब्द लगा दिया। यह गलत कर दिया ना। (व्यवधान) आर्डर पढ़ो वापस।

श्री गजेन्द्र सिंह : यह अनुसूचित जाति के खिलाफ या खाली उनके लिये, एक पर्टिकूलर के लिये हमने नोटिस नहीं दिया है। नाट एक्सक्लूसिवली, इसके अन्दर हमने दूसरे कनेक्शन के अन्दर भी रोक लगायी है।

डा. सी.पी. जोशी : यह एक्सक्लूसिव लिखा हुआ है।

No. Mantriji, Please go through. No. sorry. Please go through. It is exclusively for Scheduled Castes. It is not mentioned for all classes category. It is only mentioned for Scheduled Castes category. यदि आपका इंटेंशन यह था, सबके लिये रोकना, तो इसमें वर्ड सबके लिये आना चाहिए था। This order is only for Scheduled Castes.

श्री गजेन्द्र सिंह : अनुसूचित जाति के जितने भी कनेक्शन हैं....

डा. सी.पी. जोशी : यह आंपके ही विभाग के आर्डर हैं, यह शिड्यूल्ड कास्ट के लिये लिखा हुआ है। (व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, डिस्काम, जोधपुर से खाली अनुसूचित जाति के ऊपर प्रतिबन्ध नहीं है, पूरे जनरल कनेक्शन पर प्रतिबन्ध है।

श्री अध्यक्ष : आपने इसको ठीक से नहीं पढ़ा। (व्यवधान) आपने इसको ठीक से नहीं पढ़ा।

श्री नरपत सिंह राजवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरे साथियों को कहना चाहूंगा। (व्यवधान) सुन तो लें आप। कभी इस

(श्री नरपत सिंह राजवी)

सरकार का कोई शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कनेक्शंस को रोकने का, स्पेसिफिकली उन्हीं को रोकने का, यह मंतव्य नहीं था। यह एक ही सर्कलूर इश्यू हुआ है। दूसरे नहीं हुए हैं। अगर आप यह कहते हैं तो उसकी जांच करवा लेते हैं कि कैसे हुआ है।

डा. सी.पी. जोशी : हां, बिलकुल ठीक है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, उन्होंने पूरा ठीक से नहीं पढ़ा है। यह देखिये, यूं है, सुनियेगा।

"While reviewing the position regarding the deposition of demand note under Scheduled Castes agriculture category, it is observed that sufficient number of applicants have deposited their demand notices." यह है। यह तो आपने बताया नहीं।

डा. सी.पी. जोशी : हां, ठीक है ना। तो इसमें क्या तकलीफ है?

श्री अध्यक्ष : सुनिये, इनकी ज्यादा संख्या हो गयी, शिडयूल्ड कास्ट की, इसलिये तो सफिशिएंट नम्बर हो गया, तभी तो लिखा है उन्होंने। देखिये, जो कनेक्शन दिये जाते हैं वह कनेक्शन होते हैं अलग-अलग केटेगरी के। इतने सामान्य को देते हैं, इतने फौजी को, इतने उसको तो इसमें शिडयूल्ड कास्ट का सफिशिएंट नम्बर आ गया था जो रिजर्व है उनके लिये। इसलिये यह आर्डर निकालना पड़ा, मेरी समझ में। इसमें यह स्पष्ट है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, 55 साल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ।

डा. सी.पी. जोशी : शिड्यूल्ड कास्ट को एक प्रायोरिटी दी हुई है। पूरे राजस्थान के अन्दर अनवरत जारी रही है।

श्री हेमाराम चौधरी : यह उनके लिये संख्या तय नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा : यह सरकार दलित विरोधी है इसलिये अनुसूचित जाति के बच्चों की...(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह पुरोहित : 250 साल के इतिहास में..(व्यवधान) अलग-अलग केटेगरी के होते हैं। सभी केटेगरीज के लिये किया है। और जितने कनेक्शंन, कितने कनेक्शन किसानों को मिले और 15 महीने में कितने कृषि कनेक्शन काश्तकारों को अलाट हुए, सदन में यह बतायें। मालूम पड़े कि काश्तकारों की हितैषी कौनसी सरकार है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : पिछले 8 महीने की डिमाण्ड नोट की राशि जमा है, उन तक को तो मिले नहीं हैं। (व्यवधान) 8 महीने निकाल दीजिए 15 महीनों से। अलवर जिले में अगस्त महीने तक के डिमाण्ड नोटिस जमा हैं। उन लोगों को कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है, अगस्त के महीने के। अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 9 महीने हो गये हैं।

श्री सांगसिंह भाटी : आप कौन से कनेक्शनों की बात कर रहे हो?

डा. श्रीगोपाल बाहेती : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मामले में मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि यह हाल हर जिले के अन्दर है कि विद्युत विभाग द्वारा समय पर कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। (व्यवधान) और स्पेशली जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं उनके साथ यदि यह भेदभाव बरता जाता है तो पूरे सदन को पूरी संवेदना के साथ सरकार को बाध्य करना चाहिए कि उन्हें कनेक्शन दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : आप सुनना चाहते हैं उनको कि नहीं सुनना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : बीच में बोल रहे हैं यह। ये सांगसिंहजी भाटी साहब। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कौन बीच में बोल रहा है? मंत्रीजी खड़े हैं, आप सुनना तो चाहते नहीं हैं। मंत्रीजी (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, पिछलग्गुओं को भी तो जवाब देना पड़ता है। पिछलग्गू हैं यहां। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह मंत्रीजी खड़े हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति के कोई भी पेंडिंग कनेक्शन, मैं इसकी पूरी जांच करूंगा और यदि कोई हो तो उनको कनेक्शन जल्दी से जल्दी दिया जाएगा। (व्यवधान) 50 साल में नहीं हुए हैं, इस बार हमारे एक साल के कार्यकाल में हुए हैं। अलग-अलग कैटेगरीज के अलग-अलग कनेक्शंन ड्यू हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : आपको किसने पूछा, आप बैठिये ना।

एक माननीय सदस्य : आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : आप बैठिये ना, क्या है। यह जानकारी नहीं है आपको। सदन को गलत भ्रमित करना ठीक नहीं है।

श्री सांगसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पूर्व सरकार ने लगातार काश्तकारों के साथ जो अन्याय किया, आज काश्तकारों की वकालत कर रहे हैं आप। 5 साल तक शिड्यूल्ड कास्ट के, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कनेक्शन आपने दिये क्या? अब इनकी वकालत कर रहे हो, अब उनके हमदर्दी बने हुए हो। आपको शर्म आनी चाहिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : 55 सालों में जितने कनेक्शन नहीं दिये उतने एक साल में दे दिये।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : अध्यक्ष महोदय, कभी शिड्यूल्ड कास्ट के कनेक्शन पर रोक नहीं लगी। यह पहली सरकार है जिसने रोक लगायी है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : सत्तापक्ष के सदस्यों ने ही यह आदेश निकलवाये।

श्री सांगसिंह भाटी : यह आदेश सही हैं, गलत नहीं हैं। शिड्यूल्ड कास्ट के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है।

एक माननीय सदस्य : शिड्यूल्ड कास्ट के लिये तो किसी भी समय उसका कनेक्शन हो सकता है। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, शिड्यूल्ड कास्ट के डिमाण्ड नोटिस जारी करने पर रोक लग गयी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, आप यह बताने की स्थिति में यदि हैं कि उनके कितने दिये जाने थे और कितने डिमाण्ड नोटिसेज आलरेडी वहां पर हैं जो डिपोजिट हो चुके हैं, तो आप बता दें कि इतने को दिये जाने थे और इतने आलरेडी डिमाण्ड नोटिस जमा करा चुके हैं। इसलिये यह स्थिति पैदा हुई है। आप बता दीजिए, यदि आपके पास हो तो। (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, एक मेरा सवाल है इससे जुड़ा हुआ। मैं यह जानकारी चाहता हूं। (व्यवधान) मंत्री महोदय से कि पूर्व 5 सालों में....

श्री संयम लोढ़ा : आप यह बताओ, यह आदेश वापस ले लेंगे क्या? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि यह डिफेक्टिव आर्डर्स जो पर्टिकूलर शिड्यूल्ड कास्ट के लिये निकाले गये, क्या आप इसको विथड्रा करने का विचार रखते हैं? और आइन्दा इस प्रकार के आर्डर्स नहीं हों, जाति वाइज। यदि आपको आर्डर करना था तो एग्रीकल्चर एप्लीकेंट्स के लिये करना था। लेकिन आप अगर पर्टिकूलर शिड्यूल्ड कास्ट के लिये आगामी आदेश तक यह जो आर्डर हुआ है। "... Issuance of demand notes to Scheduled Castes agriculture applicants be also stopped till further orders."

यह जातिवाइज आर्डर निकालने आप बंद करेंगे या नहीं करेंगे और ऐसे आर्डर निकाले हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री गजेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि यह आर्डर विथड्रा किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : श्री हेमाराम चौधरी।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोरमेशन।

श्री अध्यक्ष : क्या इन्फोरमेशन है?

श्रीमती ममता शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरे प्रदेश से महिलाएं जयपुर में आयी हुई हैं और राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस के नेतृत्व में विधान सभा के बाहर एक धरना दिया जा रहा है। मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगी कि उस धरने में हमने क्या-क्या पाइंट्स लिये हैं और क्या-क्या सरकार से मांगा है। यह सब महिला उत्पीड़न के खिलाफ है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह पाइंट आफ इन्फोरमेशन नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह तो कोई पाइंट आफ इन्फोरमेशन नहीं है आपका। यह पाइंट आफ इन्फोरमेशन नहीं है। यह जानकारी दे दी आपने।

श्रीमती ममता शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश से करीब 800 महिलाएं आयी हुई हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, आयी हुई हैं तो जाएं धरने पर, कौन ना कर रहा है, जाइये न। (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा : महामहिम राज्यपाल महोदय को हम 2.00 बजे ज्ञापन देंगे। सदन को इसकी जानकारी देना अत्यन्त आवश्यक है। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : यह कोई अधिकार नहीं है इस सदन में। (व्यवधान) सदन में देने का कोई अधिकार नहीं है।

श्रीमती ममता शर्मा : ऐसा है, यह कोई मेरा अकेली का मामला नहीं है। पूरे प्रदेश की महिलाओं का मामला है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जाओ, भाषण दो। भाषण दो आप जाकर। आपने कुछ नहीं किया, यह कहने के लिये वे यहां आयी हैं।

श्रीमती ममता शर्मा : और जो महिला उत्पीड़न आजकल चल रहा है उसका मामला है। प्रदेश की महिलाओं का मामला है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह कहने आयी हैं, आपने कुछ नहीं किया।

एक माननीय सदस्य : आप क्या चाहते हैं?

श्रीमती ममता शर्मा : अगर अपन इन्फोरमेशन, सूचना अगर सदन में दे दी जा रही है तो कोई गलत काम नहीं किया जा रहा है और अगर आसन मना कर देगा, अगर माननीय अध्यक्ष महोदय मना कर देंगे तो मैं यह वापस.... (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी : यह मामला अपनी पार्टी में जाकर उठायें न, यह सदन में उठा रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह कोई मामला नहीं है।

श्री बंशीलाल खटीक : कांग्रेस का कोई कार्यक्रम है और सदन में देने का क्या औचित्य है? कांग्रेस का पर्टिकुलर कार्यक्रम है, सदन में देने का क्या औचित्य है, कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस का कोई कार्यक्रम हो तो सदन में देने का क्या औचित्य है?

श्री जुबेर खान : आर.एस.एस. के बारे में आप पता ही नहीं लगने का, औचित्य है बार-बार... औचित्य है बारबार यह.. (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : आप आर.एस.एस. का विरोध करते हैं तो हम (व्यवधान) यह अनावश्यक कार्य है इस तरह का..(व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस का अकेले का कोई कार्यक्रम नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह महिलाओं की सुरक्षा का मामला है। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : हम प्रतिकार करेंगे, विरोध करेंगे यहां पर। (व्यवधान)

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोरमेशन।

श्री अध्यक्ष : श्री हेमाराम चौधरी, बोलना नहीं चाहते। मैं अब 295 पढ़वा रही हूं।

श्री हेमाराम चौधरी : बोलना चाहता हूं, साहब। बोलना कैसे नहीं चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप बोलना नहीं चाहते?

श्री हेमाराम चौधरी : चुप रहें तब ही तो बात बोलें साहब, जबरदस्ती कैसे बोले?

श्रीमती ममता शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह पाइंट आफ इन्फोरमेशन मैंने लेकर अपनी बात रखी है।

श्री मंगलाराम गोदारा : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोरमेशन।

श्री हेमाराम चौधरी : इनको बैठाओ तो सही, साहब।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हो गया, हो गया।

श्री अध्यक्ष : आपने सूचना दे दी। पाइंट आफ इन्फोरमेशन के आधार पर आपने सूचना दे दी और अब आप बाहर पधारिये। वहां पर करिये आप प्रदर्शन। आपने सूचना दे दी और दीजिए उनको ज्ञापन। उनको मिलना है तो कोई सदन में तो मिलना नहीं है। देखिये, परम्परा यह रही है प्रतिपक्ष के नेता महोदय, जब कभी इस प्रकार के धरने, प्रदर्शन बाहर होते हैं सदन के तो चैम्बर में जाकर तो आप कहते हैं कि मिल लीजिए यदि कोई डेपुटेशन आया है तो। सदन में कभी चर्चा नहीं होती है इस बात की इसलिए वहां पर होती है तो चैम्बर में जब जाएंगे तो आप मिल लीजिए। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जीरो आवर में जब कभी राज्य स्तर के, पूरे सम्भाग स्तर और यहां तक कि जिला स्तर के कोई धरने होते हैं तो उसका उल्लेख और उनकी मांगों के बारे में जीरो ऑवर में चर्चा होती रही है और यहां उल्लेख होता रहा है। एक मिनट में यह अपने उल्लेख कर देंगे, इसमें क्या प्राब्लम है? बहुत कम समय में बोलती हैं माननीय सदस्या तो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह जो उल्लेख करना चाहती हैं, उसका उल्लेख कर चुकी हैं। वह महिलाओं की अत्याचार की बात कह रही हैं, उसी को लेकर धरना और प्रदर्शन है, वह कह चुकी हैं अपनी बात।

डा. बुलाकीदास कल्ला : नहीं-नहीं, मुझे बड़ा अफसोस है कि चीफ-विहप भी महिलाओं को बोलने नहीं दे रहे हैं तो आप तो कम से कम संरक्षण दें महिला सदस्य को। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : संरक्षण तो मैंने कहा कि वह अपनी बात कह चुकी हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : एक मिनट में वे अपनी बात पूरी कर लेंगी।

श्री अध्यक्ष : क्या बात कर लेंगी? पाइंट आफ इन्फोरमेशन पर चर्चा नहीं होती है। पाइंट आफ इन्फोरमेशन पर इन्फोरमेशन उन्होंने दे दी।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उल्लेख कर रही हैं।

श्री अध्यक्ष : पाइंट आफ इन्फोरमेशन पर उन्होंने इन्फोरमेशन दे दी।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उल्लेख नहीं हुआ, वे अपनी बात ही नहीं कर पायीं।

श्री अध्यक्ष : कह तो चुकीं वह। सारी बात उन्होंने कह दी थी।

पाइंट आफ इन्फोरमेशन पर उन्होंने इन्फोरमेशन दे दी। (व्यवधान)

श्री नवरतन राजोरिया : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोरमेशन। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय के सैकड़ों शिक्षक बाहर प्रदर्शन पर

(श्री नवरतन राजोरिया)

आये हुए हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के शिक्षकों की जो डिमांड है, उनको परमानेंट करना और एडवांस स्कीम के तहत उनको लाभ देना, सैकड़ों शिक्षक बाहर.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप किस विषय पर बोलने लग गये? आप किस बात पर बोल रहे हैं? पैराटीचर्स का धरना है, शिक्षकों का धरना है.... (व्यवधान) उनका भी है, अब आपने किस बात पर पाइंट आफ इन्फोरमेशन दे दिया? अब क्या चाहते हो आप? श्री हेमाराम।

श्री नवरतन राजोरिया : सुन तो लीजिए आप।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : अध्यक्ष महोदय, पूरा राजस्थान धरने पर है।

श्री नवरतन राजोरिया : अध्यक्ष महोदय, सुन तो लीजिए।

श्री अध्यक्ष : नहीं, अब कोई नहीं सुना जाएगा।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : अध्यक्ष महोदय, सारे प्रदेश में धरना ही धरना है।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : अध्यक्ष महोदय, अजमेर प्यासा मर रहा है। अजमेर शहर में पानी की सप्लाई दो दिन से नहीं हो पा रही है। (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सात पाइंट की डिमांड है, मैं एक मिनट में पूरा कर दूंगी। पुलिसकर्मियों में महिलाओं की भर्ती बढ़ाये जाने बाबत। महिला.... (व्यवधान) स्थाई रूप से विशेष नियम एवं कानून लागू किये जाएं।

श्री अध्यक्ष : यह तो जो बात है, यहां पर पढ़ा नहीं जाता न, झगड़ा तो यही है।

श्रीमती ममता शर्मा : ज्ञापन होता है, उसके पाइंट्स तो अवगत कराएंगे सदन को। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : तो जो ज्ञापन है, ज्ञापन में बताइये, पढ़कर नहीं ऐसा (व्यवधान) नहीं-नहीं, ऐसा नहीं पढ़ा जाएगा, गलत बात है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कौन से नियम में पढ़ रहे हैं यह?

श्री अध्यक्ष : ज्ञापन में क्या-क्या मांग है, यह बताइये आप।

श्रीमती ममता शर्मा : मेरी मांग महिला उत्पीड़न को कम करने, नाबलिग बच्चियों पर बलात्कार के जो..(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : बिना स्वीकृति के आप बोलें, यह तो ठीक नहीं।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : ऐसे तो 200 के 200 माननीय सदस्य ज्ञापन लेकर आएंगे, किस-किस की सुनेंगे?

श्री बंशीलाल खटीक : बिना स्वीकृति के यह बोल रहे हैं। महिला कांग्रेस का कार्यक्रम है। कांग्रेस का कार्यक्रम है। और उनके कोई भी सिद्धान्त हों तो सदन में देने का क्या अधिकार, मौलिक औचित्य क्या है? कोई औचित्य नहीं है, (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा : इसलिए है कि आपने महिलाओं की दुर्दशा कर दी है। राज्य सरकार महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है।

श्री बंशीलाल खटीक : संवेदनशील है या नहीं है वह अलग बात है। सदन में बोलने का क्या अधिकार है। कांग्रेस का पर्टिकुलर कार्यक्रम है और कोई धरना है तो सदन में क्या अधिकार है कि आप...(व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा : महिलाओं के बारे में है। आपकी आबकारी नीति से जयपुर में मधुशाला बनाकर छोड़ दिया है। जयपुर को...(व्यवधान) खराब कर दिया है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : क्या आर.एस.एस. आपको यही संस्कार सिखाती है? महिलाओं के खिलाफ लड़ना, उनको रोकना, आर.एस.एस. का क्या यही संस्कार है? महिलाओं से उलझना..(व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा : सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं से बलात्कार हो रहे हैं। नाबालिग बच्चियों के साथ कुकर्म हो रहे हैं।

श्री बंशीलाल खटीक : आपको क्या, अध्यक्ष महोदय, यहां सूचना देने का अधिकार ही नहीं है।

श्रीमती ममता शर्मा : आप किस बात पर सरकार को बचा रहे हैं?

श्री बंशीलाल खटीक : कांग्रेस का पर्टिकुलर कार्यक्रम है, महिला कांग्रेस का।

श्रीमती ममता शर्मा : पर्टिकुलर कार्यक्रम है लेकिन महिलाओं के हित में है।

श्री बंशीलाल खटीक : कांग्रेस का, सदन में सूचना देने का कोई नियम नहीं है। नियमों में नहीं है। कांग्रेस का कार्यक्रम है। पर्टिकुलर हमारा कोई होता तो वह हम सदन में देते। यह कांग्रेस का कार्यक्रम है। (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा : प्रदेश की महिलाओं के हित में है। किसी एक महिला के हित में पर्टिकुलर कार्यक्रम नहीं है। पूरे प्रदेश की महिलाओं का सवाल है इसलिए यह कार्यक्रम हुआ है। और इसलिए सूचना का अधिकार है, वह सूचना देना मेरा कर्तव्य बनता है। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से तो 200 के 200 माननीय सदस्य अपने-अपने ज्ञापन लेकर आएंगे। (व्यवधान) हर विधान सभा क्षेत्र से कई आएंगे और इतिहास साक्षी है कि अशोक गहलोतजी की सरकार के समय 101 धरने जयपुर की धरती पर हुए थे, उस समय कहां गये थे? (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने परमिशन दी है, क्या तरीका है यह?

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : प्रदेश की महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार बढ़ रहे हैं। प्रदश की महिलाएं धरने पर बैठी हुई हैं और

(श्री अशोक बैरवा)

यह सुनना नहीं चाहते। एक महिला सदस्य अपनी बात को रखना चाहती हैं आप व्यवधान कर रहे हैं। उनको खुल्ला छोड रखा है। (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोरमेशन के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा : अध्यक्ष महोदय, एक-एक मोहल्ले में दो-दो शराब की दुकानें जगमगा रही हैं। (व्यवधान) आप महिलाओं की दुर्दशा देखिये कि क्या हो रही है। हमने कोई गलत डिमांड नहीं की है। महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने की बात कर रहे हैं। माननीय सदस्य से निवेदन है कि वे पूरी बात को ध्यान से सुनें।

श्री बंशीलाल खटीक : सदन नियमों और प्रक्रियाओं से चलता है और नियम से आप जाओ और नियम से आप बात करो। कांग्रेस का पर्टिकुलर कार्यक्रम चल रहा है और सदन को सूचना दे रहे हैं। इसका क्या औचित्य है? कोई औचित्य नहीं है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : वह तो बोले जो बोले और यह छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। यह कानून-कायदे बताएंगे विधान सभा के?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, सदन को आर्डर में लाइये। पाइंट आफ इन्फोरमेशन के जरिए ध्यान आकर्षित कर दिया। पूरा ज्ञापन पढ़ रही हैं, किन नियमों के तहत पढ़ रही हैं? (व्यवधान) आप दूसरा नाम पुकारिये।

श्री जुबेर खान : सबसे ज्यादा तोड़ने वाले माननीय सदस्य यह बताएंगे नियम, कानून की बात।

श्री मंगलाराम गोदारा : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोरमेशन।

श्री अध्यक्ष : श्री हेमाराम चौधरी ।

श्री जुबेर खान : पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब, ऐसा नहीं होता था जब विधान सभा में आप यह मुद्दा उठाते थे तो..(व्यवधान)

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में कृषि मण्डी में तीन दिन से सरसों और चने की खरीद बंद कर रखी है। किसान परेशान हैं। किसानों ने धरना दे रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कृषि मण्डी में खरीद को चालू करवाइये जिससे किसानों को राहत मिल सके।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोरमेशन के माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री हेमाराम। मैंने नाम पुकारा है श्री हेमाराम।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा अजमेर शहर तीन दिन से प्यासा मर रहा है। पूरे अजमेर शहर में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये, माननीय सदस्य। अजमेर शहर के माननीय सदस्य। मैंने हेमारामजी का नाम पुकारा है।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : बहुत संवेदनशील मामला है।

श्री अध्यक्ष : मैंने हेमाराम का नाम पुकारा है। बिलकुल नहीं। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, अंकित नहीं हो रहा है।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : XXX

श्री जयराम जाटव : XXX

श्री अध्यक्ष : जो माननीय सदस्य बिना अध्यक्ष की अनुमति के बोलेंगे उनका यहां अंकित नहीं होगा। मैंने नाम पुकारा है श्री हेमाराम।

श्री जयराम जाटव : XXX

डा. श्रीगोपाल बाहेती : XXX

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा है न जो अध्यक्ष की अनुमति से बोलेंगे, केवल उन्हीं का अंकित होगा।

श्री जयराम जाटव : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं होगा। मैंने कहा न जो अध्यक्ष की अनुमति से बोलेंगे, केवल उन्हीं का अंकित होगा।

श्री जयराम जाटव : XXX

श्री जुबेर खान : XXX

श्री भंवरलाल राजपुरोहित : XXX

श्री अशोक बैरवा : XXX

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आपने खरीफ और रबी, दोनों फसलों का बीमा किया। आपने काश्तकारों से बीमा के बदले प्रीमियम लिया। प्रत्येक काश्तकार से अलग-अलग फसल का अलग-अलग आपकी प्रीमियम की जो दर है, उस दर से प्रीमियम चार्ज किया। प्रीमियम लेने के बाद में आपने जो नुकसान हुआ किसानों को फसल का उसमें आपने तहसील को इकाई माना। तहसील में इतनी बड़ी तहसील का लाखों किसान, खसरा नम्बर हो, उसमें आपने 7-8 खसरा नम्बर में कहीं से 5 बाई 5 मीटर का एक टुकड़े का फसल का नमूना लेकर उसका नुकसान का आकलन किया। उस प्रकार से कैसे कहें। जो मुझे जानकारी मिली उस हिसाब से आपने गुढामालानी तहसील के सारे काश्तकारों को बाजरे का बिलकुल एक रुपये का क्लेम पास नहीं किया। यह आपने किसानों के साथ क्या न्याय किया ? आपने क्यों बीमा किया जब कोई मुआवजा किसानों को देने का आपका इरादा नहीं, कोई मंशा नहीं? नुकसान क्या हुआ, कितना हुआ, यह तय करने वाला किसान तो है नहीं कि वह आपको तय करके बता दें कि हमारा कितना नुकसान हुआ। नुकसान तय करने वाली आपकी जो कम्पनी है, इन्होंने अलग-अलग तय कर रखा है। अभी आपके यहां से एक आदेश जारी हुआ- कृषि निदेशालय राजस्थान, जयपुर- क्रमांक पं. 6 (3) निदेशक/कृषि/नं. 1316-444, 21.3.2005 का है। 21 मार्च, 2005 को आपके यहां से आदेश जारी हुआ।

(श्री हेमाराम चौधरी)

उसमें आपने लिखा है खरीफ 2004 के अन्तर्गत आयोजित फसल कटाई प्रयोग के आधार। पर अब फसल कटाई प्रयोग, आपने किस प्रकार से लिया, किस प्रकार से नहीं लिया, काश्तकारों को तो इसकी कोई जानकारी नहीं। हमको इसकी कोई जानकारी नहीं, किसी को भी कोई जानकारी नहीं। राजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त तहसीलवार, वर्षवार उपज के अनुमानों के आधार पर फसलवार और तहसीलवार दिये जाने वाले क्लेम की संभावित राशि तथा लाभान्वित कृषकों की संख्या संलग्न कर भिजवाई जा रही है। यह आपने सूची भेजी। इस सूची में गुढामालानी तहसील में आपने सिर्फ मूंग वाले काश्तकारों की फसल का नुकसान बताया। मूंग में और मोठ में आपने 386 काश्तकारों की फसल का नुकसान बताया लेकिन आपने तिल, ग्वार, बाजारा, इसमें कोई नुकसान नहीं बताया। जिन काश्तकारों ने ग्वार, बाजरा, तिल का बीमा किया, उसका आपने कोई....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री हेमाराम चौधरी : हां, मैं समाप्त कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे यह समझ में नहीं आया, क्योंकि किसी भी काश्तकार ने आज बीमा करवाया है, सबका बीमा एक समान नहीं है। किसी ने 10 बीघे का करवाया होगा, किसी ने 40 बीघे का करवाया होगा, किसी ने 50 बीघे का करवाया होगा। जितनी फसल बोई है, उसी के हिसाब से तो होगा। जितनी फसल बोई है उसी हिसाब से उसने प्रीमियम सबने अलग-अलग दिया, एक समान नहीं दिया। सबने बराबर प्रीमियम नहीं दिया। एक साथ, एक फसल कटाई नमूनों के आधार पर सबको एक झटके से उनका नुकसान आप नहीं बताकर उनका क्लेम खारिज कर रहे हो, क्या यह उचित है? आज किस आधार पर पूरी तहसील को आप इकाई मानकर, पूरी तहसील में भी कितने खतरे हैं? आज औसत के आधार पर, कौनसा औसत? और पिछले पांच साल का औसत उत्पादन, फिर उसको आप 60 प्रतिशत का लो। आज आदमी का भी बीमा होता है, आज मैंने मेरा बीमा कराया। आज मेरी मृत्यु हो जाती है, आप कहेंगे क्लेम नहीं मिलेगा क्योंकि औसत इतने लोगों की मृत्यु होनी चाहिये। दूसरे लोग कोई न करें, अब

(श्री हेमाराम चौधरी)

उसका मैं क्या करूं? मैं तो मर गया। आप मेरे परिवार को कुछ नहीं दे रहे हो। बताओ, मैंने बीमा करवाया, उसका मतलब क्या निकला आखिर? जिस किसान ने अपनी फसल का बीमा कराया, उसकी फसल डूब गयी, उसको एक रुपया नहीं मिला। सारा चौपट हो गया मामला। आप उसको कह रहे हो, आपकी तहसील में हमने क्राप कटिंग सैम्पल लिया और उसमें यह पाया गया कि आपके यहां फसल खराब नहीं हुई। फसल तो खराब हुई है। आपने खुद माना है कि अकाल है इस साल। पूरी तहसील में सभी गांव अकालग्रस्त घोषित हैं। और बाड़मेर तहसील का मैं बताऊं, बाड़मेर तहसील में तो 36 गांव आपने सुकाल में बताये। लेकिन फिर भी बाडमेर तहसील के काश्तकारों को आपने मुआवजा ज्यादा दिया है कहने का मतलब क्याआधार रहा क्या नहीं रहा? हमारे काश्तकारों ने किसी के भी यह बात कोई समझ में नहीं आई, किस प्रकार से आपने बीमा किया, और यही नहीं, आपने अनिवार्य किया है बीमा। जिन लोगों ने बैंक से ऋण लिया है...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। जिन लोगों ने बैंक से ऋण लिया, उनका आपने अनिवार्य रूप से बीमा कर दिया। काश्तकारों से आपने कोई च्वाइस तक नहीं ली। उससे पूछा तक नहीं गया। उन्होंने कहा आप अपनी फसल का बीमा करवाना चाहते हो या नहीं चाहते हो? और चाहते हो तो कौनसी फसल का बीमा कराना चाहते हो? कितनी फसल आपने बोई? कुछ नहीं पूछा। आपने जो लोन उन किसानों को दिया उसमें से प्रीमियम इस एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी को जमा करवा दिया। अब वह इंश्योरेंस कम्पनी उन काश्तकारों को अंगूठा दिखा रही है। अब बताओ, इसके लिये आपकी क्या कोई जवाबदारी बनेगी? आप कहते हो हमने फसल बीमा किया। आपकी सरकार बहुत वाहवाही लूटना चाहती है। मैं यह कहता हूं कि इससे फायदा क्या हुआ किसानों को? हालांकि बीमा आपने नहीं किया है। बीमा तो हम करवा रहे हैं, हम प्रीमियम दे रहे हैं जब ही होगा और जिन काश्तकारों ने प्रीमियम नहीं दिया है, वह आपसे क्लेम ही मांग रहे हैं।

(श्री हेमाराम चौधरी)

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उनको कोई मुआवजा नहीं देंगे आप, न कोई मिलेगा। लेकिन जिन्होंने आप को प्रीमियम अदा किया है और आपने पूरी तहसील को अकालग्रस्त घोषित किया है। अकाल के काम खोले हैं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : फसल का मुआवजा जब ही तय हो जाता है जब... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : इसी प्रकार से रबी की फसल का आपने बीमा किया है। जिन्होंने भी लोन लिया है, उसका अनिवार्य रूप से बीमा किया है। अभी बीच में आंधियां चलीं, सारा जीरा चौपट हो गया। अभी पाला पड़ा, उस पाले से सारी फसलें वहां की नष्ट हो गयीं। लेकिन कोई उस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। कोई नुकसान नहीं बता रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, कुछ कहना चाहते हैं क्या आप? (व्यवधान) बस अब स्थान ग्रहण करें। मंत्रीजी कुछ कह देंगे आपको।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना करीब 2003 से लागू की गयी। तत्कालीन सरकार ने उस बीमा योजना की शर्तों के मुताबिक तहसील को इकाई मानकर यह योजना राजस्थान में लागू की। जैसाकि माननीय सदस्य किसानों के प्रति चिंन्ता कर रहे हैं, वास्तव में उनकी जो बात है वाजिब है। लेकिन राजस्थान सरकार उन नियमों में बंधी हुई है जिसमें कि केन्द्र सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, कृषि बीमा योजना में जो शर्तें हैं, उसमें तहसील को इकाई मानकर ही किसानों को मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। आपने यह भी बताया कि गुढामालानी क्षेत्र में किसानों ने बाजरा बोया, उसका उन्हें मुआवजा नहीं मिल रहा है। वास्वत में, मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा कि गुढामालानी क्षेत्र में 11,094 ऐसे किसान थे, जिन्होंने बाजरे की फसल का बीमा कराया। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों को अपनी फसल का बीमा कराने के बाद उनको मुआवजे की राशि का निर्धारण फसल की क्रोप कटिंग के माध्यम से किया जाता है और वह राजस्व विभाग के द्वारा किया जाता है। हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक बहुत बडा काम पहले 16 क्रोप कटिंग हुआ करती थीं, उसको बढ़ाकर 20 क्रोप कटिंग किया और गुढामालानी

(श्री प्रभुलाल सैनी)

क्षेत्र में जो कि गारंटी उपज का एक किलोग्राम से निर्धारित किया गया है, वह 125 किग्रा. प्रति हैक्टेयर के हिसाब से निर्धारित किया गया है। जबकि वहां क्रोप कटिंग में जो परिणाम आये हैं, वहां पर 435 किलोग्राम पर हैक्टेयर के हिसाब से फसल का उत्पादन हुआ। इन परिस्थितियों के कारण किसानों को बाजरे की फसल का बीमा दिया जाना कृषि बीमा नियमों में नहीं आता। इस कारण से नहीं दिया जा रहा है।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह आप जो क्राप कटिंग बता रहे हो, इतना उत्पादन आया कौन से किसान के खेत से? आपने यह कटिंग ली उसका आप कोई बताते।

श्री अध्यक्ष : वह तो तहसील में कहीं से भी ले ली। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि हो सकता है कहीं सिंचाई की जहां सुविधा थी और किसान ने अपने खेत से फसल को बो दिया और उसका कोई आपने सैम्पल लेकर इस तरह का कोई घोटाला कर दिया है तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है।

श्री अध्यक्ष : 295 श्री लालचंद।

श्री हेमाराम चौधरी : आप हमेशा तो वाहवाही बहुत लेते हैं कि हमारी सरकार ने यह फसल बीमा योजना लागू की। अभी आपने तत्कालीन सरकार का बता दिया। तत्कालीन सरकार ने किया चाहे आपकी सरकार ने किया है, आप कह रहे हो, नियमों में बंधे हुए हैं, आपने अभी स्वीकार किया कि मैं मानता हूं...

श्री अध्यक्ष : गुढामालानी से आने वाले माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। श्री लालचंद मेघवाल। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : यह मेरी पीड़ा है, आप मेरी पीड़ा को सही मान रहे हैं, मेरी पीड़ा को समझ रहे हैं लेकिन नियमों से बंधे हैं, यह नियम भगवान ने बनाये हैं क्या? नियम किसने बनाये? नियम किसी न किसी इन्सान ने बनाये हैं... (व्यवधान) नियमों को आप बदलियें। नियम की वजह से अगर लोगों के साथ अन्याय होता है, लोगों के साथ जुल्म होता है तो आपको उन नियमों को बदलना पड़ेगा। नियमों को आप नहीं बदलेंगे तो आपको लोग बदल देंगे।

श्री अध्यक्ष : अब आप स्थान ग्रहण करें। अब अंकित नहीं करना।

श्री हेमाराम चौधरी : XXX

श्री अध्यक्ष : अब अंकित नहीं हो रहा।

श्री हेमाराम चौधरी : XXX

श्री हेमराज मीणा : XXX

श्री अध्यक्ष : गुढामालानी से आने वाले माननीय सदस्य, आप सदन के प्रांगण का यूं दुरुपयोग नहीं कर सकते, जब आपको दो मिनट का समय दिया था, दस मिनट हो गये।

श्री हेमाराम चौधरी : XXX

श्री अध्यक्ष : सुनिये, सुनिये आप। आपकी पीड़ा ठीक है। किसान की पीड़ा सब की पीड़ा है।

श्री हेमाराम चौधरी : XXX

श्री रामप्रताप कासनिया : XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप क्या कर रहे हैं यह ? कमाल हो गया।

गुढामालानी से आने वाले माननीय सदस्य, किसान की पीड़ा से अधिकांश बल्कि सभी लोग यहां पर संवेदनशील हैं उसके प्रति। लेकिन जब यह फसल बीमा योजना लागू हुई थी उस समय भी यह बात बहुत स्पष्ट हो गयी थी कि उसकी यूनिट तहसील होगी। अब तहसील यूनिट नहीं हो करके ग्राम उसकी यूनिट हो और ग्राम भी यूनिट होने के बाद भी आप जो कह रहे हो वह बात नहीं होगी। हम देखते हैं सडक है। सडक के एक तरफ बारिश होती है दूसरी तरफ नहीं होती। एक तरफ ओले पड़ दूसरी तरफ बिलकुल सुरक्षित। मैंने देखा है सडक के एक तरफ ओले पड़ कर एकदम बरबाद, और दूसरी तरफ कुछ नहीं हुआ। इसलिए यदि गांव को भी यूनिट कर दोगे तब भी जो आप सोच रहे हो कि सब के साथ न्याय होगा, वह नहीं हो पायेगा। हर खसरे का संभव ही नहीं है।

श्री हेमाराम चौधरी : हर खसरे की, हर काश्तकार की अलग गिरदावरी होती है। तो उस गिरदावरी के आधार पर आप मुआवजा क्यों नहीं तय करते?

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आपका सुझाव अच्छा है, यदि इसको मान लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। (व्यवधान) कह दिया न उन्होंने। कह तो दिया, जवाब तो दे दिया।

श्री हेमाराम चौधरी : इन्होंने कहा है कि नियमों से बंधे हैं। नियम कोई भगवान ने बनाये हैं क्या? नियम तो इन्सान ने ही बनाये हैं। ऐसे नियम किस काम के जिन नियमों के तहत किसानों को मुआवजा नहीं मिला? किसानों ने लाखों रुपये प्रीमियम के जमा करवाये... (व्यवधान). मुआवजा तो देना चाहिए।

श्री तगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जिस समय यह फसल बीमा शुरू किया गया था और जो परम्परा शुरू की गयी थी, तहसील को इकाई माना गया, उस वक्त की बात आप करते नहीं, और आज आप बहुत बड़े चिंतित हो गये। हम भी चिंता करते हैं किसानों की।

श्री रामप्रताप कासनिया : काश्तकार के खेत को इकाई मानना चाहिए, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। हर काश्तकार के खेत को इकाई मानना चाहिए।

श्री तगाराम चौधरी : और वसुन्धराजी के मन में है यह बात कि जो भी कमियां हैं उनको दूर करने का इरादा भी रखती हैं, उनमें हिम्मत भी है। और हमें उम्मीद है कि यह सारी समस्याएं वह हल करेंगी। लेकिन आज जितनी चिंता आप जता रहे हो, जिस समय यह परिपाटी तय की गयी थी कि किस तरह से क्या किया जाए, उस समय आप कहां थे? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन जब जानता है कि आप किसान के बड़े हितैषी हैं, कोई आवश्यक नहीं है बोलना।

श्री हेमाराम चौधरी : मैं उस समय भी यहीं था, उस समय भी यही बात कहता था, आज भी यही बात कह रहा हूं। आप ज्यादा हेकड़ी मत करिये,

(श्री हेमाराम चौधरी)

किसान किसी को माफ करने वाले नहीं हैं। मुझे भी माफ नहीं करेंगे और आपको भी नहीं करेंगे, आप देख लेना। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोई आवश्यक नहीं है कि हर बात पर आप उठें। अंकित नहीं हो।

श्री हेमाराम चौधरी : XXX

श्री तगाराम चौधरी : XXX

श्री सी.डी. देवल : XXX

श्री अध्यक्ष : बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : XXX

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। गुढामालानी से आने वाले माननीय सदस्य, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य, आप दोनों का वाक् युद्ध कब तक चलेगा, बताइये। कोई तरीका नहीं है कि आप चाहे जब खड़े हो जाएं, बिना आसन की अनुमति के बोलने लग जाएं, बोलते चले जाएं। यह कोई तरीका नहीं है। गुढामालानी से आने वाले माननीय सदस्य, आपके लिए कह रही हूं मैं यह। 295 श्री लालचंद मेघवाल।

श्री हेमाराम चौधरी : XXX

श्री अध्यक्ष : किसान के हितैषी अकेले आप नहीं, यहां बैठे हुए सभी लोग हैं। कोई जरूरी नहीं है... (व्यवधान) कोई अंकित नहीं हो।

श्री हेमाराम चौधरी : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा। अंकित नहीं हो।

श्री हेमाराम चौधरी : XXX

श्री अध्यक्ष : इस सदन के प्रांगण का दुरुपयोग करने का किसी को

(श्री अध्यक्ष)

अधिकार नहीं है। नहीं, वो दुरुपयोग है। जब तक आप आसन की अनुमति से बोलेंगे जब तक सदुपयोग है और आसन की अनुमति के बिना यदि आप बोलते चले जायेंगे वह दुरुपयोग है। और इस प्रांगण का किसी को दुरुपयोग नहीं करने दिया जायेगा। श्री लालचंद मेघवाल।

श्री हेमाराम चौधरी : XXX

श्री अध्यक्ष : मेरी अनुमति से बोले, कितनी देर तक बोले?.... (व्यवधान) आप मुद्दे की बात करें। आप बोलते ही चले गये, रूकने का नाम ही नहीं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या मंत्रीजी कुछ कहना चाह रहे हैं ? अलावा इसके क्या कहेंगे कि तहसील यूनिट है, और क्या कहेंगे? (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : XXX

श्री अध्यक्ष : जब वो खड़े हैं तो आप सुनना नहीं चाहते। आप अपनी ही कहना चाहते हैं।

श्री हेमाराम चौधरी : XXX

श्री अध्यक्ष : क्या बात कर रहे हो, मेरे समझ में नहीं आ रही है।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत अच्छा लगा....

श्री अध्यक्ष : इनका वाक् युद्ध बहुत अच्छा लगा।

श्री प्रभुलाल सैनी : गुढ़ामालानी से आने वाले माननीय सदस्य किसानों के प्रति काफी चिंतित हैं। और आपने यह भी स्वीकार किया कि यह योजना जब तत्कालीन सरकार में लागू हुई तब भी मैं थ। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में जानकारी देना चाहूंगा कि यह योजना 2005 तक तीन साल के लिए लागू की गयी थी। इस अवधि में किसी प्रकार क्षेत्र में बदलाव, उसकी सीमा को कम करना भारतीय कृषि बीमा, उसमें नहीं आ रहा...

श्री अध्यक्ष : कोई बात है, कह दी आपने।

श्री प्रभुलाल सैनी : लेकिन मैं आपको यह जानकारी देना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने इस वर्ष लगभग सात लाख लोगों को 164 करोड़ रुपये का मुआवजा पूरे प्रदेश में दिया है।

श्री अध्यक्ष : उनको सात लाख से मतलब नहीं है, उनको गुढामालानी से मतलब है।

श्री प्रभुलाल सैनी : गुढामालानी का जहां तक प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, हमने वहां पर रेवेन्यू बोर्ड को इसके लिए दोबारा लिख दिया है। वहां से उसका परीक्षण करा कर एक बार पुनः रिपोर्ट मांगी गयी है। रिपोर्ट आने के बाद यदि उचित तो नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत बढिया। चलिये, कुछ तसल्ली हुई आपको? हां, ठीक है। श्री लालचंद।

श्री अध्यक्ष : श्री लालचन्द?

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

रायसिंहनगर में कमाण्ड रकबे को कैनाल एरिया में शामिल करना

श्री लालचन्द (रायसिंहनगर) : अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में 566 बीघा की कमांड रकबे को कैनाल एरिया में शामिल करने के सम्बन्ध में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में किसानों की कुछ भूमि ही कमांड में है। राज्य सरकार के द्वारा घोषित डी कमांड एरिया को कैनाल एरिया के क्षेत्र में शामिल करके गंगनहर आबंटन एव विक्रय नियम, 1956 के तहत आबंटन किये जाने हेतु पुनः कैनाल एरिया में सम्मिलित किया जाए क्योंकि डी कमांड रकबा गंगनहर के चकों में नहरी रकबे के साथ है।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा सरकार से आग्रह है कि इस

(श्री लालचन्द)

भूमि को डी कमांड से कमांड एरिया में सम्मिलित कर गंगनहर आबंटन एवं विक्रय नियम, 1956 के तहत आबंटन किये जाने का आदेश करें व 1990 में डी कमांड घोषित होने के बाद से उसी व्यक्ति के नाम से टी.सी. नवीनीकरण किये जाने का आदेश फरमावें।

श्री अध्यक्ष : श्री भरत सिंह।

चम्बल नदी को प्रदूषण मुक्त करना

श्री भरत सिंह (दीगोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिए निवेदन है कि कोटा नगर की जनसंख्या आठ लाख से अधिक है। कोटा के नगर को जलदाय विभाग द्वारा दिया गया पीने का पानी प्रतिदिन कोटा बैराज के संग्रहण से अकेगढ़ पम्पिंग स्टेशन से उठाया जाता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रतिदिन 560 लाख लीटर गंदा पानी "मल-जल" के रूप में पुन: कोटा बैराज के जल संग्रहण क्षेत्र में आकर मिल जाता है। कोटा नगर की नई बसावट दक्षिण के पठारी भाग में विज्ञान नगर, तलवंडी, दादाबाडी, महावीर नगर, 1, 2 ,3 बसंत बिहार, रामकृष्णपुरम, श्रीनाथपुरम, आदि कालोनियों के अलावा जवाहर नगर, शिवपुरा, केशवपुरा, बालाकुंडा, गणेश तालाब, छत्रपुरा, संजय गांधी नगर में हुई है। इन कालोनियों और कच्ची बस्तियों व अनधिकृत बसावटों का 80 प्रतिशत "मल-जल" चम्बल नदी के ऊपरी भाग में नालों के माध्यम से गिरता है। साजीदहेड़ा का नाला, शिवपुरा का नाला और गोदावरी धाम का नाला से ऊपरी चम्बल में 560 लाख लीटर मल-जल प्रतिदिन गिर रहा है।

कोटा नगर की जीवनधारा चम्बल नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए राजस्थान अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत कोटा में पर्यावरण सुधार के कार्यक्रम के तहत 77.72 करोड़ की राशि खर्च करना प्रस्तावित है। निस्तारित प्रबन्ध के तहत 35 करोड़ रूपये खर्च करना प्रस्तावित है। जल निस्तारण पर इतनी बड़ी राशि खर्च करके भी जहां से जलदाय विभाग पानी उठाता है वहां के जल के शुद्धिकरण तथा उसे प्रदूषण मुक्त रखने के लिये इस योजना में कोई कार्य प्रस्तावित नहीं है। सम्बन्धित विभाग ने 560 लाख लीटर "मल-जल" को चम्बल रिवर पोल्युशन के सम्बन्ध में जिला

(श्री भरतसिंह)

कलक्टर को लिखे पत्र में नगण्य माना है। कोटा की आठ लाख जनता को प्रदूषण मुक्त जल प्रदान करने की इस योजना में कोई व्यवस्था नहीं है व भविष्य में यह स्वास्थ्य के लिए एक गम्भीर समस्या होगी। एक तरफ ग्राम धाकडखेडी में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर विभाग 9 करोड़ रुपये व्यर्थ खर्च करके धन का दुरुपयोग कर रहा है।

श्री अध्यक्ष : आपने तो सात करोड़ लिख रखा है।

श्री भरत सिंह : नहीं, वह मैं आगे पढ़ रहा हूं, वहां तक आया ही नहीं सात करोड। तो धाकड़खेड़ी पर 35 करोड़ तो पूरा रुपया यह खर्च कर रहे हैं। उसके बाद जहां से नदी में गंदा पानी कर रहे हैं उसका तो एक पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : पढिए, पढिए।

श्री भरत सिंह : इस प्लांट को ग्राम देवली अरब में लगाकर सात करोड़ की राशि की बचत की जा सकती है। जब तक 560 लाख लीटर "मल-जल" के ट्रीटमेंट व निस्तारण को इस योजना में शामिल नहीं किया जाता है इस ट्रीटमेंट प्लांट से कोटा नगर की नई बस्ती व कालोनियों को कोई लाभ नहीं होगा।

कोटा बैराज की डाउन स्ट्रीम चम्बल नदी तो गंदे नाले में तब्दील हो ही गई है। पी.एच.ई.डी. विभाग, आर.यू.आई.डी.पी. विभाग व एन.आर.पी.सी. में तालमेल का अभाव है व चम्बल शुद्धिकरण योजना मात्र कागजी रह गयी है। समय रहते व्यवस्था नहीं की गयी तो बैराज के संग्रहण क्षेत्र में भी चम्बल गंदा नाला बन जाएगी। जनता द्वारा समय-समय पर इस सम्बन्ध में प्रशासन से मांग की गयी है मगर कोई व्यवस्था नहीं कराई गई है।

श्री अध्यक्ष : श्री मंगलाराम गोदारा।

डूंगरगढ़ में कृ‍ि कनेक..न शिफ्टिंग पर रोक

श्री मंगलाराम गोदारा : (श्रीडूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में कृषि कनेक्शन (शिफ्टिंग) की ओर आपका ध्यान आकर्ि‍त करना चाहूंगा।

(श्री मंगलाराम गोदारा)

राज्य सरकार ने पूर्व में किसानों को अपने कृषि कनेक्शन शिफ्ट करने की योजना शुरू की थी जिससे किसानों ने इस योजना का लाभ लेने के लिए मेरे विधान सभा क्षेत्र में हजारों की संख्या में विद्युत विभाग के कार्यालयों में आवेदन कर दिया तथा नये खेत में ट्यूबवैल भी खुदवा लिए। इनमें से कुछ किसानों के कृषि कनेक्शन शिफ्ट कर दिए गए। लेकिन राज्य सरकार ने इस योजना पर रोक लगा दी जिससे अब भी वंचित किसान शिफ्टिंग कनेक्शन चालू करने का इंतजार कर रहे हैं। फसल बुआई का समय नजदीक होने व शिफ्टिंग के लिए तैयार करवाये गये नलकूप खराब होने की चिंता से किसान परेशान हैं।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि किसानों के हित में शिफ्टिंग कनेक्शन शीघ्र चालू करवाये जाएं तथा सहायक अभियंता कार्यालय डूंगरगढ़ जिला बीकानेर व बीदासर जिला चूरू को उनके क्षेत्र में आने वाले किसानों को शीघ्र शिफ्टिंग कनेक्शन चालू करने के लिए निर्देश दिए जाएं क्योंकि यह क्षेत्र मूंगफली उत्पादक क्षेत्र है जिसकी बुआई अप्रैल माह में चालू हो जाती है।

यदि उक्त बकाया शिफ्टिंग कनेक्शन शीघ्र चालू नहीं किये जाते हैं तो ऐसे किसान बरबाद हो जाएंगे। क्योंकि पूर्व में लिए गए कनेक्शन कुएं फेल होने के कारण ही शिफ्ट करवा रहे हैं तथा नये नलकूप का कर्ज भी उनके ऊपर हो चुका है। अतः शिफ्टिंग कनेक्शन शीघ्र दिए जाएं तथा साथ ही सामान्य श्रेणी के कनेक्शन भी खोले जाएं। पूर्व में डिमांड राशि भर चुके किसानों को शीघ्रातिशीघ्र सामान उपलब्ध करवाकर कनेक्शन चालू करवाए जाएं ताकि समय रहते मूंगफली की बुआई हो सके।

श्री अध्यक्ष : श्री बीरूसिंह राठौड़।

बनीपार्क की खड्डा बस्ती का स्थानांतरण

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ : (बनीपार्क) : राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क की कच्ची बस्ती खड्डा बस्ती को जनहित में अन्यत्र बसाने बाबत निवेदन है कि बनीपार्क विधान सभा क्षेत्र की साकेत कालोनी व आदर्श नगर अशोक चौक वार्ड

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़)

नं. 33 के मध्य अनधिकृत रूप से सरकारी जमीन पर बसी खड्डा बस्ती को अन्यत्र स्थापित किये जाने बाबत....

श्री अध्यक्ष : यह आप बोल क्या रहे हो और लिखकर क्या दिया है आपने? वार्ड नम्बर कहीं नहीं लिखा है आपने।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ : बनीपार्क में बीस वार्ड हैं, वार्ड 35 में ट्रेस हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष : चलिए, आप पढ़िए।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ : स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार के माध्यम से आश्वस्त किया गया था कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराते ही बस्ती को अन्यत्र बसाये जाने के प्रयास किये जायेंगे। किन्तु प्रभावित पीड़ित कालोनी के विकास समितियों, जन प्रतिनिधियों, क्षेत्रीय विधायक के बार-बार अनुरोध करने पर भी आज तक उक्त बस्ती को अन्यत्र स्थान पर बसाने की कार्यवाही नहीं की गई है।

अतः विशेष उल्लेख के जरिये खड्डा बस्ती को अन्यत्र बसाने की पुरजोर मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री जालम सिंह रावलोत। एक तो, रावलोत साहब, यह 250 शब्द ही होते हैं, आपने तो कोई 800-900 शब्द लिख लिए। आइन्दा छोटा लिखें।

बार्डर होम गार्ड जवानों की सुरक्षा डयूटी पर तैनातगी

डा. जालमसिंह रावलोत (शिव) : आइन्दा ध्यान रखूंगा, अध्यक्ष महोदय।

प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत बोर्डर होमगार्डस के जवानों को सुरक्षा डयूटी पर लगाने बाबत निवेदन इस प्रकार से है कि राजस्थान राज्य के सीमावर्ती जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं गंगानगर में बोर्डर होमगार्डस की एक-एक बटालियन का सन 1962 से संलग्न प्रपत्र में उल्लेखनीय उद्देश्यों से गठन किया गया है। तत्पश्चात् राज्य भर में

(डा. जालम सिंह रावलोत)

इन्हें आवश्यकता पड़ने पर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस, आर्मी, बी.एस.एफ. के साथ लगाकर इनकी सेवाएं ली जाती रही हैं।

लम्बे अर्से तक विभिन्न सुरक्षा ड्यूटियां करने का पूर्ण अनुभवी, मेहनती, सराहनीय व निष्ठापूर्वक ड्यूटी करने वाले प्रशिक्षित इन जवानों की वर्ष 1994 के पश्चात (मात्र चुनाव ड्यूटी के अलावा) राज्य में कहीं भी ड्यूटी नहीं लगाई जा रही है। जबकि राजस्थान होमगार्ड की तरह पंजाब व गुजरात राज्य में गठित बोर्डर होमगार्ड की ड्यूटियां लगातार चल रही है। राजस्थान राज्य के बोर्डर होमगार्ड के जवानों की काफी समय बाद डयूटी नहीं लगने सेइन जवानों के परिवार की आजीविका पूर्णतया कठिन हो गई है। क्योंकि इन्हें राज्य सरकार द्वारा कभी भी ड्यूटी हेतु आदेश मिलने के इंतजार में रहना पड़ता है। अतः यह कहीं अन्यत्र धंधा या नौकरी करने में असमर्थ हैं।

(13.00 बजे)

कृपया इनकी सेवाओं को मद्देनजर रखते हुए इन प्रशिक्षित व सुरक्षा डयूटी सम्बन्धी पूर्ण अनुभवी जवानों को राज्य सरकार को सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक निम्न सेवाओं में सुरक्षा ड्यूटी हेतु कहीं भी लगाने का श्रम करावें, जिससे इन जवानों को रोजगार के साथ-साथ राज्य सरकार को कम खर्च पर परिश्रमी व अनुभवी जवान सुरक्षा ड्यूटी हेतु उपलब्ध हो सकें।

1. राज्य की नयी आबकारी नीति अंतर्गत नवगठित आबकारी बटालियन के सहयोगार्थ।
2. पुलिस के सहायतार्थ कानून व्यवस्था ड्यूटी हेतु।
3. पर्यावरण व वन्य जीव की सुरक्षा हेतु।
4. नहरी पानी, बिजली इत्यादि चोरी रोकने हेतु।
5. अनाजों के गोदमों, तेल भण्डार, लिग्नाइट भण्डार, गैस भण्डार, कोयला भण्डार, बैंक इत्यादि की सुरक्षा हेतु।
6. उपरोक्त के अतिरिक्त जहां भी सुरक्षा ड्यूटी की आवश्यकता हो।

सामान्यतया सभी होमगार्डस को एक दृष्टि से आंका जाता है जबकि शहरी होमगार्ड व बार्डर होमगार्ड में अन्तर रखा गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

(डा. जालम सिंह रावलोत)

शहरी होमगार्ड :-

1. जो राज्य कर्मचारी राज्य सेवा में रहते हुए अतिरिक्त होमगार्डस की ड्यूटी करते हैं।
2. जिन्हें प्रशिक्षण होमगार्डस के प्रशिक्षकों द्वारा दी जाती है।
3. जो ड्यूटी मात्र लाठी के साथ करते हैं।
4. इन्हें ड्यूटी पुलिस की ही सहायतार्थ लगाया जाता है।
5. इन्हें राज्य में ही ड्यूटी पर लगाया जाता है।
6. राज्य में इनके सदस्यों की संख्या अनुमानतः करीब 50,000 से ऊपर है।
7. इनकी ड्यूटी निरन्तर चलती रहती है।

बार्डर होमगार्ड :-

1. जो अन्य किसी स्थायी सेवा में नहीं रह सकते हैं।
2. प्रशिक्षण आर्मी, सीमा सुरक्षा बल व होमगार्डस के प्रशिक्षकों द्वारा दिया जाता है।
3. जो ड्यूटी लाठी व प्रायः हथियार के साथ ही करते हैं।
4. इन्हें आर्मी, वायुसेना, सीमा सुरक्षा बल, पुलिस सहायतार्थ व अन्य सुरक्षा प्रबन्धों पर लगाया जाता है।
5. इन्हें राज्य के आन्तरिक क्षेत्रों में अन्तरराष्ट्रीय सीमा व राज्य के बाहर भी ड्यूटी पर लगाया जाता है।
6. राज्य में इनके सदस्यों की संख्या 2664 ही है।
7. इन्हें सरकार को अति आवश्यकता पड़ने पर ही ड्यूटी में लगाया जाता है अन्यथा बेरोजगार रहता है।

श्री अध्यक्ष : श्री खुशवीर सिंह जोजावर।

संविदा-शिक्षकों को शिक्षक-प्रशिक्षण

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत संविदा अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण दिये जाने बाबत विशेष उल्लेख।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि वर्ष 2003 में राज्य की विभिन्न जिला परिषदों द्वारा संविदा अध्यापकों की नियुक्ति की गयी थी। इन संविदा अध्यापकों के नियुक्ति पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख था कि यदि संविदा अध्यापक तीन वर्ष की अवधि में तृतीय श्रेणी अध्यापक हेतु नियमों में वांछित प्रशिक्षण योग्यता अर्जित नहीं करते हैं तो उनकी सेवा का नियमितीकरण नहीं किया जावे। परन्तु आश्चर्य की बात यह है कि इनकी नियुक्ति हुए दो वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है, फिर भी इनके शिक्षण प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। और न ही इस सन्दर्भ में अभी तक किसी प्रकार के आदेश-निर्देश जारी किये गये हैं।

अध्यक्षजी, किसी तरह का मार्गदर्शन नहीं मिलने की स्थिति में ये संविदा अध्यापक अपने भविष्य की निश्चिता के प्रति आशंकित हैं। और यदि इन संविदा अध्यापकों का शिक्षक प्रशिक्षण आज से ही शुरू किया जाये तो भी ये संविदा अध्यापक तीन वर्ष के भीतर निर्धारित प्रशिक्षण योग्यता हासिल नहीं कर सकेंगे। तथा नियुक्ति पत्र की भाषा के अनुसार इनकी सेवा का नियमितीकरण नहीं किया जाता और इन्हें सेवा से पृथक किया जाता है तो ऐसा होना इनके साथ घोर अत्याचार होगा और एक विडम्बना की स्थिति होगी।

अतः मेरा माननीय शिक्षा मंत्रीजी से अनुरोध है कि संविदा पर नियुक्त इन अध्यापकों के शिक्षक प्रशिक्षण की शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्था करने के आदेश प्रदान करें ताकि इन अध्यापकों के प्रति न्याय हो सके तथा इनको स्थायी नियुक्ति मिल सके।

साथ ही पाली जिले के मूल वेतन की विसंगति है उसको भी दूर करने की कृपा करावें। अन्य जिलों से इनको पांच सौ रुपये मूल वेतन कम दिया जा

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

रहा है। मैं शिक्षा मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि बाहर करीब चार सौ शिक्षक आये हुए हैं आपको ज्ञापन देने के लिये। कृपा करके उनके प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम है..

श्री अध्यक्ष : बिना लिखा ही पढ़ रहे हो आप।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : इसको पूर्ण कराएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल मीणा।

बामनवास में ओलावृष्टि

श्री हीरालाल मीणा (बामनवास) : बामनवास विधान सभा क्षेत्र में ओलावृष्टि से हुए नुकसान के सम्बन्ध में प्रक्रिया के नियम 295 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय, दिनांक 4.3.2005 को सायं 7-8 बजे विधान सभा क्षेत्र बामनवास के अन्तर्गत गांवों में भारी ओलावृष्टि हुई जिससे काश्तकारों की फसल शत प्रतिशत नष्ट हुई तथा साथ ही कई परिवारों के छप्पर एवं कोल पोस मकान नष्ट हुए।

ओलावृष्टि का जायजा जिला प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लिया गया है।

राहत मंत्री व केन्द्रीय मंत्री पर्यावरण ने भी क्षेत्र का दौरा कर नष्ट हुई फसल का जायजा लिया। ओलावृष्टि से प्रभावित ग्राम मानुपर, नानतोड़ी, तालाब ढ़ाणी, मित्रपुरा, उदगांव, घाटा नैनवाड़ी, कुटका, मुकन्दपुरा, कुशलपुरा, पदया, सोमवास, मोरण, बोरखेड़ा, जटलाव, कुआगांव, मेदार, खुर्द, गोलगोठडा, खोहरी, लाखनपुर, खेड़ा, चोरबुरिया, कोलाड़ा, गंगवाडा, बास, ळोरडा, रवासा, गेंदा की झोपड़ी, गोलपूर, थड़ोली, भीपुरा, परवाला, बंधावल, बंजारों की ढ़ाणी, निगर्मो की झोपड़ी, निमोदा, राठोद, कराड़ी, गुडला नदी, गुडलाचन्दन, बागडोली, मांगरोल, पीपलवाड़ा, बहनोली, बोली, थड़ी, खिरखड़ी, झनून, भेड़ोली, हनुत्या, दतुल, गोतोड़, अमावरा, भांवरा गोठ, सुकरेडी, टोडा, टुण्डिया, बानोर ठिकरिया,

(श्री हीरालाल मीणा)

रानीला, बड़ीला, मोरया, कुण्डली, झाड़ोदा, नाननवास बाढ़ नाननवास, बिनोरा आदि गांवों में 60 से 100 प्रतिशत तक नुकसान हुआ एवं अन्य गांवों में भी 20 से 30 प्रतिशत नुकसान हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रभावित किसानों के पास न अनाज है न ही पशुओं के लिये चारा है।

सरकार द्वारा अभी तक मात्र सीमान्त व लघु कृषकों को ही मुआवजा राशि वितरित की गयी जिसमें भी जल्दीबाजी में कई लघु व सीमान्त किसान भी मुआवजा राशि से वंचित रह गये हैं।

ऐसे में दुबारा अविलम्ब सर्वे कराया जाय ताकि छूटे किसानों को फायदा हो सके एवं बड़े किसानों को भी मुआवजा राशि दिलवायी जाये।

प्रभावित क्षेत्र में प्रभावित काश्तकारों को बी.पी.एल. परिवार की भांति 4.60 रूपये प्रति किलो की दर से गेहूं उपलब्ध करवाया जाए। साथ ही पशुओं के लिये प्रभावित क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों के मुख्यालय पर चारा डिपो खोला जाये। प्रभावित क्षेत्र के किसानों को जिनका फसल बीमा सहकारी एवं कामर्शियल बैंको से हुआ है उन काश्तकारों को तुरन्त फसल बीमा क्लेम दिलाया जाये।

सरकार द्वारा इस माह की चार-पांच तारीख से जो राहत कार्य स्वीकृत किया गया वो नाम मात्र का है। चूंकि एक गांव में एक कार्य स्वीकृत कर मात्र 50 श्रमिकों की सीमा निर्धारित की है जो संतोषजनक नहीं है। चूंकि गांव की आबादी के अनुपात में श्रमिक सीमा निर्धारित नहीं की गयी जिससे हर गांव में रोजाना झगड़े होते हैं।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि प्रभावित गांवों के काश्तकारों के परिवार के एक श्रमिक को रोजाना रोजगार दिया जाये ताकि पीड़ित परिवार अपनी रोजी रोटी कमा सके।

श्री अध्यक्ष : श्री बंशीलाल खटीक ।

राजसमंद जिले में विकास कार्य

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमंद) : प्रक्रिया नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

(श्री बंशीलाल खटीक)

महोदय, आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि राजसमंद जिला मार्बल की वृहत मण्डी एवं औद्योगिक क्षेत्र है। केन्द्र एवं राज्य को मार्बल से अत्यधिक राजस्व आय होने के उपरान्त भी राजसमन्द रेल मार्ग/सड़क मार्ग की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। राजसमन्द जिले के विकास हेतु निम्नांकित सुझाव दिये जा रहे हैं अतः इनकी क्रियान्विति पर ध्यान देने का कष्ट करावें :-

1. राजसमन्द जिले के भू-जल स्तर/सतही जल तथा राजसमन्द झील की जलापूर्ति हेतु वृहत परियोजना तथा क्रियान्विति।

2. राजसमन्द जिले को स्वर्ण चतुर्भुज सड़क मार्ग से जोड़ने के लिये नसीराबाद-ब्यावर-भीम राजसमंद उदयपुर नेशनल हाइवे नं. 07 का निर्माण।

3. राजसमन्द जिले को राष्ट्रीय रेल मार्ग से जोड़ने के लिये मारवाड़, मावली मीटर गेज अमान परिवर्तन करके ब्राडगेज निर्माण।

4. मार्बल उद्योग को बढ़ावा के साथ-साथ मार्बल स्लरी से राजसमंद जिले में होने वाले प्रदूषण के बचाव हेतु स्लरी के उपयोग की कोई औद्योगिक इकाई स्थापित की जाये।

5. मादड़ी चौराहे से वाया तासौल, पसून्द सड़क को चौड़ा कर बाई पास बना दिया जाय तो पाली, जोधपुर मार्ग के लिये जाने वाले वाहनों को सुविधा रहेगी, साथ ही दूरी एवं समय की बचत भी होगी।

6. कांकरोली से कपासन (वाया रेलमगरा सड़क मार्ग) मार्ग को चौड़ा कर दिया जाये तो मार्बल ट्रक जो नाथद्वारा, मावली होकर चित्तौड़गढ़ जाते हैं वे रेलमगरा, कपासन होते हुए चित्तौड़गढ़ जा सकते हैं जिससे समय व ईंधन की बचत होगी।

7. कुरज चौराहे से फतेहनगर सड़क मार्ग (वाया रेलमगरा) को चौड़ा कर दिया जाये तो भारी वाहन जो भीलवाड़ा से उदयपुर जाते हैं, उन्हें इस मार्ग से निकलने में सुविधा रहेगी साथ ही दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी नहीं रहेंगी।

(श्री बंशीलाल खटीक)

8. कलक्ट्रट (100 फीट) वीर सावरकर रोड को भीलवाडा बाई पास से नेशनल हाईवे 8 तक जोड़ना।

9. तहसील रेलमगरा में किसी उद्योग की स्थापना की जाये ताकि वहां के स्थानीय नागरिकों को रोजगार मिल सके। साथ ही युवाओं क लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोला जाये ताकि बेरोजगार युवक-युवतियां उक्त प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर अपनी जीविका चला सकें।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहन मेघवाल।

जोधपुर नगर विकास न्यास में अनियमितताएं

श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के मार्फत माननीय नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि गत कांग्रेस सरकार द्वारा गठित नगर विकास न्यास, जोधपुर के बोर्ड द्वारा भारी वित्तीय अनियमितताएं बरती गई हैं। जिसका उल्लेख समय-समय पर सदन में किया जा चुका है एवं स्थानीय समाचार-पत्रों में भी कई बार समाचार प्रकाशित हो चुके हैं जिसका उल्लेख मैं यहां नहीं करना चाहता हूं।

जोधपुर नगर विकास न्यास के गत बोर्ड ने बिना किसी व्यावहारिक प्रक्रिया को अपनाये अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने व जनता को गुमराह करने की नीयत से करोड़ों का कार्यादेश एक्ल निविदा के आधार पर जारी किए हैं। इन कार्यादेशों को जारी करते वक्त न्यास के पास न तो पर्याप्त धन था एवं ना ही न्यास द्वारा कोई विधिक प्रक्रिया अपनायी गई थी। इस प्रकार के कार्यों को अंजाम देने हेतु न्यास में कार्यरत एक अधिशासी अभियन्ता की विशेष भूमिका रही है। मैं यहां यह उल्लेख करना चाहता हूं कि इसमें न्यास के पूर्व अध्यक्ष न्यासी, सचिव भी सम्मिलित थे। अब स्थिति यह है कि नगर विकास न्यास, जोधपुर पर करोड़ों रुपयों की देनदारिय हैं एवं न्यास के ठेकेदार अपने आपको ठगे सा महसूस कर रहे हैं। न्यास, जोधपुर अब इस स्थिति में नहीं है कि वह जन अपेक्षाओं के अनुरूप कोई विकास कार्य स्वीकृत कर सके क्योंकि न्यास, जोधपुर के ठेकेदार पूर्व भुगतान के अभाव में नया काम लेने से कतरा रहे हैं।

(श्री मोहन मेघवाल)

अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि इस अधिशासी द्वारा अपने मातहतों के इशारों पर 16 ग्राम, फर्नीचर खरीद, कच्ची बस्ती नियमन आदि कार्यों में भी अनियमितताएं बरती थी जिसमें वह आरोपित भी हो चुके हैं एवं उनके विरुद्ध आरोप प्राथमिक जांचों में सिद्ध भी हो चुके हैं, फिर भी यह अभियन्ता आज दिन तक इसी पद पर बैठा हुआ है जिससे वह अपने विरुद्ध चल रही जांचों को प्रभावित भी कर रहा है। मेरा आपसे यह भी अनुरोध है कि प्राथमिक जांच में आरोप सिद्ध होने के उपरान्त इस अभियन्ता को आज दिनांक तक कोई आरोप पत्र तक जारी नहीं हुए हैं। मेरा तो यह मानना है कि यदि निष्पक्ष जांच करवाई जानी है तो प्रथम तो इस अभियन्ता को वर्तमान पद से हटाया जावे ताकि जांच प्रभावित नहीं हो सकें।

अन्त में मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि आप गत बोर्ड द्वारा ठगे गए ठेकेदारों को रूका भुगतान करने हेतु नगर विकास न्यास, जोधपुर को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाते हुए भुगतान करने के निर्देश सचिव, नगर विकास न्यास, जोधपुर को जारी करावें तथा आरोपित अभियन्ता को अविलम्ब अन्यत्र स्थानांतरित करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल चौधरी । जब आपने 295 दिया था तो आपको स्थान पर होना चाहिए था।

अलवर एवं भरतपुर जिलों में कस्टोडियन भूमि के पट्टे

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : वह कल दिया था। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि अलवर एवं भरतपुर जिले में कस्टोडियन भूमि के लिये पिछले कई वर्षों से पट्टे जारी करने की समस्या चल रही है। मैंने पिछले सत्र में भी विधान सभा के माध्यम से यह मामला उठाया था। इन तीनों जिलों में हजारों किसानों का यह मामला है। इसमें जो किसान पिछले कई वर्षों से गैर खातेदार के रूप में भूमि पर खेती कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पहले कस्टोडियन भूमि पर गैर खातेदार किसान खेती कर रहे थे। उनको 625 रुपये प्रति बीघा जमा करवाने पर पट्टा मिल जाता था जिसके बाद सरकार ने इसे बढ़ाकर 1250 रुपये किया जिसमें 625 रूपये कीमत और

(श्री धर्मपाल चौधरी)

625 रुपये ब्याज के रूपये ब्याज के रूप में दिया जाता है। जब यह मामला विधान सभा में उठा उसकी समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने एक सब कमेटी बनाई। इस सब कमेटी ने अपने निर्णय में किसान को 1250 के बजाय उस भूमि की सरकारी कीमत का 25 प्रतिशत देने का रेट तय किया जो बहुत ज्यादा है। दोनों जिले के किसानों में असंतोष है और कोई भी किसान 25 प्रतिशत के हिसाब से पैसा जमा करवाकर पट्टे जारी नहीं करवा रहे हैं।

अतः आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इने गरीब किसानों की ओर दिलाना चाहता हूं कि सरकार पुराने रेट पर ही किसानों को पट्टे जारी करे जिससे इन किसानों को राहत की सांस मिल सके।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास। 295 में सचिव को सम्बन्धित किया जाता है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : इसमें अध्यक्ष लिखा है।

श्री अध्यक्ष : सचिव को सम्बोधित किया जाता है, अगली बार सचिव को करें।

जोधपुर नगर निगम द्वारा अनियमित भू-आबंटन

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के माध्यम से माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान जोधपुर नगर निगम द्वारा अवैध भूखण्ड आबंटन की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। जोधपुर नगर निगम (पूर्व में नगर परिषद) द्वारा एक ही भूखण्ड को कभी आबंटित कर दिया जाता रहा है और कभी इसी भूखण्ड को खालसा बताकर दूसरे व्यक्ति को आबंटित कर दिया जाता है। उदाहरणार्थ वासका पीर दरगाह, मोची मार्केट सिंवाची गेट रोड पर एक भूखण्ड पहले कुसुम पुरोहित पत्नी जयदत्त पुरोहित के नाम वसीयत की तामीर स्वीकृति दी गई। फिर इसी भूखण्ड को श्री किशन पुत्र भूराराम को आबंटन कर दिया गया। जांच होने पर सतर्कता समिति ने आबंटन रद्द कर दिया तो फिर से अन्य अधिकारी ने इससे खालसा बता कर पुनः आबंटित कर दिया। पूर्व में माननीय विधान सभा सदस्य ने इस प्रकरण की जांच की मांग की तो गलत तथ्य विधान सभा में पेश कर दिये गये।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहती हूं कि जोधपुर नगर निगम में इस प्रकार की अनियमितताओं की जांच की जाये और विशेष रूप से उपरोक्त प्रकरण की जांच करवा कर रिपोर्ट सदन में पेश की जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री हेमराज मीणा।

वन श्रमिकों के रोजगार की समस्या

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सरकार का ध्यानाकर्षण करते हुए निवेदन करता हूं कि राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य जिले उदयपुर, बांसवाड़ा, बारां, भतरपुर, अलवर, डूंगरपुर में वन उपज पर रोजगार आधारित वन श्रमिकों द्वारा अपनी उत्पादित वन उपजों के उचित विक्रय मूल्य वितरण हेतु 108 वन श्रमिक सहकारी समितियां बना रखी हैं। इन सहकारी समितियों ने अपना पूर्ण कार्य संचालन हेतु फैडरेशन राजस्थान वन श्रमिक सहकारी संघ उदयपुर से 1960 में पंजीकृत करवाया, किन्तु संघ का दफ्तर कार्य की सुविधानुसार उदयपुर से जयपुर स्थापित कर लिया गया।

अध्यक्ष महोदय, सन् 1960 से 1962 तक उक्त सहकारी समितियां स्वयं के क्षेत्रीय नवयुवकों को प्रशिक्षण दिलाकर संचालन का काम करवाती रही व इनका कार्य निर्बाध रूप से चलता रहा तथा वन श्रमिक एवं उनके परिवारों का भरण-पोषण होता रहा। किन्तु 1992 में सरकार ने इन समितियों में प्रशासक नियुक्त किए जिनके भ्रष्टाचार एवं लालफीताशाही के चलते ये समितियों को 1992 से अब तक लाभ हानि का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं करते हुए इन्हें बन्द करवा दिया गया। वन श्रमिक सहकारी समितियों के बन्द होने से वन श्रमिकों के सामने रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई व उनके परिवारों का भूखा मरने की नौबत आ गई है। लालफीताशाही के चलते सरकार के आला अधिकारियों द्वारा सहकारी समितियों के संघ की करोड़ों की सम्पत्ति को नीलाम करने की कोशिश की। जिस पर 1998 में समितियों की याचिका पर उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश प्रदान किया। इसके बाद 1999 में सरकार ने इन समितियो को पुनः जीवित करने का निर्णय लिया। लेकिन उक्त समितियों के

पक्ष में आज तक भी कार्यवाही व कोई कार्य योजना नहीं बनी जिससे कोई कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका। अतः आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस मामले को गम्भीरता से लेकर इन समितियों के पक्ष में कार्ययोजना शीघ्र प्रारम्भ करें।

श्री अध्यक्ष : जिन लोगों ने पर्ची के माध्यम से अपने-अपने मामले उठाने की कोशिश की है, मैं पांच मिनट से अधिक समय किसी को भी नहीं दे पाऊंगी क्योंकि पर्ची पर बोलने वाले आधा-आधा घण्टे तक बोलते रहते हैं। ये मामले इस तरह के हैं भी नहीं जिन पर पर्ची दी जाए, रीसेंट ईवेन्ट नहीं हैं जिन पर बोलना जरूरी भी हो। आज शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण मांग है जिस पर सभी बोलना चाहेंगे। इसलिए आप कम से कम समय में अपनी बात कह दें।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य आपके और वक्ता के बीच में से आए हैं।

श्री अध्यक्ष : मेरे और वक्ता के बीच में से जाने कौन-कौन मंत्री और माननीय सदस्य आते जाते रहते हैं, इन नियमों की परवाह ही नहीं करते हैं, करनी चाहिए, करनी चाहिए। एक छोटी सी पुस्तिका आप सबको मिली हुई है, डूज एण्ड डोंट डूज, क्या करो और क्या न करो, कम से कम उसका पालन तो कर लिया करो।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : ऐसा है, जब मैं गया था तो वह खड़े नहीं हुए थे, उसके बाद में खड़े हुए हैं। इसलिए मैं बीच में नहीं आया। गलत बात मत करिए।

श्री अध्यक्ष : कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन अब आप पुनः उनके और मेरे बीच में खड़े हो गए हैं।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं हट जाता हूं।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

डिप्लोमाधारी अभियन्ताओं की समस्याएं

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री प्रहलाद गुंजल)

निश्चित रूप से आपकी बात से सहमत हूं लेकिन मैं जिस विषय पर पर्ची के माध्यम से चर्चा करना चाह रहा हूं, मैं पांच मिनट में ही अपनी बात समाप्त करूंगा।

(13.23 बजे)

(डा. एन.एस. गुर्जर, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, राजस्थान कौंसिल आफ डिप्लोमा इन्जीनियर्स के सदस्य अपनी बुनियादी मांगों को लेकर सदन के बाहर खड़े हैं। मैंने उनके ज्ञापन को पढ़ा है। उसमें केवल उनकी बुनियादी मांग ही नहीं उनके मन और अंतः मन की पीड़ा को दर्शाता है। इसके लिए वे सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके मन में सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि एक डिप्लोमाधारी विद्यार्थी के रूप में कनिष्ठ अभियंता के नाते वह सेवा में भर्ती होता है और कनिष्ठ अभियंता के नाते ही वह सेवानिवृत्त हो जाता है। उन्होंने एक चार्ट पेश किया है कि सिंचाई विभाग में 1970 के अन्दर जो कनिष्ठ अभियंता नियुक्त हुआ है वह रिटायर नहीं हुआ है तो वह आज भी कनिष्ठ अभियंता ही है। इसी प्रकार से सार्वजनिक निर्माण विभाग में 1979 में नियुक्त कनिष्ठ अभियंता आज भी कनिष्ठ अभियंता ही है। कमोबेश राजस्थान के सारे विभागों में यही स्थिति है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कनिष्ठ अभियंता के रूप में भर्ती और कनिष्ठ अभियंता के रूप में ही रिटायरमेंट, कोई भी आदमी चाहे सार्वजनिक सेवा में काम करे, चाहे सरकारी क्षेत्र में काम करे, चाहे व्यापारिक क्षेत्र में काम करे, काम के आधार पर उत्तरोत्तर प्रमोशन की इच्छा शक्ति उसके मन में होती है। जहां राजस्थान के इतने बड़े संवर्ग, निर्माण अभियंताओं के मन में यह स्थिति हो तो किस प्रकार की हताशा उसके मन में पैदा होगी, यह एक कल्पना का विषय है। सरकारी सेवा में जो कनिष्ठ अभियंता है, वह निर्माण की कुंजी है। उसके मन में इस प्रकार की हताशा का और निराशा का वातावरण बन जाएगा तो निर्माण की प्रक्रिया प्रभावित होगी, विकास अवरूद्ध हो जाएगा। इससे बड़ा अहम सवाल यह है कि उसके मन में एक प्रश्न खड़ा होता है कि जो कनिष्ठ अभियंता के रूप में सरकारी सेवा में भर्ती हुआ, उसी तारीख को एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती हुआ। उसी तारीख को एक कनिष्ठ लिपिक भर्ती हुआ। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो योग्यता के मापदण्ड नहीं रखता

(श्री प्रहलाद गुंजल)

वह दफ्तरी से जमादार हो गया, कनिष्ठ लिपिक वरिष्ठ लिपिक हो गया और वरिष्ठ लिपिक ऑफिस सुपरिन्टेंडेंट हो गया। जबकि वह कनिष्ठ अभियंता, जो उनके साथ सेवा में आया, आज भी कनिष्ठ अभियंता के रूप में ही सेवानिवृत्त हो रहा है।

केवल यही कारण नहीं है। समाज में किसी व्यक्ति को 25 साल पहले पूछा गया कि कनिष्ठ अभियंता के रूप में आपको नौकरी मिली, उसको बधाई दी और 25 साल बाद की मुलाकात में उससे पूछा जाता है कि आप तो ए.ईएन हो गए होंगे, आप एक्सईएन. हो गए होंगे। लेकिन उसको यह बताना पड़ता है कि मैं कनिष्ठ अभियंता के पद ही पर कार्यरत हूं। तो कोई राजस्थान सरकार की नियमावली को ध्यान में नहीं लाता। उसके आचरण पर ही सीधा प्रश्न चिन्ह लगाता है कि सरकारी सेवा में रहते हुए दुराचरण किया होगा। सरकारी सेवा में रहते हुए सरकारी कार्मो के प्रति अनिष्ठा का बर्तावा किया होगा। इस कारण से उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी आंच आती है। इस प्रकार से इस वर्ग के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो वर्ग समूचे राजस्थान के निर्माण की कुंजी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, पांच मिनट में से दो मिनट तो व्यवधान हो गया, मैंने नहीं किया।

आज वे जिस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर यहां आए हैं उस पर निश्चित रूप से सरकार को ध्यान करना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए।

उनकी दूसरी महत्वपूर्ण मांग है कि अराजपत्रित वर्ग में केवल कनिष्ठ अभियंता ही ऐसा संवर्ग है जिसको 9-18-27 का पूरा लाभ नहीं दिया जाता। इस व्यवस्था में 9 साल की सेवा पर कर्मचारी को अगले पद के वेतनमान के बराबर वेतनमान दिया जाता है। लेकिन कनिष्ठ अभियंता को 9 साल की सेवा पर सहायक अभियंता के रूप में 8000-13500 का वेतनमान मिलना चाहिए। लेकिन 6500-10500 का वेतनमान मिलता है। 18 वर्ष की सेवा पर अधिशासी अभियंता का वेतनमान 10000-15200 मिलना चाहिए लेकिन उसे सहायक अभियंता का वेतनमान 8000-13500 मिलता है। 27 वर्ष पर तीसरे अगले

(श्री प्रहलाद गुंजल)

वेतनमान का लाभ तो कनिष्ठ अभियंता को मिलता भी नहीं है और अंत में उसे अपना रिटायरमेंट लेना पड़ता है।

सभापति महोदय मेरा आपसे निवेदन है कि इस परिस्थिति पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इतना बड़ा जो संवर्ग है उसकी बुनियादी मांग पर, उसकी पीड़ा को समझ कर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

उन्होंने कई सारे विषय अपने इस मांग पत्र में रखे हैं कि सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता के पद तो लगातार समाप्त किए जाते रहे हैं लेकिन 1976 में जो 4 मुख्य अभियंता थे उनको बढ़ाकर आज 13 कर दिया गया है।

श्री सभापति : समाप्त करें प्लीज।

श्री प्रहलाद गुंजल : माननीय सभापति महोदय, मेरा अनुरोध है कि आज उनके मांग पत्र को स्वीकार करके गंभीरतापूर्वक सरकार विचार करे, उनको लगे कि राजकीय सेवा में काम करने का प्रोत्साहन पुरस्कार उनको मिल रहा है।

श्री सभापति : समाप्त करें प्लीज।

श्री प्रहलाद गुंजल : और इच्छाशक्ति से, मन:स्थिति से काम करेंगे, निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, राजस्थान कौंसिल आफ डिप्लोमा इंजीनियर्स ने जो मांग-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसको लेकर वे आज विधान सभा के बाहर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, मुख्य रूप से उनकी मांग पदोन्नति से सम्बन्धित है। सरकार उस पर गंभीरता से विचार भी कर रही है। और मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जितने पद हैं, जिसमें पदोन्नति निर्धारित है, राजस्थान अभियंता सेवा नियम, 1954 के अन्तर्गत जो उनकी पात्रता बनती है उसके अनुसार निश्चित समय पर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

डी.पी.सी. भी हो रही है और पात्रता प्राप्त होने पर उनका प्रमोशन भी किया जाएगा। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन जरूर करना चाहूंगा डिप्लोमा और डिग्री ये दो अलग-अलंग अभियंता हैं, डिप्लोमाधारी अभियन्ता और डिग्रीधारी अभियन्ता, इन दोनों की मार्गे भी अलग-अलग हैं। इनमें सामंजस्य बिठाकर हम प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए 2004-05 में 91 पदों पर हमने पदोन्नति भी की है और जितनी भी इनकी और मार्गे हैं उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, आप डिप्लोमा इंजीनियर्स और स्नातक इंजीनियर्स की मांगों पर कब तक विचार कर निर्णय कर लेंगे और इनके बारे में सदन को अवगत कराएंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, इस पूरी समस्या के पीछे अगर कोई दोषी है तो सामने बैठे माननीय कांग्रेस के लोग हैं। उन्होंने कभी इनकी समस्याओं पर कोई विचार ही नहीं किया।

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह समस्या आपके वक्त से भी चली आ रही थी। आपकी सरकार थी उस वक्त से चली आ रही है। यह बहुत पुरानी मांग है, यह केवल हमारे वक्त में नहीं है, भैरोंसिंहजी के वक्त में भी यह समस्या थी।

श्री सभापति : विराज जाएं। माननीय मंत्रीजी, विराजिए। No discussion under this 'parchi' system. Now Shri Harimohan Sharma.

बिजली के खंभों पर झूलते तारों से आग

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : माननीय सभापति महोदय, मैं सदन का और सरकार का ध्यान इस ज्वलंत और गंभीर समस्या की ओर दिला रहा हूं कि आपने आज ही अखबार में पढ़ा होगा। और आप सार्वजनिक रूप से, सरकारी स्तर पर आपको सूचनाएं उपलब्ध हुई होंगी कि गत दो दिनों में कितने ही स्थानों पर बिजली विभाग की लापरवाही से 132 के.वी. के ग्रिड स्टेशन पर अनेक स्थानों पर, अनेक गांवों में तारों की खिंचाई ठीक नहीं होने के कारण, स्थान-स्थान पर तार झूलने के कारण, जब तूफान और अंधड़ चला

(श्री हरिमोहन शर्मा)

तो माननीय सभापति महोदय, पूरे राजस्थान में अनेक जिलों के अनेक भागों में भयंकर आग की लपटें लगी। कहीं 132 के.वी. ग्रिड स्टेशन की वजह से लगी और किसी स्थान पर तार के नीचे झूलने के कारण लगी और हवाओं के कारण। उस बिजली की लगने वाली आग से करोड़ों रुपये का नुकसान अनेक स्थानों पर हो गया। माननीय सभापति महोदय, आर्थिक नुकसान हुआ जो तो हुआ, लेकिन उसके साथ महिलाएं झुलस गई, बच्चे झुलस गए और अनेक स्थानों पर पशु उस आग की लपट में मारे गये। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मोटे रूप में अजमेर संभाग में इन दो दिनों के अंदर-अंदर आग लगने के कारण 1100 परिवार विभिन्न गांवों के विभिन्न स्थानों पर बेघरबार हुए हैं। और इसी प्रकार धौलपुर में पचगांव, बरा, बाड़ी, जपावली गांवों में करीब 41 घर जल चुके हैं और करीब 20-25 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। भरतपुर में, दौसा में, करौली में 70 घर गरीब लोगों के जल चुके हैं। अनेक स्थानों पर चाहे वो भीलवाड़ा का करोई खेड़ा गांव हो, चाहे पाली का रूपवास हो, इन दो दिनों के अन्दर-अन्दर बिजली विभाग की लापरवाही से और आंधी के कारण जिस प्रकार करोड़ों रुपये का नुकसान, जन-धन की हानि हुई है उसकी जिम्मेदारी बिजली विभाग की होनी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं बिजली विभाग की लापरवाही से, ये अलग-अलग आयोग बन चुके हैं, जिस प्रकार से कंपनसेशन देने के लिए, जिस प्रकार कंपनसेशन का भुगतान मोटर एक्सीडेंट एक्ट क्लेम में किया जाता है वैसे ही बिजली की लापरवाही से जो हमारे अलग -अलग आयोग बने हुए हैं, इनके द्वारा इनकी गफलत और लापरवाही से, इनकी सूझबूझ की कमी से जिस प्रकार करोड़ों रुपये का नुकसान स्थान-स्थान पर हुआ है। इसके भुगतान की, इसके कंपनसेशन की सारी जिम्मेदारी इस बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ इन विभागों की फिक्स की जानी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, स्थान-स्थान पर, गांव-गांव में जब यहां पर आपने प्रशासन गांवों की ओर, प्रशासन आपके द्वार नाम से जो अभियान चला उस अभियान में भी ऐसा कोई गांव, ऐसी कोई पंचायत, ऐसा कोई स्थान नहीं था कि जहां के आदमी ने आकर हर स्थान पर यह न कहा हो कि बिजली के तार झूल रहे हैं, हमारे घरों पर से निकल रहे हैं और यहां पर आग लगने की संभावना है। और इस प्रकार अनेक-अनेक लोग, अनेक स्थानों पर पूरे राजस्थान में इस बिजली की अव्यवस्था के कारण करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है इस नुकसान के लिए वह जिम्मेदार है।

आश्चर्य की बात है कि एक स्थान पर तो ऐसा हुआ, किशनगढ़ के बरना गांव में कि मानव मूल्य ही समाप्त कर दिये। उस स्थान पर रैगरों के मौहल्ले में आग लगी, 30-40 घर जले। वहां पर उस स्थान पर 15-20 टैंकर पानी के भरे हुए थे। अफसोस की बात है कि मानवीय मूल्यों का इतना ह्रास हुआ कि जिनके वे टैंकर थे वे अपने मकान पर चढ़ गये। और जब आग बुझाने के लिए उन लोगों से पानी मांगा तो उन लोगों ने यह कहा कि हम कल पीने के लिए पानी कहां से लाएंगे। यह हमारी व्यवस्था है। माननीय सभापति महोदय, कोई सरकारी अधिकारी जिम्मेदारी के साथ इन स्थानों पर जाकर आज तक भी उसने यह नहीं देखा है कि कितने घर जले हैं, कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग जले हैं। और इन सब बातों के बाद मैं सरकार का और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं एक मिनट में एक बात और निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : समाप्त करें प्लीज।

श्री हरिमोहन शर्मा : हमारे उप राष्ट्रपति महोदय, डेलिगेशन लेकर पोप के देहावसान के अवसर पर वहां पर कंडोलेंस में शरीक होने के लिए गये हैं। राष्ट्रीय स्तर पर शोक है, झण्डे झुके हुए हैं। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप उपयुक्त समझें और हम भी उनको श्रद्धांजलि दे दें तो एक अच्छा कदम होगा, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री जीतमल खांट

नई आबकारी नीति का विरोध

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में अति लोक महत्व का विषय है उस पर सदन का और सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

कुछ महीनें पूर्व राजस्थान का किसान पानी को लेकर आंदोलित था और इस आंदोलन के माध्यम से कई अनहोनी घटनाएं इस प्रदेश के अंदर घटीं। माननीय सभापति महोदय, इस बार राजस्थान की नयी आबकारी नीति लागू होने के बाद में इस प्रदेश के अंदर आम जनता में बहुत बड़ा रोष है और

(श्री जीतमल खांट)

ऐसा लगता है कि आने वाले समय में पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन, धरने और न जाने कानून-व्यवस्था को संभालने के लिए जनता सड़कों पर उतरेगी ऐसा महसूस किया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में राज समाज का नेतृत्व करता है। मानव समाज को आदर्शोन्मुखी बनाना, प्रदेश के अंदर शांति और भाईचारा कायम करना इस सरकार की जवाबदारी है। अभी राजस्थान का स्थापना दिवस जयपुर की राजधानी में मनाया गया। इस दिवस में अनेक प्रकार की झांकियां पेश की गई। हमारे राजस्थान का नाम बड़े गौरव के साथ में लिया जाता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज इसी राजस्थान के अंदर, इस राजस्थान के निर्माण में स्वर्गीय सुखाडियाजी का नाम, स्वर्गीय हरिदेव जोशी का नाम, शिवचरणजी माथुर का नाम, उप राष्ट्रपति माननीय भैरोंसिंह शेखावत का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है।

आज भी हम कह सकते हैं कि पश्चिमी देशों के अंधानुकरण के पश्चात भी राजस्थान की जो सांस्कृतिक धरोहर है, लुप्त नहीं हो पाई है, जीवित है। और हम यह कह सकते हैं कि इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी राजस्थान की जनता के बीच में मद्यपान का निषेध करना यह हमारे संस्कारों में भी जीवित है। यहा तक कि हमारे संविधान में भी जिनका उल्लेख है। मैं कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी, जिनका हमारा सीधा सम्बन्ध हम बड़े अदब के साथ में संस्कारों पर आधारित आदर्श पर जीवित यह जो भारतीय जनता पार्टी का नाम हम 20-25 वर्ष के साथ लिया करते हैं। और इन पार्टियों में इस भारतीय जनता पार्टी का बड़े अदब के साथ में आदर्शों का निर्वहन करने वाली भारतीय जनता पार्टी, और इस शासन में जो हमारे राजस्व वृद्धि के लिए, और राजस्व वृद्धि मात्र दो सौ करोड़ रुपये, दो सौ करोड़ की हमें किस तरीके से उपलब्ध हो, दो सौ करोड़ की अर्जित हम कैसे करें। दो सौ करोड़ से पांच सौ करोड़ भी आप अर्जित कर लेंगें। लेकिन सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस पूरे सूबे के अन्दर, इस सूबे पर अच्छे-अच्छे जननायकों ने इस प्रदेश की बागडोर संभाली। और मैं विशेष तौर पर, मैं आपका ध्यान राजस्थान के इस दक्षिणी राजस्थान जहां पर हम लोग 32 लाख

(श्री जीतमल खांट)

जनजाति के लोग निवास करते हैं। चाहे भैरोंसिंहजी शेखावत इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे शिवचरणजी माथुर रहे हों, चाहे हमारे स्वर्गीय सुखड़ियाजी रहे हों, चाहे हरिदेवजी जोशी रहे हों। लेकिन आदिवासी इलाके के अन्दर ट्राइबल सब प्लान के अन्दर खुली शराब बिकने की कभी इजाजत किसी गवर्नमेंट ने नहीं दी।

सभापति महोदय, मैं यह आपके माध्यम से कहना चाहूंगा..

श्री सभापति : समाप्त करें प्लीज।

श्री जीतमल खांट : अगर राजस्थान के इस दक्षिणी राजस्थान का जो आदिवासियों के अन्दर हम लोग शराब की, महुवा की शराब तो हमारे सामाजिक रीति रिवाजों में कभी महीने दो महीने के अन्दर, कभी हमारे भाई लोग रस्म अदा करने के लिए इसका उपयोग किया करते थे। लेकिन इस बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सम्पूर्ण उदयपुर संभाग के अन्दर इस शराब की जो खुली बिक्री के बाद में इतनी लूट, हत्या, बलात्कार न जाने क्या-क्या इस क्षेत्र के अन्दर प्रवृत्तियां जन्म लेंगी।

श्री सभापति : समाप्त करें प्लीज।

श्री जीतमल खांट : और मैं कहना चाहूंगा कि आदिवासी के टापरे पर जो डांडे डाले हैं और थापड़ देखने को मिलती हैं, इस प्रदेश की यही नीति रही तो इस प्रदेश का गरीब आदिवासी के थापड़ के जो चार डांडे हैं वह भी नीचे गिर जाएंगे। इन आदिवासियों का सत्यानाश हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि हमारा पूरा का पूरा ट्राइबल सब प्लान इस नीति का घोर विरोध कर रहा है। आने वाले समय में राजस्थान की पारदर्शी सरकार और उत्तरदायी सरकार ने इस बिन्दु पर विचार नहीं किया तो पूरे के पूरे संभाग के अन्दर बहुत बड़ा जन आन्दोलन खड़ा होगा।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री जीतमल खांट : माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रतिपक्ष और माननीय सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे केन्द्र प्रवृर्तित और राज्य प्रवर्तित कितना ही बजट आप हमको दे देंगे,

(श्री जीतमल खांट)

हमारा विकास संभव नहीं है। इस स्थिति को अगर पक्ष और प्रतिपक्ष ने मिलकर, इस पर एक घंटे की बहस हो, और एक घंटे का आमने सामने उस पर विवाद नहीं छेड़ा और इस निर्णय पर नहीं पहुंचे..

श्री सभापति : समाप्त करें प्लीज।

श्री जीतमल खांट : तो इस प्रदेश का और हमारे इस गरीब आदिवासी का सत्यानाश हो जाएगा। और मैं चाहता हूं, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन के अन्दर दो घंटे की चर्चा हो, इस विषय पर आपकी ओर से व्यवस्था दीजिए वरना में इसी बात को लेकर धरने पर बैठूंगा।

श्री सभापति : श्री मदन राठौड़ । (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, इस पर आप सदन में गवर्नमेंट का स्टेटमेंट फिक्स कराइए। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : माननीय सभापति महोदय, अगर आपने अपनी व्यवस्था नहीं दी तो हम सदन के बीच में धरने पर बैठेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : आसन पैरों पर, बिराजिए। मैं खड़ा हूं, मैं बोल क्या रहा हूं? देखिए, विषय गंभीर है। आप भी स्वीकार कर रहे हैं, मै भी स्वीकार कर रहा हूं। गंभीर विषय को पर्ची के माध्यम से नहीं उठाया जाता है। इसलिए आप किसी दूसरे नोटिस से लाकर, माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आप, एक मिनट सुनिए, प्लीज लेट मी फिनिश। पर्ची के माध्यम से कोई डिबेट मै अलाऊ नहीं करूंगा आपको। पर्ची के माध्यम से आपने सूचना दी, आपको बोलने का अवसर प्रदान किया। मैंने आपको पांच मिनट का समय, माननीय अध्यक्ष महोदय, तय करके गई थीं, मैंने आपको 8 मिनट का समय दे दिया। उसके बावजूद अब इस पर डिबेट शुरू कर दें, सब पार्टियों के नेता बोलने लगें। I won't allow this because under 'parchi' system, no debate is imagined in the House. There is no such provision in the rules about 'parchi' system.

इसलिए पर्ची सिस्टम पर आप बोल चुके हैं। सदन अभी चलेगा और मांगे आएंगी, मांगों के मामले में आप और इस पर चर्चा कर सकते हैं, इसलिए पर्ची सिस्टम पर मैं डिबेट अलाऊ नहीं करूंगा । (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : यह आबकारी नीति लागू हो चुकी है। (व्यवधान)

श्री सभापति : Nothing will go on record. Nothing will go on record.

श्री जीतमल खांट : XXX

श्री सभापति : Nothing will go on record.

डा. सी.पी. जोशी : सभापति महोदय, आप डिबेट अलाऊ नहीं करें बिलकुल ठीक फरमाया आपने। लेकिन सरकार को यह तो निर्देश दे सकते हैं कि ट्राइबल सब प्लान में जहां गवर्नर काम्पीटेंट हैं इन नियम और कानून बनाने के सम्बन्ध में वहां यदि सरकार जैसी शराब की नीति बन रही है तो उसके सम्बन्ध में सरकार कोई बात कहे सदन में। यह तो सरकार को आप कह ही सकते हैं। कम से कम इस सम्बन्ध में तो आप सरकार को निर्देश दें। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है जिसमें ट्राइबल सब प्लान इलाके में आज दिन तक शराब की दुकानें नहीं खुलती हैं, वहां शराब की दुकानें खुलवाकर आदिवासियों के साथ जो चीज हो रही है उसके सम्बन्ध में सरकार अपनी बात कहे यह तो आप कह सकते हैं।

श्री सभापति : देखिए, I cannot...

माननीय सदस्य आप अच्छी तरह से जानते हैं, I can't compel the government under this 'parchi' system.

डा. सी.पी. जोशी : I do agree.

श्री सभापति : So you should come under some other rule. Then I will ask the government. Under 'parchi' system, I can't ask the governememt to respond.

श्री संयम लोढ़ा : XXX

डा. सी.पी. जोशी : मान्यवर, कल पर्ची के माध्यम से अध्यक्षजी ने निर्देश दिये मंत्रीजी को वक्तव्य देने के लिये आई.सी.डी.एस. के सम्बन्ध में।

श्री सभापति : Please listen to me.

आप बहुत अनुभवी सदस्य हैं।

डा. सी.पी. जोशी : एक सैकण्ड, आप सुनिए, कल माननीय अध्यक्ष जी ने आई.सी.डी.एस. के घोटाले के सम्बन्ध में सरकार को निर्देश दिये कि मंत्रीजी वक्तव्य देंगे। पर्ची पर प्रश्न उठा था। जब पर्ची पर प्रश्न उठा आई.सी.डी.एस. का फैसला आया, आज तो शराब नीति का इतना गंभीर प्रश्न है जिससे आदिवासियों की माली हालत का सवाल है। इस पर सरकार को हक है वक्तव्य को, आपको आदेश देना चाहिए, निर्देश देना चाहिए।

श्री सभापति : देखिए, माननीय सदस्य, आप बहुत अनुभवी सदस्य हैं I can't ask the government to respond. If suo motu the government responds, I can't say anything. But I can't ask the government, I can't press them.

और दूसरा, एक बार कोई व्यवस्था इस तरह की सदन में में आ गई तो exceptions are not rules. एक्सेप्शनली कभी कुछ ऐसा हो गया उसको आप रूल बनाना चाहें, उसको परिपाटी बनाना चाहें that I, being in the Chair, won't allow that.

डा. सी.पी. जोशी : Sir, it is not exception. We are not asking. It is not exception. It is not rules. We are only quoting what the Hon'ble Speaker has given the ruling.

श्री सभापति : I am sorry.

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्षजी की रूलिंग है, अध्यक्षजी ने कल रूलिंग दी है और आप कह रहे हो, We are not asking for any expetion.

श्री जीतमल खांट : XXX

श्री सभापति : I am sorry.

श्री जीतमल खांट : XXX

श्री सी.डी. देवल : XXX

श्री सभापति : I am sorry. Nothing will go on record.

मदनजी राठौड़। लीडर आफ अपोजीशन।

डा. बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, अभी माननीय सदस्यों ने जो चिंता जाहिर की है यह भारत सरकार के एक नोटिस के मामले में एक टेम्परेंस प्रोग्राम जो जारी हुआ था उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि आदिवासी इलाकों में कोई भी सरकार वहां पर ठेके पर दुकानें नहीं खोलेगी। इसमें भारत सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उनका उल्लंघन हो रहा है। और माननीय सदस्यों की चिंता बहुत सही है कि जहां भारत सरकार के दिशा निर्देशों की अवहेलना हो रही है, क्या सरकार उस पर पुनर्विचार करने का विचार रखती है। मुझे तो बड़ा अफसोस है कि यहां पर न तो वित्त मंत्रीजी हैं, न वित्त राज्य मंत्रीजी हैं। और सरकार की तरफ से इतने जिम्मेदार मंत्री भारत सरकार के कानून का जहां उल्लंघन हो रहा हो, दिशा निर्देशों का उल्लंघन हो रहा हो और अपनी बात नहीं कह रहे हैं। इसका मतलब हमारा आरोप है आपके ऊपर कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं और आदिवासी इलाकों में जानबूझकर शराब के ठेके खोलकर और वहां पर आदिवासियों में एक तरीके से उनसे शराब की ज्यादा दर वसूल कर रही है। और वहां पर टेम्परेंस प्रोग्राम का खुल्लमखुल्ला उल्लघंन कर रही है। और उल्लंघन नहीं कर रही है तो अपना स्पष्टीकरण दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : सभापति महोदय, वैसे तो माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां सदन में नहीं हैं, मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता से निवेदन करना चाहूंगा कि जो भावना माननीय सदस्य ने रखी है वो भावना हम माननीय मुख्य मंत्रीजी तक पहुंचा देंगे। और जैसी उन्होंने प्रार्थना की हैं आसन अगर चाहे तो किसी भी समय चर्चा करा सकते हैं, चर्चा के लिए तैयार हैं। किसी भी प्रकार से भारत सरकार के किसी भी आदेश का उल्लंघन करने का सवाल ही नहीं है। इसलिए भावनाएं माननीय मुख्य मंत्रीजी तक पहुंचा देंगे और अध्यक्षजी तक पहुंचा देंगे। आपको इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : वक्तव्य दिलवा दें आप क्योंकि इसमें भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन हुआ है। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : XXX

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह हाउस की प्रोपर्टी है। सभापति महोदय, यह विषय हाउस की प्रोपर्टी है। (व्यवधान) भारत सरकार के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। (व्यवधान)

श्री सभापति : मेरी तो सुनो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री जीतमल खांट : XXX

श्री सुरेश मीणा : XXX

श्री जीतमल खांट : XXX

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, जब एक बार कह दिया कि कुछ नियम हैं उनके अन्तर्गत व्यवस्थाएं होती हैं तो नियम के अन्तर्गत आइये। आसन से हमने कह ही दिया है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप लाइये प्रस्ताव।

डा. सी.पी. जोशी : XXX

श्री जीतमल खांट : XXX

श्री सी.डी. देवल : XXX

श्री सभापति : एक मिनट। देखिये, कल अध्यक्ष महोदय ने केवल परमीशन दी थी, कोई व्यवस्था नहीं है वह। एक मिनट सुनिये आप। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस रूल्स बुक में कहीं पर भी पर्ची सिस्टम नहीं है

फिर भी परिपाटी चालू कर दी कि पर्ची सिस्टम से आप बोल सकते हैं। लेकिन आप धीरे-धीरे पर्ची के माध्यम से वक्तव्य की डिमांड करने लगे। नो-नो। आप लाइये। प्रस्ताव लाइये। I won't allow this. This is against the rules. This is against the rules.

डा. सी.पी. जोशी : XXX

श्री सभापति : No. No. As long as I am here.

डा. सी.पी. जोशी : XXX

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री सभापति : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, as long as I am here, I won't allow anything against the rules. That's clear. No discussion. No discussion. आप प्रस्ताव लाइये। I will allow you.

श्री जीतमल खांट : XXX

श्री सुरेश मीणा : XXX

श्री सभापति : एक मिनट। मैं एक व्यवस्था देना चाहता हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, आप स्वयं पक्ष और विपक्ष दोनों में रहे हुए हैं, बहुत अनुभवी सभापति महोदय आप हैं। इस सदन में नियम. परम्पराएं, कांस्टीट्यूशन यह सभी हैं,। हाउस आफ कामंस तो पूरा का पूरा परम्पराओं से ही चलता है। और इस सदन में मैं ऐसी अनेक प्रोसीडिंग्स पढ़कर सुना सकता हूं जिसमें विपक्ष के लोगों ने पर्ची के दौरान जो इश्यू उठाये उसके ऊपर आसन ने निर्देश दिया कि आप इस पर वक्तव्य देना चाहें तो दें। और कई बार तो माननीय मंत्रीजी तत्काल उसका उत्तर देते हैं पर्ची के ऊपर। इसलिए सदन परम्पराओं के ऊपर भी चलता है और परम्परा कभी लिखी नहीं जाती हैं। माननीय सदस्य सदन का अनुभव रखने वाले हैं। वे इस बात को समझते हैं। इस सदन में अनेक बार माननीय सभापति महोदय ने,

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये हैं कि आप इसके ऊपर कोई वक्तव्य देना चाहें तो दें और वक्तव्य दिया है। मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार ने पूरा का पूरा टेम्परेंस प्रोग्राम का उल्लंघन किया है और आदिवासी इलाकों में पहली बार ठेके पर दुकानें दी गई हैं। आदिवासियों को जो देशी शराब 12 रुपये में मिलती थी वह 24 रुपये में मिलेगी और किसी भी प्रकार से यह नीति अनुचित है इसलिए इसके ऊपर राज्य सरकार का वक्तव्य आना चाहिए और आप दिशा निर्देश दें कि वो इसके ऊपर वक्तव्य दें।

श्री सभापति : आप विराजें प्लीज। (व्यवधान) एक मिनट सुन लीजिये। आप विराजें, मैं खड़ा हूं।

व्यवस्था

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दों पर शासकीय वक्तव्य की बाध्यता नहीं

श्री सभापति : एक मिनट विराजिये। विराज जाएं आप। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान, एक मिनट, आपने पर्ची के माध्यम से मामला उठाया है। पर्ची के माध्यम से जब यह व्यवस्था हुई थी कि यह पर्ची सिस्टम शुरू किया जाए उसके डायरेक्शंस हैं और इसके लिए बुलेटिन भी सभी माननीय सदस्यों को जारी किया था। 17 अप्रैल, 2001 का बुलेटिन है। शून्यकाल में पर्ची के माध्यम से उठाने वाले सब्जैक्ट्स को किस तरह से उठाया जाएगा, उनमें क्या व्यवस्था रहेगी इसके सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है जिसको मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं...

डा. सी.पी. जोशी : XXX

श्री सभापति : एक मिनट प्लीज। मैं बोल रहा हूं। आप बैठे-बैठ न बोलें प्लीज। माननीय सदस्य, आप पहले मेरी बात सुन लीजिये। मैं खड़ा हूं, मुझे नहीं सुन रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : XXX

श्री सभापति : आप बोल रहे थे, मैंने आपको ध्यान से सुना। अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था थी कि पांच मिनट से ज्यादा समय नहीं दें फिर भी 10-15 मिनट हो गये। मैंने प्रतिपक्ष के नेता महोदय की बात सुनी, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य की बात सुनी, आपकी बात भी सुन ली लेकिन आप उस पर बोले ही जाएंगे और मेरी बात, व्यवस्था नहीं सुनेंगे। इस प्रक्रिया से उठाये जाने वाले विषय कभी बहस का मुद्दा नहीं बनेंगे। नम्बर एक। ये जो उठायेंगे ये बहस का मुद्दा नहीं बनेंगे। नम्बर दो, यदि कोई बहुत महत्वपूर्ण मामला है और सरकार से कोई अपेक्षा की जाती है तो उसके लिए विधिवत प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर ही विषय उठाने की अनुमति दी जाएगी। आप विधिवत प्रस्ताव लाइये। तीसरा, इस प्रक्रिया से उठाये जाने वाले विषय के लिए राज्य सरकार से वक्तव्य दिलाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। माननीय सदस्य संक्षेप में अपनी बात कह सकेंगे। माननीय सदस्य, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि ऐसे मामले कोई गम्भीर किस्म के हों और सरकार रेस्पोंड करना चाहे सुओमोटो तो सरकार को अधिकार है कभी भी रेस्पोंड करने का। मैं सरकार को रोक नहीं सकता, न ही मैं सरकार को बाध्य कर सकता हूं कि इस पर आप वक्तव्य दें। ज्यों ही माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने और नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने इंटरवीन किया और आपने भी अपनी बात कही तो सरकार की तरफ से कहा गया कि इस पर बातचीत करके आपने जो बात कही है, माननीय मुख्य मंत्रीजी तक वे बात पहुंचायेंगे। यह बात कह दी गई। अब आप इस पर डिबेट कराना चाहते हैं या इस पर कोई और चर्चा करना चाहते हैं...(व्यवधान) एक मिनट सुनिये। वक्तव्य दिलाना चाहते हैं तो आप प्रस्ताव के माध्यम से आइये। अभी सदन चलेगा। प्रस्ताव के माध्यम से आइये, प्रस्ताव लाइये, कल ले आइये। उसके बाद उस पर व्यवस्था हो जाएगी और आप वक्तव्य लेना चाहते हैं तो उसके बाद सरकार से कहा जाएगा। अगर आप आयेंगे तो वक्तव्य भी दिला दिया जाएगा। ऐसी कौनसी बात है जो वक्तव्य नहीं आयेगा अगर आप प्रस्ताव के माध्यम से आयेंगे तो। इसलिए माननीय सदस्य इस पर अब कोई चर्चा नहीं करें। श्री मदन राठौड़।

डा. सी.पी जोशी : XXX

श्री सभापति : आप प्रस्ताव लाइये। आप ध्यानाक ्ण प्रस्ताव ले आइये। आप बहुत पुराने सदस्य हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाइये। दूसरे रूल्स में प्रोविजन हैं उनके तहत प्रस्ताव लाइये।

डा. सी.पी. जोशी : XXX

श्री सभापित : दूसरे बहुत सारे रूल्स हैं जिनके तहत आप प्रस्ताव लाइये। अलाऊ करेंगे। श्री मदन राठौड़। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : XXX

श्री सुरेश मीणा : XXX

श्री जीतमल खांट : XXX

श्री सभापति : आइये न आप। (व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा : XXX

श्री जीतमल खांट : XXX

डा. सी.पी. जोशी : XXX

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों का सदन वैल में धरना)

श्री सभापति : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, मैं सरकार को बाध्य नहीं कर सकता। सरकार ने अपना जवाब दे दिया। सरकार ने जवाब दे दिया, मैं बाध्य नहीं कर सकता। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : XXX

श्री सभापति : पर्ची सिस्टम में बाध्य नहीं कर सकता। (व्यवधान) मैं पर्ची सिस्टम पर सरकार को बाध्य नहीं कर सकता। आप सब जानते हैं। श्री मदन राठौड़।

डा. सी.पी. जोशी : XXX

(14.00 बजे)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

डा. सी.पी. जोशी : XXX

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना व नारेबाजी)

डा. सी.पी. जोशी : XXX

श्री सभापति : यस, जोगेश्वर जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

डा. सी.पी. जोशी : XXX

श्री सभापति : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, आप बहुत पुराने हैं। प्रक्रिया के नियम 48 में व्यवस्था... एक मिनट, सुन तो लो। प्रक्रिया के नियम 48 में व्यवस्था है कि अल्प सूचना प्रश्न दे सकते हैं। उसका उपयोग क्यों नहीं करते आप? वह पर्ची से ज्यादा असरकारक चीज है। प्रक्रिया के नियम 48 की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा हूं सदन का...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

डा. सी.पी. जोशी : XXX

श्री सभापति : पर्ची सिस्टम पर नहीं होती है डिबेट। (व्यवधान) पर्ची सिस्टम पर डिबेट नहीं होती है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री सभापति : आप लाइये ना। आप प्रस्ताव लाइये। आप स्थगन प्रस्ताव लाइये। स्थगन प्रस्ताव ला सकते हैं। पर्ची सिस्टम पर वक्तव्य नहीं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री सभापति : स्थगन प्रस्ताव लाइये फिर, आप स्थगन प्रस्ताव लाइये। ऐसा नहीं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री सभापति : Exceptions cannot be rules. Exceptions are not the rules. उन्होंने कह दी, हम पहुंचा देंगे बात।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री रामप्रताप कासनिया : XXX

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री सभापति : देखिये, एक मिनट, माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य, देखिये। There are two systems. या तो आप किसी प्रस्ताव के जरिये आइये या अभी बजट की डिमांडस चल रही हैं और बजट की डिमांडस के बाद में यदि इस सम्बन्ध में डिबेट... एक मिनट, सुनिये ना आप, पूरी बात मेरी सुनिये...(व्यवधान) यस यस, एक मिनट सुनिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री सभापति : मैं व्यवस्था दे रहा हूं प्लीज। मेरी व्यवस्था सुनिये। मेरी व्यवस्था सुनिये, प्लीज प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री सभापति : देखिये, दो तरीके हैं। माननीय सदस्य, डाइरेक्ट नहीं। आप डाइरेक्ट नहीं। माननीय सदस्य, डाइरेक्ट बात नहीं करिये। पहले मेरी व्यवस्था सुनिये। मेरी व्यवस्था सुन लीजिये। हां, जो दी होगी। पहले आप मेरी

(श्री सभापति)

बात सुन लीजिये। आप आसन की ओर देखिये। दो तरीके हैं। एक मिनट, एक मिनट। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री सभापति : एक मिनट, मेरी व्यवस्था सुन लीजिये प्लीज प्लीज, मेरी व्यवस्था सुन लीजिये। या तो आप कोई प्रस्ताव लाइये, मैं आपको... एक मिनट एक मिनट, अभी हम व्यवस्था देंगे आपको। देखिये, जो जानकारी आप चाहेंगे, हम सरकार से दिलायेंगे। लेकिन प्रस्ताव लाइये और प्रस्ताव नहीं तो आपको.... एक मिनट, आप सीधा क्यों बोल रहे हैं, मेरे से बात करिये। या तो आप प्रस्ताव लाइये और प्रस्ताव को भी आप नहीं लाना चाहते तो एप्रोप्रिएशन बिल के ऊपर चर्चा होगी विस्तार से, उसमें यह मामला उठायें और सरकार अपनी तरफ से वक्तव्य देगी इस पर। सरकार अपना वक्तव्य देगी। (व्यवधान) तो हो गया, वह रूल नहीं हो सकता। कल कोई बात हो गई, वह रूल नहीं हो सकती कोई बात। कल कोई बात हो गई तो आप उसको रूल बना लेंगे? कभी किसी पर परिमशन दे दी विशेष परिस्थितियों को देखते हुए तो वह रूल बन जाएगा उसका? यह क्या तरीका हुआ? नो नो। (व्यवधान) देखिये, अगर आप सीरियसली डिस्कशन चाहते हैं और सीरियसली वक्तव्य चाहते हैं तो आप प्रस्ताव लाइये कोई या एप्रोप्रिएशन बिल के ऊपर इस मामले को उठाइये और उसका जवाब मिलेगा सरकार की तरफ से। हम सरकार को बाध्य करेंगे। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री सभापति : ... कि सरकार इस पर जवाब दे। लेकिन ऐसा नहीं है कि पर्ची के माध्यम से आप मामला उठायें और आप वक्तव्य दें। ऐसा नहीं है। नो, नो, माननीय सदस्य। मैं कोई नई परम्परा...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री सभापति : श्री मदन राठौड़। श्री मदन राठौड़। ... (interruptions) ... I won't go beyond the rules. I will conduct the proceedings according to the rules.

(श्री सभापति)

आप बार-बार रूल्स को एब्यूज कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। नो नो नो। श्री मदन राठौड़।

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री सभापति : यह सदन भी जनता के लिए है, सदन इससे चलेगा, सदन कहने से नहीं चलेगा। नो नो, विराजें विराजें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री रामप्रताप कासनिया : XXX

श्री सभापति : This is wrong. No. No. Nothing will go on record.

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

तेज गति के वाहनों से बढ़ती दुर्घटनाएं

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इन दिनों राज्य में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और तेज गति से वाहनों का प्रचलन भी बढ़ा है। यद्यपि उन वाहनों में सुरक्षा बैल्ट भी लगे हैं परन्तु अजीब दृश्य देखने में आता है। माननीय सभापति महोदय..

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री सभापति : आप इसका वक्तव्य चाहते हैं तो प्रस्ताव लाइये। एप्रोप्रिंएशन बिल पर बोलिये। क्या पर्ची के माध्यम से रोज ही वक्तव्य रखते हैं? प्रस्ताव लाइये, करवायेंगे, प्रस्ताव लाइये। आप बिराजिये प्लीज प्लीज। आप जानते हैं कि पर्ची के माध्यम से वक्तव्य नहीं होता है।

श्री रामप्रताप कासनिया : XXX

श्री सभापति : आप जानते हैं अच्छी तरह से इसलिए आप बैठ जाइये प्लीज।

डा. बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर तो

सरकार को खुद आगे होकर पर्ची पर वक्तव्य देना चाहिए। सभापति महोदय, मुख्य मंत्री अनुपस्थित, वित्त मंत्री अनुपस्थित, राज्य मंत्री अनुपस्थित, सारे ही अनुपस्थित हैं। सदन को गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं..(व्यवधान) इनको सुओमोटो देना चाहिए।

श्री सभापति : प्लीज, हां तो मैं बाध्य नहीं कर सकता। बात कर लेंगे। बात कर लें प्लीज। (व्यवधान) गो टू योर सीट्स। चर्चा कर लेंगे। उस समय चर्चा होगी।

डा. बुलाकीदास कल्ला : हां तो यह आश्वस्त कर दें, आप यह कह दें कि कल वक्तव्य दिला देंगे।

श्री सभापति : क्या करना है, अपन चर्चा कर लेंगे। प्लीज, गो टू योर सीट्स। आज ही चर्चा कर लेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री सभापति : You please go to your seats. माननीय सदस्य, आप एक मिनट मेरे को सुन लें। (व्यवधान) वक्तव्य की बात कर लेंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला : हम इसके लिए स्थगन प्रस्ताव लाएंगे। चर्चा नहीं, कल आप वक्तव्य दिलायें।

श्री सभापति : चर्चा कर लेंगे। अभी आज चर्चा ही नहीं, बैठकर तय कर लेंगे, अभी तय कर लेंगे, आप बिराज जाइये। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सभापति महोदय, आप अध्यक्षजी के चैम्बर में जाइये, आपको बुला लेंगे, माननीया मुख्य मंत्रीजी भी हैं।

श्री सभापति : वही तो मैं कह रहा हूं, हां चर्चा कर लेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : किसी प्रकार से सरकार किसी विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है पर उसके लिए कोई तरीका, माध्यम होना चाहिए। कल

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बात माननीय अध्यक्ष महोदय ने कह दी थी उसका कोई, आज भी अध्यक्षजी अंदर हैं, सभापतिजी हैं, आप जाकर बात कर लें। मैं आग्रह करूंगा कि जीतमलजी, आप लोग बिराजें। शिक्षा पर भी आज बहस है लम्बी चौड़ी, रात भर अपन को बैठना है। मैं चाहूंगा कि इस विषय पर चर्चा हो, सरकार तैयार है। आप व्यवस्था बनायें।

श्री सभापति : अभी अपन कार्यवाही शुरू करें। अध्यक्षजी के चैम्बर में आप आ जाइये, चर्चा कर लेंगे अपन। अध्यक्षजी के चैम्बर में आ जाइये आप लोग, चर्चा कर लेंगे।

श्री रामप्रताप कासनिया : XXX

श्री सभापति : आप चैम्बर में आ जाइये, अपन चर्चा कर लेंगे (व्यवधान) गो टू योर सीट्स प्लीज। जीतमलजी, आप जाइये। अभी चर्चा कर लेंगे ना अपन, क्या करना है उस पर, अभी चर्चा कर लेंगे। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के कूप में धरना)

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में आकर जोर-जोर से बोलना जारी)

अभी बैठकर तय कर लेंगे न, वहां बैठ कर, अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में। सीट्स पर जायें।

श्री रामप्रताप कासनिया : XXX

श्री सभापति : जीतमलजी, नाथद्वारा से आने वाले सदस्य, प्लीज, अब आप लोग बिराजें, प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री सभापति : इन्होंने कहा है, आप आ जाइये, अभी चैम्बर में बैठकर चर्चा कर लेंगे, अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में, इसलिए बैठिये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री सभापति : चर्चा कर लेंगे। हर बात यहां पर प्रेस्टीज प्वाइंट बनाना जरूरी नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री सभापति : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री रामनारायण डूडी : XXX

श्री सभापति : अभी आप चर्चा (व्यवधान) एक मिनट, सुनें। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : XXX

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह आपने, देखिये..(व्यवधान) अब बैठे-बैठे नहीं, बैठे-बैठे नहीं। आप एक मिनट, मेरी व्यवस्था सुन लीजिये। मामला गंभीर है, यह मानते हैं आप भी, इस पर वक्तव्य भी आना चाहिए, यह भी आप मानते हैं। इसका तरीका यह है कि अभी चर्चा प्रारम्भ कर दें अपनी। आज एजुकेशन के मामले में चर्चा है। आप अपनी सीट्स पर बैठें। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप में से कुछ लोग अभी अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में जायें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री सभापति : इसमें कैसे डिस्कस करवायें, कैसे वक्तव्य दिलाया जाय, अपन बैठ कर तय कर लेंगे। उसके बाद भी अगर कोई प्रोब्लम बचती है तो उसके बाद चर्चा कर सकते हैं। इसलिए हर मामले में यहां वैल में आना

(श्री सभापति)

और फिर हाउस को स्टाप करना, मैं समझता हूं यह ठीक नहीं है, उचित नहीं है। यह उचित नहीं है कि हर मामले में अपन प्रेस्टीज प्वाइंट बना लें। सदन के वैल में आ जायें, प्रेस्टीज प्वांइट बना लें, यह ठीक नहीं है हमारे लिए। प्लीज, यह उचित नहीं है।

श्री रामप्रताप कासनिया : XXX

श्री सभापति : आपके लिए भी उचित नहीं है, सदन के लिए भी उचित नहीं है। इसलिए आप अपनी सीट्स पर जाइये। जब मैंने आपको यह कह दिया कि अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में अपन चर्चा कर लेंगे अभी, उसके बाद क्या बच जाता है? (व्यवधान) हां, तो चिंता है, इसलिए हमने बता दिया न कि चर्चा कर लेंगे। अभी वह चाहते हैं कि अभी बोलें, अभी करिये, अभी तो आप पर्ची के माध्यम से ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री सभापति : ऐसे नहीं हो सकता।

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री सभापति : बैठ कर बात कर लेंगे।

श्री रामप्रताप कासनिया : XXX

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री सभापति : बैठिये आप।

श्री रामप्रताप कासनिया : XXX (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री सभापति : आप चर्चा नहीं करना चाहते क्या? Please take your seats.

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : XXX

श्री सभापति : Please take your seats. देखिये, आपको जब बुलाकर बात कर रहे हैं, उसके बाद भी आप नहीं मान रहे हैं, आप हर बात पर प्रेस्टीज प्वाइंट बनाते हैं। आप हर बात को प्रेस्टीज प्वाइंट बनाते हैं, यह कोई तरीका हुआ क्या।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री रामनारायण डूडी : XXX

श्री सभापति : चर्चा करने को तैयार हैं, उसके बाद भी हर बात को प्रेस्टीज प्वाइंट बनाकर यहां वैल में इस तरह से कर रहे हैं....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री सभापति : आप बिराजें। आप अपने स्थान पर जाइये। (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी : XXX

श्री सभापति : माननीय प्रतिपक्ष के नेता, माननीय सचेतक महोदय, वह आपसे चैम्बर में बुलाकर बात कर रहे हैं, उसके बाद भी आप नहीं मान रहे हैं। उसके बाद भी नहीं मान रहे हैं।

श्री रामनारायण डूडी : XXX

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री सभापति : श्री मदन राठौड़ । (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी : XXX

श्री सभापति : आप चाहते हैं कि बिना चर्चा के शिक्षा विभाग की डिमाण्ड्स पास हो जाय। (व्यवधान) यह क्या तरीका हुआ, आप बैठिये न, चर्चा कर लेंगे अभी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री सभापति : चर्चा कर लेंगे उधर। चर्चा कर लेंगे। (व्यवधान) बोलिये।

श्री मदन राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री सभापति : चैम्बर में मिलिये आप।

श्री रामनारायण डूडी : XXX

श्री मदन राठौड़ : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता था कि इन दिनों सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं..

श्री सभापति : हर मामले पर प्रेस्टीज प्वाइंट बनाना ठीक नहीं है माननीय सदस्य।

श्री मदन राठौड़ : और तेज गति के वाहनों का प्रचलन भी बढ़ा है..

श्री सभापति : तो भी यह रूल नहीं बन सकता। आप रोज कहते हैं कि पर्ची पर वक्तव्य दिलायें। वह अध्यक्ष का काम है। (व्यवधान) यस।

श्री मदन राठौड़ : यह बात सही है कि वाहनों में सुरक्षा बैल्ट की व्यवस्था भी है लेकिन कई बार हास्यास्पद स्थिति देखने को मिली है..

श्री सभापति : अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में मीटिंग बुलाई है। इसीलिए अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में आपको बुलाया गया है, आप आ जाइये वहां। आप लोग आइये वहां।

श्री मदन राठौड़ : और वह यह है कि नेशनल हाईवे पर सौ, एक सौ बीस की स्पीड से जब वाहन चलते हैं..

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री सभापति : विपक्ष के नेता कौन हैं? (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : तब तो कोई बैल्ट लगाता नहीं। लेकिन ज्यों ही जयपुर शहर नजदीक आता है..

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : और जयपुर शहर के नजदीक आते ही ड्राइवर वह बैल्ट निकाल कर अपने कंधे पर वैल्ट लगाता है। सभापति महोदय, मैंने अपने ड्राइवर से पूछा कि यह क्या स्थिति है कि जब नेशनल हाइवे पर सौ, एक सौ बीस की स्पीड से चलो तब तो सुरक्षा बैल्ट की आवश्यकता रहती है तब तो बैल्ट लगाते नहीं हो...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री मदन राठौड़ : लेकिन जब शहर आता है और बैल्ट लगाते हो, ऐसी हास्यास्पद स्थिति क्यों है? तो ड्राइवर ने बताया कि शहर में पुलिस चालान कर देती है यदि बैल्ट नहीं लगाओ तो। लेकिन नेशनल हाइवे पर कोई पूछने वाला नहीं है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री मदन राठौड़ : हैलमेट की स्थिति और इससे भी ज्यादा हास्यास्पद है। दुपहिया वाहनों पर भी यात्रा करने वाले लोग..(व्यवधान)

श्री सभापति : चैम्बर में बात करें, चैम्बर में।

श्री मदन राठौड़ : नेशनल हाइवे पर जब उनकी स्पीड बहुत तेज होती है तब तो हेलमेट लगाते नहीं और वह पुलिस के भय से शहर में हैलमेट लगाते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री सभापति : चैम्बर में बात कर लें।

श्री मदन राठौड़ : शहर में जहां पन्द्रह, बीस किलोमीटर की स्पीड होती है वहां पर हैलमेट आवश्यक किया जा रहा है, पुलिस वहां पर चालान भर

(श्री मदन राठौड़)

रही है। लेकिन नेशनल हाइवे पर जहां सौ, एक सौ पचास की स्पीड होती है, सौ, एक सौ बीस की स्पीड होती है तो न तो कार का ड्राइवर बेल्ट लगाता है और न ही दुपहिया वाहनों पर कोई हेलमेट लगाता है। हैलमेट पर तो यह भी देखने का आया है कि...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री सभापति : आप प्लीज, बैठिये, प्रेस्टीज प्वाइंट नहीं बनायें..

श्री मदन राठौड़ : जहां शहर में हैलमेट अनिवार्य किया गया है और किसी नागरिक को यदि किसी शादी समारोह में जाना पड़े, कोई कार्यक्रम में जाना पड़े तो एक हाथ में तो हैलमेट होता है। और यदि कोई खाना खा रहा है तो वह प्लेट उस हैलमेट पर रखकर ही खाना खायेगा, यह स्थिति उसकी बनती है। (व्यवधान)

श्री सभापति : प्लीज बिराजें न। आप बिराजो न। आप बिराजिये। कोई बात है तो आप मुझे बताइये, आप बता दीजिये, आप सीट पर जाकर बताइये। सीट पर जाकर बतायें।

श्री मदन राठौड़ : और भी खतरनाक स्थिति तब बनती है जब वह बेचारा पन्द्रह-बीस किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, हैलमेट है और सिग्नल देखने के लिए ही वहां रूकता है और उधर कोई वाहन आ जाये। तो ऐसी स्थिति है। तो मैं सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि नेशनल हाइवे पर चैकिंग होनी चाहिए.:(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री सभापति : इसको बोलने दीजिये। जो सीट पर जाकर नहीं बोलेंगे, nothing will go on record. जो सीट पर जाकर नहीं बोलेंगे, nothing will go on record.

श्री मदन राठौड़ : नेशनल हाइवे पर बैल्ट लगाने की आवश्यकता होनी चाहिए और नेशनल हाइवे पर हैलमेट लगायें, यह पाबंदी होनी चाहिए। और शहर में बैल्ट कोई आवश्यक नहीं रखा जाय, शहर में हैलमेट की आवश्यकता भी नहीं रखी जानी चाहिए।

(सदन कूप में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

(श्री मदन राठौड़)

और शहर में हैलमेट से भी मुक्त किया जाना चाहिए। नेशनल हाइवे पर पाबंदी होनी चाहिए। सभापति महोदय, हमारे ब्यावर और सिरोही, इस मार्ग पर दो लेन रोड है..(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री सभापति : आप डिस्कस नहीं करना चाहते, आप लोग तो.. (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : जबकि यह फोर लेन रोड़ बननी चाहिए। सबसे ज्यादा जब वाहनों की गणना हुई तो इस मार्ग पर सर्वाधिक वाहनों का आवागमन होता है। लेकिन जब मेट्रो सिटीज से जोड़ने के लिए फोर लेन और सिक्स लेन रोड़ बनाई गई, दिल्ली से मुम्बई, मुम्बई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता और कोलकाता से दिल्ली। और ये जब सिक्स लाइन रोड़ बनी इसकी सर्वाधिक आवश्कयता थी। किशनगढ़ से लेकर अजमेर, ब्यावर... (व्यवधान).. पाली, सिरोही, सुमेरपुर और इस मार्ग को 4 लाइन रोड़ बनाया जाना चाहिए, यह मेरा आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से भी आग्रह है। जो नेशनल हाइवे है प्रधानमंत्री स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जिसके माध्यम से और पूर्व प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयजी ने जो सड़क मार्ग 4 लाइन और 6 लाइन रोड बनाने की घोषणा की थी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयीजी का जो चित्र लगा हुआ था...

श्री सभापति : वो मैं देख लूंगा, कार्यवाही में देख लूंगा। मैं कार्यवाही में देख लूंगा, ऐसी चीज होगी तो निकलवा दूंगा। मैं निकलवा दूंगा न...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ :... वो हटा दिया गया यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और वो चित्र लगाया जाना चाहिए वो नहीं हटाया जाना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, यदि इस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयीजी का चित्र वहां से हटाया जा सकता है तो इंदिरा गांधी नहरु और उनके नाम से और भी जो कई योजनाएं हैं वहां से भी उनका नाम हटाया जाना चाहिए। यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा।

(श्री मदन राठौड़)

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि नेशनल हाइवे पर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं इनसे बचाव के लिए चल चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवायी जानी चाहिए। और वो मेरे सुमेरपुर को केन्द्र बनाया जाना चाहिए जो नेशनल हाइवे नंबर 14 पर स्थित है। और वहां पर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं। दुर्घटना पर तत्काल सहायता उपलब्ध करवाने के लिए चल चिकित्सा सहायता उपलब्ध करायी जाए। वहां पर डाक्टर्स लगाये जाएं, वहां पर एंबुलेंस लगायी जाए। और इस प्रकार के वाहन कि वाहनों में ही उपचार किया जा सके, न केवल प्राथमिक चिकित्सा अपितु आपरेशंस भी किये जा सके। इस प्रकार की चल चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाने के लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं।...(व्यवधान)...

श्री सभापति : प्लीज, अपनी सीट पर जाइये। अपनी सीटों पर जाइये। अपनी सीटों पर जाकर बैठें।

श्री मदन राठौड़ : ये इनकी जगह नहीं है। माननीय सभापति महोदय, ये अपनी जगह से नहीं बोल रहे हैं। ये वैल में बैठे-बैठे बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

डा. बुलाकीदास कल्ला : XXX

श्री मदन राठौड़ .... (व्यवधान).. माननीय नेता प्रतिपक्ष गंभीर नहीं हैं। ..(व्यवधान) माननीय नेता प्रतिपक्ष को नियमों का ध्यान रखना चाहिए था। ये नियमों का ध्यान नहीं रखते। ये जब गंभीर नहीं हैं तो सदन भी इनके प्रति गम्भीरता नहीं लेता। हम लोग इनसे सीखने की क्या उपेक्षा रखें, ये खुद ही अनुशासनहीन हैं..(व्यवधान)...

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही आधा घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.24 बजे आधा घंटे के लिए स्थगित हुई।)

(पुनः समवेत होने पर)

(14.54 बजे)

(डा. एन.एस. गुर्जर, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्दर सदन की बैठक 15 मिनट के लिये स्थगित हुई)

(पुनः समवेत होने पर)

(15.10 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : युनूस खान, परिवहन मंत्री अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे, इससे पहले मैं एक निवेदन करना चाहूंगी कि भविष्य के अंदर, नियमों में नहीं है फिर भी एक परम्परा है, पिछले 8-10 साल से जो चली आ रही है, इसमें ऐसी कोई महत्वपूर्ण घटनाएं भी नहीं होती हैं कि जिनके ऊपर जवाब दिया जाए। फिर भी चूंकि परम्परा चल पड़ी है, परम्परा बन गई है इसलिए सभी सदस्य, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के, दोनों ही पक्ष जब तक इस मामले में सहमत नहीं होंगे जब तक इसे बन्द भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन भविष्य के अन्दर कोई भी माननीय सदस्य यह आग्रह नहीं करेंगे कि उसका जवाब दिया जाए। इस मामले में, जो अभी उठा था और जिस मामले में प्रतिपक्ष उत्तेजित हुआ उस मामले में बातचीत हो गई है। प्रतिपक्ष के नेता भी व और सदस्य भी जिन्होंने यह प्रश्न उठाया था, सदन के नेता से उनकी बात हो गई है। सदन के नेता उन्हें इस बारे में बातचीत करने के बाद संतुष्ट करेंगे।

अब युनूस खान, परिवहन मंत्री अधिसूचनाएं रखेंगे।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

परिवहन विभाग

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी

(श्री युनूस खान)

अनुमति से कार्य सूची में तय उल्लेख के अनुसार परिवहन विभाग की सात अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

1. अधिसूचना संख्या-1एफ6(138)परि/कर/मु./2003 दिनांक 14.2.2005 जिसके द्वारा श्री परमात्मा चंद भंडारी चेरिटेबल ट्रस्ट, जोधपुर की एक (24 सीटर) बस पर देय कर का सशर्त परिहार किया गया है।

2. अधिसूचना संख्या-एफ7(3)परि/नियम/मु.95दिनांक 15.2.2005 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 में संशोधन किया गया है।

3. अधिसूचना संख्या एफ6(96)परि/कर/मु.2002(5) दिनांक 3.3.2005 जिसके द्वारा पंथ रत्न ज्ञानी संत सिंहजी मस्कीन के भोग में सम्मिलित होने हेतु कतिपय वाहनों को दिनांक 3.3.2005 को राज्य में प्रयोग के समय एक दिवसीय देय कर का परिहार किया गया है।

4. अधिसूचना संख्या-एफ6(89)परि/कर/चुनाव कार्य/98 दिनांक 9.3.2005 जिसके द्वारा वर्ष 2004 व 2005 में सम्पन्न लोकसभा, नगरपालिकाओं, पंचायती राज संस्थाओं एवं विधान सभा के उप चुनावों में चुनाव कार्यों के लिए अधिग्रहित गये वाहनों को समानुपातिक आधार विशेष पथकर से मुक्त किया गया है।

5. अधिसूचना संख्या-एफ/229/परि/कर/एम्बुलेंस/97 दिनांक 9.3.2005 जिसके द्वारा भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान केन्द्र, जयपुर की मिनी बस पर दिनांक 9.3.2005 से देय कर को सशर्त मुक्त किया गया है।

6. अधिसूचना संख्या-एफ6(96)परि/कर/मु./सा.संस्था/2004 दिनांक 10.3.2005 जिसके द्वारा दिशा संस्थान की मिनी बस को सशर्त कर मुक्त किया गया है।

(श्री युनूस खान)

7. अधिसूचना संख्या–एफ(96)परि/कर/मु./111/2001दिनांक 18.3.2005 जिसके द्वारा समस्त ड्राईविंग स्कूल के नाम पंजीकृत गैर परिवहन यान जिनका उपयोग परिवहन यान के रूप में मोटर यान चलाने में अनुदेश देने के लिए किया गया है, को देय मोटर वाहन कर तथा विशेष पथ कर जो दिनांक 31.3.2005 तक संदाय हेतु शोध्य हो गया हो से छूट प्रदान की गई है।

समिति का प्रतिवेदन

राजस्थान स्व-वित्तपोषित प्राइवेट विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान स्व-वित्तपोषित प्राइवेट विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल सैनी।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 को पुर: स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर: स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री

श्री प्रभुलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करता हूं।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 24 - शिक्षा कला एवं संस्कृति की प्रस्तुति

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्री श्री घनश्याम तिवाड़ी। अनुदान की मांग संख्या- 24 ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 24- शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 47 अरब, 55 करोड़, 45 लाख, 16 हजार तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए। 47 अरब है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

मांग संख्या 47- पर्यटन की प्रस्तुति

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उषा पूनिया।

श्रीमती उ ा पूनिया (पर्यटन राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या 47- पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को रुपये 27 करोड़, 49 लाख, 49 हजार तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, माइकों में करंट आ रहा है। पहले भी कई बार निवेदन कर दिया, इन माइकों में करंट आ रहा है। (व्यवधान)

(कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें।)

मांग संख्या 24 एवं 47 पर विचार

श्री अध्यक्ष : श्री बत्तीलाल।

श्री जुबेर खान : ऊर्जा मंत्रीजी और पर्यटन मंत्रीजी मुझे कह रहे हैं कि आपके अन्दर करंट आ रहा है।

श्री रामप्रताप कासनिया : इसलिए बार-बार वैल में जा रहे हो।

श्री बतीलाल (टोडाभीम) : शिक्षा प्रणाली अपना अनूठा स्थान रखती है। हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसने, हमारे यहां जगत गुरूओं को जन्म दिया है। (व्यवधान) विश्व गुरूओं की जन्म भूमि रही है।

मान्यवर, हमारे यहां हमारे महापुरुषों ने 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, गीता, श्रीमदभागवत और रामायण की जो रचना की वह विश्व में किसी भी साहित्य के अन्दर इस तरह का महान ग्रन्थ देखने को नहीं मिलता है।

इसी प्रणाली के अन्दर इस परम्परा को आगे बढ़ाते हुए हमारे माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने 15 महीने के अल्पकाल में शिक्षा के गिरते हुए स्तर को आगे बढ़ाकर जो क्रांतिकारी परिवर्तन किया है, वह वास्तव में आने वाले समय में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।

मान्यवर, पिछली पूर्ववर्ती सरकार ने पांच साल में शिक्षा का स्तर इतना गिरा दिया था कि शिक्षा और धर्म इसका कहीं भी राजनीतिकरण नहीं होता है। जो मनुष्य को सही रूप में वास्तव में मनुष्य बनाता है।

अपने आकाओं को, अपने नेताओं को राजी करने के लिए इस तरह पाठशालाएं खोल दी गई जिनमें अनपढ़ टीचर, पांचवीं पास या नोन मेट्रिक लोग शिक्षा दे रहे हैं। न कोई भवन की व्यवस्था है। भवन है तो विद्यार्थी नहीं विद्यार्थी है तो भवन नहीं है, भवन है तो शिक्षक नहीं है। इस तरह की यह जो परम्पराएं थी। और जिनका नाम अपने आकाओं के नाम पर रख दिया गया था वह एक स्लो पाइजन ग्रामीण जनता को दिया जा रहा था कि ग्रामीण जनता का स्तर इस तरह का गिर जाए कि बड़े लोगों की तुलना में छोटे लोगों के बच्चे आगे नहीं बढ़ सके। सोची समझी चाल रही है 50 साल के अन्दर, कि गरीब-गरीब होता चला जाए और अमीर-अमीर होता चला जाए। यह शिक्षा ही है जो वास्तव में मनुष्य को मनुष्य बनाती है। और छोटे बड़े का राष्ट्र में विश्व में भेद है वह शिक्षा के आधार पर ही है।

(श्री बत्तीलाल)

हमारे माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने उस महान, काले अध्याय को समाप्त किया। राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं थी उनको प्राइमरी स्कूलों का दर्जा देकर उस अध्याय को समाप्त किया।

इस तरह का एक नया युग प्रारम्भ किया जो आने वाले युग में वास्तव में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। पहले एक कुंठा पैदा हो गई थी कि शिक्षा को लोग क्यों ग्रहण करें, जब नौकरियों में प्रतिबन्ध है तो शिक्षा किसलिए की जाए। पांच साल के अन्दर एक भी शिक्षक की भर्ती न करना, हमारे विद्यार्थियों को क्रांति की ओर ले जा रहा था। कुंठाई भावना पैदा कर रहा था वह आज 38,000 शिक्षकों की भर्ती चालू करके पिछले बजट में एक बहुत बड़ा क्रान्तिकारी काम रखा गया जो वास्तव में 50 साल के अन्दर इस तरह का मामला कहीं देखने को नहीं मिलता है।

मान्यवर, 15 महीने के अल्पकालिक समय में पिछले बजट में जो 2004-05 का बजट पेश किया गया उसमें करीब 28035 राजीव गांधी पाठशालाओं को प्राइमरी का दर्जा दिया गया। 2445 मिडिल स्कूल खोले गये, 400 सैकण्डरी स्कूल खोले गये और 200 सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोले गये। लक्ष्य 200 का था लेकिन 206 खोले गये सीनियर सैकण्डरी। लक्ष्य 400 का था सैकण्डरी, लेकिन उनमें 6 और बढ़ाये गये। शत प्रतिशत यदि कहीं लक्ष्य प्राप्ति एजुकेशन के अन्दर की गयी तो उसका श्रेय हमारे माननीय शिक्षा मंत्रीजी को जाता है। लक्ष्य तो हर-एक सरकार बहुत बड़े आगे रख लेती है लेकिन उनकी कहीं क्रियान्विति नहीं होती है। यह करनी और कथनी कहीं समान मिलती है तो हमारे शिक्षा मंत्रीजी के इन कार्यों में मिलती है। हमें इस बात का गर्व है कि जब हिन्दुस्तान के शिक्षा मंत्रियों की मीटिंग हुई तो हमारे शिक्षा मंत्रीजी को अध्यक्ष का दर्जा दिया गया। वहां अंग्रेजी पत्रकारों ने लिखा, पेपरों में प्रकाशित हुआ कि He is the wisest among them. इन लोगों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं। तो हमको इस बात का गर्व है कि हमारे शिक्षा मंत्री हिन्दुस्तान के शिक्षा मंत्रियों में विद्वान होने का खिताब लेकर आये हैं। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, मैंने जैसा अखबारों में पढ़ा, वैसा मैं आपको सुना रहा हूं। कोई मेरी तो बात है नहीं इसमें।

श्री रामप्रताप कासनिया : अगर इंग्लिश नहीं आती है तो मेरी तरह सीधा बोला करो ना।

श्री बत्तीलाल : इंग्लिश आती है या नहीं आती है, यह तो सारी बातों को छोड़ो। परन्तु मैं तो यह कहूंगा कि हमारे शिक्षा मंत्री को, राजस्थान के शिक्षा मंत्री को सबसे ज्यादा बुद्धिमान का खिताब मिला और वह वास्तव में खुद की बढ़ाई खुद करें तो वह कोई मानी हुई चीज भी नहीं है। विपक्ष भी यदि सर्टिफिकेट दे, विरोधी भी उसकी प्रशंसा करें वहीं चीज मानने लायक है। हमने पहले भी बजट देखे हैं कि एक साल तो बहुत हाई बजट रख देते हैं और दूसरे टाइम पर उसको बिलकुल लोअर कर देते हैं। हमारी प्रगति जो शिक्षा की है वह निरन्तर विकास की ओर रही है। गये साल हमारे 3 कालेज रखे गये। इस साल 20 आई.टी.आई. 5 पोलीटेक्निक कालेज रखे गये। गये साल हमारा लक्ष्य 400 का था सैकण्डरी का, अबके उसको बढ़ाकर 500 कर दिया। गये साल लक्ष्य था 200 सीनियर सैकण्डरी स्कूल का, अबके उसको ढाई सौ कर दिया। तो यह जो निरन्तर वृद्धि हो रही है, यह किस बात की द्योतक है कि हमारी सरकार की गम्भीरता शिक्षा के प्रति कितनी है।

शिक्षा ही एक ऐसी चीज है कि जो मनुष्य को वास्तव में देश की प्रगति के पथ पर ले जा रही है। मैं सदन के माध्यम से हमारे शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप जिस तरह से शिक्षा को रोजगारन्मुखी बना रहे हैं, पहले हालत यह थी, भवन उपलब्ध कहीं नहीं थे, आपने भवन दिये। बहुत ज्यादा स्कूल खोले। उससे पहले भवन की व्यवस्था की। प्राइमरी के लिये 3 लाख और मिडिल के लिये साढ़े चार लाख का आपने प्रावधान किया। आपने 38 हजार मास्टर भर्ती किये जिनकी प्रक्रिया चालू है। आपने 700 कुछ व्याख्याता नियुक्त किये। आने वाले समय में आपने जो 7200 का लक्ष्य रखा है टीचरों की भर्ती का, वह वास्तव में इस बात का द्योतक है कि कहीं भी आप बजट को, किसी भी वर्ष का उठा कर देखें किसी भी बजट के अन्दर इतनी भर्ती 50 साल में तो हमको कहीं देखने को नहीं मिलती है। यह शिक्षा का उत्थान या शिक्षा के प्रति गम्भीरता नहीं है तो और क्या है।

मान्यवर, हमारी शिक्षा का जो मूल आधार है, जो शिक्षा प्रणाली है, उसमें सबसे बड़ी बात है जो नैतिकता का आधार है। यह जरूर है कि हमारी

(श्री बत्तीलाल)

संस्कृति को हजारों साल इस तरह के झंझावतों से होकर गुजरना पड़ा। विदेशियों का आक्रमण, देश के ऊपर हर तरह की संस्कृतियों का अटैक। इसको मिटाने की हमेशा कोशिश की गयी। लेकिन यह गंगा और जमुना की तरह विभिन्न बाधाओं को पार करते हुए अपनी मंजिल की ओर जाती रही। इसकी जो विशेषता है, समन्वयशीलता, उसके आधार पर हम निरन्तर आगे बढ़ते रहे। यह जो आज पतन हो रहा है, हर तरफ देखने को मिल रहा है। कहीं किस तरह के कैसेज हो रहे हैं, कहीं क्या बात हो रही है। वह यह है कि जो विभिन्न संस्कृतियों और बाहरी संस्कृतियों के जो अटैक हमारी संस्कृति पर हो रहे हैं हमने नैतिकता के ऊपर जोर देना कम कर दिया है। हमारी शिक्षा का हमारे पूर्वजों ने जो आधार रखा था कि शिक्षा 4 चीजों को देने वाली होनी चाहिए। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, हम केवल अर्थ के लियें विद्या ही सीख सके। जब उसमें से नैतिकता हट गयी तो सारे अनाचार हमारे सामने आ गये। आज लोग अपने कर्तव्यों से इसलिये विमुख हो गये कि नैतिकता जाती रही। आजकल की शिक्षा क्या पढ़ाती है कि दूसरे का पैसा हमारी जेब में कैसे आये। यही हमारी शिक्षा का उद्देश्य रह गया है। क्योंकि नैतिकता पर हमने बल देना कम कर दिया है। आज चौतरफा देखिये, एक चपरासी हो तो रिश्वत ले रहा है, कलक्टर हो तो रिश्वत ले रहा है। यहां तक होने जा रहा है कि प्रधान मंत्री पर भी बोफोर्स काण्ड में आरोप लग गये। यह क्या है। यह इसलिये है कि हमने भगवान से कम डरना शुरू कर दिया है। केवल कानून के आधार पर जो हमारे पूर्वजों ने सिखाया है कि सबसे बड़ा कानून सरकार है, गवर्नमेंट है, वह तो हमारे हृदय के अन्दर भगवान देख रहा है. कौन देखता है। उसके अन्दर कण्ट्रोल होना चाहिए, इन सब चीजों का।

श्री महावीर प्रसाद जैन : डाक्टर साहब को खतरा पैदा हो रहा है।

श्री बत्तीलाल : हमको जो हमारी शिक्षा प्रणाली के अन्दर देना है, हमारी मूल भावना को नहीं भूलना है। हमारी जो शिक्षा है, आप तो बहुत विद्वान हैं, आप सब जानते हैं कि हमारी अन्तर-आत्मा की नैतिकता है उसमें हमको विद्यार्थियों पर सबसे ज्यादा जोर देना है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, सदन का।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री बत्तीलाल : माननीय अध्यक्षजी, एक ही मिनट में, हमारे जो शिक्षा मंत्रीजी की नीति है उसमें एक ही मिनट में बताना चाहूंगा कि हमारे शिक्षा मंत्रीजी जो भी चाहते हैं, एक मिनट में करूंगा केवल।

श्री अध्यक्ष : नहीं एक मिनट में। (व्यवधान) मैं कुछ कहना चाह रही हूं। एक मिनट में आप अपनी बात समाप्त कर दें। अब 62 माननीय सदस्य तो दोनों पार्टियों के और इसके अलावा और पार्टियों के भी 5 सदस्यों के नाम आये हैं, 70 आदमी बोलने वाले हैं। 70 आदमियों को यदि 5-5 मिनट भी दूंगी तो कितना समय होगा, ज्यादा समय लग जाएगा। इसलिये मैं सात मिनट से अधिक किसी को समय नहीं दूंगी। (व्यवधान) अब आप कुछ बोलें, आपने बोलना शुरू किया था 3.18 पर। अब आप एक मिनट में बात समाप्त करिये।

श्री बत्तीलाल : एक मिनट में मेरी बात, माननीय शिक्षा मंत्रीजी जो चाहते हैं कि हमारी शिक्षा इस तरह की हो, हम इस तरह के विद्यार्थी पैदा करना चाहते हैं जिनके चेहरे पर मुस्कान हो, जिनके चेहरे पर आभा हो, जिनके जीवन में स्वालम्बन हो, जिनका शारीरिक बल हो, जिनके मन में प्रच्छन्न इच्छा-शक्ति हो और जिनके हृदय के अन्दर महाराणा प्रताप, शिवजी और भक्त प्रहलाद, धुव्र की अमर गाथा हो। ऐसे विद्यार्थी हमारे शिक्षा मंत्रीजी पैदा करना चाहते हैं और यही हमारी शिक्षा नीति का मूल आधार है।

आपने सब कुछ किया, हमको सब कुछ दिया। मेरे क्षेत्र में इतना दिया, आपने स्कूल खोले कि मैं धन्यवाद भी नहीं दे सकता हूं, इतना समय भी नहीं है मेरे पास। लेकिन एक कालेज और खोल दें टोडाभीम में। क्योंकि पूर्वी राजस्थान में एक ही नगरपालिका ऐसी है जहां पर कालेज नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह पक्षपात जो पिछली सरकार ने हमारे साथ किया है कि आप सर्वे करवाकर देख लें कि जयपुर के अन्दर टोडाभीम, और नांदौती के सबसे ज्यादा लड़के यहां पर पढ़ते हैं। हमारा क्षेत्र बिलकुल हाइ एजुकेटेड क्षेत्र है और उन लड़कों को यहां गरीब लोगों को पढ़ना बड़ा दुष्वार होता है। न तो उनको यहां कमरे मिलते हैं, न उनको और कोई सुविधा है। मैं टोडाभीम में आपसे एक कालेज की मांग करता हूं। क्योंकि बड़ा कालेज कहीं भी हो, जयपुर, जोधपुर है, अजमेर है, सर्वे करवा लें हमारे ही लड़के सबसे

(श्री बत्तीलाल)

ज्यादा हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा टोडाभीम में एक कालेज खोल दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपने मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रकाश चौधरी, अनुपस्थित।

श्री गंगाराम चौधरी, अनुपस्थित।

श्री केसर देव बाबर।

श्री केसर देव बाबर : अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे को बोलने की इजाजत दी, इसके लिये धन्यवाद। मैं मांग संख्या 24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति और मांग संख्या 47 पर्यटन पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। शिक्षा के बारे में, जैसा कि सदन में चर्चा होती रहती है, आदरणीय शिक्षा मंत्रीजी, हमारे सीकर जिले के रहने वाले हैं और जो शिक्षा के मामले में भी हमारे प्रदेश को पहली बार शिक्षा में हर वर्ग को साथ लेकर और प्रदेश में जो अग्रणी पहल की है उसके लिये धन्यवाद। शिक्षा क्षेत्र में महत्वूपर्ण निर्णय, राज्य सरकार ने शैक्षणिक विकास के साथ ही 3200 करोड़ रुपये के निवेश एवं बचत को सुनिश्चित किया। निजी क्षेत्र में बी.एड. कालेज खोलने, निजी महाविद्यालय तकनीकी संस्थाओं आदि की स्थापना से 160 करोड़ का निवेश किया जा सका। और निःशुल्क पुस्तक वितरण, एस.एम.एस. मास्टर प्लान, प्राथमिक शिक्षा, सतत शिक्षा आदि के अन्तर्गत 1140 करोड़ रुपये का खर्च भी पहली बार हुआ। जिस सामाजिक मूल्यांकन के अन्तर्गत यह भी पाया गया कि लगभग 1[illegible] लाख विद्यार्थियों को यहां इन निर्णयों से सीधा लाभ हुआ वही 28 हजार लोगों को शिक्षकों के रूप में निजी क्षेत्र में रोजगार भी मिलेगा। प्रदेश में पहली बार तकनीकि शिक्षा के विकास एवं बेहतर प्रबन्धन के लिए पृथक से तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया, यह भी एक सराहनीय कार्य है। व[illegible] 2004-05 में पांच निजी अभियांत्रिकि [illegible]विद्यालय प्रारम्भ किये गये, इनमें प्रवेश [illegible]विधा में 3330 स्थानों की [illegible] हुई [illegible] बेरोजगारों के लिए [illegible]त्यन्त खुशी की बात है। मेडिकल तक[illegible] बी फार्मेसी में 490 सीटें, [illegible]न.जा.ओ [illegible] में 1110 सीटों में प्र[illegible]श में वृद्धि, [illegible] में कुल 7220 प्रवेश स्थानों की वृद्धि की गयी जो [illegible] तक किसी [illegible] एक वर्ष में अर्जित उच्चतम,

(श्री केसर देव बाबर)

उपलब्धि है। दिसम्बर, 2003 तक कुल प्रवेश 3546 थे जो बढ़कर 37769 हो गये। इसी प्रकार तकनीकी पाठ्यक्रमों में सम्मिलित प्रवेश कार्यक्रमों में एक वर्ष में लगभग 24 परसेंट की रिकार्ड बढ़ोत्तरी हुई।

अब मैं कुछ मेरे सीकर जिले एवं मेरे विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में जो समस्याएं है उनके बारे में मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा। इससे पहले बात तो और बहुत कहेंगे, मैं एक छोटा-सा श्लोक लेकर आया हूं क्योंकि मंत्री महोदय..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष : क्या लेकर आये हैं?

श्री केसरदेव बाबर : श्लोक-शायरी। मैं कुछ कम पढ़ा लिखा हूं इसलिए जो भी मैं बोलूं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्लोक।

श्री केसर देव : यह है-

"हर दौर के मल्लाह याद करेंगे,

साहिल पर ऐसे निशां छोड़ जाऊंगा।"

ऐसे हमारे मंत्री महोदय हैं।

डा. सी.पी. जोशी : बहुत अच्छा है, साहिल पर छोड़ जाएंगे, देश पर नहीं छोड़ जाएंगे।

डा. चन्द्रशेखर बैद : एक छोटा-सा निवेदन है। आप शिक्षा मंत्रीजी की इतनी तारीफ कर रहे हैं, उनको मुख्य मंत्री ही क्यों नहीं बना देते?

श्री हरिमोहन शर्मा : उसी ओर बढ़ रहे हैं कदम।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : शिक्षा मंत्री बने रहने दो, मेरी और आपकी लड़ाई थोड़े ही है।

श्री बृजकिशोर शर्मा : मुख्य मंत्री बनकर शिक्षा विभाग आपके पास रख लेना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : शिक्षा मंत्री ही बने रहने दो, कोई दुश्मनी नहीं है आपकी-हमारी।

श्री अध्यक्ष : अब श्लोक तो सुना दिया, अब क्या सुनाएंगे आप?

श्री केसर देव बाबर : अब हमारे सीकर जिला मुख्यालय पर श्री कल्याण कालेज स्थित है इसमें जो बच्चों का, छात्रों का जो दबाव है वह बहुत ज्यादा है। यहां पर कामर्स, आर्टस, साइंस सभी विषय चलते हैं। मंत्री महोदय से मांग कर रहा हूं कि तोदी जो नगर है, तोदी नगर सीकर में वहां पर जगह है, म्यूनिसिपैलिटी के पास भी और वहां पर कामर्स या आर्टस का एक विषय अलग से खोला जाए ताकि बच्चों को अध्ययन में बाधा आ रही है, वह बाधा नहीं आये। लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र में मंत्री महोदय ने जो शिक्षा का नया आयाम दिया, उसके लिए धन्यवाद। हमारे करीब 20 नये स्कूल खोले गये, 15 पी.एस. से यू.पी.एस. किये गये, दो स्कूल उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किये गये और एक उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाया गया। लक्ष्मणगढ़ विधान सभा का जो क्षेत्र है वह भौगोलिक दृष्टि से बहुत लम्बा-चौडा है और शिक्षा के मामले में आज तक पीछे रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री घनश्यामजी बने तब हमारे को कुछ मिला है। थोड़ा और हमारा ध्यान रखा जाए। लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र एक सम्पूर्ण उप खण्ड, एक विधान सभा क्षेत्र है, इसमें साइंस फैकल्टी का एक भी विषय हमारे किसी भी उच्च माध्यमिक विद्यालय में नहीं है। लक्ष्मणगढ़ शहर की आबादी 60 हजार के करीब है, उसमें साइंस फैकल्टी का विषय नहीं है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि कम से कम एक शहर में जो हमारा सीनियर स्कूल है वहां उसमें साइंस फैकल्टी का विषय खोला जाए ताकि वहां छात्रों को लाभ मिले। गांव बाटड़ानाऊ में जब माध्यमिक स्तर का स्कूल था तो वहां साइंस फैकल्टी थी। परन्तु जब उच्च माध्यमिक स्तर का दर्जा उसको दिया गया तो वहां से साइंस फैकल्टी को हटा लिया गया। वहां पर प्रयोगशाला भी बनी हुई है और साइंस में जो उपकरण काम आते हैं वह भी वहां पर हैं। इसलिए ग्राम वाटड़ानाऊ में भी साइंस फैकल्टी खोली जाए, जो कि वहां का लास्ट छोर का एक गांव है और जहां पर चूरू जिला और नागौर जिला की सीमा लगती है। इसलिए वहां जो बेकवर्ड के छात्र हैं, उनको भी लाभ मिले।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री केसर देव बाबर : आपने मेरे को बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आज्ञा पालक हैं।

श्री अध्यक्ष : हां, आज्ञा पालक हैं।

श्री बृजकिशोर शर्मा : फैसला तो आपको करना है कि गुरू कौन है?

श्री रामप्रताप कासनिया : यहां तो ज्यादातर गुरू ही लगे मुझे, चेला तो कोई-कोई ही नजर आ रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा और पर्यटन की मांग पर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य ने माननीय शिक्षा मंत्रीजी के प्रशस्ति-गान में जो बातें कही हैं, मैं भी उसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य ने? बत्तीलालजी ने।

श्री संयम लोढ़ा : जी। इस बात में कोई संदेह नहीं है और मैं स्वीकार करता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी एक बेहतरीन और प्रभावशाली वक्ता हैं। और इसी सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि जब यह सरकार बनी और इस 12वीं विधान सभा का पहला सत्र हुआ तो माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने बहुत जोश-खरोश के साथ कहा था कि हां, राजस्थान के अन्दर शिक्षकों के इतने पद रिक्त हैं और इसके लिए आपकी सरकार जिम्मेदार है और 31 मार्च, 2004 तक मैं उन सारे पदों को भर दूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 18 महीने गुजर गये इनके। जो घोषणा उस वक्त की थी जितने पदों को भरने की, आज तक वे उतने पदों को भर नहीं पाये। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि

(श्री संयम लोढ़ा)

विगत छह-साढ़े छह साल में यह नियमित भर्ती का काम नहीं हुआ। हम मानते हैं कि हर साल पांच हजार शिक्षक सेवानिवृत्त होते हैं तो 35 हजार की पंक्ति तो वैसे ही खड़ी हो गयी, और उसके बाद में भी आज आपने जितने शिक्षकों की नियुक्ति का दावा किया उतनी नियुक्तियां आप कर नहीं पाये तो आपने वह की वह व्यवस्था कायम रखी। पूरे समय तक बच्चा बिना टीचर के स्कूल जाता रहा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता को जिस परिवर्तन का सपना दिखाकर आप सत्ता में आये थे इन 18 महीनों में राजस्थान की शैक्षिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन लाने की आपने कोशिश की? यह पार्लियामैंट्री मिनिस्टर अभी सदन में नहीं हैं। स्टेच्यू सर्किल पर जाकर उन राजीव गांधी पाठशाला के शिक्षा सहयोगियों को वहां पर आन्दोलन पर बैठकर आये थे और कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का राज आएगा तो आपको हम परमानेंट कर देंगे। लेकिन इस 18 महीने के अन्दर 18 बार राजस्थान की सरजमीन पर उन पैराटीचर्स को लाठीचार्ज करने का काम आपने किया। उदयपुर में उन पर गोली चलाने का काम आपने किया। राजस्थान की शैक्षिक स्थिति में आप क्या परिवर्तन लाये? वही हजारों की तादाद में तबादले, वही घबराया हुआ शिक्षक, वही धरने, वही प्रदर्शन, वही आठवीं तक के स्कूलों के पेपर लीक होना और माननीय अध्यक्ष महोदय, अदालतों के चक्कर। कभी नहीं थमने वाले अदालतों के चक्कर। फिर राजस्थान के शैक्षिक जगत को और राजस्थान की शैक्षिक व्यवस्था में मूल्य आधारित परिवर्तन आप क्या लाये? आप तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक आदर्श सपना लेकर चलते हैं। किस तरह का परिवर्तन राजस्थान के शैक्षिक जगत में आपने दिया और और इतना ही नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा राजस्थान के मुख्य मंत्री यह उधार के शेर तो जरूर पढ़ सकते हैं।

"हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं।"

और 100 दिवसीय कार्य योजना, 365 दिवसीय कार्य योजना, लेकिन जब इस शिक्षा विभाग की प्रगति रही है और इसके काम-काज पर नजर डालें तो इनकी सारी असली तस्वीर सामने आ जाती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा

(श्री संयम लोढ़ा)

"सर्वशिक्षा अभियान" जिसमें फरवरी, 2004-05 तक के आंकड़ों के आधार पर मैं अपनी बात कह रहा हूं। आपका स्टेडी शेयर एज पर प्लान था 154 करोड़ 41 लाख रुपये। लेकिन इस बजट को लेकर और दूसरी बातों को लेकर पिछले 18 महीने से बड़ी-बड़ी बातें करनी वाली सरकार ने स्टेट बजट में क्या प्रोविजन किया? 110 करोड़ रुपये का। और उसमें से भी फरवरी, 2005 तक आपने रिलीज किये मात्र 75 करोड़ रुपये। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा और उच्च प्राथमिक शिक्षा को लेकर जितनी यह अपनी पीठ थपथपाते हैं और माननीय शिक्षा मंत्रीजी, रोज अखबार में किसी न किसी के माध्यम से चार कालम की खबर के रूप में प्रकट हो रहे हैं कि राजस्थान के शैक्षिक जगत में हम यह कह रहे हैं। पर राजस्थान की जनता को आप यह तो बताओ कि सर्व शिक्षा अभियान के अंदर 230 करोड़ रुपये आपको भारत सरकार दे रही है। आप भारत सरकार का कोई नाम ही लेना नहीं चाहते कि भारत सरकार राजस्थान को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिये आप से कई गुना ज्यादा योगदान कर रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी सोच राजस्थान को शैक्षिक जगत में आगे ले जाने के लिहाज से पूरी तरह का है। क्या आपने अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं। मैं यह सर्व शिक्षा अभियान का आपको स्पिल ओवर का फण्ड बताऊं जो 2004-05 में आया है। और उन जिलों का बताऊं जिसमें राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पीछे के जिले हैं जो राजस्थान के 32 जिलों में पीछे की पंक्ति के जिले हैं। क्या स्थिति है? बाड़मेर से सर्व शिक्षा अभियान में आप 516 लाख 34 हजार रुपये का बजट 2004-05 में लेकर आये। आप यूटिलेट नहीं कर पाये पिछले साल में। यही का यही चित्तौड़गढ़ में हुआ जहां से आप 298.42 लाख रुपये का स्पील ओवर लेकर आये। यही का यही जालौर जैसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में हुआ जहां से 210.61 लाख रुपये आप लेकर आये और उदयपुर में 489.26 लाख रुपये आप 2004-05 में लेकर आये। इसका मतलब साफ है कि आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं। जो शिक्षा के लिहाज से राजस्थान के सबसे पिछड़े हुए जिले हैं। अब आपकी पोल तो उसी में खुल जाती है कि उन जिलों में आप क्या काम कर रहे हैं? इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि आपके पास कोई सोच नहीं है कि राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में हमें किस रूप में काम करना है।

(श्री संयम लोढ़ा)

इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर सर्वशिक्षा अभियान के कुल अमाउंट का हिसाब मैं आपको दूं तो राजस्थान के अंदर 8,789.73 लाख रुपये का स्पिल ओवर यह 2004-05 में लेकर आये और एम.पी.ई.जी.ई.एल. का अगर मैं फीगर आपको बताऊंतो 390.93 लाख रुपये का स्पिल ओवर आप लेकर आये। डी.पी.ई.पी. फर्स्ट का मैं आपको बताऊं।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : इनकी कोई भी उपलब्धि चाहे न माने लेकिन यह उपलब्धि है कि डिजायरों में पैसा लेकर तबादले नहीं किये गये।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन में चर्चा का विषय नहीं है कि तबादलों में कितना क्या हुआ, इसका जवाब तो राजस्थान की जनता देगी। यह इसी का नतीजा था कि सांगानेर के अंदर पंचायत समिति कांग्रेस की बनी मंत्रीजी के खुद के एरिये में। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं डी.पी.ई.पी. फर्स्ट 3,450.22 लाख रुपये का आप स्पिल ओवर लेकर आये। डी.पी.ई.पी. सैकिण्ड 1874.91 लाख रुपये का स्पिल ओवर आप लेकर आये। मतलब जो पैसा आपके पास उपलब्ध था, उस पैसे का आप उपयोग नहीं कर सके। और राजस्थान को पता नहीं कहां-कहां किन ऊंचाईयों, किन आसमानों और "मैं तुम्हारा खण्डित विश्वास बदल दूंगी"। यह विश्वास तो यहां खण्डित हो रहा है। राजस्थान की जनता का खण्डित हो रहा है आपके काम-काज को देखकर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान कौंसिल आफ प्राइमरी एजूकेशन में जो स्थिति है, इस के आधार पर चाइल्ड ट्रेकिंग सिस्टम के आधार पर जो आंकड़ा मेरे पास उपलब्ध है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसको निवेदन करना चाहता हूं। ड्राप आउट के बारे में जो हमारी प्राइमरी स्कूल का बेस है, क्या स्थिति है। मैं राजस्थान के, मुझे मालूम है कि मेरे समय की सीमा निश्चित है, इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के उन जिलों को ही आधार बनाकर अपनी बात कह रहा हूं। जहां शिक्षा विभाग को सर्वाधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या-क्या टार्गेटस था। बाड़मेर जिले का? 6 से 14 वर्ष की ड्राप आउट को लेकर 14,953 और क्या आपका अचीवमेंट रहा? 6,748 । मतलब 8,205 आप अपने टार्गेट में लेग्स कर रहे हैं। यह तो बाड़मेर जिले की आपकी हालत है। आपकी उपलब्धि है मात्र 45 प्रतिशत। यह ड्राप

(श्री संयम लोढ़ा)

आउट के अंदर आपकी स्थिति है। फिर आप लीजिये चित्तौड़गढ़ । क्या स्थिति है आपकी? 6 से 14 वर्ष के ड्राप आउट के अंदर 15,272 का आपका टार्गेट था जिसके विपरीत सिर्फ मात्र 3,689 आप अचीव कर सके। मतलब 11,583 आप अपने लक्ष्य से 2004-05 में पीछे रहे हो। आपकी उपलब्धि सिर्फ 24.16 प्रतिशत की है। थपथपाओ अपनी पीठ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन हमारा दायित्व है प्रतिपक्ष में होने के नाते, कि हम आपको सही तथ्यों से अवगत करायें और धौलपुर, जहां कि राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्री स्वयं जाकर महारानी कहलाई। उसकी क्या स्थिति है? माननीय अध्यक्ष महोदय, धौलपुर में इनका लक्ष्य था 3330 और इनकी उपलब्धि है 1020 की 2310 का ड्राप आउट, माननीय अध्यक्ष महोदय, धौलपुर का है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस राजधानी में हम बैठे हुए हैं, उनकी उपलब्धि भी मात्र 45.07 प्रतिशत की है। यहां का भी ड्राप आउट 3412 है, जहां बड़ा-बड़ा हमने शिक्षा संकुल बनाकर खड़ा किया है। बड़े-बड़े अफसरों की फौज हमने लाकर बिठाकर रखी हुई है। अध्यक्ष महोदय, आपकी छत्रछाया में, आपके विधान सभा क्षेत्र के आसपास के वातावरण किस रूप में, कैसे शिक्षा की, किस दिशा की तरफ जा रहे हैं। यह जयपुर का आंकड़ा इसका प्रमाण है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आखिर में जालौर का निवेदन करना चाहता हूं कि जहां, जो बैकवर्ड हमारा डिस्ट्रिक्ट है वहां भी 3524, आप अपने लक्ष्य से पीछे रहे हैं।

अब, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि "सर्व शिक्षा अभियान" को लेकर जो सरकार की उपलब्धि है, फोरमल एजूकेशन में फरवरी, 2005 के आंकड़ों के आधार पर मैं निवेदन कर रहा हूं, फोरमल एजूकेशन में जोब ग्रेडेशन आफ एजूकेशन गारंटी सेंटर में, टीचर सैलेरी ओनेरियम और पैरा टीचर में आपको जो पैसा उपलब्ध था 5800.23 लाख। और आप कितना खर्च कर पाये, मात्र 1510.21 लाख रुपये। और अपग्रेडेड अपर प्राइमरी स्कूल इन लास्ट ईयर 2002-03 और उसके बाद अंदर पैसा आपको उपलब्ध था 2004-05 में 4029.08 लाख रुपये, आप कितना खर्च कर पाये, 1939.30 मतलब आपकी उपलब्धि इसमें भी रही है मात्र 48 प्रतिशत और अप ग्रेडेशन आफ ई.जी.सी. में आपकी उपलब्धि रही है मात्र 26 प्रतिशत। इसके अलावा फ्री टैक्स बुक यह टीचिंग पी.एल.ई. के अंदर टीचिंग एण्ड लर्निंग

(श्री संयम लोढ़ा)

इक्विपमेंटस में आपके पैसा उपलब्ध था 2109.40 लाख रुपये। आप कितना खर्च कर पाये, मात्र 1097.49 लाख रुपये। यहां आपकी उपलब्धि है मात्र 52 प्रतिशत।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत कहा जाता है राजस्थान की महामहिम राज्यपाल महिला, राजस्थान की विधान सभा की अध्यक्ष महिला और राजस्थान की माननीय मुख्यमंत्री महिला। अब शिक्षा मंत्रीजी, आप क्या कर रहे हो? गर्ल्स एजूकेशन में, रेजिडेंशियल ब्रिज कोर्स, महिला प्रेरक ट्रेनिंग पंचायत लेवल वर्कशाप आफ जेण्डर एण्ड लेडी ग्रुप एडिशनल रेजीडेंशियल कोर्स फोर गर्ल्स । इन सबके अन्दर आपको जो पैसा उपलब्ध था 350 लाख रुपये। आपने कितना खर्चा किया? सिर्फ 122.45 लाख। और आपकी उपलब्धि है। खाली गर्ल्स चाइल्ड के मामले में 34.99 प्रतिशत। आप किस आधार पर शिक्षा विभाग की उपलब्धियों का गुण बखानना चाहते हैं? और एजूकेशन फोर एस.सी., एस.टी. जिसमें स्टेडी मैटेरियल, ब्रिज कोर्स, स्पेशल टीचिंग अरजमेंट, नोन रेजिडेंशियल ट्रेनिंग पी.एल.एम. फोर एस.सी., एस.टी. स्टूडेन्टस, आपके पास 330 लाख रुपये थे और आप खर्चा कर पाये मात्र 185 । यह आपकी उपलब्धि है 2005 में। मतलब आपके पास पैसा है पर खर्चा करने की नीयत नहीं है तो राजस्थान की जनता किस रूप में लाभान्वित होगी, निश्चित रूप से आप अपने जवाब में यह बता सकेगे। जो रैकरिंग ग्रांट है एम.पी.ई.जी.ई.एल. में उसमें आपके पास पैसा उपल्ब्ध था 2004-05 में 1255.20 लाख रुपये और आप खर्चा कर पाये मात्र 180 लाख रुपये। यह तो आपकी इसके अन्दर स्थिति है सर्व शिक्षा और एम.जी.ई.पी.ई.एल. में। अब मैं आता हूं डी.पी.ई.पी. में

श्री अध्यक्ष : आपको 16 मिनट हो गये हैं बोलते-बोलते।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात की कोशिश कर रहा हूं, मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी को वास्तविकता बता रहा हूं। बहुत व्यस्त हैं, इनके पास माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, हायर एजुकेशन, मेडिकल एजुकेश्न बहुत विभाग है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपको इसीलिए मैंने टोका नहीं वरना मैं सात मिनट से अधिक समय नहीं देती लेकिन इसीलिए नहीं टोका आपको।

श्री संयम लोढ़ा : यह अवसर है, अध्यक्ष महोदय, जब राजस्थान की जनता की ओर से हम माननीय शिक्षा मंत्रीजी के सामने वास्तविकता को ला सकते हैं। और मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे अपनी बात कहने का अवसर दो।

श्री अध्यक्ष : मैंने दिया है तो प्रोटेक्शन आपको। इतना प्रोटेक्शन दिया है आपको डबल समय ले लिया आपने।

श्री भंवरलाल राजपुरोहित : अध्यक्ष महोदय, खूब प्रोटेक्शन दे रखा है आपने इनको।

डा. सी.पी. जोशी : हमारी पार्टी के सदस्य हैं, बोलने के अलावा क्या है? राज कर रहे हो, सुनना भी नहीं चाहते हो?

श्री भंवरलाल राजपुरोहित : सुनना चाहते हैं। यह आंकड़े असत्य हैं.. (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग : ईश्वर करे आप ऐसे ही बोलते रहो और हम ऐसे ही सुनते रहें।

डा. सी.पी. जोशी : यहां क्या बोलते हैं क्या सुनते हैं, यह पैसा भारत सरकार का है, इसका हिसाब-किताब पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि हम बहुत वाहवाही ले रहे हैं, उसको सुनो तो सही पूरी। पैसा भी खर्च नहीं करें और वाहवाही लें।

श्री तगाराम चौधरी : पिछले पांच साल में भी भारत सरकार के ही रुपये थे लेकिन कभी यह नहीं सुना गया कि भारत सरकार ने इतने दिये हैं। यों ही सुना गया कि भारत सरकार कम दे रही है, दे नहीं रही है, दे नहीं रही है। यह रट हम नहीं लगा रहे हैं।

डा. सी.पी. जोशी : बहुत अच्छा कर रहे हो, बिराजो। बहुत अच्छा बोले आप।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, यह समय आप मेरे टाइम में से घटा दें।

(श्री संयम लोढ़ा)

मैं आपको डी.पी.ई.पी. फर्स्ट में निवेदन करना चाहता हूं। फरवरी, 2005 की आपकी प्रगति के आधार पर, सलेक्शन आफ एडीशनल टीचर-आपके पास पैसा उपलब्ध था 117.60 लाख रुपये और आपने खर्चा कितना किया, 29.40, 1680 का चयन करने के बजाय आपने पूरे साल में मात्र 420 का चयन किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं सैलेरीज आफ एडीशनल पैराटीचर के बारे में 447.30 लाख रुपये आपके पास उपलब्ध थे, आपने खर्चा कितना किया 240.89 और सैलेरीज आफ दी टीचर में 1068.90 लाख उपलब्ध थे आपके पास और आपने खर्चा किया 362.25 । ओनरेरियम टू कम्युनिटी टीचर्स, राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला के नाम से पैसा है, 94.92 लाख का प्रोविजन है, जिसके विपरीत आपने खर्चा किया मात्र 10.61 ।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि जैंडर एण्ड गर्ल्स एजूकेशन में डी.पी.ई.पी. के अन्दर ओनरेरियम टू गर्ल्स चाइल्ड मोटीवेटर, फारमेशन आफ बालिका मंच, एडीशनल टी.एल.एम.टु डिसएडवार्टेज्ड गर्ल्स। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, डिसएडवांटेज्ड गर्ल्स, मैं आपका विशेष ध्यान चाहता हूं, आपके पास पैसा उपलब्ध था 119.22 लाख रुपये और आप खर्चा कर पाये मात्र 73 लाख रुपये। इसी तरह से जेंडर एण्ड गर्ल्स एजूकेशन की ट्रेनिंग में आपके पास 16 लाख 64 हजार उपलब्ध थे मात्र 7.72 लाख रुपये, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आप खर्च कर सके हो। इसी तरह से आइडेंटिफिकेशन एण्ड मानीटरिंग थे एन.जी.ओ. टुर्नामेंट फोर डिसएबल्ड चिल्ड्रन, अपलायन्स फोर डिसएबल्ड चिल्ड्रन मेडिकल असेसमेंट कैम्प आफ डिसवल्ड चिल्ड्रन एट क्लस्टर, इसमें तो कोई संवेदना इस सरकार की होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। आपने क्या किया? आपके पास 40 लाख रुपये थे डिसएवल्ड चिल्ड्रन के लिए, आप 40 लाख रुपये खर्च नहीं कर सके, आपने 2 लाख 61 हजार रुपये खर्च किये। और उन बच्चों के मामले में आपकी उपलब्धि पढ़ कर तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, आपके एचीवमेंट हैं 6.48 परसेंट। यह आपकी डी.पी.ई.पी. के अन्दर हालत है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं मदरसा के बारे में। सरकार का सोच किस तरह का है, सलैक्शन आफ मदरसा पैराटीचर-जीरो। नोन- रैकरिंग एक्सपेंडीचर फोर मदरसा, कितना प्रोविजन था, 40 हजार और

(श्री संयम लोढ़ा)

फूटी कौड़ी खर्च नहीं की आपने उसमें से पूरे साल के अन्दर। और रैकरिंग एक्सपेंडीचर फोर मदरसा 152 में आपके पास प्रोजिवन था 1.37 लाख का, मात्र 69 हजार रुपये आपने खर्च किये। स्कूल फैसेलिटी ग्रांट फोर मदरसा 3 लाख 66 हजार आपके पास इंतजाम था उसमें से भी आपने एक लाख रुपया बचा लिया। तो मदरसा के बारे में आपने डी.पी.ई.पी. के माध्यम से राजस्थान के अन्दर यह काम करने की चेष्टा की है।

डी.पी.ई.पी. फर्स्ट के बारे में, अध्यक्ष महोदय, मैं लास्ट एक पंक्ति और निवेदन करना चाहता हूं। हमारे शिक्षा मंत्रीजी बहुत संवेदनशील हैं, निश्चित तौर पर गौर फरमायेंगे। मेडिकल कैम्प फोर डिसएबल्ड चिल्ड्रन, आपके पास 3 लाख 9 हजार का प्रावधान था उसके विपरीत मात्र 64 हजार रुपये डिसएबल्ड के मेडिकल कैम्प पर आपने खर्च किये।

अब डी.पी.ई.पी. फेज सेकण्ड में मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। मोबाइल स्कूल में आपके पास प्रोविजन था 32.40 लाख और आपने खर्चा किया मात्र 9 लाख। फोरमेशन ऑफ बालिका मंच, आपके पास पैसा था एक लाख 99 हजार और आपने खर्चा किया मात्र 42 हजार। अवार्ड टू बेस्ट अर्सेसियल ब्लॉक, आपके पास प्रावधान था 95 हजार और आपने खर्चा किया मात्र 27 हजार। तो यह स्थिति आपकी बनी हुई है। लाइब्रेरी ग्रांट, प्राइमरी स्कूल के लिए आपके पास डी.पी.ई.पी. फेज सेकण्ड में प्रोविजन था 180.74 लाख और फूटी कौडी आपने खर्च नहीं की उसमें से फरवरी, 2005 तक। यह तो आपकी स्थिति बन रही है और यह का यह फोर्मल एजूकेशन के बारे में सेकण्ड फेज में भी है कि सलैक्शन आफ एडीशनल पैराटीचर में आपके पास 250.75 लाख का प्रोविजन था और आपने मात्र 24 हजार खर्च किये उसमें से। यह सब पैसा बचा कर और कहां ले जाना चाहते हैं, यह मुझे और राजस्थान की जनता को, अध्यक्ष महोदय, समझ में नहीं आ रहा है।

वर्क बुक टु स्टुडेंट क्लास फर्स्ट, कितना डिस्ट्रिब्यूशन करना था आपको, 4,58,753 का आपका टारगेट था और आपने किया, साढ़े चार लाख के अगेंस्ट में मात्र एक लाख तीस हजार। वर्क बुक टु स्टुडेंट क्लास सेकण्ड, क्या टारगेट था आपका 4,13,822 और कितनों को लाभान्वित किया आपने, मात्र 97,100 । वर्क बुक टु क्लास थर्ड। क्या टारगेट था, 3,39,814 और

(श्री संयम लोढ़ा)

आपने कितनों को लाभान्वित किया, मात्र 73,900 । वर्क बुक टु स्टुडेंट क्लास फोर्थ, क्या टारगेट था 2,79,338 और आपने कितनों को लाभान्वित किया, मात्र 52,000 । वर्क बुक टु स्टुडेंट क्लास फाइव, क्या टारगेट था आपका, 1,58,094 और आपने कितनों को लाभान्वित किया मात्र 39,100 । बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं, हमने इतनी किताबें बांट दी, लाखों रूपये बचा कर तिजोरी में रखे हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं यह फिर डी.पी.ई.पी. फेज सेकण्ड में वो की वो स्थिति आपकी है जेन्डर एण्ड गर्ल्स एजूकेशन में है, 97 हजार का प्रोविजन, आपका टी.एल.एम.टु. डिसएडवेंटेज गर्ल्स के लिए और मात्र 34 हजार रुपये आपने खर्च किये। गर्ल्स चाइल्ड मोटीवेटर में भी वो की वो स्थिति आपकी है। डिसएबल्ड चिल्ड्रन का मैं एक बिंदु और करके मैं एजूकेशन से आगे बढ़ता हूं। आपने 86 लाख का प्रोविजन रखा है 2004-05 में और मात्र 4.59 लाख रुपये आपने खर्च किये हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो आप राजस्थान में जिसको एक बड़ी अपनी उपलब्धि बताते हैं कि आपने 228 निजी कालेज को एन.ओ.सी. दे दी। और इतने बी.एड. कालेज को आपने एन.ओ.सी. दे दी। और इतने निजी क्षेत्र में आपने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की, किस तरह के कालेज चल रहे हैं, क्या आपने इस पर ध्यान देने की कोशिश की? भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के एक महामंत्री ने जिस तरह से यह अवैध तरीके से दुकानें खोली हुई हैं कि हनुमानगढ़ तक के स्टूडेंटस जाकर वहां उसके मुख्यालय, वहां जालौर में डेमोंस्ट्रेशन दिया और उसने जालौर के गवर्नमेंट कालेज के प्रिंसिपल को धमकाया और उसके खिलाफ वहां पुलिस थाने के अन्दर मुकदमा दर्ज हुआ। सत्ता के संरक्षण के अन्दर इस तरह की निजी कालेजों के नाम पर अगर इस तरह की दुकानें हम चलाना चाहते हैं। और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आर्थिक रूप से लाभान्वित करने के लिए राजस्थान के गरीब, मजलूम नोजवान का अगर यह सरकार शोषण करना चाहती है तो, मंत्रीजी, में आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में राजस्थान की जनता आपको माफ नहीं करेगी।

आप बड़ी उपलब्धि की बात कर रहे हैं। 2004-05 के अन्दर आपका भवन मरम्त में क्या प्रोविजन रहा? भवन मरम्मत का जितना आपने प्रोविजन किया हुआ है न उसको अगर राजस्थान की सारी स्कूलों में बांटो, 55 लाख का

(श्री संयम लोढ़ा)

आपने प्रोवजिन दिया है, तो एक स्कूल के हिस्से में पौने तीन रुपये आते हैं। यह खेल उपकरण के अन्दर, जो खेल मैदान के अन्दर आपने ग्यारह, साढ़े ग्यारह लाख का प्रोवजिन किया है। राजस्थान के सारे माध्यमिक विद्यालयों को बांट दो तो 16 रुपये आतं हैं एक स्कूल के अन्दर। और माध्यमिक विद्यालय में जो मरम्मत का आपने प्रोविजन किया है, 13 रुपये एक सैकण्डरी स्कूल को मरम्मत के आधार पर मिलेंगें। अगर उसके बाद भी आप यह कहना चाहते हैं कि आपका बजट बहुत बढ़िया है तो मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है।

(16.00 बजे)

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। आपने बहुत कहा था और आपकी सरकार ने कहा। यह आपकी सरकार का विज्ञापन है जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में दिया। आ गया है बदला लेने का समय, जागो और बदल दो उस भ्रष्ट सरकार को जिसने कर्मचारियों की बेतहाशा छंटनी की। कर्मचारियों को बोनस काटा, पेंशन प्लान पर चलाई कैंची। राजनीतिक बदले की भावना से किये कई तबादले, अवकाश पुनर्भरण समाप्त किया, सीधा निशाना लगाइये, अपनी सरकार बनाइयें, भाजपा को सौंपे कमान, तभी बढेगा राजस्थान। बढ़ा दिया राजस्थान आपने, जो बोनस की व्यवस्था की है, एक कर्मचारी की जेब से जो केन्द्र के कर्मचारी को मिलता है उसकी तुलना में उसकी जेब से दो हजार रुपये उसकी जेब से काटने का काम आपने किया है। और अवकाश पुनर्भरण दे दिया आपने। और राजनीतिक आधार पर तबादले करने में तो 55 साल के इतिहास में आपने कीर्तिमान स्थापित कर दिया कि जब आर.एस.एस. के मुख्यालय पर बैठकर राजस्थान के शिक्षकों की लिस्टें जारी हुई। और जिस डिप्टी डाइरेक्टर, जोधपुर ने आपकी बात नहीं मानी, आपने उसको सस्पैंड कर दिया। उदयपुर से जिस जिला शिक्षा अधिकारी ने आपकी बात नहीं मानी आपने उसको सस्पैंड कर दिया।

इस तरह से पूरे राजस्थान के शिक्षक जगत को राजनीतिक आधार पर आतंकित करने का काम माननीय शिक्षा मंत्रीजी आपने किया है। मैं आपको यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप बहुत योग्य शिक्षा मंत्री हैं, यह भी मैं मानता हूं क्योंकि आप बेहतरीन वक्ता हैं।

श्री सांगसिंह भाटी : अपने अंतस में तो झांको।

श्री संयम लोढ़ा : ज्ञान के स्तर पर मुझे इस बात में कोई स्वीकार करने में संकोच नहीं है कि आप एक बहुत विद्वान शिक्षा मंत्री हैं। लेकिन शिक्षा मंत्रीजी, जो राजस्थान की असली तस्वीर मैंने आपके सामने पेश की है वह मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको बिलकुल सकारात्मक रूप में लेंगे और आने वाले वर्ष में राजस्थान के शैक्षिक जगत का भला किस रूप में हो उस पर विचार करेंगे। और आपने क्या किया, केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय शिक्षा सलाह बोर्ड को दस साल बाद में वापस फंक्शन में लाने की कोशिश की, आपने क्या किया? आप उसकी पहले दिन की मीटिंग का तो बायकाट कर गये जबकि आपको राजस्थान की जनता ने इसलिए चुनकर भेजा है। कि आप उसमें काम करते और जाते। दूसरे दिन आप गये, प्रतिपक्ष के सारे शिक्षा मंत्रियों के आप नेता भी बन गये। और आपको इस बात का भी मन में बड़ा वो होगा कि मुझे माध्यमिक शिक्षा की, जो देश भर में इस पर विचार करने के लिए, सुझाव देने के लिए देश के माध्यमिक शिक्षा में सुधार लाने के लिए जो कमेटी भारत सरकार ने बनाई, उसका मुझे चेयरमैन बनाया गया है। और विदेश के अन्दर जो प्रतिनिधि मंडल जा रहा है, मैं उसके अन्दर शामिल हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से तो आपको इस बात की बधाई देता हूं कि आपको उसमें शामिल किया गया। लेकिन देश के मानव संसाधन मंत्री को यह मालूम नहीं है कि राजस्थान की माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में राजनीतिक आधार पर जिस शिक्षा मंत्री ने भेदभाव किया है। आपने मेरे जैसे व्यक्ति के क्षेत्र में दो तहसील पड़ती हैं, आपने इस 2004-05 में एक भी दसवीं तक का स्कूल नहीं खोला, एक भी बारहवीं तक का स्कूल नहीं खोला। अब आपको पूरे देश का काम दिया गया है, आप क्या करोगे? मुझे बहुत दुख है, मुझे चिन्ता है इस बात की कि पूरे देश के साथ क्या होने वाला है।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ : धिक्कार है केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री को जिन्होंने यह काम किया।

श्री अध्यक्ष · आपने पूरे 35 मिनट ले लिए।

श्री संयम लोढ़ा : मैंने शिक्षा पर बात अपनी कह दी है। मैं टूरिज्म पर दो बातें निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : पूरे तीस मिनट के लिए आपने।

श्री संयम लोढ़ा : पर्यटन पर पांच मिनट, अध्यक्ष महोदय, वाइंड अप कर रहा हूं मैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान को आगे लाने के लिहाज से मुख्य मंत्रीजी के दिमाग में राजस्थान को आगे लाने का सपना है।

श्री अध्यक्ष : समय की सीमा मैंने बांधी है आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा : मैं टूरिज्म पर पांच मिनट कहकर अपनी बात वाइंड अप कर रहा हूं। और वह इस दिशा में पूरी कोशिश कर रही हैं, उन्होंने राजस्थान दिवस पर समारोह भी आयोजित किया और उस आयोजन में पूरा राजस्थान का पर्यटन महकमा और सब इतनें मशगूल हो गये कि जो पर्यटक सहायता बल हमने बनाया हुआ है आपने उसके लिए इस बजट में प्रोवीजन किया क्या? आप उसके लिए प्रोवीजन करना ही भूल गये। जो पर्यटक सहायता बल बनाया हुआ है, ठीक है अब कैसे आप आगे काम चलाओगे वह तो आप जानो। और आपने यह जो राजस्थान दिवस समारोह आयोजित किया, आपने अपील एडवरटाइजिंग एंड मार्केटिंग कंसलटैंट, नई दिल्ली जो मुख्य मंत्री के एक निजी मित्र हैं, आपने उसको एडवरटाइजमेंट का काम दिया। और इस राजस्थान दिवस समारोह के 70,16,936 रुपये के विज्ञापन उस अपील एडवरटाइजिंगं के माध्यम से देकर के राजस्थान के जनता के गाढ़े पसीने की कमाई को चूना लगाने का काम किया।

आपने किस-किस को विज्ञापन दिए राजस्थान दिवस समारोह के, आउट लुक ट्रेवलर, इंडिया टुडे ट्रेवल ट्रेड प्लस, ट्रेवल ट्रेन्स टूडे ट्रेवर्ल्स, इंडिया टुडे इंग्लिश, इन्क्रेडिबल इंडिया, आउट लुक इंग्लिश, नमस्कार, रीडर्स डाइजेस्ट, स्वागत, जैट बिंक्स, एक्सप्रेशन दर्पण, यह पूरे सत्तर लाख रुपये के विज्ञापन यह सारे आपने सात और आठ दिन में उसको दिये। किस तरह आपने चयन किया उसका, जितनी भी क्वालिफाई कर चुकी थी कम्पनियां आपने आडियो बिजुअल कान्फ्रेंसिंग के आधार पर इस कम्पनी का चयन किया जो अपने आप में एक संदेह उत्पन्न करता है। आपको अगर इस तरह का कोई काम भी

(श्री संयम लोढ़ा)

करना है राजस्थान में डी.पी.आर. के माध्यम से सम्भाग संस्था काम कर रही है। राजस्थान की जनता के पैसे से मुख्य मंत्री के निजी मित्रों को उपकृत करने का काम मेहरबानी करके पर्यटन मंत्री नहीं करें, मैं यह आपसे निवेदन करना चाहता हूं ।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार इस 8-सिविल लाइन्स में बहुत लोग आए, बहुत जमीन से चलकर आए, सड़क पर संघर्ष करते हुए आए और आकर बैठे। और आपने यह क्या शुरू किया है? जो भी सत्ता में माननीय मुख्य मंत्रीजी विराजमान हैं उनको कहिए पर्यटन मंत्रीजी कि 8-सिविल लाइन्स में लगातार बैठे रहने के लिए राजस्थान की जनता का काम करना जरूरी है।

इस तरह से आरती उतारकर, महा आरती के कार्यक्रम करके, इस तरह से राजस्थान की जनता का जनादेश आप नहीं ले सकते।

एक माननीय सदस्य : ले लिया।

श्री संयम लोढ़ा : एक बार तो ले लिया (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग : और लेंगे, बहरोड़ में ले लिया।

श्री संयम लोढ़ा : जिस तरह का आपने आयोजन किया...

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : आपके राज में कला संस्कृति का कितना गला घोंटा था, घीया मूर्ति कांड को भूल गये क्या? कांग्रेस शासन के समय करोड़ों, अरबों रुपयों की मूर्तियों की तस्करी हुई है आपके राज में। यह संस्कृति और कला का आपने गला घोंटा है।

श्री तगाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, विज्ञापनों का माननीय विपक्ष के सदस्य कह रहे हैं पर्यटन को बढ़ावा देना है। पर्यटन कितना आवश्यक है इसलिए पर्यटन को बढ़ावा देना है तो विज्ञापनों के बगैर क्या पर्यटन को बढ़ावा होगा?

श्री अध्यक्ष : उन्हीं को देने दो बढ़ावा आप।

श्री संयम लोढ़ा : सिर्फ इतना सा निवेदन करके अध्यक्ष महोदय, अपनी बात खतम करता हूं कि यह आरती उतारकर बरसात लाना, यह वास्तु का परिवर्तन मकान में करके सत्ता में बने रहना, इस तरह के खेलों से सत्ता में काबिज नहीं रह सकते। अगर सत्ता में लगातार काबिज रहना चाहते हो तो इन आंकड़ों को सुधारना पड़ेगा आपको। आपको राजस्थान की जनता के सामने वह काम करके दिखाना पड़ेगा। मैं सिर्फ चार पंक्तियों के साथ अपनी बात खतम करता हूं।

"खूब देखे हैं इस चमन ने आपके पूजा पाठ,
आपके सरकारी बंगले की सजावट के शाही ठाठ।
कल भी गरीबी भूखे पेट सोई होगी, शर्म करो
आपकी इबादत पर तो देव प्रतिमा भी रोई होगी।"

श्री अध्यक्ष : चमन में कोई पूजा पाठ होता है? चमन में थोड़े ही पूजा पाठ होता है। पूजा पाठ तो घर में होतीं है। जमा नहीं शेर आपका।

डा. सी.पी. जोशी : आज आपने क्वालिफाई कर दिया। रिजल्ट बहुत जल्दी निकाल दिया आपने। रिजल्ट शाम तक निकालते, जल्दी निकाल दिया।

श्री अध्यक्ष : श्री सुन्दर लाल।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़) : माननीय अध्यक्षजी, मांग संख्या- 24 पर मैं बोलना चाहता हूं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि पांच साल में एक भी अध्यापक नहीं लगा। और अब पैंतीस हजार लग गये यह इनकी सबसे बड़ी दिक्कत है इनके, जैसे आदमी का खाया हुआ पचता नहीं है उसी तरह से पचता नहीं है। बात यह है सबसे बड़ी। इनके बड़ी दिक्कत आ रही है। होली के खेलों में सुमित्राजी और हम एक ही जिले के हैं। इनके कांग्रेस वाले स्वांग निकाले हैं अबकी बार। अब घनश्यामजी ने चालीस हजार आदमी लगा दिये और पांच साल में एक भी नहीं लगाया और बात करते हैं कि आपका यह बाकी रह गया, यह बाकी रह गया। तो पांच साल में आपके पास कुछ भी नहीं था क्या? आपने क्या बाकी रखा? आप बात करते हैं कि इन्होंने हिसाब नहीं दिया। इसके बाद सुन लीजिए आप, स्त्री जब जन्मती है तब थाली नहीं बजती, अब थाली बजने लगी। अब आठ हजार महिला मास्टरनी लगी हैं थाली बजने शुरू

(श्री सुन्दर लाल)

हुई है अब इससे पहले नहीं बजा करती थीं। आपको पता तो है नहीं यूं ही पट्टे लगा रहे हो उल्टे सीधे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो शिक्षा में इस बार आपने जो अध्यापक लगाए हैं वह कभी इतिहास में नहीं लगे, यह इस बात को तो मानते नहीं। आपको सच को सच कहने में दर्द होता है क्या पेट में। सच को सच तो मानो, यह तो आप कहो कि भई लगाये तो हैं। थोड़ा सा कुछ बोल जाओ, धीरे से बोल जाओ, बोलो तो सही कि आज मास्टर लगाये हैं। दर्द होता है तो भी कह दो कि मास्टर तो लगे हैं आपके क्षेत्र में भी। सब जगह लगे हैं तो फिर आपके क्या बात है? शिक्षा मंत्री ने क्या किया है? अब विदेश में जा रहे हैं शिक्षा मंत्री राजस्थान के और सेक्रेटरी हिन्दुस्तान के। वहां यह उपदेश देकर आएंगे, यह बात आपकी मझ में आयी कि नहीं? ध्यान में नहीं है कि यह आपके बात और ही बात करते हो बैठे-बैठे। शिक्षा मंत्री राजस्थान, सेक्रेटरी हिन्दुस्तान और इनके साथ तीन और जायेंगे। दूसरे देशों में अपने शिक्षा मंत्री उपदेश देने के लिये जा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है, यह नहीं मानते। यह रुपया कम कर दिया, यह कम कर दिया, यह बात कह दी, यह एक ने भी नहीं कही। यह बात इनके ध्यान में नहीं है।

इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहता हूं शिक्षा मंत्रीजी से कि प्राइमरी स्कूल का आदमी इंसपेक्टर बन जाए, यह गलत है। इसमें आप सुधार करो। एक थर्ड ग्रेड टीचर इंसपेक्टर बनकर बैठ जाए उससे प्रशासन चलता नहीं है। जिले में एक सीनियर आर.ए.एस. आदमी लगाकर इस पर मानीटरिंग करे तो काम चले। यह व्यवस्था आपकी बढिया नहीं है।

दूसरा डी.पी.ई.पी केस है। यह यूं ही रूपया खाते हैं, इनका कोई लेन देन ही नहीं है। इनको सुधार करके आप स्कूलों में क्यों नहीं भेजते हो। दस दस को एक गांव में बैठा रखा है, पंचायत समिति में बैठा रखा है, कोई काम नहीं है इनको। कहते हैं कि हम ट्रेनिंग देते हैं। क्यों ट्रेनिंग देते हो? इसलिये इस डिपार्टमेंट को तोड़कर इनको शिक्षा विभाग में भेजो सबको। यह व्यवस्था आप लोग नहीं करोगे तो डी.पी.ई.पी. का हमारी समझ में नहीं आ रहा किसलिये बैठा रखा है। सारे कहते हैं कि हमें डी.पी.ई.पी. में लगवा दो। रोज चिट्ठी आती है डी.पी.ई.पी. में लगवाओ। दूसरे देशों में उपदेश देने जाते हो हमारे

लिये बहुत खुशी है पर इस मामले में भी आप इधर भी उपदेश दो। डी.पी.ई.पी. वालों को समझाओ थोड़ा।

मैं आपसे और कहना चाहता हूं । अध्यापकों की कह रहे हैं बात। 14102 तो सामान्य में लगे हैं, 5363 लगे हैं ओ.बी.सी. में, 9420 लगे हैं ट्राइब्स के और 5051 एस.सी. के, इतने तो लगा दिये।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : क्या आंकड़े हैं। क्या आंकड़े पेश किये हैं।

श्री अध्यक्ष : वह आंकड़े वाले तो गये, अब आप किससे आंकड़े की बात कर रहे हो।

श्री सुन्दर लाल : क्या बात कर रहे हैं लगे ही नहीं। इसके अलावा और भी सुनिये।

हमारे कई कांग्रेस वाले कहते हैं कि बैक लाग पूरा नहीं हो रहा है, तो इसको देखकर आज यह बताओ कि एस.सी. के आदमी इतने और लगेंगे। यह भी पूरे कर दो। क्योंकि विदेश में जाओगे तब कहना कि मैंने राजस्थान के एस.सी. वालों का बैक लाग पूरा कर दिया और दूसरे देशों में भी करवा दो। यह कहना चाहता हूं मैं आपसे। इसके अलावा मैं...

डा. किरोड़ी लाल मीणा : शिडयूल्ड ट्राइब्स के?

श्री सुन्दर लाल : एसटी का तो बैक लाग पूरा हो रहा है, मारोगे क्या..

श्री अध्यक्ष : आप बीच में व्यवधान नहीं डालेंगे।

श्री सुन्दर लाल :... (व्यवधान) इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक तो आप शिक्षा में सुधार करो। थर्ड ग्रेड टीचर को शिक्षा अधिकारी बना दिया, उसके बस का काम नहीं है। आप उनको प्रमोशन उनको दे दो, उनकी तनख्वाह बनाने का काम उनको दे दो, कोई सीनियर आर.ए.एस. लगा कर इस पर कण्ट्रोल करो। मैं थोड़ा पढ़ा हुआ आदमी हूं, मैंने गिनती की है राजस्थान में 60,000 स्कूले हैं और 60,000 पर कण्ट्रोल करना पड़ा मुश्किल है। अगले साल वाली खुलने के बाद होंगी 65,000 । अगली भी गिन ली, 65000 स्कूल

(श्री सुन्दर लाल)

हो जायेंगी राजस्थान में। आपने इतनी जो प्रोग्रेस की है तो इनको एक बात और दिखा दो कि कण्ट्रोल ऐसे होता है। अब सी.पी. तो मेरा भाषण सुनकर बाहर ही चले गये। बहुत गड़बड़ हो गयी... उनसे बात बदार्शत नहीं हुई..

श्री अध्यक्ष : सी.पी. और संयम, दोनों गये।

श्री सुन्दर लाल : संयम तो उसमें था ही नहीं, संयम खो दिया जब ही तो गये..

मोहम्मद माहिर आजाद : जो बैठे हैं वह नहीं दिख रहे क्या? जो गये वही दिख रहे हैं क्या?

श्री रामप्रताप कासनिया : बैठे हैं, उनके पास आंकड़े नहीं हैं। यह आंकड़े हम जैसे लोगों को नहीं मिलते, इनको एजूकेशन विभाग ने पूरा ही पुलिंदा दे दिया बनाकर। यह भी मामला बहुत गंभीर है। पढ़कर तो हम भी बता सकते हैं यह आंकड़े।

श्री सुन्दर लाल : कम्प्यूटर शिक्षा के लिये लोगों में बड़ी धांधली मिलती है। या तो इसकी फीस तय कर दो। गांव-गांव हड़ताल होती है, मैं फीस नहीं दूंगा, मेरे बिना पढ़े ही लगाते हैं। इस मामले में आप फीस तय करो।

आपने एक नयी बात आज लिखी है कि एक कम्प्यूटर जिला वाइज रहेगा। तो 70-70 मिलकर कहां जायेंगे। पंचायत समिति वाइज तो कम्प्यूटर तय करो कि देशी सीख लेंगे। जिले में एक कम्प्यूटर रखोगे उसमें कौन जायेगा? आठवीं क्लास वालों को, जिले में एक रखा जायेगा तो जिले भर में 70-90 किलोमीटर जा ही नहीं सकते। इसलिये पंचायत समिति वाइज जितने भी जिले हैं उनमें कम्प्यूटर सीटों के लिये आठवीं क्लास को पढ़ाना चाहते हो पंचायत समिति वाइज करो, ताकि उसके अन्दर व्यवस्था हो सके। जयपुर जिले का तो लास्ट गांव ही 120 किलोमीटर पर है, वह तो आ ही नहीं सकते। टौंक में तो पार पड जायेगी, छोटा जिला है। पर बड़े जिले में पार नहीं पड़ेगी इसलिये पंचायत समिति वाइज करना चाहिये इसको। जब आपने अपना इतना दिल उदार कर लिया तो इतना दिल और उदार करना चाहिये।

(श्री सुन्दर लाल)

मैं लम्बा चौड़ा भाषण न देकर के यह बताना चाहता हूं कि शिक्षा में जो आपने 15 महीने में किया, वह 50 साल में नहीं कर सके यह। मैं यही कहना चाहता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : आपने 5429 पद तो कहे हैं आरक्षित, परन्तु 4850 ही वरीयता सूची निकाली है, आयी समझ में। तो वह बैक लाग और बाकी है, मंत्रीजी स्पष्ट करें। काका को तो पकड़ा दिया, काका बोल लिये परन्तु यह जो अभी तक...(व्यवधान) आपने तो जिले को किया उसी का दंड भुगत रहे हैं..

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। श्री रामचद्र सराधना (अनुपस्थित) श्री अर्जुन सिंह देवड़ा।

श्री रामप्रताप कासनिया : यह कम्प्यूटर बेकारी पैदा करेंगे, इनका कोई न कोई हल हो, रोक लगाओ, नहीं तो काम खराब हो जायेगा।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 24 व 47 पर आज चर्चा हो रही है। मैं भी इस चर्चा में भाग लेते हुए आदरणीय मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी ने पिछले साल और इस साल राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने का जो बीड़ा उठाया मैं उसके लिये उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। राजस्थान शिक्षा की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता रहा है। आज भी यही स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय, 1951 में हमारी जो शिक्षा का प्रतिशत था 8.5 परसेंट। 1991 में 38.55 परसेंट और 2001 में 61.03 परसेंट, निश्चित तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में हम प्रगति तो कर रहे हैं लेकिन इस क्षेत्र में जो पिछड़े जिले हैं जैसा कि अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हम वहां पर आज शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी आज भी पीछे हैं।

आदरणीय शिक्षा मंत्रीजी ने पिछले साल 2817 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले। 1814 जो हमारी राजीव गांधी स्कूलें थी, जहां पर तीसरी तक पढ़ाया जाता था उनको प्राइमरी में क्रमोन्नत किया गया। इसी प्रकार से 2245 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, 400 मिडिल स्कूल को

(श्री अर्जुन सिंह देवड़ा)

सैकेंडरी स्कूल में, 200 को सीनियर सैकेंडरी स्कूलों में क्रमोन्नत किया। तो मैं यह समझता हूं कि राजस्थान के विकास में और जो हमारे पिछड़े जिले हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको शिक्षा के कारण से क्योंकि पांचवीं तक तो वह अपने गांव में पढ़ लेते थे। लेकिन पांचवीं के बाद छठी, सातवीं, आठवीं उनको पढ़ना पड़ता था तो दूरदराज होने के कारण से कई बच्चियों को उनके मां-बाप अलाऊ नहीं करते थे कि पांच-दस किलोमीटर आगे जाकर पढे। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो भी विकास जिस प्रकार का आपने किया उदार दिल से और जो बजट दिया उसके लिये मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

साथ ही आपने न सिर्फ स्कूलें खोलीं बल्कि उस समय भी आपने यही कहा था सिर्फ स्कूलें खोलने तक ही सीमित नहीं है यह, इनमें भवन भी बनाये जायेंगे। मैं इसके लिये भी माननीय शिक्षा मंत्रीजी, को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जहां-जहां पर भी जो स्कूलें क्रमोन्नत हुई, प्राइमरी स्कूलें खोलीं उनके भवन के लिये धन दिया गया और आज वह काफी स्कूलें करीब-करीब मैं मेरे क्षेत्र की बता सकता हूं कम्पलीट हैं और कुछ कम्पलीट होने जा रही हैं।

इस साल का जो बजट रखा गया अध्यक्ष महोदय, उसमें भी एक हजार नये प्राथमिक विद्यालय, 1600 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करना। इसी प्रकार से 500 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को महाविद्यालयों में क्रमोन्नत करना, 250 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करना और 2000 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों को प्राथमिक शालाओं में परिवर्तन करना, यह इस बात का द्योतक है कि राजस्थान में शिक्षा का पिछड़ापन तभी दूर हो सकता है जब राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में आगे आये। और इसके लिए जो सरकार का सोच है और प्रयास किय जा रहे हैं इसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी और आदरणीय शिक्षा मंत्रीजी को बधाई देता हूं। इसी प्रकार से 20 नये आई.टी.आई. के केन्द्र खोले जा रहे हैं। पांच पालिटेक्नीक विद्यालय जिनमें 45 करोड़ का लक्ष्य है और आज जो पुराने आई.टी.आई. केन्द्र चल रहे हैं उसमें करीब 15 करोड़ का जो लक्ष्य रखा गया है। यह जो सारे काम हैं इनसे निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा भी जो राजस्थान में पहली से आठवीं के बालक-बालिकाओं को नि:शुल्क पाठय पुस्तकें दी जा रही हैं जिसमें 3600

(श्री अर्जुन सिंह देवड़ा)

लाख की व्यवस्था है। इसी प्रकार से शिक्षक भर्ती में जो माननीय सुन्दरलाल जी ने कहा कि पिछले पांच साल में एक भी अध्यापक भर्ती नहीं किया, और अब जब सरकार द्वारा यह प्रक्रिया शुरू की गयी तो माननीय प्रतिपक्ष के सदस्य इसको बार-बार उठा रहे हैं। हालांकि मैं भी मानता हूं कि इसमें कुछ देरी हुई है। लेकिन देरी के साथ-साथ में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो भर्ती हुई है उसमें जालौर जिला आज भी काफी पिछड़ा हुआ जिले की श्रेणी में आता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जालौर वैसे भी शिक्षा की दृष्टि से पूरे राज्य में पिछड़ों को देखा जाये तो दूसरे नम्बर पर आता है। आज वहां की स्थिति शिक्षकों की इस प्रकार से है कि प्रिंसिपल के टोटल 42 पद हैं जिसमें 18 पद रिक्त हैं। हैडमास्टर के 77 पद हैं जिसमें से 10 पद रिक्त हैं। व्याख्याताओं के 247 पद हैं जिसमें से 119 रिक्त हैं।

अध्यक्ष महोदय, जब भी हम हमारे क्षेत्र में जाते हैं और विशेष तौर से साइन्स के जो व्याख्याता हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होने के कारण से वहां के जो ग्रामीण अंचलों के बालक-बालिका हैं उनको बहुत कठिनाई होती है कि जैसे-जैसे बोर्ड के एग्जाम आते हैं अध्यापक और व्याख्याता नहीं होने के कारण काफी समस्या का सामना करना पाड़ता है। और हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को वह घेरते हैं कि एम.एल.ए. साहब आपने इस क्षेत्र के विकास के लिए बात कही थी, हमारे यहां पर टीचर नहीं हैं। मंत्री महोदय, शहरी क्षेत्र में तो यह व्याख्याता लगे रहते हैं। लेकिन जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं। जहां पर सालों-सालों तक यह पोस्टें खाली रहती हैं । तो कम से कम आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि ऐसे जिलों को प्राथमिकता के आधार पर वहां व्याख्याताओं को लगायें।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से हमारे वरिष्ठ अध्यापकों के 635 पदों में से 172 पद रिक्त हैं। अध्यापक थर्ड ग्रिड के 260 में से 107 पद रिक्त हैं और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 631 में से 315 पद रिक्त हैं। करीब-करीब आधे पद रिक्त हैं। हालांकि आपकी प्रक्रिया चल रही है लेकिन मैं चाहूंगा कि यह जालौर जिले में जो पद रिक्त हैं, क्योंकि वहां कई स्कूलें ऐसे हैं जिनमें

(श्री अर्जुन सिंह देवड़ा)

एक-एक अध्यापक ही पढ़ा रहा है। एसी परिस्थिति में हमारे लिये वहां पर उन बच्चों को शिक्षित करने में बहुत कठिनाई आती है। विशेष परिस्थिति तो यह है कि स्कूलों में शायद हाई कोर्ट की यह व्यवस्था है कि एस.टी.सी. ट्रेंड को ही प्राइमरी स्कूलों में लिया जाये। जालौर जिले में कुल पद 964 हैं और उनके अगेंस्ट में सिर्फ 32 अध्यापक एस.टी.सी. ट्रेंड हमें मिले हैं। आज 932 पद रिक्त हैं। मैं समझता हूं कि जो यह पद रिक्त हैं यदि एस.टी.सी. ट्रेंड टीचर नहीं मिलें तो माननीय मंत्रीजी जिन्होंने बी.एड. किया है ऐसी टीचर्स को भी आप संशोधन करके लें वरना हमारे यह इतने जो पद रिक्त हैं, अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई दूसरी भूमिका बांधी नहीं है। जालौर की समस्या है, जो पीड़ा है उसी को आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी को बताना चाहता हू कि यह जो 932 पद हैं इनको भरने के लिए नियमों में संशोधन किया जाये। वहां पर एस.टी.सी. है नहीं। जालौर में कोई एस.टी.सी. है नहीं। हमारे पास बाड़मेर में एस.टी.सी. है और उसके बाद में माउन्ट आबू में हैं। वहां से इतने बच्चे नहीं आ पाते हैं यह समस्या हमारे लिये सबसे ज्यादा बनी रहती है। आई.टी.आई. मेरे रानीवाड़ा में भी खुली थी। मुझे बड़ी खुशी थी।

श्री अध्यक्ष : खण्डेला से आने वाले माननीय सदस्य, आप नियमों का ध्यान नहीं रखते हैं।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और शिक्षा मंत्रीजी ने वहां जाकर आई.टी.आई. खोली थी। हमें भी बहुत खुशी थी कि जो बच्चे गरीब हैं जो आगे कालेज में नहीं पढ़ सकते। वह अपनी रोजी-रोटी इसके माध्यम से उसमें ट्रेनिंग लेकर के कमा सकेंगे। लेकिन मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि पिछली सरकार में भी और अभी भी जो हमारे वहां पर आई.टी.आई. के केन्द्र हैं वह खाली पड़े हैं। वहां पर बच्चे इसलिए भर्ती नहीं हो रहे हैं कि उनको कोई पढ़ाने वाला नहीं है। यह तो कम से कम आदरणीय मंत्री जी ध्यान रखें कि जहां पर आई.टी.आई. केन्द्र हैं वहां पर कोई अध्यापक ही नहीं है। आप नये 20 आई.टी.आई. खोलने जा रहे हैं, पुराने वालों में अध्यापक नहीं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि पुराने वाले आई.टी.आई. में जहां स्टाफ की कमी है उनकी स्टाफ पूर्ति की जाये।

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो समय ही नहीं लिया है। संयमजी 35 मिनट तक बोले, आप कुछ नहीं बोलीं और मैं सिर्फ मेरे जालौर की बात बता रहा हूं और आप कह रही हैं कि समाप्त करो।

श्री अध्यक्ष : हां, बात तो आप जालौर की ही कर रहे हैं।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार पीने के पानी की काफी समय से स्कूलों में समस्या है। मैं अनुरोध करूंगा कि जो राजीव गांधी स्कूल हैं, जो प्राइमरी स्कूल हैं। दूरदराज के क्षेत्रों में खोल दिये गये हैं तो वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था करायें।

अध्यक्ष महोदय, अभी जो बच्चों के लिए दाल-बाटी का कार्यक्रम रखा गया है, वह अच्छा कार्यक्रम है। उनको मिलना चाहिए। लेकिन मैं अनुरोध करूंगा कि जहां-जहां एक टीचर है वहां शिक्षा का काम तो छोड़ दिया है और उनका पूरा का पूरा ध्यान इस पर केन्द्रित रहता है कि समय पर दाल-बाटी बच्चों को वितरित होनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि इसके बारे में शिक्षकों को नहीं जोड़ते हुए किसी दूसरी एजेंसी से या कोई ऐसा काम किया जाये ताकि शिक्षा के क्षेत्र के लोग इससे प्रभावित नहीं हो।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से एक नयी शिक्षा चल रही है सर्व शिक्षा के तहत कि स्कूलों में जो कमरे बनेंगे वह अध्यापक बनावायेंगे। मैं कई जगह जाता हूं वहां पूछते हैं कि अध्यापक कहां गया तो कहते हैं कि सीमेन्ट लेने गया है, चूना लेने गया है। पहले तो स्कूल में एक टीचर लगा हुआ है और वह भी दाल-बाटी बनाये या स्कूलों में कमरे बनाने में लग जाये तो आखिर बच्चों को कौन पढ़ायेगा?

अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि यह बात बिलकुल सही है कि सभी माननीय विधायक उससे सहमत होंगे कि यह जो स्कूलों के कमरे हैं या जो भवन बनाने के काम हैं, न तो वह अध्यापक ट्रेंड हैं वह पंचायत समितियों के माध्यम से या जैसे भी आप चाहें लें। वह अपना स्कूल में तो पूरा समय दें। इसी प्रकार से अभी सर्व शिक्षा अभियान के तहत अध्यापकों को ट्रेनिंग दी गयी 12 दिन की, वहीं पर रहेंगे 15 दिन, वहीं पर ट्रेनिंग लेंगे। कई स्कूल ऐसे हो गये जहां पर एक भी अध्यापक नहीं है। वह

(श्री अर्जुन सिंह देवड़ा)

अध्यापक ट्रेनिंग में चला गया तो मैं शिक्षा मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि यह ट्रेनिंग दिलाई जाये, दिलानी चाहिए। लेकिन छुट्टियों के टाइम में दिलानी चाहिए। नहीं तो 12-12 दिन तक स्कूलें बंद रहें। यह समस्या है तभी मैं बता रहा हूं। मैं तो फील्ड में रहता हूं, मैंने देखा है। शिक्षा मंत्रीजी, यदि ट्रेनिंग आवश्यक है, दिलानी चाहिए लेकिन कम से कम छुट्टियों के समय में नहीं तो वह सभी स्कूलों में 12 दिन की छुट्टी रहती है। एक ही टीचर था वह स्कूल में लॉक लगाकर चला गया और वहां पर पीछे कोई पढ़ाने वाला नहीं रहा।

श्री अध्यक्ष : आप कृपया समाप्त करें।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : इसी तरह से खेलों का है। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ भी ऐसी बात नहीं बोलने वाला हूं। खेलों में हम जहां पर टूनार्मेंट होते हैं वहां पर जाते हैं। अभी राजस्थान में पिछली साल हमारे यहां पर राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रतियोगिता हुई। उसमें पूरे राजस्थान में मात्र 11 इनाम ज़ीते। दो जूडो में, स्वर्ण पदक, रजत पदक चार जूडो, हैण्डबाल और वालीबाल और कांस्य पदक पांच, जिसमें तीन जूडो और दो कुश्ती के। यह सब इंडोर गेम्स हैं। जो स्कूलों में टूनार्मेंट होते हैं और हम सब वहां पर जाते हैं। वहां मास्टर क्या करते हैं कि एक दिन पहले टीम बना देते हैं, रामा तू आ जाना, भगवाना तू आ जाना, कबड्डी खेल लेना। उनको कुछ भी ज्ञान नहीं होता। बच्चों को यदि 15 दिन या महीने पहले ट्रेंड किया जाये तो काफी अच्छा खेल सकते हैं। लेकिन बिना तैयारी के उनको वहां पर लाकर के रखते हैं, जहां हारे या जीते और छुट्टी कर देते हैं तो मेरा शिक्षा मंत्रीजी से अनुरोध है कि कृपा करके शिक्षा के साथ-साथ में बच्चों को शारीरिक शिक्षा भी होना जरूरी है। इसलिए खेलों को ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। और राजस्थान जैसे प्रदेश में तो यदि बच्चों के ऊपर, हम भी स्कूलों में पढ़ते थे तो एक घंटा गेम्स का हुआ करता था। सभी बच्चे खेलते थे। आज तो हमारे गांवों में स्कूलों की छुट्टी होने के बाद ही अध्यापक घर जाने की तैयारी करते हैं। तो खेल जो वहां ग्रामीण क्षेत्र में खेलते हैं उन पर ध्यान दिया जाये और उनको इस प्रकार से तराशा जाये कि वह आने वाले समय में हमारा अच्छा प्रतिनिधित्व कर सकें।

अध्यक्ष महोदय, पर्यटन के क्षेत्र में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुऐ मेरे जिले जालौर में सूंडामाता का एक पर्वतीय धार्मिक स्थल है। जहां पर गुजरात,

(श्री अर्जुन सिंह देवड़ा)

बाडमेर, जैसलमेर हर जगह से हर शुक्ल पक्ष में 50-60 हजार तीर्थ यात्री आते हैं।

मैं माननीय पर्यटन मंत्रीजी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि पर्यटन की दृष्टि से सूण्डामाता मंदिर को भी नक्शे पर लिया जाए।

इसी तरह से तेरहवीं शताब्दी में महाराव गांगवदेव ने जालौर में किला बनाया था। अध्यक्ष महोदय, पिछले साल भी पर्यटन में जालौर को कुछ नहीं दिया। इस साल के लिए पर्यटन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जालौर के किलों को भी प्राथमिकता दी जाए क्योंकि वहां पर भी कई शहीद हुए हैं, जौहर हुए हैं। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह रावत (अनुपस्थित) । श्री बाबूलाल नागर। आपके लिए पांच मिनट का ही समय है। मैं इसलिए कह रही हूं कि मैं आपको सचमूच ही पांच मिनट का समय दूंगी।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : अच्छा, अध्यक्ष महोदय, कोई बात नहीं। मैं सटीक बात ही कर लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : मेरी बात सुनिए। चूंकि अर्जुन सिंह देवड़ा बहुत कम बोलते हैं इसलिए मैंने उनको छूट दे दी और संयम लोढ़ा अपनी पार्टी की ओर से बोल रहे थे इसलिए मैंने उनको छूट दे दी। बाकी अब मैं किसी को छूट नहीं दूंगी, इसीलिए मैंने आपको कहा है। अब आप प्रारम्भ करें।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, जब से हमारा मुल्क आजाद हुआ है, पिछले 55 वर्षों में हमने शिक्षा में निश्चित रूप से तरक्की की है। अभी माननीय सदस्य सुन्दरलालजी बोल रहे थे। मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछले पांच-दस सालो में हम जब पहले पढ़ते थे दूसरी-तीसरी कक्षा में तो हम शिक्षकों का बहुत आदर करते थे। वह शिक्षक आज भी कहीं मिल जाते हैं तो उनके पैर छूकर हम प्रणाम करते हैं। लेकिन आपने जिस तरह से स्कूल खोल दिए, कांग्रेस सरकार ने स्कूल खोल दिए, आप खोल रहे हैं, पहले दो किलोमीटर पर स्कूल खोल दिए, अब आप एक किलोमीटर पर स्कूल खोल रहे हैं। राजीव गांधी पाठशालाएं खोल दी, ढाणी

(श्री बाबूलाल नागर)

ढाणी में स्कूल खोल दी। लेकिन छात्र और शिक्षक के बीच जो भाव होता है मंत्रीजी, वह समाप्त हो गया है। उसको आप तलाशें कि क्या कारण हो गए। यह बात सही है कि वैज्ञानिक जमाना आ गया, पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव भी पड़ रहा है। लेकिन निश्चित रूप से नैतिकता का पाठ कहीं न कहीं कम जरूर हुआ है। शिक्षक का भाव जो अध्यापन और छात्र के प्रति होता था उसमें कमी आ गई है। मैं चाहता हूं कि आप ज्ञानी शिक्षा मंत्रीजी हैं, आप निश्चित रूप से इसमें सुधार करेंगे। पिछले दो-चार-पांच-दस साल से मैं देख रहा हूं कि आपकी निरीक्षण व्यवस्था बहुत कमजोर है। आप इसकी मोनिटरिंग करें कि जिला शिक्षा अधिकारी को कितनी बार विजीट करना है और ब्लाक शिक्षा अधिकारी को कितनी बार। इसका सत्यापन आप अपने उच्चाधिकारियों से भी अलग-अलग मौकों पर कराएं तो मैं समझता हूं कि ठीक होगा।

अध्यक्ष महोदय, यह कैसी व्यवस्था हो गई कि पांचवी कक्षा तक किसी को भी फेल नहीं किया जाएगा, चाहे व बच्चा खाली कापी ही छोड़ कर आ जाए। इसमें यह व्यवस्था जरूर की है कि जो कमजोर बच्चा है उसकी दुबारा परीक्षा ली जाए। लेकिन हमारे अध्यापक भी इतने ज्ञानी हो गए कि वह समझ रहे हैं कि पास तो करना ही है तो दुबारा परीक्षा लेने का मामला क्यों रखें, क्यों समय खराब करें। सीधा ही उसको सीढ़ी पर प्रमोशन देते जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। मैं चाहता हूं कि इसमें निश्चित रूप से कोई गुणात्मक बदलाव लाया जाए और कोई ठोस व्यवस्था की जाए।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर समानीकरण की बात कही। 170 छात्रों पर दो अध्यापक काम कर रहे हैं, इनमें से एक अध्यापक को तो आपकी सरकार के रोज ही के जो गणना के काम हैं उसमें स्थायी रूप से लगा रखते हैं। तो अब आप 170 छात्रों का स्कूल एक अध्यापक से कैसे चलाना चाहते हैं? यह मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आप आधा किलोमीटर पर स्कूल खोल दो, आप 100 मीटर पर स्कूल खोल दो। लेकिन 170 बच्चों को पांचवीं कक्षा तक किस तरह से आप एक ही अध्यापक से पढ़ा सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह से तो वह अध्यापक बच्चों को खाली एक जगह इकट्टा करके रख सकता है कि भाई हल्ला मत करो, इस तरह से केवल बैठा ही सकता है।

भर्ती का काम निश्चित रूप से अच्छा हुआ है, देर से हुआ, आपने किया। ऐसी ही भर्ती कांग्रेस सरकार ने भी राजीव गांधी पाठशालाओं में

(श्री बाबूलाल नागर)

अध्यापकों की की थी, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। मंत्रीजी, पिछले दिनों आपने हाउस में कहा कि एस.सी., एस.टी. का बैकलाग पूरा कर दिया गया है। आपने यह भी कहा कि कमी बेशी रह जाएगी तो उसको भी पूरा कर देंगे। निश्चित रूप से आपने बैक लाग पूरा कर दिया है या नहीं, यदि पूरा कर दिया है तो मैं आपको खुले मन से आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन मंत्रीजी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे शिडयूल्ड कास्ट के जिन बेरोजगारों ने अध्यापक का एक्जाम दिया है, उनका बहुत बुरा हाल है। ऐवरी डे हर विधायक के घर के बाहर 20-20, 30-30 आदमी शिडयूल्ड कास्ट के भटक रहे हैं। हरेक आदमी एक ही बात कहता है, (व्यवधान) मैं कोई ज्यादा लम्बा भाषण नहीं दे रहा...

श्री विष्णु मोदी (मसूदा) : पिछले पांच साल में आपने क्या किया उसका जवाब दो।

श्री बाबूलाल नागर : मोदी साहब, पिछले पांच साल में हमने जो किया उसके आधार पर आप यहां आकर बैठ गए, नहीं तो यहां भी नहीं आते।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वे लोग बहुत भारी परेशानी में है। मैं आप पर शंका व्यक्त नहीं कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आप घड़ी मत देखो, मैं दो ही मिनट में अपनी बात कह रहा हूं। मंत्रीजी, वह सब आकर कहते हैं कि पता नहीं शिक्षा मंत्रीजी ने क्या भ्रमजाल फैला दिया। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, उनकी सोच है। मैंने कहा कि शिक्षा मंत्रीजी तो बहुत काबिल आदमी है, बहुत ज्ञानी आदमी हैं, विद्वान आदमी हैं, वह भ्रमजाल वाला मामला नहीं कर सकते। मैं कहना चाहता हूं कि आपने 33936 अध्यापकों की भर्ती करने की बात की है। आपने शिडयूल्ड कास्ट की जो मैरिट लिस्ट बनाई है, जो आपने उसमें चयनित किए हैं आर पी एस सी से, उसमें मेल 3389 और फीमेल 1447 । इस तरह से टोटल 4836 होता है। अध्यक्ष महोदय अगर 33936 का 16 प्रतिशत करते हैं तो 5429 होता है और आप बैक लाग की बात करते हैं।

मंत्रीजी, मैं दो तीन बातें आपसे जानना चाहता हूं, कृपया आप जब जवाब दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के कुल कितने पद

(श्री बाबूलाल नागर)

स्वीकृत हैं? जितने पद स्वीकृत हैं उनमें एस.सी., एस.टी. ओ.बी.सी. और जनरल के कितने पद स्वीकृत हैं? इस भर्ती में आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओ.बी.सी. और जनरल के कितने लोग भर्ती कर रहे हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : ओ.बी.सी. का बैक लाग नहीं होता है।

श्री बाबूलाल नागर : अच्छा कोई बात नहीं। आप यह जरूर बता दें कि कितने भर्ती करेंगे और कितना पिछला बैक लाग रहा है। मैं आपसे यह नहीं जानना चाह रहा कि कितने लोग राजस्थान में शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने पुराना पाठयक्रम बदल दिया। मैं निवेदन करूं, मैं इसकी पुख्ता जानकारी लेकर आया हूं, पुरानी किताबें आपने लगा दी। तो मैं आपसे यह जरूर चाहूंगा कि आप इसमें पूरा ध्यान दें।

मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि प्राइमरी तक जनसंख्या, क्योंकि जो पाठयक्रम है, क्योंकि आज हम खूब काम कर रहे हैं, खूब योजनाएं बना रहे हैं, खूब पैसा खर्च कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें जितनी सफलता मिलनी चाहिए, यह जनसंख्या की बढ़ोतरी की वजह से नहीं मिल पा रही। आप विभाग में कोई ऐसी व्यवस्था करें कि जनसंख्या पर कैसे राजस्थान में नियंत्रण हो सकता है। इसलिए निश्चित रूप से पर्यावरण के सम्बन्ध में, जनसंख्या के सम्बन्ध में, नैतिक शिक्षा के सम्बन्ध में, क्योंकि प्राइमरी स्तर पर इसको लागू करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चों में संस्कार आएंगे और यह होना भी चाहिए। आप देख लें आप कितने कालेज खोल लें, कितने ही आप बी.एड. कालेज खोल लें, कितने ही आप महाविद्यालय खोल लें, लेकिन जो संस्कार, जो भावनाएं सरकारी स्कूलों में मिलती है, जिस तरह से भाव उनमें होता है वो भाव इन प्राइवेट स्कूलों में नहीं मिलेगा। इसलिए मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं और आपसे एक-दो और निवेदन करना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, मेरी बात खतम हो गई...

श्री अध्यक्ष : श्री मदन राठौड़।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : 10 मिनट हो गये।

श्री बाबूलाल नागर : मैं खतम कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई भाषण नहीं दिया, मैं सटीक बात कह रहा हूं, दो मिनट।

श्री अध्यक्ष : आई एम सारी। 5 मिनट का समय आपने खुद कहा था, 10 मिनट आपने ले लिये और सम अप आप कर नहीं रहे, मैं क्या करूं।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो बात कही, मैं चाहूंगा शिक्षा मंत्रीजी अपने जवाब में विशेष तौर पर एस.सी. का जो बैक लाग है इसके बारे में मैंने जो पाइंटवाइज बात कही है, क्योंकि आपने अखबार में बयान भी दिया है। मैं निवेदन करूं आपका बयान छपा...

श्री अध्यक्ष : आपने कह दिया।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्षजी, मैंने पूरा कर लिया। आपका बयान छपा है कि हमने बैक लाग पूरा कर लिया, लेकिन कहीं भी यह नहीं छपा कि शिडयूल्ड कास्ट के राजस्थान में हमारे पास कितने पद हैं (व्यवधान) एक मिनट में खतम कर रहा हूं मदनजी। कितने पद हैं और कितने पद की हम भर्ती कर रहे हैं, कितना बैक लाग है और हम कितने लोगों को इस प्रक्रिया में लेंगे, यही आपसे मै कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मदन राठौड़।

श्री मदन राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उदारता से इस बार जो बजट दिया है और साथ ही हमारे सम्माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने जो इतिहास रचा है शिक्षा के मामले में उसकी कोई बराबरी नहीं हो सकती। अभी सिरोही से आने वाले माननीय विधायक बहुत जोर-जोर से चिल्ला रहे थे हम चौड़े और गली संकड़ी वाली बात लग रही थी। वो जोर-जोर से कह रहे थे, वे बहुत दुखी हैं, वे मेरे पड़ौसी हैं, एक नदी हमारे बीच में है। मुझे जानकारी है कि उनके यहां एक ही महाविद्यालय भवन बनना चाहिए

(श्री मदन राठौड़)

था और पूरे 5 वर्ष उनके तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी की चाटुकारिता करते रहे और किसी भी प्रकार से वो अपने यहां महाविद्यालय भवन स्वीकृत नहीं करा सके। मैं तो उनको कहूंगा कि आप कृपा करके साधुवाद दें हमारे माननीय शिक्षा मंत्रीजी को और माननीय मुख्य मंत्रीजी को उन्होंने बिना भेदभाव किये सिरोही में महाविद्यालय भवन निर्माण की घोषणा की। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं हमारे सुमेरपुर में भगवान महावीर अस्पताल है। उन्होंने एक प्राइवेट मेडिकल कालेज के लिए जमीन मांगी थी। 10 वर्ष पहले जमीन की स्वीकृति हुई, लेकिन वो किसी कारण से सिरोही के माननीय विधायक के चक्कर में आ गये, पूरे 5 वर्ष तक चक्कर काटते रहे, उनकी जूतियां घिस गई, लेकिन वे वहां पर भूमि अलाट नहीं करा सके। मैं राजस्थान की सहृदय मुख्य मंत्री वसुंधराजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने कि मुख्य मंत्री बनते ही 250 बीघा जमीन को भगवान महावीर अस्पताल को आबंटित करा दी। साथ में यह शर्त भी रख दी कि 3 वर्ष में आपको मेडिकल कालेज बनाकर प्रारम्भ करना पड़ेगा। मैं यह सोचता हूं कि निश्चित रूप से भगवान महावीर मेडिकल कालेज बन कर वहां खड़ा होगा।

सुमेरपुर में एक महिला महाविद्यालय की आवश्यकता है। मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वो इसके लिए भी घोषणा करें तो हम पर बड़ी कृपा होगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्रीजी को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस शासनकाल में बच्चों को एड्स की शिक्षा देने का गलत प्रयोग शुरू कर दिया है। बच्चों को एड्स की शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। मैं सोचता हूं यह बहुत भद्दा प्रदर्शन है। छोटे-छोटे बच्चे जो किसी रूप में समझते नहीं हैं, विद्यालयों में एड्स शिक्षा को रोकना चाहिए। मैं सोचता हूं कि इस प्रकार का प्रयास ठीक नहीं रहेगा। बच्चों को गलत संस्कार देते हैं, गलत दिशा में बच्चे जल्दी जा सकते हैं इस प्रकार का खतरा लगता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि 1 से 12 क्लास तक की बच्चियों को और आठवीं कक्षा तक के बच्चों की फीस तो उन्होंने माफ की। लेकिन विद्यालयों में और कोई अनुदान आप दें सकें ताकि वो विद्यालय अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद कार्यक्रम सम्पन्न करा

(श्री मदन राठौड़)

सकें। नहीं तो इन छोटे-छोटे कामों के लिए उनको इधर-उधर किसी दानदाता को पकड़ना पड़ता है और 4-5 हजार का खर्चा करने के लिए उनको इधर-उधर देखन पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय, संस्कृत के विद्वानों की ओर कोई आज तक देखता नहीं था। माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने जो संस्कृत के विद्वान हैं और जो जरूरतमंद हैं उनकी विशिष्ट योगदान जिनका कोई भी हो, उनको 10 हजार रुपये वार्षिक सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, मैं इसके लिए इनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, पाश्चात्य देश निश्चित रूप से भौतिकवाद में अग्रणी हो सकते हैं, लेकिन वहां पर सांस्कृतिक विरासत नहीं है, वहां पर शांति नहीं मिलती है और शांति की खोज में वे भारत में आ रहे हैं और यहां पर सिर मुंडाकर हरे रामा हरे कृष्णा कहते हुए जगह-जगह हम देख सकते हैं यहां पर घूम रहे हैं और उनको यहीं पर शांति मिल रही है। इसका एकमात्र कारण है कि हमारे यहां सांस्कृतिक विरासत है। हमारे यहां साहित्यक विरासत है, वेदाश्रम हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय शिक्षा मंत्रीजी को उन्होंने वेदाश्रमों की स्थापना के लिए निर्णय लिया है और राजस्थान के प्रत्येक जिले में एक वेदाश्रम स्थापित करने वाले हैं इस प्रकार की घोषणा भी निश्चित रूप से सराहनीय है।

अध्यक्ष महोदय, संस्कृत संभाषण में योग्य बनने के लिए संस्कृत शोध पुस्तकालय संचालित करने के लिए इन्होंने 5400 संस्कृत ग्रंथ और 3500 हस्तलिखित संस्कृत ग्रंथ, पाण्डुलिपियों को पुस्तकालय में रखा है। और उनके रचयिताओं को भी संकलित करने के लिए जो ला-लाकर दे रहे हैं उनको भी प्रोत्साहित करने का इन्होंने प्रयास किया है। निश्चित रूप से यह भी सराहनीय है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कारगिल युद्ध में शहीद हुए उन शहीदों के नाम से 89 माध्यमिक विद्यालयों का नामकरण किया, इसके लिए मैं शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा। विधवाओं के बच्चों को महाविद्यालय स्तर तक नि:शुल्क शिक्षा देने का जो इन्होंने निर्णय किया है यह भी निश्चित रूप से सराहनीय कृत्य है।

(श्री मदन राठौड़)

अध्यक्ष महोदय, सिरोही से आने वाले और दूसरा विधायक बोल रहे थे उर्दू के लिए कुछ नहीं किया। मैं शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा इन्होंने उर्दू, सिंधी, पंजाबी और गुजरती इन छोटी-छोटी भाषाओं के लिए 20-20 लाख का प्रावधान इस बार रखा है। उर्दू शिक्षा के लिए 363 माध्यमिक विद्यालयों में उर्दू शिक्षा, 25 विद्यालयों में सिंधी भाषा की शिक्षा, 64 विद्यालयों में पंजाबी भाषा की शिक्षा और 9 विद्यालयों में गुजराती भाषा की शिक्षा दिलाने की इन्होंने घोषणा की है, वह भी सराहनीय है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वे मदरसों के लिए बोल रहे थे कि मदरसों के विकास के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा मदरसों राजीव गांधी पाठशाला के लिए इन्होंने 400 लाख की व्यवस्था की है। यह कोई कम बात नहीं है मदरसों राजीव गांधी पाठशाला के लिए। संस्कृत राजीव गांधी पाठशाला के लिए इन्होंने 94 लाख की व्यवस्था की है और 250 शालाओं में पैराटीचर्स को मानदेय देने की घोषणा की है, यह भी कोई कम बात नहीं है।

इंजीनियरिंग महाविद्यालय 6 तो राजकीय और 36 प्राइवेट इंजीनियरिंग कालेज, पोलोटेक्नीक महाविद्यालय 21 राजकीय और 2 प्राइवेट। इसी प्रकार से राजस्थान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 106, (जिनमें 8 महिला प्रशिक्षण संस्थान) और 62 प्राइवेट प्रशिक्षण संस्थान। इसी प्रकार से व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र 4, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर में इन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था की है, निश्चित रूप से इनकी भी इस विषय पर सराहना की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, हमारे पाली जिले में कई ऐसे पर्यटक स्थल हैं जिनको पर्यटक स्थल मानकर विकास की दृष्टि से कुछ काम किया जाना चाहिए। हमारे यहां रणकपुर का एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है। आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ, जो उसके खंभों को गिन सके, इतने वहां पर कलाकृति युक्त खंभे हैं। इसी प्रकार से वहां पर पास में एक परशुराम महादेव मंदिर है जहां पर प्रतिवर्ष लाखों तीर्थ यात्री आते हैं। सोनाना खेतलाजी मंदिर है, वो भी तीर्थ स्थल है जहां पर भी राजस्थानी परम्पराओं से सुसज्जित गेरें वहां आती है और वहां पर भी सांस्कृतिक विरासत है, बहुत बड़े मेले लगते हैं। वहां पर भी बहुत तीर्थ

(श्री मदन राठौड़)

यात्री आते हैं उसका भी विकास किया जाना चाहिए। मेरे सुमेरपुर में एक कोरटा जी जैन तीर्थ है जो भगवान पार्श्वनाथ के जमाने में बनकर तैयार हुआ था। बहुत प्रसिद्ध है, वहां पर भी लाखों श्रद्धालु आते हैं उसको भी विकसित किया जाना चाहिए। यही नहीं सालासर महादेव तीर्थ जो मेरे सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र में स्थिति हैं, वहां पर केवल 5 किलोमीटर सड़क बनना शेष रह गई है। बाकी तो सड़क बनी हुई है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहूंगा कि पांच किलोमीटर सड़क भी यदि निर्माण आप करवा सकें तो निश्चित रूप से उस तीर्थ का विकास होगा और वहां पर भी कई श्रद्धालु प्रतिवर्ष आया करते हैं।

बिराटिया में रामदेव तीर्थ है। एक तो पोकरण में है उसी प्रकार से दूसरा एक बिराटिया में है उसको भी विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। मीरा जो भक्तिमयी मीरा, उसकी जन्मस्थली मीरल पाली जिले के कुड़की ग्राम में स्थित है उसको भी तीर्थ स्थल घोषित किया जाना चाहिए। वहां पर भी निश्चित रूप से पर्यटक आएंगे। इसके लिए भी मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप उसको भी विकसित करने का प्रयास करें। एक मैं आपको निवेदन करूंगा कि मेरे पाली जिले में कई गढ़ हैं जिनमें 25-25 फीट ढ़ाई मीटर की जो बड़ी-बडी चक्कियां हैं जो उस जमाने में कैदी लोग, अपराधी लोग उस चक्की को चलाया करते थे। ऐसे ऐसे कई गीतों में गाया जाता है। आउवा अशोप धणिया मोतियां री माला, इस प्रकार के गीत राजस्थानी भाषा में गाये जाते हैं तो आउवा का गढ़ है वह भी निश्चित रूप से पर्यटक स्थल हो सकता है। इसी प्रकार से घाणेराव, यह हमारे यहां कहावत है कि यह कोई घाणेराव का रावला नहीं है। यानी घाणेराव में खुली छूट थी कोई भी जाति का आए, कोई भी बिरादरी का आए तो वहां भोजन करके जा सकता है, इस प्रकार की वहां पर व्यवस्था थी। तो घाणेराव को भी पर्यटक स्थल घोषित किया जाना चाहिए।

सोजत में हवाई अड्डा है उसको भी विकसित करने का मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा। यह कई तीर्थ स्थल हैं वहां पर पेयजल की सुविधा, सड़क निर्माण की सुविधा और बसों का आवागमन यह विकसित किया जाना चाहिए। यह आपके माध्यम से निवेदन करूंगा। आपके माध्यम से मैं फिर से

(श्री मदन राठौड़)

एक बार माननीय शिक्षा मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्री को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करने का जो बीड़ा उठाया है, जो ऐतिहासिक कृत्य किया है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री जीतमल खांट।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में मांग संख्या–24 पर अपनी बात कहना चाहता हूं। निश्चित रूप से सच्चाई को स्वीकार करना पड़ता है। हमारे शिक्षा जगत में जिस तरीके के से जो क्रांतिकारी परिवर्तन सम्मानीय शिक्षा मंत्रीजी जो लाये हैं और इस पांच साल के अपने कार्यकाल में पूरे राजस्थान का शिक्षा के जगत में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा और शायद ही कोई सम्माननीय तिवारी साहब को भूल पाएगा। मैं आपके माध्यम से बिना किसी भूमि के आपने इस बजट सत्र में जो-जो भी प्रावधान किए हैं निश्चित रूप से गांव, ढाणी और मजरों में रहने वाले उस ग्रामीण झौंपड़ी में रहने वाले उस बालक को उसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा।

मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जो महत्वपूर्ण सुझाव हैं, मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि तत्कालीन सरकार के माध्यम से जो राजीव गांधी पैराटीचरों को जिस तरीके से भर्ती किया गया था और उनको जिस आर.पी.एस.सी. का सामना भी करना पड़ा। क्योंकि सारे बी.एड. और एस.टी.सी. किए हुए जिनका चयन नहीं हो पाया, मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि पैरा टीचरों का जो मानदेय है निश्चित रूप से आप बढ़ाएंगे। क्योंकि पूरे राजस्थान क्षेत्र में जहा भी पैराटीचर हैं इस बजट में कहीं भी नाम नहीं आने से बड़ी उनके निराशा हाथ लगी है। आपका इंतजार करके बैठे हैं कि हमारे शिक्षा मंत्रीजी निश्चित रूप से हमारे लिए हमें कुछ उपहार के रूप में देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जो प्रशिक्षित बेरोजगार हैं इसके लिए आप कुछ उपहार देंगे।

मैं दूसरा बिन्दु आपके समक्ष रखना चाह रहा हूं कि जिन पैराटीचरों का आर.पी.एस.सी. में चयन हो गया है वह पद रिक्त हैं। जैसे आनन्दपुरी का व्यक्ति पीललखूंट में लग रहा था, पीपलखूंट का व्यक्ति कुशलगढ़ में लग रहा

(श्री जीतमल खांट)

था। मैं चाहता हूं कि आप उनके लिए कोई स्थानान्तरण की नीति करें क्योंकि पैराटीचरों का आर.पी.एस.सी. में चयन हो जाने से वह जगह खाली हो गई तो उनके लिए कुछ स्थानान्तरण की नीति बने ताकि 70-70, सौ-सौ किलोमीटर की दूरी पर जाकर अपने अध्यापन का कार्य करते हैं।

तीसरा बिन्दु, सबसे बड़ी हमारे सामने तकलीफ है कि मिड-डे मील, यह भी हमारे मुख्य मंत्रीजी का बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मिड-डे मील का जितना भी भोजन बनाने का जो कार्यक्रम है क्योंकि हम जलधारी के साथ में एक आदमी और जोड़ दिया जाए। अगर आप किसी ट्रस्ट को उसमें सहभागिता जोड़ेंगे या किसी एन.जी.ओ. को जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार होगा। और अगर जलधारी के साथ में एक व्यक्ति को जोड़ दिया जाता है तो उस व्यक्ति को मिनिमम चार्जेज पर उन सौ या सवा सौ जो भी बालक होंगे उनको अपना दिन का भोजन बनाकर खिला सकता है। और स्थानीय विद्यालय के शिक्षक की देखरेख में यह सारा काम चलेगा। और जलधारी को मिनिमम 30 रुपये मिलते हैं, इसको कम से कम सौ रुपये और अगर कर दिया जाए तो सौ-सौ रुपये में दो आदमी लग जाएं तो बहुत बड़ा यह गरीब का भी कोई भला हो सकता है।

चौथा मैं बिन्दु आपके समक्ष सर्व शिक्षा अभियान का प्रसार. प्रचार केन्द्र सरकार और राजस्थान सरकार के माध्यम से चल रहा है। मैं विनम्र शब्दों में शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि एक तो आपने पंचायत प्रभारी बना रखा है वह पंचायत प्रभारी जिसे उस पंचायात सर्किल के अन्दर 5 या 7 स्कूल होते हैं। सारे दिन भर यही घूमने का काम करता रहता है कि यहां पर क्या समस्या आ रही है, निर्माण सामग्री कहां लग रही है, क्या हो रहा है। और उस विद्यालय, जिस विद्यालय के अन्दर भवन निर्माण का काम हो रहा है, एक शिक्षक सारा दिन भर कहां सीमेंट लेने जा रहा है, कहां पत्थर की ट्रोली आ रहा है, नहीं आ रही है, यह इस तरीके की और बिना कोई उसको तकनीकी, हम शिक्षा को यह नहीं कह सकते हैं लेकिन तकनीकी ज्ञान है नहीं। और बिना तकनीकी ज्ञान के किस तरीके से काम हो रहा है। क्या नहीं हो रहाह है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि वहां पर कई सारे हमारे डिप्लोमाधारी शिक्षक प्रशिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं। कम से कम आप उनको योग्यता के आधार पर उस जगह पर लगाएं या पंचायत समिति के माध्यम से काम कराएं ताकि उसमें पारदर्शिता आ सके।

सदन की कार्यवाही

वि न सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

महा र प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाए।

ध्यक्ष : प्रस्ताव यह है कि क्या सदन का समय दो घंटे के लिए और बढ़ाया जाए? सदन की अनुमति है?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटे के लिए और बढाया जाता है।

मांग संख्या 24 एवं 47 पर विचार

तमल खांट : पांचवां बिन्दु, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आपने अनुसूचित जाति, जनजाति के उस क्षेत्र में आपने बालिका शिक्षा में और क्रांतिकारी परिवर्तन आ गये, इस बात के लिये आपने नि:शुल्क साइकिलों का वितरण करने का भी आपने लक्ष्य रखा है। इसके साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि एक-एक साइकिल की कीमत दो-दो, ढ़ाई-ढ़ाई हजार रुपये है। तो, क्योंकि, इस ट्राइबल सब प्लान का जितना भी एरिया आता है, वहां के कई ऐसे, माननीय मंत्रीजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने भी इस इलाके को, लम्बे समय से आप राजनीति में हैं। उस आदिवासी क्षेत्र के अन्दर अब भी गरीबी, बेरोजगारी मुंह फाड़कर खड़ी है। कई परिस्थितियों में लोग अपने जीवन की दिनचर्या बड़ी मुश्किल से पूरी करते हैं। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जितने भी जो कम्प्यूटर की जो फीस वसूल कर रहे हैं उस क्षेत्र के अन्दर कम से कम नि:शुल्क कम्प्यूटर शिक्षा दिलाने की आप व्यवस्था करेंगे।

(16.59 बजे)

(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति, पदासीन)

(श्री जीतमल खांट)

क्योंकि आप और हमने विधान सभा के चुनाव के दरम्यान भी वायदे किए हुए हैं। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इतनी सारी धनराशि और जगह के लिए खर्च कर रहे हैं। कई मदों में आपने कल्याणकारी घोषणा की है तो एक छोटा सा सवाल है उस पर भी आप अपना ध्यान देंगे।

(17.00 बजे)

मैं अंत में एक बात और कहना चाहूंगा कि बालकों के अनुपात में शिक्षकों से अध्यापन कराने की क्या व्यवस्था की है मुझे मालूम नहीं है। लेकिन 40 बालकों के अनुपात में एक अध्यापक होगा तो सही मायने में बच्चों को शिक्षा-दीक्षा करा पायेगा अन्यथा 70 बालकों के ऊपर एक अध्यापक रखने से मात्र जैसे एक ग्वाला जाता है और सब पशुओं को इकट्टा करके चराने का काम करता है यही हालात बनेंगे। इसलिए माननीय मंत्रीजी, आप काफी गम्भीर व्यक्ति हैं, इस पर भी अपना ध्यान रखेंगे।

अंत में मेरी बात को समाप्त करने से पहले पांच साल के अन्दर आपका जो काम करने का तरीका है, निश्चित रूप से तिवाड़ी साहब आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन एक काम और कर दीजिये कि प्रत्येक पंचायत मुख्यावास पर एक माध्यमिक विद्यालय खोल देंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता तो आपको कभी नहीं भूलेगी। मैं ज्यादा बात नहीं कहते हुए जो-जो सुझाव मैंने आपके समक्ष रखे हैं, निश्चित रूप से आप क्रियान्वित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर) : सभापति महोदय, शिक्षा और कला, संस्कृति की मांग पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। शिक्षा किसी भी देश की एक जान हो सकती है। शिक्षा नहीं होने के कारण जो भी सामाजिक जीवन के अन्दर व्याप्त बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं वह अशिक्षा के कारण हैं। इसलिए शिक्षा का चहुंमुखी विकास हो।

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

पहली बार यह देखा गया है कि शिक्षा को हर क्षेत्र में कैसे विकसित किया जाए यह इस बार माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने जो अपने कार्यकलापों में लिया इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं। पिछली सरकारों में और पिछले पांच वर्षों में अभी माननीय विधायक कह रहे थे कि शिक्षा का एक जंजाल फैला रखा था शिक्षा विभाग के अन्दर। पैराटीचर, संविदा टीचर, गहलोत टीचर, जोशी टीचर, कल्ला टीचर, इस तरह के सारे टीचर का जंजाल था। मतलब 10 तरह के टीचर का शिक्षा के अंदर जंजाल फैला रखा था और यह पहली बार हुआ कि विभिन्न प्रकार से कोटों के विषय में अपने आपको पेश करते हुए और इस सारे शिक्षा जंजाल को एक मंच के नीचे, एक छत के नीचे लाकर के एक सरलीकरण जो किया उसके लिए भी घनश्यामजी बहुत-बहुत धन्यवाद के पात्र हैं।

श्री रामचन्द्र सराधना : तिवाड़ी टीचर नहीं कहेंगे?

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : वो तो नहीं कहेंगे। यह राजस्थान के शिक्षक हैं। आपने पहले बहुत नाम दिये थे। कुछ बातें स्वीकार करनी पड़ेगी और यथार्थ को स्वीकार करने की ताकत प्रतिपक्ष में होनी चाहिए। यह पहली बार इतिहास में शिक्षा मंत्रीजी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। पांच वर्ष सिर्फ यह कहते हुए शिक्षा कर्मियों के साथ कुठाराघात किया कि खजाना थाली खाली है। खजाना खाली नहीं खजाना थाली है। यह कुठाराघात किया और शिक्षकों ने बदला ले लिया। पहली बार यह है 50 साल के इतिहास में, हिन्दुस्तान के इतिहास में कि दो वर्ष के अन्दर जब यह शिक्षाकर्मियों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, 40 हजार से अधिक भर्ती की प्रक्रिया यह हिन्दुस्तान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला शिक्षा मंत्री का नाम होगा। इस बात को हर वर्ग स्वीकार करेगा। यह राजस्थान के साथ एक बहुत बड़ा न्याय किया है। कहीं पर एक-एक, दो-दो स्कूलों में एक-एक टीचर था, 500 बच्चे हैं और एक अध्यापक और उसके बावजूद भर्ती पर रोक थी। वह पहली बार ऐसा होगा। मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक करने का, उच्च प्राथमिक को माध्यमिक करने का, माध्यमिक को उच्च माध्यमिक करने का भी अपने आप में एक रिकार्ड कायम किया है। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, आंकड़े नहीं देना चाहता हूं, पूर्व वक्तओं ने आंकड़े दे दिये हैं। वास्तव

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

में रिकार्ड कायम किया और और इस बार भी जो नई योजना में लिया है वह भी अपने आप में रिकार्ड है।

सभापति महोदय, यह इतिहास इस बात का गवाह है कि हिन्दुस्तान की शिक्षा नालंदा विश्वविद्यालय को याद करती है जब विदेशों के विद्यार्थी यहां पढ़ने के लिए आते थे। मैं घनश्यामजी से निवेदन करूंगा कि आपके ऊपर वास्तव में पूरे राजस्थान की एक उम्मीद टिकी है कि हिन्दुस्तान के इतिहास में यह इतिहास आप बनायें कि विदेशों के छात्र राजस्थान की धरती पर पढ़ने आयें। इस प्रकार का शिक्षा जगत में एक उदाहरण पेश करें इसलिए मैं आपसे इस बात की गुजारिश करूंगा।

सभापति महोदय, जो अध्यापकों की भर्ती की, कम्प्यूटर लाइब्रेरी जिला स्तर पर की, यह भी अपने आप में एक इतिहास बना है। सबसे मुख्य बात मैं आदरणीय शिक्षा मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि संविदा टीचर वास्तव में ओवर-एज हो जाएंगे। उनकी दुआ भी हमको लेनी चाहिए। और वे दु:खी नहीं हों, उन संविदा टीचर को पत्राचार के माध्यम से, किसी भी प्रकार से ट्रेनिंग करवाकर के आप इनको नौकरी में लेने और परमानेंट करने की भी कोशिश करेंगे, यह मेरा एक व्यक्तिगत निवेदन है। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि पंचायत मुख्यालय पर एक माध्यमिक विद्यालय हो, यह भी हमारा इतिहास में उदाहरण बनना चाहिए। आपकी यह जिद्द होनी चाहिए कि हर पंचायत मुख्यालय पर कम से कम एक माध्यमिक विद्यालय हो।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : एक मिनट। सभापति महोदय, यह कला और संस्कृति के मामले में जालौर जिले का एक 13वीं शताब्दी का अपने आप में ऐतिहासिक दुर्ग है। अल्लाउददीन खिलजी से लोहा लेते हुए हमारे वहां के जो वीरमदेव वीर हुए उन्होंने अपनी आपकी आहुति दी थी। और यह भी एक इतिहास में लिखा जाने वाला दुर्ग है। तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि पर्यटन को विकास देने में यह किला भी अपने आप में स्तम्भ बनेगा, इस ओर आप ध्यान दें।

श्री सभापति : माननीय श्री नन्दलाल पूनियां। समाप्त करें।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : एक मिनट। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक निवेदन करूंगा कि गुलाबी नगरी जयपुर, इसमें विकास के लिए मुख्य मंत्री महोदय ने सारी योजनाएं दी हैं पर पार्किंग की व्यवस्था, मैकेनाइज्ड पार्किंग के लिए सरकारी तौर से किसी न किसी प्रकार का फण्ड बनायेंगे तो यह पार्किंग की व्यवस्था डवलप होगी। और जयपुर को डवलप करने के लिए यहां की पार्किंग व्यवस्था सुधरनी चाहिए। मेरा एक निवेदन है, फिर से मैं एक मिनट में...

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : पुरातत्व विभाग इसी विषय से जुड़ा हुआ है। पुरातत्व विभाग से जिस समय जितने भी मंदिर और देवस्थान पुरातत्व विभाग में लिये थे उस समय फोटोग्राफ हैं वो सारे फोटोग्राफ को ध्यान में रखकर आज की मूर्तियां गिनानी चाहिए। इतनी सारी मूर्तियां की तस्करी, कहां गई, कहां गई, यह भी चिन्ता का विषय है। इसलिए पुरातत्व विभाग को भी संरक्षण बराबर मिले इसके लिए मंत्री महोदय को इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए। फिर से मैं शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद देते हुए कला और संस्कृति के माध्यम से जितने भी राजस्थान के देवस्थान हैं, बड़े-बड़े देवस्थान हैं उनमें अन्य प्रदेशों से भी जनता आती है। तो उनको अपने हाथ में लेकर और अपने सरकारी अधिकारी वहां बिठाकर के उसकी व्यवस्था को बराबर किया जाए। चाहे वह श्रीनाथजी वाला हो, चाहे अजमेर की दरगाह शरीफ हो। मेरे आहोर में धूमड़ा माताजी हैं जहां पर गुजरात और महाराष्ट्र से दर्शक आते हैं। उसको पर्यटन के हिसाब से दर्शनीय स्थान में लें, ऐसा मेरा निवेदन है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री नन्दलाल पूनियां।

श्री नन्दलाल पूनियां (सादुलपुर) : माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 24 और 47 पर चर्चा हो रही है, मैं उसमें सम्मिलित होते हुए मैंने जो कटमोशन दिये उनके बारे में चर्चा करना चाहता हूं। माननीय सभापति

(श्री नन्दलाल पूनियां)

महोदय, शिक्षा हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। शिक्षा के बगैर हमारा जीवन अधूरा रह जाता है। शिक्षा उतनी ही जरूरी है जितनी दूसरी चीजें जैसे हवा, पानी, भोजन आदि जरूरी है।

आज यदि हम शिक्षित होंगे तो हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा और जिस प्रकार से बालक की शिक्षा जरूरी है, उसी के साथ-साथ बालिकाओं की शिक्षा भी बहुत जरूरी है। यदि बालिकाएं हमारी शिक्षित नहीं होंगी और अकेले बालक शिक्षित होंगे तो समाज में असंतुलन पैदा हो जायेगा। इसलिए मेरा माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि वह बालिकाओं की शिक्षा की ओर ज्यादा ध्यान दें।

मैंने कटमोशन लगाया था। आज मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक गांव हैं डींगली। उस डींगली में एक बालिकाओं का उच्च प्राथमिक विद्यालय है आठवीं तक का और उसी गांव में एक प्राइमरी स्कूल है। आज देखिये, कितनी विडम्बना है कि आज पांचवी के बाद में छठी कक्षा में कोई लड़का एडमिशन लेना चाहता है तो उस बालिकाओं की स्कूल में नहीं ले सकता। उसको पढ़ने के लिए 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर सुलखनिया और नोरंगपुरा गांवों में जाना पड़ता है। तो मेरा माननीय शिक्षा मंत्रीजी से अनुरोध है कि या तो आप उनको परमिशन दें कि छठी के बाद में, छठी, सातवीं, आठवीं में लड़कों को उस शाला में पढ़ने वाली बालिकाओं के साथ में, नहीं तो आज एक मिडल स्कूल जरूर मंजूर कीजिये ताकि उन बच्चों को दूसरे गांव में नहीं जाना पड़े।

दूसरा, पिछली बार शिक्षा मंत्री महोदय ने यहां यह घोषणा की थी कि किसी बच्चे की जो पांचवीं के बाद में है, उसको एक किलोमीटर से दूर नहीं जाना पडेगा। और जो आसपास हैं जहां नजदीक में दो स्कूल हैं तो उनमें से एक को मिडल स्कूल कर दिया जायेगा। मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राजगढ़ तहसील में काफी ऐसे गांव हैं, जो आसपास हैं, दोनों में प्राइमरी स्कूल भी हैं लेकिन उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। मैं उदाहरण के तौर पर माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जैसे एक गांव है कायाण, जिसकी 2001 में जनसंख्या है 1071, उसके पास में एक प्राइमरी स्कूल और पडती है ढाणी खुडाणी। जो एक किलोमीटर की दूरी पर है और जिसकी जनसंख्या 664

(श्री नन्दलाल पूनियां)

है। उसी प्रकार से उसके 500 मीटर पर एक प्राइमरी स्कूल और है जो बासजीराम के नाम से है उसकी जनसंख्या 2001 में 541 है। इस प्रकार तीन प्राइमरी स्कूलें एक किलोमीटर के रेडिसम में हैं और तीनों गांवों के बच्चों को पांचवीं के बाद में 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो मेरा माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है इस प्रकार के जो गांव जिनकी आबादी 1000 से ऊपर है और तीन-तीन स्कूलें हैं। नजदीक में लगती हैं तो उनमें से एक शाला को उच्च प्राथमिक शाला में क्रमोन्नत किया जाये तो ऐसा मेरा शिक्षा मंत्रीजी से अनुरोध है।

इसी प्रकार से एक बास रेबारियान गांव है जिसकी आबादी भी करीब 800 के आसपास है और उसके पास में दूसरी प्राथमिक शाला लगती है जगाऊ खादी जो सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है। तो मेरा शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि ऐसी शाला को भी, बास रेबारियान की शाला को भी क्रमोन्नत किया जाये।

इसी प्रकार से एक गांव है इन्द्रासर, जहां प्राथमिक शाला है, उसके आधे किलोमीटर की दूरी पर श्योपुरा गांव लगता है और दोनों में प्राथमिक स्कूल है। और इन दोनों गांवों के बच्चों को पढ़ने के लिए कम से कम 7-8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो मेरा शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि इस प्रकार से इन्द्रासर के स्कूल को भी क्रमोन्नत किया जाये।

इसी प्रकार से एक गांव है थान मठुई, जिसकी 2001 में जनगणना है 1331 और उसके पास में लुटाणा मंगनी गांव है और जिसकी दूरी एक किलोमीटर है। और दोनों को मिलाकर 2001 में करीब 2200 की जनसंख्या के आकड़े हैं। तो मेरा माननीय शिक्षा मंत्रीजी से यह निवेदन है कि इस प्रकार के जो गांव है, उनमें आप कहने को तो उन्होंने कह दिया था कि जितने मिडल स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूलों के आधे स्कूलों को तो मिडल स्कूल कर दिया। लेकिन असमानता आज जो खुद महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने आंकड़ों में जरूर कर दिये होंगे लेकिन आंकड़े वाकई में, हकीकत में जाकर हम फील्ड में जाकर देखते हैं तो वह आंकड़े साबित नहीं होते हैं। आज वाकई में यह स्थिति है जो मेरी तहसील में है, यह मैं आपके सामने आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री सभापति : कनक्लूड करें।

श्री नन्दलाल पूनियां : कर रहा हूं, एक मिनट। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, मेरे राजगढ़ में जो राजगढ़ सब डिवीजन है, उसमें कोई सरकारी कालेज नहीं है। आज एक प्राइवेट कालेज है जो अनुदान के सहारे चलता है। लेकिन प्रबन्धकों ने उसको बन्द करने की घोषणा कर रखी है। तो मेरा माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि या तो आप कोई सरकारी कालेज खोल दें, नहीं तो आपने घोषणा की है कि पोलीटैक्नीक और आई.टी.आई. कालेज आप खोल रहे हैं तो और नहीं तो आप कोई पोलीटैक्नीक राजगढ़ में खोल दीजिये ताकि शिक्षा के लिए लोगों को दूर नहीं जाना पडे।

दूसरा, मैं आपको एक बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने भर्ती की अध्यापकों की। वह काबिले तारीफ है। लेकिन 1998 में कुछ लोगों ने जिला परिषद में अभ्यर्थियों के फार्म भरे थे लेकिन आज तक उन अध्यापकों के लिए उनका चयन नहीं हुआ। वे आज बेचारे बाहर बैठे-बैठे आज वह भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो माननीय शिक्षा मंत्रीजी से मेरा अनुरोध है कि आप उन लोगों की तरफ भी ध्यान दीजिये ताकि जिन लोगों को, जो आपकी तरफ देख रहे हैं। वे आज सात साल से इस उम्मीद के साथ हैं कि उनको नौकरी मिलेगी तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप उनकी तरफ भी ध्यान दीजिये..

श्री सभापति : माननीय श्री रामप्रताप कासनिया।

श्री नन्दलाल पूनियां : एक मिनट और लूंगा साहब। आज हमारी माननीया पर्यटन मंत्रीजी विराजमान हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक गांव है ददरेवा, जहां गोगाजी की जन्मस्थली है। गोगाजी का प्रसिद्ध मन्दिर है और करीब 510 साल पुराना मन्दिर है। और यह एक धार्मिक स्थल है। उसमें करीब आठ से दस लाख यात्री प्रतिवर्ष आते हैं यू.पी. से, हरियाणा से, पंजाब से और राजस्थान से भी। लेकिन वहां रहने के लिए न तो उनके शौचालय की व्यवंस्था है, न पेशाबघर की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है। तो मेरा माननीय पर्यटन मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इसको पर्यटन मानचित्र पर लाकर विकसित किया जाये और वहां की जो मूलभूत सुविधा है, वह वहां मुहैया कराई जाये। इन्हीं शब्दों के साथ आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री रामप्रताप कासनिया।

श्री रामप्रताप कांसनिया (पीलीबंगा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 24 शिक्षा पर मैंने जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, उस पर मैं भी अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के मामले में माननीय शिक्षा मंत्रीजी का मैं किन शब्दों में आभार प्रकट करूं, वे शब्द मेरे पास नहीं है। आपके पास लेने-देने के लिए कुछ नहीं है। इस पूरे शिक्षा विभाग को बर्बाद करके रख दिया। मैं विषय से भटक गया, बीच में आपने मुझे टोका है, इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि आपने शिक्षा का बिलकुल ही बेड़ा गर्क कर दिया। कक्षा एक से लेकर पांचवीं तक जो फैल और पास करने का निर्णय आपके समय में हुआ है, यह ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को आपने बर्बादी के कगार पर लाकर के रख दिया। यह किया आपने। सभापति महोदय, कक्षा एक से लेकर पांच तक जो बच्चा कमजोर रह जायेगा, जिसके दिमाग में फैल और पास का भय नहीं होगा, उसके घर पर पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है, माता-पिता अनपढ़ हैं, उसको पढ़ा नहीं सकते, इस कारण से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की नींव कमजोर रह जाती है। जब किसी मकान की नींव कमजोर रह जाएगी सभापति महोदय, वह मकान छह मंजिला नहीं रह सकता और बनाओगे तो वह मकान गिरेगा। सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा शहर की बनिस्पत पहले से ही कमजोरं है और अगर इस तरह से कक्षा पांच तक बिना पढ़े ही पास करने का प्रोजिवन रखा गया तो ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा बिलकुल ही आगे नहीं बढ़ सकेगा। चाहे नौकरी का मामला हो चाहे कोई और व्यापार का मामला हो, वह तरक्की नहीं कर सकेगा, यह मेरा कहना है। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय ने अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने का काम किया है। इस राजस्थान में, देश आजाद होने से लेकर के आज दिन तक किसी भी शिक्षा मंत्री ने इतने अध्यापक एक साथ नहीं लगाये। सभापति महोदय, अध्यापक ही नहीं लगाये, इसके साथ-साथ स्कूल भी क्रमोन्नत बहुत ज्यादा हुए हैं, चाहे सैकण्डरी स्कूल हो, चाहे मिडल स्कूल हो, चाहे प्राइमरी स्कूल हो और स्कूल क्रमोन्न्त करने के साथ-साथ भवन बनाने का काम भी माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने, सरकार ने जो किया है वह काफी सराहनीय कदम है। नहीं

तो पूर्व में स्कूल तो क्रमोन्नत कर दिये जाते पर स्कूल में भवन ही नहीं है, स्कूल मिडल बना दिया और भवन के स्थान पर दो कमरे हैं।

सभापति महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने, इस सरकार ने स्कूलों के अंदर पहली बार पीने के पानी की तरफ ध्यान दिया है, शौचालयों की तरफ ध्यान दिया है। इससे सरकार की मंशा का पता लगता है कि यह सरकार वाकई में ही ग्रामीण क्षेत्र के अंदर शिक्षा का प्रचार-प्रसार करने, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को सुविधा देने के नाम पर जो पैसा खर्च कर रही है, यह बहुत सराहनीय कदम है। सभापति महोदय, पूर्व में अगर इसी तरह से शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाता तो आज हर गांव के अंदर टेन प्लस टू स्कूल होता। इस सरकार ने जितना शिक्षा पर खर्चा किया है, अगर इसी तरह से पूर्ववर्ती सरकार ग्रामीण क्षेत्र में खर्चा करती तो गांव का कोई भी बच्चा आज अनपढ़ नहीं रहता।

सभापति महोदय, आलोचना करने में कोई दिक्कत नहीं है, आलोचना करना बड़ा आसान है, जो व्यक्ति कोई काम करके दिखाता है उसकी सराहना करना बड़ा कठिन है। सच्चाई को सच्चाई स्वीकार करना चाहिए। अभी माननीय सदस्य सिरोही से आने वाले लोढ़ाजी कह रहे थे, वह एक पूरा इतिहास पढ़ रहे थे। मेरी समझ में नहीं आया कि इस तरह से आंकड़े देने से वह क्या कहना चाहते हैं? जो अच्छाई है वह नहीं बता करके जो कमियां हैं वह उजागर कर रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो काम करता है वह यह जरूर चाहता है कि मैंने जो कुछ किया है उसकी सराहना होनी चाहिए ताकि भविष्य में जो भी थोड़ी-बहुत कमी रही है वह भी पूरी करेंगे। इनकी तरफ काम करने वाला व्यक्ति.. (समय समाप्ति सूचक घंटी) घंटी तो मेरी वैसे ही बजी हुई है सभापति महोदय।

श्री शांतिलाल चपलोत : भाभीजी बहुत नाराज थीं क्या, वैसे क्यों बजाई आपने?

श्री रामप्रताप कासनिया : यह घर से नाराजगी नहीं होती है, मेरी तो कभी दायें, कभी बायें नाराजगी होती है, बीच में हूं इसलिए। (व्यवधान) एक तरफ ही हूं, आपके मन में अब भी कोई शंका है क्या?

श्री सभापति : अब आप इस पर चर्चा करिये।

श्री रामप्रताप कासनिया : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के अंदर सबसे ज्यादा पद रिक्त हैं। अगर कोई आज के दिन हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में सबसे ज्यादा पद रिक्त हैं। तो पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र में हैं, चाहे मिडल स्कूल हो, चाहे प्राथमिक स्कूल हो, चाहे सैकण्डरी हो, चाहे टेन प्लस टू हो, यह हकीकत है। मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस तरफ अवश्य ही ध्यान दें। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो पद रिक्त हैं वह भरें और पुनः मैं शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इसी तरह से शिक्षा विभाग में आमूल-चूल परिवर्तन करते रहें और शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान को सबसे अग्रणी राज्यों में खड़ा करें। यही मेरा निवेदन है। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति : माननीय श्री अशोक कुमार नवलखा।

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय सभापति महोदय, हमारा भी नम्बर आयेगा या नहीं आयेगा?

श्री सभापति : नम्बर आयेगा, आपका नम्बर आयेगा।

श्री शांतिलाल चपलोत : वह एलफाबेटिकली दे रहे हैं क्या? ऐसे तो बाद में ही आता है और सबसे पहले हमने दिये हैं कटमोशन्स।

श्री सभापति : जो लिस्ट मेरे पास आई है उसके हिसाब से बुलवा रहा हूं।

श्री शांतिलाल चपलोत : आप यह बता दें कि कितनी देर में आने वाला है? पांच-सात बोलने के बाद, तो फिर मैं अपनी तैयारी उसी हिसाब से करूं, नहीं तो चाहे बंद नहीं करें।

श्री सभापति : इनके बाद में आपका नम्बर है।

श्री शांतिलाल चपलोत : धन्यवाद।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) : माननीय सभापति महोदय, शिक्षा, कला एवं संस्कृति की मांग संख्या 24 और पर्यटन की मांग संख्या 47 पर जो आज चर्चा हो रही है उस चर्चा पर जो मैंने अपने कटौती प्रस्ताव दिये हैं उस पर मैं भी अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं । मैं सबसे पहले राजस्थान की लोकप्रिय मुख्य मंत्री माननीय श्रीमती वसुंधरा राजेजी के नेतृत्व में हमारे सम्माननीय शिक्षा मंत्रीजी माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी ने जो राजस्थान को शिक्षा की दृष्टि से उन्नत बनाने के लिए, राज्य को शिक्षा की दृष्टि से आगे लाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाये हैं और जो ऐतिहासिक कार्य अपने इस पन्द्रह महीने के छोटे से कार्यकाल के अंदर किये हैं उसकी मैं अपनी ओर से भी सराहना करना चाहता हूं। मैं इस अवसर पर ज्यादा लम्बी बात नहीं करते हुए, क्योंकि समय का अभाव है और शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर जितने समय तक ज्यादा से ज्यादा बोला जाय, वह काफी कम नजर आता है। मैं सीधे-सीधे इन कटौती प्रस्तावों पर, जो अपने विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित है, उन पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

मान्यवर, निम्बाहेड़ा एक ऐसा क्षेत्र है जो खनिज की दृष्टि से, विशेष रूप से जो चूना पत्थर होता है, जो पट्टी पत्थर होता है, वह एशिया के अंदर प्रसिद्ध जो खदाने हैं वह हमारे निम्बाहेड़ा विधान सभा क्षेत्र के अन्दर, आती हैं। खदानों की दृष्टि से, औद्योगिक दृष्टि से, कृषि की दृष्टि से एक प्रतिगशील कस्बा हमारा क्षेत्र है। उस क्षेत्र के अंदर आई.टी.आई. खोलने की नितांत आवश्यकता है। माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी विराजमान हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया निम्बाहेड़ा में आई.टी.आई. केन्द्र खोलने की कृपा करें। निम्बाहेड़ा क्षेत्र के अंदर अभी राजकीय महाविद्यालय कार्यरत है। मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी, आदरणीय देवनानी साहब का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने सरकार की स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत इसी वर्ष से महाविद्यालय को स्नातकोत्तर का दर्जा प्रदान किया है। मैं इस अवसर पर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसी महाविद्यालय के अंदर अभी वर्तमान में काफी पद रिक्त चल रहे हैं जिसके कारण छात्र-छात्राओं को अध्यापन-अध्ययन करने में काफी परेशानी रहती है। जो पद खाली हैं उसमें इतिहास, अकाउंटेंसी, लेखा एवं सांख्यिकी, राजनीति विज्ञान और समाज शास्त्र, ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिनके व्याख्याता पिछले काफी समय से नहीं है। इस निम्बाहेड़ा क्षेत्र का, जो निरंतर

(श्री अशोक कुमार नवलखा)

विकासशील कस्बा है, यहां की आबादी करीब 70 हजार की शहर है। आसपास के गांवों की करीब दो लाख की है। इस महाविद्यालय में, क्योंकि पूरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर एकमात्र महाविद्यालय है, इसमें पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। तो मैं इस अवसर पर निवेदन करना चाहता हूं कि इस महाविद्यालय में आप अंग्रेजी विषय, भूगोल विषय और उर्दू विषय शुरू करें तो इस क्षेत्र की जनता पर आपका बहुत बड़ा उपकार रहेगा। उर्दू विषय इसलिए प्रासंकिगिक है क्योंकि निम्बाहेड़ा क्षेत्र के अंदर अधिकांश मुस्लिम आबादी बसती है। करीब तीस-पैंतीस प्रतिशत जनसंख्या वहां मुस्लिम आबादी की है और वहां की बोलचाल के अंदर उर्दू का पुट नजर आता है, तो उर्दू विषय की वहां के लोगों की विशेष मांग रही है। छोटी सादड़ी मेरे विधान सभा क्षेत्र की एक तहसील है, उस क्षेत्र की जनता की भी काफी मांग रही है कि वहां पर भी महाविद्यालय होना चाहिए। तो निश्चित रूप से इस ओर भी आप ध्यान देने की कृपा करेंगे।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर छोटी सादड़ी में पहले एक श्री गोदावत जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय, छोटी सादड़ी चलता था, जो अनुदानित संस्था थी। राज्य सरकार द्वारा उसको अस्सी प्रतिशत अनुदान देकर के इस उच्च माध्यमिक विद्यालय का संचालित किया जाता था। लेकिन पिछले कई वर्षों से इस विद्यालय के अंदर कुछ स्थितियां ऐसी बन गई कि आज उन कर्मचारियों और उसमें कार्यरत कार्मिकों को पिछले कई वर्ष से वेतन आदि का भुगतान वगैरह नहीं हो रहा है जिसके कारण उनकी स्थिति काफी दयनीय होती जा रही है और यह विद्यालय कई वर्षो से बंद पड़ा हुआ है। मेरा इस अवसर पर माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि कृपया इस सम्बन्ध में आप इसकी पत्रावली का अवलोकन करते हुए जो श्री जैन गोदावत माध्यमिक विद्यालय, जो पिछले वर्षों से बंद पड़ा है, इनके कर्मचारियों की तनख्वाह, वेतन वैगरह नहीं मिल पा रहा है, इनकी आप व्यवस्था करने का कष्ट करावें। मेरे इसी विधान सभा क्षेत्र के अंदर बालिका शिक्षा पर विशेष रूप से, क्योंकि विकास तो काफी हुआ है, स्कूलें कई क्रमोन्नत हुई हैं, नई स्कूलें भी खुली हैं, राजीव गांधी पाठशालाओं को भी आपने प्राथमिक विद्यालयों का दर्जा दिया है, और भी कई मांगे हैं, वह समय पर पूरी होगी, लेकिन विशेष रूप से बालिका शिक्षा पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र बालिका शिक्षा की दृष्टि से पिछले कई वर्षों से काफी उपेक्षित क्षेत्र रहा है।

(श्री अशोक कुमार नवलखा)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज पूरे विधान सभा क्षेत्र में 59 ग्राम पंचायते हैं। 400 के करीबन गांव हैं। लेकिन बालिका शिक्षा की दृष्टि से केवल 17 विद्यालय हैं। 17 विद्यालयों में दो सीनियर हायर सैकेण्डरी स्कूल और दो माध्यमिक स्कूल, तीन उच्च प्राथमिक विद्यालय और चार प्राथमिक विद्यालया अब आप अंदाज करें कि बालिकाओं को हम शिक्षा देना चाहते हैं, पूरे विधान सभा क्षेत्र में मात्र चार प्राथमिक विद्यालय हैं। और प्राथमिक विद्यालय भी निम्बाहेड़ा जैसे शहर में जहां की आबादी करीबन 70 हजार की आबादी है, 30 वार्ड हैं वहां पर एक भी बालिका का प्राथमिक विद्यालय आज की तारीख में नहीं है।

मैं इस अवसर पर माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि भविष्य में आप जो विद्यालय क्रमोन्नत करें उसमें बालिका शिक्षा की दृष्टि से विद्यालय खोलने की और क्रमोन्नत करने की कार्यवाही करेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में जो महिला शिक्षा के जो विशेष रूप से हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं असाक्षर महिलाओं को साक्षर बनाने के कार्यक्रम, उनमें भी हमें काफी हद तक सफलता मिलेगी। मैं इस अवसर पर चूंकि समय काफी कम है, मैं शिक्षा के साथ-साथ पर्यटन के क्षेत्र में जो मांग संख्या 47 है उस पर भी अपनी बात रखना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में छोटी सादड़ी कस्बे में भंवर माताजी दर्शनीय और तीर्थ स्थान है जो, काफी पर्यटन की दृष्टि से महत्व रखता है। यदि भंवर माताजी तीर्थ स्थान को आप विकसित करेंगे तो इस क्षेत्र की जनता पर्यटन की दृष्टि से निश्चित रूप से आभारी रहेगी। इसके साथ-साथ अंबा माताजी निम्बाहेड़ा का क्षेत्र है वो भी पर्यटन की दृष्टि से महत्व रखता है। साथ साथ हमारे चित्तौड़गढ़ जिले में बेगूं विधान सभा क्षेत्र के अन्दर मैनाल पर्यटन स्थल है और एक झरिया महादेव दोनों स्थानों को भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की कृपा करें। आपने जो समय दिया उसके लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री शांतिलाल चपलोत।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) : माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 24 शिक्षा पर और मांग संख्या 47 पर्यटन पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, आज के 10 साल पहले भी हमारा

(श्री शांतिलाल चपलोत)

देश बहुत समुन्नत समझा जाता था। हमारे यहां वेद लिखे गये। जब अंग्रेज लोग पैदल चलना नहीं जानते थे, चलना नहीं जानते थे, बोलना नहीं जानते थे, वाणी नहीं थी उन्हें, उस समय हमारे यहां वेद लिखे गये, जिसका कोई अता -पता नहीं है कि कितने वर्ण हुए, भाष्य लिखे गये, उपनिषद लिखे गये, गीता लिखी गयी, रामायण लिखी गयी, नाना प्रकार के ग्रन्थ हुए। और रामायण में, जैसाकि आप जानते हैं कि पुष्पक विमान तक का वर्णन हुआ और इस प्रकार के बाणों को भी वर्णन हुआ कि जो रामजी के वहां से छूट कर वापस रामजी के तरकश में आए। कृष्ण के सुदर्शन नामक चक्र का वर्णन हुआ। महाभारत में अर्जुन ने बाण मारा पृथ्वी में और पानी निकाल दिया धरती पर और भीष्म पितामह की प्यास बुझायी। इस प्रकार के नाना शास्त्रों का प्रयोग हमारे यहां हुआ। कालान्तर में क्या कारण रहे कि हम इस गति पर पहुंच गये? मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं बहुत ज्यादा लम्बी चौड़ी बात इसमें कहूंगा तो ज्यादा समय जाया हो जाएगा। मेरा इतना ही निवेदन है कि राष्ट्रीय चरित्र के अभाव में हमारी यह दुर्गति हो गयी। कोई हमें नहीं पूछता। आज दुनिया का कोई देश हमको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है आप किताबें भी पढ़ा देंगे, अक्षर ज्ञान भी करवा देंगे पर राष्ट्रीय चरित्र का अभाव रहा तो वो शिक्षा किसी काम की नहीं रहेगी। यदि हमने "विद्या ददाति विनयम, विनयात पात्रताम्" विद्या के बाद विनय और विनय के बाद पात्रता आनी आवश्यक है। और इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने बहुत बड़ा कीर्तिमान वास्तव में स्थापित किया है और इस देश में वे एक अच्छे शिक्षा मंत्री के नाते जाने गये। इस सवा वर्ष की अवधि में जो उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किये उसके लिए तो मैं उनको बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं पर मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय चरित्र के लिए आप क्या कर रहे हैं स्कूलों में राष्ट्रीय चरित्र का अभाव हो गया। मैं एन.सी.सी. में जाऊंगा कपडे पहनूंगा, लत्ते पहनूंगा, दूध मिलेगा, मक्खन मिलेगा इसलिए मैं एन.सी.सी. में जा रहा हूं तो राष्ट्रीय चरित्र का विकास नहीं हो सकता। नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाना आज आवश्यक है। मोहम्मद साहब को क्यों नहीं पढ़ाओ आप, क्यों नहीं आप महावीर को पढ़ाओ, क्यो नहीं नहीं आप राम का नाम लो, क्यों नहीं आप कृष्ण के बारे में बताओ। नैतिक शिक्षा का जब तक उत्थान नहीं होगा ये सब

(श्री शांतिलाल चपलोत)

बेकार की बातें हो जाएगी और किसी प्रकार का असर हमारी शिक्षा पर नहीं पड़ेगा यदि नैतिक नहीं बन पाये तो किसी प्रकार का शिक्षा का जो मापदंड है वो अधूरा रह जाएगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसमें नैतिक शिक्षा के लिए भी कोई न कोई पाठयक्रम अपनाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय चरित्र के लिए किसी न किसी प्रकार के पाठ आने चाहिए। आज स्कूलों में राष्ट्रीय चरित्र के लिए किसी प्रकार की कोई सामग्री देखने को नहीं मिलती है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं और शिक्षा मंत्रीजी स्वयं राष्ट्रीयता से ओत-प्रोत हैं। मैं विश्वास करता हूं कि इस पर वो गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, जैसा मैंने पहले भी आपको कहा कि 10 साल पहले भी हम समुन्नत थे। कालान्तर में हम किस गति को प्राप्त हो गये। और जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ तो हमारी महिला शिक्षा 3 प्रतिशत थी आज 44 प्रतिशत इस राजस्थान में हम पहुंचे हैं।

जब हमने संविधान बनाया तब संविधान के आर्टिकल 45 में हमने यह कहा,....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप कहेंगे तो मैं तो आधा मिनट में ही बैठ जाऊंगा, मेरे को बोलने का बहुत भारी शौक नहीं है और कुछ लोग इधर-उधर की बातें करते हैं उन्हें ज्यादा समय मिलता है यह समय का फेर है। आर्टिकल 45 में

"The State shall endeavour to provide within a period of 10 years from the commencement of this constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years."

मैं माननीय सभापति महोदय, यह कहना चाहता हूं कि कांस्टिट्यूशन सन् 1950 में लागू हो गया। उसके 10 साल में, यानी 1961 तक सब लोगों को साक्षर और सबको पढ़ कर होशियार हो जाना चाहिए था। पर आज इस देश की यह त्रासदी है कि 55-57 साल की आजादी के बाद भी हमारे लोग दुनिया में आज भी सबसे कम पढ़े लिखे माने जाते हैं और राजस्थान आज की तारीख में सबसे नीचा राज्य माना जाता है। हमारे देश में केवल मात्र केरल प्रान्त

(श्री शांतिलाल चपलोत)

ऐसा है जिसमें सब के सब लोग वहां शिक्षित हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर हमने कांस्टिट्यूशन स्वीकार किया और कांस्टिट्यूशन के पहले ही भाग में हमने यह कहा कि हम लोग,

" We, the people of india, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens:

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity;..."

मैं इक्विलिटी आफ अपार्चूनिटी की बात कहना चाहता हूं। हमारे बच्चों को पूरी अपार्चूनिटी मिलनी चाहिए पढ़ने के लिए मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में हम कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा एजूकेशन बढ़े और वो एजूकेशन टैक्निकल एजूकेशन हो। अब 16 क्लास पढ़ जाने के बाद यदि वो किसी प्रकार का काम नहीं रहता है तो वो ग्रामीण मां-बाप जो बड़ी मुश्किल से पैसा पैदा करके बड़ी मुश्किल से बच्चों को पढ़ाते हैं। और उसके बच्चे को धन्धा नहीं मिलता है तो वो यह कहता है कि मेरे बच्चे को 16 क्लास पढ़ाया और धंधा कुछ नहीं मिला। वो यह नहीं जानते हैं कि इस एजूकेशन का एम.ए. की डिग्री का बी.ए. की डिग्री की आजकल कोई ज्यादा महत्व नहीं है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है माननीय शिक्षा मंत्रीजी कि टैक्निकल एजूकेशन को आप जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाने का प्रयत्न करें।

हमारे यहां मेरे विधान सभा क्षेत्र में आई.टी.आई. है उसमें कई विधाएं नही हैं। तो आप उसमें कई विधाएं कायम कर सकते हैं। वहां के एरिया में किस प्रकार के आई.टी.आई. चाहिए और उसमें किस प्रकार के सब्जैक्ट चाहिए यदि वो खोले जाएंगे तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में सर्वदूर इसका एक असर होगा और टैक्निकल एजूकेशन 10वीं के बाद, 8वीं के बाद भी यदि आप चाहें तो दे सकते हैं। बहुत अच्छे टैक्निकल लोग उसमें भी पढ़ सकते हैं। मेरे यहां सीनियर सैकण्डरी स्कूलों की तो कमी है ही वो आप बढ़ायेंगे ही उसके

लिए मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस पर तो साधुवाद पर मेरा आपसे निवेदन है कि किसी भी हालत में टेक्निकल एजूकेशन को बढ़ाने के लिए आप पूरा प्रयत्न करें। माननीय मुख्य मंत्रीजी चार-पांच महीने पहले उदयपुर आयी थीं, कोटड़ा में गयी थी।

कोटड़ा आदिवासी बाहुल्य एरिया है। 50-50, 70-70 किलोमीटर तक वहां किसी प्रकार का उच्च शिक्षा का माध्यम नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि कोटड़ा क्षेत्र में कालेज अवश्य खोला जाये। यदि वास्तव में हम गरीबों के प्रति हमदर्दी रखते हैं तो कोटड़ा जैसे स्थान हैं वहां पर यदि हमने एजूकेशन को बढ़ावा दिया, वहां पर कालेज खोला तो आज की तारीख में उदयपुर का कोई व्यक्ति आप ट्रांसफर कर दो वह कोटड़ा सर्विस में नहीं जाता है। न पटवारी जाता है, न मास्टर जाता है, न ग्राम साथी जाता है, न ग्राम सचिव जाता है। वह एक दिन हाजरी मार आते हैं और 7-8 दिन रोटेशन से 7 अध्यापक रहते हैं और वह एक दिन अध्यापक जाता है और सातों के सातों एक-एक दिन सप्ताह में जाते हैं। यदि वहां पर आप वास्तव में बनाना चाहते हैं, गर्ल्स की एजूकेशन चाहते हैं तो वहां पर आप कालेज अवश्य खोलें। मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी इस पर विशेष ध्यान देंगी और ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल एजूकेशन और कालेज एजूकेशन खोलने का प्रयत्न करेंगे।

इस साल आपने बहुत अच्छे स्कूलों का विस्तार किया है। 2000 को आप कर रहे हैं और 1600 के आस-पास आप प्राइमरी कर रहे हैं और साढ़े पांच सौ के आस-पास सैकण्डरी और ढाई सौ हायर सैकण्डरी कर रहे हैं, 25 आई टी आई और 5 पोलोटेक्निक कर रहे हैं। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि आजकल हमारे यहां जिस तरीके का वातावरण बन रहा है इसमें इस प्रकार की एजूकेशन के सेंटर खोलने की चेष्टा करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग रोजगार पर लग सके।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री शांतिलाल चपलोत : हां मैं कर रहा हूं।

श्री सभापति : 10-12 मिनट हो गये हैं आपको।

श्री शांतिलाल चपलोत : हां साहब मुझे भी पता है। मैं ज्यादा बोलने का वैसे भी आदी नहीं हूं।

श्री सभापित : हमें भी बुलाने का कोई शौक नहीं है।

श्री शांतिलाल चपलोत : तकनीकी एजूकेशन में आज एम्ब्रोइड्री है, कारपेंटिंग है, डिजाइनिंग है और कई प्रकार की हैं। इस प्रकार की कई विधाएं हैं जो आप टेक्निकल एजूकेशन में ले सकते हैं।

मैं एक मिनट में ही पर्यटन के बारे में बात कहना चाहूंगा। हमारे यहां पर्यटन में बहुत विकास हुआ है और सन 1971 में जितने पर्यटक राजस्थान में आते थे मुश्किल से 8 लाख भी नहीं होते थे देशी और विदेशी पर्यटक मिलाकर। और आज की तारीख में करीब-करीब देशी और विदेशी पर्यटक सवा करोड़ से ऊपर है। यह बहुत अच्छी बात है। और जिस तरीके से पर्यटन मंत्री जी काम कर रही हैं उनको मैं बहुत-बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने सभी विधाओं को सांचकर कदम उठाये हैं। मेरे क्षेत्र में भी और चित्तौड़गढ, उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद जिलों को मिलाकर एक महादेवजी का स्थान है। जिसे मातृकुण्डीय कहा जाता है। वहां पर परशुरामजी ने अपनी मां का वध करने के पश्चात पश्चाताप किया था। वहां पर उन्होंने तपस्या की और उन्हें मुक्ति मिली इसलिए उसका नाम मातृकुण्डीय है। वह तीर्थ बहुत प्रसिद्ध है। लाखों लोग वहां मेले में आते हैं। मैं यह चाहूंगा कि आप उसको पर्यटक स्थान में ले। उसी के पास गिलुण्ड स्थान है जहां पर 6 हजार साल पुरानी सभ्यता के अवशेष बहुत भारी मात्रा में मिले हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता से भी पुराने चिन्ह वहां मिले हैं और बहुत ज्यादा अच्छा काम चल रहा है। इसी तरीके से वल्लभ नगर में बालाथल जगह है वहां पर भी काफी खुदाई का काम चल रहा है और 5-6 हजार साल पुराने अवशेष मिल रहे हैं। इसी तरीके से इस्वाल में जहां पर बहुत पुराने मंदिर है और 6-7 हजार साल पुरानी लोहे को किस प्रकार की खाने हो सकती है और लोहे का ढालने के काफी तरीके के यंत्र और वहां की खदानों में इस प्रकार की चीजे मिली हैं। इन क्षेत्रों का विकास करने के लिये और यहां क्या प्रोटेंशल हो सकती है इस पर भी आप थोड़ा विचार करने की कृपा करेंगे।

(श्री शांतिलाल चपलोत)

मैं यह चाहूंगा कि हमारे यहां श्रंग ऋषि हैं और वह श्रंग ऋषि भगवान राम जब पैदा नहीं हुऐ तो दशरथजी के मन में यह हुआ कि मेरे पुत्र नहीं है। वशिष्ठजी ने श्रृंग ऋषि को बुलाया और पुत्र कामना के लिये श्रंग ऋषि से शुभ यज्ञ करवाया। ऐसे श्रंग ऋषि का स्थान मावली तहसील में मौजूद है और वहां एक राज परिवार में बावजी चतरसिंहजी हुए हैं। जिन्होंने आज के 50 -60 साल पहले ईश्वर से साक्षात्कार किया। वहां पर उन्होंने तपस्या की थी। उन स्थानों को भी विकसित किया जा सकता है और उन्हें पर्यटन के स्थान में लिया जा सकता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिये भी मैं चाहूंगा कि अब उसकी चमक दमक अभी वापस कम पड़ गई है। आप उस पर भी विशेष खर्चा करने की कृपा करें। चावण्ड, गोगुन्दा, दिवेर, हल्दीघाटी यह जो हमारे स्थान हैं उनको आप देखने की कृपा करें। और मेवाड़ काम्प्लेक्स का जो नक्शा है उसको देखकर मेवाड़ काम्प्लेक्स को पूरा करायें। एक ऐसा स्थान है जो नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य के क्षेत्र में है। वहां पर भी हजारों लोग शहीद हो चुके हैं उस स्थान को भी आप पर्यटन स्थान में और श्रद्धा के रूप में विकसित कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री रणवीर सिंह गुढा।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 24 शिक्षा कला और संस्कृति और मांग संख्या 47 पर्यटन के उपलक्ष्य में मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी को कुछ 2-4 सुझाव देना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, अभी तक शिक्षा के संदर्भ में काफी सारे विद्वान साथियों ने अपने-अपने विचार विस्तार से सदन के पटल पर रखे। शिक्षा अपने आप में एक इतना बड़ा विषय है यह केवल स्कूलों तक सीमित विषय नहीं है। इसमें सभी चाहे वह भौगोलिक स्थिति हो, चाहे वह इतिहास हो, चाहे वह अर्थशास्त्र हो, मैं उन सभी विषयों के ऊपर नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन आपके माध्यम से मैं शिक्षा मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि जो स्कूले क्रमोन्नत की गई हैं उन स्कूलों को क्रमोन्नत करने का क्या मापदण्ड है? 5-5 सौ स्कूले क्रमोन्नत की गई हैं माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में लेकिन माननीय शिक्षा मंत्रीजी 1934 में बागुली में स्कूल थी 8वीं क्लास तक, आज भी 8वीं तक है।

(श्री रणवीर सिंह गुढा)

उसके साथ ही मण्डावर गांव में 40 साल पहले जो स्कूल थी उसी पोजिशन में आज है। माननीय सभापति महोदय, छापोली गांव बहुत बडा गांव है। 10वीं तक की छात्राओं की स्कूल काफी लम्बे समय से क्रमोन्नत के लिये लम्बित है, आज भी उसी स्थिति में है। तो यह इस प्रकार का जो भेदभाव एक राजनीतिक दवाब के कारण या किसी भी कारणवश क्यों किया जाता है। माननीय सभापति महोदय, प्राथमिक शिक्षा में जो भी स्कूल क्रमोन्न्त की गई उनमें स्टाफ वैसा का वैसा है, व्यवस्था वैसी की वैसी है1 जो स्कूल प्राथमिक से माध्यमिक और माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत की गई लेकिन उनमें जो शिक्षकों की संख्या है और जो स्टाफ उसमें भी जो बढ़ोत्तरी होनी चाहिये थी वह नहीं हो सकी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी को यह भी कहना चाहूंगा कि पूरे राजस्थान की बात न कर के मैं संक्षिप्त में झुंझुनूं की बात करना चाह रहा हूं। झुंझुनूं में जो पिछले साल स्कोलरशिप के रूप में जो बी.पी.एल. परिवारों के जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और पिछड़े वर्ग के बच्चों को पिछले साल से जो छात्रवृत्ति शुरू की गई थी। करोड़ 38 लाख उसमें से 90 उच्च माध्यमिक स्कूलों में स्कोलरशिप दी हीं नहीं गई। 6 माध्यमिक स्कूलों में स्कोलरशिप दी ही नहीं गई और 33 प्राइवेट स्कूलों में स्कोलरशिप दे दी गई। उनमें दो-दो बार स्कोलरशिप दे दी। 70 लाख रुपये भिजवा दिये गए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री को कहना चाहूंगा, अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आंकड़े बताए थे उन आंकड़ों में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं हो सकता। आपका बजट, लेकिन उस बजट को ईमानदारी से लागू नहीं किया जाता है, उसके लिए कोई जिम्मेदारी तय नहीं की जाती है। और जब आपको सच्चाई बताई जाती है तो उसको आप दूसरे रूप में लेते हैं। केवल एक महिमा मंडित इस प्रकार से शिक्षा मंत्रीजी महिमा मंडित करके, सरकार को महिमा मंडित करके, राजस्थान को जो एक मैसेज देना चाहिए, एक जिम्मेदारी निभानी चाहिए वह पूरी नहीं कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि स्कूलों में छात्र हैं उनका परीक्षण किया जाता है, उनका हैल्थ परीक्षण किया जाता है। वह एक नाममात्र की खानापूर्ति की जाती है। हैल्थ

(श्री रणवीर सिंह गुढा)

परीक्षण के माध्यम से सिस्टेमेटिक तरीके से उन सारे बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जा सकती है। उनके ब्लड ग्रुप की जांच की जा सकती है। उनके लिए एक स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जा सकता है जिसके ऊपर बच्चों के अंदर कौनसी बीमारी है, उनका ग्रुप क्या है इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की जानकारी उसके ऊपर हो सकती है। जिसके माध्यम से हम आगे बहुत बड़ी बीमारी के ऊपर काबू पाने में कामयाब हो सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, उच्च शिक्षा, हम ग्रामीण की बात करते हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर राजनीतिक दवाब में छोटे-छोटे, जिनके पास पूरे भवन भी नहीं है एफिलिएशन ले लेते हैं। एम.सी.ए. का एफिशन हो चाहे लॉ कालेज का एफिशन हो चाहे एम.बी.ए. का एफिएिलेशन हो, किस प्रकार से हमारे एम.बी.ए. का, एम.सी.ए. का और विभिन्न प्रकार से विश्वविद्यालय की जो उच्च डिग्रियां होती है उन डिग्रियों का स्तर गिराया जा रहा है। मैं रूरल की बात इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि रूरल के बारे में हम बात ही कर सकते हैं वहां तक जाने के लिए और पूरा जानने के लिए उन सारे तथ्यों तक पहुंचने के लिए हमारे पास में, सरकार के पास में, मंत्री के पास में पूरा समय नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेकर आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय में जो छात्रावास हैं उन छात्रावासों में सुरक्षा की कमियों के कारण जो इंटेलीजेंट लड़के हैं, जो परसेंटेज बेस पर एडमीशन लेते हैं, एंटी सोशल एलीमेंट के द्वारा वह बाहर निकाल दिये जा रहे हैं। और आज भी इल्लीगल, विश्वविद्यालय के छात्रावासों की एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। अगर समय रहते आपने उनके ऊपर कण्ट्रोल नहीं किया, कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो पिछले टाइम में जो घटनाएं घटी हैं होस्टल्स के अन्दर उनकी पुनरावृत्ति फिर हो सकती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी को यही कहना चाहता हूं कि चाहे स्कूलों का क्रमोन्नत हो, चाहे शिक्षकों की भर्ती हो, अगर आप ईमानदारी पूर्वक पूरे राजस्थान के अन्दर काम करना चाहेंगे तो राजस्थान की जनता आपका समर्थन करेगी।

(श्री रणवीर सिंह गुढा)

माननीय सभापति महोदय जो बजट खेल के अन्दर, जो बजट इन बच्चों के विकास के लिए, स्कूलों में यह घूघरी और दाल-बाटी, सारे लोग उसी में लगे रहते हैं। बच्चे सुबह से लेकर शाम तक, टीचर सुबह से शाम तक, कोई पढ़ाने का काम नहीं है। अगर राजस्थान के अन्दर स्वच्छ वातावरण बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार की अनियमितता करने वाले, मैंने माननीय शिक्षा मंत्रीजी को कहा कि जो छात्रवृत्ति का पैसा वापस आ रहा है, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, शिक्षा अधिकारी झुंझुनूं से मालूम कर लीजिए, 90 सरकारी स्कूलों में स्कोलरशिप नहीं दी गई। 90 उच्च माध्यमिक स्कूलों में स्कोलरशिप नहीं दी गई। और 30 प्राइवेट स्कूलों में दो-दो बार स्कोलरशिप दे दी गई। जब छात्रों से मालूम किया तो उनको किसी को भी प्राइवेट स्कूलों में स्कोलरशिप नहीं दी गई। इस प्रकार की अनियमितता करने वाले लोगों के खिलाफ अगर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जाएगी तो हमारा बजट और हमारे विकास की बातें केवल बातें ही रह जाएंगी।

माननीय सभापति महोदय, पर्यटन की दृष्टि से शेखावाटी राजस्थान में ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान में अहम स्थान रखता है। शेखावाटी की हस्तशिल्प कला, शेखावाटी में खेतड़ी, शेखावाटी के अंदर चाहे वह नवलगढ़ हो चाहे मंडावा हो, चाहे शेखावटी के अंदर गुढा हो, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वहां जो अरावली श्रंखला है, लोहार्गलजी, शाकम्बरी, मां मन्सा माता का मंदिर वहां पर आज भी, सरिस्का के अंदर तो बाघ देखने को नहीं मिलते, लेकिन अरावली श्रृंखला में शेखावाटी की उन पहाडियों, कंदराओं में आज भी बाघ दिखाई देते हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि मंसा माता और शाकम्बरी जैसे दुर्गम स्थल, जहां पर पर्यटन स्थल घोषित किया जाए और उस क्षेत्र का विकास किया जाए।

श्री सभापति : अब आप कन्ट्रोल करिए।

श्री रणवीर सिंह गुढा : माननीय सभापति महोदय, दो मिनिट में मैं मेरा समय खतम करता हूं। जयपुर के अन्दर जिन इंस्टीटयूशन्स को एफीयलेशन दिया गया है उनके अन्दर इस बात का पता लगाएं कि उनमें पढ़ाने वाले हैं वह कितने क्वालिफाईड हैं? उनमें कितना स्टाफ है और उनमें कितने भवन है, इन सारी बातों की जांच करें। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री अर्जुन लाल मीणा।

श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) : माननीय सभापति महोदय मैं मांग संख्या 24 शिक्षा कला एवं संस्कृति के कटौती प्रस्ताव, मांग संख्या 24 और 47 की चर्चा में भाग लेते हुए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं शिक्षा मंत्रीजी को हार्दिक बधाई और धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं कि आपने पूरे राजस्थान में, शिक्षा के मामले में जो आमूल चूल परिवर्तन किया है, एक कीर्तिमान स्थापित किया है। आप निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में आपने यू.पी.एस. से सैकण्डरी में, पी.एस. से यू.पी.एस. में यू.पी.एस. से सैकण्डरी में और सैकण्डरी से सीनियर सैकण्डरी में जितने भी विद्यालय क्रमोन्नत किये हैं और स्कूल क्रमोन्नत करने के साथ भवन के लिए, दो-दो भवन, कक्षा कक्ष और आफिस की व्यवस्था के लिए जो बजट आपने दिया है, निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं।

मैं विशेष रूप से माननीय शिक्षा मंत्रीजी को आभार प्रेषित करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आदिवासी क्षेत्र, जनजाति उप योजना क्षेत्र जो उदयपुर डिवीजन में है उसमें अभी जो तैंतीस हजार समथिंग की भर्ती हो रही है तृतीय श्रेणी शिक्षकों की, उसमें जो टी.एस.पी. एरिया के लिए अलग से आपने वेकेंसी निकालकर भर्ती की प्रक्रिया चालू की है, निश्चित रूप से यह एक सराहनीय कार्य है। इससे आदिवासी भाई ट्राइबल सब प्लान में रहने वाले, बी.एड. और एस.टी.सी. जिन्होंने ऋण लेकर, उधार, जमीन गिरवी रखकर की थी, जिनको अभी नौकरी मिलने जा रही हैं यह एक सराहनीय कदम है। मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि उनका अलग से जो कोटा निर्धारित किया है शीघ्रताशीघ्र उनको नियुक्ति दी जाए ताकि उनको सही स्थान पर अपनी नियुक्ति मिल सके।

मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि उदयपुर डिवीजन में थर्ड ग्रेड के सैकण्ड ग्रेड के जितने भी पद रिक्त हैं,

(18.00 बजे)

आपने सदन में भी आश्वासन दिया था, शीघ्र ही शीघ्र इनको भरा जाएगा। मैं निवेदन करूंगा कि इन पदों को शीघ्र भरा जाए ताकिर उस क्षेत्र में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। मैं उच्च शिक्षा मंत्रीजी से यह भी निवेदन करना चाहूंग कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में सलूम्बर में जो

(श्री अर्जुन लाल मीणा)

एक मात्र हाडी रानी महाविद्यालय है जहां पर अभी 15 लेक्चरर्स की पोस्टें स्वीकृत हैं, 15 में से मात्र 8 ही लेक्चरर्स हैं और एक जो अंग्रेजी विषय है जिसमें पिछले 3-4 साल में एक भी विषय अध्यापक नहीं है जिससे छात्र-छात्राओं की पढ़ाई में व्यवधान हो रहा है, पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसलिये माननीय शिक्षा मंत्रीजी से मेरा स्पेशल निवेदन है कि अंग्रेजी के विषय अध्यापक को उस हाडी रानी महाविद्यालय में पद स्थापित कराने की कृपा करावें। साथ ही पंचायत समिति सलूम्बर में जो शिक्षा प्रसार अधिकारी के 3 पद रिक्त हैं। मैंने प्रश्न के माध्यम से भी निवेदन किया था, उसको भी शीघ्र भरने की मेहरबानी करें। साथ ही एक मेरा निवेदन है कि पंचायत समिति, सलूम्बर में जो रोड़ पर स्कूल हैं जहां-जहां पर सड़क पर विद्यालय हैं वहां पर अध्यापकों की संख्या ज्यादा है और जो इंटीरियर के गांव हैं वहां अध्यापकों की संख्या कम है। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह जो असमानता है उस असमानता की समस्या का समाधान किया जाए। एक और निवेदन यह है कि बालिका विद्यालय क्रमोन्नत करने का, मेरे विधान सभा क्षेत्र में मात्र एक-एक सीनियर सैकण्डरी स्कूल है। बहुत सी जगह बालिका विद्यालय क्रमोन्नत करने की जरूरत है इसलिये माननीय शिक्षा मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि बालिका विद्यालय क्रमोन्नत किया जाय।

पर्यटन की दृष्टि से सलूम्बर एक ऐतिहासिक नगरी है जो कि हाडी रानी के शौर्य और बलिदान के लिये जाना जाता है। जैसे पर्यटन मंत्रीजी ने चावंड, जयसमंद, देलवाड़ा को मेवाड़ काम्पलेक्स से जोड़ा है, सलूम्बर को भी मेवाड़ काम्पलेक्स से जोड़ा जाए। एशिया की जो मानव निर्मित झील है, जयसमंद झील, जहां पर रूठी रानी का महल है उसको भी मेवाड़ काम्पलेक्स से जोड़कर पर्यटन की दृष्टि से इसका विकास किया जा सकता है। साथ ही डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो बेणेश्वर धाम है, आदिवासियों का महाकुम्भ कहा जाता है उसके विकास के लिये भी सरकार निश्चित रूप से प्रयास करे। इडाणा माता सलूम्बर में एक बहुत बड़ा मन्दिर है उसके विकास के लिये भी सरकार प्रयास करे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द, जय भारत, धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री मोहन लाल गुप्ता।

श्री संयम लोढ़ा : ऑन ए पाइण्ट आफ आर्डर, सभापति महोदय।

(श्री संयम लोढ़ा)

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि कल इस सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित किया गया था कि जिस मांग की भी चर्चा हो उससे सम्बन्धित विभाग का प्रतिवेदन माननीय सदस्यों को एक दिन पूर्व प्राप्त हो जाना चाहिए। और कल ही माननीय अध्यक्ष महोदय ने राज्य सरकार को निर्देश दिये थे कि जिस मांग की भी चर्चा है उससे सम्बन्धित प्रतिवेदन माननीय सदस्यों को एक दिन पहले उपलब्ध करा दिये जाएं। आज माननीय सभापति महोदय, अभी जो मांग विचाराधीन है उस पर अपने विचार व्यक्त किये थे। लेकिन कला और संस्कृति की मांग पर समुचित विचार नहीं रखे क्योंकि यह प्रतिवेदन सदन के किसी भी सदस्य का उपलब्ध नहीं कराया गया। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि कला और संस्कृति की जो मांग है चूंकि माननीय सदस्यों को एक दिन पूर्व यह प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसलिये इसकी चर्चा आप आगे रखने का कष्ट करें जिससे सदस्य इस विभाग के प्रतिवेदन का समुचित अध्ययन करके राजस्थान की जनता के हित में राजस्थान सरकार को सुझाव दे सकें। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ऐसा है, इनको बहुत विलम्ब हो गया, गाड़ी आगे निकल चुकी है। गाड़ी आगे निकल गयी, चर्चा शुरू हो गयी, चर्चा कर ली।

डा. सी.पी. जोशी : सदन की गाड़ी नहीं निकली।

श्री महावीर प्रसाद जैन : और आपने यह भी कहा, सी.पी. जोशी साहब, आपने सुबह ही कहा था नियम और प्रक्रियाओं में और उसके ऊपर भी परम्पराओं से चलता है। तो कई बार इस प्रकार से प्रतिवेदन समय से नहीं दिये गये उसके कारण से कोई चर्चा रूकी है क्या?

डा. सी.पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय ने कल रूलिंग दी थी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : रूलिंग दी है, कल बात हुई है। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्षजी ने कल माननीय मंत्रीजी को, बिजली मंत्रीजी को यह कहा कि खेद प्रकट नहीं, आप टाइम बतायें। आज कम से कम

(डा. सी. पी. जोशी)

आपकी डयूटी बनती थी, चीफ व्हिप साहब कि आप खड़े होकर कहते कि यह प्रतिवेदन नहीं आया है इसका कारण यह है, डिस्कशन में लिया जाए। यह आपका दायित्व था, उस दायित्व को निर्वहन करने में आप फेल हुए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : प्रतिवेदन सूची माननीय सदस्यों के पास पहुंच गये होंगे, यह तो यूं ही....(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : इसलिये सभापति महोदय, इस बारे में निर्णय होना चाहिए कि कल जब अध्यक्षजी ने व्यवस्था दे दी उस व्यवस्था का यदि पालन नहीं होता है तो निश्चित तौर पर सदन में चर्चा करने के पहले इस बात का निर्णय करना चाहिए कि अध्यक्ष की व्यवस्था का पालन किस लेवल पर किया जाए। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय का आदेश।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के सम्बन्ध में तो प्रतिवेदन समय से पूर्व माननीय सदस्यों को पहुंचा दिया गया था। मैं सरकार की ओर से यह स्वीकार करता हूं कि कला संस्कृति का भी प्रतिवेदन समय से पूर्व माननीय सदस्यों को मिलना चाहिए था और नहीं मिला है। तो जिन अधिकारियों ने त्रुटि की है, मैं मंत्रीजी से कहूंगा कि उनके सम्बन्ध में विचार करें। हमेशा सदन की परम्परा रही है। हम आसन के आदेशों को मानते हैं और चूंकि चर्चा चल रही है, हम कोशिश करेंगे कि आइन्दा इस प्रकार की कोई गलती नहीं हो, सदस्यों को समय पर मिले।

श्री सभापति : धन्यवाद।

डा. एन.एस. गुर्जर : माननीय सभापति महोदय, अभी बहुत ही अच्छा जवाब दिया मंत्रीजी ने लेकिन यह जो अधिकारी हैं रोज-रोज यह अधिकारी इस तरह से गड़बड़ी करते हैं, थोड़ा सा आप लोग इनको...।

श्री सभापति : माननीय मोहनलालजी गुप्ता।

डा. सी.पी. जोशी : इनकी आदतें सुधारिये आप। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : यह इनकी आदत आप लोगों ने ही बिगाड़ दी। हम कितनी सुधारेंगे। अभी हमको 2 साल इनको सुधारने में लगेंगे।

डा. सी.पी. जोशी : यह बहुत देर से याद आया इसलिये मंत्री नहीं बने। पहले याद कर लिया करो यह बातें।

डा. एन.एस. गुर्जर : याद तो मुझे रहती हैं या नहीं रहती हैं लेकिन मुझे कब क्या बोलना है यह...

श्री महावीर प्रसाद जैन : इनका नम्बर तो अलग बात है। आपके यहां तो सीट खाली है।

डा. सी.पी. जोशी : मेरा नम्बर तो... आपका नम्बर नहीं चला जाए, उसका ध्यान रखना।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अभी तो आपको मौका है। मैं बता रहा हूं आपको।

डा. सी.पी. जोशी : कम्पीटीशन उधर है। डिस्ट्रिक्ट का फैसला कर लेना पहले आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं तो निमंत्रण दे रहा हूं।

डा. सी.पी. जोशी : सभापति महोदय, राजस्थान के अधिकारी इस सरकार की इसलिये परवाह नहीं करते क्योंकि राजस्थान कैडर के सारे आई.ए.एस. को निकम्मा समझकर आपने अदर स्टेट कैडर के एक आई.ए.एस. को उठाकर यहां सैक्रेटरी बना रखा है। इसलिये वह आपकी सरकार की परवाह नहीं करते हैं। (व्यवधान)

श्री माननीय सदस्य : वह तो आपके समय पर भी अधिकारी थे। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आपस में चर्चा नहीं करें।

डा. जालम सिंह रावलोत : आपने एक विदेशी महिला को पार्टी का अध्यक्ष बना रखा है।

डा. सी.पी. जोशी : उनको प्रधान मंत्री बनाएंगे, आपसे प्रधान मंत्री कहलवाएंगे।

डा. एन.एस. गुर्जर : संयमजी आपको ध्यान है कि नहीं, 1980-81 में सैक्रेटरी, (व्यवधान) एक मिनट, सुनो। 1980-81 में कौन था।

श्री संयम लोढ़ा : वह ओ.एस.डी. थे, सैक्रेटरी नहीं थे।

डा. एन.एस. गुर्जर : 1980-81 में सर्वे-सर्वा कौन था चीफ मिनिस्टर का, आप बता सकते हो, क्या नाम था।

डा. सी.पी. जोशी : ओ.एस.डी. थे।

डा. एन.एस. गुर्जर : नहीं, नाम क्या था?

श्री संयम लोढ़ा : सैक्रेटरी टू सी.एम. रूल्स के मुताबिक राजस्थान कैडर के आई.ए.एस. की पोस्ट है। राजस्थान कैडर के आई.ए.एस. की पोस्ट है सैक्रेटरी टू सी.एम. और जिस खैरवाल का आप जिक्र कर रहे हो, वह ओ.एस.डी. टू चीफ मिनिस्टर थे।

डा. एन.एस. गुर्जर : लेकिन सर्वेसर्वा वही थे।

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, माननीय जोशीजी, यह चर्चा का विषय नहीं है, आप विराजिये।

डा. एन.एस. गुर्जर : एक मिनट, जोशीजी, कल्ला साहब तो अध्यक्ष हो गये। (व्यवधान) अभी चांस है आपको यह सीट पकड़ने का इसलिये आप ट्राई करो। आज और कल, एक-दो दिन में ही दूसरा ले जाएगा नम्बर।

श्री सभापति : टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य, बिराजिये। माननीय सी.पी. साहब, बिराजिये।

डा. सी.पी. जोशी : अपनी ट्राई का ध्यान रखो। मुझे तो ट्राई मालूम है। (व्यवधान) आपकी ट्राई का ध्यान रखो।

श्री सभापति : आप बिराजिये, आप बिराजिये, आसन पैरों पर। माननीय सदस्य, मीणा साहब, आप बिराजिये।

श्री सुरेश मीणा : आज सुबह से इतने माननीय सदस्यों को झटके लगे हैं बिजली के, हमारे माननीय मिनिस्टर साहब के लगे हैं, अभी महावीरजी के लगे हैं, यह झटके आने कब तक बंद होंगे? इससे बड़ी परेशानी है, साहब।

डा. एन.एस. गुर्जर : हमें तो पहले ही लग गया झटका, यह आपको आज ही लगा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, आपस में चर्चा नहीं करें, बातें नहीं करें आपस में। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, जो सोते हैं सदन में, झटका उनके लगता है, जो ऊंघते हैं उनके लगता है। बाकी किसी के नहीं लगता है। अब सी.पी. साहब के लगा हो तो बताओ।

श्री सभापति : झटका तो अपने आप काम नहीं करोगे तो लग जाएगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं झटका, सी.पी. साहब को भी लग गया है। कल्ला साहब एक सीट खाली कर रहे हैं जो उनको मिलने वाली बिलकुल नहीं है क्योंकि 2 ब्राह्मण बनेंगे ही नहीं। झटका तो लग गया उनके ऊपर।

डा. सी.पी. जोशी : अपने मन की भावना तो नहीं है? अपने मन की, दोनों में कम्पीटीशन, अपने मन की भावना तो नहीं है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और सभापति महोदय, जो झटका आज सी.पी. साहब के लगा है इस पर इनको झटके को सहन करने की शक्ति प्रदान करें, यह और मैं निवेदन करना चाहता हूं।

डा. सी.पी. जोशी : मेरे को कोई झटका लगा या नहीं लगा, आप अपने झटके में बने रहना। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि घनश्यामजी वहां पहुंच जाएं और बाहर निकलना पड़े मंत्रिमंडल से, इतना ध्यान रखना आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, सभापति महोदय, इस झटके का यह कमाल है कि यह तो वहां पहुंच गये और हम यहां बैठे है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं, यहां झटका नहीं है, यहां तो हलाल है।

डा. सी.पी. जोशी : बहुत अच्छा, यह ठीक किया। यह आपने ठीक भावना व्यक्त की है। मैं आपसे सहमत हूं। आपकी भावना से सहमत हूं मैं।

श्री जुबेर खान : नाथूसिंहजी इसकी मिसाल है।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं तो कह चुका हूं न मेरे को तो बहुत पहले ही झटका लग गया, जो वहां से यहां आ गया। (व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी : यह झटका नहीं, यह खटके ही खटके हैं। कितने तगड़े खटके हैं।

डा. एन.एस. गुर्जर : जोशीजी, इनके चक्कर में, खटके-खटके के चक्कर में मत रहना। यह जो झटका लगा है जोर का झटका धीरे से, वह कहावत है न वह पता ही नहीं चला कि कब क्या हो गया। तब ही तो मैं कह रहा हूं कि कोशिश करो, अभी समय है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय सी.पी. जोशी साहब, यह झटका और हलाल ब्राह्मणों को कैसे मालूम पड़ गया? झटका और हलाल।

श्री सभापति : आसन ग्रहण करो आप।

श्री बंशीलाल खटीक : यह झटका और हलाल ब्राह्मणों को कैसे अनुभव हो गया?

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह ब्रह्म हत्या पर सी.पी. जोशी साहब इतने खुश क्यों हैं? ब्रह्म हत्या पर सी.पी. जोशी साहब इतने खुश क्यों हैं?

श्री सभापति : अब आप बिराजिये प्लीज। माननीय मुख्य सचेतक महोदय, बिराजिये।

डा. एन.एस. गुर्जर : एक मिनट, सभापति महोदय, जोशीजी, यह तो बहुत दिनों से इन्तजार कर रहे थे। जोशीजी तो बहुत दिनों से कल्लाजी के पीछे लगे हुए थे, आज इनको सफलता मिल गयी उसमें।

श्री सभापति : अब कोई सफलता नहीं मिली।

डा. सी.पी. जोशी : आप किसके पीछे हो? गुर्जर साहब के पीछे या महावीरजी के, इसका फैसला भी कर लो कि पहले आप किसके पीछे हो।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं तो पीछे नहीं, आगे होना चाहता हूं।

डा. सी.पी. जोशी : गुर्जर साहब यहां आ गये, यहां महावीरजी बैठ गये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में चर्चा नहीं करें। काफी माननीय सदस्यों को बोलना है। काफी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, यह बैक लॉग की समस्या कभी खतम नहीं होगी। यह बैक लाग चाहे शिक्षकों में हो, चाहे राजनीति में हो, बैक लॉग जारी रहेगा और बैक लॉग भरने का प्रयास हर स्तर पर होता है।

श्री श्रवण कुमार : राजेन्द्रजी, नाथूसिंहजी का यह सोच है। नाथूसिंहजी का यह सोच था कि कालूलालजी नहीं जीते तो मंत्री बन जाएंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, 20 माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, आप कृपया बिराजिये।

श्री जयराम जाटव : आधे घंटे से हाउस का समय खराब कर रहे हैं।

श्री सभापति : अब आप क्यों समय खराब कर रहे हैं? आप बिराजिये। मोहन लालजी गुप्ता।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-24 और 47 के समर्थन में मैं अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने कीर्तिमान स्थापित किया है और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी शिक्षा के लिए अच्छा बजट प्रस्तुत किया है। 2000 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र, 1000 नयी प्राथमिक शालाएं, 1000 प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शालाओं में क्रमोन्नत करना, 500 उच्च प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शालाओं में क्रमोन्नत करना और 250 माध्यमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के जो नये प्रस्ताव हैं, यह वास्तव में...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह जो बात कर दी गयी है उसका रिपिटीशन करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मोहन लाल गुप्ता : यह वास्तव में बधाई के पात्र हैं। और वास्तव में इनसे राजस्थान में शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा और हम हमारे बालकों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकेंगे। मैं यह कहना चाहूंगा कि आज राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत आल इंडिया से एवरेज से कम है। आल इंडिया का एवरेज 64 का है और हमारे यहां पर 60 है। उसमें जो महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत है वह 43 प्रतिशत है और पुरुषों का 75 प्रतिशत है। इतने सालों के प्रयासों के बावजूद भी हम साक्षरता का प्रतिशत नहीं बढ़ा सके। इतने सारे विद्यालयों के होने के बावजूद भी, हजारों विद्यालय हैं, हजारों शिक्षक हैं, उसके बावजूद भी हम राजस्थान में शिक्षा का पूरा प्रचार-प्रसार नहीं कर सकें और आज भी हम यह नहीं कह सके कि शत-प्रतिशत बच्चे हमारे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। शत-प्रतिशत बच्चियां शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। आखिर यह क्या कारण है और माननीय सदस्यों ने जितने कटौती प्रस्ताव दिये हैं, मैंने यह देखा कि अधिकांश ने बिल्डिंग की समस्या, शिक्षकों की स्थापन की समस्या है, उसके बारे में माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया है।

मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

विद्यालय हम बना देंगे, शिक्षक हम रख देंगे, बालक पढ़ने आ जाएंगे लेकिन हमारे सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों का स्तर क्या है? वे किस प्रकार की गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं आखिर इतना पैसा हम खर्च कर रहे हैं? एक विद्यालय का अगर कोस्ट प्रोडक्शन देखा जाए, उसमें पढ़ाने वाले अध्यापक और उसमें खर्च होने वाले खर्चे को देखा जाए, उसमें पढ़ने वाले छात्रात्रों को देखा जाए और उसकी फिर क्वालिट आउट पुट देखा जाए कि चारित्रिक दृष्टि से, अध्यात्मिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों का कितना विकास हुआ है। आखिर शिक्षा का उद्देश्य कोई बिल्डिंग खड़ा करना नहीं है और न ही शिक्षकों की भर्ती करना ही है। हमारा उद्देश्य है कि हम अच्छे विद्यार्थी पैदा कर सकें। "ए" फोर एबिलिटी, "बी" फोर विहेविअर, "सी" फोर करक्टर एण्ड "डी" फोर डिसीप्लीन से युक्त विद्यार्थी हो। अच्छी एबिलिटी, योग्यता वाले, सद्व्यवहार वाले, उत्तम चरित्र वाले, अनुशासित विद्यार्थी हमारे सरकारी विद्यालयों में से एक क्या निकल रहे हैं? हमारे विद्यालय शिक्षा मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि..(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : यह घनश्यामजी तो फोरेन से पढ़कर आये हैं? घनश्यामजी पब्लिक स्कूल से नहीं पढ़े? हां, यह इनको याद दिला दूं।

श्री मोहन लाल गुप्ता : हमारे विद्वान शिक्षा मंत्रीजी से मैं यह कहना चाहूंगा कि वे विद्वान हैं लेकिन अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी वे बनें और अच्छे प्रशासक बनें। सुयोग्य प्रशासक बनकर विद्यालयों में चैकिंग करें कि उन विद्यालयों में किस प्रकार से शिक्षा दी जा रही है।? किस प्रकार से शिक्षक जो दस-दस हजार रुपये महीना ले रहा है वह बालक को क्या शिक्षा दे रहा है? मैंने जाकर सरप्राइज चैकिंग की है सरकारी विद्यालयों की। वहां जाकर देखा कि दस हजार रुपये महीने लेने वाला शिक्षक, उसकी क्लास में जूते पहनकर विद्यार्थी बैठे हुए हैं। उसकी क्लास में नाखून बढ़े हुए विद्यार्थी बैठे हुए हैं। इसमें क्या खर्चा आ रहा है? विद्यार्थियों में अनुशासन नहीं है। उसकी क्लास में इस प्रकार से विद्यार्थी बैठे हुए हैं जैसे कोई कबूतरखाने में विद्यार्थी बैठे हों। इस प्रकार से विद्यार्थी बैठे हुए हैं कि जिस प्रकार से हम उन विद्यार्थियों को केवल मात्र वहां विद्यालय में आना और जाना, इस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं और

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

शिक्षकों का इस प्रकार का कोई दायित्व नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से कि आप सुयोग्य प्रशासक बनकर विद्यालयों में जाओ, सैक्रेटेरिएट में बैठे हुए अधिकारियों को कहिये कि वे जाए, विद्यालयों की आर्थिक स्थिति को देखें, विद्यालयों के प्रशासनिक भवनों को देखें, विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को देखें कि किस प्रकार का अनुशासन उनमें है। किस प्रकार का शारीरिक विकास उनमें हो रहा है। किस प्रकार का मानसिक विकास उनमें हो रहा है। किस प्रकार की चारित्रिक शिक्षा उनमें दी जा रही है। आखिर यह सब बातें जो हम कह रहे हैं, मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं। एक समालोचना का विषय है कि हम समालोचना करना चाहते हैं। अच्छे विद्यार्थी आ जाएंगे, अच्छे अध्यापक भी आ जाएंगे लेकिन उनमें अच्छा बच्चा पैदा नहीं होगा, सुयोग्य बच्चा पैदा नहीं होगा, अच्छे मोरल वाला बच्चा पैदा नहीं होगा तो जितना करोड़ों-अरबों रुपया हम खर्च कर रहे हैं वह सब बेकार जाएगा। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, मैं यह कहना चाहूंगा कि...(व्यवधान)..

श्री हरिमोहन शर्मा : एक मिनट। माननीय, आपको यह याद है न कि यह हिन्दुस्तान का नेतृत्व करने के लिए विदेश में यह खुद ही जा रहे हैं। कौन ठीक करेगा पीछे से?

श्री मोहन लाल गुप्ता : मैं यह कह रहा हूं, कि यह बहुत अच्छे विद्वान हैं। विद्वान शिक्षा मंत्रीजी हैं। विद्वान शिक्षा मंत्री सुयोग्य प्रशासन बनकर वहां जाएं, सैक्रेटेरिएट में बैठे हुए अधिकारियों को सरकारी विद्यालयों में जो स्थितियां हैं उनको दिखाये। यह कांग्रेस के ऊपर और बीजेपी के ऊपर दोनों की बात कह रहा हूं मैं। ऊपर उठकर बात कर रहा हूं मैं।

श्री श्रवण कुमार : मोहनलालजी, एक मिनट। यह कौन देखता है? योग्यता कौन देखता है। आप जैसे योग्य आदमी को मंत्री नहीं बनाया, इससे बड़े दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है? आपको मंत्री बनाना चाहिए था न। आपने पूरे जयपुर को चलाया है। (व्यवधान)

श्री सभापति : व्यवधान पैदा नहीं करें।

श्री मोहन लाल गुप्ता : अभी कोई मंत्री की बात नहीं हो रही है। अभी कोई मंत्री की बात ही नहीं है। अभी राजनीति से ऊपर उठकर हम कैसी शिक्षा

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

प्रदान करें, किस प्रकार से बच्चे पैदा कर सकें और किस प्रकार से सुयोग्य बच्चे पैदा करें यह बात है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : बहुत अच्छी है आपकी।

श्री मोहन लाल गुप्ता : आपको यह कहना चाहता हूं कि किस प्रकार से विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को काफी अच्छी शिक्षा हम दे सकें, इस बात की चर्चा और चिन्ता होनी चाहिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप कनक्लूड करिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता : मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो विद्यार्थी हैं। आपका बच्चा बहुत विद्वान है। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आपसे भी ज्यादा विद्वान है। अगर आप का बच्चा वहां उस स्कूल में पढ़े, उस स्कूल में पढ़ने के बाद में आपको क्या लगेगा कि मेरा बच्चा उस सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, घनश्याम तिवाड़ी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, उसको किस प्रकार की सुविधा होनी चाहिये। उस प्रकार की सारी सुविधाएं सरकारी विद्यालयों में यदि आप प्रदान करेंगे तो निश्चित रूप से आपका नाम ऊंचा होगा। निश्चित रूप से पूरे विद्यालय में पढने वाले विद्यार्थी आपका नाम याद रखेंगे। (व्यवधान) विद्वान है वास्तव में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : मेरा बच्चा मेरे से ज्यादा विद्वान है, यह बात तो मैं स्वीकार कर लेता हूं लेकिन मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा, पोता भले ही पढ़े अब तो। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में टोकाटोकी नहीं करें।

श्री श्रवण कुमार : मोहनलालजी, हमें पीड़ा है कि मोहनलालजी जैसे योग्य आदमी को मंत्री नहीं बनाया। पीड़ा तो है ही। रामस्वरूपजी को नहीं बनाया तो बीजेपी के कहने से रामस्वरूपजी को मंत्री बनाया था और हम कहते हैं, हमारी आत्मा से, कि मोहनलालजी को सफाई मंत्री बनवा दो आप।

श्री सभापति : यह मंत्री बनाना नहीं बनाना आपका विषय नहीं है। आप बिराजें।

एक माननीय सदस्य : गुप्ताजी की वकालत कर रहे हैं।

श्री सभापति : हां, वह वकालत करने की जरूरत नहीं है। आप बिराजें। माननीय सदस्य, आसन पैरों पर (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : सफाई के प्रति भी ध्यान है उनका। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब आप कनक्लूड करें।

श्री मोहन लाल गुप्ता : माननीय सभापति महोदय, दो मिनट हुए हैं। और 7-8 मिनट तक..(व्यवधान)

श्री सभापति : दो मिनट नहीं, आपको दस मिनट हो गये हैं। जो मुद्दे की बात है, जो सुझाव है आप दे दें।

श्री मोहन लाल गुप्ता : मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों का सही ढंग से सर्वांगीण विकास हो सके, इस सम्बन्ध में माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, आप प्रयास करें और इस सम्बन्ध में कोई घोषणा करें ताकि उनका सही ढंग से विकास हो सके। और इसी के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा, जयपुर शहर है। जयपुर शहर में विभिन्न प्रकार की कच्ची बस्तियां हैं। विभिन्न प्रकार की मिडिल क्लास की बस्तियां हैं वहां पर जो सरकारी स्कूल हैं, आज जयपुर में शहर में बहुत सारे लोग बंगाल से, बिहार से, केरल से राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में कच्ची बस्तियों में जाकर रह रहे हैं। उन कच्ची बस्तियों में जो बच्चे रह रहे हैं, उनके मां-बाप काम के लिये सुबह चले जाते हैं और शाम तक वापस घर आते हैं। वहां पर जो बच्चे हैं उनके लिये शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि स्ट्रीट चिल्ड्रन, बहुत सारे स्ट्रीट चिल्ड्रन्स हैं, बहुत सारे भिक्षा वाले चिल्ड्रन्स हैं, उनकी शिक्षा की आखिर व्यवस्था क्या हो, आखिर वह लोग, अभी एक कलाकार बस्ती की बात कर रहा हूं मैं। राजस्थान दिवस समारोह हुआ उन सारे कलाकारों को हमने सम्मानित किया। वह कलाकार बस्ती मेरे क्षेत्र में है। वहां जाकर मैंने बच्चों से पूछा कि बेटे तुम लोग क्या करते हो? वह कहते हैं सुबह से लेकर शाम तक हम खेलते रहते हैं घूमते रहते हैं। हमारी शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि जयपुर शहर में जो कच्ची बस्तियां हैं, उनमें शिक्षा की उचित व्यवस्था हो। उनमें भी निश्चित रूप से बिल्डिंग की व्यवस्था होनी चाहिये।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह मिड-डे-मील के सम्बन्ध में जो आपने घोषणा की है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है। उसके सम्बन्ध में राशि बढ़ाये। वास्तव में माननीय सदस्यों की चिन्ता का यह विषय सही है कि जिस प्रकार से एक रुपये 65 पैसा देकर हम बालकों को मिड-डे-मील दे रहे हैं इससे शायद हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो सकेगा। इसके लिये हमको अनुदान और बढ़ाना पड़ेगा। मैं, सभापति महोदय, यह भी कहना चाहूंगा कि विद्यालयों में योग, व्यायाम और प्राणायाम की शिक्षा दी जाये। विद्यार्थियों को जिस प्रकार से यदि हम उनको योग, व्यायाम और प्राणायाम की शिक्षा देंगे, उनका शारीरिक विकास करेंगे तो निश्चित रूप से उनका सर्वांगीण विकास हो सकेगा।

सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज हमने तकनीकी शिक्षा की ओर ज्यादा ध्यान दिया है। शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार नहीं हो जायें। हमारी शिक्षा नीति क्या है कि 10वीं क्लास तब बच्चों को हम पढ़ाये प्लस दो में वह इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करें कि वह रोजगार की ओर उन्मुख हो सके। उसको सही ढंग से रोजगार प्राप्त हो सके। 10 प्लस दो कि शिक्षा में हम इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं। मैं यह कहना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, कि प्लस दो की शिक्षा में तकनीकी विद्यालयों को हम और आगे बढ़ायें।

मैं यह भी कहना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, कि मेडिकल की शिक्षा आखिर राजस्थान भर में कितनी सीटें कुल-मिलाकर 800 सीटें हैं। इसमें 600 सीटें सरकारी कालेजों में हैं जबकि राजस्थान की जनसंख्या 5.64 करोड़ है, गुजरात की जनसंख्या जो 5 करोड़ है, उसमें 1475 सीटें हैं। इसी के साथ साथ महाराष्ट्र में, जिसकी जनसंख्या 9.6 करोड़ है 4,180 सीटें हैं और उसमें सरकारी कालेजों में 2400 सीटें हैं, केरल में 3.18 करोड़ की जनसंख्या के अंगेस्ट में 1500 सीटें है और सरकारी कालेज में 900 सीटें हैं। उसके अनुपात में राजस्थान में डाक्टर्स बनने वालों की संख्या और उनकी सीटें केवल 800

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि पूरी सुविधाएं हम लोगों को प्राप्त हैं तो निश्चित रूप से इन मेडिकल कालेजों में सीटें बढ़ाई जायें।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

मैं पर्यटन के ऊपर आना चाहता हूं। सभापति महोदय, दो मिनट लेना चाहूंगा।

श्री सभापति : आप एक मिनट में कनक्लूड करें।

श्री मोहन लाल गुप्ता : मैं कहना चाहूंगा माननीय पर्यटन मंत्री महोदया, आप बैठी हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे यहां विदेशी पर्यटक खूब आ रहे हैं और यह विदेशी पर्यटकों का आंकड़ा यहां मेरे पास मौजूद है। उसमें यू.के., फ्रांस, इटली, कनाडा, यू.एस.ए, जर्मनी, आस्ट्रेलिया, स्विटजरलैण्ड, जापान दूर-दूर के पर्यटक यहां खूब आ रहे हैं। लेकिन आस पास के जो देश हैं, पाकिस्तान, बांगलादेश, सिंगापुर, ईरान, यू.ए.ई. मलेशिया इनके पर्यटकों की संख्या बहुत ही कम हैं, नगण्य है। अगर मान लो हम यह कहें कि दूर से पर्यटक खूब आ रहे हैं, यहां का भारत का पर्यटक दुबई जा रहा है, पाकिस्तान जा रहा है, सिंगापुर जा रहा है, हांगकांग जा रहा है, यू.ए.ई. जा रहा है, मलेशिया जा रहा है। वहां ट्यूरिस्टों की भरमार है। लेकिन आस-पास के इन देशों से टयूरिस्ट हमारे यहां कम आ रहे हैं। वहां प्रचार-प्रसार के साधन लगायें। वहां खूब प्रचार-प्रसार करके और ट्यूरिस्टों को आकर्षित कररने के विशेष, प्रयत्न किये जायें।

श्री सभापति : श्रीमती ममता शर्मा। अब आप कनक्लूड करें।

श्री मोहन लाल गुप्ता : माननीय सभापति महोदय, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि जयपुर शहर में जो आमेर है, उसके डवलपमेंट पर माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने जो पैसा खर्च करने की घोषणा की 30 करोड़ रुपया, उसका मैं स्वागत करता हूं। और निश्चित रूप से यह पर्यटकों को बढ़ाने की दृष्टि से आमेर में जो पैसा खर्च किया है, जयपुर में ज्यादा से ज्यादा ट्यूरिस्ट आयेंगे। जयपुर एक स्वर्णिम त्रिभुज है। यहां आगरा, दिल्ली और जयपुर यह स्वर्णिम त्रिभुज है। सबसे ज्यादा पर्यटक यहां जयपुर आ रहा है। और उसके लिये यहां पर सफाई की व्यवस्था, यहां पर लाइट की व्यवस्था एण्ड साउण्ड की व्यवस्था, यहां पर विभिन्न प्रकार के खेलकूद की प्रतियोगिता, नाइट लाइट की व्यवस्था, नाइट बाजार की व्यवस्था, इस प्रकार की व्यवस्थाएं यदि की जायें तो निश्चित रूप से टयूरिस्ट यहां बढ़ सकेगा। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत जय हिन्द।

श्री सभापति : श्रीमती ममता शर्मा।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी) : माननीय सभापति महोदय, बहुत देर से शिक्षा और पर्यटन की मांग पर डिबेट चल रही है। सत्ता पक्ष की तरफ से शिक्षा पर तो माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी, पुराण आज सुनने को मिला और अभी 19 लोगों से और सुनना है। मैं मानती हूं शिक्षा में आपने बहुत रद्दोबदल किये, बहुत विकास किया, बहुत नौकरियां दीं। लेकिन माननीय मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहूंगी कि इतनी नौकरियों के बाद भी स्कूलों में शिक्षक अभी तक क्यों नहीं आये? गांवों में भारी समस्या, शहरों में भारी समस्या; इस पर कई बार बात हो चुकी है, लेकिन सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया।

दूसरी बात मैं शिक्षा के मामले में बहुत कुछ लोग कह चुके हैं। मैं इतना कहना चाहूंगी बूंदी में गर्ल्स कालेज है। और बूंदी का गर्ल्स कालेज तत्कालीन शिक्षा मंत्री, जब माननीय ललित किशोरजी चतुर्वेदी थे तो बूंदी शहर से करीब छह किमी. दूर बनाया गया था। और मास्टर प्लान में जो कालेज बनना था जो जगह थी, उसमें बहुत बड़ी कालोनी बड़े-बड़े लोगों को बन गयी है। लेकिन अब वह कालोनी न तो टूट सकती है और न ही कालेज हट सकता है। आज भी तीन कमरों में बूंदी का कन्या महाविद्यालय चल रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी सभापति महोदय के माध्यम से कम से कम कन्याओं का ध्यान तो रखें और वहां किसी भी दूसरी बिल्डिंग का इन्तजाम करने का कष्ट करें, क्योंकि बालिकाओं का संवाल है।

सभापति महोदय, बहुत बात आती है कि बालिका शिक्षा को बहुत तूल दिया जाना चाहिये। बहुत आगे बढ़ाया जाना चाहिये ताकि शिक्षा का प्रतिशत बहुत हाई हो जाये। लेकिन यह कहने में मैं बिलकुल नहीं हिचकूंगी। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा था कि माननीय मंत्री महोदय तो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करके जा रहे हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि दो कन्या विद्यालय क्रमोन्न्त हमारे यहां नहीं हुए। जब लड़की दसवीं पास कर लेती है तो या तो उसके मां-बाप उसको घर में बैठा देते हैं, क्योंकि वह ना तो शहर भेज सकते हैं, ना कोटा भेज सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगी कम से कम दो दसवीं क्लास को तो सीनियर सैकण्डरी करने का कष्ट करें, मैं शिक्षा पर इतना ही बोलना चाहूंगी।

(श्रीमती ममता शर्मा)

सभापति महोदय, मैं पर्यटन के बारे में कहना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं मंत्री महोदया को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने पर्यटन में बहुत कुछ किया है। वह बधाई की पात्र हैं। पर्यटकों की आवक भी इस बार बहुत रही। उसका कारण यह रहा कि एक तो गल्फ बार करीब-करीब समाप्ति पर है और सुनामी लहरों ने दक्षिणी भारत के पर्यटकों को इधर डाइवर्ट किया इसलिए पर्यटक भी बहुत आये। और यह भी कहना चाहूंगी कि कुछ हमारी सरकार की बनायी हुई नीतियों का जो आपने इम्प्लीमेंट किया है उसका भी कारण है कि पर्यटक विभाग ने ऊंचाइयां छुई हैं।

सभापति महोदय, राजस्थान में तीन नेशनल पार्क हैं, रणथम्भौर, सरिस्का और डेजर्ट नेशनल पार्क है। किसी जमाने में यहां टाइगर्स की उपस्थिति सबसे ज्यादा हुआ करती थी लेकिन दुर्भाग्यवंश आज टाइगर्स की स्थिति बिलकुल शून्य होने जा रही है। और विश्व भर में मीडिया के माध्यम से यह खबर पहुंच रही है कि आने वाले समय में राजस्थान में टाइगर्स देखने को नहीं मिलेंगे। आपने जिन अधिकारियों को इस इश्यु को लेकर निलंबित भी किया है। लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगा, सभापति महोदय, कि कुछ निर्दोश अधिकारी भी इसमें निलंबित हो गये हैं, उनका भी ध्यान रखें आप। और टाइगर्स की संख्या बढ़ाने के लिए, टाइगर्स को दोबारा एस्टेब्लिश करने के लिए सरकार क्या कर रही है, इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा अवगत कराएं।

अखबारों के माध्यम से यह भी जानकारी आयी है कि लिविंग मोन्युमेंटस के लिए आप दोबारा कुछ करने जा रही हैं। लेकिन इसके बारे में क्या विचार किया है, क्या नहीं किया है, हम चाहते हैं कि सदन के सामने आप इसको स्पष्ट करें। आप अवगत कराएं कि लिविंग मोन्युमेंटस के लिए आप क्या करने जा रही हैं।

सभापति महोदय, जब हमारी सरकार थी हमारे समय में बीयर बार के जो ठेके थे या बीयर बार थी वह आर.टी.डी.सी. के अण्डर में थी और आर.टी.डी.सी. ही बीयर सर्व किया करती थी। उसके बाद इसको प्राइवेटाइज किया और प्राइवेटाइज कर के भी, नीति बदल कर उसको और ज्यादा कारपोरेट बना कर इसको प्राइवेटाइज कर दिया। और आबकारी नीति ने इस प्रदेश की जो हालात बिगाड़ी है इस पर आप थोड़ा सा गौर करें क्योंकि दिल्ली में भी

(श्रीमती ममता शर्मा)

दिल्ली टुरिज्म को ही बीयर बार के ठेके दिये हुए हैं। इससे आपको दो लाभ होंगे, एक तो आय भी बढ़ेगी और दूसरा, राजकोष में भी बढ़ावा होगा और तीसरा, जो सिक यूनिट के आपके कर्मचारी बेरोजगार हैं उनको रोजगार भी उपलब्ध होगा। तो मेरा आपसे कहना है कि इसको आप उसी तर्ज पर लाएं। सिक यूनिट में जो कर्मचारी बेकार बैठे हुए हैं वह आपके इसमें काम आ पायेंगे। यह मेरा आपसे एक निवेदन, मेरा सुझाव भी है, कालाबाजारी से भी आपको मुक्ति मिलेगी।

एक मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगी कि नागौर फोर्ट को जिस तरह से रेस्टोर किया है, उसकी पुरानी सम्पदा को वैसा का वैसा दर्शाया है उसी तर्ज पर बाकी के जो फोर्ट, पैलेसेज हैं उनको भी आप करें। यह अत्यन्त आवश्यक है। पर्यटक तभी आकर्षित होगा कि जब पुरा सम्पदा पुरानी नजर आयेगी। उसमें आप जो री-माडर्नाइजेशन करते हैं उसका जो रिनोवेशन करते हैं उस रिनोवेशन में उसका स्वरूप ही बदल जाता है। तो मेरा आपसे निदेवन है कि इसको उसी तरह से रिनोवेट किया जाए जैसे कि नागौर का फोर्ट आपने किया है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से एक बात और निवेदन करना चाहूंगी कि पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान को घूम-घूम कर ढूंढाढ़, मारवाड़ और मेवाड़ यह तीन ऐसी जगह हैं कि पर्यटकों को यह हो गया है, उनके दिमाग में इमेज बन गयी है कि राजस्थान मतलब रेगिस्तान, डेजर्ट। लेकिन जब आप दक्षिणी राजस्थान की तरफ जाते हैं तो वहां आपको नदियां, खेत और सब नजर आते हैं। जस्ट अपोजिट। जो आपको इधर नजर आता है उससे बिलकुल उल्टा नजर आता है। तो इस इमेज को बदलने के लिए, हाड़ौती क्षेत्र को पनपाने में अत्यन्त आवश्यक है कि आप आपके ब्रोशर्स में, आपके जो एडवरटाइजिंग एजेंसी है उसके जरिए ज्यादा से ज्यादा करें।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्रीमती ममता शर्मा : सभापति महोदय, एक अकेली महिला बोल रही है पर्यटन पर, आप कम से कम उसको मौका तो दें। और मैं अनर्गल बिलकुल नहीं बोल रही हूं, कुछ रिलेवेंट बोल रही हूं इसलिए आप पांच मिनट तो दें। आपने तो अभी पांच मिनट भी नहीं दिये हैं।

श्री सभापति : समय की सीमा है। दस मिनट हो गये आपको।

श्रीमती ममता शर्मा : दो मिनट बोलने दें, सभापति महोदय, अब कनक्लूड कर रही हूं।

मैं कहना चाहती हूं कि पर्यटक रिपीट करता है। राजस्थान ही पूरे हिन्दुस्तान में एक ऐसी जगह है जिसको पर्यटक रिपीट करता है और जब वह रिपीट करता है तो एक ही एक चीज को देख कर वह घबराता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे हाड़ौती एरिया में आपको एडवेंचर टुरिज्म भी मिलेगा, आपको एग्रीकल्चर टुरिज्म भी मिलेगा। इसलिए उधर डाइवर्ट करने के लिए, जो आपने शाही रेलगाड़ी चला रखी है एक सस्ती रेलगाड़ी ऐसी चलाएं क्योंकि टयूरिस्ट भी दो क्लास के आते हैं। उनकी भी कैटेगिरी है। बहुत बड़े लोग भी आते हैं और बहुत छोटे लोग भी आते हैं। तो अगर हाड़ौती को पनपाने के लिए आप सस्ती रेलगाड़ी चलायेंगे तो वह भी आपके लिए फायदेमंद होगी।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी के क्षेत्र में, हाड़ौती में ही आता है बुद्धिष्ट टूरिज्म जिसके बारे में बहुत कम प्रचार है। जहां कोलवी की गुफाएं हैं, जिसको कोई नहीं जानता उसको आप अपने एडवरटाइजमेंट में दें. आपकी जो बुकलेट निकलती हैं उनमें दें। वहां विपुल संभावनाएं हैं, टयूरिस्ट इतना आयेगा कि आपको राजस्व का जबरदस्त लाभ मिलेगा।

झालरापाटन के सूर्य मंदिर में जो अतिक्रमण है उसके बारे में आपका क्या विचार है? उसको पालिटिकल रूप नहीं देकर उसके अतिक्रमण को हटाएं और उस सूर्य मंदिर का कायाकल्प कराएं। दूसरी बात यह है कि झालावाड़ सिटी पैलेस में आपका कलेक्ट्रेट चलता है, उसके लिए आप क्या सोच रहे हैं। वहां कलेक्ट्रेट को हटा कर दूसरी नयी बिल्डिंग बना कर उसको शिफ्ट करें क्योंकि उसमें जो फ्रोस्को हैं, उसमें जो पेंटिंग्स हैं वह अमूल्य हैं। आज वह देखने को नहीं मिल सकती है। तो उनको भी आप रेस्टोर करने के लिए वहां से कलेक्ट्रेट को हटा कर और कुछ न कुछ करें।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर।

श्रीमती ममता शर्मा : सभापति महोदय, हाड़ौती क्षेत्र की बात हो रही है, मुख्य मंत्रीजी के क्षेत्र की बात हो रही है। मैं अकेली नहीं हूं, वहां से आपकी मुख्य मंत्रीजी भी आती हैं इसलिए थोड़ा सा तो आप कंसीडर करें।

श्री सभापति : ऐसा है कि समय की सीमा है और 20 माननीय सदस्य बोलने हैं।

श्रीमती ममता शर्मा : मंत्री महोदया. पर्यटन विभाग में जिलावार अधिकारियों का होना बहुत जरूरी है जहां पर ज्यादा से ज्यादा आप पैरासैलिंग भी कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं, होर्स सफारी भी हो सकती है, बोटिंग भी हो सकती है, राक क्लाइम्बिंलनग की भी हो सकती है। तो इन सब की विपुल संभावनाओं को देखते हुए मेरा आपसे निवेदन है।

आखिर मे मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि दरा को आपने दो बार हाउस में कहा है कि हमने नेशनल पार्क घोषित किया है लेकिन उसका नोटिफिकेशन कब करेंगे, यह बताइये। जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तब तक दरा नेशनल पार्क घोषित करने का कोई महत्व नहीं है। दूसरी बात, घना गेम सेंक्युरी है, जब तक आप पानी उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं और वहां चिड़ियाओं की आवक नहीं है तब तक कृपा करके उसको बंद कर दें। क्योंकि विश्वभर में मीडिया के माध्यम से जो एक खबर जा रही है वह यह जा रही है कि नाम ही नाम है घना गेम सेंक्युरी का लेकिन वहां पक्षी नजर नहीं आ रहे हैं। तो इस इमेज को खतम करनें के लिए कुछ समय के लिए आप इसको बंद करें और उसके बाद शुरू करें।

मैं आपसे कहना चाहूंगी आपने राजस्थान दिवस की जो एक शुरूआत की है वह अच्छी शुरूआत थी। हालांकि बूंद-बूंद को जनता तरस रही है गांवों में, लेकिन इस अच्छी शुरूआत के लिए आप धन्यवाद की पात्र हैं क्योंकि इर शुरूआत में एक जो प्लस प्वाइंट है वह यह है कि जो आपके लोक कलाका हैं, करीब 4500 लोक कलाकारों ने इस बार भाग लिया। मुझे खुशी है लेकिन मैं आसन के माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगी कि आप इसको हर जिले में करें ताकि गांव-गांव, ढाणी-ढाणी के कलाकार इससे लाभ उठा सकें। मैं इतनी बात कह कर मेरी बात समाप्त करती हूं।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (नदबई) : सभापति महोदय, आज मेरे पास माननीय शिक्षा मंत्रीजी के लिए ऐसे कोई शब्द नहीं बचे जिनको मैं धन्यवाद के रूप में उनको कह सकूं।

सभापति महोदय, पहले मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे क्षेत्र में, यानि भरतपुर जिले में एक छोटी सी तहसील आती है नदबई कस्बा। उसमें इन्होंने बाहर नये प्राथमिक विद्यालय खोले थे उसी के साथ उन्होंने प्राथमिक से उच्च प्राथमिक बाइस स्कूलें अपग्रेड कराए। इसी के साथ-साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री महारानी साहिबा को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने दो सीनियर सैकण्डरी किये ओर दो सैकण्डरी स्कूल अपग्रेड किए हैं।

माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्रीजी को इसलिए यह कहना चाहती हूं कि आज तक विधान सभा क्षेत्र नदबई में कुल चार स्कूल सीनियर थे जो दो मिलाकर अब छह हुए हैं। और मुझे आशा है कि आगे भविष्य में और अपग्रेड करेंगे। मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहती हूं भरतपुर की जनता की ओर। जनता की मांग के अनुसार सरकार ने समय-समय पर अनेक स्थानों पर उच्च शिक्षा के अन्तर्गत विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय खोले हैं। गत वर्षों में कोटा, बीकानेर में भी विश्वविद्यालय खोलकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नहीं क्रान्ति की है। पर हमेशा की तरह इस वर्ष भी भरतपुर क्षेत्र में कोई विश्वविद्यालय नहीं खोला गया। यह जानते हुए भरतपुर क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है,यह क्षेत्र एक विशेष स्थान रखता है। इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहती हूं कि भरतपुर की जनता की विशेष मांग का ध्यान रखते हुए कृषि विश्वविद्यालय खोलने की अति आवश्यकता है।

इसी के साथ मुझे मालूम है क्योंकि आप लोगों से मैं पहले बात कर चुकी हैं, धन के अभाव में विश्वविद्यालय नहीं खोलोगे अभी। लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र नदबई में कम से कम महाविद्यालय खोलें जिससे वहां के छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए अच्छी शिक्षा मिल सके।

(श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर)

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहती हूं कि पिछले साल जब हमारे राजस्थान बोर्ड दसवीं की परीक्षा हुई थी, नड़बई कस्बे का ही एक लड़का था जिसने राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उसके बाद उनके भविष्य के लिए, उनकी अच्छी शिक्षा के लिए उनको भरतपुर या अन्य जगह जाना पड़ता है। इसलिए मैं चाहती हूं कि माननीय मंत्रीजी आप नदबई क्षेत्र के लिए एक महाविद्यालय खोलने की घोषणा अवश्य करें। मैं ज्यादा समय न लेकर सिर्फ यह कहना चाहती हूं कि जिस तरह से आपने हमारा समय-समय पर अनुरोध सुना, समय-समय पर आपने प्राथमिक, उच्च प्राथमिक माध्यमिक, उच्च माध्यमिक करते गये उसी आधार पर हमारे नदबई और भरतपुर के लिए महाविद्यालय और कृषि विश्वविद्यालय खोलने की कृपा करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से एक बात और कहना चाहती हूं कि हमारे नदबई तहसील में कई विद्यालय हैं जहां टीचर्स के पद खाली पड़े हुए हैं। अभी जितनी भी मास्टरों की (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बातें नहीं करें।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर : अभी हाल ही में जितने टीचर्स नई नौकरियों में स्थापित हुए, कई लोग नदबई में भी लग चुके हैं। लेकिन मैं उल्लेख करना चाहती हूं कि स्कूल के बारे में कि नदबई कस्बे में संचालित राजकीय कपूरी देवी जगवायन बालिका विद्यालय है जहां सात स्थान खाली पड़े हुए हैं। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि इन स्थानों को भरा जाए जिससे वहां की लड़कियों की अच्छी पढ़ाई भी हो सकती है।

इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का ज्यादा समय न लेकर मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मंत्री महोदय नदबई क्षेत्र के लिए महाविद्यालय के लिए आप घोषणा करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री राव राजेन्द्र सिंह।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : आदरणीय सभापति महोदय, मानव जीव को सुसंस्कृत कर इन्सानियत के स्वरूप प्रदान करने वाले क्रम को शिक्षा

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

कहते हैं। और इन्सान के स्वरूप में जो चरित्र उसके शरीर में विद्यमान रहता है वही इस राष्ट्र की और इस प्रदेश की वास्तविक धरोहर है। मैं बहुत सी बात इसलिए नहीं की कि समय सीमा में रहते हुए सिर्फ इतना सा निवेदन करूंगा कि अधिकतर हममें से जितने भी यहां हैं, एक जमाना था आज से पन्द्रह साल पहले जब इस प्रकार की स्कूल और विद्यालय में एक कक्षा लगती थी मोरल साइंस की। हम जब पढ़ते थे तो हफ्ते में दो पीरियड ऐसे हुआ करते थे कि मोरल साइंस के बारे में जानकारी मिले। और मोरल साइंस का सीधा सा सवाल था नैतिक शिक्षा। आज जो कुछ भी हमें देखने और सुनने को मिलता है, जितनी विसंगतियां हैं, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के अन्दर अंग्रेजी का पहली कक्षा में होना अनिवार्य है। जिससे हमारे जो विद्यार्थी, जो बच्चे पढ़कर निकलें तो उस प्रतिस्पर्धा में अंग्रेजी के अभाव में कहीं अपनी भूमिका को कम न आंके। लेकिन शिक्षा मंत्रीजी को एक निवेदन करना चाहूंगा कि प्राइमरी और मिडल लेवल तक हफ्ते में दो पीरियड नैतिक शिक्षा के होना अनिवार्य है जिससे हमारा सही करैक्टर बन सके।

नैतिक शिक्षा की बात करते हैं तो एक और विसंगति इस राष्ट्र और प्रदेश की खाए जा रही है कि धर्म के नाम पर भिन्न-भिन्न परिभाषा और भ्रांतियां जो फैलाई जाती हैं। जो भी हमारे प्रमुख धर्म हैं, मैं यह तो नहीं कहता कि शिक्षा का धार्मीकरण किया जाए। लेकिन इन प्रमुख धर्मों के बारे में इन बच्चों को कम से कम जानकारी जरूर दी जानी चाहिए। तुलनात्मक जानकारी दी जानी चाहिए जिससे जो विषय हैं आज की तारीख में राष्ट्र और प्रदेश के स्तर पर राजनीति के गलियारों में या और तरीके से भ्रांतियां फैलाते हैं और आपस में मतभेद करते हैं। और धर्मनिरपेक्षता की जिस परिभाषा को कलंकित करते हैं, कम से कम यह विद्यार्थी जब निकलें अपने स्कूलों से और कालेजों से तो इनको मालूम हो कि धर्म और भिन्न-भिन्न धर्म हमें क्या ज्ञान देते हैं। यह दो ऐसी चीज हैं कि अगर विद्यालय स्तर पर इनकी जानकारियां अगर मिल जाए तो कम से कम जो भ्रांतियों और जो मतभेद हैं यह कम हो जाएंगे।

मैं सभापति महोदय, शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा। हम अच्छे डाक्टर बना रहे हैं अच्छे इंजीनियर बना रहे हैं। लेकिन एक बात की और आवश्यकता है। आपका सुझाव है और आपका प्रयत्न है, हर एक किलोमीटर पर आप प्राथमिक स्कूल खोल रहे हैं। पांच चार

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

प्राथमिक स्कूल के बीच में आप एक मिडल स्कूल खोल रहे हैं। आप कलस्टर बनाकर मिडल स्कूल खोल रहे हैं। लेकिन जिस फील्ड को आप इमरजिंग फील्ड में आज की तारीख में इन्फार्मेशन टैक्नालोजी और बाकी बात करते हैं लेकिन एक और इमरजिंग फील्ड है फील्ड आफ स्पोर्ट्स। और अगर फील्ड आफ स्पोर्टस को हम यह देखें कि हम एक स्तर पर ले जाकर अन्तरराष्ट्रीय प्रतिपस्पर्धा में अपने बच्चों को वहां खड़ा करें तो उसके लिए भी एक प्राइमरी लेबल पर आपको कोई न कोई कोचिंग इन्स्टीयूशन खड़ा करना पडेगा। एक बहुत बड़ा फील्ड है। आज हम हर बात करेंगे कि रोजगार कैसे मिले, प्रतिस्पर्धा कैसे हो, अच्छे विद्यार्थी, कैसं हो तो स्पोटर्स फील्ड में अगर आप हो तो आपको कोई न कोई ऐसा इन्स्टीट्यशून जरूर खड़ा करना पड़ेगा कि जो दस साल की और आठ साल की उम्र के इन बच्चों को जो प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, अगर वह योग्यता रखते हों और आप अगर उनको अच्छे स्पोर्टसमैन बनाना चाहते हैं तो वहां से आप इनको एक्सट्रेक्ट करें। और ऐसे विद्यालय और ऐसे इन्स्टीट्यूशन को आप जन्म दें, यह एक ऐसी श्रृंखला है, अगर आपने इसको सही तरीके से खड़ी कर दी तो यह सौ करोड़ की आबादी का राष्ट्र पांच करोड़ की आबादी का प्रदेश अच्छे स्पोर्टसमैन को पैदा कर सकेगा। और फिर एक ही नाम नहीं आएगा राज्यवर्द्धन का या एक ही नाम नहीं आएगा झाझडिया का। कई ऐसे श्रृंखलाओं में नाम होंगे इसकी आवश्यकता है। और उसको मूर्त रूप देने के लिए आपको बहुत कठिन और बहुत सरल, बहुत सत्य नियम बनाने पड़ेंगे।

माता पिता इस बात का विश्वास कर लें कि अगर आठ साल की उम्र में उनका बच्चा इन इन्स्टीटयूशन्स में जाएगा तो उसके जीवन यापन के लिए और अपनी प्रतिस्पर्धा और अपनी क्वालिटीज के हिसाब से वह अपना जीवन यापन कर पाया। यह भी शिक्षा की एक ऐसी प्रगति है जिसकी हम शिक्षा मंत्री जी से अपेक्षा करते हैं।

मैं शिक्षा मंत्रीजी का एक ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जिस प्रदेश में हम हैं, इतिहास इस बात का साक्षी है कि सेना के अन्दर भर्ती होने की लालसा यहां के प्रत्येक नौजवान के खून में है। चितौड़ सैनिक स्कूल, अजमेर सैनिक स्कूल, लेकिन यह अपने आप में बहुत नहीं है।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

मुझे नहीं मालूम कि किसमें और किस लिस्ट में हैं। हो सकता है कि सैंट्रल एपूवल के बाद ऐसी स्कूलें खुलती हैं। लेकिन कम से कम ऐसे डिस्ट्रिक्टस ज़हां की पर्सेण्टेज सेना में ज्यादा है चाहे वह झुंझुनूं हो, चाहे अलवर हो या कोई और डिस्ट्रिक्टस हों, कहीं न कहीं इस लेवल पर हमको ऐसे इंस्टीट्यूशंस खोलने चाहिये। जिससे आपके बच्चे वहां पढ़कर सुसंस्कृत होकर सेना में जाने जैसी जो शिक्षा है और अगर वे सेना में जाए न जाए, यह उनका है, लेकिन एक डिसिप्लीन जो होना चाहिये वह कम से कम उनको मिल सके।

मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा माननीय शिक्षा मंत्रीजी से कि आपके मिडिल स्कूल्स में पी.टी.आई. है जिसको आप फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर कहते हैं। 99 प्रतिशत यह पी.टी.आई. पढ़ाने का काम करते हैं। फिजीकल ट्रेनिंग नहीं देते। और इन पी.टी.आई. का दुर्भाग्य देखिये बाकी और कोई थर्ड ग्रेड टीचर या सेकिंड ग्रेड टीचर प्रमोशन लेता कहीं न कहीं डिप्टी डिस्ट्रिक्ट आफिसर या डी.ओ. तक बन जाता है, इनका तो कोई प्रमोशन भी नहीं होता। यह पी.टी.आई. होते हैं और पी.टी.आई. से ही रिटायर हो जाते हैं और काम यह बाकी सारे करते है जो दूसरा मास्टर करता है। अगर उनकी योग्यता में वह बी.ए. या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो वह पढ़ाते भी हैं। मेरे ख्याल से शिक्षा के अन्दर अगर यह भी है तो इनके प्रति भी थोड़ा सा संवेदनशील शिक्षा विभाग को होना चाहिये।

मैं एक और शिक्षा मंत्रीजी से अर्ज करना चाहूंगा कि अब क्योंकि मैं एक क्षेत्र का जन प्रतिनिधि हूं, मेरा दायित्व भी बनता है कि मेरे क्षेत्र की बात करूं लेकिन उसके पहले मैं एक बात जरूर अर्ज करना चाहूंगा। पिछली बार भी मैंने आदरणीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित किया। मेरे यहां सौभाग्यवश, यह मेरा सौभाग्य है, मेरे क्षेत्र का सौभाग्य है कि ऐसे महात्मा वहां बिराजते हैं उनके हाथों से विद्या और विद्यालयों के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपका जो संस्कृत विश्वविद्यालय बन रहा है उसका 3/4 वित्त पोषण महाराज नारायण दासजी के स्वंय के हाथों से हो रहा है। उनके गुरूवार के नाम से एक महाविद्यालय शाहपुरा के पास में चिमनुपरा में सन 1978 से चल रहा है। उसकी बिल्डिंग उन्होंने बनायी, पूरी जमीन उन्होंने दी और 27 साल से इस

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

भवन की देख रेख और उसका रखरखाव वह कर रहे हैं। हम पहले भी आग्रह कर चुके हैं उसको एग्रीकल्चर का दर्जा भी है। लेकिन पी.जी. कालेज का दर्जा उसको नहीं है। पी.जी. कालेज का दर्जा होने के लिये एक अलग कालेज की आवश्यकता होती है। भवन इतना बड़ा है, अलग-अलग पूरा का पूरा है। पूरा पी.जी. कालेज के दर्जे के लिये जो कुछ भी भवन और स्थान सौ बीघा जमीन का और बाकी संसाधनों की जो आवश्यकता पड़ती है, यह पूरा है। जब एक इंसान के हाथों से विश्वविद्यालय की रचना हो रही है और उनके गुरू के नाम से ऐसी चीज है जो 27 साल से पड़ा है। अगर उसको पी.जी. कालेज का दर्जा दिया जाए और इंडियन काउंसिल आफ एग्रीकल्चर और रिसर्च उसको ग्रांट दे दे तो बहुत ज्यादा कोई आप लोगों पर वित्तीय संसाधनों का दवाब नहीं रहेगा। उसकी कम से कम पुष्टि हो जाए तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं। और पिछली बार मैंने तो यह भी कहा था कि जिस सामाजिक दृष्टिकोण से और जिस सामाजिक छवि से एक ब्राह्मण की हैसियत से शिक्षा मंत्री यहां बिराजे हैं। एक क्षत्रिय की हैसियत से मैं मांग रहा हूं। मैं यह तो नहीं कहता...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और यह तो अर्ज नहीं करता कि जो आए दिन धमकियां दी जाती हैं कि हम आन्दोलन कर देंगे या उपवास कर लेंगे। लेकिन एक बात की याद दिलाना चाहता हूं कि बाकी हठ में एक हठ और भी है क्षत्रिय हठ। अगर हम क्षत्रिय हठ पर उतर आए तो इसको जरूर ले लेंगे। इसलिये हम चाहते हैं कि कम से कम शिक्षा मंत्री कृपा करके इसके ऊपर जरूर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर लें।

मैं ज्यादा और समय न लेते हुए आदरणीय पर्यटन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा बैराठ महाभारतकालीन नगरी है। बौद्धिक, जैन धर्म और मुगल इनके सारे, आपका पुरात्व विभाग का भी वहां आफिस है। मैं चाहता हूं कि पर्यटन का दर्जा आपने दे रखा है और आज से 30 साल पहले से उसका दर्जा है और आपके मैप पर भी है। लेकिन वित्तीय संसाधनों के अभाव में सही ध्यान अगर दिया जाए तो उसका विकास हो सकेगा।

आज ठेली मेडिसिन की बात हो रही थी। एक और फील्ड टयूरिज्म में भी इमर्ज हुई है। आपका मार्च का जो टयूरिस्ट न्यूज लैटर आया है दैट इज

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

मेडिकल टयूरिज्म। 15 लाख व्यक्ति विदेशों से हिन्दुस्तान इसलिये आए क्योंकि यहां अच्छा, सरल और सुगम तरीके से, शुद्ध तरीके से आपकी मेडिकल सर्विसेज अवेलेबल हैं। हम चाहते हैं कि राजस्थान बाकी सारे क्षेत्र में तो विकास कर रहा है। टयूरिज्म में, मेडिकल टयूरिज्म को भी कम से कम इस बात के लिये स्वीकार करें और वह सारी व्यवस्था करें जिससे यह 15 लाख जो टयूरिस्ट आ रहे हैं चाहे वह केरल जा रहे हों, चाहे साउथ में जा रहे हों, वह भी राजस्थान में जा सकें।

सभापति महोदय, जो आपने मुझे समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमंडी) : माननीय सभापति महोदय मांग संख्या 24..

श्री सभापति : आप 5-7 मिनट में कनक्लूड करें।

श्री प्रहलाद गुंजल : पहले ही आप सीमा में बांध रहे हो, आप कहेंगे मैं तो अपनी बात कहूंगा भी नहीं।

शिक्षा, कला संस्कृति और मांग संख्या 47 पर्यटन पर विचार हो रहा है..

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 24 और 47 पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : प्रस्ताव यह है कि मांग संख्या 24 और मांग संख्या 47 के पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

मांग संख्या 24 व 47 पर विचार

श्री प्रहलाद गुंजल : माननीय सभापति महोदय, शिक्षा की मांग पर मध्याह्न बाद से पक्ष और विपक्ष के काफी सदस्यों ने अपने विचार रखे। बाबू सिंहजी माननीय सदस्य और सब प्रकार के विचार शिक्षा के बारे में माननीय सदस्यों न उनके मन की भावना, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियां और क्या कुछ शिक्षा के क्षेत्र में चल रहा है, यह सारे विषय विचार के रूप में रखे।

मैं इस अवसर पर किसी प्रकार के आज आंकड़ों के भ्रमजाल को नहीं रखना चाहता हूं। शायद यह बात तो आज इस सदन में सब सदस्यों ने स्वीकार की है कि राजस्थान के लोकतांत्रिक इतिहास में शिक्षा के क्षेत्र में जितने क्रान्तिकारी कदम चाहे वह विद्यालय खोलने का सवाल हो, चाहे गांवों में अच्छी शिक्षा देने के लिये अध्यापकों की नियुक्ति का प्रश्न हो, जो राजस्थान की सरकार ने उठाये, अपने आपमें एक ऐतिहासिक कदम हैं और इस विषय पर लगातार कई बार सदन में चर्चा भी हुई। मैं भी इस अवसर पर शिक्षा मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं। मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने उस कल्पना को साकार करने के लिये कि शिक्षित समाज के बिना विकसित राष्ट्र की कल्पना अधूरी है। राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में नये आयाम खड़े करने की कोशिश की।

मैं व्यवहार की बात आज इस सदन में रखना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, अधिक भूमिका और अधिक चर्चा न करते हुए। समय आपने कम दिया है शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा सवाल चर्चा का तब आता है, माननीय सभापति महोदय, यह हम सबकी चिन्ता है। जब शिक्षा किसी भी

(श्री प्रहलाद गुंजल)

सरकार के राजनीतिक विचार के साथ जुड़ जाए। यह भी कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है। लेकिन राजनीतिक विचार के साथ जुड़ने के साथ-साथ इसमें गुणात्मक गिरावट आ गयी ओर पिछले पांच साल तक राजस्थान ने इस स्थिति को भुगता है।

(19.00 बजे)

1998 के राजनीतिक भूगोल परिवर्तन के बाद इस चिंता का प्रदर्शन तो उस सरकार ने किया। शिक्षा के क्षेत्र में काम होना चाहिए। लेकिन शिक्षा का राजनीतिकरण करके जहां अनुभवी योग्यताधारी अध्यापकों के माध्यम से विद्यार्थियों की शिक्षा दी जानी चाहिए थी। अशिक्षित पैराटीचर्स से अध्यापन का कार्य करवाया।

सभापति महोदय, मैं इसी बात को आज उद्दत करना चाहता हूं। मैं 1984-85 में जब ग्यारहवीं कक्षा का विद्यार्थी था तब मैं जिस विद्यालय में पढ़ता था। उसमें चार हजार विद्यार्थी पढ़ते थे और आज जब मैं उस विद्यालय के एक फंक्शन में भाग लेने के लिए गया था और मैंने पूछा कि आज इस विद्यालय में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं तो जवाब मिला कि विद्यार्थियों की संख्या चार सौ है।

श्री सभापति : आप बिना भूमिका बनाये कोई बात कहनी हो तो कह दें। आपको पांच मिनट हो गये हैं।

श्री प्रहलाद गुंजल : सभापति महोदय, अभी पूरे पांच मिनट भी नहीं हुए हैं। वही कह रहा हूं। सभापति महोदय, 20-20 मिनट भी इस सदन में सदस्य बोले हैं। मैं बहुत गंभीर बात कर रहा हूं जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। जिस बात को मैं रखना चाह रहा हूं। आप उसको सुनने का प्रयास करें। आज उस विद्यालय में चार सौ विद्यार्थी पढ़ते हैं। कारण क्या है। इस स्थिति का मूल्यांकन करने की आवश्यकता महसूस हो। आज सरकारी विद्यालयों में गुणात्मक शिक्षा की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं उसके अंदर चार सीनियर सैकण्डरी विद्यालय हैं। आज मैं एक महत्वपूर्ण सवाल माननीय शिक्षा मंत्रीजी के ध्यान में इसलिए लाना चाहता हूं कि आज सारे राजस्थान को इनसे उम्मीद है। सारे राजस्थान का विद्यार्थी, सारे राजस्थान की जनता इस कल्पना में है कि पहली बार शिक्षा के क्षेत्र में एक युग परिवर्तन का-सा

(श्री प्रहलाद गुंजल)

दौरा पैदा करने वाली सरकार आई है और उन विद्यालयों में केवल मात्र कला संकाय का अध्ययन होता है।

सभापति महोदय, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सब माननीय सदस्य जानते हैं कि कैरियर च्वाइस, कैरियर के बारे में निर्धारण बच्चे के सामने दसवीं क्लास के बाद पैदा होता है। दसवीं क्लास के बाद वह तय करता है कि मुझे डाक्टर बनना है, मेडिकल क्षेत्र में जाना है तो मैं साइंस बॉयलाजी लूंगा। मुझे कम्पनी सेक्रेटरी बनना है तो में कामर्स लूंगा और मुझे तकनीकी के क्षेत्र में इंजीनियर बनना है तो साइंस लूंगा। मैं आज यह बहुत बड़ा सवाल सरकार के सामने रखना चाहता हूं कि आज गांव के विद्यार्थी को आपको विकल्प देना पड़ेगा। उसके सामने दसवीं पास करने के बाद जब 11वीं में वह गांव के सीनियर सैकण्डरी विद्यालय में जाये तो विकल्प बंद है। अगर उसको गांव में पढ़ना है तो केवल उसके पास कला संकाय में पढ़ने के अलावा कोई आप्शन नहीं है। मैं समझता हूं कि बहुत संवेदनशीलता इस बार मुख्य मंत्रीजी ने, शिक्षा मंत्रीजी ने दिखायी। लेकिन उसके बावजूद भी कई प्रकार की चुनौतियां हैं। गांव से चलकर जब बच्चा शहर में पढ़ने आयेगा, किराये का मकान चाहिए, भोजन, आवास आदि की व्यवस्था पर खर्चा चाहिए। इन कठिन चुनौतियों का मुकाबला गांव का विद्यार्थी कैसे कर पायेगा। इसलिए गांव के सीनियर सैकण्डरी विद्यालय के अंदर उसके कैरियर के च्वाइस के सब्जेक्ट उसको मिलने चाहिए। वह विषय मिलने चाहिए और उसका परिणाम यह हुआ कि गांव के विद्यार्थियों की सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों में संख्या घटने लगी है और धीरे-धीरे गांव के अभिभावकों में अवेयरनैस आने लगी है इस रूप में। मोटा लक्ष्य उसके अपनी जीवन में बहुत सारी उपलब्धियों के साथ-साथ अपने बच्चों का कैरियर है क्योंकि वह देखता है।

सभापति महोदय, जिस प्रकार का वातावरण आज कोटा में बना है। यह अनुभव करने वाली बात है। इस रूप में शिक्षा में गुणात्मक सुधार के बारे में और गाव के उस अभिभावक के बारे में जिसके मन में आज भी, मैं तो कभी-कभी अपना उदाहरण देकर कहता हूं कि यहां जब माननीय सदस्य नाथद्वारा से आने वाले और शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य कभी अंग्रेजी में अपना भाषण करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे

(श्री प्रहलाद गुंजल)

अभिभावकों के मन में यह कल्पना होती उस जमाने में कि आने वाले समय में अंग्रेजी सामान्य व्यवहार की भाषा, डवलपमेंट की भाषा और संस्कृति और दूसरे देशों की सभ्यता को जोड़ने वाली भाषा बन जायेगी। तो शायद हमको भी उस कल्चर में एडजस्ट करने का हमारे अभिभावक प्रयास करते। और हम भी उस रूप में डवलप करने की स्थिति में आज खड़े होते। यह चिन्ता करनी पड़ेगी कि आज भी राजस्थान में इतने अभिभावक हैं जिनके मन में भूत, भविष्य, वर्तमान की कल्पना नहीं है। और उनके मन में यह कल्पना नहीं है कि मेरे बच्चों का भविष्य किस प्रकार से बनना चाहिए। और उन परिस्थितियां में जब सीनियर स्कूल एजुकेशन के बीच में अगर कोई व्यक्ति जिसकी हम चिंता कर रहे हैं कि हमें स्कूली एजुकेशन में इस प्रकार का सिस्टम डवलप करना चाहिए। हाथ में हुनर और रोजगार के लिए जायें, विद्यार्थी चाहे मेडिकल के क्षेत्र में जायें, चाहें इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जायें तो हमको गांव के उस व्यक्ति को इस स्कूली एजुकेशन में जो कठिन प्रतिस्पर्धा हो रही है। इसके लायक खड़ा करने का विचार करना पड़ेगा। आज कोटा में आप देखें, मेडिकल कालेज में एडमिशन के लिए कोचिंग संस्थानों में लोग देश भर से आते हैं। 90 प्रतिशत वाले विद्यार्थी एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं उनको सिफारिशें करवानी पड़ रही हैं। यह स्थिति गांव के व्यक्ति में पैदा हो। उसके मन में एक जज्बा पैदा हो। कल वह जाकर जब कंपिटेटिव एग्जाम में बैठने की चेष्टा करेगा तब उसको लगेगा कि इस लायक मेरी परफार्मेस नहीं है। इस लायक मेरे शैक्षणिक बैक ग्राउंड तैयार नहीं किया गया है। इसके रूप में उसकी सोच को पढ़ते समय तैयार नहीं किया।

सभापति महोदय, अब मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने राजस्थान में एक इतिहास रचा है। इतिहास रचा है आपने अध्यापक भरने का और यह बजट संकेत दे रहा है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में इस राजस्थान का नक्शा बदलना चाहते हैं। लेकिन एक बात शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए आपको करनी पड़ेगी कि आज गुरूकुल कांगड़ी की कल्पना तो हम नहीं कर सकते हैं लेकिन कोटा की धरती पर जो हिन्दुस्तान में कोचिंग के नाम पर ऐलन, बंसल और रजोर्नेस का जो कीर्तिमान स्थापित हुआ है। हम हमारे प्राथमिक विद्यालयों को एवं सैकण्डरी विद्यालयों को इस प्रकार की कोचिंग के रूप में गांव में जब तक खड़ा नहीं करेंगे, तब तक गांव के विद्यार्थियों की बेसिक फाउंडेशन तैयार नहीं होगी। उसके मन में इस प्रकार

(श्री प्रहलाद गुंजल)

का माहौल खड़ा नहीं होगा। वह प्रतिस्पर्धा के लायक नहीं बचेगा। उसके अभिभावक के सामने आज भी सुबह से शाम कमाने की चिंता है। उसकी चिंता हो तब उसकी इस प्रकार की सोच हो कि प्रतिस्पर्धा का जमाना है। और जिस प्रकार से सामान्य रूप से वह पढ़ रहा है कल जाकर के एक पढ़ा-लिखा बेरोजगार बन जायेगा। और जब उसके मन में यह कल्पना आयेगी कि अगर उसके अभिभावक भी समय पर उसे ठीक तरीके से ठीक सांचे में ढालते तो शायद हो सकता है कि इस प्रतिस्पर्धा में शामिल होता। यह बहुत कठिन चुनौती है। हमारे समाज के सामने है। इन परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्री प्रहलाद गुंजल : आज शिक्षा में गुणात्मक सुधार की आवश्यकता है।

श्री सभापति : आप बहुत बढिया बोल रहे हैं। सब बढिया बोल रहे हैं।

श्री प्रहलाद गुंजल : आप कह देंगे तो मैं बैठ जाऊंगा।

श्री सभापति : 15 मिनट हो गये हैं।

श्री प्रहलाद गुंजल : सभापति महोदय, जिस मौलिक चिंतन की बात मैं आज कर रहा हूं। मैं गांव से आता हूं और गांव का बच्चा बहुत समय लेगा और वह समय कब लगेगा वह समझ में नहीं आ रहा है। सेटेलाइट से सारी दुनिया के देश वर्ल्ड की गतिविधियों को कंट्रोल कर रहे हैं और हम इस हाउस में बैठकर आज यह चिंता कर रहे हैं। इस पर बहुत गंभीर मूल्यांकन करना पड़ेगा और आज शहरों में इस प्रकार का कल्चर पैदा हो गया है कि जब बच्चा थोड़ा सा समझने लगता है तो उसके मन में एक विचार और एक जज्बा पैदा हो जाता है कि मेरा कैरियर क्या होगा। मेरी च्वाइस क्या होगी। मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डाक्टर बनूंगा। लेकिन गांव में दसवीं क्लास तक हाथ में थैला लेकर के बच्चा स्कूल जा रहा है, उसके मन में यह यह कल्पना नहीं है। और कल्पना स्वाभावित रूप से ईश्वर की कृपा से उसके मन में आ जायेगा यह तो भगवान की कृपा समझनी चाहिए। यह कल्पना आयेगी उसके मोटिवेशन से जो उसके अभिभावक देंगे, उसके मोटिवेशन से जो उसका शिक्षक

(श्री प्रहलाद गुंजल)

देंगे। अब उसके साथ एक दुर्भाग्य इतना बड़ा है कि उसके गांव में शिक्षक उसको मोटिवेट नहीं कर रहा है और उसके अभिभावक में इस बात की समझ नहीं है कि यह जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितयां हैं इनमें सरकार को दायत्वि निभाने की चुनौती है। एक बहुत बड़ी चुनौती है। जो समाज में बदलाव लाकर के खड़ा करेगी। समाज में बदलाव शिक्षा के बिना नहीं आ सकता और शिक्षा में यह गुणात्मक सुधार जब तक सरकार ऐजिटेशन के रूप में, आंदोलन के रूप में जो शिक्षकों की भर्ती हो रही है। मैंने पिछली बार भी असेम्बली में कहा था, हमारे माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने बहुत अच्छा कंसेप्ट पैदा किया कि पहली, दूसरी में अंग्रेजी लागू करना चाहते हैं। और आपकी इच्छा है कि एन.सी.ई.आर.टी. और सी.बी.एस.ई के समकक्ष पाठयक्रम लाकर के खड़ा कर दें। मैंने पिछली बार यह चिंता की थी, हमें यह भी चिंता करनी पड़ेगी कि 25-35 साल पुराना अध्यापक है आप सी.बी.एस.ई. और एन.सी.ई.आर.टी. के समकक्ष पाठयक्रम राजस्थान के स्कूलों में चलायें। हमें यह भी चिंता करनी पड़ेगी कि जो 25-35 साल पुराने अध्यापक हैं, उनसे आप एन सी ई आर टी और सी बी एस ई के समक्ष पाठयक्रम जो लागू करना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं। जिस अध्यापक की नालेज ही अपडेट नहीं है, उसके टिपीकल कोर्सज के बारे में स्वयं का ज्ञान नहीं है और न ही उसका इस बारे में अध्ययन है। आप कई प्रकार के ऐसे कार्यक्रम चलाते हैं जिनमें करोड़ों रुपयों की फिजूलखर्ची होती है प्रशिक्षण के नाम पर तो जो 25-30 साल पुराने अध्यापक हैं उनके नालेज को अपडेट करने, उनके अध्ययन और अध्यापन की व्यवस्था का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी सरकार को चलाना चाहिए ताकि उनके नालेज का लाभ बच्चों को मिल सके।

पर्यटन के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस बजट में कोटा के जसमंदिर के विकास के लिए बजट का प्रावधान किया है, वह स्वागत योग्य कदम है। कोटा में पर्यटन विकास की काफी सम्भावना है। कोटा के अभेड़ा महल और मेरे विधान सभा क्षेत्र का गेपरनाथ महादेव का मंदिर जो चम्बल की तलहटी में हैं, इन दोनों स्थानों का अपना महत्व हैं। मैं आपके माध्यम से पर्यटन मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस बारे में आप कार्य योजना बनाकर इनके महत्व को देखते हुए इन्हें राजस्थान के पर्यटन के नक्शे पर लाने का प्रयत्न करेंगे। मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री बृजकिशोर शर्मा।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय सभापतिजी, मैं सबसे पहले माननीय शिक्षा मंत्रीजी को उनके द्वारा शिक्षा में की गई उल्लेखनीय प्रगति के लिए बहुत-बहुत साधुवाद देना चाहूंगा। मैं मांग संख्या 24 के कटौती प्रस्तावों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राज्य में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना को चार साल से ज्यादा का समय हो गया, आपने राजस्थान में शिक्षा कर्मियों के 40 हजार पद भरे, उसके लिए साधुवाद, लेकिन बड़ी-बड़ी घोषणाओं के बावजूद संस्कृत विश्वविद्यालय में सरकार द्वारा स्वीकृत पदों को आज तक नहीं भरा गया है। और विभिन्न कालेजों से प्राध्यापकों की प्रतिनियुक्ति से काम चलाया जा रहा है। वहां पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता प्राप्त प्राध्यापक हैं और न ही प्रोफेसर हैं और न ही वहां अनुसंधान कार्य हो रहा है। वहां छात्रों को स्वर्ण पदक और छात्रवृत्तियां और अन्य सुविधाएं भी नहीं प्रदान की जा रही हैं।

राजस्थान विश्वविद्यालय से जब परीक्षाएं आयोजित की जाती थी तो उनकी गुणवत्ता थी, समयबद्धता थी, परीक्षा प्रणाली में पूर्ण गोपनीयता थी, मूल्यांकन में वास्तविकता थी लेकिन ये सब बातें नए संस्कृत विश्वविद्यालय में नहीं दिख रही हैं।

माननीय शिक्षा मंत्रीजी, संस्कृत शिक्षा निदेशालय में अधिकारियों के पद नियमानुसार भरे हुए नहीं हैं, प्रतिनियुक्तियों से काम चलाया जा रहा है, वहां सैकण्ड ग्रेड के शिक्षकों को उप निरीक्षक का पद दिया हुआ है। माननीय शिक्षा मंत्रीजी आपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत भर्तियों की हैं लेकिन संस्कृत शिक्षा निदेशालय के अधीन विद्यालयों में हजारों पद रिक्त हैं, आप इनको तुरन्त भरने की व्यवस्था करें।

माननीय शिक्षा मंत्रीजी, संस्कृत शिक्षा के प्रतिवर्ष नए विद्यालय खुलते हैं, क्रमोन्नत होते हैं, महाविद्यालयों की स्थापना होती है। लेकिन उनके विस्तार के अनुकूल निरीक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था का कोई विकास नहीं हो रहा

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

है। न ही क्षेत्रीय कार्यालयों में वृद्धि हो रही है। निरीक्षण के अभाव में उचित उपलब्धियां नहीं हो पा रही हैं। अतः मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी व्यवस्था की जाए।

संस्कृत शिक्षा के राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियमों में संशोधन गत एक दशक से लम्बित है। सीधी भर्ती या पदोन्नति के माध्यम से सक्षम अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। पिछले एक दशक से प्रशासनिक संवर्ग के उच्च पद खाली पड़े हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन पदों को जल्दी भरने का कष्ट करें।

शिक्षा मंत्रीजी, मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूं। संस्कृत के जो हस्तलिखित ग्रंथ हैं उनको कम्प्यूटराइज्ड कराकर संस्कृत भाषा का जो विकास किया जा सकता है, उसको कराने की व्यवस्था की जाए। मेरी जानकारी के मुताबिक करीब 15 हजार हस्तलिखित ग्रंथ बीकानेर राजघराने के पास पड़े हुए हैं, उन ग्रंथों को पर्चेज करने के लिए बहुत से देशी और विदेशी लोग आतुर हैं मंत्रीज़ी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इसमें पहल करे तो शायद ये ग्रंथ हमारी संस्कृत, हमारे राजस्थान प्रदेश और देश की उन्नति प्रदान करने में सहायक हो सकती है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपने बहुत से विद्यालय खोले हैं लेकिन वेद विद्यालय भी आप खोलने का कष्ट करें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : आप साम्प्रदायिक हो जाओगे।

श्री बृजकिशोर शर्मा : हम साम्प्रदायिक होंगे कि नहीं होंगे इसकी फिक्र आपको करने की जरूरत नहीं है, यह काम हमारा है। आप मेहरबानी करके मुझे तालीम न दें। आप विराजो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह आप कौनसी किताब पढ़ रहे हैं?

श्री बृजकिशोर शर्मा : मैं किताब पढ़ रहा हूं कि क्या कर रहा हूं यह तो किताब पढ़ने का जिम्मा आपका है, मेरा नहीं, क्योंकि आप खाली किताब पढ़कर बताते हैं और कुछ नहीं बताते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं यही कह रहा हूं कि घर पर पढ़कर आइए, यहां पर आप पढ़कर नहीं बोल सकते। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं कि आप सीधे खड़े होकर अच्छी तरह से बोलें।

श्री सभापति : आप इनको बोलने दें। आप कनक्लूड करें।

श्री बृजकिशोर शर्मा : मैं तो कनक्लूड ही कर रहा हूं लेकिन मुझे ये डिस्टर्ब कर रहे हैं इसका कोई इलाज नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको रिलेक्स कर रहा हूं।

श्री बृजकिशोर शर्मा : माननीय शिक्षा मंत्रीजी, मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो 50 प्रतिशत ग्रांट देता है वह अभी तक संस्कृत कालेजों को नहीं मिली है, मैं आशा करता हूं कि आप इस ओर भी कोई आवश्यक कदम उठाएंगे।

अंत में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र जयपुर ग्रामीण में एक कालेज जोरावरसिंह गेट के पास तथा दूसरा गर्ल्स कालेज सुभाष चौक में अगर खोला जाए तो जयपुर शहर की आबादी पर जो शिक्षा का दबाव बढ़ रहा है उससे काफी राहत मिलेगी। साथ ही मेरे ग्रामीण क्षेत्र जमुवारामगढ़ में एक कालेज की स्थापना की जाए तो उससे भी पूरी जमुवारामगढ़ तहसील को शिक्षा क्षेत्र में आगे बल मिलेगा।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा शिक्षा मंत्रीजी की तारीफ करना चाहूंगा, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा गुंजल साहब को जिन्होंने भविष्य के ऊपर अपना एक संदेह व्यक्त किया है। उन्होंने बिलकुल ठीक बात कही है कि आप एजूकेशन जिस तरीके से दे रहे हैं उन छात्रों का भविष्य का क्या होगा, उनको नौकरियां कितनी मिलेगी, वो क्या करेंगे इस ओर भी शिक्षा

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

मंत्रीजी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि छात्रों को गुणात्मक शिक्षा मिले। उनको ऐसी शिक्षा मिले जिससे वे पढ़-लिखकर कुछ काम करे सकें। नौकरी नहीं मिले तो कम से कम अपनी रोजी-रोटी का जुगाड़ ठीक ढंग से कर सकें ऐसी शिक्षा का भी प्रावधान किया जाना चाहिए। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आपसे तो मैं इतना ही निवेदन करना चाहता था।

मैं पर्यटन मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा मेरा निर्वाचन क्षेत्र ही नहीं जयपुर जो आज हेरिटेज का हब बन रहा है और जयपुर में जलमहल पर जिस तरीके से पर्यटक आते हैं मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैंने मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन किया है, आपसे भी अंत में निवेदन करना चाहता हूं कि गढ़ गणेश से लेकर जलमहल पर एक रोपवे की स्थापना की जाए जिससे हमें पर्यटन का लाभ मिल सके। माननीय सभापतिजी, आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री सुभाष चन्द्र शर्मा।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 24 और मांग संख्या 47 पर अपने आपको शामिल करते हुए आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा शिक्षा पर और पर्यटन पर सदन में बहुत देर से बहस हो रही है और बहुत देर से अपने-अपने सुझाव माननीय सदस्यों ने रखे मैं उन बातों में पुनः रिपीटेंस में नहीं जाना चाहूंगा। मैं विशेष तौर से आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की आवश्यकता है और सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचारों के अंदर जो यहां पर बात रखी है मुझे इस बात की उम्मीद है और जैसी सोच आपकी है ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का उन्नयन करने के लिए निश्चित रूप से आप उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। आज जरूरत इस बात की है कि हम यहां बैठकर गांव की बात करते हैं लेकिन गांव के विकास के लिए गांव की सोच के लिए कितनी योजनाएं अपने बजट प्रावधानों के अंदर हम ल‍ हैं और उनकी कितनी क्रियान्विति हम करते हैं हम सबको

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

विचार करना चाहिए। विशेष तौर से गांव में सड़क नहीं मिले, गांव में स्कूल नहीं मिले, गांव में चिकित्सालय नहीं मिले, गांव में पीने का पानी नहीं मिले, गांव में बिजली नहीं मिले, फिर क्या दे रहे हैं हम गांवों को? हम गांवों को क्या देना चाहते हैं इस पर हम सबको विचार करना चाहिए और निस्संदेह मैं इस बात को आपको और निवेदन करना चाहूंगा कि स्कूलों की जो स्थिति राजस्थान के अंदर है उसमें बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता है। और समय आ गया है इस बात के लिए, सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, फैसले होते रहते हैं और फैसलों के अंदर जो बात आनी चाहिए विकास के लिए जो बात आनी चाहिए ग्रामीण क्षेत्र के उन बच्चों के लिए जो गरीबी की रेखा से नीचे और गरीबी से ऊपर भी निकलकर जिनके पास कोई रोजगार नहीं, जिनके माता-पिता के पास केवल कृषि और पशुपालन का साधन है वो अपने बच्चों को ऊंची शिक्षा दिलवाकर उसके सपने संजोते हैं। बहुत सारी हमारी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो गरीबी में पलकर बाहर निकलकर आई। बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट्स हमारे बीच ऐसे हैं जो चिमनी की रोशनी में पढ़ते थे, जिनको बिजली नसीब नहीं होती थी। लेकिन आज बहुत उच्च पदों पर बैठे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे माननीय नेता, बहुत सारी ऐसे प्रतिभाएं, बहुत सारे ऐसे योग्य लोग जो आज भी उस गरीबी से निकलकर बाहर आये हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ग्लोबलाइजेशन का समय आ गया है। इस ग्लोबलाइजेशन के समय में आपको बहुत कुछ और भी करने की जरूरत है ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए। आज प्राइमरी स्कूलों के लिए अभी बहुत सारे माननीय सदस्यों ने चिन्ता जाहिर की, हमारे खेलों की स्थिति कैसी चल रही है, प्राइमरी स्कूल से जब तक हम फिजिकल एजूकेशन बच्चे को देने की बात नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं पूरे प्रदेश में बहुत सारी प्रतिभाएं जिनको आप प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे।

अभी बैराठ से आने वाले माननीय सदस्य ने चिन्ता जाहिर की। आज हमारे फिजिकल टीचर्स सीनियर सैकण्डरी, सैकण्डरी और मिडिल स्कूलों में लग रहे हैं आज उनकी कौन सुन रहा है। कौन उनके प्रमोशन के ऊपर ध्यान दे रहा है,

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

वो क्या काम कर रहे हैं, किस काम के लिए उनकी ड्यूटी लगायी गई है, उस काम पर कोई मोनीटरिंग है या नहीं है यह सब देखने की हमारी जिम्मेदारी बनती है। माननीय शिक्षा मंत्रीजी आपकी तो विशेष तौर से इस बात की जिम्मेदारी बढ़ जाती है आपने आने के बाद क्रांतिकारी कदम उठाने का एक रास्ता राजस्थान के अंदर बनाया। मैं इस बात के लिए पूर्ण रूप से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा आज एक कीर्तिमान स्थापित किया राजस्थान में ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान में। 40 हजार अध्यापकों की एक साथ भर्ती एक आदेश से आपने करने का जो प्रावधान किया, सालों से जो लोग इस बात के इंतजार में बैठे थे कि सराकरी नौकरी उनको किस तरह से मिल पाएगी, बी.एड. करके ग्रामीण बच्चे, जिनके रोजगार के अवसर चारों तरफ से खतम हो गये थे। उनको आपने एक नयी रोशनी दी है। इस बात का मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपकी सोच को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने राजस्थान में एक नया आयाम स्थापित करने के लिए शिक्षा के अंदर एक आमूलचूल परिवर्तन करने का सपना संजोया है। बच्चे में संस्कार डालने की, बच्चे को फिजिकल एजूकेशन देने की बच्चे में योग्यता आये, बच्चे प्रतिभाशाली बनें, योग्यताधारी बनें, यह सोच संस्कारों के साथ-साथ एजूकेशन में आपने रखी है। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं यह निवेदन और करना चाहूंगा इसके साथ-साथ अभी काम करने की बहुत जरूरत है। आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जैसा अभी माननीय गुंजल साहब बता रहे थे, मैं भी उनकी बात का समर्थन करना चाहूंगा। नि:संदेह हमारे सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्कूलों के अंदर या कालेजेज के अंदर बच्चों को आप्शन नहीं

(19.26 बजे)

(डा. एन.एस. गुर्जर, सभापति, पदासीन)

मिलता। बच्चा जो पढ़ाई पढ़ना चाह रहा है, ग्लोबलाइजेशन का जमाना आ गया, एडवांस टेक्नोलाजी का जमाना आ गया। और एडवांस टेक्नोलोजी के जमाने के समय में हम केवल वो ही पुराने 40 साल 30 साल पुराने सब्जेक्ट पढ़ाते रहें और हमारे बच्चों को इसी रास्ते पर ले जाते रहें तो मैं नहीं समझ पाता कि हम बहुत बड़ा सुदृढ़ राजस्थान बना पाएंगे और बहुत बड़ी प्रतिभाएं हम उनमें से निकाल पाएंगे।

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

मैं आपसे इस बात के लिए निवेदन करना चाहता हूं बजटीय प्रावधानों में हमने ग्रामीण क्षेत्र के उन बच्चों को ध्यान में रखकर विकास की तरफ हमें यह सोच रखनी चाहिए। और बजट के वे प्रावधान ज्यादा से ज्यादा उन विद्यालयों के लिए हमें रखने चाहिए। आपने एक-एक विधान सभा क्षेत्र में दो-दो, तीन-तीन सीनियर सैकण्डरी और सैकण्डरी स्कूल खोलने का प्रस्ताव तो बनाया था, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आप जब लंदन से वापस आ रहे थे, मेरे विधान सभा क्षेत्र से आप जयपुर की तरफ पधार रहे थे। रास्ते में रोककर हमने आपसे निवेदन किया हमारे क्षेत्र की जनता ने और उस क्षेत्र के लोगों ने आपसे निवेदन किया कि राजस्थान में अगर शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते हैं, यहां की बालिकाओं को शिक्षित करना चाहते हैं, महिला सशक्तीकरण करना चाहते हैं तो निस्संदेह आपको प्रत्येक पंचायत मुख्यालय के ऊपर सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी विद्यालय खोलने पड़ेंगे। अगर आप इसमें परिवर्तन नहीं कर पाएंगे तो मैं नहीं समझ पाता कि महिला सशक्तीकरण और शिक्षा की बात को हम बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। आज हमारी बच्चियों की पांचवी क्लास और आठवीं क्लास के बाद दसवीं और बारहवीं में क्या स्थिति है? आज बच्चियां पांचवी और आठवीं क्लास में हजारों की तादाद में पढ़ रही हैं वे सैकड़ों की संख्या में सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी में आ रही हैं।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री सुभा. चन्द्र शर्मा : हमारे बच्चे जो 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर जाकर नहीं पढ़ पा रहे हैं, आज उनकी हालत यह हो रही है, मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय आपसे इस बात का आग्रह करना चाहूंगा कि निस्संदेह आपको यह सोच पैदा करनी चाहिए। और बजट में यह प्रावधान करना चाहिए कि आने वाले दो सालों के अंदर आप राजस्थान के प्रत्येक पंचायत मुख्यालय के ऊपर सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी विद्यालय देंगे मुझे इस बात के लिए उम्मीद है।

एक निवेदन और करना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में कासली के अंदर शिवनारायण जोशी सीनियर सैकण्डरी विद्यालय है जो एडेड विद्यालय है। 80 प्रतिशत राज्य सरकार की तरफ से उसको एड मिलती है, 20 प्रतिशत वहां के जो भामाशाह थे, जो स्कूल बनाने वाले थे उनकी तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन काफी समय से कुछ गतिरोध उसमें उत्पन्न हो गया। काफी समय से मैनेजमेंट में और वहां के जो विद्यालय के..

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें प्लीज।

श्री सुभा . चन्द्र शर्मा : दो मिनट में मैं अपनी बात कन्क्लूड कर रहा हूं, बढ़ा नहीं रहा हूं।

श्री सभापति : आपको 7-8 मिनट हो गये हैं, कन्क्लूड करिए।

श्री सुभा . चन्द्र शर्मा : मैं कन्क्लूड कर रहा हूं। उसमें एक गतिरोध पैदा हो गया और जो 20 प्रतिशत राशि आयोजकों द्वारा दी जानी थी वो काफी लम्बे समय से बंद कर दी गई है। केवल 80 प्रतिशत से वो विद्यालय चल रहा है, केवल 80 प्रतिशत पर वे अध्यापक काम कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं उसकी जांच कराकर उस पर प्रशासक की नियुक्ति करके, वो अध्यापक आपके सहयोग से उस विद्यालय को उसी तरीके से चलाना चाहते हैं। अगर सरकार इसमें इंटरफियर करके कुछ मदद करना चाहेगी तो मैं उम्मीद करूंगा।

इसके साथ में संस्कृत शिक्षा के लिए मेरे यहां कोटपूतली में एक मीडिल स्कूल है, मैं निवेदन करूंगा संस्कृत शिक्षा मंत्री महोदय को कि उसको प्रवेशिका में और पावटा के प्रवेशिका विद्यालय को उपाध्याय में क्रमोन्नत करने की कृपा करेंगे। और मैं इसके साथ एक निवेदन यह भी करना चाहूंगा कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी, कि जो आयाम आपने स्थापित किए राजस्थान के नौजवान बच्चों को जो आशाएं आपने जगाई, आने वाले समय में भी आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की भर्ती करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार के साथ जोड़कर सरकारी नौकरियों में जोड़कर एक सपना जो आपने उनको दिखाया, उसको साकार करेंगे। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि "50 हजार को नौकरी किया ऐतिहासिक काम, आने वाली पीढियां याद करेंगी, घनश्याम, याद करेंगी घनश्याम आपने किया यह बड़ा काम, गरीबों की पीड़ा को सुनकर आपने दिया रोजगार और नाम।"

मैं निवेदन करना चाहूंगा इस बात के लिए एक और अच्छी सी बात है, एक लाइन में कहना चाहूंगा।

माना कि इस जमीं को गुलशन न कर सके हम, आपके लिए विशेष तौर से घनश्यामजी कह रहा हूं मैं।

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

माना कि इस जमीं को गुलशन न कर सके हम, कुछ खार कम कर दिया। खार माने कांटे। रास्ते में बिखरे पड़े थे बहुत सालों से। कुछ खार कम कर दिया गुजरे जिधर से हम। आप जिधर से गुजरेंगे तो कांटे दूर होते चले जाएंगे।

मैं उम्मीद करूंगा इस बात के लिए कि राजस्थान के नौजवानों को आप नई रोशनी दिखाएंगे और एक पर्यटन के ऊपर ही एक बात मैं और कहना चाहूंगा। पर्यटन पर माननीय हमारी पर्यटन मंत्रीजी विराजमान हैं।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें, 10 मिनट ले चुके हैं।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : एक लाइन में कहूंगा, माननीय सभापति महोदय।

श्री हरिमोहन शर्मा : नहीं ये दो शेर इनके पक्ष में सुनाते ही आप बंद क्यों कर रहे हो इनको बोलने से?

श्री सभापति : समय बहुत हो चुका है, शेर तो सुना दिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : इतनी देर में तो मैं निवेदन कर लेता।

माननीय पर्यटन मंत्री महोदय, दिल्ली से लेकर जयपुर तक पर्यटक चलते हैं। शाहजहापुंरा हरियाणा सीमा से जयपुर तक पहुंचते-पहुंचते इतना लम्बा एरिया है, आप उसको पर्यटन के मानचित्र पर लीजिए। वहां पर अवैध अतिक्रमणों को रोकिए। दोनों तरफ से पर्यटन का कोई नक्शा मानचित्र बनाइए और लोगों की जमीन जिसकी है उनको साथ जोडिए।

श्री सभापति : श्री राकेश मेघवाल।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : और उनका सहयोग लेकर पर्यटन के मानचित्र पर लेकर आइए। और बैराठ के माननीय सदस्य का समर्थन करते हुए बैराठ वाले ऐतिहासिक स्थान को आप और ज्यादा बजट देकर अगर उसको आगे बढाएंगे तो पर्यटन के ज्यादा आयाम दे पाएंगे। इसके साथ, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या –24 और 47 में मैं अपने आप को सम्मिलित करते हुए माननीय शिक्षा मंत्रीजी घनश्यामजी तिवाड़ी साहब को पूरे राजस्थान की जनता की ओर से उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं और वह बधाई के पात्र हैं। हम तो इनसे लेने के पात्र हैं वह जनता के बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने पूरे राजस्थान में एक आमूलचूल परिवर्तन करके शिक्षा जगत को एक नई दिशा दी। राज्य में प्राथमिक, माध्यमिक एवं संस्कृत शिक्षा के सार्वजनिककरण की दिशा में एक वर्ष अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा। यह रूप है ही और जहां पहली बार 40 हजार शिक्षकों की भर्ती करके एक राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में एक नया इतिहास कायम किया है। वह सिर्फ माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी की देन है। राजस्थान के नवयुवक इनको हर जगह, हर स्कूल में आज याद करते हैं। यह कांग्रेस की सरकार में पहले यह कहते थे हम नवयुवकों को नौकरी देंगे, पांच साल में एक भी नौकरी नहीं दी। और माननीय मंत्रीजी न एक साल में 40 हजार शिक्षकों की भर्ती करके इन्होंने ऐतिहासिक जो कदम उठाया है वह राजस्थान की जनता के लिए और राजस्थान की जनता की ओर से बधाई के पात्र हैं। मैं माननीय मंत्रीजी आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा यह बार-बार विपक्ष के लोग कांग्रेस के लोग यह कहते हैं एस.सी., एस.टी. का बैकलाग, एस.सी., एस.टी. का बैकलाग, एक बार आप भर दीजिए और इनका मुंह बंद कर दीजिए। ताकि रोज-रोज यह चर्चा का विषय ही नहीं रहे, एस.सी., एस.टी. का पूरा बैकलाग भर दीजिए यह मेरा आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन है ताकि यह रोज की बीमारी कांग्रेस वालों की मिट जाए।

श्री रामप्रताप कासनिया : अभी आपको पता ही नहीं लगा, भर दिया न, काफी कुछ तो। (व्यवधान) नहीं, भ्रम जाल कैसे है? सच्चाई को सच्चाई स्वीकार करो।

श्री राकेश मेघवाल : नहीं, ऐसा है माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं भर दिया लेकिन कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य कह रहे हैं कि नहीं भरा इसलिए वह असत्य बोलते हैं।

श्री रामप्रताप कासनिया : इनकी तो आदत है।

(श्री रामप्रताप कासनिया)

जांका पड़ गया स्वभाव जासी जीव सूं,

नीम न मीठो होवे सींचो गुड़ घीव सूं।

श्री तगाराम चौधरी : माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि इनका मुंह बंद कर दो। यह तो दिन भर ढूंढने में ही रहते हैं कोई न कोई नई बात को उछालना।

श्री सभापति : तगारामजी, इनको बोलने दीजिए।

श्री राकेश मेघवाल : एक बार माननीय कासनियाजी ऐसा करें, आप वाली गैलरी का उनसे उदघाटन करा दो तो आपकी भाषा भी पड़ोसी बोलने लग जाएं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, पांच मिनट का समय है इसलिए जल्दी बोलिए।

श्री राकेश मेघवाल : 10 मिनट तो लूंगा ही साहब, सब को 10 दिये हैं।

श्री सभापति : नो, नो पांच मिनट का सब के लिए कहा है क्योंकि दो डिमांड हैं, लम्बे अभी रिप्लाई आएंगे दोनों।

श्री राकेश मेघवाल : चलो मेरी बात पर, माननीय मंत्रीजी को ज्ञान क्या दें यह तो खुद ही ज्ञान के भण्डार हैं इसलिए मैं मेरे क्षेत्र पर ही आ जाता हूं।

श्री सभापति : रिपीटीशन नहीं हो इसलिए आप तो खास-खास सुझाव दीजिए मंत्रीजी को।

श्री राकेश मेघवाल : नागौर से ही शुरू करता हूं, माननीय मंत्रीजी नागौर पर गौर करें और जिसमें सबसे पिछड़ा हुआ विधान सभा क्षेत्र है वह परबतसर है इसलिए उसमें सबसे ज्यादा गौर करें। माननीय मंत्रीजी, राजस्थान में सबसे प्रथम कारगिल में शहीद, शहीद मंगेलसिंहजी राठौड़ जो कारगिल में शहीद हुए थे और उनकी लाश कम से कम 10-15 दिनों से मिली थी।

(श्री राकेश मेघवाल)

राजस्थान के प्रथम शहीद हैं, शहीद मंगेल सिंहजी राठौड़ जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय है। मैंने पूर्व में भी आपसे निवेदन किया था और आपने आश्वासन भी दे रखा है। सबसे पहले अगर राजस्थान में कोई स्कूल क्रमोन्नत हो तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शहीद मंगेल सिंह राठौड़ जो करनावां की हैं वह होनी चाहिए, यह मेरा आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन है। दूसरा, मेरे क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय गांगवा को भी क्रमोन्न्त करने की कृपा करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

फिर वही, आप ज्यादा बुद्धिमान हैं।

श्री सभापति : पांच मिनट हो गये, आप बोलिए।

श्री राकेश मेघवाल : सभापति महोदय, आप ज्यादा बुद्धिमान हैं इसलिए समझा करो थोड़ा-सा।

श्री सभापति : समाप्त करिये, अब बोलिए।

श्री राकेश मेघवाल : आप हर बात को बीच में काट देते हैं, वह उधर बोले जब काट दिया और संयमजी लोढ़ा बोले तब काट दिया था।

श्री सभापति : एक मिनट, सुन लीजिए प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय ने पहले व्यवस्था दी थी कि सभी माननीय सदस्य 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट बोल लें, अपनी बात समाप्त कर दें। रिपीटीशन हर बात पर। इसलिए आप, क्योंकि दो डिमांड आज शिक्षा पर रिप्लाई फिर पर्यटन पर कला और संस्कृति पर होगी, और अभी बहुत माननीय सदस्य मेरे पास जो लिस्ट है, बहुत लम्बी है। अगर आप सब एग्री हों कि सदन को रात को एक बजे तक चलाया जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए आप पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए, ज्यादा से ज्यादा 6-7 मिनट ले लीजिए। मैं पांच मिनट होते ही घंटी बजाऊंगा उसके बाद आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दीजिए।

श्री राकेश मेघवाल : अगर आप शुरू से ही यह करते।

श्री रामप्रताप कासनिया : पहले समय देने में भेदभाव हो गया, मेरे बैक में आधा घंटा, 40-40 मिनट बोल लिए।

श्री राकेश मेघवाल : बहुत भेदभाव हो रहा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपको मालूम होगा, कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से जो सदस्य बोल रहे थे उनको कहा कि हमारे सब का समय इनको हम देते हैं इसलिए उनको उस समय अध्यक्ष महोदय ने जो भी...

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : सभापति महोदय, अब नहीं बोलेंगे क्योंकि कांग्रेस का उन्होंने उनको टाइम दे दिया तो अब कोई नहीं बोलेगा कांग्रेस का सदस्य।

श्री रामप्रताप कासनिया : बोले हैं बराबर। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : वह का वह ही बोले हैं, +++

श्री सभापति : जो अलाट है उसी हिसाब से दिया जा रहा है सब को। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : नहीं, अगर वह पूरा कांग्रेस का समय उनको दे दिया था तो फिर इनको क्यों बोलने दे रहे हैं आप?

श्री सभापति : पूरा नहीं दिया अभी।

श्री जुबेर खान : पूरा नहीं दिया था, वन फोर्थ दिया था, एक चौथाई दिया था, दो तिहाई बाकी है अभी।

श्री राकेश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, आप और हम तो पुराने साथी हैं, आप मेरे साथ में ही भेदभाव क्यों कर रहे हैं?

श्री सभापति : यह आसन पर आरोप लगा रहे हैं कि भेदभाव कर रहे हैं This is wrong. This is not fair.

श्री राकेश मेघवाल : बाकी लोग आधे आधे घंटे तक बोल लिए, 10-10 मिनट में बोल रहे हैं, आपने पांच मिनट में दो बार टोक दिया मुझे।

श्री सभापति : एक मिनट विराजिए, . देखिए, यहां बैठने के बाद आपको, यह लिस्ट है हमारे पास बहुत लम्बी है। माननीय सदस्य बहुत इसमें भाग लेना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी से भी लेना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने आलरेडी अपनी शार्ट लिस्ट करके दे दी। जो समय ले चुके हैं वह, बीजेपी का समय अलाटेड है, कांग्रेस को अलाटेड है, निर्दलियों को अलाटेड है, दूसरी पार्टियों को अलाटेड है, जो अलाटेड समय था उसमें से उन्होंने दिया है। इसलिए ऐसा नहीं है कि उन्होंने पूरा समय दे दिया, अगर पार्टी तय करके आपको समय दे रही है आधा घंटा तो मैं आधा घंटा बुलवा दूंगा आपको, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री राकेश मेघवाल : यह मेरी वजह से ही क्यों कर रहे हैं?

श्री सभापति : मैंने तो सब के लिए कहा है कि सब माननीय सदस्य अपनी बात पांच मिनट में और उसके बाद मैं एक घंटी बजाऊंगा, सात मिनट में आप अपनी बात समाप्त कर दें, तो सब बोल पायेंगे मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है। और अभी पांच मिनट में भूमिका ही बनाई है।

श्री राकेश मेघवाल : 7.40 हो गये, मुझे 10 मिनट बोलने दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण बात है वह बात यह है कि माननीय कल्ला साहब गलत जगह बैठ गये हैं उनको नारायण सिंहजी की जगह बैठना चाहिए। नारायण सिंहजी की जगह पीछे है।

श्री जुबेर खान : अभी ये दोनों जगह बैठ सकते हैं। यहां भी बैठ सकते हैं और यहां भी बैठ सकते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यही मैं कह रहा था, दोनों जगह बैठ सकते हैं तो एक पैर उधर करिये, एक पैर इधर करिये।

श्री सभापति : अभी ये टू-इन-वन हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : ये तो आल इन वन हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आल-इन-वन हैं या नहीं हैं लेकिन भाग्यशाली जरूर हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : भाग्य तो आपका भी इतना ही है।

श्री जुबेर खान : तिवाड़ी साहब, ब्राह्मण तो पैदाइशी भाग्यशाली होते हैं, विद्वान होते हैं, कोई नयी बात थोड़े ही है।

श्री रामलाल (बनेड़ा) : सभापति महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन। कोई समझते ही नहीं ऐसी बात करते हो। सभापति महोदय, आज दिन को भीलवाड़ा जिले के मांडल कस्बे में कोई अल्पसंख्यक समुदाय के, मुस्लिम समुदाय के मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे उसी टाइम विश्व हिन्दू परिषद के कुछ कार्यकर्ता आये और उन्होंने मस्जिद के ऊपर झण्डा लगा दिया। इस बात को लेकर अभी एक घंटे पहले वहां प्रदर्शन निकल रहा था, उस टाइम वे उस मस्जिद के सामने..

श्री सभापति : यह इन्फार्मेशन क्या दे रहे हैं आप?

श्री रामलाल : मैं बता रहा हूं। एक मिनट। वह निकल रहा था तो उस मस्जिद के सामने जैसे ही वह आया आपस में नारेबाजी की और विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मस्जिद में घुसने की कोशिश की और आपस में झगड़ा हो गया। और झगड़ा होने की वजह से कम से कम 15-20 आदमी तो अभी हास्पिटल में घायल हैं और भयंकर रूप से झगड़े का रूप ले रहा है तो आखिर में हो क्या रहा है? गृह मंत्रीजी यहां हैं नहीं, कालूलालजी मंत्री महोदय का एरिया है। (व्यवधान) वो तो कल आग लगी, 300 घर जल गये उसमें गये हैं। आपको पता नहीं है। वो तो अभी पहुंचे ही नहीं। उस गांव में घुस ही नहीं सकते यह हालात हो रहे हैं। आप पूछ लें फोन करके कि क्या हालत हो रही है। तो आखिर यह सरकार करना क्या चाह रही है? इस पर कुछ स्टेटमेंट आज है, सवेरे इस कार्यवाही को रोक कर के...

श्री सभापति : अभी स्टेटमेंट नहीं है। आपने ध्यान दिला दिया, काग्नीजेंस, गवर्नमेंट के सीनियर मिनिस्टर बैठे हुए हैं, वे मंत्रीजी से बात करें। गृह मंत्रीजी से बात कर लेंगे और जानकारी दे देंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय गृह मंत्रीजी से कहेंगे शांति व्यवस्था करने के लिए।

श्री रामलाल : एक-एक आदमी को चुन-चुन कर मारा जा रहा है तो आखिर सरकार बैठी है वह क्या कर रही है?

श्री सभापति : बता दिया न, सूचना दे दी।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही की हो तो कोई मंत्री बतायें तो सही कि वहां पर कम्युनल हार्मनी के लिए पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किया गया है या क्या किया गया है। जिला प्रशासन से बात की, कोई भी मंत्री कर सकता है। यह तो जानकारी आप दीजिये। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय गृह मंत्रीजी को सूचना भिजवा दी है, उनको तथ्य भी पता हैं। कानून व्यवस्था को ठीक रखेंगे, शांति व्यवस्था रखेंगे, सरकार अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगी, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री सभापति : राकेशजी मेघवाल।

श्री राकेश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो राजीव गांधी विद्यालय खोले वे धड़ल्ले से खोले। कैर के नीचे, पेड़ के नीचे, खेजड़ी के नीचे और आज भी 76 विद्यालय कैर के, खेजड़ी के, बबूल के नीचे चल रहे हैं। मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि उनको राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कन्वर्ट करके उनको भवन बनाने की स्वीकृति दें। माननीय शिक्षा मंत्रीजी से यही मेरा आग्रह है। एक वैकल्पिक विद्यालय, ये भी भवनरहित हैं जो कम से कम 40 के आसपास हैं। वो भी कैर के नीचे, खेजड़ी के नीचे, बबूल के नीचे चल रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्रीजी इनको भी

(श्री राकेश मेघवाल)

प्राथमिक विद्यालय में कन्वर्ट करके भवन बनाने की मेहरबानी करायेंगे। स्कूलों में रिक्त पद परबतसर क्षेत्र में ज्यादा हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी स्कूलों में रिक्त पद हैं वो भरने की कृपा करावें।

सभापित महोदय, आजकल यह जो स्कूलों में खाना देते हैं वह स्कूलों में बनाते हैं, स्कूल के टीचर ही बनाते हैं। और स्कूलों में एक-दो कमरे रहते हैं। और एक कमरे में खेजड़ी की जलाने वाली लकड़ी डाल देते हैं। तो वैसे ही कमरे की कमी है। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि प्रत्येक स्कूल में कोई टिन शेड लगाकर के किचन की, खाना बनाने की व्यवस्था बिल्डिंग के अलावा अलग से करें ताकि न तो भवन खराब हो, न पढ़ने वाले बच्चों को कोई दिक्कत हो। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलें प्लीज। आप बोलिये। आप अपनी बात समाप्त करें, इधर देखकर बोलें। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : आप कहना क्या चाहते हो?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो रहा है। आप बोल नहीं रहे हैं इतनी देर से।

श्री राकेश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, जगह-जगह स्कूलों में भवन नहीं हैं वो भवन बनाये जाएं और जो टीचर खाना बनाने वाले हैं वो अलग से रखा जाए।

परबतसर क्षेत्र में विश्व विख्यात पशु मेला भरता है और तेजाजी का मन्दिर है। तेजाजी के मंदिर में मेले में पूरे विश्व में यहां से पशु जाते हैं, नागौरी बछड़े जाते हैं। मैं मंत्री महोदय से जो पर्यटन विभाग की मंत्री हैं, हमारे नागौर जिले की हैं उषाजी पूनियां, पहले भी इनसे बार-बार निवेदन किया था कि उसको पर्यटन स्थल में लाया जाए। और परबतसर मन्दिर से स्टेट हाईवे नम्बर 7 पर 3 किलोमीटर की डामर सड़क बनाई जाए जिससे उस मन्दिर पर आने वाले हाईवे से लोग वहां जाएं तो पर्यटन स्थल पर लाया जाए। पोकरण में रामदेवजी का मंदिर है और वहां मेला भरता है। पांच लाख यात्री भादवा में वहां मेले के दिन रहते हैं और कम से कम हजारों लोग पैदल यात्री जाते हैं।

(श्री राकेश मेघवाल)

अजमेर और पुष्कर और नागौर की सीमा पर बसा हुआ बाबा रामदेवजी का मन्दिर है वहां कम से कम दूज को 3 से 4 लाख यात्री आते हैं। और अमेर, पुष्कर और किशनगढ़ की सीमा के आसपास और हरियाणा, पंजाब और गुजरात के लोग भी पैदल यात्री आते हैं। और उस मछिन में भी वह पुष्कर से 7 किलोमीटर है, अजमेर से 8 किलोमीटर है। और पास में ही यह रामदेवजी का मंदिर है सीमा पर, उसको भी पर्यटन स्थल पर लाया जाए। राजस्थान में एकमात्र रानाबाईजी का मंदिर है जो पूरे राजस्थान में एकमात्र हरनावा में है वहां पर मेला भरता है। और हजारों लोग वहां पर्यटक के रूप में भी आते हैं। लेकिन वहां सड़क नहीं है और वह पर्यटन स्थल भी नहीं है तो उसको भी पर्यटन स्थल में लाया जाए।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री राकेश मेघवाल : सभापति महोदय, जितने भी देवस्थान हैं जिनमें बड़े-बड़े देवस्थान हैं वो नागौर में हैं और नागौर की धरती पर मन्दिर ज्यादा हैं। इसलिए उन सभी को पर्यटन स्थल पर लाया जाए और वहां पर सड़क और व्यवस्था ठीक की जाए। करनाल में तेजाजी का बहुत बड़ा मंदिर बना है उसको भी डामर की सड़क से जोड़ा जाए। परबतसर में भी है और सुरसरा में भी वीर तेजाजी का मन्दिर है उसको भी सड़क से जोड़ा जाए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सड़क से उसको जोड़ा जाए और पर्यटन स्थल पर लाया जाए। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति : श्री पुष्पेन्द्र सिंह। श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले शिक्षा मंत्रीजी को बहुत-बहुत बधाई दूंगी और कहना चाहूंगी कि आपने राजस्थान के अन्दर ऐसा नाम कमाया है जिसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि जोधपुर जयपुर से दुसरे नम्बर का शहर है मगर आज तक जोधपुर की उपेक्षा ही होती रही है। मगर मैं अब चाहती हूं कि इस

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

मौके का फायदा उठाते हुए आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि तकनीकी विश्वविद्यालय की जो स्थापना की आपने घोषणा की है वह जोधपुर में स्थापित किया जाये। क्योंकि जोधपुर के अन्दर सबसे पहले इंजीनियरिंग कालेज 1956 में शुरू हुई। से उस टाइम जयपुर में भी नहीं थी। इसलिए अब आपसे मेरा निवेदन है कि उस बात को ध्यान में रखते हुए जोधपुर के अन्दर तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए।..

माननीय सभापति महोदय, आप कहेंगे कि कम बोलो, लेकिन मैं अपनी बात कहना चाहूंगी। मैं शिक्षा मंत्रीजी को आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि जोधपुर शहर के अन्दर कम से कम मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर दो दर्जन स्कूल चल रही हैं, उनमें से आपने काफी स्कूलों को क्रमोन्नत किये हैं। मैं आपका ध्यान जोधपुर शहर में चल रहे विद्यालय भवन की जर्जर स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। स्टेट के समय की स्कूल बनी हुई हैं जैसे राजमहल, फतेहपोल, बाईजी का तालाब स्कूल एवं कई सरकारी स्कूल हैं, अन्य कई सारी स्कूले हैं। इन भवनों की स्थिति बड़ी अजीब है क्योंकि आज तक उनकी कभी मरम्मत नहीं हुई है। और इस कारण से मैं यह चाहूंगी कि जोधपुर के अन्दर इन स्कूलों की मरम्मत के लिए आप ज्यादा से ज्यादा धनराशि दिलायें और इन स्कूलों की व्यवस्था को सुधारा जाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि जोधपुर के अन्दर कई ऐसी जगह हैं जहां प्राइवेट भवनों के अन्दर स्कूलें चल रही हैं और प्राइवेट भवनों के मालिक मरम्मत नहीं करा रहे हैं। क्योंकि वह चाहते हैं कि किसी तरह से भी स्कूल हमारे यहां से खाली हो जाये। मगर स्कूल तो खाली होगी कि नहीं होगी, हम पूर्व में तमिलनाडु स्कूल में घटी अप्रिय दुर्घटना को नहीं भूले हैं। इसका नुकसान बच्चों को होगा। इस वास्ते मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि उन स्कूलों के बारे में आप कोई विचार करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, पिछले पांच साल में जोधपुर शहर में स्कूलों के भवन निर्माण की कोई व्यवस्था नहीं हुई और न ही उनके लिए कोई खर्चा नहीं किया। राज से पैसा भी आता है मगर उससे कोई कार्य नहीं किया जाता है। इस वास्ते मैं यह चाहूंगी कि आप इस पर विचार करेंगे।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

मानतीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि जोधपुर शहर में जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) का पद लगभग दो वर्ष से रिक्त है व उक्त पद पर नीचे के स्तर के अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी को लाभ पहुंचाने के लिए रिक्त स्थान रखा गया है। मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि जोधपुर शहर में जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) के रिक्त पद को तुरन्त भर दिया जाये। (व्यवधान) जोधपुर राज्य का दूसरा बड़ा शहर है जिसे राज्य की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। जोधपुर पश्चिमी राजस्थान का प्रवेश द्वार भी है, और राज्य के उभरते पर्यटन उद्योग के प्रसिद्ध स्वर्णिम त्रिकोण का भी प्रवेश द्वार है। माननीय सभापति महोदय..

श्री सभापति : माननीय सदस्या, आप पढ़ नहीं सकती हैं विदाउट परमिशन, बोलिये बोलिये बोलिये। You cannot read from the papers.

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय सभापति महोदय, आपने जो बात कही है, मैं उसकी पालना करूंगी मगर मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि जोधपुर में शिक्षा के प्रति आपका विशेष ध्यान रहा है और इस सम्बन्ध में बहुत कुछ आपने हमारा सहयोग किया है। और शिक्षा मंत्रीजी को मैं बधाई देना चाहती हूं कि जोधपुर के अन्दर ही नहीं, पूरे राजस्थान के अन्दर आपने 40,000 लोगों को नौकरी देकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है और मैं यह कहूंगी कि आपका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाये।

माननीय सभापति महोदय, मेरा एक और निवेदन है कि आप शिक्षा मंत्री भी हैं, आप चिकित्सा मंत्री भी हैं और आप कानून मंत्री भी हैं। आपने कानून भी एक ऐसा जोरदार पास किया है, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहती हूं और सदन के नेता को भी बधाई दूंगी। आपने एक ऐसा कानून बनाया कि पहले हिन्दी के अन्दर कानून पढ़ा जायेगा, बाद में जाकर के उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा, यह भी एक बहुत भारी उपलब्धि की बात है।

माननीय सभापति महोदय, मैं वैसे ही बहुत कम बोलती हूं और जब बोलती हूं तो आप घंटी बजा देते हैं। नहीं, आप घंटी बजाते हैं तो मैं मेरी बात भूल जाती हूं। माननीय सभापति महोदय...

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें प्लीज।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मैं अपनी बात बिलकुल भूल जाती हूं आप ऐसा कहते हैं तो।

श्री सभापति : आप छह मिनट ले चुकी हैं। मैं नोट कर रहा हूं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : कहां, अभी पांच मिनट ही नहीं हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं शिक्षा मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगी कि जोधपुर शहर के अन्दर जिन स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया है और आप वहां पर अध्यापक लगाना चाहते हैं, वहां पर उनकी वापस भर्ती की जाये ताकि आने वाले समय मैं स्कूलों के अन्दर काफी सहूलियतें मिलें। मैं सभापति महोदय, मैं सबसे बड़ी बधाई देना भूल गई आपने मुझे टोकाटोकी कर दी उस कारण से। मैं सबसे पहले शिक्षा मंत्रीजी को यह बधाई देना चाहती हूं कि सबसे बड़ा जोरदार यह काम हुआ है कि राजस्थान के अन्दर सबसे पहले परीक्षा मार्च के पहले आपके शासनकाल में हुई है। इस वास्ते वास्तव में आप बहुत-बहुत बधाई के पात्र हैं। माननीय सभापति महोदय,... (व्यवधान)

श्री सभापति : अब आप इस पर बहुत प्रकाश डाल चुकी हैं इसलिए अब आप बिराजें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय सभापति महोदय, मैं पर्यटन के बारे में दो बात कहना चाहती हूं। मैं पर्यटन मंत्रीजी को बधाई दूंगी कि आपका कार्य अच्छा रहा है, आप कार्य करने में बहुत ही उत्सुक रही हैं। जोधपुर शहर के अन्दर मण्डोर अपने आपमें एक पहचाना स्थान माना जाता है। उसके कायाकल्प के लिए मैं आपसे निवेदन करती हूं कि यह एक बहुत पुरानी धरोहर है। उसको आप किस तरह से सुरक्षित रख सकें, इस वास्ते भी आप विचार करो। जोधपुर शहर के अन्दर कई ऐसे गेट हैं,

(19.56 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

जैसे सिंहपोल है, जालौरी गेट है, सिवांची गेट है, सब अपने-अपने नाम से पहचाने जाते हैं। उन गेटों की जर्जर स्थिति है, जिनकी मरम्मत के लिए आप विशेष रूप से ध्यान देंगे।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

दूसरी बात, आप धार्मिक प्रवृत्ति की हैं हमारी पर्यटन मंत्री महोदया और सदन की नेता भी बहुत धार्मिक विचारों की है। मैं यह चाहूंगी कि जोधपुर शहर के अन्दर धार्मिक स्थान इतने हैं जैसे घनश्यामजी का मन्दिर है, अचलनाथजी का मन्दिर है, कुंजबिहारी का मंदिर व राजरण छोडजी का मंदिर है। इस तरह के और भी कई मन्दिर हैं। इनका जीर्णोद्धार किया जाना चाहिये और प्राचीन स्थानों का विकास व सुरक्षा की जाये, इस वास्ते भी आप कुछ करो। क्योंकि यहां बहुत पर्यटन देखने जाते हैं तो मैं पर्यटन मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगी कि आप इस बारे में भी ध्यान देंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री जीतराम (अनुपस्थित)। श्री जालमसिंह रावलोत।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा और पर्यटन पर दिन भर से चर्चा चल रही है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उपलब्धियां रही हैं। 12,600 विद्यालयों को या तो खोला गया या क्रमोन्नत किया गया, पाठ्यपुस्तकों का वितरण एक से 12 कक्षा तक निःशुल्क किया गया। और अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में जो इतिहास रचा है हमारी मुख्य मंत्रीजी ने और शिक्षा मंत्रीजी ने युवाओं को रोजगार देकर, यह सब शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं।

कस्तूरबाई आवासीय विद्यालय की जो कल्पना है, वह निश्चित रूप से बालिका शिक्षा की दृष्टि से चार चांद लगेंगे राजस्थान में शिक्षा जगत को आगे बढ़ाने में। नये शिक्षा सत्र में जो हमारा बजट प्रस्तुत किया है माननीय मुख्य मंत्रीजी, उसमें भी पुनः बड़ी संख्या में सब स्तर के विद्यालयों का क्रमोन्नत करने की जो घोषणा की गई है, मैं उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। मैं इस बात के लिए विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं हमारे शिक्षा मंत्रीजी को। जिस तरह से प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वजनीकरण हो रहा है, दो-तीन वर्षों के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा सब स्तर पर पहुंच रही है तो आगे चलकर, जैसा कि आज सदन में सर्वत्र मांग आई है कि सैकण्डरी स्कूलों की सबसे ज्यादा जरूरत रहेगी। यानी माध्यमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण करना चाहिए और इसके लिए जल्दी प्रयास होने चाहिए। अखिल भारतीय स्तर पर जो कमेटी बनी है माध्यमिक शिक्षा को लेकर उसके अध्यक्ष होने के नाते हमारे शिक्षा मंत्रीजी

(डा. जालम सिंह रावलोत)

चाहे बंगलौर की मीटिंग हो चाहे दिल्ली की मीटिंग हो, इसमें इस विषय को गम्भीरता से आगे बढ़ायें। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा जो राज अभी इस सरकार का चल रहा है। वैसे राज तो वसुन्धराजी के नेतृत्व में आगे चलता रहेगा लेकिन इस राज में जैसा कि हमारी मुख्य मंत्रीजी की और शिक्षा मंत्रीजी की कल्पना है कि हर पंचायत केन्द्र पर सैकण्डरी स्कूल हो। उस दिशा में निश्चित रूप से हमारी सरकार सफल होगी। मुझे तो माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के बारे में कुछ सुझाव देने हैं। कुछ बातें हमको तय करनी होगी। जैसे सीनियर सैकण्डरी स्कूलों के जो फर्स्ट ग्रेड टीचर्स हैं, उनको केवल 11वीं और 12वीं ही क्लासेज नहीं पढ़ाई जानी चाहिए, उनके द्वारा जहां सीनियर सैकण्डरी स्कूल हैं, वहां सैकण्ड ग्रेड का सम्बन्धित विषय का अध्यापक नहीं नियुक्त करना चाहिये।

(20.00 बजे)

जो सीनियर स्कूल के लैक्चरर हैं, स्कूल लेक्चरर, उनके द्वारा छठी से लेकर दसवीं तक की भी कक्षाएं ली जानी चाहिए ताकि मितव्ययता आयेगी और हमारी शिक्षा की जो सैकण्डरी और सीनियर की मांग है, वह आगे बढ़ाने में सहयोग मिलेगा। स्ववित्त पोषण के आधार पर भी हम सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्कूलों को खोल सकते हैं। जैसे आज कई भामाशाह हैं हमारे क्षेत्र में, जो बिल्डिंग बनाकर देते हैं। परंतु बिल्डिंग तो कई रूप से हमें मिल जाती है, एम.एल.ए., एम.पी. कोटे से भी भवन हो सकता है। लेकिन यदि सेलेरी के रूप में जो जरूरत पड़ती है दस लाख की, पन्द्रह लाख की पांच साल के लिए, वह यदि कोई भामाशाह देना चाहे ओर उस भामाशाह के नाम से स्कूल का नाम हो तो ऐसा करके हम बड़ी संख्या में दसवीं और बारहवीं की स्कूल खोल सकते हैं, इस तरह से प्रयत्न होने चाहिए। हर जिला केन्द्र पर एक अंग्रेजी स्कूल सरकारी होना चाहिए ताकि यहां के जो विद्यार्थी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए भी एक दिशा मिल सके और उनको आगे बढने में अवसर मिल सके। हमारे यहां पर इतनी सारी स्कूल खुली हैं। लेकिन एक बात जो विशेष ध्यान देने की है, मैं भी एकदम गांव की छोटी सी स्कूल से पढ़कर आया हूं। हम जब पढ़ते थे तब स्कूल में जो एस.डी.आई. आता था उसके कारण सब बच्चे डरते थे कि एस.डी.आई. साहब आ रहे हैं। यानि उन

(डा. जालम सिंह रावलोत)

सब के कारण जो एक डर रहता था। अध्यापक भी सही पढ़ाते थे। आजकल इतने सारे स्कूल हो गये और उनके निरीक्षण की व्यवस्था नहीं है। इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों को लगाया जाना चाहिए ताकि हमारी जो निरीक्षण की व्यवस्था है उसको सुचारु रूप से किया जा सके।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो भवनों का निर्माण हो रहा है, जैसा कि मैं कई बार कहता हूं कि कांग्रेस ने इस देश में सबसे गलत काम किया है, वह यह है कि इसकी नीतियों के कारण भ्रष्टाचार आज सर्वव्यापी हो गया है। सर्व शिक्षा अभियान में जो बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है उन बिल्डिंग्स में जो अध्यापक लगे हुए हैं या जो स्टाफ भी है उनके द्वारा भी उसी तरह का काम हो रहा है जैसा अन्य संस्थाओं के द्वारा भ्रष्टाचार के काम हो रहे हैं। इसलिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है वह अच्छी किस्म का हो इसके लिए प्रभावी चैकिंग व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है।

मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी को इस बात के लिए विशेष बधाई देना चाहता हूं कि जो शिक्षा का सत्र कल विक्रम सम्वत के अनुसार नव वर्ष का प्रारम्भ हो रहा है और कल के ही दिन जो हमारा नया शिक्षा सत्र प्रारम्भ हो रहा है पहली कक्षा के लिए, यह बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे हमारे जो सरकारी स्कूल हैं वह निजी स्कूलों के मुकाबले खड़े हो पायेंगे और बड़ी संख्या में लोग सरकारी स्कूलों की ओर अपने बच्चों को भेजेंगे और निजी स्कूलों से भी हर स्तर पर मुकाबला कर पायेंगे और संख्या की भी कमी पूरी हो जायेगी।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो टास्क मिशन की स्कीम है जिसके माध्यम से स्कूलों में कम्प्यूटर तथा इन्फोरमेशन टेक्नालाजी के बारे में किस तरह की व्यवस्था हो, इस बारे में हमारे शिक्षा मंत्रीजी को जो इनवाइट किया गया है! और भारत की तरफ से जो दल जायेगा उसके अध्यक्ष के नाते, उसके नेता के नाते वह जाने वाले हैं। वह पूरे देश में एकमात्र मंत्री हैं जो जा रहे हैं, बाकी सब अधिकारीगण हैं। इस नाते भी मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय की मांग वर्षों से राजस्थान कर रहा है। निश्चित

(डा. जालम सिंह रावलोत)

रूप से राजस्थान में दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय होने चाहिए। जयपुर का भी हक बनता है। जोधपुर भी हक के मुकाबले में जयपुर से पीछे नहीं है। मैं ऐसा निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि जयपुर और जोधपुर दोनों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने के प्रयत्न होने चाहिए क्योंकि राजस्थान बहुत बड़ा स्टेट है। जोधपुर केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनने की दिशा में महत्वपूर्ण अधिकार रखता है। मैं और शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य जोधपुर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं, हम लगातार वहां के क्षेत्र की इस महत्वपूर्ण मांग कर उनको आश्वासन देते रहे हैं। जोधपुर इस दिशा में उपयुक्त पात्रता रखता है क्योंकि राजस्थान में एकमात्र वह रेजीडेंशियल यूनिवर्सिटी है और जोधपुर राजस्थान की कल्चर केपिटल के नाते जाना जाता है। राजस्थान की लोक संस्कृति, लोक संगी, अन्य सब दिशा में जोधपुर का अपना एक महतवपूर्ण स्थान है। इस दिशा में विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रति वर्ष तीस ऐसे विद्यार्थी जो अमेरिका से राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान का साहित्य, राजस्थान के भूगोल का अध्ययन करने के लिए आते हैं और बहुत सारे लोग जोधपुर में रहकर, विदेशी लोग पी.एच.ई.डी. कर चुके हैं। यू.जी.सी. ने जोधपुर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय को ए ग्रेड में अपनी पहचान दी है। जोधपुर का इंजीनियरिंग कालेज और जोधपुर की ईएमआरसी पूरे देश भर में अपना एक विशेष स्थान रखती है। सीमांत क्षेत्र का जोधपुर होने के नाते केन्द्रीय विश्वविद्यालय की दिशा में एक महत्वपूर्ण अधिकार रखता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात को आगे बढ़ायें और जोधपुर के विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में शिक्षा मंत्रीजी ने और मुख्य मंत्रीजी ने बहुत सारे विद्यालय दिये हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें जो चालीस साल में शिक्षा के क्षेत्र में हमें मिली है, पन्द्रह महीने में जो चालीस साल में कांग्रेस नहीं दे पाई। फिर भी मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय शिक्षा मंत्रीजी, कि हमारी जो नई स्कूलें हैं उनमें बड़ी संख्या में पैकेज, शिव क्षेत्र में तो विशेषकर बाड़मेर, जैसलमेर के पिछड़े क्षेत्र में दिया जाय और विशेषकर आई.टी.आई. मेरे विधान सभा क्षेत्र में नहीं है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी कालेज नहीं है, आई.टी.आई. तो हमें कम से कम मिलनी चाहिए।

(डा. जालम सिंह रावलोत)

मुझे पर्यटन के बारे में कुछ निवेदन करना है। माननीय पर्यटन मंत्रीजी विराजमान हैं।

श्री अध्यक्ष : लेकिन समय तो समाप्त हो गया आपका।

डा. जालम सिंह रावलोत : मैं एक-दो मिनट में, एक मिनट में ही अपनी बात पूरी करता हूं।

श्री अध्यक्ष : हां, कह दीजिये।

डा. जालम सिंह रावलोत : मैं जैसलमेर का रहने वाला हूं और जैसलमेर विश्व के पर्यटन मानचित्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसलमेर का सोनार किला वहां की सबसे महत्वपूर्ण विरासत है। हमारे पूर्वजों ने आज से नौ सौ साल पहले इस तरह के किले का निर्माण किया लेकिन आज उसकी हालत बहुत खराब है। वहां का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी गड़बडी के कारण, उसकी अव्यवस्था के कारण किला ढहने की ओर है। मेरा पर्यटन मंत्रीजी से निवेदन है कि इस किले के रखरखाव के लिए जहां बड़ी संख्या में आबादी रहती है, विशेष प्रयत्न करें। हवाई यातायात की दृष्टि से जैसलमेर को जोड़ा जाय, घरेलू उड़ान तथा विदेशी उड़ान जैसलमेर से जानी चाहिए ताकि पर्यटकों के लिए और सुविधा हो सके। पर्यटक वहां काफी समय तक ठहरें, जो वहां पर्यटक स्थल हैं कई और स्थान हैं जो डवलप होने बाकी हैं। उन पर्यटन स्थलों के विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय की तरफ से प्रयत्न होने चाहिए। और एक गोल्फ ग्राउंड होना चाहिए, इस तरह की मांग वहां काफी समय से आ रही है ताकि विदेशी पर्यटक वहां रह सके। पर्यटन को उद्योग का दर्जा पिछले कुछ वर्षों से दिया गया है। लेकिन पर्यटन को उद्योग के रूप में जो रियायतें मिलनी चाहिए, विशेषकर जैसलमेर में तो यह नहीं मिल रही है। बिजली में भी नहीं मिल रही है, लोन में भी कोई रियायत नहीं मिल रही है और लैण्ड के मामले में नहीं मिल रही है। आखिर में जैसलमेर को बीकानेर होकर दिल्ली से रेल मार्ग से जोड़ना भी एक उचित मांगे है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यहां विराजमान शिक्षा मंत्री और पर्यटन मंत्री को हार्दिक बधाई देता हूं कि दोनों ही विभागों में हमारी सरकार मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में लगातार प्रयत्न कर रही है। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से शिक्षा, कला एवं संस्कृति मांग संख्या 24 और पर्यटन मांग संख्या 47 पर कोई लम्बी बात नहीं कहते हुए कुछ बात रखूंगा, एक-दो कुछ सुझाव दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, बहुत कम राजस्थान में ऐसी जगहें हैं जहां के किसी शासक ने, राजा ने अपना महल खाली करके महाविद्यालय की स्थापना की हो। उसमें अलवर के महाराजा जयसिंह ने 1930 में राज ऋषि कालेज के नाम से विनय निवास, जहां उनके पूर्वज रहते थे, उसको खाली करके 1930 में महाविद्यालय की स्थापना की।

श्री अध्यक्ष : क्या किया?

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, आज अलवर जिला शिक्षण संस्थाओं के हिसाब से अगर देखें, जयपुर जिले के बाद में अगर कहीं सबसे ज्यादा महाविद्यालय, राजकीय या अर्द्ध राजकीय या स्वयत्तशासी संस्था या निजी है तो वह हमारे अलवर जिले में है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि छात्र संख्या भी, छात्र-छात्राओं की संख्या भी जयुपर जिले के बाद में और अजमेर जिले के बाद में, जो सम्भागीय मुख्यालय हैं, है तो कहीं अलवर में है। अलवर में 21312 छात्र-छात्राएं बी.ए., एम.ए. और इनमें एनरोल्ड हैं, रेगुलर स्टूडेंटस हैं जबकि अगर आप देखें तो अजमेर में सिर्फ 23 हजार है, बीकानेर में 14 हजार हैं। जोधपुर में 4300 मात्र हैं, उदयपुर में 14 हजार है, कोटा में 17 हजार है। जयपुर ही एक ऐसी जगह है जहां ज्यादा है। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि सारे संभागीय मुख्यालयों पर विश्वविद्यालय खुल चुके है। पूर्वी राजस्थान के साथ चाहे कोई भी सरकार रही हो, भारी भेदभाव होता रहा है। मेरा आपके आसन से निवेदन है कि अगर शिक्षण संस्थानों को भी देखें, अजमेर में 33, उदयपुर में 25, बीकानेर में 17, जोधपुर में 24, कोटा में 27, सिर्फ जयपुर ही एक ऐसी जगह है कि जहां अलवर में 49 शिक्षण संस्थान हैं। आप छात्रों की दृष्टि से देखें, शिक्षण संस्थानों की दृष्टि से देखें, ऐतिहासिक दृष्टि से देखें और एन.सी.आर. की रीजम होने की दृष्टि से देखें। हमारी यह मांग चली आती रही है। भारी कंपाउंड है, बहुत बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, सैकड़ों

(श्री जुबेर खान)

बीघा जमीन उपलब्ध है राजऋषि कालेज के पास। मेरी इस सदन के माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से मांग है कि अलवर में नये विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए उसमें सरकार का हम एक पैसा नहीं लेना चाहते। बिल्डिंग के लिए नहीं लेना चाहते, कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं लेना चाहते। जमीन के लिए नहीं लेना चाहते, हम जन प्रतिनिधि और स्थानीय दानदाता पूरी मदद करेंगे। आप अलवर में विश्वविद्यालय की घोषणा करिये क्योंकि जिले में अगर आप कहीं भी विश्वविद्यालय खोलते हैं तो अलवर से उपयुक्त जगह और जो डिजर्व करता है, कोई हो नहीं सकती। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, यहां माननीय मंत्री महोदय ने कई बातें कहीं और माननीय घनश्याम तिवाड़ीजी की बड़ी तारीफ हो रही थी। यह बात सही है कि अपनी बात कहने में उनको महारत हासिल है चाहे झूंठ बोलें चाहे सच बोलें इतना आथोरिटी से कहते हैं कि सामने वाले को लगता है कि ये जो कह रहे हैं वो पूरा करेंगे जबकि यह सत्यता नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नियुक्तियो दी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, आपकी जो नियुक्तियां, जो आपका यहां सदन में संशोधन लाया गया था उस पर बहुत विचार हुआ था कि पंचायत राज का संशोधन शिक्षा मंत्री प्रभारी मंत्री नहीं ला सकते। लेकिन आपने कहा कि पहले एक बार हो चुका आपने अलाऊ किया उसमें सिर्फ यह संशोधन हुआ था कि मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहूंगा।

"Appointment by direct recruitment on the posts specified in cl. (iii) of sub-section (2) shall be made by a Panchayat Samiti or Zila Parishad, as the case may be, in accordance with the rules made in this behalf by the State Government from out of the persons selected for the Ports by the Rajasthan Public Service Commission in accordance with the rules made by the State Government in this behalf."

इसका मतलब यह है कि उस संशोधन के माध्यम से आर.पी.एस.सी. को चयन करने का अधिकार दिया था। जबकि नियुक्तियों का अधिकार पंचायत समिति की एस्टेब्लिशमेंट कमेटी, जिला परिषद की एस्टेब्लिशमेंट कमेटी को कानून के मुताबिक होना चाहिए। और आज नियुक्तियां कहां से की जा रही हैं? अगर कोई आदमी कोर्ट में चला गया तो फिर वही लेकूना होगा और स्टे आएगा। क्योंकि आपने पंचायत राज एक्ट के अंदर नियुक्तियां देने की पावर के लिए कोई संशोधन नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष : आपका कटमोशन तो इस सम्बन्ध में है नहीं। वो जवाब देंगे कैसे?

डा. सी.पी. जोशी : कटमोशन तो माध्यम है बोलने का..

श्री जुबेर खान : तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि, मैं सरकार की जानकारी में लाना चाह रहा हूं कि गलत तरीके से, सदन चल रहा है। आपको संशोधन लाना चाहिए था। यहां संशोधन के माध्यम से नियुक्तियां करानी चाहिए थी। आप जिस तरह से ताबड़-तोड़ में नियुक्तियां करने जा रहे हैं ऐसा नहीं हो कि इसमें कोई लेकूना रह जाए और कोई कानूनी कमी रह जाए।

मैं दूसरा निवेदन करना चाहूंगा कि बैकलाग की यहां बार-बार बात की जाती है। मैं जानना चाहूंगा मुख्य मंत्री महोदय अपने जवाब में यह बात स्पष्ट करें कि कितना बैकलाग एस.सी./एस.टी. का बनता है और कितना अभी तक दिया जा चुका है। यह स्पष्ट सदन को अवगत कराने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करें। समाप्त करें।

श्री जुबेर खान : मैं अध्यक्ष महोदय, चयनित रोजगार जो 1998 में चयनित हुए थे उनको नियुक्तियां नहीं दी गयी थी। उन्होंने महापडाव लिया मुख्य मंत्रीजी के निवास के बाहर। मुख्य मंत्रीजी के सचिव श्रीमान गोविन्द मोहनजी ने 17.4.04 को उनके साथ वार्ता की और उनको विश्वास दिलाया कि निर्णय लिया गया है कि 30.5.04 से पूर्व नियुक्ति दे दी जाएगी। यह समझौता हुआ वहां मुख्य मंत्री निवास के बाहर। दिनांक 21.11.04 को मुख्य मंत्री आवास पर चयनित शिक्षकों के महापड़ाव के दौरान मुख्य मंत्री के सचिव श्री गोविन्द मोहनजी ने यह आश्वासन दिया कि आप लोगों की नियुक्ति के आदेश हर हाल में 22.11.04 को शिक्षा मंत्री के निर्देशानुसर निकाल दिये जाएंगे। जहां इस तरह की बातें होती हैं और वहां तारीफ के पुलंदे खूब बांधे, लेकिन जो कहते हैं वो करने की कोशिश तो कीजिये। मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, संक्षेप में कि....

श्री अध्यक्ष : समय तो समाप्त हो रहा है आपका।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मैं तो रिलेवेंस की बात कर रहा हूं और बहुत कम बोलता हूं, ज्यादा बोलता भी नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष : सब काम की बात कहते हैं, यहां बिना काम की कौन कहता है?

श्री जुबेर खान : मैं समाप्त कर रहा हूं। एक उर्दू शिक्षा कर्मी, जो लोकजुम्बिश में निहित थे, और लोक जुम्बिश को समाप्त करके इनको डी.पी.ई.पी. के अंडर में दे दिया था। आज मुझे बहुत तकलीफ हो रही है यह कहते हुए कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य कहते हैं कि अल्पसंख्यकों को मैनस्ट्रीम में आना चाहिए, मुख्य धारा में जुड़ना चाहिए। आज आप देखेंगे राजस्थान में 2.05 प्रतिशत अल्पसंख्यकों में शिक्षा है 2.05 । आज जहां मेवात के क्षेत्र में उर्दू शिक्षा कर्मी मदरसों के माध्यम से या शिक्षा के माध्यम से वहां पढा रहे हैं उनको आपने जो वादा किया था लिखित में उनके साथ, कि आपको हर साल इन्क्रीमेंट दिया जाएगा, भत्ता बढ़ाया जाएगा उनको न तो भत्ता बढ़ा रहे है न नियमित कर रहे हैं। और उनके बाद में डी.पी.ई.पी. से जिन लोगों को चयनित किया है उनके भत्ते भी बढ़ाये जा रहे हैं उनको नियमित भी किया जा रहा है। इसको क्या समझा जाए? अध्यक्ष महोदय, या तो समझा जाए कि यह सरकार अल्पसंख्यकों के लिए संवेदनशील नहीं है। कहनी कुछ और है करनी कुछ और है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब आप चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों में शिक्षा आये, मुख्य धारा से जुड़े, लड़कियों को शिक्षा मिले तो आप जिस तरह से सहरिया क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में स्कूलें खोलते हैं रिलेक्सेशन देकर मेवात क्षेत्र में क्यों नहीं आप लड़कियों की विशेष पढ़ाई की व्यवस्था क्यों नहीं कराते? हम भी चाहते हैं वहां परिवार नियोजन लागू हो। हम भी चाहते हैं कि वहां जनसंख्या पर नियन्त्रण हो। हम भी चाहते हैं कि अंग्रेजी की और हिन्दी की सरकारी स्कूलों में बच्चे-बच्चियां पढ़ें। हम भी चाहते हैं कि वहां किसी तरह की कोई भी गतिविधियो ऐसी नहीं हों कि जो हमारे समाज के लिए गलत हों, आपराधिक हों। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज जिस तरह से अलवर जिले के और भरतपुर के मेवात क्षेत्र को जिस तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है, वहां क्राइम बढ़ रहा है। वहां बेरोजगारी बढ़ रही

(श्री जुबेर खान)

है, वहां लूट बढ़ रही है, डकैती बढ़ रही है। और हरियाणा और यू.पी. से सटता हुआ है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप वाकई में यह चाहते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे-बच्चियां मैन स्ट्रीम से जुड़े, आपके बराबर खड़े हों, आपके बराबर खड़े होकर तराना गायें, राष्ट्रीय गान गायें, जनगणमन गायें और आपके बराबर खड़े होकर देश की मुख्य धारा से जुडे तो आप उनको शिक्षा से वंचित मत रखिये। अगर आपको उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शिक्षा के अलग से प्रयास करने पड़े तो आपको करने चाहिए। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार बहुत पक्षपात कर रही है। जो अनुदानित जो एडेड इंस्टिट्यूशंस आपके स्कूल हैं उनको आप जितना उनका बनता है, अनुदान नहीं दे रहे हैं। जब आपने तय कर दिया कि इस रेश्यो से अनुदान देंगे और आप वहां अनुदान नहीं देकर उन शिक्षा संस्थानों को बंद कराना चाहते हैं और अपनी विचाराधारा के शिक्षण संस्थानों को बढ़ावा देने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : अब कृपया समाप्त करें। समाप्त करें अब।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं नहीं बोल रहा हूं इसलिए इनको बोलने दें।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप नहीं बोल रहे हैं तो उसका क्या मतलब हुआ? जब तय हो गया, सवा आठ बजे गये हैं, मंत्रीजी जवाब देंगे, तीन मंत्री जवाब देंगे। तीन मंत्री जवाब देंगे।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, आज सुबह भी यह बात आयी कि खिलाड़ियों के लिए आप शारीरिक शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आपके जब बजट में हर मिडिल स्कूल में एक शारीरिक शिक्षक होना चाहिए, पी.टी.आई. होना चाहिए? जब आप भर्ती कर रहे हैं तो क्यों नहीं इनकी भर्ती कर रहे हैं? मैं मंत्री महोदय, यह भी जानना चाहता हूं। मैं यह निवेदन करूंगा कि आपने पंजाबी एकेडमी बनायी बहुत अच्छा किया। लेकिन आप पंजाबी टीचरों का भी रिक्रूटमेंट करिये। हमारे अलवर जिले में रामगढ़ में खास तौर से लड़कियों के स्कूल में पंजाबी सब्जैक्ट नहीं है वो जाकर लजड़कों के स्कूल में पढती हैं। जब आप पंजाबी के प्रति इतना समर्पित हैं तो पंजाबी के अध्यापकों की नियुक्ति कराइये। उर्दू के अध्यापकों की नियुक्ति कराइये। सिंधी

(श्री जुबेर खान)

के अध्यापक जो तृतीय भाषा है इनकी आप नियुक्ति कराइये। तब तो सही मायने में मानेंगे कि आप कुछ करना चाहते हैं। और मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा संस्कृति के ऊपर मेवात की संस्कृति बहुत भारी संस्कृति रही एक देशभक्ति की संस्कृति रही है वो हसन खां मेवाती था मेवाती जो महाराणा सांगा के साथ मिल कर लड़ा बाबर के खिलाफ। बाबर से उसको न्यौता आया कि तू मुसलम न है मेरे साथ में मिल कर लड़। उसने कहा कि तू गद्दार है, तू भगोड़ा आतंककारी है। मैं मेरे देश में मेरे यहां के राणा सां.ा के साथ मिलूंगा और खांडव में बीस हजार की फौज लेकर महाराणा सांगा के साथ लड़ा। वहां शहीद हो .या, उसकी संस्कृति है। मेवात के क्षेत्र में आज शादी भी करोगे तो निकाह के अल वा सारे वही काम होते हैं चाहे आपके लगन हो गया हो, चाहे बढ़ार हो .या हो, चाहे आपका कोई भी हो, सारा वही सिस्टम होता है। कुआ पूजन भी होता है, चाक पूजन भी होता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपने पंजाब एकेडमी की घोषणा की है। आप मेवात एकेडमी की भी घोषणा करें ताकि वहां की देशभक्ति कल्चर कायम रह सके, ताकि कट्टरपंथी हाथ ज्यादा नहीं रहे। वहां एक एकेडमी कराइये ताकि वहां की जो परम्परा है मेवात देशभक्ति की, आ.स में भाई-चारे, आपस में मिलने-जुलने की, रहन-सहन की उसको कायम रखा जा सके।

. : ध्य .ा : अब आप खतम करें, आप कनक्लूड कीजिए।

. जुबेर र न : मंत्री महोदय, आप आ गये हैं, उर्दू के पैरा टीचर का कुछ करिए। आप जब बोलते हैं तो लगता है कि आप अंतर आत्मा से बोल रहे हो .र आप न्याय करेंगे। लेकिन जब कलम चलाते हैं तब पता नहीं क्या करते हैं?

. घनश्य म तिवाड़ी : मैंने आपकी बात सुन ली इसलिए बोलूंगा नहीं क्योंकि बोलूंगा तो आपको लगेगा कि बोल रहे हैं सत्य, पर करेंगे नहीं। इसलिए बिना बोले ही करूंगा आपका काम।

. जुबेर खान . अंत में मैं पर्यटन के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। माननीय पर्यटन मंत्रीजी का लालन पालन बचपन अलवर में गुजरा है और अलवर पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण जगह है। बाला किला एक ऐसा

(श्री जुबेर खान)

ऐतिहासिक किला है मेरे ख्याल से इतनी ऊंचाई पर राजस्थान में कोई इतना बड़ा कम्पांउड किला नहीं होगा जिसके चारों तरफ वाइल्ड लाइफ सेंक्चुअरी भी है। आप बाला किला को, तिजारा को, सिलीसैड को, गरवाजी को, पाण्डुपोल को, तालवृक्ष को, सरिस्का को इनका एक नेट बनाइए दिल्ली के साथ मिलकर, ताकि वीक एण्ड पर भी बहुत से लोग आते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं के लोग राजस्थान में आना चाहते हैं क्योंकि यहां अच्छे लोग हैं, यहां मेहमान नवाजी अच्छी होती है। कानून व्यवस्था ठीक है, यहां के लोगों के संस्कार अच्छे हैं। इसलिए लोग हरियाणा, यू.पी. नहीं जाकर यहां आना चाहते हैं। आप अलवर के बारे में सोचिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इनका व्हिप आप पर लागू नहीं है क्या? आप इनकी बात को काट रहे हो।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, काट नहीं रहा हूं मैंने मेवात एकेडमी का समर्थन किया है लेकिन कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। कई लपके घूम रहे हैं आपको पता है।

श्री जुबेर खान : सरिस्का अखबारों में जा रहा है। सरिस्का एक मेन सेंटर था ट्यूरिस्ट का अलवर में।

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री जुबेर खान : सरिस्का का ऐसा माहौल हो गया, इसका सब डिविजन करने के लिये, इसको बैलेंस करने के लिये जो अन्य ऐतिहासिक जगह हैं इनको आप डवलप कीजिए ताकि अलवर, जो एन.सी.आर. में आता है, पूरे राजस्थान के साथ न्याय हो सके। अध्यक्ष महोदय, आप बार-बार घंटी बजा रहे हो, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद आपको भी। श्रीमती प्रतिभा सिंह।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करती हूं और मांग संख्या 24 और 47 पर अपने विचार रखना चाहूंगी। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय हमारा हिन्दुस्तान अनादिकाल से ही शिक्षा के क्षेत्र में विश्व में अपना वर्चस्व कायम किये हुए था। ऐसा मेरा

(श्रीमती प्रतिभा सिंह)

मानना है और वह इसलिए कि हमारे जो प्राचीन विधान थे उनका जो 50 परसेंट स्ट्रेस होता था वह छात्रों के शरीर को स्वस्थ रखने पर हुआ करता था। उनका यह भी मानना था..

श्री अध्यक्ष : आप कागज को ऊपर ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आंखों में तकलीफ होगी।

श्रीमती प्रतिभा सिंह : मैं केवल पाइंट देख रही हूं। उनका यह मानना था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग निवास कर सकता है। इसलिए माननीय शिक्षा मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप योग एवं नैतिकता की शिक्षा को विद्यालयों में अनिवार्य कीजिए चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट सैक्टर के हो। वरना आने वाले वक्त में एक बीमार बच्चों की फौज और एक नैतिकता के अभाव में उच्छ्रखंल लोगों की एक फौज जिसमें न तो राष्ट्रीय चरित्र होगा, न जिसमें परिवार के संस्कार होंगे, न समाज के प्रति कोई सोच होगी वह ऐसी एक फौज हमारे सामने खड़ी हो जायेगी। और इसके लिये चाहे पिछली सरकारें हों, ये हो उनको आने वाली पीढ़ी कभी भी माफ नहीं करेंगी। माननीय मंत्रीजी से यह भी अनुरोध करती हूं कि आप नैतिक शिक्षा की जो शुरूआत है वह अपनी सरकार से ही शुरू करें। और यह जो राजस्थान की आबकारी नीति है पीने और पिलाने वाली, इसको महिलाओं के हक में बंद करवाइए। आपने निजी क्षेत्र में 378 बीएड कालेजों की मान्यता दी है, आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन उन पर लगाम कसिए। उनका स्तर बराबर बना रहे जो हमारे मापदण्ड हैं यह भी हमें देखना चाहिये।

दूसरी चीज, पाथमिक विद्यालयों के जो टीचर हैं जिनको व्यवस्था में लगा दिया जाता है हर दूसरे महीने में, इस प्रथा को हमें बंद करना चाहिये। हमारी जो नींव की ईंट है वह हमारे छोटे बच्चे हैं और उस स्तर पर ही हम इनको व्यवस्थाओं में इधर उधर लगाकर उस नींव की ईंट को कमजोर कर रहे हैं। आपने अभी शहरी स्कूलों में, ग्रामीण स्कूलों में कर दिया कि ग्रामीण स्कूलों में आप टीचर्स की भरमार कर रहे हैं और शहरी स्कूलों में आप अध्यापक लगाने की स्वीकृतियां नहीं दे रहे हैं। इसलिए शहर के कई स्कूलों के जो हालात हैं वह बहुत ज्यादा खराब हैं। मैं मेरे नवलगढ़ के वार्ड संख्या 20 में एक शिक्षा सहयोगी, जिसका अध्यापिका के पद पर चयन हो गया और वह विद्यालय पिछले एक महीने से बिना टीचर के चल रहा है। इसलिए मेहरबानी कर के शहरी क्षेत्र के स्कूलों की ओर भी आप ध्यान दीजिए।

(श्रीमती प्रतिभा सिंह)

हमारी शिक्षा व्यवस्था की एक और कमी की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि जो गांवों में पोषाहार वाला जो हमारा सिस्टम चालू हुआ है उसमें ज्यादा गेहूं उठाने के चक्कर में छात्रों की संख्या ज्यादा बताई जाती है। और हकीकत में वह संख्या कुछ और होती है, इस ओर भी आपको कुछ ठोस कदम उठाने चाहिये। शिक्षक सही कार्य कर सके इसके लिये हमें शिक्षकों की स्थिति को सुधारने के लिये भी कुछ व्यवस्थाएं करनी चाहिये । पैराटीचर्स और शिक्षा सहयोगी हैं, उनके मानदेय का भुगतान आप टाइम पर करने की कृपा कीजिए। उनको थोड़ी सी तो तनख्वाह मिलती है जो भी 5-6 महीने तक नहीं मिले तो वह लोग किस तरीके से खाली पेट रहकर शिक्षा व्यवस्था को सुधार सकेंगे। बी.ई.ओ. के पद पर कार्य करने वाले लोग प्रशासनिक अनुभव प्राप्त कर लेते हैं और कुछ टाइम बाद, 2-3 साल बाद उनको वाइस प्रिंसिपल के पद पर लगा देते हैं। इस व्यवस्था को बंद कीजिए। आप बी.ई.ओ. के पद पर जो अनुभव लेकर आदमी ट्रेंड हो जाये उसका आप स्थानान्तरण कीजिए लेकिन बी.ई.ओ. के पद पर ही कीजिए ताकि उसके अनुभव का हम लोग लाभ ले सकें। राज्य सरकार के आदेशानुसार प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से एक आदेश जारी हुआ है। जिला स्तर पर पे एण्ड एसी का अलग आफिस बनाकर उसको पूर्णतः जिला परिषद के अधीन करने का कार्यक्रम है। लेकिन यह व्यवस्था अभी पूर्णतः लागू नहीं हुई है। और इसका असर यह हो रहा है कि अध्यापकों को 2-2 महीनों तक वेतन नहीं मिलता है। प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों का वेतन टाइम पर क्रेडिट जारी नहीं होने की वजह से उनको भी वक्त पर नहीं मिलता है और 2-2, 3-3 महीने निकल जाते हैं। अध्यापकों का एरियर और फिक्सेशन की जो समस्या है उसकी भी काफी रकम सरकार में बकाया है। मेरे अकेले नवलगढ़ क्षेत्र में ही 77 लाख रुपये की बकाया है जिनका बजट आप तुरन्त जारी करने की मेहरबानी कीजिए।

निजी क्षेत्र के जो विद्यालय हैं निर्धारित मापदण्डों को जो पूरा नहीं करते हैं, ऐसे विद्यालयों की आपको मान्यता तो रद्द करनी ही चाहिये, बल्कि जिन कर्मचारियों ने उनको मान्यता दी थी उनको जब तक आप कठोर दण्ड नहीं देंगे यह व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। और यह इसी तरीके से कुकुरमुत्ते की तरह से यह निजी विद्यालय बनते रहेंगे। गांवों में मेहरबानी करके साइंस फैकल्टी खोलने की व्यवस्था कीजिए। पिछले काफी समय से गांवों में साइंस

(श्रीमती प्रतिभा सिंह)

फैकल्टी नहीं खुल रही है इसलिए मजबूरी में कोई होनहार छात्र भी हो तो उसको विवश होकर आर्टस में ही पढ़ना पढ़ रहा है। और विषय अध्यापकों का पूर्णत: अभाव है। पातेय वेतन पर ही अध्यापकों को लगा दिया जाता है। इस तरीके से उस पद की खाना, पूर्ति कर दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से अनुरोध करूंगी कि आप विषय अध्यापक के पद आर.पी.एस.सी. से चयन के द्वारा भरने की कृपा करें ताकि हमारी जो सरकारी स्कूलें हैं उनकी शिक्षा का स्तर बना रहे। प्रधानाचार्य का पद आर.पी.एस.सी. के माध्यम से भरिए क्योंकि हमारे यहां एक कहावत है कि जैसा घर का मुखिया होता है बाकी का घर उसी के हिसाब से चलता है। आप किसी प्रमोटी को प्रधानाध्यापक के पद पर लगाते हैं तो पूरे विद्यालय की जो व्यवस्था है वह कमजोर पड़ जाती है। आर.पी.एस.सी. के माध्यम से मेरा ऐसा मानना है कि अच्छे लोगों को चयन होता है और एक व्यक्ति से काफी व्यवस्था सुधरती है। कम्प्यूटर शिक्षा मैं मानती हूं..

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्रीमती प्रतिभा सिंह : अध्यक्ष महोदय, वैसे ही मेरे को बोलने का कम मौका देते हैं इसलिए आज तो थोड़ी मेहरबानी कीजिए। वैसे भी मैं आपके जिले की हूं, महिला हूं, मेरे कई प्रिविलेज हैं, एक तो दीजिए आप।

श्री अध्यक्ष : मैं कनक्लूड करने को कह रही हूं आप यूं ही जिद कर रही हैं।

श्रीमती प्रतिभा सिंह : आपने विधवा और परित्यक्ताओं के लिये नौकरी में 10 परसेंट का विशेष प्रावधान किया है इसके लिये आप बधाई के पात्र हैं, बडी अच्छी सोच है। लेकिन उसमें इतने इफ एण्ड बट्स लगा दिये गये हैं कि महिलाएं दर-दर घूम रही हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको हमारे झुंझूनूं का ही दे सकती हूं।

श्री अध्यक्ष : बोलिए आप।

श्रीमती प्रतिभा सिंह : जो विधवा और परित्यक्ता हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप तो बोलिए।

श्रीमती प्रतिभा सिंह : कम्प्यूटर शिक्षा आज की जरूरत है लेकिन इसकी व्यवस्था को थोड़ा चुस्त दुरुस्त बनाना पड़ेगा ताकि हमारे जो पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं उनके कम्पीटीशन में हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे आ सकें।

मैं आपको बधाई देती हूं कि आपने शिक्षकों की भर्ती की, नये स्कूल क्रमोन्नत किये, नये खोले, इसके लिए आप वाकई बधाई के पात्र है। इन सबसे शिक्षा की व्यवस्था में सुधार आया लेकिन इस बात का कुछ श्रेय मैं इधर भी देना चाहती हूं कि सूरज अगर ढ़लता नहीं तो पूरब उसे मिलता नहीं। यह भर जाते तो आपको मौका नहीं मिलता इसलिए कुछ श्रेय इधर भी देना चाहती हूं।

पंचायत समिति नवलगढ़ में काफी सारे प्राथमिक विद्यालयों की बहुत जरूरत है। वहां दो-दो किलोमीटर, आपका नियम एक किलोमीटर है, लेकिन दो किलोमीटर के एरिया के अन्दर वहां पर कोई विद्यालय नहीं है। इसमें कुशलाना जोहड़ मैनास है, पायलों की जोहड़ी तोगड़ाकला है, चुहाना जोहड़ घोडीवाराकला है, कुशलानालनाइया कारी है, बाढ़ की ढाणी बडवासी है। और बाढ़ की ढ़ाणी कुशलवाला रामपुरा है, मोरन नाइया जाखल है, लक्खावाला जोहड़ नवलडी है, जाखड़ों की ढ़ाणी सोंथली है और दूदाना जोहड ढिंगाल है दो-दो किलोमीटर तक यहां कोई स्कूल नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपा करके, मेरी पड़ौसन दीपाजी को आपने बड़ा निहाल किया, बड़े विद्यालय दिए, कम से कम दो बराबर बैठी हुई महिलाओं में पक्षपात मत कीजिए।

मेरे यहां लगभग 10 उच्च प्राथमिक विद्यालय जो काफी सालों से, पिछले 20 सालों से प्राथमिक हैं और अभी तक क्रमोन्न्त नहीं हुए उनको प्राथमिक से आप उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत करें। आप कहें तो मैं लिस्ट दे दूं, आप कहें तो मैं यहां पढ़ूं?

श्री अध्यक्ष : आप तो लिस्ट दे देना इनको।

श्रीमती प्रतिभा सिंह : मेरे इलाके में उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं जिनको माध्यमिक में क्रमोन्नत करने की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष : वह तो लिस्ट दे देना आप इनको। लिस्ट दे देना।

श्रीमती प्रतिभा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक रिक्वैस्ट और। मैं आपका ध्यान मेरे क्षेत्र नवलगढ़ में राजकीय संस्कृत उच्च प्राथमिक विद्यालय सेवानगर जो खिरोड़ में है वह आठवीं तक का विद्यालय है। और उसके बाद चिराना के अंदर ही सीनियर सैकण्डरी का विद्यालय है। और चिराना और खिरोड़ में सेवानगर की जो दूरी है वह 10 किलोमीटर से ज्यादा है। मैं सोचती हूं उन बच्चों के साथ यह अन्याय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से अनुरोध है कि वह इस विद्यालय को क्रमोन्नत करके जो वहां के बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है उसको निश्चित रूप से दूर करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पर्यटन में नवलगढ़ के बारे में..

श्री अध्यक्ष : अब पर्यटन रहने दीजिए, आपका समय तो खतम हो गया।

श्रीमती प्रतिभा सिंह : एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, आपके जिले का मामला भी है। मैं पर्यटन मंत्रीजी को और मुख्य मंत्रीजी को बधाई देती हूं कि उन्होंने वाकई पिछले साल से पर्यटन के क्षेत्र में काफी अच्छे काम किये हैं।

अभी जो राजस्थान दिवस आपने मनाया, ठीक था, अनाप शनाप पैसा उसमें जरूर खर्च हुआ है। गांवों के अन्दर ओलावृष्टि हो रही थी, किसान बिजली के लिए आंदोलन करें, स्कूलों में पूरे टीचर नहीं हो, इतनी सारी समस्याओं से जो राज्य ग्रस्त हो, जो पिछड़े हुए राज्यों में माना जाए इसको हम थोड़ा शालीना तरीके से मनाते तो ठीक था। मुझे कष्ट होता है। मैं ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली हूं, इतना यहां का ठाट-बाट देखकर मुझे बड़ा दर्द हुआ कि गांवों की क्या दशा है और यहां पर हम कितना अपव्यय कर रहे हैं।

दूसरी चीज, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं, ऐसे टेलेंट है हर क्षेत्र में। आपने अब्बूजानी का फैशन शो किया। उससे अच्छा होता कि आप यहां पर राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों की क्या-क्या पोशाकें हैं, मैं दावे के साथ कहती हूं कि उनको हम कलात्मक तरीके से प्रस्तुत करते तो अब्बूजानी फैशन शो उसके आगे फीका पड़ जाता। (व्यवधान) यह फैशन डिजाइनर है।

(श्रीमती प्रतिभा सिंह)

मैं आपसे एक अनुरोध और करूंगी। आपका पूरा आयोजन ठीक था। लेकिन जो फिल्मी सिंगर, मेरे को उसका नाम भी ध्यान में नहीं आ रहा है, उसको आपने बुलाया, उसकी जगह आप गांव के लोक-कलाकार बुलाते। लोगों को फिल्मी संगीत सुनना हो तो वह बोम्बे जाए, जयपुर क्यों आएंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप दुबारा ऐसा प्रोग्राम करें तो इनको ध्यान में रखें।

हमारे झुन्झुनूं जिले के अंदर पर्यटन के लिए लोहर्गल एक तीर्थ स्थल है जिसमें जो लोग गंगा जी नहीं जा सकते, हिन्दू धर्म में ऐसी मान्यता है कि मरने के बाद गंगाजी घालकर आते हैं। जो लोग किन्हीं कारणों से गंगाजी नही जा सकते, वह लोग लोहार्गल जाते हैं। इसके अन्दर सड़क नहीं है। फोन की सुविधा नहीं है। बिजली बारबर नहीं आती है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से पर्यटन मंत्री से अनुरोध है, आप हमारे जिले की प्रभारी मंत्री भी है कि आप वहां किरोड़ी में भी, जहां पर दो पानी के कुण्ड हैं, एक में गरम रहता है, एक में ठण्डा रहता है इसकी भी मरम्मत करायें, उस इलाके को देखें। शाकम्बरी देवी का मंदिर जो हमारे जिले का तो नहीं है लेकिन बार्डर पर है।

श्री अध्यक्ष : सीकर में है। (व्यवधान)

श्रीमती प्रतिभा सिंह : उसमें सड़क नहीं है।

श्री अध्यक्ष : शाकम्बरी सीकर में है।

श्रीमती प्रतिभा सिंह : मगर हमारे जिले से लगता हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं यही निवेदन कर रही हूं, जिले में कहां बता रही हूं। जिले के पड़ौस की बात भी तो कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी को सम्बोधित कर रही हैं ना, उनको पता नहीं कि आसन को सम्बोधित किया जा रहा है।

श्रीमती प्रतिभा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आप ही को कर रही हूं, आपके माध्यम से उधर कर रही हूं। आप देख ही नहीं रही हैं मेरी तरफ इसलिए आपको ऐसा लग रहा है मैं उनको सम्बोधित कर रही हूं। इसमें

(श्रीमती प्रतिभा सिंह)

लोहार्गल, किरोड़ी और शाकम्बरी देवी जो तीर्थ स्थल हैं। आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि इनको भी सुधारने के नक्शे के ऊपर लाएंगे। और नवलगढ़ के अन्दर शहर में भी काफी ऐसी हवेलियां हैं, कभी नवलगढ़ में 32 करोड़पति गिने जाते थे, उनकी इतनी बढ़िया हवेलियां हैं। लेकिन शहर थोड़ा वहां का गंदा है आप वहां की प्रभारी मंत्री भी हैं। उस व्यवस्था को हम साफ कर सकें, मेरा भी सहयोग आपको रहेगा और पर्यटन क मानचित्र पर हम नवलगढ़ को लाने में सफल रहें, आप उसको देखिए। आपने वहां की हवेलियां देखी भी हैं।

श्री अध्यक्ष : अब आप धन्यवाद दीजिए।

श्रीमती प्रतिभा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करती हूं आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री अध्यक्ष : श्री बाबूलाल खराड़ी (व्यवधान)

श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख 24 और मांग संख्या 47 की चर्चा में भाग लेते हुए आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदयजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने राजस्थान के इतिहास में, शिक्षा जगत में एक ऐतिहासिक कदम उठाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं।

निश्चित रूप से आपने पूरे राजस्थान के क्षेत्र को देखते हुए आपने जिस प्रकार से कदम उठाए हैं वह वास्तव में सराहनीय है। आपने विद्यालय क्रमोन्नत करने का सवाल हो, शिक्षक भर्ती का सवाल हो महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

मैं आपको मेरे क्षेत्र के विषय में कुछ जानकारी और कुछ सुझाव देना चाहूंगा कि हम ग्रामीण से आते हैं। और वास्तव में ग्रामीण की क्या समस्या और शिकायतें होती हैं उसको हम जानते हैं। निश्चित रूप से विद्यालय खुले हैं लेकिन विद्यालयों में अध्यापक नहीं है। गांव के बच्चा इतना दूर नहीं जा सकता (व्यवधान) ...ल का एरिया भी पड़ता है। उसका काफी परेशानी आती है। आपने ... खोली हैं लेकिन स्कूलों में अध्यापक नहीं होने की

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

वजह से वहां का बच्चा शिक्षा से वंचित हो रहा है और परेशान हो रहा है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे झाडोल, फलासिया में चाहे प्राइमरी हो, चाहे उच्च प्राथमिक हो, चाहे माध्यमिक हो या सीनियर सैकण्डरी हो, आप देखेंगे, ताज्जुब करेंगे कि बरसों से पद रिक्त हैं, प्राइमरी का सवाल ठीक है वहां तो कोई भी पढ़ा सकता है लेकिन सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरीं में वहां का बच्चा, टेलेण्ट है, वह भी शहर के बराबर कम्पीटीशन में आना चाहता है। लेकिन अध्यापकों और विषय विशेषज्ञों के अभाव में वह उस कम्पीटीशन में नहीं आ पाता है। तो मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब भी आप करें, पहली प्राथमिकता देकर के उस एरिये को ऊपर उठाने का प्रयास करें। वह काफी दुर्गम एरिया है।

दूसरा विषय यह है, झाड़ोल और कोटड़ा में, विशेषकर कोटड़ा में टोटल ही जनजाति क्षेत्र है और वहां 90 किलोमीटर के आवास में कोई भी कालेज नहीं है, महाविद्यालय नहीं है। और माननीय शांतिलालजी चपलोत साहब ने भी कहा था, उसी बात की मैं पुनरावृत्ति इसलिये कर रहा हूं कि वहां का आदिवासी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है। गरीब है, उसके पास पैसा नही है, वह शहर में जाकर के कमरा किराये पर लेकर के पढ़ नहीं पाता है। और हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया कोटड़ा प्रवास पर गयी थीं तब उन्होंने सभा में यह बात कही थी। माननीय गुलाबचन्दजी गृह मंत्री महोदय और माननीय कनकजी, जनजाति मंत्री भी वहां मौजूद थे। आपने भी उसका समर्थन किया और उस भरी सभा में मुख्य मंत्री महोदय ने यह घोषणा की थी यहां पर कालेज खोला जाएगा। निश्चित रूप से उसकी प्रतिक्रिया अच्छी हुई थी। अच्छा वातावरण था। तो मैं चाहूंगा कि इस सत्र में बजट में प्रावधान करके कोटड़ा जैसे दुर्गम क्षेत्र में अगर कालेज खोलेंगे तो वहां पढ़ने वाले लड़कों को लाभ होगा। और वे उच्च शिक्षा प्राप्त करके आगे पढ़ने के लिये और वहां के लिये, जैसा कहा था कि वहां बाहर से आकर के कोई भी कर्मचारी वहां स्थायी रूप से नहीं रह पाता है तो जब उच्च शिक्षा प्राप्त होगी वह आगे जाकर के कहीं भी कम्पीटीशन फाइट करेगा या वह बी.एड. करेगा तो निश्चित रूप से वहां का कर्मचारी होगा। तो उस क्षेत्र का भला होगा। यह मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

दूसरा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कोटड़ा पंचायत समिति में लम्बे समय से शिक्षा प्रसार अधिकारी के पद रिक्त चल रहे हैं। वहां पर मानिटरिंग नहीं होने की वजह से आज प्राइमरी स्कूलों की यह हालत है कि अध्यापक जाएं नहीं जाएं, सप्ताह में एक दिन जाएं, कोई गारण्टी नहीं है। उसको कोई देखने वाला धणी-धौरी नही है और वहां पर अध्यापक है भी तो बच्चों को पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा, कोई गारण्टी नहीं है। वह बैठकर सुबह से शाम तक, वापस चला जाता है। और बच्चों की पढ़ाई का स्तर देखा जाए तो बहुत घटिया स्तर, उस पांचवी के बच्चे को कहो कि जोड़कर के बताओ तो सामान्य सा जोड़ भी नहीं कर पाता है, यह स्तर है। इसलिये मैं चाहूंगा कि उस ऐसे दुर्गम क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्र के लिये विशेष प्रोविजन करते हुए, निश्चित रूप से यह सुपरविजन स्टाफ का होना चाहिए ताकि निश्चित रूप से वहां की शिक्षा का स्तर बढ़े तो वह क्षेत्र भी ऊपर उठेगा।

दूसरा विषय में कहना चाहूंगा, पर्यटन के बारे में, आदिवासी एरिया है। निश्चित रूप से वहां पर ऐसे स्थान हैं जिनको आप देखेंगे तो ताज्जुब करेंगे कि यह जो पर्यटन के नक्शे पर हैं उनको देखकर यह काफी फीके पड़ सकते हैं। महाराणा प्रताप का वहां पर पूरा जो अज्ञातवास है, वह रहा। राजतिलक और वहां पर रामकुण्डा, कमलनाथजी, वहां पर किसी समय भगवान राम ने तपस्या की थी और वहां का वह एक आस्था का केन्द्र है रामकुण्डा में। जैसे मैडम ने कहा था, निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के लोग गंगाजी नहीं जाते हैं और वहां पर कुण्ड है और वहां पर अपने पूर्वज, मरने वालों की हड्डियों का विसर्जन वहां करते हैं और उस स्थान को कोई देखता ही नहीं है।

तो मैं पर्यटन मंत्री महोदय से मैं चाहूंगा कि ऐसे स्थानों को आप सर्वे करवाकर या तो मेवाड़ काम्पलेक्स में दें तो निश्चित रूप से उन स्थानों का विकास होगा। पर्यटन के लिये जो भी आयेंगे, विदेशी या देशी, वह निश्चित रूप से वहां आएंगे और वहां जाएंगे तो निश्चित रूप से वह प्रभावित होगे। तो उस क्षेत्र का भी भला होगा। दूसरा मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि हमारे झाडोल और कोटड़ा में गेम सेंक्चुरी है। वहां पर अच्छे-अच्छे जानवर हैं, जैसे उड़न गिलारी, मुख्य मंत्री महोदय गयी थीं, यह बात जब वन विभाग के अधिकारियों ने कही तो उन्होंने ताज्जुब किया कि उड़न गिलारी मैं देखूंगी।

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

सी.एम. साहब ने निश्चित रूप से कहा था कि एक दिन आऊंगी, मैं रूकूंगी और देखूंगी। ऐसी जगह है। तो उनको पर्यटन के हिसाब से आप डवलप करेंगे तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का विकास होगा। अब आपने बोलने का मुझे समय दिया उसके लिये तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जय भारत, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री नवरतन राजोरिया। हो गया, सब का ठीक है।

मंत्रीजी, वैसे भी प्रतिपक्ष शिक्षा व्यवस्था से, प्रगति से संतुष्ट है, कोई है नहीं, इसका मतलब ये तो संतुष्ट हैं। आप बोलेंगे क्या?

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम है। अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम है।

श्री दाताराम गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम है।

श्री अध्यक्ष : आप बोलना चाहते हैं। देखिये, ऐसा है नाम होने से नहीं है। जिन लोगों ने कट-मोशंस नहीं दिये, कटौती के प्रस्ताव नहीं दिये.... (व्यवधान)

श्री दाताराम गुर्जर : मैंने दिया है कटौती प्रस्ताव।

श्री अध्यक्ष : आपके मुख्य सचेतक, नहीं, आपने दिया है।

श्री दाताराम गुर्जर : लिस्ट में मेरा नाम सबसे पहले था।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम पुकारा गया था, शायद आप थे नहीं।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : अध्यक्ष महोदय, हम जो नये विधायक हैं उनको आप मौका नहीं देंगे तो किसको देंगे? (व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा : अध्यक्ष महोदय, हमारा नाम भी है इसमें। पार्टी के हिसाब से तो नाम होना चाहिए ना। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, मुझे तो आपके मुख्य सचेतक ने कहा कि अब जवाब दिलवा दीजिए। इसलिये मुझे क्या कहना है। आप बोलिये।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : अध्यक्ष महोदय, हमको, नये वालों को मौका नहीं देंगे आप?

श्री अध्य_ा : बोलिये, बोलिये, क्या दिक्कत है। मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप विधायक दल की मीटिंग में बोल लेना, जवाब कराने दें।

श्री अध्यक्ष : आप लोग बोल चुके हैं। राजकुमार रिणवा नहीं बोले हैं। अभी इसलिये राजकुमार रिणवा का नाम पुकार रही हूं। राजकुमार रिणवा का नाम पुकार रही हूं।

श्री दाताराम गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट में बोल देता हूं मैं तो अपना।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट में तो कोई बात नहीं कह पायेगा, 5 मिनट देती हूं।

श्री दाताराम गुर्जर : हम दो मिनट में ही कह देंगे अपनी बात। (व्यवधान)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : दो-दो मिनट में ही कह देंगे हम। जब आपने इतना समय दे दिया।

श्री अध्यक्ष : मैंने नाम पुकार लिया राजकुमार रिणवा। आपको भी दे दूंगी दो मिनट।

श्री राजकुमार रिणवा (रतनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी कृपा से शिक्षा, संस्कृति, कला और पर्यटन पर मुझे भी शामिल किया गया है इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

विद्या ददाति विनयम्

विनयाद्याति पात्रताम्

पात्रतात् धनमाप्नोति।

(श्री राजकुमार रिणवा)

मतलब विद्या का इतना बड़ा प्रभाव बताया है कि विद्या से पात्रता आती है, धन आता है, धन से बुद्धि बनती है और उससे हमारा कल्याण होता है। तो परम लक्ष्य की प्राप्ति है ज्ञान का प्रकाश, वह विद्या से आता है। उस पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आज जो मां-बाप हमारे बच्चों के हैं, वह सब दुखी हो रहे हैं, गार्जियन बच्चों से कि वह अनुशासन में नहीं हैं, हमारा कहना नहीं मानते हैं, उनमें नैतिकता नहीं है, वह पाश्चात्य संस्कृति से..

श्री अध्यक्ष : आप बच्चों की बात कर रहे हैं, विधायक अनुशासन में नहीं रहते हैं।

श्री राजकुमार रिणवा : यही तो बात है ना। तो पाश्चात्य और टी.बी. संस्कृति से प्रभावित होकर के हमारा नैतिक पतन हो रहा है। हम राष्ट्रीयता की भावना नहीं दे रहे हैं। तो जब हम अपनों को ही सिखा नहीं पा रहे हैं तो प्रदेश और राष्ट्र का हम क्या भला कर पायेंगे? मेरा शिक्षा मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन है कि शिक्षा में एक पीरियड कम से कम नैतिक शिक्षा का, राष्ट्रीयता के बारे में जानने का, योग के बारे में, कोई भी पार्टी और धर्म इसका विरोध नहीं करेगा। सब चाहेंगे। मैं इनके घर गया। मैं इतना रोमांचित हो गया, एक स्लोगन पढ़कर कि हमारे बच्चे तेजस्वी हों, बलिष्ठ हों, बुद्धिमान हों। मैं यह सोच रहा था कि काश ऐसा हो।

श्री अध्यक्ष : किसके घर गये?

श्री राजकुमार रिणवा : हम शिक्षा मंत्री महोदय के घर एक दिन गये। वहां पर एक स्लोगन था। उसको पढ़कर रोमांचित हो गया कि वास्तव में ऐसा हो तो उसके लिये कदम केवल लिखित में नहीं रहें, वह प्रेक्टिकल में आयें। (व्यवधान) प्रशंसा तो क्या करनी है। मेरी जहां तक समझ की बात है कि उस स्थिति में हमारे शिक्षा मंत्रीजी पहुंचे हुए हैं कि उन्हें स्तुति और निन्दा कोई असर नहीं करती है। इसलिये उनकी कोई स्तुति करने की आवश्यकता नहीं है।

और कला का जहां सम्बन्ध है, कला और शिक्षा में ज्यादा फर्क नहीं है। बाकी कला का क्षेत्र बहुत विस्तृत है शिक्षा से भी। शिक्षा की देवी है सरस्वती। तो पुस्तक उसके एक हाथ में है, और बीणा, जो कला का द्योतक है,

(श्री राजकुमार रिणवा)

उसमें दो हाथों में लगा रखी है। कला का क्षेत्र बहुत बड़ा है। चित्रकार, गीतकार, संगीकार, लेखक सब उसमें आ जाते हैं। उसका इतना विराट क्षेत्र हो जाता है और कला तो, जीवन भी हमारा कला है। आप लोग कितने, हम तो दंग हैं कि कितने-कितने करते हैं, उसके बावजूद भी आप में कितनी कला है और जीने की आपके कोई इतना विरोध और नहीं कहना मानने के बाद में भी कितने संयम से आप कंट्रोल कर रहे हैं। और कर रहे हैं, यह कला ही है। जीवन भी एक कला है। आज मिट्टी में चीनी मिला दी जाए तो कीड़ी एक ऐसी जीव है कि चीनी की कला जानती है और मिट्टी में से निकाल लेती है। हाथी पानी के सामने नहीं चढ़ सकता पर मछली पानी की कला जानती है, वह चली जाती है। तो यह जीवन भी एक कला है। तो कला का जो क्षेत्र है, मेरे क्षेत्र के अन्दर भी बहुत अच्छे-अच्छे कलाकार हुए हैं। उसमें लेखक हैं। हमारे किशोर कल्पनाकांत। राजस्थानी भाषा के इतने प्रकांड विद्वान वे हुए हैं। ऐसी पुस्तकें उनकी हैं कि अध्यक्ष महोदय, आप पढ़ें तो पढते ही रह जाएं। ऐसी-ऐसी विलक्षण विभूतियां हैं जो साधारण गरीबी में अपना शरीर छोड़ दिया। और आज भी उनकी जो विरासत है, आज भी जो उनकी पुस्तकें हैं, शिक्षा मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन है कि पुस्तकालयों में या कहीं भी करें तो उनकी आत्मा को कितनी शांति मिल सकती है। यह हमारे लिए कितनी गर्व की बात हो सकती है।

पर्यटन के लिए कहावत है-

"जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि..."

अपनी मांगे और मातृभूमि किसे अच्छी नहीं लगती। किन्तु और लोगों को अच्छी लगे तब माना जाता है वह पर्यटक स्थल है। वह कुछ विशेष स्थल है तो हमारे यहां भी बहुत अंग्रेज लोग आते हैं। हवेलियों को देखने के लिए, बगीचों को देखने के लिए बाहर से लोग आते हैं। सिद्ध पीठ जो है, मंदिर, उनको देखने के लिए। तो हमारा भी निवेदन है कि पर्यटन स्थल में भी हमारा कुछ किया जाए। पिछले समय मुख्य मंत्रीजी आये थे। उन्हें भी बहुत अच्छा लगा उस टाइम और बोले मैं चेष्टा करूंगा कि आपका नाम हैरिटेज और पर्यटन सिटीज में। और एक बार तो हमने अखबार में पढ़ा था कि उन 43 शहरों में रतनगढ़ का नाम आया है। और उसके आगे क्या हो रहा है, माननीय मुख्य

(श्री राजुकमार रिणवा)

मंत्रीजी से मिलकर फिर निवेदन करेंगे। आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद बहुत-बहुत। श्री दाताराम गुर्जर।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 24 और 47, शिक्षा और पर्यटन के सम्बन्ध में जो आज चर्चा चल रही है उसमें आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में सुबह से कई प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। कई माननीय सदस्य कह रहे थे कि शिक्षा में भेदभाव किया गया है। 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम की जो क्रांति आजादी के लिए आयी, उसी प्रकार से हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने 57 साल से राजस्थान में शिक्षा का जो पिछड़ापन था उसको दूर करने के लिए शिक्षा की क्रांति आज राजस्थान में पैदा की है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : 1857 में गदर हुआ था।

श्री दाताराम गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, प्राथमिक शिक्षा के लिए भी पांच-पांच सात-सात किलोमीटर तक लोगों को पैदल जाना पड़ता था लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। उसी का कारण है कि आज विपक्ष भी इस बात की बार-बार मांग कर रहा है कि हमारे क्षेत्रों में स्कूल नहीं है। यह सारी कमियां तो उन्हीं की रही है जिन्होंने 40-42 साल तक इस प्रदेश में शासन किया है। अध्यक्ष महोदय, गांव-गांव और गली-गली में स्कूल खोलकर एक सबसे बड़ा योगदान जो इस राजस्थान में हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने किया है, उसमें मैं चार पंक्तियों में कहना चाहता हूं-

गली-गली में स्कूल खोले, किया अनूठा काम।

बांटीं किताबें मुफ्त में, पढ़ता-पढ़ता राजस्थान।।

श्री अध्यक्ष : वाह। शिक्षा मंत्रीजी, आपने तो बहुतों को शायर बना दिया और बहुतों को कवि बना दिया। कमाल कर दिया आपने। कमाल कर दिया आपने तो। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नाम ही घनश्याम है न।

श्री दाताराम गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, सुबह से इस बात की चर्चा चल रही थी कि शिक्षक नहीं है, विद्यालय तो खूब खोल दिये। पिछली सरकार ने पांच साल में एक भी शिक्षक नहीं लगाया था और कोर्ट की सब बाधाओं को दूर करते हुए हमारी सरकार ने जितने कम समय में शिक्षकों के करीबन 46-47 हजार के लगभग पद जिनकी प्रक्रिया चालू है और करीब-करीब 20 हजार की नियुक्तियां जारी हो चुकी हैं, इतना बड़ा एक अभूतपूर्व कदम उठाया है। आज तक राजस्थान में, शायद राजस्थान में ढ़ाई लाख के करीबन शि..ा के कर्मचारी होंगे, शिक्षक होंगे और उनका इतना बड़ा हिस्सा एक साल में किया है तो इस प्रकार से यह कदम बहुत प्रशंसनीय है। मैं शिक्षा मंत्रीजी को और मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे शिक्षा मंत्रीजी करते हैं अपने हिसाब से काम, चाहे कोई भी कुछ कहता रहे, इसमें इसको मैं चार पंक्तियों में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं।

कुछ चिल्लाते रहे, कुछ देखते रहे।

कुछ हंसते रहे, हम केवल करते रहे।।

जवाब आपके सामने है।

श्री अध्यक्ष : बहुत अच्छा, धन्यवाद।

श्री दाताराम गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार की जो कैब की मीटिंग हुई उसमें हमारे शिक्षा मंत्रीजी को आमंत्रित किया गया। और इनके स्वभाव और इनकी कार्य शैली है उससे अभिभूत होकर केन्द्र सरकार ने कैब की, कैब का इनको अध्यक्ष नियुक्त किया है। और अभी 13 या 14 अप्रैल को विदेश में जो इनका एक भ्रमण दल जा रहा है। उसका नेतृत्व करेंगे। हमारे शिक्षा मंत्रीजी की कार्यकुशलता के ऊपर, यह केन्द्र सरकार का भी एक प्रमाण पत्र है इसको मैं चार पंक्तियों में कहकर आपको बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : इस बात के लिए आपको गर्व है।

श्री दाताराम गुर्जर : राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष बने, बढ़ाई राजस्थान की शान। दिल्ली कैब की बैठक में, घन-से छाये घनश्याम।

श्री अध्यक्ष : बहुत अच्छा।

श्री दाताराम गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, पर्यटन के क्षेत्र में वैसे, इसलिए पिछले बजट वर्ष में हमारे जिले में जो कालेज राजस्थान सरकार ने, वर्तमान शिक्षा मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी ने खोला, उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और मेरे क्षेत्र में एक सरकारी कालेज है उसमें भी बिल्डिंग का अभाव है। इस बजट में कई सरकारी कालेजों के लिए भवन की व्यवस्था की है। मैं यह मांग करता हूं कि मेरे क्षेत्र में भी सरकारी कालेज भवन के अभाव में है, उसमें भी भवन की व्यवस्था करवायें।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री दाताराम गुर्जर : पर्यटन के क्षेत्र में खेतड़ी को हमारे पूर्व मुख्य मंत्रीजी और हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय ने 1997-98 में स्वीकृति प्रदान की थी। लेकिन गत सरकार ने उसमें आगे कोई कार्यवाही नहीं बढ़ाई और इस बार पर्यटन में हमारी सरकार ने अच्छा बजट रखा है। पर्यटन मंत्रीजी को मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि खेतड़ी को भी पर्यटक स्थल में जोड़ा जाए और पर्यटन के मानचित्र में इसको लिया जाए। यह मैं मांग करता हूं। आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, धन्यवाद।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित ।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : अध्यक्ष महोदय, मेरा दिया हुआ है, कटमोशन दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष : कहां दिया?

डा. श्रीगोपाल बाहेती : देखिये आप, शिक्षा का भी दिया है और पर्यटन, दोनों का दिया है। यह इनकी गलती रह गयी। एक मिनट आप सुनिये, सबसे इम्पोर्टेण्ट पुष्कर है। दरगाह है। ट्यूरिस्ट के लिए तो यह (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसमें तो है नहीं।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : पर्यटन में है।

श्री अध्यक्ष : हां, है तो ठीक है, दे देंगे आपको समय।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : आपने डिवीजन नम्बर अपना गलत लिखा था इसलिए। वह डिवीजन सी.एस. बैद का था और जो छपने में आया है वह सी.एस. बैद के नाम से है। आपके कटमोशन में वह..(व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने गलत पढ़ा था। मैंने 167 लिखा था तो इन्होंने 162 पढ़ा है जबकि पर्यटन में हमारा सही है। उस समय नाम मेरा आया होगा पर्यटन के अन्दर। वह आप देख लीजिए।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आपको समय दे देंगे।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस हाउस में आने के बाद एक बात को देखी है कि यहां पर जो यह एक सफेद पेंट दिख रही है, इस पर यदि एक मक्खी भी थोडा सा कालुष्य कर देती है तो लोग यह तो नहीं कहते हैं कि वह सफैदी कितनी अच्छी है। और आंशिक कालिख है तो उसका विरोध कर देते हैं। यही हमारे विपक्ष की बात, मैं देख रहा हूं। कितने ही यह सरकार अच्छे काम करें, हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्य मंत्री महोदय, आदरणीय घनश्यामजी तिवाड़ी ने जो हमारे एक विद्वान प्रखर, विचारक, जिनकी तारीफ यह खुद भी करते हैं। लेकिन देखिये, आजाद साहब ने यह करते-करते, दबी आवाज में तो तारीफ करते हैं। लेकिन इन्होंने एक बात कही है जो मुझे अखरी की सब कुछ बढ़िया होते हुए भी किन्तु परन्तु' मैं यह इनसे पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में, मैंने चालीस व . के राज में देखा है, मैंने चालीस शिक्षा मंत्रियों को देखा है। मैंने मेरी जिन्दगी में पहला एक व्यक्ति देखा है। जो शिक्षा मंत्री के रूप में इतना कर्मठ, अपने

(21.00 बजे)

विचारों के साथ अपने शक्तिशाली व्यक्तित्व, जो इतना बड़ा बजट लाया। और इतना बड़ा बजट लाने के बाद में इतनी स्कूलें खोली हों, ऐसे चैलेंज के समय में, जबकि सरकार इसके पीछे वाली ने एक स्कूल नहीं खोली हो और एक भी

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

मास्टर नहीं लगाया हो। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में मास्टरों को लगाना। और फिर आप कानून, रोज कानून, जिला परिषद का कानून यह कहता है, वह कानून यह कहता है। उस कानून को संशोधित करके इन शिक्षकों को बकायदा इंटरव्यू कराया है। आपके टाइम में इतनी बड़ी गड़बड़ हो, इतना करप्शन हो, उसको रूकवाया है। आज 40-40 हजार मास्टर लिये हैं, उसमें कोई करप्शन नहीं हुआ। उसकी तारीफ करना तो दूर, फिर हाई कोर्ट ने अड़चन आप लोग कहते थे कि हाई कोर्ट में अड़चन बनी रहे। इन्होंने अपने व्यक्तित्व की वजह से हाई कोर्ट के साथ जो व्यवहार करके आपका जो स्टे था, उसको खाली करवाया और उसके बाद नियुक्ति करवाई। फिर भी आज हाउस में लग रहे हैं, यह नियुक्ति गलत हो रही है। हम कहते हैं 38 हजार मास्टर लगे हैं, 38 हजार स्कूलें खुली हुई हैं उनमें मास्टर लगने दीजिये। इनता बड़ा काम है, इस काम को रोकने के लिये हमेशा आपने विरोध किया है।

मैं शिक्षा मंत्रीजी की तारीफ करता हूं उनके व्यक्तित्व की, कि वह इतने अडामेंट हैं कि इस बात को लागू करने में बिलकुल अडामेंट हैं। मैं इनकी तारीफ करे बिना नहीं रह सकता। और भी आज इतनी स्कूलें खोली और फिर तीन-चार हजार स्कूलें और खुलेंगी। और मैं यह चाहता हूं कि ऐसे कर्मठ और ऐसा प्रखर व्यक्ति यदि राजस्थान का शिक्षा मंत्री रहेगा तो राजस्थान में नैतिकता आयेगी, कर्मठता आयेगी। मैं देख रहा हूं कि इनके मिनिस्टर बनने के बाद आज चांसलर, वाइस चांसलर, डायरेक्टर, लेक्चरार, प्रोफेसर एक लाइन में हैं, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि वह डिसीप्लिन को भंग करें। इसका मतलब यह है कि व्यक्तित्व का असर पड़ता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी से कि ऐसा डिसीप्लिन पैदा करें कालेजेज में और मुझे एक बात याद आई "विद्या ददाति विनयम्"। आप महान इसलिये हैं। एक हमारे बहुत बड़े संत ने कहा भी है दुनियां में विद्वान कौन? सबसे अच्छा व्यक्ति जो विनयशील हो। मैंने विशेष बात देखी है कि इनके मंत्री बनने के बाद हजारों आदमियों से डिलिंग करते थे, लेकिन इन्होंने कभी अपना टेम्परामेंट लूज नहीं किया। इतना विनयी मंत्री हो। जब जाकर इस बात का ओलमा नहीं मिला। वरना रोज दो-तीन हजार आदमियों से डील करने पर आदमी उखड़ जाता है। मैंने मंत्रियों को उखड़ते हुए देखा है। इसी हाउस में मंत्रियों को उखड़ते हुए देखा है। इन्होंने आज तक कभी अपना टेम्परामेंट लूज

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

नहीं किया। मैं मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप स्कूल के अन्दर, कालेजेज के अन्दर "विद्या ददाति विनयम" कमरे में लिखा दीजिये। मैं कहता हूं कि आदमी ग्रेजुएट हो जाता है, एम.ए. हो जाता है, डाक्टर बन जाता है, स्पेशलिस्ट हो जाता है। लेकिन एक बात मैं मानकर चलता हूं जिस आदमी के पास में विनम्रता नहीं है वह आदमी कोई काम का नहीं है। जिन्दगी में सबसे बड़ा लेकुना उस आदमी में है। यदि विनम्र नहीं है तो चाहे कितना ही बड़ा आदमी है, यह सबसे बड़ा डिफेक्ट है।

माननीय मंत्री महोदय, आप हमारे इस राजस्थान के शिक्षा जगत में यदि आप सबसे ब्रडी बात पैदा करना चाहते हैं तो मेरा एक नम्र निवेदन है कि एक तो आप हर कालेज में, स्कूल के सामने "तमसो मज्योतिर्गमय" अनिवार्य रूप से लिखवाइये। और कमरे के अंदर हमारा जो कक्षा पटल है उस पर लिखवाइये "विद्या ददाति विनयम्" सबसे बड़ी बात मेरी मैं कहना चाहता हूं कि यदि हमारे में करेक्टर आ गया, आपके पहले हमारे चार साल में जो समय है, उसमें यह साबित हो जाना चाहिये कि राजस्थान का कोई शिक्षा मंत्री बना है। आज आप अरबों रूपये का बजट पेश कर रहे हैं, किसी ने इतना बड़ा बजट पेश नहीं किया। मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय, आप यहां पर ऐसा करेक्टर व्यक्त कीजिये। शिक्षा तो होती रहेगी, लोग बी.ए. पास करेंगे, डाक्टरेट पास करेंगे, यदि हिन्दुसतान के अंदर मोरल पैदा हो गया, सबसे बड़ी बात यही है। आज लड़के बड़े-बड़े बाल बढ़ाये हुए, जींस पहने हुए रहते हैं। आज वातावरण बिगड़ रहा है। उसका चैक अप करने में राजस्थान का सबसे बड़ा मंत्री शिक्षा का है। यदि उसका व्यक्तित्व होगा, यह सब ठीक हो जायेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं भी एक निवेदन करना चाहता हूं। मेरे एरिये की एक छोटी सी मांग है। मेरे क्षेत्र में एक आई.टी.आई. कालेज खोलें। चूंकि हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां आई.टी.आई. कालेज नहीं है। दूसरा माननीय मंत्री महोदय, मेरे एरिये के साथ एक ऐसा सब-डिवीजन है जहां पर गर्ल्स कालेज नहीं हैं। पूरा सब डिवीजन खाली पड़ा है। वहां कालेज नाम की चीज नहीं है। मेरा विनम्र निवेदन है आप बैकलाग को भरें। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे समय दिया, मौका दिया। मैं अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेश मीणा। पांच मिनट से अधिक समय नहीं लेंगे।

श्री सुरेश मीणा (करौली) : अध्यक्ष महोदय, दस मिनट।

श्री अध्यक्ष : नहीं, पांच मिनट।

श्री सुरेश मीणा : नहीं, हमारी पार्टी के दस मिनट हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नो। जब बात ही पांच मिनट की हो गयी तो फिर पांच मिनट में कहें।

श्री सुरेश मीणा : ठीक है। जैसा आपका आदेश होगा, उसकी पालना होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 24 और 47 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस विषय पर बोलने का मौका आपने दिया कि जिस देश में, जिस प्रदेश में और जिस समाज में शिक्षा का प्रचार-प्रसार हो, वह देश, वह प्रदेश और वह समाज सबसे आगे रहता है। लेकिन आज शिक्षा हमारे जो शिक्षा मंत्रीजी हैं, मैं तो कहना चाहता हूं कि मेरे पास, मैं सोच रहा हूं कि दुकान पर जाकर काजल होता तो इनके टिक्की लगा देता कि इनके नजर नहीं लगे। इनकी आज इतनी बड़ाई हुई है, क्योंकि नजर लग जाती है कभी-कभी। लेकिन मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जो सच्चाई है, वह आज मैं माननीय मंत्रीजी को बताना चाहता हूं हमारे इस राजस्थान में शिक्षा में जो असमानता है, एक इसी प्रदेश का एक लड़का विदेश में पढ़ता है, अच्छे स्कूल में पढ़ता है। और इसी प्रदेश का एक गरीब का बेटा, एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा एक ऐसे स्कूल में पढ़ता है कि उसमें बैठने को भी जगह नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गांवों में स्कूलों की स्थिति यह है कि स्कूल नाम की चीज है लेकिन आज तक वहां 10-10, 15-15 दिन तक वहां पर टीचर नहीं पहुंचते। यह स्थिति है और अपन कहते हैं कि हम शिक्षा में बहुत आगे हैं।

मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि 20-20, 25-25 साल से जिस जगह प्राइमरी स्कूल है, वह आज प्राइमरी है। जहां पर आठवीं तक स्कूल है वह आठवीं तक है। मेरा निवेदन है आपसे मेरा एरिया ऐसा डांग एरिया है कि जहां पर पांच कि.मी. जाने में बड़ा आदमी घबराता है तो बच्चा तो वहां जा ही नहीं सकता। क्योंकि पूरा डकैती

(श्री सुरेश मीणा)

एरिया है। यदि हमारी कोई बच्ची दूसरे गांव में पढ़ने चली जाये तो वह वापस नहीं आये, क्योंकि उसका किडनैप हो जाता है। इसलिए जिस गांव में आठवीं तक स्कूल हो, उसको आप दसवीं तक करें और जहां तक पांचवी तक स्कूल है उसको आठवीं तक करें। यह मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है। मैं आपसे निवेदन करता चला आ रहा हूं और वैसे तो आपने हमारी सुनी नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्रीजी से बहुत निवेदन किया है कि मैं दूसरी पार्टी का हो सकता हूं। लेकिन एक जीता हुआ सदस्य हूं और इस शिक्षा में इस प्रकार की असमानता होनी ही नहीं चाहिये क्योंकि शिक्षा तो सबके लिये बराबर है, बराबर होनी चाहिये। एक बात और कहना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। सारे लोगों ने धन्यवाद दिया है तो मैं भी मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि इतने तृतीय श्रेणी के अध्यापक माननीय मंत्रीजी ने भरे, लेकिन एस.टी., एस.सी. के लोगों के साथ एक जरूर थोड़ी सी बेइमानी की कि यदि इन पदों को रोस्टर प्रणाली के आधार पर भरते तो हमारे साथ न्याय होता, अन्याय नहीं होता। यह मेरा आपसे निवेदन है। और आपने जाते-जाते मुझे समय दिया, इसके लिये माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत धन्यवाद।

श्री अमराराम चौधरी : आपका पूरा एरिया डकैत नहीं है, यह आप गलत कह रहे हो।

श्री सुरेश मीणा : यह कह सकते हो आप।

श्री अध्यक्ष : डा. श्रीगोपाल बाहेती।

डा. श्री गोपाल बाहेती (पुष्कर) : मैं पर्यटन, शिक्षा और कला की मांग पर अपनी मांग रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : समय की सीमा में रहिये।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : बिलकुल, आपकी आज्ञा मानी जायेगी। पुष्कर और दरगाह पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और मैं अब की बार जो माननीय मुख्य मंत्रीजी का भाषण था बजट भाषण, उसको मैंने बार-बार पढ़ा लेकिन पुष्कर और दरगाह का कहीं उल्लेख नहीं है। हम एक तरफ बात करते हैं कि पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं जबकि प्रतिवर्ष पुष्कर और दरगाह में लाखों-लाख जायरीन और श्रद्धालु वहां धार्मिक दृष्टिकोण से आते हैं। विकास के नाम पर वहां कोई बजट नहीं दिया गया और न ही कोई उसमें यह दिया

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

गया कि हम किस प्रकार से वहां पर्यटन को बढ़ावा देंगे। जब कि अजमेर के प्रशासन ने 30 करोड़ की योजना सरकार के पास भेजी है। जिसके माध्यम से वह पर्यटन को बढ़ावा दे सकते थे। स्थिति आज यह है कि माननीय अध्यक्ष महोदय, कि जिस तीर्थराज पुष्कर में लोग स्नान करते हैं, उसमें स्नान करना इतना दूभर हो गया है क्योंकि उसमें कीचड़ हो गया है। सरोवर में पानी नहीं है। सरकार को बचाने की चिन्ता नहीं। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि वहां जो विदेशी पर्यटक आता है वह आता है सरोवर देखने के लिये, वह आता है अपने रेगिस्तान को देखने के लिये, वह होटालों में ठहरने के लिये नहीं आता है। यदि वहां सरोवर नष्ट हो गया, यदि वही नहीं रहा तो वहां कोई नहीं आयेगा और उसके लिये जो श्रद्धा है तीर्थयात्रियों की, उसके ऊपर ठेस पहुंचेगी। मेरा सरकार से निवेदन है कि पुष्कर और दरगाह के विकास को लेकर एक बोर्ड का गठन करें और पर्याप्त धन देवें ताकि आप यह बात कह सकें कि जो बात कहीं आप करना चाहते हैं, क्योंकि अभी बहुत लोग कह रहे थे शिक्षा मंत्रीजी के लिये कि बहुत कर्मठ है, बहुत काम करने वाले हैं। "अहो रूपम, अहो ध्वनि" की ध्वनि पूरे सदन से आ रही थी कि आप बहुत सुन्दर हो, बहुत बढिया गाते हो, बहुत खूबसूरत हो। हम भी कहेंगे आपको। लेकिन, मंत्रीजी, आप यह मानें कि अजमेर राजस्थान में ही है, राजस्थान के नक्शे में अजमेर भी है। अजमेर का उल्लेख कहीं आपके इस पूरे बजट भाषण में न शिक्षा के लिए है और ना पर्यटन के लिए है। यह बहुत खेद की बात है। इसके अलावा आप खुद यह देखिये कि पवित्रता के नाम पर अब केवल दलदल, यह सरोवर की स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय, आप सभी लोग बहुत जिम्मेदार लोग हैं। सदन सर्वोच्च है। इसके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पुष्कर और दरगाह का पर्यटन की दृष्टि से सर्वे करवाया जाए, उसका मैप बनाया जाए। और उसका मास्टर प्लान तैयार करें। मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर शिक्षा मंत्रीजी और पर्यटन मंत्रीजी कि जगत पिता ब्रह्मा ने या सृष्टि की रचना करने से पहले वैजनाथ और अजय पाल ने भी दो शिवजी के लिंग की स्थापना कं थी। वहां पूजा की थी, उन स्थानों पर आज सड़क भी नहीं है। मंदिर भी इस स्थिति के अन्दर है कि वहां कोई जा नहीं सकता टयूरिस्ट टूरिज्म की इतनी विपुल संभावनाओं के बाद भी बजाय इन्फ्रास्ट्रक्चर के यदि हम वहां पर इजराइली महिलाओं का डांस करा रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता।

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

जिस संस्कृति की बात यह सरकार करती है कि उस सरकार ने संस्कृति के नाम पर क्या किया, इजराइली महिलाओं के डांस। आपने क्या कराया है फाइव स्टार होटलों के अन्दर, शराब परोसना। आपने क्या किया कि राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में जो प्रोग्राम किये उसमें आपने किस को बुलाया? आपने बुलाया फैशन डिजाइनर्स को, आपने बुलाया पाप सिंगर्स को, आपने बुलाया हीरोज को। आप उसके अन्दर देश की, प्रान्त के कल्चर को आगे बढ़ाते तो आपको लगता वास्तव में कि राजस्थान दिवस है।

इसके साथ मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि अजमेर के अन्दर यह आनासागर की झील नोर्थ इंडिया में आर्टिफिशल बनी लेक सबसे बड़ी लेक है। उस झील के पानी की स्थिति आज यह है कि झील में पानी सूख रहा है। तो आनासागर झील को और पुष्कर सरोवर को, दोनों को बीसलपुर के पानी से भरवाया जाए ताकि झील बचे, पर्यटन बचे और वहां की आस्था बचे।

इसी प्रकार से दरगाह क्षेत्र के अन्दर प्रतिवर्ष उर्स और मोहर्रम के दौरान लाखों जायरीन वहां आते हैं। और उसके विकास के नाम पर सरकार ने कोई पर्यटन के नाम पर वहां पैसा खर्च करने की बात नहीं करी है। तारागढ़, जो बहुत ऊंचा स्थित है, जो ऐतिहासिक धरोहर है, हैरीटेज की धरोहर है उस तारागढ़ के विकास के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। यह बात मेरी पर्यटन के लिए है।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ शिक्षा के लिए कुछ बातें कहना चाहता हूं। हालांकि आपने मुझे बहुत कम समय दिया है, कोई बात नहीं, मैं उसी में मेरी बात करूंगा। अनुदानित शिक्षण संस्थाएं हैं, इनकी बहुत समय से सरकार ने एड बंद कर रखी है। मेरा निवेदन है, शिक्षा मंत्रीजी, कि एक तरफ आप जब 39 हजार शिक्षक भर्ती करते हैं तो कुल 2717 पद इन स्कूलों के, अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के बाकी हैं, उनको आप नये बजट की स्वीकृति दें ताकि वह भर सकें। इसी प्रकार से उनका बजट है कुल 45 करोड़ का और खर्चा आता है वहां 50 करोड़, 5 करोड़ देना आपके लिए बड़ी बात नहीं है। इससे यह जो शिक्षण संस्थाएं हैं, यह भी फलेंगी फूलेंगी। यह बात मान कर चलिये कि देश की आजादी के आन्दोलन से लेकर शिक्षा के प्रचार-प्रसार में इन शिक्षण संस्थाओं का जो योगदान है उसे आप नकार नहीं सकते, उससे आप मना नहीं

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

कर सकते। और अजमेर तो इस बात का गवाह है। अजमेर में ऐसी स्कूलें हैं जो महात्मा गांधी ने स्थापित करीं, ऐसी स्कूलें हैं जो फ्रीडम फाइटर ने अपना पूरा घर बेच कर के स्थापित करीं। और वो स्कूलें आज अपनी एड के लिए तरसें, यह बहुत खेद की बात है। आप इस पर ध्यान दीजिए।

इसी प्रकार से अजमेर शिक्षा का एक बहुत बड़ा केन्द्र है। शिक्षा मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि शिक्षा ट्रिब्युनल की स्थापना करें आप अजमेर के लिए, ताकि अजमेर के लोग और जो अजमेर के शिक्षण संस्थान हैं, उनके जो केसेज हैं वह भी निपटें और जो शिक्षा कर्मियों के केसेज हैं वह भी निपटें। इसी प्रकार से शिक्षा की दृष्टि से अजमेर राजस्थान की राजधानी है। और अजमेर के अलावा जयपुर, जोधपुर में सब जगह आपने दो-दो, तीन-तीन,चार-चार यूनिवर्सिटी खोल रखी है, तकनीकी विश्वविद्यालय आप खोलने वाले हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि तकनीकी विश्वविद्यालय आप अजमेर में खोलें। इसके लिए जो इंजीनियरिंग कालेज की लैंड हैं वह पर्याप्त लैंड है। इतनी लैंड है कि करीब 300, 400 बीघा लैंड सरकार ने दी है उस विश्वविद्यालय को। वह आपके लिए सेफिसिएंट है और उसमें आप अपनी यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं। और अजमेर का हक बनता है। मुख्य मंत्रीजी ने अपने भाषण में कहा था कि "पहले आप जफा करो और फिर वफा की बात करो"। अजमेर ने आपको सात एम.एल.ए. दिये, अजमेर ने आपको एम.पी. दिया, अजमेर ने आपको प्रमुख दिया, अजमेर ने आपको सात प्रधान दिये। हम तो वहां जफा पूरी कर चुके अब आप वफा करो, अजमेर के साथ न्याय करो और आपके इस बजट भाषण के अन्दर अजमेर को समावेश करो, आपकी मेहरबानी होगी।

इसी प्रकार से कल मैंने आपको इशारे में बताया था लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं कि मेडिकल कालेज है अजमेर का, मेडिकल शिक्षा माने मजाक। तो मुझे जैसा कल आपने जवाब में बताया है, मुझे उम्मीद है कि जो काम आपने शिक्षक भर्ती का प्रारम्भ किया है यदि आपने वह चालू रखा और पूरा किया तो कालेज बच जायेगा नहीं तो इस कालेज के भी ताले लगने वाले हैं। शिक्षा मंत्रीजी, हमें भी ऐसा अवसर दें कि हम भी आपकी तारीफ करें। हम आपकी तारीफ में इनसे ज्यादा कसीदे पढ़ सकते हैं। लेकिन आप अपने बजट के अन्दर अजमेर को समावेश तो करें, उनको यूनिवर्सिटी दें, कालेज का स्टाफ दें।

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

शिक्षा मंत्रीजी, एक बात मैं आपसे सामान्य कहना चाहता हूं। मेरे पहले के वक्ताओं ने बहुत बात कहीं थी आपसे। यह बात सही है कि कम से कम हिन्दी, संस्कृत और सामाजिक ज्ञान, इन तीन वि .यों का कोर्सेज तो आप बदलिये। मुझे इस बात को कहते हुए बहुत खेद है कि कोई भी सरकार हो, कोई सरकार आये और कोई सरकार रही हो, आज जो शिक्षा के अन्दर पाठ्यक्रम है वह सार्थक नहीं हैं वह निरर्थक है। किसी पाठ का मिनिंग नहीं है। संस्कृत के अन्दर, हिन्दी के अन्दर आप ऐसे पाठ सेलेक्ट कीजिए जिसमें नैतिकता हो, जिसमें राष्ट्रीयता हो, जिसमें चरित्र हो, जिसमें शिक्षा हो, जिसमें क्षमता हो। हमारे राजस्थान में बहुत चरित्र हुए हैं, एक से एक बढ़ कर के जिन को हम पाठ्यक्रम में रखें तो आपका पाठ्यक्रम बहुत सम्पन्न बनेगा। और उस पाठ्यक्रम से पढ़ने वाला विद्यार्थी निश्चित रूप से इस देश के लिए और समाज के लिए एक असेट बनेगा। तो इसके लिए यदि आप आवश्यक समझें तो शिक्षा शास्त्रियों की और जनप्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाइये। और कमेटी बना बर इस बात को असेस कीजिए कि शिक्षा के अन्दर कोर्सेज में क्या बदलाव होना चाहिए। अभी हमारे पूर्व विधान सभा अध्यक्ष और मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने बोला था, संविधान की प्रस्तावना पढ़ी थी उन्होंने कि वी, दी पीपुल आफ इंडिया। यह पढ़ा था उन्होंने संविधान में से। उसमें एक आया सेकुलर। सेकुलर क्लास पैदा करने के लिए यह बहुत आवश्यक है उसको हम शिक्षित करें। और यह सब संभव होगा कि जब आप माइनोरिटी को भी मैन स्ट्रीम से जोड़ेंगे तो मेरा आपसे यह कहना है कि जो माइनोरिटी के विलेजेज हैं उनके अन्दर आप कम से कम गर्ल्स एजुकेशन के लिए हाई स्कूल अवश्य दीजिए ताकि जो माइनोरिटी की बच्चियों हैं वह पढ़ कर आगे बढ सकें, वह मैन स्ट्रीम से जुड सकें।

श्री अध्यक्ष : कृपया कनक्लूड करें।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : एक सैकण्ड।

एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, बार-बार मुख्य मंत्री निकल रहा है, शायद आप मुख्य मंत्री बन जाएं, ऐसा लगता है मुझे। तो बार-बार मुंह से निकल रहा है। आपने वर्ष 2003-04 में जो सात लाख रुपये खर्च किये स्कूल लाइब्रेरी के ऊपर, आपने 2005-06 में भी केवल

साथ लाख का ही बजट प्रावधान किया है जबकि स्कूलें आपने और खोली हैं। तो जब अपन यदि स्कूल में लाइब्रेरी नहीं खोलेंगे तो बच्चे क्या पढ़ेंगे? इस पर ध्यान दिया जाए।

इसी प्रकार से आपने खेल के लिए कोई भी बजट नहीं रखा है। और एक बात जो आपने कही, होशियारी आपने यह करी कि राज में आते ही चालू कर दी होशियारी तो। आपने राज में आते ही कला से कलाकारी चालू कर दी कि 2003-04 का जो सेकण्ड हाफ बजट था, वह था आपका 19.50 करोड़ का और खर्च किया आपने 1.40 करोड़। बाकी बचा कर बाद में करते रहेंगे। अभी करेंगे तो कौनसा नाम हो जायेगा? चलो कोई बात नहीं, वह तो आप का प्रिविलेज था, कर लिया आपने। लेकिन जो आपने प्ले यह किया कि जो बजट आपने दिया पंचायत राज को 348.49 का वह बजट आपने वापस लेकर शिक्षा विभाग में, यह आपने पंचायत राज को कमजोर करने का काम किया। यह आपने ठीक नहीं किया। जबकि 73वें संविधान संशोधन में यह बात सबने स्वीकार की थी कि पंचायत राज को मजबूत करेंगे। एक तरफ तो अपन कल्पना करते हैं कि ग्राम पंचायत गांव का सचिवालय होगा और दूसरी तरफ पंचायत को मजबूत नहीं करें तो काम चलने वाला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा, अंतिम बात कह रहा हूं आपसे।

श्री अध्यक्ष : अब आप कृपया समाप्त करें।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : मेरी कांस्टीट्युएंसी के अन्दर शिक्षा मंत्रीजी, आपने गत बार भी कोई भी स्कूल नहीं दी। तो दो स्कूल तो पहले वाले और दो स्कूल अब के वाली, आप चार दें। (व्यवधान) आपने 500 स्कूल बढ़ाने का इसके अन्दर रेज करने का प्रावधान रखा है। मेरा निवेदन है कि आप उसको छह सौ कर लें ताकि एक कांस्टीट्यूएंसी में तीन आ जाएंगी। अब 500 में फिर वहो जाएगा कि..

श्री अध्यक्ष : बस आप समाप्त करें।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : इसलिए आपसे मेरा कहना यह है कि एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं कि पुष्कर, आना सागर, तारागढ़, दरगाह के विकास के लिए आप इसका पूरा-पूरा ध्यान रखें और साथ ही तकनीकी विश्वविद्यालय आप अजमेर को दें। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री कन्हैया लाल मीणा।

श्री रामचन्द्र सराधना : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी था।

श्री अध्यक्ष : अब क्या, आपकी टर्न थी, I called your name. आप एब्सेंट थे. You were absent.

श्री रामचन्द सराधना : मैं खाना खाने गया था।

श्री अध्यक्ष : अब नहीं, तो देखिए अलग बात है लेकिन एक बार You have lost your time. रोटी खाने का क्या मतलब है? यदि आपका नाम पुकारा गया और आप नहीं हो तो फिर क्या करें?

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : अध्यक्ष महोदय, एक वर्ष के अन्दर जो करके दिखाया उसे राजस्थान की जनता नहीं, राजस्थान के विधायक ही नहीं केन्द्रीय सरकार के शिक्षा मंत्री भी इतने फिदा हुए कि उन्होंने पूरे भारत वर्ष के सारे शिक्षा मंत्रियों का नेतृत्व करके विदेश में भेज रहे हैं। मैं उसके लिए बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष : कटमोशन दे देना था आपको।

श्री कन्हैया लाल मीणा : मेरे क्षेत्र में ग्यारह सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय हैं और बालिकाएं दो प्रतिशत। वह बालिकाएं, जिनके पेरेन्टस या तो सर्विस में बाहर हैं, और मैं कहता हूं आधी से ज्यादा बालिकाएं विद्यालयों में पढ़ती हैं। और वह बालिकाएं पढ़ने के बाद, जितनी भी बालिकाएं हैं जो अच्छे डिवीजन से पास होती हैं, आगे पढ़ना चाहती हैं। लेकिन वहां बालिका महाविद्यालय नहीं होने की वजह से वह बालिकाए पढ़े नहीं पाती हैं। आपसे मैं

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

निवेदन करना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री महोदय कि आप यदि विद्यालय देंगे तो भवन की व्यवस्था क्षेत्र के लोगों के माध्यम से आपको बनाकर देने को हम तैयार हैं। एक बालिका महाविद्यालय आप वहां दे दें तो हमारी जो बालिकाएं वंचित रहती हैं और उसमें आधा तो जमवारामगढ़ आ जाता है और चाकसू की सीमा लगती है। चाकसू और बस्सी की बालिकाएं भी वहां पर आ सकती हैं। दो बालिकाओं के छात्रावास हैं जिनमें भी बालिकाएं कम से कम पांच-पांच सौ बालिकाएं रहती हैं। दूर दराज से बालिकाएं आकर के वहां पर रहती हैं। तो मैं आभार व्यक्त करूंगा आपका कि एक महाविद्यालय बस्सी में खोल दिया जाए।

साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय, बस्सी जो बस्सी कस्बे का सबसे बड़ा विद्यालय है। और उसमें पुस्तकालय अध्यक्ष का पद था उस पर एक महिला अध्यक्षा लगी। और लगने के बाद वह साथ ही लेकर गयी उस पद को। उस पुस्तकालय अध्यक्ष के पद को स्वीकृत करके पुनः विद्यालय में चालू किया जाए।

साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो वैकल्पिक विद्यालय आपने खोलें हैं उनमें जो पैराटीचर्स लगे हुए थे वह पैराटीचर्स अध्यापक बन गये हैं। और अध्यापक बनने के बाद वहां विद्यालय में रिक्त पद हो गये हैं। आप अधिकारियों को आदेश देकर उनको दुबारा चालू करवाएं उन विद्यालयों को।

जो शिक्षा मित्र विद्यालय आपने खोले हैं वह विद्यालय, आपने तय किया था कि वह विद्यालय जब तक वहां बच्चा पढ़कर होशियार नहीं हो जाए। और वह विद्यालय में नही जाना चालू हो जाए दूसरे विद्यालयों में जब तक यह बंद नहीं होंगे। लेकिन आपने उसमें पहले ही बीच में आदेश दे दिए और यह बच्चे कहीं के नहीं रहे। दूसरे विद्यालयों में नहीं जा सके हैं। तो मेरा निवेदन है कि जो शिक्षा मित्र के तहत जो विद्यालय चालू किए थे आपने उनको पुनः चालू किया जाए।

साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो खेल कूद, एन.सी.सी. और स्काउटिंग का विद्यालय में लागू कर रखा है। एन.सी.सी. स्काउटिंग की और नैतिक शिक्षा की जो बात आ रही है। यदि इसको अनिवार्य रूप से भी लागू

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

कर दिया जाए कक्षा एक से लेकर कक्षा बारह तक भी तो कम से कम एन.सी.सी. और स्कउटिंग में बच्चों को इसमें कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं आता है उन बच्चों के ऊपर और उसमें नैतिक शिक्षा की ओर बड़ा काम आपका होगा। और सारे बच्चों को एक नैतिक शिक्षा का पाठ मिलेगा। साथ ही जो खेलकूद के लिए कैलेंडर में..

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री कन्हैया लाल मीणा : शिक्षा विभाग के द्वारा जो तय कर रखा है उसके दो तीन दिन बाद में बच्चों को खिलाया जाता है। कम से कम इसमें खेल कूद की एक ऐसी अनिवार्यता होनी चाहिए कि आधा घंटे का या एक घंटे का टाइम विद्यालय में एक पीरियड होना चाहिए खेलकूद का भी।

साथ ही मैं पर्यटन मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा..

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री कन्हैया लाल मीणा : खौ-नागोरियान जो जौहरी बाजार विधान सभा क्षेत्र में है वहां पर चांदाओं का रास्ता और उसका परकोटा आज खण्डहर होता जा रहा है। पुरातत्व विभाग भी उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है।

श्री अध्यक्ष : आपने दो मिनट मांगा था।

श्री कन्हैया लाल मीणा : एक बावड़ी इतनी बड़ी है आज भी उसमें दस फीट से जयादा नीचे गहरा पानी भरा हुआ है उस बावड़ी के अन्दर। इसलिए उसको पर्यटन के तहत लिया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एक आपका बोर्ड जो लगा हुआ था आमागढ़ पहाड़ी के नीचे की तरफ, आपके उस बोर्ड को कोई उठा ले गया। वहां पर बोर्ड तो लगवाया जाए। कम से कम उसको, मुझे लगता है कि आपके पर्यटन विभाग से ही निकाल दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, समाप्त करें। धन्यवाद।

श्री रामकिशोर शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच मिनट।

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे क्षमा चाहूंगी साढ़े नौ बजने आए। आप पांच मिनट कहते हैं समाप्त नहीं करते पांच मिनट में।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं लूंगा।

श्री अध्यक्ष : सारी बातें तो आ गयीं।

श्री रामचन्द्र सराधना : माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुमति हो तो मैं शुरू कर दूं।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, केवल एक मिनट, एक पाइंट पर।

श्री अध्यक्ष : इसका मतलब यह हुआ कि जब नाम पुकारा जाए तब रहे नहीं सदस्य और उसके बाद आकर कहें कि हमें समय दो।

श्री रामचन्द्र सराधना : अब समय दें तो बोलूं मैं।

श्री अध्यक्ष : क्या बात हुई इसमें? (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : अध्यक्ष जी, बोलूं क्या मैं?

श्री अध्यक्ष : देखिए, आप कोई बात दो मिनट में समाप्त नहीं करते।

श्री रामकिशोर मीणा : केवल एक मिनट।

श्री रामचन्द्र सराधना : माननीय अध्यक्षजी, मैं शुरू करूं क्या?

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशोर मीणा। नहीं, मैंने आपका नाम नहीं पुकारा। आप एब्सेंट थे। एब्सेंट लोगों को मैं दुबारा नाम नहीं पुकारूंगी ताकि यह खराब आदत लोगों में नहीं पड़े।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 24 में सभी माननीय सदस्यों ने शिक्षा मंत्रीजी ने जिस प्रकार से अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर जो एक नये अध्याय की बहुत अच्छी शुरूआत की है और शिक्षा जगत में बहुत इच्छा कीर्तिमान स्थापति किया है। उसके

(श्री रामकिशोर मीणा)

लिए तो बारम्बार पूरा सदन चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी ने बहुत मन से इनको धन्यवाद किया है। लेकिन इसके साथ-साथ एक मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले सत्र में माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने प्रत्येक कन्या विद्यालय चाहे प्राथमिक था उसको उच्च प्राथमिक में, मिडल को सैकण्डरी में और सैकण्डरी को सीनियर सैकण्डरी में क्रमोन्नत करने का आपने आश्वासन दिया था..

अध्यक्ष : घोषणा की थी, सही बात है।

श्री रामकिशोर मीणा : उसको लागू करने के लिए चाहे कितना ही बजट में और कहीं कटौती कर दी जाए। लेकिन महिला शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। इसके बारे में मेरा विनम्र निवेदन है कि प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में आपने घोषणा की है कि सैकण्डरी या सीनियर सैकण्डरी होगी। इसके लिए भी आप बार-बार धन्यवाद के पात्र हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कि निर्माण सेवाएं जब से इसमें शिक्षा विभाग में दी हैं, कई प्रकार की हमको समस्याएं आई हैं। शिक्षक अपने शिक्षा के समय में से कटौती करके उनमें ज्यादा रूचि लेता है। जिस प्रकार से अन्य विभागों में निर्माण की सेवाएं हैं चाहे वह सिंचाई है चाहे पी.डब्ल्यू.डी है। उसी प्राकर से यदि शिक्षा विभाग में भी निर्माण की सेवाएं ली जाएं तो वह ज्यादा बेहतर होगा उसकी क्वालिटी के हिसाब से भी और शिक्षा में एक उच्च स्तर क़ायम हो उसके हिसाब से भी, यह निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना चाहता हूं डी.पी.ई.पी. के तहत गर्ल चाइल्ड मोटिवेटर के पद सृजित किये गये थे। चार-पांच जिलों में थे जहां पर शिक्षा का स्तर बहुत कम था, महिला शिक्षा का वहां पर इसको प्रारम्भ किया था। पूरी ट्रेनिंग के बाद में सीनियर सैकण्डरी कम से कम उनकी क्वालिफिकेशन थी और बी.ए. एम.ए. तक की बच्चियां इस प्रकार की मोटिवेटर का काम करती थीं। लेकिन पता नहीं किस कारण से इसको वापस बंद कर दिया गया है। इसके कारण से बहुत ज्यादा सुधार हुआ था। इसको पुनः लागू करके किसी ने किसी रूप में जहां पर जो हमारे दूसरे शिक्षण संस्थान थे. जो अध्यापक लग गये हैं नियमित तौर से उन जगह पर जो

(श्री रामकिशोर मीणा)

रिक्त पद हुए हैं उनमें भी कृपा करके इनको लगाया जा सकता है। सभी प्रकार के मंत्रालयों को एक जगह ला करके जो शिक्षा मंत्रीजी ने बहुत पुनीत कार्य किया है। नवरात्रा कल से प्रारम्भ होने वाले हैं, बच्चियां की शिक्षा के लिये कन्या जो दुर्गा स्वरूपा है, इनका आर्शीवाद लेने के लिये माननीय मंत्रीजी कन्या शिक्षा को ज्यादा बढ़ावा देने के लिये प्रत्येक प्राइमरी से मिडिल, मिडिल से सैकेंडरी, सैकेंडरी से सीनियर सैकेंडरी, यह घोषणा करें और इसको अमलीजामा पहनाएं तो यह बहुत अच्छा होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया इसके लिये बारम्बार धन्यवाद।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे एक निवेदन है कि कल 12.10 बजे जब बूंदी से आने वाली माननीय सदस्या सबलाना गांव, तहसील कामां, जिला भरतपुर की एक 12 वर्षीय बालिका के साथ किये गये कुकृत्य की तरफ सदन और माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर रही थीं। तब सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बूंदी से आने वाली माननीय सदस्या के बारे में जो टिप्पणी की। यही प्रोसीडिंग मेरे पास है। आपको भी अवलोकन के लिये दी है। मैं इसको पढ़ाकर दोहराना नहीं चाहता। मेरा इतना ही आपसे निवेदन है कि यह बड़ी गंभीर बात है। इस तरीके की टिप्पणी नहीं की जानी चाहिये। इसलिये आप सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य को तो इसके लिये प्रताड़ना दें और इसको कार्यवाही से निकालें।

श्री अध्यक्ष : कार्यवाही से निकाल देंगे इसको। क्योंकि बात इर्रिलेवेंट कही है इन्होंने। कोई असंसदीय बात तो नहीं कही लेकिन इर्रिलेवेंट बात है जो कहने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिये इसको एक्सपंज कर देंगे। क्योंकि मतलब नहीं था कहने का।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उनको सदन से माफी मांगनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माफी की कोई बात नहीं है। क्या बात हैं?

मोहम्मद माहिर आजाद : प्रताडित तो किया जाना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रताडित ही नहीं करेंगे किसी महिला के बारे में ऐसा कह दें

(मोहम्मद माहिर आजाद)

कि इसमें भी आगे आप पढ़िये इसका भावार्थ क्या निकलता है। कितनी गंभीर बात है, आप पढ़िये तो जरा। यह ऊपर की 2-3 लाइनें आप पढ़ लें जरा। मैं हाऊस में दोहराना नहीं चाहता हूं लेकिन यह बहुत हल्की बात है।

श्री अध्यक्ष : हां, वह इर्रिलेवेंट भी है, हल्की भी है। बात तो सही है कि इर्रिलेवेंट बात है, हल्की भी है। लेकिन इसको एक्सपंज कर देंगे। भविष्य में ध्यान रखेंगे वह। ऐसा नहीं करेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : ठीक है।

श्री अध्यक्ष : बद्री लालजी, अब आप क्या कहना चाहते हैं? 9.30 बजे गये, एक घंटा बोलेंगे शिक्षा मंत्री और आधा घण्टे बोलेंगी पर्यटन मंत्री, रात के 12.00 बजाओगे क्या?

श्री जुबेर खान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे बहुत नम्र निवेदन है कि सत्ता पक्ष के वह माननीय सदस्य भी बोल रहे हैं जिन्होंने किसी तरह का कटौती प्रस्ताव नहीं दिया है। हमारे एक वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं, वह उस टाइम अनुपस्थित थे, कहीं चले गये थे, अब आ गये। तो यह परम्परा रही है कि अंत में दो मिनट बोलने का मौका देते हैं। आप अगर अवलोकन करेंगी अध्यक्ष महोदय, सिर्फ 6 आदमी हमारे दल से बोले हैं अभी तक सिर्फ 6 और उधर से कम से कम 20 बोल चुके हैं। इसलिये दो मिनट का मौका दे दीजिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सत्ता पक्ष के सदस्य स्थान ग्रहण करें।

प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, मैं यह जानना चाहूंगी कि सत्ता पक्ष का कौनसा सदस्य है जिसने कटमोशन नहीं दिये फिर भी बोलें हों। मुझे आप बताओ ना मेरे रहते हुए बोला हो, उसका नाम बताओ।

अनेक माननीय सदस्य : शेम।

श्री अध्यक्ष : इसमें कोई शेम की बात नहीं है। मुझे नाम बताइये कि कौन सदस्य बोला है जिसने कटमोशन नहीं दिया और फिर भी मेरे आसन पर रहते हुए बोला हो। आप मुझे बता दें..

श्री हेमाराम चौधरी : सत्ता पक्ष के तो मंत्री फटाफट, हाथों-हाथ कर देते हैं, बोलने की जरूरत कहां है।

श्री जुबेर खान : मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि आपने कोई ऐसी बात कह दी। मैं उसको चुनौती नहीं देना चाहता। लेकिन अभी बस्सी से आने वाले माननीय सदस्य बोले हैं, उनका कहां कटमोशन की लिस्ट में नाम?

श्री अध्यक्ष : मैंने बाकायदा लिस्ट बना रखी है। सामने मैंने बकायदा 2-3...(व्यवधान) आप फिर वही बात कर रहे हैं। जब मैं खड़ी हूं, आप खड़े हैं। मैंने बाकायदा इस बात को देखा है कि कटमोशन किसका है। और जब मेरी गलती से हुआ था डाक्टर श्रीगोपाल बाहेती का, मैंने इसीलिये बाद में पुकारा नाम। क्योंकि मेरे सामने जो नाम थे उसमें उनका नाम नहीं था इसलिये मैंने लास्ट में पुकारा। लेकिन एक भी सत्ता पक्ष का ऐसा माननीय सदस्य नहीं होगा जिसका नाम मैंने पुकारा हो जिसका कटमोशन नहीं हो। एक भी नहीं है।

श्री जुबेर खान : बस्सी से आने वाले माननीय सदस्य का नाम कटमोशन में है क्या? मैं तभी कह रहा था मैं नाम नहीं लेना चाहता। आपने व्यवस्था दे दी उसके ऊपर कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन बस्सी से आने वाले माननीय सदस्य का कोई कटमोशन नहीं है...

श्री अध्यक्ष : आप बताइये। यह तो लास्ट में बोले हैं, बहुत कम बोले हैं। एक का भी नहीं है...

श्री रामचन्द्र सराधना : अपने-अपने चैम्बर में जाकर सोकर वापस आ जाते हैं, एक विधायक यदि खाना खाने चला जाए, उसको मालूम नहीं लगा कितने टाइम में आने वाला है। अब चला गया तो उसकी भूल हो गयी और लोग जाकर चैम्बर में सोकर, खाना खाकर आराम से आ जाएं तो हमारी बात ही नहीं रखेंगे..

श्री अध्यक्ष : आप 11 बजे से 5 बजे तक के लिये यहां पर आते हैं। 11.00 बजे तो यह मानकर चला जाता है कि..

एक माननीय सदस्य : यह सोने और खाने पीने का टाइम नहीं है..

श्री रामचन्द्र सराधना : यह मतलब नहीं है कि आप अपने आरोप दूसरे लोगों पर लगाओ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बाहर गये हैं और आपने यदि अपनी टर्म लूज कर दी तो कर दी।

श्री रामचन्द्र सराधना : तो वह आठ घण्टे तक बैठा रहेगा? जा ही नहीं सकता दो मिनट के लिये। हम कैसे बैठे रहेंगे....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। माननीय मंत्रीजी, शुरू करें आप.. (व्यवधान) नेता प्रतिपक्ष खड़ हो गये, अब आप तो बैठ जाओ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने तैयारी कर रखी है, पांच मिनट घड़ी से बोलेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि उनकी तैयारी थी, उन्होंने गलती भी महसूस कर ली है कि उस समय मुझे यहां रहना चाहिए था। आगे भी ऐसा हुआ है कि आसन ने उनको माफ कर दिया है। आप पांच मिनट का समय दे दें, पांच मिनट में अपनी बात कह देंगे। फिर रिप्लाई शुरू कर लें।

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी। मैंने व्यवस्था दे दी। मैं मेरी व्यवस्था को विपरीत नहीं करूंगी। मैंने माननीय मंत्रीजी का नाम पुकार लिया और माननीय मंत्रीजी।

श्रीमती उ.ा पूनिया (पर्यटन राज्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूं उन सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने मांग संख्या 47 पर्यटन पर सदन में चर्चा के माध्यम से, कटौती प्रस्तावों के माध्यम से मेरा मार्गदर्शन किया। जिन माननीय सदस्यों के कटौती के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उनके जवाब 48 घण्टों में उनको पहुंचा दिये जायेंगे, भिजवा दूंगी। आगे मैं यह मानती हूं कि सभी माननीय सदस्यों के बहुमूल्य सुझाव से प्रदेश में पर्यटन के विकास में वृद्धि होगी।

राज्य में पर्यटन आगमन की दृष्टि से 2004, 2003 के कम्पेरिजन में

(श्रीमती उषा पूनिया)

बहुत बढ़िया रहा। हमारी देशी पर्यटक की संख्या में 27 परसेंट के करीब वृद्धि हुई, जबकि विदेशी पर्यटकों में 54 परसेंट के करीब वृद्धि हुई।

राज्य सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक महत्व को देखते हुए वर्ष 2004-2005 में जो वार्षिक बजट था उसमें भी 2003 से 2004 की तुलना में आलमोस्ट हमको 96 प्रतिशत ज्यादा बजट दिया। इस साल 2005-2006 में हमको 2450 लाख हजार रुपये का बजट मिला है।

राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्व बढ़ा है। यह अत्यन्त हर्ष की बात है कि पर्यटक के प्रचार प्रसार का प्रतिष्ठित गैलीलियो अवार्ड इस साल राजस्थान को मिला। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा कुछ नवीन एवं सफल आयाम जोड़े गये हैं। परम्परागत एवं घोषित मेले और त्यौहार जो कि पहले मनाये जाते थे उनमें थोड़ा बदलाव लाने की दृष्टि से ईवेंट मैनेजमेंट के लोगों को हम लोगों ने यह कार्य दिया है ताकि उसमें थोड़ा चेंज आए और हर साल की जो मोनोपाली थी वह बदली जा सके।

इसके अलावा हमने दस दिवसीय जो अपना राजस्थान दिवस समारोह मनाया था उसको अपार सफलता मिली है। हर क्षेत्र के लोगों को हमने उसमें मिलाया था, जोड़ा था और सब लोग आगे आकर एक मन और भावना के साथ इस राजस्थान दिवस को दस दिन का जो दिवस था उसमें सम्मिलित हुए उसमें हमारे हर क्षेत्र से जो आर्टिजंस थे, आर्टिस्ट थे, उन सबको मौका दिया था। और इसके अलावा स्टेट के नेशनल लेवल के जो लोग हैं उनको भी हमने आमंन्त्रित किया था ताकि वह दोनों एक तरह से मिक्स होकर यह कार्यक्रम पर्यटकों को भी पसन्द आए, अपने लोगों के लिये तो वह अपना ही कार्यक्रम था। हम लोग तो उनके होस्ट थे और हम लोगों ने यह कार्यक्रम पर्यटकों के लिये रखा था। ताकि हमारे राजस्थान की आन, बान और शान को वह महसूस कर सकें। कई नवीन पर्यटक सर्किट का विकास का कार्य हाथ में लिया गया है। पर्यटक सर्किट के विकास में सर्किट विशेष की समृद्धि में तो बढ़ावा होता ही है, साथ ही पर्यटकों को भी अपने यात्रा का कार्यक्रम बनाने में सुविधा होती है एवं विकल्प भी प्राप्त होते हैं। इस क्रम में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से वर्ष 2004-05 में हाड़ौती सर्किट पर्यटक सर्किट व

(श्रीमती उषा पूनिया)

इसके लिए लिए पैसा मिला है सेन्ट्रल गवर्नमेंट से। और इसकी जो राशि है वह 725 लाख 10 हजार हमें मिली है। इसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां यह सम्मिलित हैं। इसके अलावा हमें एन.सी.आर. सर्किट के लिए भी पैसा सेन्ट्रल गवर्नमेंट से मिला है जिसमें अलवर, भरतपुर, विराट को हमने जो गोल्डन ट्रायंगल आलरेडी है उसमें यह सम्मिलित हो गये हैं। यह जरूरी है कि पर्यटन व्यवसाय की वृद्धि हेतु हम और अधिक सशक्त तरीके से टयुरिज्म प्रोडक्टस को पर्यटकों को उपलब्ध करायें। अतः हमने इस क्रम में नयी शुरूआत समारोहों और मेलों को और अधिक प्रोफेशनल रूप देने के हिसाब से इनको प्रस्तुत किया है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हम लोगों ने इसमें इवेंट मैनेजमेंट वाले लोगों को भी सम्मिलित किया है।

अध्यक्ष महोदय, गत वित्तीय वर्ष में पर्यटन विभाग द्वारा 20 करोड़ रुपये की राशि के निवेश के 19 प्रोजेक्टस अनुमोदित किये गये हैं। इसके साथ ही विभाग द्वारा पर्यटन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये जिससे कि इस कार्य में लगे व्यक्तियों के प्रोफेशनल स्किल्स में वृद्धि हो सके। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में रूम अटेंडेंट प्रशिक्षण, गाइड, रिफ्रेशर कोर्स, कुक और किचन हैल्थ का प्रशिक्षण पर्यटन टयुरिज्म एजेंट सेमीनार, एम्प्लायमेंट जनरेशन सेमीनार, हाथी महावत प्रशिक्षण, नाथद्वारा मंदिर के सहायकों का प्रशिक्षण प्रमुख हैं। इससे ना केवल प्रदेश में समृद्धि आयेगी अपितु व्यवसाय से जुड़े सभी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहभागियों के जीवन स्तर में वृद्धि होगी। रोजगार के अवसरों में भी भारी बढ़ोत्तरी होगी। रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने हेतु कुछ नये प्रयोग भी पर्यटन गतिविधियों के माध्यम से किये गये हैं। रात्रि बाजार की अवधारणा, फूड फेस्टिवल एवं क्राफ्ट बाजार द्वारा आकर्षित की गयी पर्यटकों की भारी संख्या इसका एक अत्यन्त सफल उदाहरण है। जो कि हमने यह जो हमारा दस दिन का राजस्थान डे का सेलीब्रेशन था उसमें हमने किया था। सदन के माननीय सदस्यों ने राज्य के विभिन्न स्थलों जैसे लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने लक्ष्मणगढ़, लूणकरसर से आने वाले माननीय सदस्य ने तिरियासर, हिण्डौन से आने वाले माननीय सदस्य ने [illegible]-डाडौता क्षेत्र, रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने सिलीसेढ आदि के बारे में जो जानकारी मांगी है। उनको मैं बताना चाहूंगी कि यह जो सारे कार्य हैं जो उन्होंने बोले हैं हम लोग इनके ऊपर विचार करेंगे, और हम लोग इनके

(श्रीमती उषा पूनिया)

लिये आगे जागरूक हैं। और इनको विकसित करने के सुझाव जो इन लोगों ने दिये हैं वह हम करेंगे ओर हम लोग आपस में मिलकर इनको भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे।

माननीय सदस्यों के सभी बहुमूल्य सुझावों के सम्बन्ध में निवेदन है कि राज्य में पर्यटकों की आवक-जावक और विभिन्न स्थलों की लोकप्रियता एवं बजट संसाधनों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए पर्यटक स्थलों का विकास कार्य करवाया जाता है। पर्यटन विकास कार्य मुख्यतः राज्य आयोजना बजट मद एवं पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत प्राप्त राशि से कराये जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2005-06 में आयोजना मद में पर्यटक स्थलों के विकास हेतु राशि रुपये 870 लाख राशि प्रावधायी है। इस राशि का उपयोग जिला कलक्टरों के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव एवं राज्य पर्यटन विभाग को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों/परीक्षण के उपरांत वरीयता निर्धारण कर किया जायेगा। वर्ष 2004-2005 में राज्य आयोजना मद में पर्यटक स्थलों के विकास हेतु राशि 419 लाख 21 हजार की राशि का प्रावधान था इसमें से राशि 115 लाख जोधपुर स्थित राज्य होटल प्रबंधन संस्था के भवन निर्माण एवं शेष राशि 304 लाख 21 हजार राज्य में विभिन्न जिलों में पर्यटक स्थलों के विकास हेतु उपलब्ध करायी गयी।

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2004-2005 में पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत निम्न योजनाओं हेतु कुल 2635 लाख 38 हजार की स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसका विवरण इस प्रकार है एन.सी.आर. सर्किल के विकास हेतु 738 लाख रुपये, हाडौती सर्किट के विकास के लिए 725 लाख 10 हजार रुपये आमेर, जयपुर में हाथी ग्राम की स्थापना हेतु 468 लाख 18 हजार और आमेर महल जयपुर में ध्वनि प्रकरण कार्यक्रम हेतु 119 लाख 62 हजार रुपये और आमेर किला जयपुर के विकास हेतु 500 लाख रूपये। आई.टी. प्रोजेक्ट हेतु 48 लाख 84 हजार रुपये और एन.सी.आर.टी. सर्किल में जैसा मैंने बताया है अलवर जिले में कुछ आठ कार्यों के लिये यह जो राशि हम इस्तेमाल कर पायेंगे वह है 203 लाख 48 हजार। भरतपुर जिले के लिये कुल कार्य 10 और कुल राशि 380 लाख 55 हजार, धौलपुर जिले के

(श्रीमती उषा पूनिया)

लिए 3 कार्य कुल राशि 109 लाख 73 हजार एवं जयपुर जिले के लिए एक कार्य राशि 17 लाख 70 हजार प्रस्तावित है। इसी प्रकार हाड़ौती पर्यटन सर्किट के लिए, झालवाड़ जिले के लिए चार कार्य की राशि 267 लाख 85 हजार, बूंदी जिले के लिए 8 कार्य राशि 291 लाख 86 हजार, बारां जिले के लिए 6 कार्य राशि 166 लाख 91 हजार एवं कोटा जिले में एक कार्य राशि रुपये 38 लाख 47 हजार प्रस्तावित है।

अध्यक्ष महोदय, शेखावाटी क्षेत्र में भी विभाग द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित योजना अंतर्गत कुल राशि रुपये 235 लाख 50 हजार की पर्यटन विकास कार्यक्रम करवाये जा रहे हैं जिसमें मंडावा, मुकुनगढ़, नवलगढ़ में बस टर्मिनल का विकास प्रत्येक के लिए राशि 25 लाख का प्रावधान है। नवलगढ़, मुकुनगढ़, मण्डावा, फतेहपुर में प्रत्येक के लिए 15 लाख लैंड स्केपिंग कार्य के लिए। इसके साथ मुकुनगढ़, मंडावा, डूंडलोद, फतेहपुर में जन सुविधाओं के निर्माण हेतु प्रत्येक के लिए 11 लाख 50 हजार की राशि का प्रावधान है। शेखावाटी क्षेत्र में पर्यटकों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने हेतु सामंजस्य स्थापित करने हेतु रुपये 25 लाख सम्मिलित हैं।

अध्यक्ष महोदय, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से राज्य पर्यटन विभाग दीर्घकालीन पर्यटन विकास की दृष्टि से निम्न योजनाओं पर भी कार्यवाही कर रहा है। जयपुर में अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर की स्थापना हेतु भूमि चयन कर राशि रुपये एक करोड़ 80 लाख के प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिये हैं। इसी कन्वेंसन सेंटर के साथ अंतरराष्ट्रीय गोल्फ कोर्स की स्थापना भी प्रस्तावित है। जयपुर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए भी राज्य सरकार प्रयासरत है एवं इससे सम्बन्धित कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, सदन के कई माननीय सदस्यों ने राज्य में पर्यटन मंदिरों और उनसे सम्बन्धित स्थानों को पर्यटन स्थान के रूप में विकसित करने एवं इनमें आधारभूत सुविधाएं विकसित करने की आवश्यकताएं बतायी हैं। मैं इस सम्बन्ध में सभी माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहती हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने राज्य में इस दिशा में विकास के उद्देश्य से प्रमुख धार्मिक कस्बों को टैम्पल टाऊन के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। इसमें प्रथम चरण के रूप में इस वर्ष 2: धार्मिक स्थलों में धार्मिक

(श्रीमती उषा पूनिया)

कस्बा विकास समिति का गठन किया जायेगा। जो सम्बन्धित कस्बों में सर्वत्र विकास हेतु सुविधाएं जैसे आवास, पानी, शौचालय, पार्किंग आदि के विकास का कार्य करेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अवगत कराते हुए हर्ष है कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस प्रकार का यह पहला अभिनव प्रयास है। धार्मिक कस्बा विकास समिति के गठन के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिनियमों के अधीन आवश्यक अधिसूचनाएं जारी करवाने के प्रयासों की शुरूआत हो चुकी है।

उपरोक्त के अलावा राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रमुख तीर्थ स्थलों, तीर्थराज पुष्कर, दरगाह शरीफ और श्रीनाथद्वारा, श्री रणपुर, श्री महावीरजी, कैलादेवीजी, रामदेवरा, सिरियारी में पर्यटकीय विकास करने का निर्णय लिया जा चुका है जिसकी क्रियान्विति के प्रयास जारी हैं।

देव स्थान विभाग, पर्यटन विभाग, कला एवं संस्कृति विभाग के संयुक्त प्रयासों से ऐतिहासिक परम्परा से जुड़ाव हो और विकास हो इस हेतु दो पर्यटन सर्किटों मेवाड-वांगड सर्किट तथा दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली सर्किट तैयार किया जा चुका है।

पुष्कर के माननीय सदस्य से मैं निवेदन करना चाहती हूं कि पुष्कर एवं दरगाह शरीफ का मास्टर प्लान तैयार करवाया जा रहा है। जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा मास्टर प्लान का मसौदा राज्य सरकार को भेजा गया है, जिस पर एक मीटिंग आयोजित कर सम्बन्धित अथोरिटी से फाइनलाइज करवाया जा रहा है।

पुष्कर एवं अजमेर में वर्तमान में निम्न विकास कार्य कराएं हैं और कुछ प्रगति पर है। पुष्कर घाट का विकास, पुष्कर मेला ग्राउण्ड और स्टेडियम का विकास, अजमेर में विश्राम स्थली का निर्माण, तारागढ़ फोर्ट, अजमेर का विकास, अकबर का किला, अजमेर में जन सुविधाओं का निर्माण, पुष्कर रोड पर स्थित विश्राम स्थली का नवीनीकरण।

माननीय मुख्य मंत्रीजी के प्रेरणादायी नेतृत्व में राजस्थान में वर्ष भर का टयूरिज्म डेस्टीनेशन बनाने का पुरजोर प्रयत्न किया जा रहा है। परम्परागत मेलों और त्यौहारों को पर्यटन की दृष्टि से अधिक से अधिक

(श्रीमती उषा पूनिया)

लोकप्रिय बनाने एवं गौरवमयी विरासत की पुनः स्थापना करते हुए दशहरा समारोह को पर्यटन विभाग द्वारा पहली बार आयोजन किया गया। इस समारोह में पर्यटकों ने भारी उत्साह दिखाया। सामान्यतया मार्च के द्वितीय सप्ताह में राज्य में पर्यटन सीजन समाप्ति के कगार पर आ जाता है परन्तु राजस्थान दिवस के सफल आयोजन से पर्यटक सीजन को एक पखवाड़े से अधिक का बढ़ावा मिला है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, पूरा सदन आपके जवाब से संतुष्ट है। लेकिन आप आइन्दा इस बात का ध्यान रखें, आपका प्रगति प्रतिवेदन आज दोपहर ही माननीय सदस्यों को बंटा है। इसलिए वह पहले आना चाहिए, बाकी सब ठीक है। आप विराजो। माननीय शिक्षा मंत्रीजी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय मंत्रीजी, आपने जानकारी बहुत अच्छी दी है, मैं सिर्फ माउण्ट आबू में रोप वे स्थापना के बारे में पूछना चाहता हूं, उसके बारे में आप फरमा दें, बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष : वह आप अलग से बात कर लेना इनसे।

श्रीमती उ.ा पूनिया : मैं आपको पूरा बता दूंगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करती हूं कि पर्यटन विभाग की मांग संख्या 47 को कृपया पारित करवाएं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, बहुत अच्छा। माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) अब आपके पास सहूलियत है तो आप ही दे दो न, माननीय मंत्रीजी, 10 बज रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : हमारे शास्त्रों में लिखा है, वासुदेव के बिना घनश्याम नहीं आ सकते, पहले वासुदेव आते हैं।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, इनका भाषण तो सुनेंगे पर हमारे जो स्टेट मिनिस्टर हैं उनके पास कोई इण्डिपिर्डेंट चार्ज नहीं है इसलिए मेहरबानी करक चार्ज तो कोई दे नहीं रखा है और भाषण दिला रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी तो आप आवश्यकता मानेंगी...।

बधाई

बी.डी. कल्ला डा., नेता प्रतिपक्ष को प्रदेश कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष बनने पर बधाई

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, हम सुनते हैं, मैं नेता प्रतिपक्ष को बधाई देना चाह रही हूं हमारे सब मैम्बर्स की ओर से, हमारे मन से, दिल से बधाई देना चाहती हूं। क्योंकि अभी रीसेंटली हमने सुना है कि इनको कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में...

श्री अध्यक्ष : आप बधाई किस बात की दे रही हैं, आप हमारे प्रतिपक्ष के नेता नहीं रहेंगे।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : अभी तो हैं इसीलिए मैंने कहा कि जिस मौके पर वह प्रतिपक्ष के नेता भी हैं और साथ-साथ अध्यक्ष भी बने हैं, ऐसे मौके पर उनको बधाई देना जरूरी थी।

श्री अध्यक्ष : आसन की ओर से भी बधाई।

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता प्रतिपक्ष) : आपको भी धन्यवाद, आपने बधाई दी इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं।

मांग संख्या 24 एवं 47 पर विचार

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन माननीय स्टेट मिनिस्टर को कोई भी इण्डिपिडेंट चार्ज नहीं दे रखा है इसलिए हम चाहते हैं कि माननीय मंत्रीजी जो जिम्मेदार हैं उनको वक्तव्य देना चाहिए जिससे सदन अपनी बात प्रारम्भ कर सके।

श्री अध्यक्ष : इण्डिपिडेंट चार्ज है उनके पास, कौन कहता है नहीं है?

डा. सी.पी. जोशी : नहीं है, आप बताएं?

श्री अध्यक्ष : कला संस्कृति का है।

डा. सी.पी. जोशी : आप बताएं, मुझे जानकारी रहेगी, आप हमें बताएं कि कौनसा है, हमें बहुत खुशी होगी।

श्री अध्यक्ष : कला और संस्कृति का नहीं है क्या?

डा. सी.पी. जोशी : हमें खुशी होगी, सदन को यह मालूम हो..

श्री अध्यक्ष : आप पर्यटन मंत्री के लिए कह रहे हैं कि किसके लिए कह रहे हैं? (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : यह अध्यापन का मामला नहीं है। यह सरकार चल रही है। अंदर का मामला बाहर उजागर हो रहा है।

श्री जुबेर खान : फिर घनश्यामजी से दिलवा दो, आप मत दो।

श्री अध्यक्ष : कला और संस्कृति वाले के पास नहीं है।

डा. सी.पी. जोशी : देवनानी साहब बोल रहे हैं इसलिए कह रहे हैं, मैडम को तो सुन लिया, आप क्यों बोल रही हैं?

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, राज्य मंत्री तो रोज ग्रुप बनाकर मुख्य मंत्रीजी के पास संघर्ष करते रहते हैं कि हमको कोई अधिकार दिलाओ।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, हम तो यह मांग कर रहे हैं, इनकी पैरवी कर रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह मंत्रिमण्डल की संयुक्त जिम्मेदारी है, मंत्रिमण्डल के सदस्य के नाते वह कोई भी वक्तव्य दे सकते हैं।

श्री जुबेर खान : तो फिर पर्यटन मंत्रीजी से ही जवाब दिलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष : वह जवाब देने में सक्षम हैं।

श्री जुबेर खान : फिर दोनों को कौन सुनेगा?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा) : माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री वासुदेव देवनानी)

मांग संख्या 24 के कटौती प्रस्तावों के अंतर्गत कुछ माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिए हैं।..(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, हमें तो प्रसन्नता होगी, माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां विराजमान हैं वह सदन में घोषणा कर दें कि देवनानीजी जो स्टेट मिनिस्टर हैं उनको यह इण्डिपिडेंट चार्ज भी है, फिर भी भाषण दें तो हमें खुशी होगी। हम तो उनकी पैरवी कर रहे हैं। जितना जितने भी स्टेट मिनिस्टर हैं उनको कोई इण्डिपिडेंट चार्ज नहीं है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि सदन की गरिमा बनी रहे। हमने जो कटमोशन दिए हैं उनका जवाब मंत्रीजी को देने चाहिंए, यह व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : कैबिनेट की जोइन्ट रेस्पोंसिबिलिटी होती है। कैबिनेट का चाहे राज्य मंत्री हो या कैबिनेट मंत्री हो, कोई भी जवाब दे सकता है।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, एक से ही जवाब दिलवाएं, दोनों कैसे दे सकते हैं?

श्री अध्यक्ष : उन्होंने स्वीकृति ले रखी है, संस्कृत शिक्षा दे रखा है उनको।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, आप खुद मंत्री रहे हैं, कौंसिल आफ मिनिस्टर में, जब तक स्टेट मिनिस्टर के पास इण्डिपिडेंट चार्ज नहीं है तब तक वह कैबिनेट की मीटिंगों में नहीं जाता है।

श्री अध्यक्ष : मंत्रिमण्डल की बैठक में जाना और बात है और यहां जवाब देना और बात है।

डा. सी.पी. जोशी : जब वह कैबिनेट मिनिस्टर की हैसियत से मीटिंग में नहीं जाएगा तो वह कटमोशन पर क्या जवाब देगा? उसकी रेस्पोंसिबिलिटी क्या है?

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या ये प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते? मंत्री महोदय रोज प्रश्नों का जवाब देते हैं।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, हम बजट पास कर रहे हैं, प्रश्न के जवाब का सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : हमारे नियमों में प्रावधान है कि संसदीय सचिव प्रश्नों का जवाब दे सकता है। वह आपके कटमोशन का जवाब दे सकता है और वक्तव्य भी दे सकता है।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था में एक परिवर्तन है। हम मांग पास कर रहे हैं बजट के सम्बन्ध में जिसका सीधा सम्बन्ध बजट के अलोकेशन से है, उस पर आप जवाब दें। प्रश्न उत्तर देने का है, विभाग की पालिसी कैबिनेट में डिसाइड होती है, स्टेट मिनिस्टर उसमें इन्वाइटेड नहीं होता तो वह यहां पर क्या जवाब देगा? आप भी इतने पुराने सदस्य रहे हैं। आप सदन की गरिमा बनाए रखने की बात करते हैं, इस पर आपको व्यवस्था देनी चाहिए। जब हम मांग पास कर रहे हैं उसमें सरकार को क्या करना चाहिए, उससे सदन को अवगत कराते हैं। जब स्टेट मिनिस्टर कैबिनेट की मीटिंग में इन्वाइटेड ही नहीं है तो वह पालिसी डिसीजन के सम्बन्ध मे क्या जवाब देगा? यह प्रश्न का जवाब नहीं है, प्रश्न का जवाब तो पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर भी दे सकता है। लेकिन मांग के अंदर विभाग की साल भर की रीति नीति के सम्बन्ध में भाषण सदन में देने की स्थिति बनती है।

(22.00 बजे)

श्री अध्यक्ष : पिछली बार जवाब दिया था उन्होंने। पिछली बार भी बोले थे।

डा. सी.पी. जोशी : कौन बोले?

श्री अध्यक्ष : देवनानी।

डा. सी.पी. जोशी : कहां बोले?

श्री अध्यक्ष : देवनानी पिछली बार भी बोले थे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पिछली बार भी बोले थे और इस किताब में कहां लिखा है कि नहीं बोल सकते।

डा. सी.पी. जोशी : पिछली बार जो गलती की वो हर बार गलती कर रहे हो। आप कह दीजिए, आप यह कह दीजिए कि हमने गलती की।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कहां पाबंदी है?

डा. सी.पी. जोशी : माननीय महावीरजी जैन साहब, गलत परम्परा नहीं डालें, आप मेहरबानी करके विराजें। केबिनेट के अंदर इण्डपेंडेट जिस मिनिस्टर के पास पोर्टफोलियो नहीं है वह केबिनट की मीटिंग में नहीं जाता है। और मांग संख्या का सीधा मतलब है कि पालिसी के बारे में हम सब बात करना चाहते हैं। (व्यवधान) अध्यक्ष .महोदय, आप क्या परम्परा डालना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्री।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों के प्रति बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करूंगा कि आपने जो सुझाव दिये हैं, कटमोशन दिये हैं और जिस सहृदयता के साथ बहस की है। और साथ-साथ इस बात का भी धन्यवाद दूंगा आज जितने भी सुझाव आये हैं और जितने कटमोशन आये हैं आलोचनात्मक एक भी नहीं है। हमारे उदीयमान पार्लियामेंटेरियन संयम लोढ़ाजी ने भी जो बात कही है वह कटाक्ष की नहीं है इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा।

श्री अध्यक्ष : आपके प्रशस्ति गान के लिए भी तो धन्यवाद दीजिए आपका प्रशस्ति गान भी तो बहुत हुआ है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं उसका भी दे रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, आप थोड़ा धैर्य रखेंगे तो मैं उसका भी दे दूंगा। अध्यक्ष महोदय, आज सदन में मेरे प्रति जो भावनाएं प्रकट की गई हैं उसके लायक मैं नहीं हूं। ये भावनाएं मेरे प्रति नहीं है, ईमानदारी से ये हमारे मुख्य मंत्रीजी के प्रति हैं क्योंकि मूल रूप से.....

डा. सी.पी. जोशी : आप सत्य बोल रहे हो उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मूल रूप से अध्यक्ष महोदय, आपको यह तो पता है आपको इस कहावत का भी पता है कि घी सुधारे खिचड़ी और नाम बहू का होय। खिचड़ी का स्वाद तो उससे बनता है। 4' अरब रुपये पिछली बार दिये और 47 अरब रुपये इस बार दिये। यह जो काम हो रहा है इसके कारण से नाम हो रहा है। तो देने वाले तो मुख्य मंत्रीजी हैं। तो सारे सदन की भावनाएं जो आज आई हैं मैं उनको ही समर्पित कर रहा हूं कि वे उनके प्रति हैं। और इसलिए मैं उनको मेरी तरफ से बधाई और धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप यह कह दो "देवनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन।" आप यह कहो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, दो-तीन बातें प्रमुख रूप से माननीय सदस्यों ने उठायी हैं। मैं एक बात साफ करना चाहता हूं, जुबेर खान जी ने कहा, उन्होंने कहा, मैं बिलकुल साफ हूं, जो कह रहा हूं वही करूंगा, आप वहम न करें। मैंने पहले नारा दिया था, आज भी दे रहा हूं शिक्षा में राजनीति नहीं, राजनीति में शिक्षा की आवश्यकता है इस सिद्धान्त पर ही हैं और इस सिद्धान्त पर ही चलेंगे। पिछली बार भी मैंने यह किया था, हो सकता है दो-चार माननीय सदस्यों के साथ मुझसे गलती हो गई हो, त्रुटि रह गई हो, उनसे गलती हो गई हो। क्योंकि प्राइमरी, अपर प्राइमरी सबके खुली हैं, सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी में कमी रह गई हो इस बार मैं मुख्य मंत्रीजी से भी आग्रह करूंगा, मैं भी कोशिश करूंगा कि सदन के सभी माननीय सदस्यों के हिस्से में जितनी स्कूलें आती हैं उनको मिले किसी प्रकार से इसमें राजनीति की आवश्यकता नहीं है। बिलकुल नहीं है, न करेंगे, इसके प्रति आप निश्चित रहें।

अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा प्रश्न राजस्थान में जब हम बने थे तो नियुक्तियों का था। आज भी जो कटमोशन आए हैं उन कटमोशन में सबसे ज्यादा मांग की है कि रिक्त स्थान भरे जाएं, रिक्त स्थान भरे जाएं। माननीय सदस्य भी जब कहीं गांव में जाते हैं चाहे पक्ष के हैं चाहे प्रतिपक्ष के हैं उनके

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

गांव के लोग आकर कहते हैं उनको उस समय मालूम नहीं रहता कि यह कौन सी पार्टी के आदमी हैं, वे समझते हैं कि एम.एल.ए. हैं और एम.एल.ए. की जिम्मेदारी है कि हमारे यहां पर मास्टर होना चाहिए, हमारी स्कूल में यह काम होना चाहिए। इसलिए इसमें किसी प्रकार की सरकार की बिलकुल मंशा नहीं है कि भेदभाव किया जाए।

अभी रामकिशोरजी मीणा ने कहा था कि कल नवरात्रा स्थापना है, दुर्गा की पूजा होनी चाहिए, हमने दुर्गा पूजा की व्यवस्था की है, आज हमने 3733 विधवाओं को नियुक्ति देने का विज्ञापन जारी कर दिया है और कल से इस कार्यवाही को प्रारंभ कर देंगे। यह हमने शुरू किया है।

अध्यक्ष महोदय, भर्ती का कुल विवरण मैं आपको दूंगा तो आप नहीं, यह सदन नहीं, सब लोग इस बात से आश्चर्यचकित होंगे और मुख्य मंत्रीजी धन्यवाद देंगे कि कुल नियुक्ति कितनी हुई हैं। मैं बिलकुल स्पष्ट कर रहा हूं तृतीय श्रेणी के कुल 37709 पद पर नियुक्ति देने हेतु विभाग ने अनुमति दी और राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेजी। इसमें से 8-10 प्रतिशत अर्थात 3733 विधवाओं एवं परित्यक्ताओं के लिए आज जारी कर दिया गया है। इस प्रकार 37709 तो ये नियुक्तियां हैं। अध्यक्ष महोदय, इन 33936 पदों में एस.सी. के 866 एवं एस.टी. के 5391 कुल 6257 पदों का बैकलाग पूरा किया गया है। यह बैकलाग अलग से भरा गया है। बैकलाग को अलग निकालकर भरा गया है और वह इसी लिए भरा गया है, मैं इसको भी स्पष्ट कर दूं, मैं करना नहीं चाहता था। और मेरे से शायद अन्य वर्गों के लोग नाराज भी हों, भारत सरकार का एक सर्कुलर आया जिसमें उन्होंने कहा कि बैकलाग भरें, लेकिन 50 परसेंट से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने जान-बूझकर इस पूरे बैकलाग को भरने के लिए इन पदों को अलग किया। अलग करके यह बैकलाग पूरा किया और अन्य वर्गों के लोग भी नाराज न हो इसलिए 9 हजार अतिरिक्त पद माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्वीकृत किये और स्वीकृत करके आर.पी.एस.सी. को भेजा। इसलिए सभी वर्गों के लोगों को संतुष्ट करने के लिए और वो भी जिल वाइज अलग-अलग यह प्रश्न और उठा था कि नियुक्ति में मैरिट से आ रहे हैं तो एस.सी. एस.टी. और ओ.बी.सी के लोग रह जाएंगे। हमने जिलावाइज अलग-अलग शिडयूल्ड कास्ट की इस जिले में इतनी वेकेंसी हैं,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

शिडयूल्ड ट्राइब्स की इतनी हैं, ओ.बी.सी की इतनी हैं, महिलाओं की इतनी है और जनरल की इतनी हैं। तो चाहे मेरिट की शुरूआत ऊपर से हुई हो, लेकिन उस जिले में उतने ही शिडयूल्ड कास्ट के आएंगे, उतने ही शिडयूल्ड ट्राइब के आएंगे, उतने ही ओ.बी.सी. के आएंगे, उतनी ही महिलाएं आएंगी। और इस प्रकार अभी जो आज सूचनाएं मिली हैं अब तक 21 हजार के करीब नियुक्तियां हो चुकी हैं। बाकी नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है और उसको हम पूरा करने के काम में लगे हुए हैं।

ट्राइबल सब प्लान एरिया में, टी.एस.पी. के अन्तर्गत सरकार के आरक्षण नियमानुसार, अध्यक्ष महोदय, एक थोड़ा सा फर्क पड़ता है। माननीय सदस्य जब कहते हैं कि इतनी भर्ती में 16 परसेंट के हिसाब से आप शिडयूल्ड कास्ट के लोग निकालिए, उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ता है नागर साहब, कि जो हमारा ट्राइबल सब प्लान है उसमें 45 परसेंट आरक्षण है वहां के शिडयूल ट्राइब के लोगों का। वहां शिडयूल्ड कास्ट के लोगों का 5 परसेंट ही आरक्षण है। इसलिए सारे राजस्थान में 16 परसेंट नहीं होता। वहां 5 परसेंट होता है बाकी राजस्थान में 16 परसेंट होता है। इसलिए टोटल में 16 परसेंट नहीं हो सकता। यही जो माननीय सदस्य घूमते हैं, आपके पास जो लड़के आते हैं वो इसी कारण से आते हैं, इसको मैं पूरा स्पष्ट कर रहा हूं और वह लिखित में भी यहां पर रखूंगा। उसमें भी उनको 2336 पदों को आरक्षित करके, उनका भी रिजल्ट निकाल रहे हैं और इस प्रकार से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही के जो ट्राइबल लोग हैं उनको भी 2336 लोगों को नियुक्ति देने की व्यवस्था प्रारम्भ कर दी गई है, काम हो गया है। शेष रहे पदों में एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. महिलाओं, नि:शक्तजनों एवं भूतपूर्व सैनिकों को भी नियमानुसार आरक्षण दे दिया गया है। उसमें भी किसी प्रकार की कटौती नहीं की गई है।

अध्यक्ष महोदय, लगभग 1 लाख 52 हजार अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया था और माननीय सदस्यों- माननीय विपक्ष के नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष श्री बी.डी. कल्ला साहब ने पिछली बार आशंका व्यक्त की थी कि आपने सारे हिन्दुस्तान के लिए खोल दिया है इसमें बाहर के लोग भी आएंगे। लेकिन संविधान की व्यवस्थाएं हैं, बाहर के लोग आएं। लेकिन कुल 3500-4000 के लगभग फार्म राजस्थान से बाहर के लोगों से भरे गये थे। अब उनमें से कितने का सलेक्शन हुआ होगा उसको आप देखेंगे, इसलिए वह समस्या

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हमारे सामने नहीं रही है। अधिकांश लोग राजस्थान के हैं। इस प्रकार बाकी नियुक्ति की प्रक्रिया भी जारी है और मैं सदन को यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसके अलावा भी 659 मृतक आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति दी गई है। आज शिक्षा विभाग में एक भी मृतक आश्रित की नियुक्ति का प्रार्थना-पत्र विचाराधीन नहीं है, पूरा कर दिया गया, कोई बाकी नहीं है। 525 प्रधानाध्यापकों को नियुक्ति दी गई चयन करके आर.पी.एस.सी. के माध्यम से। 185 व्याख्याताओं की नियुक्ति कर दी गई। 284 तृतीय श्रेणी के शारीरिक शिक्षकों की भी नियुक्ति की गई। जुबेर खानजी, आपने शारीरिक शिक्षकों के बारे में कहा, उनकी भी 285 की नियुक्ति की गई है। 640 तृतीय श्रेणी, 117 द्वितीय श्रेणी (व्यवधान) बृजकिशोरजी चले गये उन्होंने संस्कृत शिक्षा की बात उठायी थी, तृतीय श्रेणी, 2 प्राचार्य तथा 7 अन्य, कुल 806 संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति भी कर दी गई है। उसमें भी किसी प्रकार से हमने कमी नहीं रखी। इसी प्रकार 948 लोक जुम्बिश के कार्मिक थे उनको भी सर्व शिक्षा अभियान में नियुक्त कर दिया गया है उनका काम भी किया गया। इसी प्रकार शिक्षाकर्मी बोर्ड द्वारा 5 साल से गुलाबजी कटारिया जब शिक्षा मंत्री थे तब आपने शिक्षा कर्मी को वरिष्ठ शिक्षाकर्मी बनाने का 8 वर्ष का प्रावधान किया था। पिछल 6 वर्ष से उसका पालन नहीं हुआ। इसके बाद हमने पालन कराया। उन सभी शिक्षाकर्मियों को वरिष्ठ वेतन श्रृंखला देकर तृतीय श्रेणी के बराबर वेतनमान देकर 4600 शिक्षा कर्मियों को पदोन्नत करके तृतीय श्रेणी शिक्षक के समान उनको स्थापित कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, एक और मैं सूचना देना चाहता हूं। आज ही माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने स्वीकृति दी है, हमारे यहां पर शिक्षाकर्मियों के जो विद्यालय चल रहे थे उनमें 16 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। सात सौ विद्यालयों में भवन हम बना देंगे, अब ये भवन के बिना विद्यालय थे। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। एक और धन्यवाद माननीय मुख्य मंत्रीजी को, अध्यक्ष महोदय, मैं दूंगा, आपके पास भी लड़के आए थे, अन्य लड़के भी आए थे। और आज मुख्य मंत्रीजी को चिंता थी। उन्होंने दिल्ली से बात करके इस बात की स्वीकृति दी। सैकण्ड ग्रेड के 1904 पद, 2-3 साल से हमने विज्ञापन दे दिया था, इंटरव्यू काल कर लिए थे डाइरेक्ट मेरिट के आधार पर। हाईकोर्ट में स्टे हो गया था, सिंगल बैंच में स्टे

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

वेकेट कराया, डबल बैंच में गये। वहां पर स्टे वेकेट कराया। उसके बाद में वित्त विभाग ने थोड़ा बहुत अड़ंगा लगा कि चार सौ लोगों को देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, 1904 लोग थे, हमने मुख्य मंत्रीजी को विशेष रूप से प्रार्थना की उन्होंने कहा सारा का सारा शिक्षा विभाग में ही ले जाओगे क्या? मैंने कहा, साहब आप देंगे तो ठीक है ले ही जाएंगे। फिर आज साहब, उन्होंने दिल्ली से फोन करके कहा कि मैंने मुख्य सचिव महोदय को कह दिया है, फाइनेंस सचिव को भी कह दिया है, वह मिलकर आज आपको देंगे। और आज उन्होंने 1904 पदों की और स्वीकृति दे दी है। 10 दिन में सैकण्ड ग्रेड के 1904 और लोगों की नियुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार यह नियुक्तियां भी होंगी।

और अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 7200 इस साल के बजट में भरने के लिए कहा उसकी प्रक्रिया हम मई में ही प्रारम्भ कर रहे हैं। और कोशिश करेंगे स्कूलों के अन्दर शिक्षा सत्र के 1, 2, 3 महीने के अन्दर इनकी भर्ती करेंगे। और 1388 सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी दो बार में और इस बार क्रमोन्नत किए हैं। उनसे अध्यापक, यह सारे मिलाकर 8 दिसम्बर जब से सरकार बनी उसकी 15 महीने में कुल नियुक्ति राजस्थान में 54,248 जो अपने आप में एक ऐतिहासिक है और रिकार्ड है, अध्यक्ष महोदय। 54,248, और मैं प्रार्थना करूंगा, यह किसी दलगत भावना के लिए नहीं है। हमने इसको सारा इस प्रकार सिस्टम से किया है। और, अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी हुई क्योंकि 586 याचिकाएं थी, 586 याचिकाओं को खतम करने के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने दो वाक्य कहे हैं। तो हमारे वकील सामने खड़े थे, माननीय न्यायाधीश सबरवाल और दो अन्य थे उन्होंने कहा– This is the way it should be.

यही रास्ता है और इसी प्रकार से किया जाना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि नियुक्तियों के मामले में राजस्थान की सरकार ने एक रिकार्ड बनाया है पारदर्शिता के साथ। सुन्दरलालजी कह रहे थे कि इस बार होली पर वहां सांग रचाये गये, गाने गायें गये कि मास्टर लगा दो। एक आदमी रुपया लेकर खड़ा था दूसरा बोला वसुंधराजी का राज है, मेरिट लाओ, रुपये से काम नहीं होगा। तो बिना किसी पारदर्शी तरीके से इतने लोगों की नियुक्ति हुई। और मैं एक बात और आज सदन के माध्यम से कहना चाहता हू। यही नहीं, एक शिक्षा मंत्री को इतना भी अधिकार आज नहीं है एक भी आदमी को पर्टिकुलर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

स्थान पर नियुक्त करने का, 21 हजार में अब तक मैंने फोन नहीं किया किसी का एक स्थान बना दिया कि 32 जिलों में प्रिफरेंस भेज दी थी। प्रिफेरेंस जिलों में भर गई। और जिले में भी मेरिट से नम्बर लगा हुआ है कि किस मेरिट का आदमी कि वैकेंसी पर जाएगा। तो सब में जो नियुक्त होने वाले हैं उनको बधाई के साथ-साथ यह भी कह रहा हूं कि एक बार वह जहां भी नियुक्ति का प्रार्थना आदेश मिलता है वह ज्वाइन कर ले। अगर किसी नियम विरूद्ध कुछ गलती हो तो पूरी नियुक्ति के बाद ठीक करेंगे और जिस अधिकारी ने गलती की है उसको दंडित करेंगे।

मेरे पास माननीय संयम लोढ़ा ने उदयपुर के उसके लिए कहा है। माननीय संयम लोढ़ाजी, डिप्टी डाइरेक्टर ने और उन लोगों ने रिपोर्ट की। उन्होंने नियम विरूद्ध नियुक्ति की थी इसलिए उनको निलम्बित किया गया है। और कोई भी अधिकारी अगर नियम विरूद्ध नियुक्ति करेंगे तो उनको भी निलम्बित किया जाएगा। और इस प्रकार मैं कहना चाहता हूं, एक पूर्ण ट्रांसपेरेंट तरीके से इतना बड़ा इतिहास राजस्थान की सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बनाया है। यह बड़ाई की बात नहीं है, यह आवश्यकता है। आवश्यकता इस बात के लिए है, आज हमारा बच्चा क्या करता है, बहुत आज बात हुई हैं। मैं शुरू से ही कहता था कि अंग्रेजी पहली से जब से लागू थी, वह भी मैंने टेलीफोन से ही माननीय मुख्य मंत्री से ही पूछा था। मेरी इच्छा थी, मैंने कहा साहब, यह अंग्रेजी कब से लागू करें? उन्होंने कहा पहली से ही चालू करो। पहली कक्षा से लागू कर दी। अब लोग समझे भाई, मुख्य मंत्रीजी अंग्रेजी ज्यादा अच्छी बोलती हैं, अब मैं थोड़ा कम बोलता हूं, उज्जड़पन की बोलता हूं। अब यह तो बोलती हैं, नाथूसिंहजी बोलते हैं बढ़िया। एकदम ठू। और मैंने कहा टू, तो यह टू और ठू वाली अंग्रेजी है। तो उन्होंने कहा अंग्रेजी पहली से ही चालू करो। पहली से ही चालू की। इसके बाद पांच अन्य राज्य सरकारों ने ही पहली से ही चालू कर दी। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अंग्रेजी का भक्त हूं। हम तो अंग्रेजी हटाओ आन्दोलन के प्रोडक्ट हैं। लेकिन आवश्यकता क्या है आज इस बात की? मैं गांवों में भी गया। गांव में पूछा आपने अंग्रेजी लागू कर दी, मैंने कहा कर दी। तो उन्होंने बोला क्यों की? तो मैंने गांव की भाषा में समझाया, मैंने कहा भाई, मैं तो फिल्म देखता नहीं हूं लेकिन एक फिल्म बनी थी बहुत बरस पहले उसमें, अध्यक्ष महोदय, धर्मेन्द्रजी जो अब माननीय

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

एम.पी. हैं बीकानेर, से और हेममालिनी थी वह भी माननीय एम.पी. हैं, वह दोनों सांसद हैं। उस समय अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। हेमामालिनीजी को फिल्म में ए.बी.सी.डी., थोड़ी देर तो पढ़ी हेमामालिनीजी ने। फिर कहा ए.बी.सी.डी. छोड़ो और नैना से नैना जोड़ो। तो उनकी तो जुड गई लेकिन मैंने बच्चों कहा कि अब हमने जो ए.बी.सी.डी. छोड दी तो लाला, नौकरी नहीं मिलेगी। कुंवारे ही रह जाओगे। इसलिए ए.बी.सी.डी. पढ़ो और व्यापार का काम करो। इसलिए अंग्रेजी को हमने पढ़ाना शुरू किया कि बाहर जाना पड़े और करना पड़े, इस काम के लिए वह सारा काम करे। इसलिए हमने अंग्रेजी पढ़ाई और अंग्रेजी की किताब भी मुफ्त में दे दी। वह चला भी गया, वह काम भी शुरू हुआ है। और इससे मुझे विश्वास है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग जब पढ़कर आएंगे, पढ़ेंगे तो वह भी सब के बराबर आ पाएंगे और प्रतिस्पर्द्धा के रूप में भाग लेंगे, वह भी सरकार ने काम किया।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा काम जो हम करना चाहते हैं, सरकारी स्कूलों में सी.बी.एस.ई. के कैलेंडर के अनुरूप शैक्षणिक सत्र हम चालू करना चाहते हैं। इस बार सैकण्डरी एजुकेशन में बहुत बड़ा काम किया है। राजस्थान में, सूचना देते हुए मुझे हर्ष है कि एक सत्र के अन्दर परीक्षा कराने वाला हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा बोर्ड, बोर्ड आफ सैकण्डरी एजुकेश्न राजस्थान बन गया है। तो उन्होंने 11 लाख 60 हजार लोगों की परीक्षा मार्च के महीने में ही कम्पलीट कर ली है। और अब रिजल्ट भी इस अप्रैल के अंत तक या मई के पहले सी.बी.एस.सी. के एक दो दिन पहले निकाल देंगे ताकि हमारे विद्यार्थियों को और विद्यार्थियों के सामने जाने में कोई कठिनाई नहीं आए। लेकिन इसके साथ ही हम एक काम और करना चाहते हैं अब जो पढ़ाई है अंग्रेजी में लागू कर दी। और कर दिया, पढ़ाई का, वह यह है कि हमारी पढ़ाई जुलाई में शुरू होती थी और बाकी जो प्राइवेट स्कूलें हैं, और सी.बी.एस.सी. एफिलिएटेड हैं वह छुट्टियों के पहले कर देते हैं। इस कारण से सरकारी स्कूलों में बच्चों की कमी भी रहती है और एक जुड़ नहीं पाता है। इसलिए हमने सोचा यह है कि इस साल से यानी कल से हम जो नया सत्र शुरू करेंगे वह वर्ष प्रतिप्रदा से शुरू करेंगे। इस नवरात्रि स्थापना से और पहली, दूसरी के विद्यार्थियों के प्रवेश का कार्यक्रम राजस्थान में कल से ही प्रारंभ हो जाएगा। तो वर्ष प्रतिप्रदा से शुरू कर रहे हैं। वर्ष प्रतिप्रदा इसलिए शुरू कर रहे हैं, कल्ला साहब, आप तो जानते

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हैं ऋतु नाम कुसुमाकरे, भगवान कृष्ण ने कहा ही है कि ऋतुओं की बसंत ऋतु है। और बसंत ऋतु सरस्वती देवी का स्थान है ही। और नवरात्रा स्थापना है ही। और देवी की पूजा है ही, शुरू कर रहे हैं और फिर अगली साल जो कैलेंडर हम, जो शिक्षा का बना रहे हैं। उनमें नवी, दसवीं की जो परीक्षाएं बाकी आठवीं की हैं, वह सारी परीक्षा और रिजल्ट भी इस प्रकार से आ जाएगा और इसके साथ-साथ हमारा यह शिक्षा का सत्र प्रारम्भ हो जाएगा। एक हम यह नई घोषणा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सी.बी.एस.सी. की भांति शैक्षणिक अवकाश होगा, उसी प्रकार छुट्टियां होंगी, उसी प्रकार से कोर्स होगा, उसी प्रकार की पढ़ाई होगी ताकि हमारे बच्चों को किसी प्रकार की समस्या नहीं रहे।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी मैं आपसे बात कहना चाहता हूं कि राजस्थान में हमने घोषणा की थी हम लक्ष्य के करीब पहुंच गये हैं। हमने घोषणा की थी कि एक किलोमीटर पर एक स्कूल होगा। हमने खोले और आज पुनः कह रहा हूं, इसमें एक हजार हमने कहा है कि एक हजार से ज्यादा भी अगर होंगे, माननीय सदस्यजी भी लिखकर देंगे, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि पिछली बार तो लेट हो गये थे आचार संहिता के कारण से इस बार हम शिक्षा सत्र से पहले ही खोलना चाहते हैं। पहले लेकिन लिख कर दे दें। एक किलोमीटर के एरिया में जहां भी स्कूल की आवश्यकता होगी, प्राथमिक स्कूल खोलेंगे। दो पर एक उच्च प्राथमिक खोलेंगे। और इस बार राजस्थान में, अध्यक्ष महोदय, 16 हजार हमने जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। 31 हजार हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं। इसलिए दो का लक्ष्य पूरा हो गया है। आगे भी इसको पूरा करेंगे।

इसी प्रकार एक और काम हम कर रहे हैं कि इस बार के शिक्षा सत्र के बाद में इसमें जो विद्यालय हैं उनमें करीब-करीब में हमने बना दिये हैं। लेकिन अब मैं आज यह घोषणा करना चाहता हूं कि राजस्थान के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय जितने भी हैं इस सत्र के बाद एक भी विद्यालय भवन के बिना नहीं रहेगा। उन सब में भवन हम बना देंगे। एक भी विद्यालय बिना पानी की व्यवस्था के नहीं रहेगा। अध्यक्ष महोदय, आठ हजार ऐसे विद्यालय हैं जहां पर शौचालय नहीं हैं। हमने बजट का विशेष प्रावधान किया है, 10 करोड़ रुपये माननीय मुख्य मंत्रीजी से अतिरिक्त लिया है क्योंकि बालिकाओं की शिक्षा के लिए स्कूल में उनके बाथरूम की आवश्यकता है। राजस्थान में कोई

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय इस शिक्षा सत्र के बाद में बिना बाथरूम के भी नहीं रहेगा यह भी मैं साफ-साफ कहना चाहता हूं। और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस काम को भी हम पूरा कर देंगे।

नवनियुक्त जो शिक्षक हैं उनके लिए भी हमने तीन व्यवस्थाएं की हैं। उनकी पेंशन अदायगी, उनकी चिकित्सा और बैंकों से आवास ऋण की सुविधा, यह हमने उनके लिए कर दी है और इस प्रकार से उनको अब न चिकित्सा के लिए, न उनको मकान के ऋण के लिए, न पेंशन स्वीकृत कराने के लिए सरकार के या दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, यह विशेष व्यवस्था हमने की है।

इसी प्रकार से इस बार का जो सर्व शिक्षा अभियान का हमारा बजट है, अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए खुशी है कि मुख्य मंत्रीजी ने फिर उदारता का परिचय दिया। और 25 प्रतिशत जो हमारा अंशदान है, संयम लोढ़ा साहब, मैं आपसे आग्रह करूंगा, आपने जो वाक्य बातें कही हैं वो बिलकुल ठीक है, मैंने स्वीकार कर ली। लेकिन सही बात यह है कि पिछली बार हमको एक भी पैसा जो मिला उसको खर्च किये बिना नहीं रहे। सर्व शिक्षा अभियान में हमको भारत सरकार से 230 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई, 230 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई। राजस्थान सरकार ने हमको 160 करोड़ रुपये दिये और वो हमने जारी कर दी। 200 क़रोड़ रुपये भारत सरकार में हमारे बकाया हैं। चार बार मैंने पत्र लिखा, व्यक्तिगत रूप से जाकर मैं अर्जुन सिंहजी से मिलकर आया, उन्होंने अपनी बाध्यता प्रकट की कि नहीं दे सकता, अप्रैल में दूंगा। इसलिए वो कमी रही। और मुख्यमंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि आज तक राजस्थान में इसलिए पैसा दिल्ली का नहीं मिलता था कि मैचिंग शेयर राजस्थान सरकार को कम मिलता था। इस बार पहली बार है कि राजस्थान सरकार का 30 करोड़ रुपया मैचिंग शेयर का ज्यादा मिला। एडवांस मिला और भारत सरकार का नहीं मिला। यह मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इसलिए पैसा इस बार मिला और पिछली बार मिला। हां, स्पिल ओवर हुआ है 8[illegible] करोड़ रुपया, यह बिलकुल सही है। यह आपने कहा है और उसका कारण भी यह है कि...(व्यवधान) एक मिनट मैं कहूंगा। मैंने आपको बहुत सुना है इसलिए अब मेरी भी 10-5 मिनट आपको सुननी पड़ेगी। मैं कहूंगा कि एक आदमी सुबह

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उठते ही अपने लड़के को मारने लगा कि बहुत बदमाशी कर रहा है। उसने कहा कि क्या हुआ तो बोला देख, यह तेरी मार्क लिस्ट पड़ी है। इसमें हिन्दी में 5, अंग्रेजी में 10, है। तो उसने कहा कि मेरी तो परीक्षा ही नहीं हुई। तो वह बोला नहीं, तेरी परीक्षा है। इतने में उसकी पत्नी आई और बोली कि इसको क्यों मार रहे हो? तो बोला कि यह सारे में फेल हो गया है। तो वह बोली कि चश्मा लगाओ, वह चश्मा लगाता था। चश्मा लगाते ही उसकी आंख खुल गई कि यह तो मेरी मार्कलिस्ट है और उसको मारने लग गया। तो वह 2003 में आपने स्कूल नहीं खोली वो कंस्ट्रक्शन का पैसा बचा वह स्पिल ओवर हुआ है तो उसके लिए हमको क्यों मार रहे हो, चश्मा लगाकर देखो बन्धु। इसलिए उसको इसी प्रकार से चलाएं।

इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह कर रहा था कि एक हजार करोड़ रुपये का इस बार हमारा सर्व शिक्षा अभियान का बजट है, यह कम बजट नहीं है। राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में निर्माण कार्यों पर, इन कामों पर एक हजार करोड़ रुपया, यह विभाग केवल पढ़ने वाला विभाग नहीं है। इस विभाग के अन्तर्गत इस बार जितने काम हुए हैं, विधान सभा क्षेत्र में स्कूलों में प्राइमरी स्कूल जो आपने अपग्रेडेड की राजीव गांधी पाठशाला, उनके लिए दो लाख रूपये दिये। प्राइमरी स्कूल खोले उसके लिए तीन लाख रुपये दिये, अपर प्राइमरी के लिए सवा चार लाख रुपये दिये। और राजस्थान के सब विधान सभा क्षेत्रों में काम चल रहे हैं। यह रोजगार देने वाला विभाग भी बना है। 800 करोड़ रुपया खर्च किया है और इस साल हम एक हजार करोड़ रुपया खर्च करेंगे और राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र की सेवाओं को दुरूस्त करने का काम करेंगे, यह भी अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं। इससे परिसम्पत्तियो खड़ी होंगी और भी काम होगा। इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी...

डा. सी.पी. जोशी : यह भी एड कर देना, यह बाकी क्यों रखें, यह भी एड कर दें कि यह पैसा जो हम कह रहे हैं कि एक हजार करोड़ रुपया खर्च करेंगे यह पैसा सर्व शिक्षा अभियान का है। यह आप साथ में क्यों नहीं बोल रहे हैं?

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह हमारा अधिकार है।

डा. सी.पी. जोशी : आपका काहे का अधिकार है? एक शब्द अपन बोलें नहीं, यह अधिकार है अपना। एक शब्द तो बोले नहीं और अधिकार है अपना।

श्री संयम लोढ़ा : शिक्षा मंत्रीजी, आप यह भी बता देना कि सर्व शिक्षा अभियान में स्टेट शेयर का कितना पैसा आपने मार्च में जारी किया है। साल के लास्ट महीने में और उसको अब आप गिना रहे हो।

डा. सी.पी. जोशी : मंत्रीजी, मैं माफी चाहता हूं आपसे, डेढ़ साल आपका हो गया है, स्पिल ओवर की बात कर रहे हैं, 2004 और 2005 तो अपना था उसके स्पिल ओवर का क्या है यह जो चश्मा लगाकर के बता रहे हो 2003-04 का तो 2004 और 2005 का स्पिल ओवर है उसकी जिम्मेदारी किसकी है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह मैं बता रहा हूं।

डा. सी.पी. जोशी : उसको भी यहां पर बतायें। नम्बर दो, मुख्य मंत्री जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, ये जो आंकड़े दिये मैचिंग ग्रांट के दिये, साथ में यह भी बता दो कि नान प्लान का खर्चा कितना कंट्रोल कर रहे हैं अपन। अपन जो असैट बनावें, भारत सरकार पैसा दे उसके लिए एक शब्द नहीं बोले और अपनी सारी वाहवाही लेना चाहते हैं कि राजस्थान सरकार कर रही है। माननीय मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद पर आपको यह कहना चाहिए कि सर्व शिक्षा अभियान जो आपकी सरकार ने दिल्ली ने शुरू किया था उसमें पैसा इस कांग्रेस की यू.पी.ए. सरकार ने बढ़ाया है जिसके कारण आपको हण्डरेड करोड़ रुपये तो खाली मिड-डे-मील में ज्यादा मिला है। आपको जो पैसा मिला वह किस बात का मिला इसके सम्बन्ध में अभी तक आपने जो भाषण दिया उसमें एक शब्द आपने भारत सरकार को धन्यवाद का नहीं दिया कि उस सरकार की लिबरेशन के कारण आपको इतना पैसा मिला। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी होती, ईमानदारी से मैं मुख्य मंत्रीजी की बड़ाई करता हूं पर मुख्य मंत्रीजी, जिस जगलरी को आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, अपना श्रेय लेने में कम से कम भारत सरकार को भी आंशिक रूप से यह जरूर कहें कि भारत सरकार भी इसमें पार्टी है और भारत

(डा. सी. पी. जोशी)

सरकार भी इसमें काम कर रही है। इसको भी कहीं न कहीं हमें मेंशन करना चाहिए। (व्यवधान) महावीरजी, मालूम नहीं है। (व्यवधान) आज भी सर्व शिक्षा अभियान में पैसा राजीव गांधी पाठशाला के नाम पर केन्द्र से आ रहा है। वह पैसा उस हैड में लिखा हुआ है। उठाकर देख लें आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

डा. सी.पी. जोशी : एक शब्द हम कहना नहीं चाहते। (व्यवधान) एक आप एड कर दें, मुझे बता दें, माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि कांग्रेस की सरकार राजीव गांधी पाठशालाओं को केन्द्र के रूप में परिवर्तित नहीं करती तो सर्व शिक्षा अभियान में जो आपने पोस्टें क्रियेट की हैं ये पोस्टें कहां से आतीं? यह 54 हजार पोस्टों का जो आप श्रेय ले रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, यह भी जनता के सामने बतायें कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जो शिक्षा केन्द्र रहे, दो साल में थर्ड ग्रेड की पोस्टें मिलनी चाहिए थी, सैकण्ड ग्रेड की पोस्टें मिलनी चाहिए थीं उसमें सर्व शिक्षा अभियान का कितना पैसा है, what is the contribution of the State Government? एक शब्द नहीं बोलना चाहते हैं। यदि वह कांग्रेस की सरकार यह काम नहीं करती, यह राजीव गांधी पाठशाला नहीं खुलती तो यह जो 15 हजार पोस्टें हम ले रहे हैं वह नहीं मिलतीं।

श्री ओम बिरला : यह उनका दायित्व है। टैक्स राजस्थान की जनता भी देती है। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी :..... समझो, यह कोई आटा-दाल का भाव नहीं है। यह समझना पड़ेगा कि सर्व शिक्षा अभियान में पैसा कहां से आ रहा है। खाली अपनी अपनी बात करके खतम करना चाहें....(व्यवधान)

श्री ओम बिरला : टैक्स राजस्थान की जनता भी देती है, टैक्स सब देते हैं।

डा. सी.पी. जोशी : .. एक शब्द उस सरकार को धन्यवाद नहीं दे रहे हैं। अशोक गहलोत यदि शिक्षा केन्द्र नहीं खोलते तो आज आपको जो पद मिले वह नहीं मिलते।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं बोल रहा हूं, आप थोड़ा धैर्य रखो। मैं बोल रहा हूं।

डा. सी.पी. जोशी : एक शब्द आपने नहीं बोला है। कांग्रेस ने अन्याय कर दिया है, आपको जितनी पोस्टें मिली हैं उनमें 2/3 पोस्टें राजीव गांधी पाठशाला के केन्द्र नहीं खोलते तो आप थर्ड ग्रेड की पोस्टें नहीं भर सकते थे। और अध्यक्ष महोदय, एक और सुन लें, 15 हजार पोस्ट 2004-05 के बजट में प्लान पोस्ट थीं, 15 हजार पोस्टों की कितनी तनख्वाह होती है? उस तनख्वाह का पैसा कहां चला गया? उसके लिए हम एक शब्द नहीं बोलना चाहते हैं।

श्री घनश्याम तिवाडी : हां, मैं बोल रहा हूं। जो काम आपने नहीं किया, जो काम हमारे लिए छोड़ गये उसके लिए प्रतिभा सिंहजी ने आपको धन्यवाद दिया था।

डा. सी.पी. जोशी : आपने कहां दिया?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं भी दे रहा हूं।

डा. सी.पी. जोशी : वह दो न पहले फिर आप बोलो, सब कुछ सुनेंगे।

श्री घनश्याम तिवाडी : हां, पहले लो। बैठो-बैठो। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : पांच साल में आपने कुछ नहीं किया। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : पांच साल में यह नींव खड़ी नहीं करते तो बिल्डिंग नहीं बनती। खड़े होकर के भाषण दे रहे हैं। इसमें आपकी सरकार ने शिक्षा केन्द्र खोले कितने वह बताइये। खाली भाषण दे रहे हैं। मुख्य मंत्रीजी के सामने वो ही बात बोलो जिससे मुख्य मंत्रीजी खुश हों। गलत बात से मुख्य मंत्रीजी खुश नहीं होंगी। अपन खाली बात करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष · आर्डर-आर्डर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है, सर्व शिक्षा अभियान में जो पैसा मिलता है वह भारत सरकार और राज्य

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सरकार का मिलाजुला है। उसमें स्टेट का शेयर रहता है, भारत सरकार का शेयर रहता है। इस बार मैंने बताया कि 230 करोड़ रुपया भारत सरकार से मिले और 130 करोड़ रुपये राजस्थान सरकार ने दिये। लेकिन माननीय मुख्यमंत्रीजी ने और अन्य राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने, कांग्रेस के मुख्य मंत्रियों ने भी इस बार की शिक्षा मंत्रियों की मीटिंग में कहा कि भारत सरकार ने जो प्रतिशत सेस लगाया है उसमें राज्यों का हिस्सा नहीं है। जो भी टैक्स होता है उसमें राज्यों का हिस्सा होता है। उसमें सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री साथ थे। दूसरा, जो विदेशी संस्थाओं से पैसा मिलता है सर्व शिक्षा अभियान के लिए, उसमें भी शेयर नहीं है। इसलिए हमने यह भी मांग की है कि यह जो पैसा 10वीं पंचवर्षीय योजना तक है, इसको 11वीं पंचवर्षीय योजना तक इसी प्रकार से रखा जाये और राज्य सरकार और भारत सरकार सब शिक्षा के प्रति समर्पित हैं। राजस्थान कोई भारत से अलग नहीं है। और हम चाहते हैं कि, मैं धन्यवाद दूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जब मैं उस मीटिंग में गया और पत्र लिखा तो अर्जुन सिंहजी से हमको स्वीकृति, कोई मीनमेख नहीं है। मैं अर्जुन सिंहजी को धन्यवाद देता हूं, निश्चित रूप से देता हूं। अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं इसके साथ-साथ यह भी कहता हूं कि राज्यों का यह हक भी है, राज्यों के पास आज इतनी सम्पदा नहीं है, राज्यों के पास इतना पैसा भी नहीं है। आज 57 साल के बाद में राजस्थान विधान सभा के एम.एल.ए. खड़े होकर यह मांग करते हैं कि हमारे यहां 4000 सैकण्डरी स्कूलों में, आज वहां सैकण्डरी स्कूल नहीं है। कैसे जायेंगी वो बच्चियां? बच्चे तो पढ़ लेंगे लेकिन ये बच्चियां जो गांवों में है, आठवीं के बाद में, आठवीं तक स्कूल तो वहां रहेंगी, 10वीं तक वहां रहेंगी, 12वीं तक हो तो वहां रहेंगी, इस अन्याय का कौन जवाब देगा? 94 प्रतिशत जो आठवीं के बाद ड्रोप आउटस हैं, कौन जवाब देगा इस बात का? आज 57 साल के बाद में कुछ लोग पढ़ेंगे शहरों में रहने वाले, कुछ खानदानी, रईसों के लोग पढ़ेंगे, कुछ सरकारी कर्मचारी और अफसरों के लोग पढ़ेंगे और गांव के आदमी की बच्चियां आठवीं के बाद में अपने घर पर बैठी रहेंगी, यह जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की भी है, यह भारत सरकार की भी है। और वहां रहते कौन हैं? शिडयूल कास्ट, शिडयूल ट्राइब और मुसलमान और किसान जो गरीब हैं, वह...

श्री अध्यक्ष : और बैकवर्ड।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : और बैकवर्ड आ गये। ये सब लोग मिलकर रह जाते हैं। बाकी लोग पढ़ते हैं। आज सिर्फ आठ प्रतिशत हायर एजुकेशन का हमारे यहां पर है अध्यक्ष महोदय, आठ प्रतिशत। इसीलिए मैंने मांग की थी राजस्थान सरकार की तरफ से कि यह यूनिवर्सलाइजेशन आफ सैकण्डरी एजुकेन किया जाना चाहिए। और राज्य इसीलिए यूनिवर्सलाइजेशन आफ सैकण्डरी एजुकेशन के लिए यह कमेटी बनाई गई। अध्यक्ष महोदय, माननीय सी.पी. जोशी साहब नाराज नहीं होंगे, मैं उस मीटिंग में गया था। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। खांट साहब, आप भी नाराज मत होना। अध्यक्ष महोदय, मैं वहां गया तो वहां विद्वान ही विद्वान थे। अब विद्वानों की डेफिनेशन में मैं फंस गया। वहां के विद्वान थे, वे अलग-अलग किस्म के थे। कोई तो बैग लटकाकर आया। किसी के यहां दाढी, किसी के यहां दाढ़ी, किसी के लम्बी दाढ़ी। मैंने सोचा कि यहां पर दाढ़ी वालों के अलावा कोई विद्वान नहीं है। इसलिए वह दाढ़ी वाले विद्वानों में संयमजी, आप भी मुझे माफ करना, कोई और भी दाढ़ी वाले हो तो आप भी मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं उन विद्वानों के बीच में फंस गया। तो मैंने कहा अध्यक्ष महोदय, वहां एक ही बात थी। मैंने कहा, आप सब लोग विद्वान हो, बहुत बड़े-बड़े आदमी हो। लेकिन क्या आपने गांव के उस लड़के को देखा है कि जिसकी बुशर्ट के चार बटन हो और वे तीन रंग के हों? गांव में आप भी बच्चे को देख सकते हैं, एक रंग का नहीं मिलेगा आपको। क्या गावं के बच्चे को आपने देखा है। जिसके कई बार बटन टूट जाता है तो मां एक रस्सी का टुकड़ा बांधकर, नेकर के बांधकर भेजती है। ऐसे लोग हैं गांव में, सरकार उनके प्रति समर्पित है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए हम यह सारा काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि उस आदमी को पढ़ाई होनी चाहिए इसलिए मैंने कहा कि जो भी नौकरी लगेगी 40,000 की 40,000 वह गांवों में लगेगा। प्रतिभाजी, आपने मांग की है, शहर में नहीं लगाऊंगा मैं। यह 1905 जो सैकण्ड ग्रेड के हैं, ये भी गांव में जायेंगे और जिसका भी अब प्रमोशन होगा, वह भी शहर में नहीं लगेगा, गांवों में जायेगा। गांव के प्रति सरकार समर्पित है और गांव की शिक्षा के लिए, हम इस काम को करने के लिए कटिबद्ध हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से अन्य सारी बातें.... ना ना ना, एक और बड़ा काम हम कर रहे हैं कि हमने भवन बनाने का तय कर लिया, स्कूल खोलने का काम तय कर लिया। किताबें वितरण का इतना बड़ा काम किया है,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उसमें हमने सामाजिक समानता का बर्ताव किया है। यह पहली सरकार है अध्यक्ष महोदय, हमने शिडयूल कास्ट, शिडयूल ट्राइब, ओ.बी.सी. बैकवर्ड, ब्राह्मण, बनिये, राजपूत, कायस्थ किसी का भेदभाव नहीं किया है। पहली से 12वीं तक जो भी लड़का-लड़की हैं, उसको हमने किताबें मुफ्त दी हैं और किताबें 58 करोड़ की हमने वितरित की। आज मैं पुनः घोषणा कर रहा हूं कि इस बार भी राज्य सरकार पहली से लेकर 12वीं तक, पिछली बार तो हमने यह जो शर्त लगाई थी कि ओ.बी.सी ओर जनरल कास्ट के जो इन्कम टैक्स पेयर हैं, उनको छोड़कर, अब इस शर्त को भी हम हटा रहे हैं। इस साल से पहली से 12वीं तक किसी भी वर्ग के, जाति-बिरादरी के लड़के जो सरकारी स्कूलों में पहली से 12वीं तक पढ़ रहे हैं उनको और मदरसा बोर्ड को भी हम शामिल कर रहे हैं। उन मदरसा बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चों को, सबको मुफ्त में किताब राज्य सरकार वितरित करेगी, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, सबको देंगे हम। और इसके साथ-साथ जब हम किताब दे रहे हैं, जब हम मास्टर लगा रहे हैं, जब हम स्कूल खोल रहे हैं, शौचालय बना रहे हैं, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं तो पुस्कालय की भी आवश्यकता होगी। इसलिए हमने उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालयों में एक-एक पुस्तकालय बनाने का भी तय किया है और 2000 रुपये की पुस्तकें हर स्कूल में देंगे और उन पुस्कालयों का नाम ''दीनदयाल पुस्तकालय'' होगा। दीन का मतलब गरीब है, गरीब आदमियों के लिए दीनदयाल पुस्तकालय खोलेंगे और उसके लिए 10 करोड़ 91 लाख रुपये की राशि की हमने व्यवस्था की है अध्यक्ष महोदय। महात्मा गांधी पुस्तकालय खोला, दीनदयाल पुस्तकालय खोला, एक ही बात है।

श्री संयम लोढ़ा : इसके बजाय दीन-दु:खी रख लो ना....(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : दीन-दुखियों का दुख दूर कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा संकुल में 1200 बैठक की क्षमता वाला एक, 500-500 की बैठक क्षमता वाले दो आडिटोरियम एवं एक गेस्ट हाउस का निर्माण किया जायेगा। राज्य में 56 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की स्थापना हेतु 10 करोड़ 61 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी शिक्षा सत्र से इनको चालू कर देंगे।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अध्यक्ष महोदय, दूसरा बड़ा हमने काम किया है। स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना कर दी। स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना हेतु स्वायतशासी सोसायटी का पंजीयन भी हो गया है। जुलाई, 2005 से माध्यमिक स्तर पर 6000 एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर 4000 शिक्षार्थियों का पंजीयन करने का लक्ष्य तय कर लिया है और मुझे सदन को सूचना देते हुए हर्ष है कि राजस्थान पहला राज्य होगा जो तीसरी कक्षा से लेकर 16 क्लास तक ओपन, खुला, तीसरी की परीक्षा, छठी की परीक्षा, आठवीं की परीक्षा, 10वीं की परीक्षा, 12वीं की परीक्षा, 14वीं की और 16वीं की परीक्षा, जो भी परीक्षाएं हैं, वह ओपन स्कूल और ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से होगी। और राजस्थान हिन्दुस्तान का यह पहला राज्य बनेगा। इसी तरह से डिस्टेंट एजुकेशन, जो दूर-दूर लोग रहते हैं, जो रेगुलर पढ़ नहीं सकते हैं, जो छोटी उम्र में बच्चियों की शादी कर देते हैं। वे लोग हैं, उन गरीब आदमियों को पढ़ने का मौका मिलेगा और उसको कई चांस भी दिये जायेंगे। हिन्दुस्तान में पहला स्टेट राजस्थान हो गया है जहां स्टेट ओपन स्कूल पहली से लेकर आखिर तक कर दी है। यह एक बहुत बड़ा काम किया है और इसके लिए हमने पैसों की व्यवस्था कर दी है। इसका रजिस्ट्रेशन हो गया है, इसका काम चालू हो गया है और इसी सत्र से यह प्रारम्भ हो जायेंगे।

पंजाबी भाषा के उन्नयन हेतु पंजाबी एकेडेमीक की स्थापना भी हमने कर दी है। उर्दू, सिंधी और पंजाबी भाषा के अध्यापकों के जो पद रिक्त हैं, इन पदों को भी हम भर देंगे। इसी प्रकार से इन अल्पसंख्यक भाषाओं का भी राजस्थान में पूरा विकास किया जायेगा, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा।

इसी तरह से स्टेट इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग की स्थापना भी गोनेर में कर दी है। उसका भी काम चालू कर दिया है।

महिला साक्षरता के लिए हमने अन्तरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितम्बर, 2005 से कालीबाई पुरस्कार देने का अनाउंस कर दिया है। कालीबाई, आप सब लोग जानते हैं कि जिनके कारण से महिला साक्षरता वालों को हम पुरस्कृत करेंगे। यह भी राज्य सरकार ने तय कर लिया है। विकलांग बच्चों के लिए भी हमने एन.जी.ओ. के माध्यम से सभी प्रशिक्षकों को विशेष ट्रेनिंग और उनके लिए हर जिले में एक विद्यालय खोलने का भी हमने तय कर लिया है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

प्राथमिक पाठशालाओं के बारे में बता दिया है। एक काम और शुरू कर रहे हैं कि इस साल 11वीं से हम जुलाई से "जीवन कौशल शिक्षा" जिसका सुप्रीम कोर्ट ने हमें आदेश दिया था, आपने कमेटी बनाई थी, उसकी रिपोर्ट आ गई थी। जोशीजी ने भी उसमें काम किया था, वह कोर्स भी हम इस साल में चालू कर देंगे।

इस वर्ष में "एजुसैट" से भी शिक्षण व्यवस्था, उपग्रह से जो शिक्षण की व्यवस्था है, इस राजस्थान को उससे लिंक कर लिया है और इस साल से हम उसको भी चालू कर देंगे। इस प्रकार से राजस्थान शिक्षा में एक कदम और आगे बढ़कर, उच्च शिक्षा में भी राजस्थान आगे बढ़ जायेगा।

प्रत्येक जिला मुख्यालय पर कम्प्यूटर से प्रशिक्षण हेतु कम्प्यूटर से करेंगे और सचिवालय में कम्प्यूटरीकृत करने के लिए साढ़े चार करोड़ रुपये दिये हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक और नया काम राजस्थान में हम कर रहे हैं, जो आज तक अन्य राज्य सरकारों ने नहीं किया। कई बार हम पूछते हैं कि किस सरकार ने किया, इस बार हम नया काम कर रहे हैं। रामचन्द्रजी सराधना साहब चले गये हैं। उन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि बी.एड. आप इनती स्कूल खोल रहे हैं, क्या होगा? अध्यक्ष महोदय, बी.एड. की स्कूल इतनी नहीं है। हमने 380 को एन.ओ.सी. दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला कर दिया। पहले कर्नाटक और तमिलनाडु के बारे में फैसला हो गया था कि राज्य सरकार अगर एन.ओ.सी. नहीं भी देती है तो एन.सी.ए.टी. उनको अनुमति दे सकती है। तो हम तो केवल एन.ओ.सी. देने वाले हैं। इसलिए हमने एन.ओ.सी. दे दी और अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो गया। लेकिन इसके साथ एक फैसला कर लिया है हमने कि जिस प्रकार से डाक्टर्स प्रोफेशनल हैं, जिस प्रकार से वकील प्रोफेशनल हैं, जिस प्रकार से मैनेजमेंट के लोग हैं, चार्टर्ड एकाउन्टेंटस हैं, इसी प्रकार से हमने राजस्थान में टीचर्स कौंसिल बनाने का भी निश्चय कर लिया है। एक संस्था बनायेंगे और बी.एड. करने के बाद में सरकारी नौकरी में जो आ जायेगा, वह आ जायेगा, सरकारी नौकरी में जो नहीं आयेंगे, जो टीचर्स कौंसिल में रजिस्ट्रेशन करा लेंगे वह प्रोफेशनल टीचर हो जायेंगे। और उनके प्रोफेशनल टीचर होने के बाद में उनके पढ़ाये हुए लड़के चाहे होम टीचर बन

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जाय, अपने घर पर लड़कों को पढ़ायें, तीसरी, पांचवी, सातवीं में बच्चियों को, लड़कों को पढाकर जो वह सर्टिफिकेट देंगे। उस सर्टिफिकेट के आधार पर एन्ट्रेन्स टैस्ट लेकर बच्चों को भरती कर लिया जायेगा और एक प्रकार से इन टीचर्स के लिए नया रास्ता खुल जायेगा बी.एड. करने वालों के लिए। और नया प्रयोग हिन्दुस्तान के शिक्षा के क्षेत्र में टीचर्स कौंसिल बनाकर हम कर रहे हैं। इसी साल से इसको चालू कर देंगे। यह काम भी, अध्यक्ष महोदय, हमने कर लिया है।

अध्यक्ष महोदय, उपलब्धियों के बारे में, ब्रिज कोर्सेज के बारे में और इनके बारे में मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार की भावनाएं आपके सामने रखी हैं, वह सारी भावनाएं आ गई हैं। सिविल कार्यों के माध्यम से हम कुछ काम करना चाहेंगे। कक्षा एक से पाठयपुस्तकों के बारे में मैंने आपको बता दिया अध्यक्ष महोदय। राजीव गांधी पाठशालाओं के बारे में, जितनी राजीव गांधी पाठशालाएं हैं उन सब को प्राथमिक पाठशालाओं में बदलने के क्रम में हम लगे हुए हैं, उसको हम पूरा करेंगे और जितने भी विद्यालय खोले हैं उन विद्यालयों के सम्बन्ध में..

श्री जीतमल खांट : पैराटीचर्स का।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पैराटीचर्स का मैं बता रहा हूं। पैराटीचर्स के बारे में दो बात हुई हैं। एक बात तो यह हुई कि हमने उनको जो एक जनवरी, 1998 को वह जिस उम्र में थे उसमें मानकर जो परीक्षा में बैठने की अनुमति उनको दी, उसके हिसाब से दस हजार के करीब पैराटीचर्स का सलेक्शन हो गया है और उनकी दस हजार जगह खाली हो गई हैं। हमने तय किया है उन दस हजार की जगह खाली नहीं रखेंगे, उनकी जगह गेस्ट फैकल्टी में चाहे बिना ट्रेंड भी लो मिलें, बी.ए. पास किये हुए, उनको भी लगा देंगे और उनको भरने का काम चालू कर दिया है। एक। दूसरा, पैराटीचर्स का मानदेय बढ़ाने का भी तय कर लिया है। मुख्य मंत्रीजी से स्वीकृति ले ली है लेकिन गवर्निंग कौंसिल जो सर्व शिक्षा अभियान की होगी उसमें पास करने के बाद में घोषणा करेंगे, उनका मानदेय भी बढ़ायेंगे। हमने पहले भी कहा था कि जो नहीं आयेगा इसमें, हम उनको नौकरी से नहीं निकालेंगे तो उनके लिए भी हम मानदेय बढ़ा रहे हैं और उनको भी मैं कहना चाहूंगा, उनको कोई नुकसान नहीं

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हुआ। जिस समय पिछली सरकार ने सात हजार की वैकेंसी निकालकर पिचहत्तर प्रतिशत पद आरक्षित किये थे तो उनमें वह कोई साढ़े तीन-चार हजार आते। लेकिन इसमें बिना आरक्षण के भी वह दस हजार लोग आ गये हैं। इसलिए पैराटीचर्स को कोई नुकसान नहीं हुआ है, उनको बहुत बड़ा लाभ हो गया है, वह काम भी हो गया है।

इसलिए, अध्यक्ष महोदय, इन सारे मामलों में राज्य सरकार पैराटीचर्स के साथ भी किसी प्रकार का, अभी 1998 के चयनित लोगों के बारे में भी जुबेर खानजी, माननीय सदस्य ने उठाया था, मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने भी दो-तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें नैतिक शिक्षा के बारे में कही थी। अध्यक्ष महोदय, हमने यह तय किया है, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने, 1998 के चयनित लोगों के बारे में कुछ बातें मैं बहुत साफ करना चाहता हूं। सात हजार लोगों की वैकेंसी निकाली थी, सात हजार के खिलाफ 8184 लोग लग गये, विभिन्न न्यायालयों के आदेश के बाद में स्टे हुआ, और हुआ, सात वर्ष तक वह आंदोलन करते रहे, और करते रहे, उनको भी हमने छूट दी परीक्षाओं में बैठने की और उनमें से भी तीन-साढ़े तीन हजार लोगों ने, जैसा उन्होंने मुझे कहा है कि तीन-साढ़े तीन हजार लोगों का सलेक्शन उनमें भी हो चुका है। फिर भी कुछ लोग बच गये हों, अब उसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया। उसमें शिक्षा सचिव भी हैं। उनकी रिपोर्ट आने के बाद में वैधानिक स्थिति सारी करने के अगर राज्य सरकार कुछ कर सकने में समर्थ रही कानूनी रूप से, तो निश्चित रूप से मदद करेंगे। लेकिन अगर जिस प्रकार की रिपोर्ट आयेगी, उसका विधिक परीक्षण होगा उसके आधार पर ही हम कुछ कार्यवाही कर सकेंगे। हमारा सहानुभूतिपूर्वक रूख उनके प्रति भी है, उनसे भी हमें किसी प्रकार की वह नहीं है अध्यक्ष महोदय।

कुल मिलाकर, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इन सब बातों के बाद में भी माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार की भावनाएं व्यक्त की हैं, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि लोक जुम्बिश परियोजना में आपने कहा था कि जो उर्दू शिक्षाकर्मी थें उनको डीपीईपी में स्थानांतरित किया है। उनको डीपीईपी में कार्यरत पैराटीचर्स के अनुरूप मानदेय नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

महोदय, वैसे मैंने आदेश कर दिये हैं। फिर भी अगर नहीं मिल रहा है तो लोक जुम्बिश परियोजना में कार्यरत उर्दू शिक्षाकर्मी को भी डीपीईपी में जो स्थानांतरित किये हैं उनको भी उसी के अनुरूप में मानदेय मिलेगा, उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, यह आप निश्चित मानकर चलिये।

अध्यक्ष महोदय, इन सब बातों के साथ ही मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। यह जो आज शिक्षा है, उच्च शिक्षा के बारे में मुझे कुछ कहना है। उच्च शिक्षा का मंत्री भी हूं, तकनीकी शिक्षा के बारे में भी मुझे कहना है। उच्च शिक्षा के बारे में हमने कदम उठाये हैं। सबसे पहला कदम यह है, एक बात मैं कहूंगा कि प्राइवेट इजेशन तो हो रहा है इसका, दुनिया भर में और हिन्दुस्तान में भी उच्च शिक्षा 60 से 80 प्रतिशत तक प्राइवेट हाथों में हैं, हमारे यहां भी जा रही है। सरकारों के पास इतना धन नहीं है कि इतनी कालेज खोल सकें। और यह यूनिवर्सलाइजेशन आप एलीमेंटरी एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन आप सैकण्डरी एजुकेशन के बाद में अगर चालीस प्रतिशत का एजवरेज कालेजों का आयेगा तो उस कालेज को हम दोनों सेक्टर मिलकर ही काम कर सकते हैं। लेकिन हमने इसमें एक व्यवस्था कर दी, पहली बार हमने नेक से एग्रेडेशन कराया है और उसमें राजस्थान की बहुत सी कालेजों को बी-प्लस और सी-प्लस और ए-प्लस मिला है। यूनिवर्सिटीज का भी कराया है। तकनीकी इंस्टीट्यूशंस का भी कराया है। बाकी बचेगा, इस बार करायेंगे। एक हमने इस बार सिस्टम बदल दिया है। एक तो मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, प्राइवेट कालेजेज खुलें, बढ़ें, चलें, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दुकानें नहीं खुलने देंगे। हमने 36 की एन.ओ.सी. निरस्त कर दी। कल अखबार में आपने पढ़ा था और अब हमने सिस्टम चेंज कर दिया है। पहले आते ही एन.ओ.सी. जारी करते थे। अब एन.ओ.सी. जारी नहीं करेंगे अध्यक्ष महोदय। अब आने के बाद में लैटर आफ इन्टेंट, आशय पत्र जारी करेंगे। आशय पत्र में कहेंगे कि कालेज आपको बनाना है तो इस प्रकार का आपका कन्सट्रक्शन चाहिए, इस प्रकार का आपका स्टाफ चाहिए, इस प्रकार के आपके कोर्सेज चाहिए, इस प्रकार का आपका ग्राउंड चाहिए। इसके बाद फिर तीन लोगों की कमेटी होगी, कमेटी जब राज्य सरकार को रिपोर्ट दे देगी कि उसे आशय पत्र की शर्तों को पूरा कर दिया है, तब कालज खोलने की अनुमति देंगे, इसके

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बिना कालेज खोलने की अनुमति नहीं देंगे, एक। और जो कालेज एन.ओ.सी. के आधार पर खुले हैं उनको भी मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनको भी उन आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ेगा वरना इस शिक्षा सत्र में उनकी भी अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे। हम इसमें जिस प्रकार तिवाड़ी कमेटी की रिपोर्ट आयेगी, जो हाई कोर्ट ने नियुक्त की है, वह जिस प्रकार फीस का ढांचा तय करेगी, स्ट्रक्चर, वह फीस का स्ट्रक्चर इन प्राइवेट संस्थानों को रखना पड़ेगा, यह हमने तय किया है। लेकिन आज प्राइवेट शिक्षण संस्थान हायर एजुकेशन में 60 से 80 प्रतिशत काम हमारा कर रहे हैं और हिन्दुस्तान में 80 का एवरेज है, दुनिया में भी एवरेज है। इसलिए मैं आह्वान भी करता हूं कि 52 खण्ड हमारे ऐसे हैं जहां पर हमारे कालेज नहीं हैं, उनमें भी हमने विशेष योजना बनाई है अध्यक्ष महोदय, और इस बार हम कोशिश करेंगे कि राज्य का एक भी ऐसा उप खण्ड नहीं रहे जिसमें सरकारी कालेज अथवा प्राइवेट कालेज नहीं हो। वह हम इस आर यह लक्ष्य भी पूरा कर देंगे। इसके लिए 52 उपखण्डों में एक योजना बनाई है कि कोई आदमी आयेगा और यह अगर सारा काम करेगा, मानदण्ड मानेगा तो हमारे जो सीनियर सैकण्ड्री स्कूल हैं उन स्कूलों में हम उनको कालेज खोलने की अनुमति दे देंगे, यह काम भी हम करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में आपने एक समिति बनाई थी, उसका प्रतिवेदन भी आज रखा है। स्ववित्त पोषित संस्थाओं के बारे में, वह जब बिल आयेगा तक यूनिवर्सिटीज के बारे में, मैं आपको सारी बात कहूंगा। लेकिन एक बात मैं कहता हूं कि हमने एग्रेडेशन किया है। हमने इस बार पहली बार नौ सौ से ज्यादा पद थे खाली कालेजेज में, इस साल 456 भरने का माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्वीकृति दी है, अगली साल 457 भरने की स्वीकृति दी है। इस प्रकार कालेजों में भी अब कोई वेकेंसी नहीं रहेगी और वह सारे पद भर दिये जायेंगे, यह भी पहली बार होगा।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा आज कुछ रूटा के लोगों ने प्रदर्शन किया, मिलने भी आये थे। सब, सारा सदन परिचित हैं, जोशीजी परिचित हैं जो प्रोफेसर हैं, कल्ला साहब परिचित हैं, यूनिवर्सिटीज के जो अस्थाई टीचर हैं उनका मामला है। हम सब परिचित हैं इस बात से। वह दो मामलों के कारण

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

से अटका हुआ था अध्यक्ष महोदय। एक अटका हुआ था एस.सी., एस.टी. का बैकलाग पूरा नहीं किया हुआ था। संविधान के अंतर्गत कोई भी काम आप तब तक पूरा नहीं कर सकते, जब तक एस.टी., एस.सी. का बैकलाग पूरा नहीं कर देंगे। हमने तय किया है, अब सरकार ने प्रिंसीपली, सिद्धांत रूप से तय कर लिया है कि हम इस समस्या का समाधान करेंगे, एस.सी., एस.टी. का बैकलाग भी भरेंगे और उन लोगों को जो अस्थाई हैं उनको स्थाई करने की प्रक्रिया भी हम प्रारम्भ करेंगे और जल्दी ही इस काम को पूरा करेंगे। तो बीस पच्चीस साल से जो प्रोब्लम थी उसका भी समाधान होगा। इसी प्रकार मुख्य मंत्रीजी ने गवर्नर साहब को भी माननीय मुख्य मंत्रीजी कहकर आई थीं कि राज्य सरकार करना चाहती है, सब प्रकार की व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं, इसके लिए जो भी हमको करना है वह करेंगे। तो यूनिवर्सिटीज को भी लाइन में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज के लिए इस बार बजट भी अलाट किया गया है। अब कुछ विश्वविद्यालय हैं जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, संघटक कालेज जोड़कर उनका भी स्वरूप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। बीकानेर की, कोटा की, इनकी भी और उनके लिए पैसे की व्यवस्था भी की है। मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए भी पांच करोड रूपये की अलग से व्यवस्था की है और इसके साथ ही जो अन्य विश्वविद्यालय हैं उनकी कमियों को पूरा करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। जो समिति बनाई है हमने, जब शिक्षा का यह विस्तार हुआ, राष्ट्रीय लेवल पर लाने के लिए हमने इंजीनियरिंग कालेज खोले हैं। प्राइवेट सैक्टर में एन.ओ.सी. जारी की है। आर्किटेक्ट की की है, होटल मैनेजमेंट की की है सबकी की है। और अब हम राष्ट्रीय लेवल के बराबर आये हैं। पहले टैक्निकल एजुकेशन में हम पिछड़ गये थे। इसलिए टैक्निकल एजुकेशन के लिए इस बार 20 आई.टी.आई. भी खोलेंगे, 5 पॉलिटैक्निक कालेज भी खोलेंगे। और पहली बार 60 करोड़ रूपये की व्यवस्था बहुत वर्षों बाद में इंजीनियरिंग कालेजों के लिए राज्य सरकार ने की है। इसके लिए मैं अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी को पुन: बार-बार धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे इंजीनियरिंग कालेजों और मेडिकल कालेजों की मान्यता समाप्त करने के लिए नोटिस आ गये। हमारे पास प्रिंसीपल नहीं थे। प्राचार्य नहीं थे। पांच साल की डी.पी.सी. हमने प्राचार्य और उप प्राचार्य की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में खत्म करके आज डी.पी.सी. का काम कंप्लिट कर दिया है। आज किसी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

की डी.पी.सी. बाकी नहीं है उच्च शिक्षा में हमने उस डी.पी.सी. को कंपलीट कर दिया। हम इंजीनियरिंग कालेजों के पद भर रहे हैं। इसी प्रकार मेडिकल में हमने पद दिये और पद भर रहे हैं। इसी प्रकार उनकी मान्यता बचाई। हम हायर एजुकेशन के प्रति भी उतने ही कटिबद्ध हैं क्योंकि हमने एक मानस बनाया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने तय करके कि शिक्षा एक जगह पर रहे है और शिक्षा में राजस्थान एक नंबर पर आये, अग्रणी आये लेकिन संयम लोढ़ाजी ने कहा था मैं उस बात से सहमत हूं। आज भी 1 लाख 23 हजार बच्चे ऐसे हैं 6 से 14 वर्ष के जो स्कूल में नहीं आ रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। इस जमाने में भी आज हमारी हालत यह है कि उस गरीब के बच्चों को पढ़ा नहीं सकते तो हमने एक ब्रिज कोर्स शुरू किया 9-9 महीने का। एस.सी./एस.टी. के जो बच्चे हैं बच्चियां हैं, मैं अभी कोटखावदा में कन्हैयालालजी की कांस्टीट्युएंसी में कैम्प लगाया वहां गया। तो, अध्यक्ष महोदय, आप आश्चर्य करेंगे ऐसी लड़कियों छोटी-छोटी, एस.टी. की थी कि एस.सी. की ।

श्री कन्हैया लाल मीणा : एस.सी./एस.टी. सभी की थी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एस.सी./एस.टी. की अध्यक्ष महोदय, 15-15, 20-20 दिन से नहायी हुई लड़की नहीं थी बालों में लटें पड़ी हुई थी। इस प्रकार की बच्चियों को लेकर 130 बच्चियों को हमने रखा। उनको नहलाने का, धुलाने का, साबुन का, कपडों का, खाने का, किताबों की व्यवस्था की और पांच महीने में उनको चार महीने में इस लायक किया है कि अगले शिक्षा सत्र में वो तीसरी-चौथी में जाकर भर्ती हो सकती हैं। इस प्रकार के कोर्सेज लगाने का मने तय कर लिया है और इसकी हम कोशिश करेंगे। राज्य सरकार ने खुला मानस बनाया है इसके लिए पद दिये हैं, उनको पढ़ायेंगे। 9 महीने पढ़ायेंगे, खाना भी देंगे, नहाने का भी देंगे, कपड़ें भी देंगे, सारा पढ़ायेंगे।

मैं सदन में माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं, श्लोक तो यह है कि "माता शत्रु पिता बेरी यो बालो न पाठती।" वो मां-बाप जब राज्य सरकार स्कूल की व्यवस्था करती है, जब टीचर की व्यवस्था करती है, जब किताबों की व्यवस्था करती है, जब पुस्तकालय की व्यवस्था करती है, जब पानी की व्यवस्था करती है, जब चूरमा दाल बाटी की व्यवस्था करती है, फिर हमारा कोई बालक और बालिका पढ़ने के लिए नहीं आये तो उनका ही दोष

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

नहीं है अध्यक्ष महोदय, हमारा भी दो . है। जनप्रतिनिधि का भी दोष है। उस गांव के पंच सरपंच का भी दोष है। हमारे जो सरकारी अधिकारी हैं उनका भी दोष है और मैं चाहता हूं इसलिए सदन इस बात की प्रतिज्ञा करे कि राजस्थान में कोई भी बच्चा चाहे गरीब से गरीब आदमी का हो वो स्कूल में जाए और पढे। आप आलोचना करिये आपकी आलोचना का स्वागत है लेकिन मैं आपका सहयोग भी चाहता हूं। हम उस गरीब के प्रति समर्पित होकर जाएं अध्यक्ष महोदय और पांच वर्ष अगर हम मेहनत करेंगे तो राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में आगे आएगा अग्रणी बनेगा। हमारी जिम्मेदारी है शिक्षा के प्रति। मैं तो चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, आप हैं, मुख्य मंत्रीजी हैं और महामहिम राज्यपाल हैं आप तीन हैं आप तीन मिलकर आज राजस्थान राष्ट्रीय लेवल के बराबर तो आ गया साक्षरता में लेकिन महिला साक्षरता में महिलाओं की पढ़ाई के लिए जो भी व्यवस्था राज्य सरकार को करनी होगी उसके लिए राज्य सरकार के पास किसी प्रकार के संसाधनों की कमी नहीं है, महिला शिक्षा के लिए। आपने कहा था अपग्रेड करने के लिए मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है जितनी संस्थाएं अपग्रेड होगी उनमें 30 प्रतिशत महिलाओं की होंगी वो करेंगे। हम उनको इसी प्रकार और भी योजनाएं बन रही हैं और अध्यक्ष महोदय....;।

श्री अध्यक्ष : आप तो घोषणा पहले कर चुके हैं पिछले सत्र में...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसको पूरा करेंगे 30 प्रतिशत में हो जाएगा अध्यक्ष महोदय, चिन्ता मत करो।

श्री अध्यक्ष : इसलिए 30 प्रतिशत की बात नहीं करिये सेंट परसेंट करिये आप। आपने की घोषणा पहले।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सारा ही आप करोगे तो ये क्या कर रहे थे पांच साल तक।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, आप अंगुली मेरी तरफ दिखा रही हो थोड़ा सा इशारा उधर भी कर दीजिये।

श्री बाबूलाल नागर : आपका पिछला भाषण पढ़ लें आपको पता पड़ जाएगा...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैंने मेरा पिछला भाषण पढ लिया और आपका भी पढ़ लिया। आपने खड़े होकर एक-एक पन्ना पटका था न वो सारे काम पूरे कर दिये। मैंने आपसे ही प्रेरणा प्राप्त की है बाबूलालजी आपका भाषण मुझे याद हैं मैं उसको दुहराना नहीं चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ में विनम्र अपील सदन से करना चाहता हूं, कि आइये हम सब मिल कर शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रान्ति करें राजस्थान के उन गरीब और अनाथ बच्चों को जो आज तक शिक्षा से दूर रहे उनको शिक्षा के पास लायें। शिक्षित, विकसित राजस्थान, सब पढ़ें, सब बढ़ें। इसी के साथ माननीय सभी सदस्यों को और सरकार को और माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद और आपसे अध्यक्ष महोदय, प्रार्थना करता हूं कि मांग संख्या 24 के 47 अरबर रूपये का खर्च करने का अधिकार.....।

श्री महावीर प्रसाद जैन : करोड़ भी हैं कुछ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : करोड़ तो आगे हैं वो तो मैं छोड़ देता हूं 47 अरब वो दें। इतना बड़ा बजट राजस्थान का पहली बार शिक्षा के लिए है और यह शिक्षा को समर्पित एक तरह से बजट है आपको और माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद।

श्री बाबूलाल नागर : ..... आपने एक बात बतायी थी कि आप यह बतायेंगे कि इस भर्ती में अनुसूचित जाति के कितने लोग ले रहे हैं आप।

मांग संख्या 24 का पारण

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रूपये 47 अरब, 55 करोड़, 45 लाख, 16 हजार तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहूंगा छोटा सा। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक निवेदन करना चाहूंगा सरकार से कि माण्डल भीलवाड़ा में कोई गोली चल गयी है। और सरकार से निवेदन है कि वो साम्प्रदायिकता का रूप न हो वहां कुछ लोग गडबड़ न कर दें, इसलिए एहतियात के तौर पर वहां सुरक्षा व्यवस्था की जाए कि कोई बड़ा हादसा नहीं हो। मैं आपके माध्यम से यह जानकारी देना चाहता हूं क्योंकि एक व्यक्ति मर गया है तीन घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, गोलियां चली हैं। दंगा होने की स्थिति बनी हुई है। यह आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्रीजी देख लीजियेगा। उन्होंने दे दी है सूचना आप देख लीजियेगा...(व्यवधान).... अब क्या हो गया? स्थान ग्रहण करें।

श्री रामलाल : अध्यक्ष महोदय,...(व्यवधान).... भीलवाड़ा में तो एस.पी. का खुद होम मिनिस्टर साहब काम कर रहे हैं एज ए एस.पी.। एस.पी. को काम ही नहीं करने दे रहे हैं।

मांग संख्या 47 का पारण

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या-47 पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रूपये 27 करोड़, 49 लाख, 49 हजार तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक शनिवार, दिनांक 9 अप्रैल, 2005 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 22.57 बजे, शनिवार, दिनांक 9 अप्रैल, 2005 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

प्रदेश में मादक पदार्थों के अवैध व्यवसाय में संलिप्त कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही

298. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या प्रदेश में मादक पदार्थों का उत्पादन होता है? यदि हां, तो किस किस का किस-किस स्थान पर? वैध एवं अवैध उत्पादन के विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा मादक पदार्थों के अवैध वितरण, संग्रहण तथा कारोबार के सम्बन्ध में प्रभावी रोक के उपाय किये गये हैं? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि सरकार मादक पदार्थों के नियम विरुद्ध व्यवसाय को व्यवसाइयों के हित में संरक्षित करने के लिये कानूनी सहयोग के जरिये संरक्षण देने वाले कर्मचारियों पर प्रभावी कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि मादक पदार्थों के सेवन से होने वाली बीमारियों एवं नुकसान से आम जनता को जागरुक करने के लिये सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान प्रदेश में अफीम, डोडा पोस्त एवं गांजा आदि मादक पदार्थों का उत्पादन होता है। इसके अलावा अफीम के द्वारा स्मैक बनाये जाने के मामले भी दर्ज होना पाया गया।

राज्य में जिला भीलवाड़ा, कोटा ग्रामीण, झालावाड़, बारां, उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ में नारकोटिक्स विभाग द्वारा जारी लाइसेन्स के आधार पर अफीम का वैध

(गृह मंत्री)

रूप से उत्पादन (खेती) किया जाता है। इसके अलावा उक्त जिलों में तथा धौलपुर में अवैध रूप से अफीम, गांजा, अफीम से स्मैक बनाने के अभियोग दर्ज हुए हैं। पूर्ण विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) जी हां। राज्य में मादक पदार्थों के अवैध वितरण, संग्रहण तथा करोबार के सम्बन्ध में एन.डी.पी.एस. एक्ट की धाराओं के प्रावधानों के अनुसार पुलिस द्वारा कार्यवाही की जाती है। इस व्यवसाय में लिप्त अपराधियों की धरपकड़ हेतु समय-समय पर अभियान चलाया जाता है। इसके अतिरिक्त पुलिस द्वारा निरन्तर गस्त, नाकाबन्दी, वाहन चैकिंग के दौरान व संदिग्ध व्यक्तियों की चैकिंग के दौरान अवैध रूप से मादक पदार्थ पाये जाने पर विधिवत अभियोग दर्ज कर तत्काल कार्यवाही की जाती है। इसके साथ ही पुलिस द्वारा मुखबिर से सूचना संकलित कर, नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। प्रदेश में बढ़ते मादक पदार्थों एवं तस्करी से निपटने के लिए "स्पेशल टास्क फोर्स" का गठन भी दिनांक 15.9.2004 को परिशिष्ट "ब" द्वारा किया गया है।

(3) मादक पदार्थों के नियम विरुद्व व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों के हित में कानूनी सहयोग के जरिये संरक्षण देने बाबत किसी भी कर्मचारी का मामला प्रकाश में नहीं आया है। इसलिये इस सम्बन्ध में किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

(4) जी हां। मादक पदार्थों के सेवन से होने वाली बीमारियों एवं नुकसान से आम जनता को जागरूक करने के लिये समय-समय पर सी.एल.जी. की मीटिंग एवं पुलिस जन सहभागिता जन शिविरों के दौरान आम नागरिकों को इनके नुकसान से अवगत कराया जाकर जागरूक किया जाता है। इसके साथ ही नशा मुक्ति शिविरों का समय-समय पर आयोजन कराकर नशेडियों व आम जनता को समझाइश द्वारा नशा लत छोड़ने हेतु प्रेरित किया जाता है।

(सूची नाम स्थान/थाना क्षेत्र जहां पर मादक पदार्थों का उत्पादन होता है)				
जिला	क्र.सं.	नाम स्थान/थाना क्षेत्र	वैध उत्पादन मादक पदार्थ का नाम	अवैध उत्पादन मादक पदार्थ का नाम
1	2	3	4	5
भीलवाड़ा	1.	काछोला	अफीम	नहीं
	2.	बिगोद	"	"
	3.	कोटड़ी	"	"
	4.	माण्डलगढ़	"	"
	5.	बिजोलिया	"	"
	6.	सकरगढ़	"	"
	7.	बदनौर	"	"
कोटा ग्रा.	8.	सांगोद	अफीम	नहीं
	9.	कनवास	"	"
	10.	बपावर कलां	"	"
	11.	रामगंजमण्डी	"	"
	12.	चेचट	"	"
	13.	मोडक	"	"
	14.	सुकेत	"	"
	15.	कैथून	"	"
झालावाड़	16.	झालावाड़	"	"

1	2	3	4	5
	17.	झालरापाटन	अफीम	नहीं
	18.	पिडावा	"	गांजा
	19.	बकानी	"	"
	20.	रायपुर	"	"
	21.	आसनावर	"	नहीं
	22.	अकलेरा	"	"
	23.	भालता	"	गांजा
	24.	घाटोली	"	नहीं
	25.	दांगीपुरा	"	अफीम
	26.	महिलाथाना	"	नहीं
	27.	जावर	"	गांजा
	28.	खानपुर	"	नहीं
	29.	सारोला	"	"
	30.	मण्डावर	"	"
	31.	भवानीमण्डी	"	"
	32.	सुनेल	"	"
	33.	मिश्रोली	"	गांजा रसायन कर सामग्री घोल स्मैक बनाने की
	34.	पगारिया	"	गांजा

1	2	3	4	5
	35.	डग	अफीम	गांजा
	36.	गंगधार	"	"
	37.	उन्हेल	"	नहीं
चित्तौड़गढ़	38.	चित्तौड़गढ़	अफीम	नहीं
	39.	गंगरार	"	"
	40.	विजयपुर	अफीम	नहीं
	41.	चन्देरिया	अफीम	"
	42.	शम्भुपुरा	"	"
	43.	कपासन	"	गांजा
	44.	राशमी	"	नहीं
	45.	आकोला	"	"
	46.	बेगूं	"	"
	47.	पारसोली	"	अफीम
	48.	रावतभाटा	"	नहीं
	49.	भैंसरोडगढ़	"	गांजा
	50.	छोटी सादड़ी	"	नहीं
	51.	बड़ी सादड़ी	"	गांजा
	52.	निकुंभ	"	नहीं
	53.	धोला पाली	"	"

1	2	3	4	5
	54.	निम्बाहेडा	अफीम	गांजा
	55.	भदेसर	"	नहीं
	56.	भादसोडा	"	नहीं
	57.	डूंगला	"	"
	58.	कनेरा	"	"
	59.	प्रतापगढ़	"	"
	60.	अरनोद	"	"
	61.	सालमगढ़	"	गांजा
	62.	धमोतर	"	नहीं
	63.	रंठाजना	"	"
	64.	देवगढ़	"	"
बारां	65.	कवाई	"	"
	66.	अटरू	"	"
	67.	मोठपुर	"	स्मैक ब्राउन सूगर
	68.	छबड़ा	"	"
	69.	बापचा	"	गांजा
	70.	छीपाबड़ौद	"	स्मैक ब्राउन सूगर
	71.	हरनावदा शाहजी	"	"
	72.	केलवाडा	नहीं	अफीम
	73.	भंवरगढ़	"	गांजा

1	2	3	4	5
	74.	अन्ता	"	"
उदयपुर	75.	खैरोदा	अफीम	नहीं
	76.	भिण्डर	"	"
	77.	वल्लभनगर	"	"
	78.	कानोड	"	"
	79.	गोगुन्दा	नहीं	गांजा
	80.	नाई	"	"
	81.	लसाडिया	"	"
धौलपुर	82.	बसेड़ी	"	गांजा, अफीम
	83.	धौलपुर	"	गांजा
	84.	सरमथुरा	"	"

GOVERNMENT OF RAJASHTAN

HOME (Group-9) DEPARTMENT

No. F 36 (1) Home-9/2004 Dated : 15-9-04

ORDER

Whereas illicit cultivation and production of opium poppy has reportedly resulted in increase of drug abuse & drug trafficking activities which is having adverse impact on the lives of young people.

The districts of Kota, Baran, Jhalawar, Chittoragrah and parts of Bhilwara are known opium production areas. Jodhpur Division is Known for consumption of Opium. One of the disturbing trend noted recently, is production of herion/brown sugar from illicitly acquired opium from the licit opium growing areas of the State and neighboring State of MP in clandestine laboratoris. Number of seizures have taken place particularly in South India wherein the locally produced herion has been seized. In addition to this, Western Rajasthan forms a conduit for the smuggling of huge quantities of narcotic drugs from across the Indo-Pak border for onward transportation to Gujarat, Maharashtra, Delhi & Punjab.

Therefore, the Governor of Rajasthan is pleased to constitiute a special Task Force comprisinig the following members for discouraging the farmes of such illicit cultivation and production of opium/poppy and other harmful illegal drugs in Rajasthan, for creating awareness about the dangers of such cultivation amongst the people and to formulate the strategies to cope with the smuggling of narcotics drugs in the State:-

1.	Addl. Director General of Police	- Chairman
2.	I.G. Special Crimes	– Member
3.	I.G. Security	– Member
4.	I.G.s Ranges, Jodhpur, Bikaner, Kota, Udaipur	– Member
5.	Z.O. N.C.B.	– Member
6.	Dy. Narcotic Commissioner, Kota	– Member
7.	S.P/Addl. S.P. Narcotics Units/CB	– Member Secy.

The Task Force may co-opt other officials as deemed fit. The Task

Force shall collect information and identify illicit opium/poppy and other harmful illegal drugs cultivated areas in Rajasthan and take necessary measure for destruction of illegal cultivation as per law. The Task Force in consultation with DGP, Rajasthan may requisite the services of necessary security personnel required for such activities. The Anti-Narcotics Task Force will meet quarterly or as and when required.

The Member Secretary of the Task Force Shall furnish quarterly action taken reports on destruction of all such illicit cultivation to the State Home Department

By order of the Governor.

(A.R. Pathan)

Dy. Secy. To Govt.

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

चौमूं में सहकारी बैंक की नवीन शाखाएं

301. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र चौमूं में कुल कितनी सहकारी समितियां हैं? क्या सरकार इन सहकारी समितियों के चुनाव करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) विधान सभा क्षेत्र चौमूं में कितनी सहकारी बैंक की शाखाएं हैं? क्या सरकार इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति तथा बैंक के अतिरिक्त भार को देखते हुये सहकारी बैंक की नवीन शाखा खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र चौमूं में कुल 85 सहकारी समितियां हैं। जी हां सहकारिता अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त चुनाव राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा करवाये जाने हैं। निर्वाचन शीघ्र करवाये जाने हेतु कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक प.5(1)कार्मिक/क-1/2005 दिनांक 1.3.2005 द्वारा राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है।

(2) विधान सभा क्षेत्र चौमूं में जयपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., जयपुर एवं जिला प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक, जयपुर की एक-एक शाखा चौमूं में है। जयपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., जयपुर की नवीन शाखा गोविन्दगढ़ में खोला जाना प्रस्तावित है। आवश्यक औपचारिकताऐ पूर्ण होते ही नवीन शाखा खोल दी जावेगी।

जयपुर पैराफेरी क्षेत्र हेतु उप नगरीय बस सेवा

302. श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रामचन्द्र सराधना)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जयपुर के आस-पास के कस्बों को जोड़ने के लिए उप नगरीय बस सेवा प्रारम्भ की गई थी? यदि हां, तो कब और इसके लिए कौन-कौन से मार्ग निर्धारित किये गये थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त उप नगरीय मार्गों पर बसों को स्वीकृति देने हेतु क्या प्रक्रिया, नियम, शर्तें व टैक्स दरें निर्धारित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त उप नगरीय मार्गों हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा उसमें से कितने आवेदन स्वीकृत किये गये तथा स्वीकृति के पश्चात् कितने मार्गों पर कितनी बसें चलाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उप नगरीय बस सेवा संचालन में आ रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में बस आपरेटर्स द्वारा सरकार को कोई पत्र या ज्ञापन दिया गया है? यदि हां, तो बस आपरेटर्स द्वारा क्या-क्या मांगें रखी गई तथा सरकार द्वारा उनकी किन-किन मांगों का निराकरण किया गया तथा शेष मांगों का निराकरण कब तक कर दिया जायेगा?

(5) क्या यह सही है कि उक्त उप नगरीय योजना विफल सिद्ध हुई है? यदि हां, तो क्या सरकार कोई वैकल्पिक योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है। उप-नगरीय बस सेवा के सम्बन्ध में दिनांक 14.9.2004 को अधिसूचना जारी की गई थी।

इस सम्बन्ध में जयपुर के आसपास के कस्बों के लिए निर्धारित किए गए उप नगरीय मार्गों की सूची संलग्न परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(2) उप नगरीय मार्गों पर वाहनों को स्वीकृति देने हेतु राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 में संशोधन करते हुए राजस्थान मोटर यान (द्वितीय संशोधन) नियम, 2004 द्वारा नियम 1.2, 5.5 तथा प्रारूप आर.एस. 5.1 में आवश्यकतानुसार संशोधन दिनांक 14.9.2004 को किए गए हैं, जिसकी प्रति परिशिष्ट "ख" पर उपलब्ध है।

(यातायात मंत्री)

उप नगरीय मार्गों पर अनन्य रूप से चलने वाली मंजिली गाडियों पर विशेष सड़क कर की दर अधिसूचना संख्या 20 दिनांक 14.9.2004 द्वारा निर्धारित की गई थी जिसे संशोधित करते हुए अधिसूचना संख्या 20ए दिनांक 14.2.2005 को जारी की गई। जिसकी प्रति परिशिष्ट "ग" पर उपलब्ध है।

(3) उक्त उप नगरीय मार्गों पर परमिट प्राप्त करने हेतु 139 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, इनमें से 135 आवेदन पत्रों पर परमिट स्वीकृत किए जा चुके हैं तथा स्वीकृति पश्चात् 4 उप नगरीय मार्गों पर 20 बसों का संचालन प्रारम्भ हो गया है।

(4) जी हां। उप नगरीय बस सेवा संचालन में आ रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में बस आपरेटर्स द्वारा सरकार को ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं। ज्ञापनों में रखी गई मांगों तथा उनके निराकरण सम्बन्धी कार्यवाही का विवरण संलग्न परिशिष्ट "घ" पर उपलब्ध है।

(5) जी नहीं, उक्त उप नगरीय योजना विफल नहीं है। अभी इस योजना का प्रारम्भ ही है, धीरे-धीरे उक्त योजना के महत्व को समझते हुए इसका विस्तार हो रहा है। सरकार इस योजना के स्थान पर किसी अन्य वैकल्पिक योजना लाने का विचार नहीं रखती है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

तहसील मुख्यालयों पर उप-अधीक्षक पुलिस कार्यालय की स्थापना

303. श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में उप-अधीक्षक पुलिस कार्यालय खोलने के क्या मानदण्ड हैं?

(2) क्या सरकार प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर उप-अधीक्षक के कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार राज्य के पुलिस थानों का आधुनिकीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में उप-अधीक्षक पुलिस कार्यालय खोलने के मानदण्ड निर्धारित नहीं हैं।

(2) प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर उप-अधीक्षक के कार्यालय खोलने का कोई विचार नहीं है।

(3) जी हां। राज्य के पुलिस थानों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत स्वीकृत किये गये कार्यों व उपलब्ध कराये गये वाहन/उपकरणों का विवरण इस प्रकार है :-

1. स्वीकृत किये गये विभिन्न कार्य:

	थाना भवन	पुलिस आवास	बैरक	अतिरिक्त व नवीनीकरण कार्य	किचन एवं मैस डाइनिंग हाल का निर्माण	अन्वेषण कक्षों का निर्माण	महिला विश्राम गृह मय शौचालय
पुलिस आधुनिकीकरण 2001-02 से 2004-05	76	212	60	102	72	90	
11वां वित्त आयोग	100						186
हुडको ऋण योजना	100	1819					
योग	**276**	**2031**	**60**	**102**	**72**	**90**	**186**

(गृह मंत्री)

2. पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत राज्य के पुलिस थानों में वर्ष 2001-02 से वर्ष 2004-05 के मध्य निम्न सामान उपलब्ध कराये गये हैं।

(1) फोटो स्टेट मशीन– 539 फैक्स मशीन—171

3. पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001-02 से 2004 -05 तक निम्न वाहन पुलिस थानों को उपलब्ध कराये गये हैं।

हल्के वाहन	मोटर साइकिल	योग
730	1335	2065

4. पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत जिला भीलवाड़ा, अलवर, भरतपुर व जयपुर ग्रामीण के 103 पुलिस थानों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है।

5. जयपुर शहर के सभी थानों में इन्टरनेट के माध्यम से एफ.आई.आर. दर्ज कराने सम्बन्धी कार्यवाही सूचना एवं प्राद्यौगिकी विभाग द्वारा की जा रही हैं।

हिरण पार्क, पुष्कर के रख-रखाव पर व्यय

304. डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पुष्कर पचकुण्ड में हिरण पार्क है? यदि हां, तो कब से और पार्क प्रारम्भ के समय व अब हिरण कितनी संख्या में हैं?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इस पार्क के रख-रखाव के लिए कोई बजट दिया गया है? यदि हां, तो गत तीन वर्षों का विवरण मय राशि के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इस हिरण पार्क को विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। पुष्कर पचकुण्ड में वर्ष 1983-84 से हिरण पार्क है। प्रारम्भ में इसमें 7 चीतल थे। वर्तमान में इस हिरण पार्क में 25 चीतल व 2 चिंकारा है।

(2) राज्य सरकार द्वारा गत 3 वर्षों में इस पार्क में रख रखाव हेतु दिये गये बजट का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष 2001-02	2002-03	2003-04
शून्य	शून्य	20000 रुपये

(3) धार्मिक पर्यटन स्थल पुष्कर के विकास के अन्तर्गत मण्डल वन अधिकारी अजमेर द्वारा इस हिरण पार्क के विकास हेतु 42.50 लाख रु. की एक योजना जिला कलक्टर अजमेर को प्रेषित की गयी है। जिसकी स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

भरतपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक के कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही

305. श्री विजय बंसल (भरतपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक, भरतपुर में वर्ष 1987 से 31 मार्च, 1988 तक किस-किस अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कब-कब और किस-किस मामले में जांच हुई?

(2) क्या उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को आरोप साबित हो जाने के बाद भी फील्ड पोस्टिंग दी जाती रही है?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिकारी/कर्मचारियों की जांच संयुक्त रजिस्ट्रार, भरतपुर द्वारा की गई है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें तथा उस पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या यह सही है कि उक्त बैंक के अधिकारी/कर्मचारियों को जांच में दोषी पाये जाने पर उनकी सेवा पुस्तिका में इसका इन्द्राज किया गया है? यदि हां, तो किस किस की सेवा पुस्तिका में व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि., भरतपुर में वर्ष 1987 से 31 मार्च, 1988 तक अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध की गई जांचों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	कर्मचारी/ अधिकारी का नाम	पद	जांच का कारण	जांच की समयावधि
1.	मान सिंह	लिपिक	अनुपस्थित रहने के कारण	वर्ष 1987 से 31.3.1988
2.	पदम सिंह	सहायक अधिशाशी अधिकारी	अनियमित भुगतान के कारण	वर्ष 1987 से 31.3.1988
3.	भगवत सिंह	ऋण पर्यवेक्षक	स्वच्छे सेअनुपस्थित रहने व आदेशों की अवहेलना	वर्ष 1987 से 31.3.1988

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। तत्समय सेवा पुस्तिका प्रचलन में नहीं होने के कारण सेवा पुस्तिका में इन्द्राज नहीं किया गया।

किशनगढ़-रेनवाल (फुलेरा) में स्टेडियम-निर्माण

306. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या युवा एवं खेलकूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में खेलकूद स्टेडियम स्थापित करने के मानदण्ड क्या हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के किशनगढ़ रेनवाल कस्बे में खेल स्टेडियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में खेलकूद स्थापित करने हेतु प्रायोजक संस्था के हक में स्पष्ट पर्याप्त भूमि का स्वामित्व होना चाहिए, स्टेडियम निर्माण की अनुमानित लागत का 50 प्रतिशत स्वयं प्रायोजक संस्था द्वारा व्यय किये जाने का शपथ-पत्र, सक्षम अभियन्ता द्वारा तैयार किया हुआ विस्तृत तकमीना, ड्राइंग्स तथा प्रायोजक संस्था का बाण्ड फार्म तथा निर्धारित आवेदन-पत्र सहित पूर्ण प्रस्ताव होना चाहिए। मापदण्डों की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। भारत सरकार की योजना के तहत स्टेडियम के निर्माण का प्रावधान जिला मुख्यालयों पर ही है।

(मानदण्डों की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विस्थापित हिन्दुओं को भारतीय नागरिकता

307. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि एक दशक से भी ज्यादा समय से भारत में निवास कर रहे पांच हजार पाकिस्तानी हिन्दुओं को भारतीय नागरिकता देने का निर्णय केन्द्र सरकार द्वारा लिया गया है और राज्य सरकार को फरवरी, 2005 तक नागरिकता देने के समस्त मामले निपटाने के लिए निर्देशित किया गया है? यदि हां, तो किस-किस जिले में कितने पाकिस्तानी हिन्दू हैं तथा उनमें से कितनों को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी गई है? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पाकिस्तानी हिन्दुओं में से अधिकांश व्यक्ति अनुसूचित जाति व जनजाति के हैं? यदि हां, तो इन्हें नागरिकता देने का कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) हां। यह सही है कि पांच वर्ष या इससे अधिक की अवधि से भारत में रह रहे हिन्दू पाक नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान किए जाने का निर्णय केन्द्रीय सरकार द्वारा लिया गया है एवं मंत्रालय द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2005 तक भारतीय नागरिकता प्रदान करने हेतु राज्य के जिला मजिस्ट्रेट्स को प्राधिकृत किया गया था। पांच वर्ष या उससे अधिक की अवधि से निवास करने वाले पाकिस्तानी हिन्दुओं की संख्या लगभग 10594 है। इनमें से 9477 हिन्दू पाक नागरिकों को दिनांक 28.2.2005 तक भारतीय नागरिकता प्रमाण-पत्र जारी किए जा चुके हैं। जिलेवार सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) यह सही नहीं है कि पाकिस्तान से भारत आकर वैध/अवैध रूप से वास कर रहे पाकिस्तानी नागरिकों में अधिकांश व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति के ही हों। इनमें से अनुसूचित जाति/जनजाति के अलावा अन्य पिछड़े वर्ग तथा सामान्य जाति के व्यक्ति भी पाकिस्तान से भारत आकर वास कर रहे हैं। इनमें से नियमानुसार पांच वर्ष या अधिक की अवधि पूरी कर चुके पाक नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जा चुकी है।

परिशिष्ट "क"

राज्य में पांच वर्ष या उससे अधिक की अवधि से वास कर रहे हिन्दू पाक-नागरिकों की जिलेवार संख्या

क्र. सं.	जिले का नाम	कुल पाक हिन्दू नागरिक	भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है
1	2	3	4
1.	अजमेर	88	86
2.	बीकानेर	387	387
3.	भरतपुर	2	2
4.	जयपुर	691	491
5.	जोधपुर	3499	3499
6.	कोटा	149	123

1	2	3	4
7.	उदयपुर	254	210
8.	भीलवाड़ा	49	25
9.	अलवर	17	3
10.	बाड़मेर	1294	1250
11.	बूंदी	88	87
12.	बारां	—	—
13.	बांसवाड़ा	—	—
14.	चूरू	9	9
15.	चित्तौड़गढ़	2	1
16.	दौसा	1	1
17.	धौलपुर	—	—
18.	डूंगरपुर	—	—
19.	हनुमानगढ़	43	42
20.	झालावाड़	—	—
21.	झुन्झुनूं	—	—
22.	जैसलमेर	1081	478
23.	जालौर	422	306
24.	करौली	—	—
25.	नागौर	33	31
26.	पाली	316	232
27.	राजसमन्द	3	3
28.	सीकर	16	6

1	2	3	4
29.	सवाईमाधोपुर	1	1
30.	श्रीगंगानगर	2108	2084
31.	सिरोही	38	38
32.	टोंक	3	3
	कुल योग	10594	9477

पंचायत समिति में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ताओं को सहायक अभियन्ता पद का पदस्थापन

308. श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर (महुवा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति में सहायक अभियन्ताओं के पद सृजित किये गये हैं? यदि हां, तो वर्तमान में किस-किस पंचायत समिति में सहायक अभियन्ता पद स्थापित हैं और किस-किस में पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सहायक अभियन्ताओं के सृजित पदों पर जल ग्रहण निकास के कनिष्ठ अभियन्ताओं को पाते वेतन पर सहायक अभियन्ता लगाया गया है? यदि हां, तो पंचायत समिति में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता को पाते वेतन पर सहायक अभियन्ता क्यों नहीं लगाया गया?

(3) क्या सरकार पंचायत समिति के कनिष्ठ अभियन्ताओं को सहायक अभियन्ताओं के पद पर पाते वेतन पर पदस्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में पंचायत समितियों में पदस्थापित सहायक अभियन्ताओं का एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(पंचायती राज मंत्री)

(2) जी हां। भू-संरक्षण विभाग के कार्यकलाप पंचायत समितियों में स्थानान्तरित होने के कारण यह अस्थायी व्यवस्था की गयी।

(3) जी नहीं। क्योंकि ग्रामीण विकास अभियान्त्रिकी सेवा का विभाग द्वारा गठन किया जा रहा है इसलिये इसकी व्यवस्था उन सेवा नियमों के अनुसार की जायेगी।

पंचायत समितिवार पदस्थापित नियमित/कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यरत सहायक अभियन्ताओं की सूची

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पंचायत समिति का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4
1.	श्री के. के. सैनी	पीसांगन	नियमित
2.	श्री जी. के. माथुर	केकड़ी	नियमित
3.	श्री आई. सी. खण्डेलवाल	किशनगढ़	नियमित
4.	श्री. एस. के सैनी	उमरैण	नियमित
5.	श्री जयसिंह अरोडा	बानसूर	नियमित
6.	श्री आर.पी. शर्मा	बारां	नियमित
7.	श्री इनायतुल्ला खां	शाहबाद	नियमित
8.	श्री आर. डी. दुबे	कुशलगढ़	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
9.	श्री आई.सी. सूर्यवंशी	बागीदौरा	नियमित
10.	श्री हरिलाल पटेल	घाटोल	नियमित
11.	श्री पी. एस. लोहिया	पीपलखूट	नियमित
12.	श्री ए. के. तिवाडी	सिवाना	नियमित

1	2	3	4
13.	श्री भागीरथ सिंह ढाका	बालोतरा	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
14.	श्री ब्रहमानन्द	चोहटन	नियमित
15.	श्री शेरसिंह गहलोत	धोरीमन्ना	नियमित
16.	श्री डी. एन. पाण्डे	बाडमेर	नियमित
17.	श्री ए. एस. चाहर	डीग	नियमित
18.	श्री एस. के. मल्होत्रा	कामां	नियमित
19.	श्री दिगम्बर कटरे	बैर	नियमित
20.	श्री दोजी राम पुष्प	रूपवास	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
21.	श्री एस. के. सक्सेना	नदबई	नियमित
22.	श्री पी. के. अग्रवाल	कुम्भेर	नियमित
23.	श्री हेमन्त जोशी	माण्डलगढ़	नियमित
24.	श्री ए. पी. काला	शाहपुरा (भीलवाड़ा)	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
25.	श्री राजमल बाफना	सहाड़ा	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
26.	श्री एस. के. शर्मा	लूणकरणसर	नियमित
27.	श्री के. एल. सुखेजा	कोलायत	नियमित
28.	श्री ए. के. सक्सेना	बीकानेर	नियमित
29.	श्री देवकरण कसारा	हिण्डोली	नियमित
30.	श्री सुरेश बडाला	चित्तौड़गढ़	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
31.	श्री उदाराम राव	कुचामन	नियमित

1	2	3	4
32.	श्री करण सिंह राठौड़	नागौर	नियमित
33.	श्री जी. एस. चौहान	परबतसर	नियमित
34.	श्री वी. एस. भाटी	मेडतासिटी	नियमित
35.	श्री ए. के. शुक्ला	राणी	नियमित
36.	श्री वी. के. शर्मा	पाली	नियमित
37.	श्री हातीम हुसैन	राजसमन्द	नियमित
38.	श्री जयंत मेहता	देवगढ़	नियमित
39.	श्री डी. सी. जैन	खमनौर	नियमित
40.	श्री पूरणमल गुप्ता	बौंली	नियमित
41.	श्री एन. एल. शर्मा	हिण्डौन	नियमित
42.	श्री के. के. दीक्षित	बाडी	नियमित
43.	श्री पी. एल. बाजिया	पिपराली	नियमित
44.	श्री हीरालाल अहीर	श्रीमाधोपुर	नियमित
45.	श्री एन. एस. निर्वाण	खण्डेला	नियमित
46.	श्री एस. एन. माथुर	शिवगंज	नियमित
47.	श्री अरूण लाल माथुर	आबूरोड	नियमित
48.	श्री हरिकेश मीणा	टोंक	नियमित
49.	श्री एम. एल. कौशल	निवाई	नियमित
50.	श्री के. एल. मीणा	उनियारा	नियमित
51.	श्री देवेन्द्र लोढ़ा	कोटडा	नियमित
52.	श्री जी. एल. रोत	सलूम्बर	नियमित

1	2	3	4
53.	श्री सईद अख्तर	मावली	नियमित
54.	श्री अहसान शेख	खैरवाडा	नियमित
55.	श्री सी. एल. सालवी	भिण्डर	नियमित
56.	श्री मोहम्मद हुसैन	गोगुन्दा	नियमित
57.	श्री वी. एस. खमेसरा	झाडोल	नियमित
58.	श्री मोहन लाल दसोरा	गढ़ी	नियमित
59.	श्री रामनिवास मारूका	कपासन	नियमित
60.	श्री बाबूलाल मीणा	चूरू	नियमित
61.	श्री ए. के. सोनी	बांदीकुई	नियमित
62.	श्री वी. एस. खंगारोत	दौसा	नियमित
63.	श्री ए. के. अम्ब्रेश	धौलपुर	नियमित
64.	श्री एच. के. पाटीदार	सागवाड़ा	नियमित
65.	श्री एम. के. पोरवाल	बिच्छीवाड़ा	नियमित
66.	श्री डी. के. यादव	आसपुर	नियमित
67.	श्री वी. के. भालेराव	करणपुर	नियमित
68.	श्री बी. एल. यादव	भादरा	नियमित
69.	श्री डी. एन. जैन	साम्भर	नियमित
70.	श्री एस. के. गोयनका	दूदू	नियमित
71.	श्री एस. एन. माथुर	गोविन्दगढ़	नियमित
72.	श्री दिनेश कुमार	आमेर	नियमित

1	2	3	4
73.	श्री एन. एस. सिंघवी	जमवारामगढ़	नियमित
74.	श्री सी. एल. भट्ट	शाहपुरा (जयपुर)	नियमित
75.	श्री देवराम कटारा	सांकड़ा	नियमित
76.	श्री एस. के. कट्टा	जैसलमेर	नियमित
77.	श्री एस. एस. चौहान	जालौर	नियमित
78.	श्री एम. एल. पालीवाल	सायला	नियमित
79.	श्री रघुवीर सांखला	जसवंतपुरा	नियमित
80.	श्री के. एस. पंवार	झालरापाटन	नियमित
81.	श्री के. ए. नाटाणी	खानपुर	नियमित
82.	श्री आर. एस. हाडा	डग	नियमित
83.	श्री बी. पी. शर्मा	पिडावा	नियमित
84.	श्री मोहम्मद अहमद	बकानी	नियमित
85.	श्री आर. पी. गुप्ता	मनोहरथाना	नियमित
86.	श्री एन. एस. बीका	झुन्झुनूं	नियमित
87.	श्री आर. एल. गोदारा	अलसीसर	नियमित
88.	श्री बी. के. श्रीवास्तव	खेतड़ी	नियमित
89.	श्री सुरेश व्यास	औसिंया	नियमित
90.	श्री एस. एल. दवे	बिलाडा	नियमित
91.	श्री एस. के. सचदेवा	लूणी	नियमित
92.	श्री बन्नाराम	फलौदी	नियमित
93.	श्री पी. के. शर्मा	खैरवाड़ा	नियमित
94.	श्री ए. के. माथुर	लाडनूं	नियमित

1	2	3	4
95.	श्री राजीव माथुर	श्रीनगर	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
96.	श्री राकेश कुमार गुप्ता	लक्ष्मणगढ़	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
97.	श्री हरिराम जाट	मुण्डावर	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
98.	श्रीअविनाश किंजवडेकर	अन्ता	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
99.	श्री सत्येन्द्र कुमार शर्मा	अटरू	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
100.	श्री आदेश कुमार जैन	छीपाबड़ौद	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
101.	श्री राम मदवानी	किशनगंज	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
102.	श्री अजय द्विवेदी	आनन्दपुरी	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
103.	श्री प्रकाश चन्द्र हूमड़	तलवाड़ा	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
104.	श्री मुकेश अग्रवाल	नगर	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
105.	श्री घनश्याम डांड	मांडल	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
106.	श्री रूप लाल शर्मा	आसीन्द	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
107.	श्री रमेश चन्द्र सोडानी	जहाजपुर	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
108.	श्री शंकर लाल चपलोत	बनेड़ा	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
109.	श्री मिर्जा रहमान	नौखा	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
110.	श्री विजय कुमार भाटिया	तालेड़ा	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
111.	श्री कमलेश कुमार विजय	नैनवां	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
112.	श्री राकेश कुमार अग्रवाल	के. पाटन	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
113.	श्री एन. पी. माथुर	बैगूं	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
114.	श्री लक्ष्मण कंवरानी	प्रतापगढ़	नियमित
115.	श्री हकिमुदीन ताज	अरनौंद	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
116.	श्री श्रीनाथ न्याती	रतनगढ़	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत

1	2	3	4
117.	श्री ओ. पी. गिरी	सरदारशहर	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
118.	श्री आर. वी. श्रीवास्तव	राजगढ़	नियमित
119.	श्री साबीउदीन काजी	तारानगर	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
120.	श्री कंवरपाल शर्मा	लालसोट	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
121.	श्री भूपेश व्यास	सीमलवाड़ा	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
122.	श्री योगेश गौड	अनूपगढ़	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
123.	श्री वी. एस. पुरोहित	रायसिंहनगर	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
124.	श्री सुखविन्दर सिंह	हनुमानगढ़	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
125.	श्री बलदेव सिंह चौधरी	फागी	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
126.	श्री रामवीर शर्मा	कोटपुतली	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
127.	श्री सी. एल. शर्मा	चाकसू	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
128.	श्री प्रवीण कुमार जैन	बस्सी (जयपुर)	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
129.	श्री रमेश चन्द्र माथुर	सम	सिंचाई विभाग
130.	श्री चन्द्रश अग्रवाल	सांचौर	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
131.	श्री शिवकुमार लाटा	आहौर	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
132.	श्री विष्णु शंकर पालीवाल	बुहाना	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
133.	श्री इन्दर चन्द्र निमेश	उदयपुरवाटी	नियमित
134.	श्री विरेन्द्र यादव	नवलगढ़	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
135.	श्री देवीसिंह राजपूत	चिडावा	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
136.	श्री गणपत लाल माथुर	भोपालगढ़	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
137.	श्री मनोज गहलोत	शेरगढ़	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
138.	श्री सुरेश कुमार दुग्गल	बालेसर	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत

1	2	3	4
139.	श्री ओम कुमार जोशी	बाप	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
140.	श्री सिराज अहमद	लाड़पुरा	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
141.	श्री हमेन्द्र दशोरा	सांगोद	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
142.	श्री कमल कान्त आमेटा	मूंडवा	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
143.	श्री गोपीलाल खटीक	जायल (नागौर)	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
144.	श्री आर. एन. माथुर	मकराना	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
145.	श्री सुनील कुमार जैन	ड़ेगाना	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
146.	श्री जे. पी. जोशी	बाली	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
147.	श्री संजीव सोनी	मारवाड़ जंक्शन	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
148.	श्री गोविन्द सोनी	जैतारण	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
149.	श्री उमाप्रताप सिंह	रायपुर	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
150.	श्री अनिल आचार्य	कुम्भलगढ़	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
151.	श्री सुशील कुमार जैन	रेलमगरा	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
152.	श्री राज कुमार भटनागर	भीम	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
153.	श्री श्रवण कुमार जैन	खण्ड़ार	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
154.	श्री के. के. वशिष्ठ	बामनवारा	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
155.	श्री विनोद कुमार अग्रवाल	सपोटरा	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
156.	श्री सत्यनारायण शर्मा	नादौती	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
157.	श्री बन्शीधर पहाड़िया	लक्ष्मणगढ़	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
158.	श्री ओ. पी. माथुर	फतेहपुर	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
159.	श्री आर. सी. शर्मा	नीमकाथाना	नियमित
160.	श्री [illegible] एस. मूंडिया	रेवदर	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत

1	2	3	4
161.	श्री किशन सुखिया	धारियावाद	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
162.	श्रीअजीत सिंह गलूण्डिया	सराडा	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
163.	श्री एच. पी. लाटा	जिला परिषद, दौसा	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
164.	श्री ए. के. इन्दुरख्यिा	जिला परिषद, दौसा	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
165.	श्री जितेन्द्र शर्मा	जिला परिषद, चूरू	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
166.	श्रीकमलनयन खण्डेलवाल	डी.पी.ई.पी., जयपुर	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
167.	श्री दीपक श्रीवास्तव	लोकजुम्बिश, उदयपुर	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
168.	श्री ओम प्रकाश शर्मा	भू विकास बैंक,जयपुर	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
169.	श्री रामसेवक	निलम्बित	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
170.	रिक्त	श्रीडूंगरगढ़	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
171.	रिक्त	सुजानगढ़	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
172.	रिक्त	सूरतगढ़	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
173.	रिक्त	नौहर	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
174.	रिक्त	रानीवाडा	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
175.	रिक्त	सूरजगढ़	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
176.	रिक्त	सुल्तानपुर	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
177.	रिक्त	रिया	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
178.	रिक्त	टोडाभीम	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
179.	रिक्त	पिण्डवाडा	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
180.	रिक्त	गिर्वा	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत
181.	रिक्त	शिव	कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत

1	2	3	4
182.	रिक्त	ज्वाजा	नियमित
183.	रिक्त	मसूदा	नियमित
184.	रिक्त	कठूमर	नियमित
185.	रिक्त	बायतू	नियमित
186.	रिक्त	बयाना	नियमित
187.	रिक्त	निम्बाहेड़ा	नियमित
188.	रिक्त	डूंगरपुर	नियमित
189.	रिक्त	भीनमाल	नियमित
190.	रिक्त	डीडवाना	नियमित
191.	रिक्त	सुमेरपुर	नियमित
192.	रिक्त	सोजत	नियमित
193.	रिक्त	गंगापुरसिटी	नियमित
194.	रिक्त	सवाईमाधोपुर	नियमित
195.	रिक्त	धौद	नियमित
196.	रिक्त	दांतारामगढ़	नियमित
197.	रिक्त	सिरोही	नियमित
198.	रिक्त	मालपुरा	नियमित
199.	रिक्त	देवली	नियमित
200.	रिक्त	सिणधरी	नियमित

नोट :- कार्यरत कृषि अभियन्ताओं के अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर जाने के कारण पद रिक्त है।

राज्य पैट्रोलियम निगम की स्थापना

309. **श्री रणधीर सिंह भीण्डर** (वल्लभनगर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में शैल/केयर्न एनर्जी द्वारा तेल खोजने हेतु 55 कुओं की खुदाई की गई, इनमें से 30 कुओं में 300 मिलियन टन इनप्लेस खनिज तेल भण्डार के होने की सूचना दी गई है? यदि हां, तो राज्य सरकार को इससे कितना राजस्व मिलने की उम्मीद है?

(2) जो कुएं ये कम्पनियां कम मुनाफे वाले पाती हैं इन्हें ये किसे सबलेट करती है? क्या सरकार का इन पर नियन्त्रण है?

(3) क्या सरकार गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड की तर्ज पर राजस्थान में भी कोई कम्पनी गठित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। बाड़मेर जिले में अन्वेषण करने वाली कम्पनी केयर्न एनर्जी द्वारा 300 मिलियन टन इनप्लेस खनिज तेल भण्डार होने की सूचना दी गई है। इसके उत्पादन होने पर राज्य सरकार को मिलने वाले सम्भावित राजस्व की सूचना परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जिन कुओं को ये कम्पनियां कम मुनाफे वाली पाती है, उन्हें सबलेट नहीं करते हैं, उस पर भारत सरकार का नियंत्रण रहता है। कम मुनाफे वाले कुओं को नियमानुसार भारत सरकार एवं राज्य सरकार की अनुमति के बिना कोई भी कम्पनी सबलेट नहीं कर सकती है।

(3) इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

परिशिष्ट "अ"

बाडमेर-सांचोर बेसिन के ब्लाक आरजे-ओएन 90/1 से होने वाले क्रूड आयल के उत्पादन द्वारा राज्य को प्राप्त होने वाला सम्भावित राजस्व

वर्ष	सम्भावित उत्पादन	रायल्टी (20% की दर) (करोड़ों रुपये में)	बिक्री कर (11.5% की दर) (करोड़ रुपये में)	कुल राजस्व आय (करोड़ रुपये में)
2005-2006	5,000 बैरल प्रतिवर्ष	57	33	90
2006-2007	10,000 बैरल प्रतिवर्ष	115	66	181
2007-2008	20,000 बैरल प्रतिवर्ष	230	132	362
2008-2009	25,000 बैरल प्रतिवर्ष	287	185	452
2009-2010	30,000 बैरल प्रतिवर्ष	345	198	543
2010-2011	40,000 बैरल प्रतिवर्ष	460	262	724

अलवर जिले के छात्रावासों के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतें

310. श्री जयराम जाटव (खैरथल) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अलवर जिले में कितने छात्रावास राजकीय एवं अनुदानित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कितने छात्रावास राजकीय भवनों में तथा कितने किराये के भवनों में संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त भवनों में सभी मूलभूत आवश्यक सुविधायें उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो इस हेतु सरकार क्या प्रयास कर रही है?

(4) क्या यह भी सही है कि आवासरत छात्रों को पर्याप्त सुविधायें नहीं देने बाबत जिला कलक्टर एवं सरकार को समय-समय पर शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि

(श्री जयराम जाटव)

हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? शिकायत की प्रति एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर जिले में 25 राजकीय छात्रावास हैं तथा कोई भी अनुदानित छात्रावास नहीं है। सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जिले में संचालित 25 छात्रावासों में से विभाग के 12 छात्रावास राजकीय भवनों में और 13 किराये के भवनों में संचालित हैं। सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(3) सभी 12 राजकीय भवनों में संचालित छात्रावासों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। किराये के 13 भवनों में से सिर्फ 2 भवनों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इन 2 भवनों के स्थान पर अन्य भवनों की तलाश की जा रही है।

(4) जी हां। आवासरत छात्रों की सुविधाओं के सम्बन्ध में श्री लीलाराम खटीक सामाजिक कार्यकर्ता, लक्ष्मणगढ़ (अलवर) से अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी जांच विभाग द्वारा कराई गई है। प्राप्त जांच रिपोर्ट में शिकायत असत्य व गलत पाई गयी है। इसके अतिरिक्त श्री हरिसिंह जाटव, कठूमर, अलवर ने राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, कठूमर (अलवर) में छात्रों की संख्या को देखते हुए भवन में अतिरिक्त कमरे बनवाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया था जिस पर कार्यवाही कर राज्य सरकार द्वारा उक्त छात्रावास भवन में अतिरिक्त कमरे व मरम्मत कराने हेतु वर्ष 2003-04 में 7.30 लाख रुपये सार्वजनिक निर्माण को स्वीकृत किये गये थे, से अतिरिक्त कमरों का निर्माण करवाकर समस्या का समाधान करवा दिया गया है। राज्य सरकार को प्राप्त शिकायती पत्र/ प्रार्थना पत्र की प्रति व जांच रिपोर्ट की प्रति व प्रार्थना पत्र के निराकरण के पत्रों की प्रतियां परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(पत्रों की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गईं)

परबतसर शहर के खेल स्टेडियम के विकास हेतु स्वीकृत राशि

311. श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : क्या युवा एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री राकेश मेघवाल)

(1) राज्य में अब तक विभिन्न खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु कितने स्टेडियमों का निर्माण करवाया गया तथा कितने स्टेडियमों हेतु कितनी-कितनी राशि किस-किस योजना में स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि परबतसर शहर में विभिन्न खेलों हेतु स्टेडियम बना हुआ है तथा नगर पालिका द्वारा उक्त स्टेडियम में चार दीवारी एवं लेवलिंग का कार्य करवाया गया है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त स्टेडियम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त स्टेडियम विकास हेतु कोई राशि स्वीकृत की गई है? यदि नहीं, तो क्यों तथा क्या सरकार भविष्य में इसके विकास हेतु राशि उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में अब तक विभिन्न खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु 62 स्टेडियमों का निर्माण कराया गया है। इन स्टेडियमों हेतु विभिन्न योजनाओं में राशि स्वीकृत की गई जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। नगर पालिका से खेल मैदानों के प्रस्ताव प्राप्त होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को देखकर अपेक्षित कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट "अ"

स्टेडियमों के निर्माण हेतु दी गई अनुदान राशि

क्र. सं.	जिले का नाम	स्टेडियम का नाम	केन्द्र अनुदान	राज्य अनुदान
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	स्पोर्टस काम्प्लेक्स, अजमेर	34.00	35.62
	अजमेर	इण्डोरस्टेडियमकमेटी,अजमेर	18,72,500	13.72
2.	अलवर	स्पोर्टस काम्प्लेक्स, अलवर	20.00	5.25
3.	बांसवाडा	स्टेडियम बांसवाडा	11.00	3.00
4.	बाडमेर	स्टेडियम बाडमेर	0.68	10.00
5.	भरतपुर	लोहागढ़ स्टेडियम, भरतपुर	—	10.00
6.	भीलवाडा	स्पोर्टस काम्प्लेक्स, भीलवाडा	5.00	6.50
	भीलवाडा	स्टेडियम फुलियाकलां	—	0.90
7.	बीकानेर	स्पोर्टस काम्प्लेक्स, बीकानेर	2.50	20.00
	बीकानेर	स्टेडियम ग्राम पंचायत, कालू	2.00	—
8.	बूंदी	स्टेडियम, बूंदी	2.50	—
9.	बारां	स्टेडियम, बारां	—	2.00
	बारां	स्टेडियम, अटरू	—	2.00
10.	चित्तौड़गढ़	स्टेडियम, चित्तौड़गढ़	0.50	7.00
	चित्तौड़गढ़	स्टेडियम, प्रतापगढ़	2.00	0.50
11.	चूरू	ओपन स्टेडियम, चूरू	0.50	12.00
	चूरू	स्टेडियम, सुजानगढ़	—	10.00
	चूरू	स्टेडियम, रतनगढ़	—	2.00
	चूरू	स्टेडियम, राजलदेसर	12.00	4.00

1	2	3	4	5
	चूरू	स्टेडियम, छापर	—	2.00
12.	दौसा	मानक्लब स्टेडियम, दौसा	1.75	1.75
	दौसा	राजेश पायलेट स्टेडियम, दौसा	—	15.00
13.	धौलपुर	मिनी स्टेडियम, धौलपुर	0.50	—
14.	डूंगरपुर	स्पोर्टस काम्प्लेक्स, डूंगरपुर	10.00	1.00
	डूंगरपुर	स्टेडियम, ठाकरडा	0.93	0.93
15.	श्रीगंगानगर	गंगासिंह स्टेडियम, श्रीगंगानगर	2.50	20.00
	श्रीगंगानगर	स्टेडियम, गजसिंहपुर	—	1.00
16.	हनुमानगढ़	स्टेडियम, हनुमानगढ़	—	10.71
17.	जयपुर	एस एम एस स्टेडियम, जयपुर	200.00	575.00
	जयपुर	विद्याधर नगर स्टेडियम	—	81.88
	जयपुर	चौगान स्टेडियम, जयपुर	—	15.50
	जयपुर	स्टेडियम, शाहपुरा	—	9.00
18.	जोधपुर	एस पी डी ए, जोधपुर	50.00	11.00
	जोधपुर	स्टेडियम, बिलाड़ा	0.50	0.50
	जोधपुर	स्टेडियम, फलौदी	1.30	—
	जोधपुर	स्टेडियम, तिलवासना	1.00	0.65
19.	जैसलमेर	स्टेडियम, जैसलमेर	0.50	26.72

1	2	3	4	5
20.	जालौर	स्टेडियम, जालौर	0.38, 600	2.07
21.	झुन्झुनूं	स्टेडियम, झुन्झुनूं	—	2.00
	झुन्झुनूं	स्टेडियम, राजोटा	4.72	2.00
22.	झालावाड़	स्पोटर्स काम्प्लेक्स, झालावाड़	—	30.00
23.	कोटा	जे. के. क्रिकेट, पवेलियन, कोटा	—	—
24.	करौली	माथुर स्टेडियम, करौली	—	8.30
25.	नागौर	स्टेडियम, नागौर	1.44	2.00
	नागौर	स्टेडियम, डीडवाना	—	6.00
	नागौर	स्टेडियम, नावां	0.18	0.50
	नागौर	स्टेडियम, मकराना	4.93	2.00
	नागौर	स्टेडियम, कुचामनसिटी	—	2.00
26.	पाली	स्टेडियम, पाली	3.50	0.75
	पाली	जिला क्लब स्टेडियम, पाली	3.00	1.00
27.	राजसमन्द	मन्दिर मण्डल स्टेडियम, नाथद्वारा	0.00	2.00
28.	सीकर	स्टेडियम, सीकर	7.50	4.00
	सीकर	स्टेडियम, फतेहपुर शेखावाटी	—	2.00
	सीकर	स्टेडियम, श्रीमाधोपुर	—	4.00
29.	सिरोही	स्टेडियम, आबू पर्वत	1.00	1.32

1	2	3	4	5
	सिरोही	स्टेडियम, सिरोही	0.00	3.00
30.	सवाईमाधोपुर	स्टेडियम, सवाईमाधोपुर	1.25	0.50
	सवाईमाधोपुर	स्टेडियम, सी.मा.वि. गंगापुरसिटी	—	1.00
	सवाईमाधोपुर	स्टेडियम, शिवाड़	—	0.30
31.	टोंक	स्टेडियम, टोंक	—	4.50
32.	उदयपुर	स्टेडियम, खैरवाडा	0.97	0.50
	उदयपुर	स्टेडियम विद्याप्रचारिणी सभा, उदयपुर	2.50	2.00

बारां जिला मजिस्ट्रेट को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के प्रदत्त अधिकार

312. **श्री प्रमोद जैन "भाया"** (बारां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में किन-किन जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों को दिनांक 1 मार्च, 2005 को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 13 के अधिकार दिये गए हैं।

(2) जिला बारां में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति शांतिप्रिय होने के बावजूद उक्त अधिकार किस अधिकारी या विभाग की अभिशंशा पर दिये गये?

(3) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गुण्डागर्दी लोक व्यवस्था एवं तस्करी जैसी गतिविधियों हेतु भी जिला मजिस्ट्रेट को ऐसे अधिकार देने के क्या कारण हैं? क्या भारतीय दण्ड संहिता की विद्यमान धाराएं इन अपराधों की रोकथाम व अपराधियों को दण्डित करने के लिये पर्याप्त नहीं है?

(4) क्या यह सही है कि जिला मजिस्ट्रेट बारां को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधिकार राजनीतिक द्वेषता से कार्यवाही करवाने हेतु प्रदत्त किये गये हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा अधिनियम की धाराओं का दुरुपयोग रोकने हेतु कोई उपाय सुनिश्चित किये गये हैं?

उत्तर

(1) दिनांक 1.3.2005 को राज्य के किसी भी जिला मजिस्ट्रेट को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 की धारा 3(2) में प्रदत्त अधिकार नहीं दिये गये हैं। अपितु जिला मजिस्ट्रेट-बारां को अवधि दिनांक 19.1.2005 से 18.4.2005 तक, जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर को दिनांक 4.12.2004 से 3.3.2005 तक जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ को 1.1.2005 से 31.3.2005 तक तथा जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को दिनांक 25.2.2005 से 24.5.2005 तक उक्त शक्तियां, राज्य सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रदान की है।

(2) जिला बारां में असामाजिक तत्वों और व्यक्तियों को प्रभावी तरीके से निवारित करने और साम्प्रदायिक बलवों, गुण्डागर्दी, लोक अव्यवस्था, तस्करी गतिविधियों आदि की रोकथाम करने के लिये पुलिस अधीक्षक बारां की रिपोर्ट पर, जिला मजिस्ट्रेट बारां की अभिशंषा/प्रस्ताव के आधार पर राज्य सरकार ने ये अधिकार दिये हैं।

(3) गुण्डागर्दी, लोक अव्यवस्था एवं तस्करी जैसी गतिविधियों में लिप्त अपराधियों की भारतीय दण्ड संहिता की विद्यमान धाराओं में जमानत का प्रावधान उपलब्ध होने के कारण ऐसे तत्वों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अधिकार दिया जाना राज्य सरकार ने उचित समझा है।

(4) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों की पुष्टि गृह विभाग द्वारा पूर्ण परीक्षण करने के बाद की जाती है तथा इसके बाद माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के सलाहकार मण्डल की उन प्रकरणों में रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसे नियमों के तहत निरूद्धि के आदेश पारित किये जाते हैं।

भीनमाल पंचायत समिति परिसर में निर्मित दुकानों का आबंटन

313. डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(डा. समरजीत सिंह)

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति भीनमाल (जालौर) परिसर में निजी आय हेतु कुछ दुकानों का निर्माण करवाया गया था? यदि हां, तो कितनी दुकानें किस वर्ष में कितनी लागत से बनवाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इन दुकानों का आबंटन भी कर दिया गया? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति/फर्म को कब-कब? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त आबंटित दुकानों में से कुछ की नीलामी निरस्त कर इन्हें पुन: पहले से सस्ती दरों पर आबंटित किया गया व यदि हां, तो कौन कौनसी दुकान को कब-कब निरस्त कर पुन: आबंटन किया गया व ऐसा करने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार नियम विरुद्ध आबंटन करने वाले दो ी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि पंचायत समिति भीनमाल के मुख्य द्वार पर 7 दुकानों का निर्माण राज्य वित्त आयोग मद (पंचायत समिति मद) से वर्ष 2003 में रुपये 2.43 लाख की लागत से बनवाई गई।

(2) जी हां। यह सही है कि पंचायत समिति, भीनमाल द्वारा दुकानों का आबंटन खुली बोली के आधार पर निम्नानुसार निम्न व्यक्तियों को दिनांक 28.9.2004 को किया गया। विवरण निम्नानुसार है :-

(पंचायतीराज मंत्री)

दुकान नं.	नाम व्यक्ति/फर्म	निवासी
1.	श्री राजूराम पुत्र श्री सवाराम भील	भांगलभीम
2.	हीराराम पुत्र श्री केसराराम मेघवाल	नांदीया
3.	श्री सोनाराम पुत्र श्री भोमाराम नाई	निम्बोला
4.	श्री रमेश पुरोहित पुत्र श्री उम्मेदाराम	गेडा
5.	श्री पदमदान पुत्र श्री हरदान चारण	नांदीया
6.	श्री जगदीश पुत्र श्री प्रभुराम	मोरसीम
7.	श्री जबरपुरी पुत्र श्री संतोषपुरी	कोटकास्ता

दुकान संख्या 6 व 7 के आबंटी द्वारा नीलामी की शर्तों के अनुरूप धरोहर राशि रुपये 20000 जमा न कराये जाने पर आबंटन निरस्त कर दिनांक 29.11.2004 को पुन: खुली बोली के आधार पर आबंटित की गई थी।

दुकान नं.	नाम व्यक्ति/फर्म	निवासी
6.	श्री पारसाराम पुत्र श्री फुलाराम	दातीवारा
7.	श्री चेलाराम पुत्र श्री जेठाराम जोशी	दासपा

(3) जी हां। पंचायत समिति, भीनमाल द्वारा उक्त आबंटित दुकानों में से दुकान संख्या 6 व 7 की नीलामी निरस्त कर पुन: दिनांक 29.11.2004 को खुली बोली से नीलामी की गई।

दुकान नं.	नीलामी निरस्तीकरण की दिनांक	पुन: आबंटन का दिनांक
6.	28.9.2004	29.11.2004
7.	28.9.2004	29.11.2004

आबंटियों द्वारा धरोहर राशि 20.000 रु. जमा न कराये जाने के कारण नीलामी निरस्त कर पुन: नीलामी की कार्रवाई की गई।

(4) जी नहीं। समस्त कारवाई नियमानुसार व प्रक्रियान्तर्गत की गई है। कोई भी अधिकारी दोषी नहीं है।

कोटपूतली में खनन हेतु लम्बित आवेदन-पत्र

314. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में अब तक कितने लोगों को खनन पट्टे जारी किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में खनन पट्टे प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र लम्बित हैं? यदि हां, तो किन लोगों के व कब से? नाम व तारीखवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि खनन पट्टों के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों पर पिछले दो वर्षों से कोई निर्णय नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में अवैध खनन चल रहा है? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार खनन पट्टों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का लम्बे समय से निस्तारण नहीं करने वाले और अवैध खनन में लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में अब तक 108 लोगों को खनन पट्टे जारी किये गये हैं। सूची प्रदर्श "ए" संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए प्रधान खनिज के तहत 123 व अप्रधान खनिज के तहत 365 आवेदन पत्र लम्बित हैं। नाम व तारीखवार सूची प्रदर्श "ब" संलग्न है।

(3) यह सही नहीं है कि पिछल दो वर्षों में प्राप्त आवेदन पत्रों पर निर्णय नहीं लिया गया। पिछले दो वर्षों में 229 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया।

(4) जी नहीं।

(खनिज मंत्री)

(5) प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण नियमानुसार किया जा रहा है एवं अवैध खनन में कोई भी अधिकारी लिप्त नहीं है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कृषकों के अवधि पार ऋणों की माफी

315. श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा किसानों के दस हजार तक के कर्जे माफ करने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो यह कर्जे कब तक माफ कर दिये जायेंगे।

उत्तर

जी नहीं।

शाहपुरा (बैराठ) के खेल स्टेडियम का अपूर्ण निर्माण कार्य

316. श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : क्या युवा एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बैराठ के शाहपुरा कस्बे के स्टेडियम के निर्माण कार्य में अनियमितताएं पाई गई थी? यदि हां, तो क्या-क्या व इसमें किन-किन व्यक्तियों को दोषी पाया गया?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्टेडियम के निर्माण कार्य में बरती गई अनियमितताओं की कोई जांच करवाई गई है? यदि हां, तो यह जांच किस अधिकारी द्वारा की गई और जांच कार्य की वर्तमान में क्या स्थिति है? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि अब सरकार उक्त स्टेडियम के निर्माण कार्य को शीघ्र ही पूरा करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और इसके लिए सरकार की क्या कार्य योजना है?

उत्तर

(1) स्टेडियम निर्माण में अनियमितता की जांच के सम्बन्ध में विधान सभा के गत सत्र में दिये गये आश्वासन के क्रम में सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता से विस्तृत जांच कराने का निर्णय लिया गया। जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(2) जी हां। सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता से विस्तृत जांच कराने का निर्णय लिया गया है। जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(3) जी नहीं।

राज्य में पुलिस कर्मियों की भर्ती

317. **श्रीमती प्रतिभा सिंह** (नवलगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में पिछले कुछ वर्षों में चोरी, लूटपाट, हत्याएं, डकैती, छेड़छाड़ आदि मामलों में वृद्धि हुई है?

(2) क्या यह भी सही है कि इन वारदातों के बढ़ने का कारण राज्य में पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी नहीं होना और पुलिस पर काम का दबाव बहुत अधिक रहना है?

(3) क्या सरकार वर्तमान में कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल व सहायक उप निरीक्षकों के चल रहे रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती शुरू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पिछले तीन वर्ष 2002, 2003, 2004 में दर्ज हुए अभियोगों के विश्लेषण से वर्ष 2003 में वर्ष 2002 की तुलना में चोरी के अलावा लूटपाट, हत्या, डकैती व छेड़छाड़ के अपराधों में कमी आयी है व वर्ष 2004 में वर्ष 2003 की तुलना में चोरी, लूटपाट, हत्याएं, डकैती, छेड़छाड़ आदि मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। शीर्षकवार अपराधों की सूची निम्न प्रकार है-

(गृह मंत्री)

क्र. सं.	शीर्षक अपराध	वर्ष 2002	वर्ष 2003	वर्ष 2004
1.	चोरी	16313	16456	18842
2.	लूटपाट	734	655	673
3.	हत्याएं	1276	1262	1279
4.	डकैती	47	36	58
5.	छेड़छाड़	2730	2715	2825

(2) जी नहीं। अपराधों में वृद्धि के मुख्य कारण जनसंख्या में वृद्धि, तेजी से बदलते सामाजिक व आर्थिक परिवेश, संचार परिवहन के साधनों में व्यापक विस्तार है।

(3) वर्तमान में राज्य सरकार ने 2000 कानि. के रिक्त पदों की सीधी भर्ती से भरे जाने की स्वीकृति प्रदान की है। हैड कानि. सामान्य के 269 एवं हैड कानि. (तकनीकी) के 20 तथा पुलिस दूर संचार के 125 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रक्रिया जारी है। इसके अतिरिक्त सहायक उप निरीक्षक के 286 एवं सहायक उप निरीक्षक (पुलिस दूर संचार) के 50 रिक्त पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही जारी है।

बारां जिला परिषद् में अतिरिक्त रिक्त पद

318. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला परिषद् बारां में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद कब से रिक्त है तथा इतने समय से पद रिक्त रहने के क्या कारण रहे?

(2) क्या सरकार उक्त पद को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) जिला बारां में दिनांक 15 मार्च, 2005 तक कितने-कितने अधिकारियों/कर्मचारियों के पद कब-कब से रिक्त हैं? अधिकारी/कर्मचारीवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उपरोक्त रिक्त पदों को सरकार कब तक भरने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जिला परिषद् बारां में अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद दिनांक 9.7.2004 से रिक्त चल रहा है। इस पद को प्रशासनिक दृष्टि से कार्मिक विभाग द्वारा भरा जाता है।

(2) उक्त पद को कार्मिक विभाग द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के पदस्थापन द्वारा भरा जाता है। पद भरने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और शीघ्र उक्त पद को भर दिया जावेगा।

(3) बारां जिले में पंचायती राज विभाग के अधीन रिक्त पदों की स्थिति संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार है।

(4) यथा सम्भव शीघ्र ही इन पदों को भरने का प्रयास किया जा रहा है।

परिशिष्ट "अ"

बारां जिले में पंचायती राज विभाग के अधीन रिक्त पदों की स्थिति

क्र. सं.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	कब से रिक्त है
1	2	3	4
पंचायत समिति शाहबाद			
1.	सहकार प्रसार अधिकारी	1	6.1.1995
2.	पंचायत प्रसार अधिकारी	1	1.6.1999
3.	प्रगति प्रसार अधिकारी	1	29.11.1997
4.	कनिष्ठ लेखाकार	2	25.8.2001 और 16.7.2004
5.	कनिष्ठ लिपिक	1	1.9.2001
	कुल रिक्त पद	6	

1	2	3	4
पंचायत समिति अटरू			
1.	सहकार प्रसार अधिकारी	1	2003 से
2.	प्रगति प्रसार अधिकारी	1	2002 से
3.	कनिष्ठ लेखाकार	1	2002 से
4.	कनिष्ठ लिपिक	2	2002 से
	कुल रिक्त पद	5	
पंचायत समिति बारां			
1.	सहकार प्रसार अधिकारी	1	4.5.1997
2.	कनिष्ठ अभियन्ता	1	1.10.1994
3.	कनिष्ठ लेखाकार	1	1.9.2004
4.	कनिष्ठ लिपिक	1	1.9.2003
	कुल रिक्त पद	4	
पंचायत समिति किशनगंज			
1.	सहकार प्रसार अधिकारी	1	1.9.1998
2.	प्रगति प्रसार अधिकारी	1	5.4.2009
3.	कनिष्ठ लेखाकार	1	25.7.2004
4.	कनिष्ठ लिपिक	1	31.8.2003
	कुल रिक्त पद	4	
पंचायत समिति छीपाबड़ौद			
1.	प्रगति प्रसार अधिकारी	1	जून, 1999 से
2.	कनिष्ठ लेखाकार	1	14.8.2001
3.	कनिष्ठ अभियन्ता	1	जून, 2002 से

1	2	3	4
4.	वरिष्ठ लिपिक	1	28.2.2002
5.	कनिष्ठ लिपिक	1	16.8.2003
6.	जीप चालक	1	7 वर्षों से
7.	हैण्ड पम्प मिस्त्री	2	अप्रैल, 2002 व दिसम्बर, 2002 से
	कुल रिक्त पद	8	
पंचायत समिति छबड़ा			
1.	विकास अधिकारी	1	16.7.2004
2.	सहकार प्रसार अधिकारी	1	11.7.1996
3.	कनिष्ठ लेखाकार	1	1.10.1991
4.	कनिष्ठ लिपिक	2	21.6.2002
5.	जीप चालक	1	10.10.2000
6.	हैण्ड पम्प मिस्त्री	1	
	कुल रिक्त पद	7	
पंचायत समिति अन्ता			
1.	सहकार प्रसार अधिकारी	1	
2.	ग्राम सेवक	1	14.3.2005
3.	कनिष्ठ लेखाकार	1	2001 से
4.	वाहन चालक	1	27.4.2004
5.	हैण्ड पम्प मिस्त्री	1	1.7.2004
	कुल रिक्त पद	5	

खुशखेड़ा (अलवर) औद्योगिक क्षेत्र से व्याप्त जल-प्रदूषण

319. श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि अलवर जिले की तहसील तिजारा के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र से प्रदूषण युक्त गंदे पानी से फसलों व पीने का पानी प्रदूषित हो रहा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसकी रोकथाम हेतु क्या उपाय किये गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। अलवर जिले के तहसील तिजारा के खुशखेड़ा रीको औद्योगिक क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाइयों का गंदा पानी नाले में प्रवाहित होता है। कृषि निदेशालय, राजस्थान सरकार के अनुसार इस क्षेत्र की फसलों पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं देखा गया है।

खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र के पास स्थित ग्राम काकरोली एवं ग्राम महेशरा के एक एक हैण्ड पम्प के पेयजल में कोलीफार्म पाये गये तथा ग्राम महेशरा के इस हैण्ड पम्प में फ्लोराइड की मात्रा भी निर्धारित मात्रा से अधिक पाई गई। अहतियात के तौर पर इन हैण्ड पम्पों के पानी को पीने के उपयोग में नहीं लेने हेतु आसपड़ौस के नागरिकों को जानकारी उपलब्ध करा दी गई है तथा इस आशय का विज्ञापन भी हैण्ड पम्प पर रंग से लिखवा दिया गया है, ताकि अन्य नागरिक इन हैण्ड पम्पों के पानी को पीने के काम में न लेवें। कोलीफार्म तथा फ्लोराइड की अधिक मात्रा औद्योगिक उच्छिष्ठ के कारण नहीं है।

खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषित उच्छिष्ठ उत्पन्न करने वाले आठ उद्योगों को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा चिन्हित किया गया है, जिन्हें उनके औद्योगिक उच्छिष्ठ को निर्धारित मानकों के अनुरूप उपचारित करने हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा बाध्य किया जाता है। इन जल प्रदूषक उद्योगों की सूची, उनके उपचार संयंत्रों की वर्तमान स्थिति एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

परिशिष्ट 'अ'

रीको औद्योगिक क्षेत्र, खुशखेड़ा में चिन्हित जल प्रदूषक उद्योगों का विवरण

क्र. सं.	उद्योग का नाम व पता	श्रेणी	उत्पाद	औद्योगिक उच्छिष्ठ की लगभग मात्रा	उपचार संयंत्र की स्थिति	उच्छिष्ठ निस्तारण की व्यवस्था	कमेटी की टिप्पणी	नवीनतम विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार निस्त्रावित उच्छिष्ठ मण्डल मानकों के अनुरूप है या नहीं	की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	मैं. पारस फैब इंटरनेशनल. 10, रीको औद्योगिक क्षेत्र, खुशखेड़ा	वृहद	टैक्सटाइल	200 कि.ली./दिन	स्थापित	उपचारित उच्छिष्ठ रीको ड्रेन में निस्त्रावित/सिंचाई के लिए प्रयुक्त	उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र कार्यरत, उपचारित उच्छिष्ठ उद्योग परिसर में झाडियों में जा रहा था। रसोई से उत्पन्न उच्छिष्ठ बिना किसी उपचार के बाहर जा रहा था। विश्लेषण प्रतिवेदन	मानकों के अनुरूप नहीं	दिनांक 8.7.2004 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया एवं तदुपरान्त दिनांक 15.1.2005 को संचालन हेतु समिति निरस्त की गई। जल अधिनियम की धारा 33 अ के अन्तर्गत उद्योग को बंद करने एवं जल एवं विद्युत

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									आपूर्ति सम्बन्ध विच्छेद के आशय से दि. 15.1.2005 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तरन का सत्यापन कर वांछित/अग्रिम, कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।
2.	मैं. पाल्को टेक्स. फेब, एस पी 1/8, रीको औद्योगिक क्षेत्र, खुशखेड़ा	लघु	टैक्स्टाइल	60 कि.ली./दिन	स्थापित	उपचारित उच्छिष्ठ रीको ड्रेन में निस्त्रावित	उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र स्थापित उपचारित उच्छिष्ठ रीको की नाली में प्रवाहित विश्लेषण प्रतिवेदन के अनुसार प्रदूषक तत्व निर्धारित मानकों के अनुरूप बिना प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं चिमनी की मोनिटरिंग हेतु आवश्यक व्यवस्था बनाये दो छोटे बायलटर स्थापित।	मानकों के अनुरूप	दिनांक. 19.7.2004 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसके उपरान्त उद्योग द्वारा सुधार किये गये।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	मैं. कुन्दन एडीबल प्रोडेक्ट लि. 1, रीको औद्योगिक क्षेत्र खुशखेड़ा	लघु	वनस्पति	6 कि.ली./दिन	स्थापित	उपचारित उच्छिष्ठ रीको ड्रेन में निस्त्रावित	उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र कार्यरत नहीं था, उच्छिष्ठ परिसर में काली राख पर फैला हुआ था। हस्क ईधन से चलने वाले बायलर पर डस्ट कलक्टर लगाये हुए हैं। वायु मोनिटरिंग हेतु चिमनी के साथ आवश्यक व्यवस्था लगाई गई है। उद्योग परिसर में काली राख फैली हुई पाई गई है। एम्बियन्ट वायु मोनिटरिंग में एस पी एम निर्धारित मानकों से बाहर एवं SO_X NO_x निर्धारित मानकों के अनुरूप पाये गये।	मानकों के अनुरूपा	दिनांक 15.6.2004 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसके उपरान्त उद्योग द्वारा उच्छिष्ठ उपचार व्यवस्था में सुधार किया गया।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	मैं. हिन्दुस्तान पल्वराइजिंग मिल्स. एस पी 9 सी, रीको औद्योगिक क्षेत्र, खुशखेडा	लघु	पेस्टीसाइड फार्मूलेशन	5 कि.ली./ दिन	वाष्पीकरण कुण्ड स्थापित है परन्तु क्षमता पर्याप्त नहीं होने के कारण शून्य निस्त्राव की स्थिति नहीं बनाये रखी जा रही	वाष्पीकरण के बाद शेष अनुपाचित उच्छिष्ठ रीको ड्रेन में निस्त्रावित	उच्छिष्ठ उद्योग परिसर से बाहर नहीं जा रहा था। 92 फीट x 32 फीट x 1.5 फीट आकार का सौर ऊर्जा वाष्पीकरण कुण्ड जो कि इस सतह से ऊपर होना चाहिये बनाया गया है। दुर्गन्ध की समस्या है जो कि नियंत्रित की जानी चाहिए।	मानकों के अनुरूप	जल अधिनियम की धारा 33 अ के अन्तर्गत उद्योग को बंद करने एवं जल एवं विद्युत आपूर्ति सम्बन्ध विच्छेद के आशय से दि. 28.2.2005 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर का सत्यापन कर वांछित/अग्रिम कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।
5.	मैं. बी पी एस प्रोडेक्ट प्रा.लि. एफ 10-ए, रीको औद्योगिक क्षेत्र, खुशखेड़ा	लघु	केमिकल	5.0 कि.ली./ दिन	स्थापित	उपचारित उच्छिष्ठ रीको ड्रेन में निस्त्रावित	उद्योग एक महीने से बन्द है। उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र नहीं देखा गया।	मानकों के अनुरूप .	दिनांक 15.5.2004 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसके उपरान्त उद्योग द्वारा उच्छिष्ठ उपचार व्यवस्था में सुधार किया गया।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	मै. ओरिएन्ट कलर कैम प्रा. लि. एफ 37, रीको ओद्योगिक क्षेत्र, खुशखेडा	लघु	केमिकल	8 कि.मी./ दिन	स्थापित	उद्योग वर्तमान में कार्यरत नहीं है	-	-	
7.	मैं सन फूड टेक एफ 37, रीको औद्योगिक क्षेत्र, खुशखेड़ा	लघु	केमिकल	1.5 किं.ली./ दिन	स्थापित	उपचारित उच्छिष्ठ प्रोसेस में पुन: प्रयुक्त कर लिया जाता है	-	-	
8.	मैं. जनरल मर्कैटाइल एफ 38 (1), रीको औद्योगिक क्षेत्र, खुशखेड़ा	लघु	इंजीनियर	3.0 कि.ली./ दिन	स्थापित	उपचारित उच्छिष्ठ रीको ड्रेन में निस्त्रावित	-	मानकों के अनुरूप नहीं	उद्योग की संचालन हेतु सम्मति दिनांक : 8.11.04 को निरस्त की जा चुकी है। जल अधिनियम की धारा 33 अ के अन्तर्गत उद्योग को बंद करने एवं जल एवं विद्युत आपूर्ति सम्बन्ध विच्छेद के आशय से दि. 2.4 .2005 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

सहकारी क्षेत्र की डेयरियों में आरक्षित वर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों का बैकलाग

320. श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर) एवं **श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान में सहकारी क्षेत्र में कुल कितनी डेयरी कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संस्थानों में अधिकारियों/कर्मचारियों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने स्थाई तथा कितने अस्थाई तौर पर भरे हुए हैं? संस्थावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कुल कितने व्यक्ति कार्यरत हैं?

(4) क्या इन संस्थानों में रोस्टर रजिस्टर का संधारण किया जाता है? यदि हां, तो रोस्टर के अनुसार किस श्रेणी का कितना बैकलाग है?

(5) सरकार उक्त बैकलाग को भरने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) राजस्थान में सहकारी क्षेत्र में एक राज्य स्तरीय डेयरी फैडरेशन एवं 16 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ एवं 8312 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां कार्यरत हैं। राज्य स्तरीय डेयरी फैडरेशन एवं 16 दुग्ध संघ की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) इन संस्थाओं में कुल 3342 पद स्वीकृत हैं। इनमें से कुल 2837 पद स्थाई तौर पर भरे हुए हैं। अस्थाई तौर पर कोई भी कर्मचारी कार्यरत नहीं है। संस्थावार विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) इन संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों में अनुसूचित जाति के 206 व्यक्ति एवं अनुसूचित जनजाति के 123 व्यक्ति कार्यरत है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जब से आरक्षण लागू किया गया है तब से फैडरेशन एवं जिला दुग्ध संघों में कोई भर्ती नहीं की गई है।

(4) जी हां। इन संस्थानों में रोस्टर रजिस्टर का संधारण किया जाता है तथा रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जाति के 40 पद एवं अनुसूचित जनजाति के 55 पद रिक्त हैं।

(सहकारिता मंत्री)

(5) नियमानुसार नई भर्ती के समय बैकलाग भरने की कार्यवाही की जायेगी।

परिशिष्ट "अ"

राज्य स्तरीय डेयरी फैडरेशन एवं जिला दुग्ध संघों की सूची

क्र. सं.	फैडरेशन एवं यूनियन का नाम	विशेष विवरण
1	2	3
1.	राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन लि., जयपुर	राज्य स्तरीय
2.	जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, अजमेर	जिला संघ
3.	जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, अलवर	जिला संघ
4.	जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, बांसवाड़ा	जिला संघ
5.	जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, भरतपुर	जिला संघ
6.	जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, भीलवाड़ा	जिला संघ
7.	जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, बीकानेर	जिला संघ
8.	जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, चूरू	जिला संघ
9.	जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, गंगानगर	जिला संघ
10.	जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, जालौर	जिला संघ
11.	जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, जयपुर	जिला संघ
12.	जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, जोधपुर	जिला संघ
13.	जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, कोटा	जिला संघ
14.	जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, पाली	जिला संघ
15.	जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, सीकर	जिला संघ
16.	जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, टोंक/स. माधोपुर	जिला संघ
17.	जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, उदयपुर	जिला संघ

परिशिष्ट "ब"

अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के रिक्त बैकलाग पदों के सम्बन्ध में डेयरी विभाग से सम्बन्धित सूचना का विवरण

अ. डेयरी फैडरेशन एवं इसकी अधीनस्थ इकाई

स्वीकृत पदों की संख्या				भरे हुए पद				रिक्त पद				आरक्षण अवशेष	
सामा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	योग	सामा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	योग	सामा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	योग	अ.जा.	अ.ज. जा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
412	38	40	490	339	26	34	399	73	12	06	91	12	06

ब. जिला दुग्ध संघों की सूचना

क्र. सं.	यूनियन का नाम दुग्ध डेयरी का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या				भरे हुए पद				रिक्त पद				आरक्षण अवशेष	
		सामा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	योग	सामा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	योग	सामा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	योग	अ.जा.	अ.ज.जा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	अजमेर	329	10	05	344	233	10	05	248	96	00	00	96	00	00
2.	अलवर	225	28	14	267	179	17	08	204	46	11	06	63	11	06
3.	बांसवाड़ा	23	00	06	29	23	00	08	29	00	00	00	00	00	00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.	भरतपुर	00	00	27	27	00	00	27	27	00	00	00	00	00	00
5.	भीलवाड़ा	127	28	21	176	127	13	02	142	00	15	19	34	15	19
6.	बीकानेर	316	12	03	331	311	12	03	326	05	00	00	05	00	00
7.	चूरू	78	04	03	85	45	04	01	50	33	00	02	35	00	02
8.	गंगानगर	161	13	06	180	114	13	00	127	47	00	06	53	00	06
9.	जालौर	153	11	10	174	92	11	01	104	61	00	09	70	00	09
10.	जयपुर	412	54	21	487	412	54	21	487	00	00	00	00	00	00
11.	जोधपुर	282	20	09	311	266	18	02	286	16	02	07	25	02	07
12.	कोटा	98	04	00	102	91	04	00	95	07	00	00	07	00	00
13.	पाली	119	08	05	132	96	08	05	109	23	00	00	23	00	00
14.	सीकर	48	04	00	50	46	04	00	50	00	00	00	00	00	00
15.	टौंक/सवाईमाधोपुर	42	06	03	51	42	06	03	51	00	00	00	00	00	00
16.	उदयपुर	95	06	05	106	92	06	05	103	03	00	00	00	00	00
कुल योग		**2506**	**208**	**138**	**2852**	**2169**	**180**	**89**	**2438**	**337**	**28**	**49**	**414**	**28**	**49**

बनीपार्क (जयपुर) की आवासीय कालोनियों हेतु नगरीय बस सेवा

321. **प्रो. बीरूसिंह राठौड़** (बनीपार्क) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों एवं प्राइवेट बसों हेतु मार्ग घोषित करने के क्या मानदण्ड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में किस-किस मार्ग पर निगम तथा प्राइवेट बसें चल रही हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में नये निगम एवं प्राइवेट मार्ग घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार पृथ्वीराज नगर जयपुर की कालोनियों हेतु परिवहन व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों एवं प्राइवेट बसों हेतु मार्ग घोषित करने के मोटर वाहन अधिनियम में अलग-अलग प्रावधान हैं। राजस्थान मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 68(3) (ग क) के तहत मंजिली गाडियों के संचालन के लिए राज्य सरकार मार्गों का निर्धारण करती है। जनता की आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों द्वारा खोले जाने वाले मार्ग के प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को प्रेषित किए जाते हैं, प्रस्तावित मार्गों का वर्गीकरण प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर ग्रामीण मार्ग, उप-नगरीय मार्ग, अनन्य रूप से नगरीय सीमा में संचालित मार्ग एवं उपरोक्त तीनों मार्गों के अतिरिक्त अन्य मार्गों के रूप में किया जाकर नये मार्ग का निर्धारण, राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इस इस प्रकार से निर्धारित मार्ग पर परिवहन निगम एवं निजी वाहन स्वामियों दोनों द्वारा अपने वाहन संचालित किए जा सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा मोटर वाहन

(यातायात मंत्री)

अधिनियम, 1988 के अध्याय-VI के प्रावधानों के अनुसार किसी भी मार्ग पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के वाहनों को संचालित करने के उद्देश्य से अन्य व्यक्तियों को पूर्णतया या आंशिक रूप से अपवर्जन करके योजना मार्ग घोषित कर सकती है। इन योजना मार्गों को प्राय: राष्ट्रीयकृत मार्गों के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार से घोषित योजना मार्ग/राष्ट्रीयकृत मार्ग पर योजना में वर्णित शर्तों के तहत अनुज्ञापत्र जारी किए जाते हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में जिन मार्गों पर प्राइवेट बसें संचालित हैं उनकी सूची संलग्न परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है। तथा जिन मार्गों पर परिवहन निगम की बसें संचालित की जा रही हैं उनकी सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) जयपुर शहर में पूर्व में मार्गों का गठन किया जाकर परिवहन सेवाएं निगम एवं प्राइवेट बसों द्वारा संचालित की जा रही है। शहर में आबादी विस्तार तथा जनता को सुगम यातायात उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सिटी मार्गों के पुनर्गठन हेतु एक समिति प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर की अध्यक्षता में गठित की गई है जिसमें ट्रेफिक पुलिस, जयपुर विकास प्राधिकरण तथा नगर निगम के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया गया है। समिति द्वारा सभी सम्बन्धित पक्षों से सुझाव प्राप्त कर मार्गों के पुनर्गठन के प्रस्ताव शीघ्र ही स्वीकृति हेतु प्रेषित किए जाएंगे।

(4) पृथ्वीराज नगर, जयपुर की कालोनियों को संलग्न परिशिष्ट "ग" के प्राइवेट बस मार्गों से परिवहन सुविधा उपलब्ध है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अजमेर जिले में नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम

322. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अजमेर व पुष्कर नशीले पदार्थों की तस्करी का केन्द्र बन गया है? यदि हां, तो गत वर्ष उक्त धन्धे के पकड़े गये व्यक्तियों के नाम, दिनांक व नशीले पदार्थों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

(2) सरकार द्वारा तस्करी के आरोप में पकड़े गये व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अजमेर व पुष्कर में फैलती मादक द्रव्यों की तस्करी को रोकने हेतु कोई कारगर कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व क्या?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्ष 2004 में मादक पदार्थों के अवैध धन्धे व तस्करी के प्रयास करने के 32 प्रकरण दर्ज किये गये जिनमें 54 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनका विवरण परिशिष्ट "ए" पर संलग्न है। अजमेर व पुष्कर का अन्तर्राष्ट्रीय धार्मिक स्थल होने से भारी तादाद में यात्रियों का आवागमन हमेशा बना रहता है। जिनमें मादक पदार्थों में लिप्त लोग भी आते हैं और मादक पदार्थों को यात्रियों को बेचने के प्रयास में पकड़े जाते हैं।

(2) उपरोक्त 32 प्रकरणों में पकड़े गये 54 व्यक्तियों के खिलाफ एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की गई है। 23 प्रकरणों में बाद अनुसंधान न्यायालय में चालान पेश किया गया, 9 प्रकरणों में तफ्तीश की जा रही है। विवरण परिशिष्ट "ए" में अंकित है।

(3) जी हां। अजमेर व पुष्कर में फैलती मादक द्रव्यों की तस्करी को रोकने हेतु ठोस प्रयास किये जा रहे हैं। इस हेतु जन सहभागिता शिविर, सी.एल.जी. मीटिंग, समाचार पत्रों के माध्यम से सिनेमा घरों में स्लाइड प्रचार के माध्यम से जनता में नशीले पदार्थों से होने वाले नुकसान के सम्बन्ध में सचेत/जागरूक किया जाता है। इसके साथ ही नशा मुक्ति शिविर भी समय-समय पर आयोजित करा कर नशेडियों को समझा कर नशा लत छोड़ने हेतु प्रेरित किया जाता है। इस व्यवसाय में लिप्त अपराधियों की धरपकड़ हेतु समय-समय पर अभियान चलाया जाता है। इसके लिए प्रभावी नाकेबन्दी की जाती है एवं गस्त कराई जाती है। पकड़े गये अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाती है।

परिशिष्ट 'ए'

वर्ष 2004 में एनडीपीएस एक्ट के दर्ज प्रकरण की सूची जिला अजमेर

क्र. सं.	मु.न. धारा व नाम थाना	तारीख कायमी.	नाम पता मुलिजम	मात्रा	नतिजा
1	2	3	4	5	6
1.	58/04 धारा 8/20, 8/21 एनडीपीएस एक्टकि. गज	24.2.04	1. सैयद जलालूदीन उर्फ जलाल पुत्र सैयद मोइनूदीन 36 साल निवासी छतरीगेट दरगाह अजमेर हाल रातीडाग मित्र नगर अजमेर 2. वीरसिंह पुत्र बगेलाराम भगत 30 साल निवासी डोडा सदवा ज एण्ड के हाल शती डाग अजमेर	2.650 ग्राम चरण 5 ग्राम स्मेक	चालान
2.	46/04 8/18 8/29 एनडीपीएस एक्टनसीराबाद सिटी	12.4.04	1. रामेश्वरसिंह पुत्र उगमासिंह रावत 30 साल नि मदारपुरा 2. हैनोकमेरी पुत्र सिरियल पेशी ईसाई 22 साल नि मदार	380 ग्राम अफीम	चालान
3.	68/04 धारा 8/18, 8/20 एनडीपीएस एक्ट. थाना पुष्कर	9.4.04	1. किशनलाल पुत्र रामयल्गा 2. रमेश नाथ हपुत्र महेन्द्र नाथ नि मनेहेडा पुष्कर	966 ग्राम चरस व 190 ग्राम अफीम	चालान

1	2	3	4	5	6
4.	138/04 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना ब्यावर सदर	30.8.04	चन्द्रनशर्मा पुत्र विनोद नि. प्रताप नगर चितौड़गढ़, 2-रतनसिंह पुत्र पृथ्वी सिंह नि. चन्देरिया 3- श्यामलाल पुत्र मांगी लाल जाट नि. पलाशिया 4– मदनलाल पुत्र लुम्बाराम जाट व देवीसिंह	818 किलो डोडा	चालान
5.	52/04 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना ब्यावर सदर	7.2.04	हरवंश पुत्र राजूराम सिख देवमपास पंजाब 2– मखनलाल पुत्र हनुमान विश्नोई निवासी रतिया हरियाणा 3– मानसिंह पुत्र बिहारी सिंह राजपूत नि. धोलाखेड़ा उदयपुर, 4– जीत सिंह पुत्र दयाल सिंह नि.रोली पाली 5– सुनील कुमार पुत्र रामप्रताप अग्रवाल नि. नवाबास, 6– सत्यनारायण पुत्र बनवारी लाल विश्नोई नि. मनाली, हिसार	321 किलो 500 ग्राम डोडा पोस्त	चालान
6.	12/04 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट थाना मसूदा	9.2.04	अज्ञात	23 किलो 200 ग्राम डोडा पोस्त	एफआर

1	2	3	4	5	6
7.	18/04 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना जाबाजा	8.2.04	प्रेमसिंह पुत्र चूनसिंह रावत 20 साल नि भाउ बोदा की गुवार नन्दवट भीम राजसमन्द राज	200 किलो डोडा चूरा	चालान
8.	34/04 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना गंज	17.4.04	सत्यनारायण पुत्र प्रेमराज अग्रवाल उम्र 36 साल निवासी गर्ग भवन चटाई गंज अजमेर	8 ग्राम स्मैक	चालान
9.	15/04 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना दरगाह	29.1.04	मोहम्मद नयन पुत्र आशिक मोहम्मद 34 साल नि. जय किशन बाजार तारकेश्वर वर्धमान पश्चिम बंगाल	2 किलो 750 ग्राम गांजा	चालान
10.	66/04 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना दरगाह	22.5.04	नाजीर खां पुत्र राईद खां पठान 33 साल नि. सिंधी तोपदड़ा अजमेर	3 ग्राम स्मैक	चालान
11.	86/04 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना गेगल.	25.5.04	अब्बदुल शकील पुत्र अब्बदुल सलीम 32 वर्ष विलायत हुसैन पुत्र गुलाम रसूल 26 वर्ष निवासी नयाशहर किशनगढ़	6 ग्राम स्मैक	पेंडिग
12.	39/04 धारा 8/18 एन.डी.पी.एस. एक्ट थाना अराई	2.5.04	लेखराज पुत्र गोपाल उम्र 22 साल निवासी सणोद थाना नसीरबाद सदर	346 किलो डोडा पोस्त	पेंडिग

1	2	3	4	5	6
13.	161/04 धारा 8/18 एन.डी.पी.एस. एक्ट थाना मदनगंज	8.5.04	लक्ष्मण पुत्र भेरूराम मीणा उम्र 51 साल निवासी परासिया 2– गोड सुदामा त्यागी पुत्र अनूप सिंह ब्राहम्ण निवासी हथोली कला हरियाणा, 3-महेन्द्र सिंह पुत्र निरन्जन सिंह जाट उम्र 40 साल नि. रणजीत नगर शाहबाद	2 किलो 156 ग्राम अफीम	चालन
14.	79/04 धारा 8/18 एन.डी.पी.एस. एक्ट थाना किशकनगढ़	4.4.04	भागचन्द पुत्र नारायण जाट 35 साल नि. कठसुरा थाना अरांई	146 ग्राम 700 मिलीग्राम अफीम	चालान
15.	69/04 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना भिनाय	19.5.04	मुंशीखा पुत्र अब्दुल करीम	14 बोरे डोडा पोस्त प्रति बोरा 40 किलो	पेंडिग
16.	84/04 धारा 8/15 एनडीपीएस सएक्ट थाना जवाजा	3.6.04	1-जीतसिंह पुत्र गुलजारसिंह जाति कम्बोज सिख उम्र 38 साल निवासी नूरपुर थाना मच्छूवाडा लुधियाना 2– तस्सेमसिंह पुत्र सन्तसिंह जाति कम्बोज 24 साल निवासी मामूमाझरा थाना शाहबाद मारवान्डा कुरूक्षेत्र हरियाणा	58 बोरे डोंडा पोस्त प्रति बोरा 40 किलो	चालान

1	2	3	4	5	6
17.	72/04 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना दरगाह	3.6.04	हनीफखा पुत्र सुखुखा 20 साल निवासी घाटाड्गी थाना लालगोला जिला मुर्शिदाबाद प.बंगाल 2 मोहम्मद मिलोन हक पुत्र मोह अनारूलहक 20 साल निवासी आईडमारी थाना लालगोला जिला मुर्शिदाबाद प. बंगाल	2 किलो 12 ग्राम स्मैक	चालान
18.	84/04 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना गेगल	8.6.04	अज्ञात	15 क्वि. 60 किलो डोडा पोस्त	पैंडिग
19.	249/04 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना ब्यावर सदर	11.6.04	1. करनेसिंह पुत्र वकीरसिंह, जाति सिक्ख निवासी डोगरा थाना सुमानपुर जिला कपूरथला 2. जमीरसिंह पुत्र मुलकसिंह सिक्ख 22 साल निवासी रोलीडमाला थाना मोटाई जिलस जिन्द पंजाब	37 बोरे प्रति बोरा 40 किलो डोडा पोस्त	पैंडिग
20.	256/04 धारा 8/26 एनीडीपीएस एक्ट ब्यावर सदन	13.6.04	मूलचन्द पुत्र मालीराम नाई 50 साल नि. वार्ड नं. 1 शनिचर मंदिर के पास खेतड़ी	160 किलो डोडा पोस्त	चालान

1	2	3	4	5	6
21.	112/04 धारा 8/20 एनीडीपीएस एक्ट थाना सरवाड़	3.7.04	सलीम पुत्र मोह सकूर मुसलमान निवासी, नाथ मोहल्ला सरवाड़	900 ग्राम गांजा	चालान
22.	78/04 धारा 8/15 एनडीपी एस एक्ट थाना पीसागन	13.7.04	1. विनोद कुमार पुत्र कन्हैयालाल बैरागी निवासी रावत भाटा 2. रगलाल पुत्र रामा गुर्जर निवासी रावत भाटा 3. गुमानसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत नि रावतभाटा	457 किलो डोडा पोस्त	पेंडिग
23.	75/04 धारा 8/11 एनडीपी एस व 19/54 आब एक्ट थाना श्रीनगर	21.7.04	नारायण पुत्र रामनाथ जाट निवासी मोरडी	55 किलो डोडा पोस्त	चालान
24.	135/04 धारा 8/121 एनडीपीएस एक्ट थाना पुष्कर	21.7.04	किस्मतसिंह उर्फ दोनी पुत्र भगवानसिंह निवासी छोटी बस्ती पुष्कर	8 ग्राम 810 मिली ग्राम स्मैक	चालान
25.	134/04 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सरवाड़	23.7.04	सलीम उर्फ पावणा व गोपाल	500 ग्राम गांजा	चालान

1	2	3	4	5	6
26.	133/04 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना दरगाह	16.9.04	1.मोह आदिलूज जमन पुत्र माईलूज 22 साल निवासी नूतन ग्राम थाना लालगोला प. बंगाल 2. मोह आनिसूर रहमान पुत्र मोह इन्साद अली 38 साल निवासी नूतनग्राम लालगोला प. बंगाल	8 किलो 898 ग्राम स्मैक	चालान
27.	513/04 धारा 6/15 एनडीपीएस एक्ट ब्यावर सदर	5.11.04	1. ओमप्रकाश पुत्र दानाराम विश्नोई निवासी जोधपुर 2. कवरूराम उर्फ पप्पू विश्नोई, निवासी जोधपुर	671 किलो डोडा पोस्त	पैंडिग
28.	185/04 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना विजयनगर	24.10.04	1. सत्यनारायण पुत्र यज्ञदत्तशर्मा 52 साल नि पीपली चौराया विजयनगर 2. रामेश्वर पुत्र मोहनदास 45 साल नि गुलाबपुरा भीलवाड़ा	ढाई ग्राम स्मैक	चालान

1	2	3	4	5	6
29.	219/04 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना विजयनगर	2.12.04	1. बद्रीलाल पुत्र नाथूलाल 40 साल नि रिडा नि मन्दौसर एमपी 2. रामेश्वर पुत्र मोहनदास 45 साल नि गुलाबपुरा भीलवाड़ा	4 ग्राम स्मैक	पेंडिग
30.	223/04 धारा 8/21 एनीडीपीएस एक्ट थाना पुष्कर	10.11.04	हमीर उर्फ बबलू पुत्र मजिद खा 28 साल नि पुष्कर	4 ग्राम 800 मिलीग्राम स्मैक	चालान
31.	330/04 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट केकड़ी	23.10.04	1. देवीलाल पुत्र लक्ष्मण जाट नि. जोखना बिगोद भीलवाड़ा 2. भैंरूलाल पुत्र रामचन्द्र जाट नि. श्योपुरा थाना कोटडी भीलवाड़ा	1 किलो अफीम	चालान
32.	266/04 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट थाना क्लाकटावर	25.11.04	नारायणसिंह पुत्र नेनसिंह राजपूत 28 साल नि पआरखेडी भगधार जिला झालवाड़	220 ग्राम स्मैक	पेंडिग

पंचायतीराज कार्मिकों एवं जन-प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त राशि

323. श्री जीतराम (मालपुरा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जन-प्रतिनिधियों एवं ग्राम सेवकों के कौशल विकास हेतु दौसा, टौंक एवं बीकानेर जिलों में प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के लिये 433.80 लाख रुपये के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु दिनांक 9 अप्रैल, 2003 को केन्द्र सरकार के पास भिजवाये गये थे?

(2) क्या इन प्रस्तावों पर केन्द्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है? यदि हां, तो कितनी धनराशि इस योजना हेतु प्रदान की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों एवं ग्राम सेवकों के कौशल विकास हेतु राज्य में दौसा, कोटा व बीकानेर जिलों में तीन नये पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जाने के हेतु राशि रुपये 433.80 लाख के प्रस्ताव ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को दिनांक 9 अप्रैल, 2003 को भिजवाए गये। टौंक के लिये प्रस्ताव नहीं भिजवाये गये थे।

(2) जी नहीं।

सोरसन गोंडावन अभयारण्य, बारां के हिरनों का अभेड़ा (कोटा) क्षेत्र में स्थानान्तरण

324. श्री भरतसिंह (दीगोद) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सोरसन गोडांवन अभयारण्य जिला बारां में हिरनों की कुल संख्या कितनी है तथा इस अभयारण्य मे क्षेत्रफल के अनुपात में कितने हिरन रह सकने की जगह है?

(श्री भरत सिंह)

(2) क्या हिरनों द्वारा फसलें नष्ट करने की समस्या के समाधान हेतु कुछ हिरनों को कोटा के समीप अभेड़ा क्षेत्र में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव अभयारण्य विकास समिति द्वारा लिया गया है? यदि हां, तो इस पर कब तक अमल किया जायेगा? अब तक अमल में विलम्ब किन कारणों से रहा?

उत्तर

(1) सोरसन शिकार निषिद्ध क्षेत्र में हिरणों की संख्या वन्य जीव गणना 2004 के अनुसार 962 हैं तथा कुल क्षेत्रफल के 35.00 वर्ग कि.मी. हैं। क्षेत्रफल के अनुपात में रह सकने वाले हिरणों की संख्या क्षेत्र में उत्पन्न घास चारे पर निर्भर है, जो कि प्रतिवर्ष औसत वर्षा पर निर्भर करती है।

(2) जी हां। दिनांक 25.8.1998 व 16.1.2002 की बैठक में ये प्रस्ताव आये थे। हिरणों द्वारा फसलें नष्ट करने की समस्या के समाधान हेतु कुछ हिरणों को समीप के क्षेत्र में छोड़ने का प्रस्ताव पर दिनांक 25.8.1998 की बैठक में अवगत करा दिया गया था कि यह बड़ा कठिन कार्य है तथा इसमें 70 प्रतिशत या इससे भी अधिक हिरणों की मृत्यु हो सकती है अथवा चोट ग्रस्त हो सकते हैं। प्रयोग के तौर पर दूसरे क्षेत्र में हिरणों के छोड़ने की बात भी हुई थी, किन्तु इस प्रकार के प्रयोग से हिरणों की सम्भावित मृत्यु के कारण बाद में हिरणों के स्थानान्तरण पर प्रयोग नहीं किया गया। बाद में सोरसन अभ्यारण्य विकास समिति की बैठक दिनांक 22.9.2004 में हिरणों की समस्या से निपटने के लिये चेनलिंग फैन्सिंग द्वारा हिरणों को क्षेत्र में ही सीमित करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से हिरणों को अन्य वन क्षेत्र में स्थानान्तरित करने के निर्णय पर अमल की आवश्यकता नही हैं।

राज्य में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय

325. **श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी)** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि राज्य में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय खोले गये हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से जिलों में? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जिन विकास खण्डों की ग्रामीण महिला साक्षरता दर 46.13 से कम है, उन ब्लाकों को शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा मानकर इन ब्लाकों में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खोलना वर्ष 2004-05 में अनुमोदित किया गया है। जिसे वर्ष 2005-06 में खोला जाना प्रस्तावित है। चयनित ब्लाक में आवासीय विद्यालय एवं हास्टल की सुविधा के लिए अनुमोदित ब्लाक पर स्थान चयन के लिए प्रस्ताव मंगाये जा रहे हैं। राज्य में कुल 56 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खोले जाने हैं। जिनमें से 27 विद्यालयों में 50 बालिकाओं के लिए मौजूदा विद्यालयों के साथ हास्टल सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी एवं 29 विद्यालयों में 100 बालिकाओं के लिए विद्यालय एवं हास्टल सुविधा दोनों ही योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जायेगी। जिलेवार स्वीकृत ब्लाक की सूची संलग्नक "अ" व "ब" पर अंकित है।

संलग्नक "अ"

Information Regarding KGBV
(Model-3 Residential Hostel Facility for 50 Girls)

S. No.	Name of District	Name of Block
1	2	3
1.	Ajmer	Bhinay
2.	Alwar	Rajgarh
3.	Banswara	Ghatol (Banswara)
4.	Baran	Chipabarod
5.	Barmer	Chohatan
6.	Bhilwara	Kotri
7.	Bikaner	Kolayat
8.	Bundi	Hindoli
9.	Chittorgarh	Rasmi
10.	Dausa	Lalsot
11.	Dholpur	Baseri
12.	Dungarpur	Simalwara
13.	Jaipur	Chaksu

1	2	3
14.	Jaisalmer	Sum
15.	Jalore	Sayala
16.	Jhalawar	Dag (Gangdhar)
17.	Jodhpur	Shergarh
18.	Karauli	Karouli
19.	Kota	Itavan
20.	Nagaur	Mundava
21.	Pali	Jataran
22.	Rajsamand	Kumbhalgarh
23.	S. Madhopur	Khandar
24.	Sh. Ganganagar	Gharsana
25.	Sirohi	Revdar
26.	Tonk	Uniyara
27.	Udaipur	Kotra

संलग्नक "ब"

Information Regarding KGBV
(Model-1 School 4 Residential Hostel Facility for 100 Girls)

S. No.	Name of District	Name of Block
1	2	3
1.	Alwar	Thanagaji
2.	Ajmer	Srinagar
3.	Banswara	Peepalkhute
4.	Baran	Atru
5.	Barmer	Shiv
6.	Bharatpur	Kaman
7.	Bharatpur	Vair
8.	Bhilwara	Raypur

1	2	3
9.	Bikaner	Lunkaransar
10.	Bundi	Nainva
11.	Chittorgarh	Gangarar
12.	Dausa	Dausa
13.	Dholpur	Bari
14.	Dungarpur	Bhichiwara
15.	Jaipur	Dudu
16.	Jaisalmer	Pokaran
17.	Jalore	Bhinmal
18.	Jhalawar	Manoharthana
19.	Jodhpur	Balesar
20.	Karoli	Sapotra
21.	Nagaur	Jayal
22.	Pali	Raypur
23.	Rajsamand	Bhim
24.	S. Madhopur	Bonli
25.	S. Ganganagar	Suratgarh
26.	Sirohi	Sirohi
27.	Tonk	Devli
28.	Udaipur	Dhariavad
29.	Udaipur	Gogunda

अतारांकित प्रश्नोत्तर

महाराणा प्रताप/अर्जुन पुरस्कार प्राप्त व्यक्तियों को निगम बसों में नि:शुल्क यात्रा सुविधा

518. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या युवा एवं खेलकूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में महाराणा प्रताप पुरस्कार एवं अर्जुन पुरस्कार प्राप्त कितने व्यक्ति हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) महाराणा प्रताप एवं अर्जुन पुरस्कार प्राप्त व्यक्तियों को क्या-क्या सुविधायें प्रदान की जाती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्रदेश में अन्य राज्यों की तरह महाराणा प्रताप पुरस्कार एवं अर्जुन पुरस्कार प्राप्त व्यक्तियों को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में नि:शुल्क यात्रा करने की अनुमति दी जाती है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उक्त पुरस्कार प्राप्त व्यक्तियों को निगम की बसों में नि:शुल्क यात्रा करने की सुविधा प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में 96 व्यक्ति महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त हैं एवं 38 व्यक्ति अर्जुन पुरस्कार प्राप्त है। सूची क्रमश: परिशिष्ट "अ" एवं "ब" पर संलग्न है।

(2) महाराणा प्रताप पुरस्कार के तहत खिलाडियों को 10 हजार रुपये नगद, ब्लेजर, क्रेस्ट, महाराणा प्रताप की प्रतिमा देकर सम्मानित किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाता है एवं राज्य के अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को राज्य सरकार 180 वर्ग मीटर का रिहायशी भू-खण्ड सुरक्षित दर से आबंटित किये जाने की सुविधा दी जाती है।,

(3) जी नहीं। राजस्थान पथ परिवहन निगम की खराब वित्तीय स्थिति के कारण ऐसी रियायती यात्रा सुविधाएं देने पर असहमति रखती है।

परिशिष्ट "अ"

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परि .द, सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर

क्र. सं.	खिलाड़ी का नाम	खेल	वर्ष
1	2	3	4
1.	श्री गोपाल सैनी	एथैलेटिक्स	1982-83
2.	श्री राजकुमार अहलावत	एथैलेटिक्स	1982-83
3.	श्री दीनाराम	एथैलेटिक्स	1992
4.	श्रीमती हमीदा बानो	एथैलेटिक्स	1982-83
5.	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	एथैलेटिक्स	1983-84
6.	श्री हरीसिंह	एथैलेटिक्स	1987
7.	श्री हरफूल सिंह	एथैलेटिक्स	1988
8.	श्री रामनिवास	एथैलेटिक्स	1989
9.	श्री हरमाना राम	एथैलेटिक्स	1993-97
10.	कु. परमजीत कौर	एथैलेटिक्स	1993-97
11.	श्री श्यामलाल	तीरन्दाजी	1988
12.	श्री लिम्बाराम	तीरन्दाजी	1989
13.	श्री धूलचन्द डामोर	तीरन्दाजी	1993-97
14.	श्री विक्रम सिंह पंवार	बैडमिन्टन	1993-97
15.	श्री हनुमान सिंह	बास्केटबाल	1983-84
16.	श्री अजमेर सिंह	बास्केटबाल	1984-85
17.	श्री सत्यप्रकाश	बास्केटबाल	1987

1	2	3	4
18.	श्री रामकुमार	बास्केटबाल	1988
19.	श्री अशोक कुमार गहलावत	बास्केटबाल	1992
20.	कु. शालू शर्मा	बास्केटबाल	1992
21.	श्री विरेन्द्र जोशी	बास्केटबाल	1993-97
22.	श्री सागर घायल	बाक्सिंग	1988
23.	श्री उम्मेद सिंह	बाक्सिंग	1993-97
24.	श्री पार्थसारथी शर्मा	क्रिकेट	1983-84
25.	श्री प्रदीप सुन्दरम	क्रिकेट	1986-87
26.	श्री गगन खोड़ा	क्रिकेट	1993-97
27.	श्री गिरराज रंगा	साइक्लिंग	1983-84
28.	श्री गंगाधर	साइक्लिंग	1984-85
29.	श्रीमती चन्द्रिका गोयल	साइक्लिंग	1984-85
30.	श्री सुरेश कुमार राजपुरोहित	साइक्लिंग	1986-87
31.	स्व. श्री अमर सिंह (मरणोपरान्त)	साइक्लिंग	1987
32.	श्री गणेशलाल माथुर	साइक्लिंग	1987
33.	श्री हीराराम	साइक्लिंग	1992
34.	श्री भवानी सिंह	साइक्लिंग	1993-97
35.	कु. लक्की सोलंकी	महिला फुटबाल	1993-97
36.	श्री लक्ष्मण सिंह	गोल्फ	1982-83

1	2	3	4
37.	श्री विशाल सिंह	गोल्फ	1993-97
38.	श्रीमती वर्षा सोनी	महिला हाकी	1982-83
39.	श्रीमती गंगोत्री भण्डारी	महिला हाकी	1982-83
40.	श्री अतुल शर्मा	हैण्डबाल	1992
41.	श्रीमती नीतू शर्मा	हैण्डबाल	1993-97
42.	श्री रघुवीर सिंह	घुडसवारी	1982-83
43.	कै. जी. एम. खान	घुडसवारी	1982-83
44.	दफेदार प्रहलाद सिंह	घुडसवारी	1982-83
45.	रिसालदार विशाल सिंह	घुडसवारी	1982-83
46.	रिसालदार भोमसिंह	घुडसवारी	1992
47.	श्री गोविन्द नारायण शर्मा	कबड्डी	1985-86
48.	श्री कमलकिशोर पारीक	कबड्डी	1987
49.	श्रीमती निर्मलेश माथुर	कबड्डी	1988
50.	श्रीमती सीमा सोनी	कबड्डी	1988
51.	श्री हीरानन्द कटारिया	कबड्डी	1993-97
52.	मो. आरीफ खान	साइकिल पोलो	1983-84
53.	श्री अशोक दास	साइकिल पोलो	1984-85
54.	डा. करणी सिंह	शूटिंग	1982-83
55.	श्री घीसालाल यादव	शूटिंग	1993-97

1	2	3	4
56.	श्री महिपाल सिंह	तैराकी	1989
57.	सुश्री हनी शर्मन	स्क्वैश	1988
58.	श्री आर. के. पुरोहित	वालीबाल	1983-84
59.	श्रीमती रमा पाण्डे	वालीबाल	1983-84
60.	श्री प्रभाकर राजू	वालीबाल	1984-85
61.	श्री रामवतारसिंह जाखड़	वालीबाल	1992
62.	कु. मालती चौहान	वालीबाल	1992
63.	श्री रामफल	कुश्ती	1983-84
64.	श्री जयभगवान	कुश्ती	1992
65.	मेजर एस. एन. माथुर	नौकायन	1987
66.	श्री नासिर वजीह	शतरंज	1988
67.	श्री मगन बिस्सा	साहसिक खेल	1993-97
68.	श्री वीरेन्द्र पूनिया	एथेलेटिक्स	1997-99
69.	श्री राजवीर सिंह	एथेलेटिक्स	1997-99
70.	श्री लालसिंह	तीरन्दाजी	1997-99
71.	श्री पंकज मलिक	बास्केटबाल	1997-99
72.	श्री जगदीश तंवर	टेनिस	1997-99
73.	श्री फतेह सिंह	साइक्लिंग	1997-99
74.	श्री तेजराज सिंह	हैण्डबाल	1997-99

1	2	3	4
75.	श्री जगदीश	कबड्डी	1997-99
76.	श्री कासम खान	नौकायन	1997-99
77.	श्री अनुप दवे	क्रिकेट	1997-99
78.	पूजा गलूण्डिया	स्नूकर	1997-99
79.	श्री महिपाल सिंह	बास्केटबाल	1999-2000
80.	श्री रविन्द्र कुमार	कुश्ती	1999-2000
81.	श्री रामकरण चौधरी	साइक्लिंग	1999-2000
82.	श्री ओमवीर सिंह	एथेलेटिक्स	1999-2000
83.	श्री अभिजीत गुप्ता	शतरंज	2000-01
84.	श्री जयवीर सिंह शेखावत	एथेलेटिक्स	2000-01
85.	श्री बीरबल सिंह	नौकायन	2000-01
86.	श्री नन्दकिशोर	तीरन्दाजी	2000-01
87.	श्री सुरेश कुमार	कबड्डी	2000-01
88.	श्री अजय सिंह चौहान	एथेलेटिक्स	2001-02
89.	श्री अमन ज्योत सिंह	गोल्फ	2001-02
90.	श्री जैन प्रसाद	हैण्डबाल	2001-02
91.	श्री दिनेश कुमार	कबड्डी	2001-02
92.	श्री नरेश कुमार	कुश्ती (ओ.प.)	2001-02
93.	श्री राज्यवर्धन सिंह	शूटिंग	2001-02

1	2	3	4
94.	श्री महावीर सिंह	शूटिंग	2001-02
95.	श्री भंवरलाल ढाका	शूटिंग	2001-02
96.	श्री शिवराम चौधरी	साइक्लिंग	2001-02

परिशिष्ट "ब"

देश के प्रमुख खेल पुरस्कार "अर्जुन अवार्ड" से सम्मानित राजस्थान के खिलाड़ी

क्र. सं.	खिलाड़ी का नाम	खेल	वर्ष
1	2	3	4
1.	श्री सलीम दुर्रानी	क्रिकेट	1961
2.	श्री किशन सिंह	पोलो	1962
3.	राजश्री कुमारी	निशानेबाजी	1968
4.	भुवनेश्वरी कुमारी	निशानेबाजी	1969
5.	श्री भंवर सिंह	तैराकी	1971
6.	मंजरी भार्गव	तैराकी	1974
7.	श्री खुशीराम	बास्केटबाल	1967
8.	श्री सुरेन्द्र कटारिया	बास्केटबाल	1973
9.	श्री हनुमान सिंह	बास्केटबाल	1975
10.	श्री अजमेर सिंह	बास्केटबाल	1982
11.	श्री राधेश्याम	बास्केटबाल	1983
12.	श्री श्रीरामसिंह	एथेलेटिक्स	1973
13.	श्री गोपाल सैनी	एथेलेटिक्स	1980-81

1	2	3	4
14.	श्री राजकुमार	एथेलेटिक्स	1984
15.	श्री दीनाराम	एथेलेटिक्स	1990
16.	श्री श्रीचन्द	एथेलेटिक्स	1998
17.	श्री खान मोहम्मद खान	घुड़सवारी	1973
18.	श्री रघुवीर सिंह	घुड़सवारी	1982
19.	श्री कै. गुलाम मोहम्मद खान	घुड़सवारी	1984
20.	श्री मगन सिंह राजवी	फुटबाल	1973
21.	श्री श्याम सुन्दर राव	वालीबाल	1974
22.	श्री सुरेश मिश्रा	वालीबाल	1979
23.	श्री आर. के. पुरोहित	वालीबाल	1983
24.	श्री लक्ष्मण सिंह	गोल्फ	1982
25.	भुवनेश्वरी कुमारी	स्क्वैश	1982
26.	श्री मेहरचन्द	भारोत्तोलन	1985
27.	श्री श्यामलाल	तीरन्दाजी	1989
28.	श्री लिम्बाराम	तीरन्दाजी	1991
29.	श्री कासिम खान	नौकायन	2001
30.	श्री राज्यवर्द्धन सिंह	निशानेबाजी	2004

"अर्जुन अवार्ड" से सम्मानित राजस्थान के खिलाड़ी (जो विदेश में हैं अथवा स्वर्गवासी हैं)

क्र. सं.	खिलाड़ी का नाम	खेल	वर्ष
1.	श्री विजय मांजरेकर	क्रिकेट	1965
2.	महाराणा प्रेम सिंह	पोलो	1961
3.	श्री हनुमन्त सिंह	पोलो	1964
4.	श्री करणी सिंह	निशानेबाजी	1961
5.	श्री भीमसिंह	निशानेबाजी	1968
6.	रीमा दत्ता	तैराकी	1966
7.	श्रीमती वर्षा सोनी	हाकी	1981
8.	सुनीता पुरी	हाकी	1966

नागौर जिले में खेल गतिविधियों हेतु व्यय राशि

519. **श्री हरीशचन्द (नावां)** : क्या युवा एवं खेलकूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कुचामन सिटी में स्टेडियम निर्माण हेतु नगर पालिका ने अपने हिस्से की राशि व्यय कर उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेज दिया है? यदि हां, तो राज्यांश की राशि अभी तक उपलब्ध नहीं कराने के क्या कारण हैं तथा अब यह राशि कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी?

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्टेडियम निर्माण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा भी राशि उपलब्ध कराने की स्वीकृति जारी की हुई है? यदि हां, तो उसके लिए क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरीशचन्द नावां)

(3) जिला नागौर में वर्तमान में कहां-कहां नये स्टेडियमों का निर्माण कार्य चालू है और उनके लिए सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है?

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा नागौर जिले के उत्कृष्ट खिलाडियों को छात्रवृति के रूप में राशि उपलब्ध करायी जा रही है? यदि हां, तो कहां-कहां व कितनी-कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छात्र-छात्राओं को तथा इस प्रकार के आयोजकों को सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं? वर्ष 2004-05 में नागौर जिले में किस-किस स्थान पर कौन-कौनसी खेलकूद प्रतियोगिताएं हुई हैं तथा सरकार द्वारा उनमें कहां-कहां कितनी-कितनी राशि व उपकरण किस-किस को उपलब्ध कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्यांश की राशि 2.00 लाख जारी कर दी गई है।

(2) जी हां। केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत राशि प्राप्त करने हेतु युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार को राशि जारी करने हेतु लिखा जा चुका है।

(3) जिला नागौर में वर्तमान में मुख्यालय नागौर पर एक स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस पर राज्य सरकार द्वारा रु. 13.63 लाख की निर्माण की स्वीकृति दी गई है। एक अन्य स्टेडियम कुचामन सिटी नागौर में भी निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

(4) जी नहीं। राजस्थान खेल अनुदान नियम 1986 में छात्रवृति देने का प्रावधान नहीं है। उत्कृष्ट खिलाडियों को उनकी खेल उपलब्धि हेतु नकद पुरस्कार देने का प्रावधान है।

(5) मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय खेल संघों की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले जिले के चयनित खिलाडियों को राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा नियमानुसार भुगतान किया जाता है :-

(युवा एवं खेलकूद मंत्री)

i. प्रत्येक प्रतिभागी को नियमानुसार आने-जाने का द्वितीय श्रेणी का रियायती रेल/बस किराया।

ii. आने एवं जाने हेतु दैनिक भत्ते की राशि के समतुल्य राशि अनुषांगिक व्यय के रूप में दी जाती है।

iii. प्रतिभागियों की अनिवार्य उपस्थिति के लिए रु. 100/-प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी की दर से दैनिक भत्ते का भुगतान किया जाता है।

iv आयोजन सम्बन्धित विविध व्यय के पेटे रु. 2000/- से 4000/- तक की राशि खेल संघों की श्रेणियों के मुताबिक स्वीकृत की जाती है।

वर्ष 2004-05 में नागौर जिले में हुई प्रतियोगिताओं एवं परिषद् द्वारा प्रतिभागियों को प्रदत्त राशि एवं खेल उपकरणों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	प्रतियोगिता का नाम	अवधि/स्थान	परिषद् द्वारा खिलाडियों एवं प्रतिभागियों को यात्रा भत्ता के भुगतान की राशि	खेल उपकरण
1.	55वीं जूनियर राज्य स्तरीय बास्केटबाल प्रतियोगिता	20.5.2004 से 23.5.2004/ डीडवाना	1,12,634/-	बास्केटबाल एवं अन्य सम्बन्धित उपकरण प्रशिक्षक के माध्यम से
2.	सब जूनियर स्टेट टेनिस बाल क्रिकेट प्रतियोगिता	8.5.2004 से 11.5.2004/ डेगाना	10,661/-	खेल से सम्बन्धित उपकरण
3.	अजमेर सम्भाग की क्रिकेट प्रतियोगिता	17.12.2004 को	—	क्रिकेट खेल से सम्बन्धित समस्त खेल सामग्री।

खनिज अभियन्ता, अजमेर द्वारा खानों का निरीक्षण

520. डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अजमेर जिले में मेजर मिनरल के स्वीकृत खनन पट्टे कितने हैं?

(2) क्या यह सही है कि खनिज अभियन्ता, अजमेर द्वारा खनन पट्टों के माइनिंग प्लान का निरीक्षण किया गया है? यदि हां, तो कितनी खानें माइनिंग प्लान के अनुसार चल रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) कितनी खानों का इको फ्रैण्डली प्लान चेक किया गया तथा कितनी खानें इस अनुसार चल रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर जिले में मेजर मिनरल के 179 खनन पट्टे स्वीकृत है।

(2) जी नहीं। चालू वित्तीय वर्ष में खनि अभियन्ता, अजमेर द्वारा खनन पट्टों के माइनिंग प्लान का निरीक्षण नहीं किया गया है।

(3) 29 खानों का इको फ्रेंडली माइनिंग प्लान चेक किया गया है तथा 29 खाने प्लान के अनुसार चल रही है। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

परिशिष्ट-अ

चैक किये गये ईको फ्रेण्डली माइनिंग प्लान प्रधान एवं अप्रधान खनन पट्टों की सूची

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि. अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, अजमेर (राज.)

क्र. सं.	एमएल नं.	पट्टेधारी का नाम	खनिज	निकट ग्राम	तहसील
1	2	3	4	5	6
1.	81/82 6/03 आर	श्री अभयराज पदावत	मा. फैल्सपार क्वार्टज	देवगढ़	ब्यावर
2.	17/2000	श्री अंशुल चौधरी	फेल्सपार, क्वा.	थावली	—"—
3.	9/01	श्री अब्दुल हकीम	—"—	सराना	सरवाड़
4.	14/99	श्री अनिलकुमार राठी	मा.फै. क्वा.	हिंगोनिया	केकड़ी
5.	15/2000	श्री बजरंग लाल सेन	फै.क्वा.	कराई	किशनगढ़
6.	47/2001	श्रीमती भूलेन्द्र कंवर	मा.फै.क्वा.	अमरगढ़	भिनाय
7.	11/01	श्रीमती वीणा चौपड़ा	—"—	दांतरी	किशनगढ़
8.	20/95	श्री हरगोविन्द हेड़ा	—"—	ऊंगाई	केकड़ी
9.	2/99 आर	श्री इन्द्रलाल जोशी	सोफ स्टोन	राजगढ़	नसीराबाद
10.	72/01	श्री इन्द्रनारायण जाट	क्वार्टज	तोलाभाल	किशनगढ़
11.	46/02	श्री किशन सिंह राठौड़	फै. क्वार्टज	देवरिया	सरवाड़
12.	18/02	श्री किशनगोपाल कुमावत	फै. क्वार्टज	उत्तमी	ब्यावर
13.	115/01	श्री मनीष चौपड़ा	मा. फै. क्वा.	ढाल	नसीराबाद
14.	25/93	मै. प्रताप कामर्शियल प्रा. लिमिटेड	फै.क्वा.एसबसटस	आसन	ब्यावर
15.	50/2000	—"—	—"—	मईखुर्द	—"—
16.	45/02	श्रीमती राधिका शर्मा	फै.क्वार्टज	देवरिया	सरवाड़
17.	56/2000	श्री सुन्दरलाल ददिया	मा. फै. क्वा.	दादिया	किशनगढ़

अप्रधान					
1	2	3	4	5	6
18.	207/90	श्री रघुनन्दनप्रसाद एण्ड कम्पनी	मार्बल	कायमपुरा	अजमेर
19.	83/2002	श्रीमती मीनादेवी साहु	—"—	गणेशपुरा	केकड़ी
20.	15/04	मै. डी. एम. मार्बल	—"—	—"—	—"—
21.	226/02	श्री सुरेशचन्द यादव	मेसेनरीस्टोन	बराई डूंगरी	किशनगढ़
22.	28/2003	श्रीमती पुष्पा यादव	—"—	माखुपुरा	अजमेर
23.	193/02	श्री जगदीशचन्द शर्मा	—"—	बराई डूंगरी	किशनगढ़
24.	34/03	श्री पुष्पेन्द्र सिंह	—"—	—"—	—"—
25.	225/02	श्रीमती सविता देवी	—"—	—"—	—"—
26.	175/02	श्री गोपाल	—"—	—"—	—"—
27.	29/03	श्रीमती ललिता देवी	—"—	माखुपुरा	अजमेर
28.	6/03	श्री पूसालाल गुर्जर	—"—	डूमाडा	—"—
29.	2126/96	श्री प्रकाश सोनी	ग्रेनाइट	भिनाय	भिनाय

Government of Rajasthan

Mines (Gr.11) Department

No.f.14(5)Mines/Gr,11/02-Pt-1 Jaiur, Dt. : 31JAN2004

CIRCULAR

A detailed circular was issued by this department on dated 29.9.2003 on eco-friendly meeting plans to be submitted by mining lease / quarry license holders. In this circular it was mentioned that "in case of small mines which are in cluster environment impact assessment / environment management plan will be prepared for entire cluster mining area". However, in para 4 of the circular it was mentioned that" no agreement would be executed for a new lease or quarry unless the approved eco-friendly mining plan is submitted by applicant".

In this regard the following certifications are being issued :

1. In case of existing quarries, a single eco-friendly mining plan is required to be prepared whole delineated quarry boundary and not for individual quarry and this plan would be prepared by concerned Mining Engineer in consultation with quarry holders and quarry holders will be bound to follow Eco-friendly mining plan so prepared for that boundary.

2. At present in khatedari land quarries allotted are not less than 4 hect.in area therefore, in such cases it will be the duty of quarry Licensee to submit individual Eco-friendly mining plan.

3. It is also clarified that for new quarries which are allotted in existing delineated boundaries Eco-friendly mining plan would be prepared by Department. In future Eco-friendly mining plan will be prepared by Department before notification of delineated boundary.

4. The Eco-friendly mining plan have been introduced first time therefore relaxation is granted for next six months that mere submission of Eco-friendly mining plan would be sufficient. Approval from Mining Engineer will not be required.

5. Draft proforma OF Eco—friendly mining plan is enclosed which may be widely circulated so lessees may submit these plan easily without any extra expenditure.

Dy. Secretary to Govt.

Model Eco-Friendly Mining Plan

I. OVERVIEW OF THE AREA

1-1 General information:

A.Name of lessee

B.Address of lessee

C. Phone no.

D. Status of the lessee Individual/Company

E. Details of the area

f. District and State

G. Tehsil

H. Village

I. M.L . No.

J. Area (may be shown on map) ......Hect.

K. Whether area falls in forest?

L. Lease period

1-2 General Topography :

A. G.T Sheet No.

B. Description of FRP of the lease

C. Longitude and Latitude of nearest FRP (if available)

D. Nearest Railway Station

E. Land Status Pvt./Govt.

F. Details of forest area adjoining to the lease

G. Ground water level in the region

1-3 Availability of basic infrastructure:

Road

Electricity

Telephone

Water Supply

Dispensary

Post Office

School

1-4 Details of Abadi nearby mining area

1-5 Plantation in the area:

A.Number of plants naturally existing in the lease area

B.Plants to be grown (Location be shown in the map) No.per year

1-6 Condition of top soil cover and its present use:

A.Depth of top soil

B.Details of place for stacking the top soil (may be shown in map)

C. Details of re-use of top soil

1-7 Existing Nalas, Water Bodies, Channels in the lease hold area and nearby:(may be shown in map)

Nala

River

Ponds

Water Channel

Others

1-8 Do you propose to carry out mining operations upto the water table.

2 SURFACE MANAGEMENT PLAN

2-1 Pattern of stacking top soil for future use

2-2 Details of approved / declared dumping site.

2-3 Effects of dumping on mineral zone and natural water channel / stream

2-4 Back filling of land and leveling of surface

2-5 Rehabilitation of dumps by creating contour bunds and filling them with soil and leveling

2-6 Maintenance of dumps and monitoring

3. WATER MANAGEMENT

3-1 Present water scenario of area :

A. Availability of water in the mining area.

B. Duration in which water is available

C.Details of dug wells in nearby mine areas

D. Recharging of water(if proposed)

3-2 Details of diversion of rain water from the mining area, if required (may be shown on the map)

3-3 Details of obstruction of water channels and measures taken.

3-4 Impact and measures of Mining / blasting on water sources as well as natural water channels in the area.

3-5 Measures taken for minimizing Silting and contamination of water

3-6 Plan for mining water utilization in :

(may be shown on the map)

A.Drinking and irrigation purpose

B.Artificial recharge

C.Water harvesting

4. AREA REHABILITATION

4-1 Details of storage of top soil in reusable form (may be shown on the map)

4-2 Details of stabilization of dumps after leveling

4-3 Details of plantation plan (may be shown on the map)

4-4 Details of group plantation on land allotted, if any

4-5 Details of measures for maintenance of plantation done in the top soil / OB dump / boundaries / other places

5 AIR , NOISE AND WELFARE MEASURES

5-1 Plan for air , dust suppression

5-2 Measures taken for air / dust control as per permissible limit

5-3 Plan for noise level

5-4 Measures taken for noise level control

5-5 Welfare measures taken for mining laborers :

A. Drinking Water

B. Sanitary condition

C. First Aid facility

D. Labour Health

E. Social Welfare and Upliftment

F. Child care facility

6. METHOD OF MINING (OPEN CAST / UNDERGROUND)

6-1 Bench Height

6-2 bench width

6-3 Machinery used

6-4 Explosive used (if blasting done)

6-5 Details of crusher or any plant (if constructed within lease area)

7. PERMISSIONS FROM PCB / FOREST

7-1 Details of NOC received from PCB (if applicable)

7-2 Details of ECC received from MOEF (if applicable)

Signature of Lessee

Note:

1.For quarry licenses existing in clusters combined eco-friendly mining plan would be prepared for the whole area by the Mines Department in consultation with the quarry and quarry holder will abide this plan in true spirit.

2. In case of any confusion lease hold may contact the concern Mining Engineer / AME for details.

3. No Fees or other charges are required to be deposited for submission of Eco-friendly mining plan.

4. Lessee / License Holder should give as much information as he can give relating to Environment friendly mining.

खनन क्षेत्र कलसीकाला एवं बलदेवगढ़ (अलवर) में अवैध खनन

521. **श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा)** : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला अलवर के खनन क्षेत्र कलसीकाला एवं बलदेवगढ़ में किस-किस को कब-कब से कितने-कितने क्षेत्र की खनन लीज दी हुई है एवं कितने-कितने क्षेत्र में किस-किस के द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त खनन क्षेत्र का मलवा चरागाह भूमि पर डाला जाता रहा है जिससे वहां के निवासियों को आवागमन में असुविधा होने के साथ साथ पशुओं के चरागाह क्षेत्र भी नष्ट हो रहे हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही किस-किस के विरुद्ध की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला अलवर के खनन क्षेत्र कलसीकाला, गुवाड़ा, बलदेवगढ़ में स्वीकृत खनन पट्टों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "ए" में दर्शाया गया है। श्री उमेश कुमार गौड एम.एल. 169/87 द्वारा 60 मीटर X30 मीटर X20 मीटर क्षेत्र में अवैध खनन किया गया।

(2) उक्त खनन क्षेत्र में ग्राम बलदेवगढ़ में खनन क्षेत्र का मलबा चारागाह भूमि पर डाला गया। चारागाह भूमि पर मलबा डालने वाले पट्टाधारियों के विरुद्ध नियमानुसार नोटिस जारी किया गया है। जिन पट्टाधारियों के विरुद्ध नोटिस जारी किये गये, वह परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

परिशिष्ट-ए

कार्यालय खनि अभियन्ता, अलवर

ग्राम बलदेवगढ़ व कलसीकाला ग्वाडा में प्रभावशील एवं चालू खनन पट्टों की सूची

क्र. सं.	नाम पट्टाधारी	पता	एम.एल. नं.	नाम खनिज	निकट ग्राम	तहसील	क्षेत्रफल (है. में)	अवधि खनन पट्टा	स्थिर भाटक	जातिवर्ग	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अप्रधान खनिज मार्बल निकट ग्राम बलदेवगढ़ तह. राजगढ़											
1.	श्री अजय शर्मा	सी-174, ज्ञान मार्ग, तिलक नगर, जयपुर	262/87	मार्बल	बलदेवगढ़	राजगढ़	1.00	30.12.87 से 20 वर्ष	25225	सामान्य	—
2.	श्री अशोकअजमेरा	1873-अशोक भवन, हल्दियों का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर	341/87	मार्बल	बलदेवगढ़	राजगढ़	1.00	1.9.88 से 20 वर्ष	33816	सामान्य	
3.	श्री अनिल शर्मा	पुत्रश्रीराधावल्लभशर्मा,रेल्वे क्रासिंग के पास, दौसा	376/87	मार्बल	बलदेवगढ़	राजगढ़	1.00	27.5.88 से 20 वर्ष	17836	सामान्य	
4.	एस. एस. मार्बल	बलदेवगढ़, तह. राजगढ़ (अलवर)	167/88	मार्बल	बलदेवगढ़	राजगढ़	1.00	25.4.88 से 20 वर्ष	22272	सामान्य	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	श्री कमोद कुमार शर्मा	द्वारा सुरेश चन्द रवीदत्त तिवाड़ी, कमीशन एजेन्ट, गंज खेड़ली, अलवर	158/87	मार्बल	बलदेवगढ़	राजगढ़	1.00	23.4.88 से 20 वर्ष	17836	सामान्य	
6.	श्रीमती निर्मला शर्मा	प्लाट नं. 34 चौधरी कालोनी, आगरा रोड़, दौसा	278/88	मार्बल	बलदेवगढ़	राजगढ़	1.00	11.8.88 से 20 वर्ष	18121	सामान्य	
7.	श्री प्रेम कुमार खण्डेलवाल	ई-132 चमेली देवी पाटोदिया मार्ग, शास्त्री नगर	133/04	मार्बल	बलदेवगढ़	राजगढ़	4.00	11.8.88 से 20 वर्ष	18121	सामान्य	
8.	श्री सुशील कुमार शर्मा	सी-48, सेठी कालोनी, जयपुर	160/87	मार्बल	बलदेवगढ़	राजगढ़	1.00	23.4.88 से 20 वर्ष	17836	सामान्य	
9.	श्री उमेश गौड	सुभाष कालोनी, दौसा	169/87	मार्बल	बलदेवगढ़	राजगढ़	1.00	23.4.88 से 20 वर्ष	17836	सामान्य	
10.	श्री विनोद कुमार अजमेरा	1873- अशोक भवन, हल्दियों का रास्ता, जयपुर	342/87	मार्बल	बलदेवगढ़	राजगढ़	1.00	1.9.88 से 20 वर्ष	26745	सामान्य	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अप्रधान खनिज मार्बल निकट ग्राम कलसीकाला ग्वाडा तह. थानागाजी											
11.	श्री अश्विनी अग्रवाल पुत्र श्री हरिनारायण अग्रवाल	2-क-16, जवाहर नगर, जयपुर	91/99	मार्बल	कलसी काला ग्वाडा	थानागाजी	1.000	17.8.2K से 20 वर्ष	30096	सामान्य	—
12.	श्री अमृत गाबा पुत्र श्री सरदारी लाल गाबा	गाबा भवन, मौ. ढकपुरी, अलवर	1009/88	मार्बल	कलसी काला ग्वाडा	थानागाजी	1.000	31.3.89 से 20 वर्ष	17836	सामान्य	—
13.	श्री बाबूलाल मीणा पुत्र श्री उमराव मीणा	ग्रा. जगन्नाथपुरा, पो. झिरी तह. थानागाजी, अलवर	1583/91	मार्बल	कलसी काला ग्वाडा	थानागाजी	1.000	28.10.99 से 20 वर्ष	42000	एस.टी.	—
14.	मै. गणपति माईन्स प्रा. लि.	115/116ए, गणपति प्लाजा, एम.आई.रोड, जयपुर	258/89	मार्बल	कलसी काला ग्वाडा	थानागाजी	1.000	13.3.90 से 20 वर्ष	28924	सामान्य	—
15.	मै. गणपति मिनरल्स प्रा.लि.	121-गणपति प्लाजा, एम.आई.रोड़, जयपुर	18/96	मार्बल	कलसी काला ग्वाडा	थानागाजी	1.000	11.11.97 से 20 वर्ष	67500	सामान्य	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	मै. खण्डेलवाल माईन्स एण्ड मार्बल	47-कल्याण विहार, नई दिल्ली	53/88	मार्बल	कलसी काला ग्वाडा	थानागाजी	1.000	4.5.88 से 20 वर्ष	74329	सामान्य	—
17.	मै. कृष्णा मारबल्स द्वारा श्री किशन कांवत	41-गोपालबाड़ी, अजमेर रोड, जयपुर	153/91	मार्बल	कलसी काला ग्वाडा	थानागाजी	1.000	4.11.99 से 20 वर्ष	42000	एस.टी.	—
18.	श्री एम.वाई. चौहान	हाजी फकीर मोहम्मद, वार्ड नं. 21, सीकर राज.	1005/88	मार्बल	कलसी काला ग्वाडा	थानागाजी	1.000	29.8.89 से 20 वर्ष	34269	सामान्य	—
19.	श्री नरपतसिंह	द्वारा मै. भारत ट्रैक्टर्स, हास्पिटल रोड, सादुलपुर जिला चूरू	834/88	मार्बल	कलसी काला ग्वाडा	थानागाजी	1.000	2.5.89 से 20 वर्ष	23250	सामान्य	—
20.	मै. नरूका मार्बल	जगन्नाथपुरा तह. थानागाजी, अलवर	596/88	मार्बल	कलसी काला ग्वाडा	थानागाजी	1.000	26.5.89 से 20 वर्ष	62905	सामान्य	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	मै. अग्रवाल मार्बल माइन्स	3 घ 4 जवाहर नगर, जयपुर	837/88	मार्बल	कलसी काला ग्वाडा	थानागाजी	1.000	24.4.89 से 20 वर्ष	20639	सामान्य	—
22.	मै. पृथ्वी मार्बल्स	द्वारा श्री गंगा सहाय ग्राम आंधी तह. जमवारामगढ़, जयपुर	1006/88	मार्बल	कलसी काला ग्वाडा	थानागाजी	1.000	4.10.89 से 20 वर्ष	17836	ओ.बी.सी.	—
23.	श्री रामावतार कुमावत	पुत्र श्री कन्हैया लाल कुमावत, निवासी थानागाजी, जिला अलवर	12/85	मार्बल	कलसी काला ग्वाडा	थानागाजी	1.000	11.8.86 से 10 वर्ष	17370	ओ.बी.सी.	—
24.	श्री रामावतार शर्मा	रामराज भवन, मौ. शेखपुरा जिला सीकर, राज.	64/96	मार्बल	कलसी काला ग्वाडा	थानागाजी	1.000	7.3.98 से 20 वर्ष	46011	सामान्य	—
25.	श्री राकेश मीणा पुत्र श्री रामनारायण मीणा	प्लाट नं. 2, मीणा कालोनी, गंगापोल गेट के बाहर, जयपुर	1767/91	मार्बल	कलसी काला ग्वाडा	थानागाजी	1.000	15.10.97 से 20 वर्ष	42000	एस.टी.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	श्री राकेश मीणा	प्लाट नं. 2, मीणा कालोनी, गंगापोल गेट के बाहर, जयपुर	1770/91	मार्बल	कलसी काला ग्वाडा	थानागाजी	1.000	15.10.97 से 20 वर्ष	42000	एस.टी.	-
27.	श्री रविन्द्र कुमार शर्मा	130-संतोष सागर कालोनी, ब्रह्मपुरी, जयपुर	83/98	मार्बल	कलसी काला ग्वाडा	थानागाजी	0.608	14.10.99 से 20 वर्ष	42000	ओ.बी.सी.	—
28.	मै. रतेश मार्बल	ग्राम बाछडी, पो. बामनवास, थानागाजी	811/88	मार्बल	कलसी काला ग्वाडा	थानागाजी	1.000	17.8.91 से 10 वर्ष	12740	एस.टी.	—
29.	शर्मा मार्बल एण्ड मिनरल्स	उपेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री ज्ञानेन्द्र प्रसाद शर्मा मौ. ब्रह्मचारी, अलवर	327/88	मार्बल	कलसी काला ग्वाडा	थानागाजी	1.000	8.9.88 से 20 वर्ष	63272	सामान्य	
30.	श्री कैलाश चन्द गुप्ता	पुत्र श्री जी.एम. गुप्ता, 26-बी, बैंक कालोनी, अलवर	39/96	मार्बल	कलसी काला ग्वाडा	थानागाजी	1.000	31.8.97 से 20 वर्ष	21185	सामान्य	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.	श्री शिवदयाल मीणा	नि. ग्रा. जेतपुर, पो. बामनवास, तह. थानागाजी जिला अलवर	812/88	मार्बल	कलसी काला ग्वाडा	थानागाजी	1.000	17.8.91 से 10 वर्ष	12740	एस.टी.	—
32.	श्रीमती भगवती देवी	पत्नि श्री श्रवण, निवासी झिरी, तहसील थानागाजी, जिला अलवर	81/88	मार्बल	कलसी काला ग्वाडा	थानागाजी	1.000	5.5.88 से 20 वर्ष	68068	सामान्य	—
33.	मै. वीर बजरंग मार्बल	द्वारा अडीसाल पुत्र श्री उमराव मीना, ग्रा. नीझरा, पो. जगन्नाथपुरा, तह. थानागाजी, अलवर	53/98	मार्बल	कलसी काला ग्वाडा	थानागाजी	1.000	14.3.99 से 20 वर्ष	44414	एस.टी.	—
34.	मै. श्री गणपति मार्बल एण्ड मिनरल्स	द्वारा श्री निशित पारीक, 1972-काली पहाडी हाऊस, नाहरगढ़, जयपुर	20/2000	मार्बल	कलसी काला ग्वाडा	थानागाजी	6 1 5 8 Sq.m	15.6.2001 से 20 वर्ष	30000	सामान्य	—
35.	मैसर्स नारायणी मार्बल	द्वारा श्री किशन कांवट, 41-गोपालबाड़ी, अजमेर रोड़, जयपुर	155/91	मार्बल	कलसी काला ग्वाडा	थानागाजी	1.000	21.10.99 से 20 वर्ष	42000	एस. टी.	—

परिशिष्ट 'ब'

राजस्थान सरकार

निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान, राजस्थान, उदयपुर

क्र.सं.	नाम पटटाधारी व पता	क्षेत्र	खननपटटा संख्या	नोटिस क्रमांक
1.	श्री उमेश गोड सुभाष कोलोनी दौसा	बलदेवगढ़ क्षेत्र 1.00 हे.	169/87	521 दिनांक 24-3-2005
2.	श्री सुशील कुमार शर्मा सी-48 सेठी कालोनी जयपुर।	बलदेवगढ़ क्षेत्र 1.00 हे.	160/87	522 दिनांक 24-3-2005

अधीक्षण खनि अभियन्ता (तृतीय)

पुलिस भर्ती में आरक्षित पदों का बैकलाग

522. श्री सुरेश मीणा (करौली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सिपाही के पदों पर नई भर्ती किया जाना विचाराधीन है? यदि हां, तो कितने पदों पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इस भर्ती में अनुसूचित जाति/जनजाति के बैकलाग के पदों को भरने की योजना रखती है? वर्तमान में इन वर्गों के लिए सिपाही पद का कितना बैकलाग शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा जुलाई, 2004 से अब तक अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने बैकलाग पदों को भरा गया? पद अनुसार दोनों वर्गों का पृथक्-पृथक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। 2000 कानि. पदों के लिये भर्ती की स्वीकृति जारी की गयी हैं।

(2) जी हां। वर्तमान में राजस्थान पुलिस में अनुसूचित जाति के 398 एवं अनुसूचित जनजाति के 698 कानि. का बैकलाग है। राजस्थान पुलिस में कानि. के पदों के अनुसूचित जाति/जनजाति बैकलाग के पदों को भरने प्रकरण राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।

(3) माह जुलाई, 2004 से अब तक कानि. की भर्ती नहीं होने के कारण अनुसूचित जाति/जनजाति के बैकलाग के पदों की पूर्ति नहीं की गई है।

भारतीय व राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के दर्ज प्रकरण

523. श्री प्रमोद जैन "भाया" (बारां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री प्रमोद जैन "भाया")

(1) क्या यह सही है कि 1 जनवरी, 2003 से 31 दिसम्बर, 2004 तक की अवधि में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा व राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध रिश्वतखोरी, आय से अधिक सम्पत्ति या अन्य अनियमितताओं के प्रकरण दर्ज किये गये हैं? यदि हां, तो किस-किस के विरुद्ध? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिकारियों के आवासीय व अन्य परिसरों पर छापे की कार्यवाही भी की गई थी? यदि हां, तो उक्त छापों में किस-किस अधिकारी से कितनी-कितनी चल-अचल सम्पत्ति बरामद हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) आय से अधिक सम्पत्ति के मामलों पर उपरोक्त में से किस-किस अधिकारी के विरुद्ध किस-किस नम्बर की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा उक्त अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश कर दिये गये? यदि हां, तो किस-किस अधिकारी के विरुद्ध किस-किस दिनांक को तथा किस-किस अधिकारी के विरुद्ध किन-किन कारणों से चालान न्यायालय में अभी तक पेश नहीं किए गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिनांक 1.1.2003 से 31.12.2004 तक की अवधि में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा व राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध निम्न प्रकार से प्रकरण पंजीबद्ध किये गये।

	ट्रेप	आय से अधिक सम्पत्ति	पद के दुरुपयोग	योग
भा.प्र. सेवा	—	01	02	03
रा. प्र. सेवा	03	—	11	14

(गृह मंत्री)

प्रकरण जिन-जिन भारतीय प्रशासनिक सेवा व राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज किये गये उनका विस्तृत विवरण परिशिष्ट "अ" व "ब" में संलग्न है।

(2) श्री आर. एस. श्रीवास्तव, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के विरुद्ध पंजीबद्ध अपराध संख्या 264/2004 में आवासीय व अन्य परिसरों पर छापे की कार्यवाही के दौरान 3,06,18,917/- रु. की चल अचल सम्पत्ति प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार होना ज्ञात हुआ है। विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(3) आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट का विवरण भी संलग्न परिशिष्ट "अ" में उल्लेखित है।

(4) जी नहीं। अभी तक उपरोक्त अधिकारियों के विरुद्ध चालान पेश नहीं किये हैं।

1. प्रकरण सं. 95/03 में आरोपित अधिकारी श्री आनन्द बैराठी आरएएस के विरुद्ध चार्जशीट क्रमांकित की जा चुकी है, शीघ्र न्यायालय में चालान पेश किया जावेगा।

2. एक प्रकरण संख्या 110/04 में श्री आर.एस. श्रीवास्तव आईएएस राजस्व मण्डल अजमेर के विरुद्ध मामला अभियोजन स्वीकृति हेतु राज्य सरकार के समक्ष लम्बित है। अभियोजन स्वीकृति आने पर न्यायालय में चालान पेश किया जावेगा।

3. शेष प्रकरण अन्वेषणाधीन है।

परिशिष्ट "अ"

दिनांक 1.1.2003 से 31.12.2004 तक भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध पंजीबद्ध अपराध की सूची

क्र सं.	अपराध संख्या व दिनांक		विरुद्ध	संक्षिप्त आरोप	चालान पेश करने की तिथि
1	2		3	4	5
1.	109/04	पद का दुरूपयोग	श्री आर. एस. श्रीवास्तव, आई.ए.एस. सदस्य, राजस्व मण्डल, अजमेर	प्रकरण में आरोप यह है कि श्री आर.एस. श्रीवास्तव, आई.ए.एस. सदस्य राजस्व मण्डल, अजमेर के न्यायालय में कमला देवी व अन्य बनाम राज्य सरकार का वाद लम्बित चल रहा था इस वाद से सम्बन्धित भूमि धौलपुर में स्थित है। उक्त राजस्व वाद का निर्णय वादी पक्ष ने अपने हक में करवाने के लिए श्री आर.एस. श्रीवास्तव को 30 लाख रुपये रिश्वत में देने का तय सौदा किया गया। इस वाद के सम्बन्ध में दिनांक 25.5.2004 को वादी के पक्ष में स्थगन आदेश जारी किया जावेगा, आदेश 15 दिन की अवधि के अन्दर-अन्दर उसके पक्ष में निर्णय भी किया जावेगा। इस सौदे के क्रम में श्रीवास्तव ने रिश्वत की प्रथम किश्त 5 लाख रुपये दिनांक 24.5.2004 को देना तय हुआ जिस पर उक्त सूचना के आधार पर ब्यूरो द्वारा श्रीवास्तव व अन्य के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया। जिससे श्रीवास्तव के विरुद्ध पद के दुरूपयोग का प्रकरण दर्ज किया गया।	

1	2		3	4	5
2.	110/04	पद का दुरुपयोग	श्री आर. एस. श्रीवास्तव, आई.ए.एस. सदस्य, राजस्व मण्डल, अजमेर	राजस्व मण्डल अजमेर में वर्ष 2001 से 2004 तक की रविशंकर श्रीवास्तव ने मैसर्स नेशनल इंजिनियरिंग इण्डस्ट्रीज का वाद बनाम राज्य सरकार जो श्रीवास्तव के पास विचाराधीन था और उपरोक्त प्रकरण के क्रम में सम्बन्धित पार्टी से एक भाग की रिश्वत राशि का सौदा श्रीवास्तव द्वारा किया गया और दूसरे भाग की रिश्वत राशि की लेन देन हेतु पार्टी से निरन्तर वार्ता चलती रही, श्रीवास्तव ने उपरोक्त राजस्व प्रकरण में रिश्वत के सौदे बाबत श्री ललित गोयल निवासी दिल्ली, श्री सुशील कालरा, निवासी जयपुर, श्री आर.एस. श्रीवास्तव के निजी सचिव, रवि पाण्डे, मनजीसिंह निवासी अजमेर, श्री राकेश गौतम, राजेश एयरण, वकील अजमेर श्री मोहम्मद शाखलाख गौरव नगर, जयपुर श्री राजेश बरडियां जयपुर, श्री पवन जैन जयपुर की महत्वपूर्ण भूमिका का उक्त प्रकरण में रहने पर ब्यूरो द्वारा उपरोक्त आरोपितों के विरुद्ध भारी धनराशि रिश्वत के रूप में दिलाने, और प्राप्त करने का अनियमितताऐं की।	चालान पेश करने का निर्णय दिनांक 17.2.2005 को लिया जा चुका है। दिनांक 8.2.2005 को रिपोर्ट व प्रारूप अभियोजन स्वीकृति राज्य सरकार को प्रेषित की जा चुकी है।

1	2	3	4	5
आय से अधिक सम्पत्ति के प्रकरण :-				
3.	264/2004	श्री रविशंकर श्रीवास्तव, आई.ए.एस., सदस्य, राजस्व मण्डल, अजमेर	आरोपी श्री रविशंकर श्रीवास्तव आई.ए.एस. ने अपने पद का दुरूपयोग कर अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक मात्रा में स्वयं के, पत्नी एवं अन्य रिश्तेदारों के नाम 3,06,48,947/- रुपये की चल/अचल सम्पत्ति होना ज्ञात हुआ है।	

परिशिष्ट "ब"

दिनांक 1.1.2003 से 31.12.2004 तक राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध पंजीबद्ध अपराध की सूची

क्र. सं.	अपराध संख्या	विरुद्ध	संक्षिप्त आरोप	चालान करने की तिथि
1.	125/03 ट्रेप	श्री राकेश कुमार गर्ग, एस.डी.एम. उप खण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़	आरोपी द्वारा परिवादी से केरोसिन लेने व उसको बेचने की अनुमति जारी करने की एवज में अपने दलाल व अपने अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारी के मार्फत रिश्वत की मांग करना व परिवादी का कार्य करने के बारे में कहना जिसकी मौजूदगी में अधीनस्थ को परिवादी से रिश्वत राशि मांग कर प्राप्त की गई रिश्वत राशि 6,000/- रुपये लेते हुये रंग हाथों पकड़ा गया।	अन्वेषणाधीन
2.	277/04 ट्रेप 9.12.2004	श्री भगवती प्रसाद शर्मा विकास अधिकारी पंचायत समितिवार जिला भरतपुर	आरोपी द्वारा पेंडिंग बिलों के भुगतान करने की एवज में 3,500/- रुपये रिश्वत की मांग कर प्राप्त करना।	अन्वेषणाधीन
3.	95/03 ट्रेप 5.4.2003	श्री आनन्द नारायण बैराठी, एस.डी.एम. बोली जिला सवाईमाधोपुर	आरोपी द्वारा परिवादी की जमीन में कुएं को गहरा करने के लिए 75 प्रतिशत की सबसिडी श्रम मद के तहत स्वीकृत करने की एवज में 1,000/- रुपये रिश्वत की मांग कर प्राप्त किये।	चार्जशीट क्रमांकन किया जा चुका है। शीघ्र न्यायालय में चालान पेश किया जावेगा।

परिशिष्ट "अ"

दिनांक 1.1.2003 से 31.12.2004 तक प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध पंजीबद्ध अपराध की सूची

क्र. सं.	अपराध संख्या व दिनांक		विरुद्ध	संक्षिप्त आरोप	चालान पेश करने की तिथि
1	2		3	4	5
1.	24/2004 3.2.2004	पद का दुरूपयोग	श्री सोहन लाल माहेश्वरी तत्कालीन सचिव, नगर सुधार न्यास, जोधपुर	आरोपित अधिकारियों द्वारा एक ही नीलामी के द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर भू-खण्ड को अलग-अलग समय में एक ही व्यक्ति को आबंटित/नीलामी में बेच कर सही रिकार्ड का निर्धारण नहीं कर भू-खण्ड बेचकर में अनियमितताएँ कर अवैधानिक तरीके से लिप्त रहकर स्वयं को लाभ एवं न्यास को नाजायज वित्तीय हानि पहुंचाई।	अन्वेषणाधीन
2.	247/2004 25.10.2004	पद का दुरुपयोग	श्री विजयसिंह नाहटा, आरएएस, उप खण्ड अधिकारी, फतेहगढ़, जैसलमेर	पद का दुरूपयोग कर 4 लाख 71 हजार 922 रुपये का गबन किया।	अन्वेषणाधीन

1	2		3	4	5
3.	101/2004	पद का दुरुपयोग	श्री भंवरसिंह चारण, आरएएस, सी.ई.ओ. 2-श्री के.एल. मीणा, आरएएस, आयुक्त नगर निगम कोटा	1. श्री ईश्वर लाल साहू महापौर, 2. श्री भंवरसिंह चारण आयुक्त 3. श्री के. एल. मीणा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी 4. श्री हरिप्रसाद शर्मा, लेखाधिकारी नगर निगम कोटा व प्रो. मैं. भूपेन्द्र इलेक्ट्रीक वर्क्स ने आपस में मिलीभगत कर नियमों की अवहेलना करते हुये नगर निगम के लिए प्रचलित दरों से उच्च दरों पर चारे की खरीद कर राज्य सरकार को 2,89,242/- रुपये का नुकसान पहुंचाया।	अन्वेषणाधीन
4.	9/2003	पद का दुरुपयोग	श्री भंवरसिंह चारण आरएएस उप खण्ड अधिकारी कोटा।	प्रकरण में आरोप है कि नगर निगम कोटा शहर के विभिन्न वार्डों में सार्वजनिक निर्माण कार्य करवाती है। कच्ची बस्ती सुधार कार्यक्रम के निर्माण कार्य करवाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा विशेष योजनाऐं एस.डी.पी. एण्ड जे.आर.वाई के तहत बजट आबंटित किया जाता है। इसी क्रम में संवेदक श्री उमेश कुमार सिंह को विज्ञान नगर कच्ची बस्ती में निर्माण कार्य हेतु 3 कार्यादेश जारी किये। विज्ञान नगर क्षेत्र श्री राजेश सिंह कनिष्ठ अभियन्ता के कार्यक्षेत्र में संवेदक उमेश कुमार सिंह ने माप पुस्तिका में कार्य बाबत फर्जी प्रविशिष्टयां एवं राजेश शर्मा के कूट रचित हस्ताक्षर कर लाखों रुपये का भुगतान उठा लिया।	अन्वेषणाधीन

1	2		3	4	5
5.	16/03	पद का दुरुपयोग	श्री जगरूपसिंह यादव, आर.ए.एस.डी.एस.ओ. जयपुर।	वर्ष 2000 में तत्कालीन रसद अधिकारी के आदेशानुसार रिक्शा ट्रोली से कच्ची बस्तियों/मजदूरों को चौखरियों पर राशन कार्ड एवं बिना राशन कार्ड के केरोसीन का वितरण कराया।	अन्वेषणाधीन
6.	68/03	पद का दुरुपयोग	श्री श्यामसिंह राजपुरोहित आर.ए.एस. आवासि अधिकारी बीसलपुर परियोजना, टोंक	बीसलपुर परियोजना देवली के बांध डूब क्षेत्र में आये हुये गांवों के विस्थापितों को मुआवजा देने में अनियमितताएं करना।	अन्वेषणाधीन
7.	69/03	पद का दुरुपयोग	—"—	बीसलपुर परियोजना डूब क्षेत्र में आये गांवों के विस्थापितों को मुआवजा देने में अनियमितताएं करना।	अन्वेषणाधीन
8.	162/03	पद का दुरुपयोग	श्री नवनीत कृष्ण पुरोहित आर.ए.एस. जिला रसद अधिकारी सीकर	एफ.सी.आई. सीकर से कई लाखों बोरी गेहूं की उठवाकर सीधे ही मार्केट व आटा मिलों में बेचकर कई करोड़ों रुपये का घोटाला किया।	अन्वेषणाधीन

1	2		3	4	5
9.	329/03	पद का दुरुपयोग	श्री किशनलाल बड़ोतियां, आरएएस तत्कालीन आयुक्त नगर निगम, एम.डी. जौन, जयपुर	प्रकरण में तत्कालीन आयुक्त द्वारा सार्वजनिक भूमि को मनोरंजन एवं दुकानों के लिए सरकारी भूमि को किराये पर देकर स्वयं को लाभ एवं राज्य सरकार को हानि पहुंचाना।	अन्वेषणाधीन
10.	31/03	पद का दुरुपयोग	श्री घीसूसिंह राठौड़, आरएएस, तत्कालीन तहसीलदार, टोडाराय सिंह हाल भूमि आवासि अधिकारी बीसलपुर परियोजना देवली जिला टोंक।	आरोपी द्वारा ग्राम गेदिया में करीब 47 बीघा भूमि रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज थी को सरपंच श्री शिवराज सिंह से साठ-गांठ कर अनियमितताएं तरीके से गैर तरीके से गैर खातेदारी खोलने के आदेश दिये।	अन्वेषणाधीन
11.	67/04	पद का दुरुपयोग	श्री बी.एल. मीणा तत्कालीन उप सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर	आरोपी द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर विकास न्यास की जमीन पर अवैध रूप से पट्टे जारी कर आर्थिक हानि पहुंचाई।	अन्वेषणाधीन

चित्तौड़गढ़ जिले के फरार आदतन अपराधी

524. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला चित्तौड़गढ़ के अरनोद, सालमगढ़, सुहागपुरा, प्रतापगढ़, देवगढ़ व रठाजना थानों में अफीम, ब्राउन शुगर, डोडा चूरा, हेरोइन तस्करी करने वाले कितने अपराधी फरार हैं? थाना क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त थानों में कितने ऐसे हिस्ट्रीशीटर या आदतन अपराधी हैं जिनके फोटो पुलिस थानों में नहीं लगे हुए हैं? थानेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अब तक किन-किन अपराधों में किस-किस अपराधी को जिलाबदर घोषित किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला चित्तौड़गढ़ के थाना अरनोद, सालमगढ़, सुहागपुरा, प्रतापगढ़, देवगढ़, रठाजना के क्षेत्र में अफीम, ब्राउन शुगर, डोडा चूरा, हेरोइन की तस्करी करने वाले जो अपराधी फरार हैं, उनकी थानेवार सूची विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	थाना	मु. नं.	धारा	नतीजा	फरार अपराधी के नाम पते
1	2	3	4	5	6
1.	अरनोद	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	सालमगढ़	89/ 27.5.2000	8/21.29 एन.डी.पी.एस. एक्ट	चालान	पप्पू सिंह पुत्र केसरसिंह नि. मंदसोर म.प्र.
3.	रठाजना	41/ 7.4.2003	8/18 एन.डी.पी. एस. एक्ट	चालान	1. बबलु उर्फ संजय पुत्र लक्ष्मी नारायण नि. कन्नोर

गृह मंत्री)

1	2	3	4	5	6
					2. क्युम पुत्र नुरा मुसलमान नि. बाथाखेड़ी, थाना भाव गढ़, जिला मन्दसौर 3. ईस्माईल पुत्र हुसन खां मु.नि. बाथाखेड़ी
4.	रठाजना	78/ 7.7.2004	8/18 एन.डी.पी. एस. एक्ट	चालान	1. सीताराम पुत्र गोपाल बैरागी नि. कडियावट 2. हीरालाल पुत्र कचरू चमार नि. अखेपुर, थाना प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ 3. सलीम पुत्र फिरसेद मुस . नि. अखेपुर
5.	देवगढ़	42/ 7.4.2004	8/28 एन.डी.पी. एस. एक्ट	चालान	1. आर.जे. दाउद, नि. बम्बई, महाराष्ट्र 2. माईक चिन्नाडी उर्फ माईकल, नि. बम्बई 3. शन्नी उर्फ मण्डे नि. नाइजरियन हाल मुम्बई

उक्त अभियोग में उपरोक्त वांछित अभियुक्तगणों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, उनके खिलाफ अनुसंधान धारा 173(8) सीआरपीसी के अन्तर्गत पेण्डिंग है। जिनके पूरे नाम पते मालूम नहीं हो सके है। जिनकी तस्दीक सकूनत भी नहीं हो पाई है, पते सही नहीं हैं। जो फरार हैं।

गृह मंत्री)

1	2	3	4	5	6
6.	सुहागपुरा	32/04 7.7.2004	8/21एन.डी. पी.एस. एक्ट	चालान	कुशल पुत्र दिलावर खां नि. गोर्धनपुरा प्रतापगढ़
7.	प्रतापगढ़	488/ 13.11.2002	8/21एन.डी. पी.एस. एक्ट	चालान	कैलाश चन्द पुत्र कन्हैयालाल शर्मा नि. निम्बाहेड़ा।
8.	प्रतापगढ़	186/ 18.5.2004	8/21एन.डी. पी.एस. एक्ट	चालान	ईसाक पुत्र जुमा मुसलमान नि. गादोला
9.	रठाजना	91/ 26.6.2000	8/18एन.डी. पी.एस. एक्ट	चालान	युसुफ पुत्र शकुर खां पठान नि. साकरिया।
10.	रठाजना	103/ 2.8.2000	8/29एन.डी. पी.एस. एक्ट	चालान	—यथा—
11.	प्रतापगढ़	236/ 8.9.1989	8/18एन.डी. पी.एस. एक्ट	चालान	मोहन पुत्र भंवर चमानर नि. मल्लाहर गढ़ म.प्र.
12.	प्रतापगढ़	108/ 1.3.1997	8/18एन.डी. पी.एस. एक्ट	चालान	रामचन्द्र पुत्र रूपा मीणा नि. लुहारिया थाना जाखम
13.	प्रतापगढ़	166/ 3.5.1997	8/18एन.डी. पी.एस. एक्ट	चालान	भंवर सिंह पुत्र देवीसिंह नि. रणानियाना म.प्र.

(गृह मंत्री)

(2) जिला चित्तौड़गढ़ में उक्त थानों में जितने भी हिस्ट्रीशीटर या आदतन अपराधी हैं, उन सभी के फोटो लगे हुए हैं।

(3) उपरोक्त थानों के किसी भी अपराधी को जिला बदर घोषित नहीं किया गया है।

मन्दिर श्री पापड़ के हनुमानजी जयपुर के मार्ग पर असामाजिक तत्वों का आतंक

525. श्री नवनीत नीनामा (घाटोल) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विद्याधर नगर, जयपुर स्थित श्री पापड़ के हनुमान मन्दिर जाने वाले मार्ग के पास आवास कर रहे बांग्लादेशी एवं अन्य लोगों का सरकार द्वारा सर्वे करवाया गया है? यदि हां, तो वहां वर्तमान में कितने परिवार रह रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बांग्लादेशी की आड़ में अन्य असामाजिक तत्वों एवं कबाडियों ने भी उक्त स्थान पर कब्जा जमा लिया है? यदि हां, तो किन-किन ने?

(3) क्या यह सही है कि बांग्लादेशियों एवं अन्य असामाजिक तत्वों ने मन्दिर जाने वाले दर्शनार्थियों एवं स्थानीय वासियों में आतंक फैला रखा है? यदि हां, तो क्या सरकार इनको हटाकर अन्य स्थान पर बसाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विद्याधर नगर, जयपुर श्री पापड़ के हनुमान मन्दिर जाने वाले मार्ग के पास आवास कर रहे परिवारों का सर्वे करवाया गया है। सर्वे अनुसार इस मार्ग के पास कोई बांग्लादेशी नागरिक नहीं रहना पाया गया है। मद्रासी/गुजराती व अन्य स्थानों के 67 परिवारों का निवास करना पाया गया है। जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(गृह मंत्री)

(2) अन्य असामाजिक तत्वों एवं कबाडियों द्वारा उक्त स्थान में कोई कब्जा किया हुआ नहीं है।

(3) असामाजिक तत्वों द्वारा मन्दिर जाने वाले दर्शनार्थियों एवं स्थानीय वासियों में कोई आतंक नहीं फैला रखा है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जयपुर में चेन नकबजनी के दर्ज प्रकरण

526. श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में चेन छीनने की घटनायें बहुत बढ़ गई हैं? यदि हां, तो दिनांक 2 दिसम्बर, 2003 से फरवरी, 2005 तक चेन छीनने की कितनी घटनाएं घटीं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) चेन छीनने के कितने मामले विभिन्न थानों में दर्ज हुए तथा कितने मामलों में मुल्जिम पकड़े गये हैं तथा कितनों में माल बरामद हुआ? शेष मामलों में मुल्जिम नहीं पकड़े जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ऐसे मामलों को रोकने हेतु कारगर कदम उठाने के लिए कोई नीति निर्धारित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि जयपुर में चेन छीनने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। वर्ष 2003 में कुल 41 घटनाऐं हुई एवं 2 दिसम्बर, 2003 से फरवरी, 2005 तक कुल 75 मुकदमे दर्ज हुए हैं। पूर्ण विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जयपुर में चेन छीनने के 75 मामले विभिन्न थानों में दर्ज हुये जिनमें 62 मुल्जिमों को गिरफ्तार किया गया तथा 27 प्रकरणों में माल बरामद किया गया। शेष प्रकरणों में मुल्जिमों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। विस्तृत विवरण परिशिष्ट "अ" में अंकित है.

(गृह मंत्री)

(3) चेन छीनने की घटनाओं को रोकने हेतु शहर में गश्ती दलों द्वारा सघन गश्त की व्यवस्था प्रभावी है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

झालरापाटन में नाबालिग बालकों की कथित खरीद-फरोख्त

527. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र झालरापाटन में नाबालिग लड़के व लड़कियों को बेचा गया? यदि हां, तो कब-कब और किन-किन को? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त लोगों के विरुद्ध सरकार द्वारा मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की गई? यदि हां, तो कब-कब और किन-किन के विरुद्ध? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इस तरह के अमानवीय कृत्यों को रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र झालरापाटन में नाबालिग लड़के/लड़कियों को बेचने बाबत विगत 1 वर्ष में कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है।

(2) उक्त सन्दर्भ में लिप्त किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्रकरण दर्ज नहीं किया गया एवं न ही किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई।

(3) यदि इस प्रकार का कोई प्रकरण सामने आयेगा तो उसमें दोषियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

आपराधिक प्रवृत्ति के किन्नरों के विरुद्ध कार्यवाही

528. श्री जीतराम (मालपुरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार किन्नरों द्वारा विभिन्न अपराध किये जाने पर उन्हें रोकने हेतु कानून बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। किन्नरों के लिए अलग से कानून बनाने का कोई विचार नहीं है क्योंकि उनके द्वारा अपराध किये जाने पर उन पर भी वर्तमान में प्रचलित कानून लागू होते हैं।

सांभर पुलिस उप अधीक्षक के निवास पर करवाये गये निर्माण/मरम्मत कार्य

529. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के विभिन्न थानों में पुलिस कार्मिकों के लिये कितने आवास निर्मित हैं तथा वर्तमान में इनमें कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी कब से रह रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत तीन वर्षों में उक्त आवासों में क्या-क्या कार्य, कितनी-कितनी राशि के किस-किस मद से व किसकी स्वीकृति से कराये गये? स्वीकृति आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सांभर में वर्तमान में पदस्थापित पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने राजकीय आवास में अपने पदस्थापन के पश्चात् लाखों रुपये के मरम्मत/ निर्माण कार्य कराये गये हैं? यदि हां, तो इनके पदस्थापन के पश्चात् इनके आवास में क्या-क्या कार्य किस-किस मद से व किसकी स्वीकृति से कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री नवरतन राजोरिया)

(4) क्या यह सही है कि सांभर में पदस्थापित उक्त अधिकारी द्वारा अपने आवास में कई कार्य बिना स्वीकृति या अनाधिकृत रूप से कराये गये? यदि हां, तो कौन-कौन से कार्य कितनी राशि के? क्या सरकार उक्त अधिकारी द्वारा अनाधिकृत रूप से कराये गये कार्यों के लिये इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में पुलिस थाना रेनवाल, सांभर, कालवाड़, जोबनेर व फुलेरा आते हैं। पुलिस थाना रेनवाल, कालवाड़, जोबनेर व फुलेरा में पुलिस कर्मियों के लिए निर्मित आवासों व इनमें रह रहे अधिकारी/कर्मचारी का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है। थाना सांभर में पुलिस कर्मियों के आवास नहीं हैं।

(2) गत तीन वर्षों में उक्त आवासों में कोई कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है।

(3) सी.ओ. सांभर के लिए पूर्व में कोई सरकारी आवास नहीं था। पुलिस आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2004-05 के अन्तर्गत सी.ओ. सांभर के आवास हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति दिनांक 9.12.2004 द्वारा रु. 8.00 लाख स्वीकृत किये गये हैं, जिनका निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सी.ओ. सांभर के आवासीय भवन हेतु कोई राशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा कोई निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है। वर्तमान में सी.ओ. सांभर स्वयं के सरकारी कार्यालय के एक कमरे में निवास कर रहे हैं। सी.ओ. सांभर जिस आवास में रह रहे हैं, उसमें पदस्थापन के पश्चात् कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया है।

(4) जैसा कि प्रश्न के बिन्दु संख्या तीन में उत्तर दिया गया है कि वर्तमान में सी.ओ. सांभर कार्यालय के एक कमरे में रह रहे हैं। इनके पदस्थापन के पश्चात् कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया है।

परिशिष्ट "अ"

पुलिस थाना रेनवाल, फुलेरा, कालवाड़ व जोबनेर में निर्मित आवास व रह रहे कर्मचारी/अधिकारियों का विवरण

थाना :- रेनवाल निर्मित आवास अपर सवो.-1 व लोवर सवो. क्वाटर्स-6 रह रहे कर्मचारी/अधिकारी का विवरण			थाना :- जोबनेर निर्मित आवास अपर सवो.-1 व लोवर सवो. क्वाटर्स 4 रह रहे कर्मचारी/अधिकारी का विवरण			थाना :- कालवाड निर्मित आवास अपर सवो.-2 लोवर सवो. क्वाटर्स-6 रह रहे कर्मचारी/अधिकारी का विवरण			थाना :- फुलेरा निर्मित आवास अपर सवो.-4 व लोवर सवो. क्वाटर्स-6 रह रहे कर्मचारी/अधिकारी का विवरण		
क्र. सं.	नाम व पद	दिनांक से	क्र. सं.	नाम व पद	दिनांक से	क्र. सं.	नाम व पद	दिनांक से	क्र. सं.	नाम व पद	दिनांक से
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अपर 1	श्री रामनारायण पारिक एस.आई.	25.12.2004	अपर 1	श्री मनीष चारण उ.नि.	24.2.2004	अपर 1	श्री भोपाल उ.नि.	28.2.2004	अपर 1	श्री मुकेश चौधरी उ.नि.	19.10.2003
लोवर 1	श्री गिरधारी लाल स.उ.नि.	31.7.2002	लोवर 1	श्री जगदीश कानि. 1155	18.8.2001	2	श्री महेशचन्द स.उ.नि.	19.1.2004	2	1.श्री बन्नेसिंह स.उ.नि. 2. श्री विजयसिंह मु.आ. 449 3.श्री हरिमोहन मु.आ. 416	23.6.2004 20.6.2001 6.7.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	श्री बाबूलाल कानि. 994	21.8.2004	2	श्री जगदीश कानि. 879	2.2.2004	लोवर 1	श्री फुलाराम मु.आ. 27	20.9.2001	3	1.श्री मोहन सिंह स.उ.नि. 2.श्री प्रमोद कुमार कानि. 1102	21.6.2004 10.9.2004
3.	श्री धुडसिंह कानि. 946	1.8.2004	3	श्री सुरेन्द्र सिंह कानि. 749	4.4.2001	2	श्री रणवीर सिंह कानि. 1157	2.7.2002	4	श्री गोविन्द सिंह चालक-1604	4 वर्ष से
4.	श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. 1001	20.8.2004	4	श्री अमरसिंह कानि. 1379	8.11.2004	3	श्री शीशराम कानि. 857	11.6.2003	लोवर 1	1.श्री तुलसीराम कानि. 856 2. श्री रामलाल कानि. 1125	4.7.2001 4.7.2001
5.	श्री जगदीशप्रसाद मु.आ. 36	1.10.2004				4.	श्री ताराचन्द कानि. 1242	26.6.2004	2	1.श्री चौथमल कानि. 1251 2. श्री हरसहाय कानि. 585	11.4.2001 6.8.2001
6.	ए. क्वाटर रिक्त	26.6.2004				5	श्री शम्भुदयाल कानि. 995	4.7.2001	3	श्री रामनिवास कानि. 834	21.7.2001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						6	श्री कन्हैयालाल कानि. 839	6.1.2001	4	1.श्री सुभाषचन्द कानि. 1195 2.श्री बस्तीराम कानि. 695 3.श्री महेशकुमार कानि. 1225	9.7.2004 26.6.2004 9.7.2004
									5	1. श्री रामकुमार कानि. 707 2. श्री बिहारीलाल कानि. 997 3. श्री सन्तकुमार कानि. 1098	15.7.2003 26.6.2004 30.9.2004
									6	श्री मोहन लाल मु.आ. 455	8.8.1991

बामनवास के ग्रामों में नवीन पुलिस चौकियां

530. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बामनवास के ग्राम बाटोदा, मुकार, मलारना चौड़ में पुलिस चौकी खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र बामनवास के ग्राम बाटोदा, मुकार, मलारना चौड़ में पुलिस चौकी खोलने का विचार नहीं है।

हनुमानगढ़ जिले में नवीन थाने एवं चौकियों की स्थापना

531. डा. सुरेश चौधरी (भादरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार हनुमानगढ़ जिले के थानों को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौन से थानों को कब तक क्रमोन्नत किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि सरकार हनुमानगढ़ जिले में कुछ नये थानें तथा चौकियां स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं कौन-कौन से स्थानों पर व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि सरकार हनुमानगढ़ जिले के नोहर कस्बे में अपर पुलिस अधीक्षक का पद सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले के थानों को क्रमोन्नत करने का विचार नहीं है।

(गृह मंत्री)

(2) वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में नये थाने तथा चौकियां स्थापित करने का विचार नहीं है।

(3) हनुमानगढ़ जिले के नोहर में अपर पुलिस अधीक्षक का पद सृजित करने का विचार नहीं है।

वन क्षेत्र नटाटा (जयपुर) में अवैध खनन

532. श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जमवारामगढ़ अभ्यारण्य को अभ्यारण्य कब घोषित किया गया? इसकी सीमा कितने किलोमीटर एरिया में है? उक्त अभ्यारण्य में कौन-कौन से ग्राम शामिल किये गये हैं? सूची मय मानचित्र सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अभ्यारण्य का गजट नोटिफिकेशन कब जारी किया गया?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम नटाटा में वन सीमा क्षेत्र (सैन्चूरी) में कोई अवैध खनन कार्य किया जा रहा है? यदि हां, तो सरकार इसे कब तक बन्द करवाने का विचार रखती है?

उत्तर

() जमवारामगढ़ अभ्यारण्य को राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 31.5.1982 से अभ्यारण्य घोषित किया गया। इस अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 300 वर्ग कि.मी. है। इसमें शामिल गांव की सूची मय मानचित्र परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) उक्त सैन्चुरी का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 10 जून, 1982 को जारी किया गया। गजट नोटिफिकेशन की प्रति परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। ग्राम नटाटा जमवारामगढ़ अभ्यारण्य क्षेत्र में नहीं आता है।

(मानचित्र की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सीतामाता अभयारण्य (उदयपुर) में वृक्षों की अवैध कटाई

533. श्री रणधीर सिंह भीण्डर (बल्लभनगर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सीतामाता अभयारण्य जिला उदयपुर कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अभयारण्य में लकड़ी की अवैध कटाई के प्रकरण सामने आये हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इस अभयारण्य को टाइगर सैंक्चुरी बनाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों

उत्तर

(1) सीतामाता अभयारण्य चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर जिलों के क्षेत्र में स्थित है। इसके क्षेत्रफल का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	जिला	अभ्यारण्य का क्षेत्रफल
1.	चित्तौड़गढ़	34,468.50 हैक्टेयर
2.	उदयपुर	7826.00 हैक्टेयर
योग		42,294.50 हैक्टेयर

(2) सीतामाता अभयारण्य में स्थानी लोगों द्वारा अवैध कटान के कुछ प्रकरण सामने आये हैं। वर्ष 2004-05 में अब तक अभयारण्य क्षेत्र में अवैध कटान के 215 प्रकरण दर्ज किये जाकर 89,310/- रुपये राशि का एवजाना वसूल किया गया है। अवैध कटान के रोकथाम के लिए स्थानीय स्टाफ द्वारा नियमित गश्त कर सुरक्षा कार्य किया जा रहा है एवं वन सुरक्षा को मजबूत करने हेतु एक गश्ती दल का भी गठन किया गया है।

(3) इस क्षेत्र में टाइगर की उपस्थिति नहीं होने के कारण इसे टाइगर सैंक्चुरी बनाने का विचार नहीं है।

धौलपुर जिले में वन्य जीवों के संरक्षण पर व्यय

534. श्री बनवारी लाल (धौलपुर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) धौलपुर जिले में कितने सैंक्चुरी एवं अभयारण्य हैं उनमें कौन-कौनसी प्रजाति के वन्य जीव प्रवास करते हैं? उनकी गत 10 वर्षों की प्रजातिवार संख्या क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा जिला धौलपुर में गत दस वर्षों से वन्य जीवों की निरन्तर कमी को देखते हुए जीवों के रहन-सहन, सुरक्षा आदि के सम्बन्ध में कितना-कितना बजट किस मद में आबंटित किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) धौलपुर जिले में निम्न 4 अभयारण्य हैं 1. केशरबाग अभ्यारण्य 2. वन विहार अभयारण्य, 3. रामसागर अभयारण्य, 4. चम्बल घडियाल अभयारण्य। इनमें वर्ष 1995 से 1998 तक गणना नहीं हुई है। वर्ष 1999 से 2004 तक वन्य जीवों की वर्षवार संख्या संलग्न सूची अनुसार है।

(2) इन अभयारण्यों के वन्य जीवों के रहन सहन एवं सुरक्षा हेतु बजट अलग से न होकर इस क्षेत्र में स्थित वनों एवं वृक्षारोपण हेतु आबंटित बजट से ही इनका प्रबन्धन किया जाता है। कार्य विशेष होने पर ही पृथक से बजट दिया जाता है। वर्ष 1998-99 में वानिकी एवं वन्य जीव लेखा मद में 15000/- रुपये का अलग से बजट आबंटित किया गया था।

वन्य जीव गणना रिपोर्ट

क्र. सं.	नाम वन्य जीव	केशरबाग सैंकचुरी						वन विहार सैंक्चुरी					
		1999	2000	2001	2002	2003	2004	1999	2000	2001	2002	2003	2004
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	चीतल	—	—	—	—	2	3	20	15	5	11	12	10
2.	चिंकारा	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	4
3.	भालू	—	—	—	—	4	3	10	6	8	5	6	5
4.	भेडिया	—	—	2	1	1	11	10	9	6	6	8	5
5.	रोज	12	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—
6.	लोमड़ी	3	—	1	10	4	7	15	—	2	3	4	7
7.	जंगली बिल्ली	—	—	2	1	—	4	2	—	—	1	2	5
8.	सियार	6	—	30	12	18	30	16	18	6	4	6	16
9.	जरख	4	—	17	6	12	11	8	7	4	5	6	4
10.	सेही	—	—	—	—	5	—	2	—	2	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	जंगली सुअर	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	9
12.	काला हिरन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.	बघेरा	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.	ऊदबिलाव	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	घड़ियाल	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16.	मगर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	डाल्फिन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	सहेली	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
19.	खरगोश	—	—	3	14	18	—	—	25	—	9	14	14
20.	नेवला	—	—	10	5	—	—	—	1	—	6	10	—
21.	वनगाय	—	—	—	—	—	—	—	165	—	—	—	—
22.	गोजड़ा	—	—	118	51	70	117	—	36	18	45	62	22
23.	बन्दर	—	—	—	—	—	—	—	12	30	—	55	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24.	बीज	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
25.	सामेर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
वर्ष 1995 से 1998 तक विभागीय स्तर से गणना नहीं हुई है।													

वन्य जीव गणना रिपोर्ट

क्र. सं.	नाम वन्य जीव	रामसागर सैंक्चुरी						चम्बल घड़ियाल				
		1999	2000	2001	2002	2003	2004	1995	1996	1999	2003	2004
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	चीतल	6	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—
2.	चिंकारा	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
3.	भालू	4	—	4	—	2	—	—	—	—	—	—
4.	भेडिया	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	रोज	16	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—
6.	लोमड़ी	8	3	4	3	5	—	—	—	—	—	—
7.	जंगली बिल्ली	3	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—
8.	सियार	14	9	4	6	8	11	—	—	11	—	—
9.	जरख	5	1	3	6	2	4	—	—	3	—	—
10.	सेही	3	—	4	—	—	2	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	जंगली सुअर	10	—	4	—	—	8	—	—	12	—	—
12.	काला हिरन	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—
13.	बघेरा	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.	ऊदबिलाव	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—
15.	घडियाल	—	1214	—	—	—	—	1214	1078	35	514	552
16.	मगर	—	122	—	—	—	138	122	128	25	132	138
17.	डाल्फिन	—	84	—	—	—	—	84	68	4	66	63
18.	सहेली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19.	खरगोश	—	5	—	4	5	12	—	—	—	—	—
20.	नेवला	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21.	वनगाय	—	—	—	—	10	14	—	—	—	—	—
22.	रोजड़ा	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—
23.	बन्दर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.	बीज	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
25.	सामेर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

चम्बल घडियाल अभ्यारण्य वर्ष 1995, 1996, 2003, 2004 में गणना मध्य प्रदेश के देवुली के रिसर्च स्टाफ द्वारा राजस्थान व मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पूरी चम्बल में की गई है तथा वर्ष 1999 में दर्शाए गए गणना आंकड़े वन मण्डल, धौलपुर द्वारा जिले के राजस्थान एरिया में 1000 मीटर तक कें है। वर्ष 1995 से 1998 तक विभागीय स्तर से गणना नहीं हुई है।

वन क्षेत्र विस्तार हेतु कार्य योजना

535. श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राज्य का वन क्षेत्र 33 प्रतिशत होना चाहिए जबकि वर्तमान में यह मात्र 7 प्रतिशत ही है?

(2) यदि हां। तो राज्य में वन क्षेत्र को बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्य योजना बनाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राज्य का नहीं बल्कि पूरे देश की कुल भूमि क्षेत्र का कम से कम एक तिहाई क्षेत्र वन अथवा वृक्षारोपण के अन्तर्गत होना चाहिए। राज्य में कुल वन भूमि इसके भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.51 प्रतिशत है।

(2) राज्य में वनावरण बढ़ाने हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण के अलावा गैर वन क्षेत्रों जैसे पंचायत की सामुदायिक भूमि, राजकीय पड़त भूमि, सिंचित क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु आरक्षित भूमि आदि में वृक्षारोपण कराया जा रहा है। निजी भूमि पर भी पौध लगाने हेतु विभाग द्वारा पौधे उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

बाघ सैंक्चुरी के बाघों द्वारा शिकार ग्रामीणों को देय मुआवजा राशि में वृद्धि

536. श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा रणथम्भौर बाघ सैंक्चुरी के बाघों द्वारा ग्रामीणों को मार देने पर पन्द्रह हजार रुपयों का मुआवजा दिया जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार इस राशि को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कितनी राशि तथा नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। राज्य में स्थित किसी भी राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य के आस पास वन्य जीवों द्वारा ग्रामीणों को मार दिये जाने पर दी जाने वाली मुआवजा राशि 15000/- रु. से बढ़ाने का प्रस्ताव राज्य सरकार में विचाराधीन है।

बनीपार्क के गरीबी रेखा में चयनित परिवारों को देय सुविधाएं

537. **प्रो. बीरूसिंह राठौड़** (बनीपार्क) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में बी.पी.एल. कार्डधारकों की मौजूदा संख्या कितनी है? राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा उन्हें क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में बी.पी.एल. राशन कार्डधारकों की कुल संख्या 915 है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत इन बी.पी.एल. राशन कार्डधारकों को 35 किलोग्राम गेहूं प्रति राशन कार्ड प्रतिमाह एवं नियंत्रित चीनी 500 ग्राम प्रति यूनिट प्रतिमाह उपलब्ध कराई जाती है।

इसके अतिरिक्त इन्हें नीला केरोसीन तेल भी उपलब्ध करवाया जाता है।

बांदीकुई हेतु प्रस्तावित नवीन उचित मूल्य की दुकानें

538. **श्री मुरारी लाल मीणा** (बांदीकुई) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में उचित मूल्य की कितनी दुकानें किस-किस नाम से संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री मुरारी लाल मीणा)

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के कौन-कौन से गांव किस-किस उचित मूल्य की दुकान के अधीन आते हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार नगरपालिका क्षेत्र बांदीकुई तथा जो गांव उचित मूल्य की दुकान से दूर पड़ते हैं, उन स्थानों पर नई दुकानें खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा बांदीकुई के क्षेत्र में 96 उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं। संचालित दुकानदारों की सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(3) जी हां। नई उचित मूल्य दुकान खोलने के प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी से मांगे गये हैं, जिन पर नियमानुसार शीघ्र कार्यवाही की जाकर नियुक्ति कर दी जावेगी।

परिशिष्ट –1

विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में कार्यरत उचित मूल्य दुकानदारी/अधीन गांव की सूची:-

क्र. सं.	नाम एफ.पी.एस.	नाम पंचायत	अन्य अधीन गांव
1	2	3	4
1.	राजेन्द्र सिंह 1/2	मूदघिस्या	मूड़घिस्या, मेढी, चोखाडा, उदरवाड़ा, गढदुब्बी, तुगड़वास, नानकवाड़ा,
2.	भवानी सिंह 1/2	मूदघिस्या	गूजरम बेला का बोंस
3.	हरिकिशन मीना 1/2	बालाहेडा	बालाहेडा, अलीपुर 1/2, बालाहेडा का बास
4.	रमेश मीना 1/2	बालाहेडा	अलीपुर 1/2 काकरवास
5.	हुकमचंद सैनी 1/2	नंदेरा	नंदेरा, किशापुरा, लीलोज का गाला
6.	हुकमचंद सैनी 1/2	नंदेरा	लीलोजगांव भटपुरा केशुपुरा
7.	रामफुल सेनी 1/2	पंडितपुरा	हरिनाथपुरा, बासडा ब्रा. केसरीसिंहपुरा, अनंतपुरा
8.	रामजीलाल शर्मा 1/2	पंडितपुरा	पंडितपुरा, बनापुरा, झौपडीपंसेरान
9.	विश्राम मीणा 1/2	बैजुपाडा	बैजुपाडा, कंचनपुरा,
10.	जी.एस.एस. बेजुपाडा 1/2	बैजुपाडा	कोठनी सूंथाहेडा कला एवं खुर्द
11.	जी.एस.एस. लोटवाडा	लोटवाडा	लोटवाड़ा, नांगल, लोटवाडा
12.	घमसीराम 1/2	बडियालकला	खोडा-खोडी, बढियालकलां
13.	गोकुलप्रसाद मीना 1/2	बडियालकला	धांधलाई, ढण्ड
14.	[illegible] एस.एस पीचू[illegible]डाकला	पीचूपाडाकला	पीचूपाडाकला, नारायणपुरागूजरान

1	2	3	4
15.	प्रभुदयाल चेची 1/2	पीचूपाडाकला	मोतीपुरा, रानीकाबास, साहूपाडा
16.	लक्ष्मीनारायणसैनी	प्रतापपुरा	प्रतापपुरा, मोराडी, श्यामसिंहपुरा
17.	किशनलाल गुर्जर	श्यालावासकलां	श्यालावासकलां, बाढबगीची, नयाबास, पुरानबास
18.	किशनलाल गुर्जर 1/3 (अ)	श्यालावासखुर्द	श्यालावास खुर्द
19.	विजयकुमार शर्मा 1/3	श्यालावासखुर्द	
20.	विजयकुमार शर्मा 1/3 (अटेच)	श्यालावासखुर्द	
21.	जी.एस.एस. भांटेडा	भांटेडा	भांटेडा, जागीरबांदीकुई, हरिपुरा
22.	श्री नरेन्द्रशर्मा 1/3	गुढाकटला	गुढाकटला 1/3
23.	श्री गजेन्द्र मिश्रा 1/3	गुढाकटला	गुढाकटला 1/3
24.	श्री गजेन्द्र मिश्रा 1/3 (अटेच)	गुढाकटला	गुढाकटला 1/3
25.	श्री तेजसिंह सेहरा 1/2	गादरवाडा गूजरान	वंटया थैलावास, भांवरा, नानकवाडाब्रा
26.	श्री लल्लू बैरवा 1/2	गादरवाड़ा गूजरान	रामपुरा, टोलका, श्यामपुराछोटा, रामपुराछोटा, दांगडा की ढाणी, गाडन्डी
27.	श्री रामखिलाडी मीना (नि.) अटेच नरेन्द्र शर्मा गुढाकटला	ऐचेडी	ऐचेडी, रहवासा, धपावनखुर्द, रामबास, तिहाडा, खोरा, चेनपुरा, जेतपुरा
28.	श्री छीतरमल शर्मा 1/2	गुल्लाना	गुल्लाना, जयपुरा, पालडा
29.	श्री हुकमसिंह नि. अटेच 1/2 रामजीलाल शर्मा	गुल्लाना	गिरन्धरपुरा, देवाडा, कूकरवाडी

1	2	3	4
30.	श्री जी.एस.एस. बांदीकुई जागीर 1/2	बांदीकुई जागीर	बांदीकुई जागीर 1/4
31.	श्री सीताराम तिवाडी 1/4	बांदीकुई जागीर	बांदीकुई जागीर 1/4
32.	श्री भगवानसहाय तिवाडी 1/4	बांदीकुई जागीर	बांदीकुई जागीर 1/4
33.	श्री विजय शर्मा (अ) 1/4	बांदीकुई जागीर	बांदीकुई जागीर 1/4
34.	श्री राधेश्याम शर्मा 1/2	कोलाना	कोलाना पीपलीकाबास, छपावनकला अल्काबास
35.	श्री.एस.एस. कोलाना	कोलाना	बिशनपुरा, बाढाबिशनपुरा, नारायणपुरा
36.	श्री हनुमानप्रसाद गुप्ता	बडियालखुर्द	महलोनी, कंवरपुरा, चकरहवास
37.	श्री बृजराज सिंह गुर्जर		बडियालखुर्द, नांगलवास, थालवास, काटरवाडा
38.	श्री कुद्दालाल जैमन	करनावर	फूलेला, चीपापुरा, रायपुरा
39.	श्री जगदीशप्रसाद मीना	करनावर	करनावर, अगावली
40.	उर्मिलादेवी 1/2	झाड़नीरामपुरा	सबडावली, झांझीनीरामपुरा
41.	श्री कन्हैयालाल मीना 1/2	झाडनीरामपुरा	अपरेडा, कालेडा, जयसिंहपुरा
42.	श्री कैलाशचंद गुर्जर (निलं.) अटेच बालबहादुर धनावड 1/2	देलाडी	देलाडी, सुमेलखुर्द, खांटूला

1.	2.	3.	4.
43.	श्री कैलाश गुर्जर (नि.) अटेच, बालबहादुर 1/2	देलाडी	द्वारापुरा, कानोता, मित्रवाडी
44.	श्री रामरतन मीणा 1/2	धनावड	धनावड, ढिगारिया टप्पा
45.	श्री बालबहादुर मीना 1/2	धनावड	कोलेश्वर
46.	श्री केड़ारसिंह राजपूत	कोलवा	कोलवा, विजयपुरा, नयागांव
47.	श्री उमाशंकर शर्मा	कोलवा	भोजवाड़ा, तिगडडा, खौरवा की ढाणी
48.	श्री जी.एस.एस गुठलिया	गुठलिया	गुठलिया, गुठलिया का बास, गोदरवाडी बा.
49.	श्री बिहारीलाल सैनी	अरनिया	वीरदपुरा
50.	श्री लल्लूराम सैनी	अरनिया	अरनिया
51.	श्री नरेन्द्र शर्मा	मुही	मुही, दिलावरपुरा, खूंट जाटोली राजवास
52.	श्री राजाराम गुर्जर	भांवता-भांदडी	भंवता भांवती, बगडेडा
53.	श्री हरजीराम गुर्जर	चांदेका	चांदेरा, कालेश्वरखुर्द, जगसोनी
54.	श्री खेमराज गुर्जर	चांदेका	रेडिया, उरवाडी, ज्वारीपाडा, इडकी
55.	जी.एस.एस. बसवा 1/6	बसवा	बसवा 1/6
56.	श्री हरिमोहन शर्मा 1/6	बसवा	बसवा 1/6
57.	श्री शिम्भूदयाल सैनी 1/6	बसवा	बसवा 1/6
58.	श्री अनिल शर्मा 1/6	बसवा	बसवा 1/6
59.	श्री छगन शर्मा 1/6	बसवा	बसवा 1/6
60.	श्री महेश शर्मा 1/6	बसवा	बसवा 1/6
61.	श्री रामचरण गुर्जर	रलावता	रचवास, मोटूका

1	2	3	4
62.	श्री विजेन्द्र सिंह राजपूत	रलावता	रलावता, कटवाडी
63.	उदय सिंह गुर्जर	नांगल झामरवाडा	नांगल झांमरवाडा, दुब्बी,
64.	श्री ओमप्रकाश मीणा	नांगल झामरवाडा	सुजानपाडा
65.	श्री जी.एस.एस. बिवाई	बिवाई	बासविदाई, प्रागपुरा
66.	श्री प्रेमनारायण शर्मा	बिवाई	चकबिवाई, पटवारी की कोठी
67.	जी.एस.एस पून्दरवाडा/खैरपुर	पून्दरपाडा	पुन्दरपाड़ा, मीनापाडा, राणापाडा, खाला रामसिंहपुरा, जलालपुरा, खैरपुर
68.	श्री राजाराम गुर्जर	अनंतवाडा	बासडा, झूंपडीन रामपुरा
69.	श्री जी.एस.एस. अनंतवाडा	अनंतवाडा	अनंतवाडा, सोडाला
70.	श्री रघुवीर प्रसाद गुर्जर	आभानेरी	आभानेरी, झांझयाकावास, प्यारावास, शेखपुरा हरिजेनडन्डा की ढाणी
71.	श्री कजोड़मल सैनी 1/3	अनबड़ागांव	पामाडी
72.	श्री कजोड़मल अटेच 1/3	अनबड़ागांव	
73.	श्री प्रभूनारायण सैनी 1/3	अनबड़ागांव	अनबडागांव, सुनगाडी
74.	श्री प्रभूदयाल चेची (अटेच)	पीचूपाडाखुर्द	पीचूपाडाखुर्द, अपला का बास, बडवाली, सोमाडा, मोनाबास
75.	श्री प्रभूदयाल चेची	पीचूपाडाखुर्द	पीचूपाडाकला, नारायणपुरागूजरास मोतीपुरा, रानीकाबास, साहूपपडा
76.	को आपरेटिव 1/2	श्यालावासकला	रेल्वे कालोनी

1	2	3	4
77.	टीकाराम 1/2	हिंगोटा	बावडीखाडा, गढनेढा
78.	रामखिलाडी मीना 1/2	हिंगोटा	हिंगोटा, चमराकाबास, खरी की कोठी
79.	श्री करोडीलाल मीना (नि.) 1/3	ढिगारिया भीम	ठिगारिया कपूर
80.	श्री बद्री गुप्ता 1/3	ढिगारिया भीम	ठिगारिया भीम, सुमैल
81.	श्री गिर्राज योगी 1/3	ढिगारिया भीम	हांडली, जैतलवाडा
82.	श्री रामवतार मीना	निहालपुरा	निहालपुरा, अजानगांव, ठीकरीया
83.	श्री छोटेलाल मीणा	निहालपुरा	बैदाडीमीणम, अलियापाडा
84.	श्री रामस्वरूप मीणा	महुखुर्द	महुखुर्द, महुखुर्दकला, महुखेडा
85.	कल्लूसिंह राजपूत	महुखुर्द	पातलखेडा, कानेदी, ठीकरीया
86.	श्री जोहरीलाल 1/2	गोलाडा	गोलाडा, सिवाला, करीरिया, मालीवास 1/2
87.	श्री जोहरीलाल (अटेच 1/2)	गोलाडा	गोलाडा, सिवाला, करीरिया, मालीवास 1/2
88.	श्री भवानी सिंह 1/2	गुढाआशिकपुरा	कोठीगूजरान, पापडाकी, राजाहेडा
89.	सीताराम मीना 1/2	गुढाआशिकपुरा	गुढा आशिकपूरा, सोनाडी, नरपुर कोटवाली का बास

जिला रसद अधिकारी
दौसा (राज.) ट्रेजरी कोड नं.

क्र.सं.	नाम एफ.पी.एस.	आबंटित वार्ड	विशेष विवरण
1.	छगनलाल सैनी	1, 13, 6, 9, 10 अटैच	
2.	उमेश कुमार	2, 3	
3.	छगन बैरवा (अ)	4	
4.	ओम प्रकाश पाठक	7, 8	
5.	महेश चन्द शर्मा	11, 12	
6.	ब्रजराज शर्मा	14, 15	
7.	छनर बैरवा	5	
	कुल एफ.पी.एस.—7		

ह.

जिला रसद अधिकारी

दौसा (राज.)

नागौर जिले में खाद्यान्न वितरण योजना हेतु पात्र व्यक्ति

539. श्री हरीश चन्द (नावां) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नागौर जिले में फूड स्टेम्प योजना कब से प्रारम्भ की गई? यह योजना क्या है एवं इसका लाभ देने वाले व्यक्ति की पात्रता क्या है?

(2) फूड स्टेम्प योजनान्तर्गत पंचायत समिति क्षेत्र कुचामन की किस-किस पंचायत को वर्ष 2004-05 में कौन-कौनसे खाद्यान्न कब-कब उपलब्ध कराया गया?

(3) फूड स्टेम्प योजना के अन्तर्गत पात्र व्यक्ति को सहायता हेतु पंचायत में कौन व्यक्ति निर्णय लेता है तथा वर्ष 2004-05 में जिला नागौर की किस-किस पंचायत में किस-किस व्यक्ति को कब-कब लाभ दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) अन्नपूर्णा योजना, अन्त्योदय अन्न योजना व बी.पी.एल. राशनकार्ड धारकों को वितरित किये जाने वाले खाद्यान्न को लक्षित समूह को पहुंचाने के उद्देश्य से राशन टिकट योजना नागौर जिले में कब लागू की गई व यह योजना क्या है? अब तक इसका क्रियान्वयन कहां-कहां किस प्रकार हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नागौर जिले में फूड स्टेम्प योजना नवम्बर, 2004 से प्रारम्भ की गयी। प्रदेश में किसी भी व्यक्ति अथवा उसके परिवार के सदस्यों के किन्हीं विशिष्ठ परिस्थितियों में खाद्यान्न के अभाव में भूख की समस्या से ग्रस्त होने पर तात्कालिक रूप से फूड स्टेम्प के माध्यम से उचित मूल्य की अधिकृत दुकानों से गेहूं उपलब्ध कराने की यह विशिष्ठ योजना है।

इस योजना के पात्र कोई भी व्यक्ति या उसके परिजन जो कि खाद्यान्न के अभाव में भूख की स्थिति/परिस्थिति में है, योजना का लाभ उठायेंगे। बाढ़

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

आने की स्थिति, अग्निकांड की स्थिति तथा अन्य प्राकृतिक आपदा या घर के कमाऊ सदस्य की अचानक मृत्यु की स्थिति में भी यह सहायता देय होगी।

(2) फूड स्टेम्प योजनान्तर्गत पंचायत समिति कुचामन में वर्ष 2004-05 में खाद्यान्न (गेहूं) उपलब्ध कराने की सूचना सूची परिशिष्ट- "1" पर संलग्न है।

(3) फूड स्टेम्प योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को सहायता देने हेतु सम्बन्धित क्षेत्र के सरपंच/पटवारी एवं ग्राम सेवक की कमेटी द्वारा निर्णय लिया जाता है। वर्ष 2004-05 में जिला नागौर में लाभान्वित व्यक्तियों की पंचायतवार सूचना परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(4) अन्नपूर्णा योजना के राशन कार्डधारकों के लिये राशन टिकट योजना दिनांक 1-1-2005 से लागू की गयी। अन्त्योदय अन्न योजना व बी.पी.एल. योजना हेतु राशन टिकट योजना दिनांक 1-4-2005 से लागू की गयी है। इसका क्रियान्वयन सम्पूर्ण जिले में होता है।

(सूची की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जोधपुर जिले की उचित मूल्य की दुकानों को आबंटित राशन सामग्री

540. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जोधपुर जिले में माह अक्टूबर, नवम्बर, दिसमबर, 2004 व जनवरी, 2005 में केरोसिन का कितना-कितना आबंटन व अतिरिक्त आबंटन किया गया एवं इसका कहां-कहां वितरण किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि केरोसिन वितरण का भौतिक सत्यापन करवाया गया? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

(3) ए.पी.एल. व बी.पी.एल. परिवारों हेतु गेहूं का उचित मूल्य दुकानदारों को निर्धारित करने का क्या आधार रखा गया है?

(4) जोधपुर जिले में प्रत्येक उचित मूल्य दुकानदारों को माह नवम्बर, दिसम्बर, 2004 एवं जनवरी, 2005 में कितना गेहूं आबांटित किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या ए.पी.एल. व बी.पी.एल. गेहूं वितरण का भौतिक सत्यापन कराया गया? यदि हां, तो किस-किस अधिकारी द्वारा सत्यापन क़िया गया?

उत्तर

(1) जिले में अक्टूबर, 2004 से जनवरी, 2005 तक केरोसिन का आबंटन व अतिरिक्त आबंटन निम्न प्रकार हुआ है :-

(मात्रा के.एल. में)

माह	मूल आबंटन	अतिरिक्त आबंटन	योग
अक्टू., 04	1710	300	2010
नव., 04	1710	400	2110
दिस., 04	1710	350	2060
जन., 05	1710	400	2110

विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी हां। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत प्रवर्तन निरीक्षक/ प्रवर्तन अधिकारी, तहसीलदार एवं सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी द्वारा वितरण का सत्यापन किया जाता है। विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) ए.पी.एल. एवं बी.पी.एल. राशन कार्डधारकों की संख्या के आधार पर उचित मूल्य दुकानदारों को गेहूं का आबंटन किया जाता है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(4) जोधपुर जिले में प्रत्येक उचित मूल्य दुकानदारों को माह नवम्बर, दिसम्बर, 2004 एवं जनवरी, 2005 में गेहूं आबंटन की सूचना परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

(5) जी हां। परिशिष्ट "ख" के अनुसार अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन करवाया गया है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्रीकेशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल लि. के अवशेष कर्मियों का समायोजन

541. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्रीकेशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल लि. बाबत दिनांक 13 सितम्बर, 2004 को सरकार द्वारा निर्णय लिया जाकर मिल को बेचने की कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये हैं? यदि हां, तो निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मिल का निर्माण कब प्रारम्भ किया गया तथा किस तारीख उत्पादन कार्य शुरू किया गया था?

(3) क्या यह सही है कि गन्ना उत्पादन को प्रोत्साहन देने तथा गन्ने का उत्पादन बढ़ाये जाने पर मिल पुनः प्रारम्भ किया जा सकता है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने के क्या कारण हैं?

(4) क्या उक्त मिल को पुनः प्रारम्भ करने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार से तथा नहीं, तो क्यों?

(5) उक्त मिल के कितने कर्मचारी अन्य विभागों में समायोजित किये जाने से अवशेष रहे हैं तथा उन्हें कब तक अन्य विभागों में नियुक्ति दे दी जावेगी? शेष रहे कार्मिकों की नामजद सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, निर्णय की प्रति परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) मिल का निर्माण 1965 से प्रारम्भ किया गया। दिनांक 26.2.1970 से उत्पादन कार्य शुरू किया गया।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। क्योंकि मिल स्थापना काल से ही निरन्तर हानि में जाने के कारण, अधिक देनदारियों के होने, गन्ने की कमजोर किस्म, सिंचाई की समुचित व्यवस्था का अभाव, मिल की पर्याप्त क्षमता का नहीं होना आदि कारणों से मिल पुनः चालू नहीं किया जा सकता है।

(5) मिल में वर्तमान में 79 सीजनल कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर समायोजन हेतु शेष हैं। जिनकी प्रतिनियुक्ति की कार्यवाही योग्यतानुसार प्रक्रियाधीन है। शेष रहे कार्मिकों की नामजद सूची सहित विवरण परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

उदयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा देय ऋण में अनियमितताएं

542. श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2003-04 में जिला सहकारी भूमि विकास बैंक उदयपुर द्वारा कितने किसानों को कितना-कितना ऋण चारा क्रय करने हेतु दिया गया?

(2) ऋण मिलने की 6 माह की अवधि में कितनी शिकायतों पर कितने खाते बंद किये गये?

(3) क्या यह सही है कि बैंक कर्मचारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार की

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

शिकायतें विचाराधीन हैं? यदि हां, तो क्या इनकी कोई जांच चल रही है तथा कितने प्रकरणों में कितनी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई?

(4) कुल कितने किसानों को ऋण देने का लक्ष्य था एवं कितने किसानों को कितना ऋण दिया गया? यदि लक्ष्य पूरा नहीं किया गया तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 2003-04 में जिला सहकारी भूमि विकास बैंक उदयपुर द्वारा कुल 462 किसानों को 65.16 लाख का ऋण चारा क्रय करने हेतु दिया गया। सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) ऋण मिलने की 6 माह की अवधि में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। न ही इस अवधि में शिकायत पर कोई खाता बन्द किया गया।

(3) जी हां। सवा पुत्र मोडा, पंचायत समिति गिरवा ने भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में शिकायत की। उनके द्वारा ही बुरावड़ थाने में एफ.आई.आर. दायर करवाई गई जो विचाराधीन है। चारा ऋण प्रकरण में एक शिकायत विभाग को भी प्राप्त हुई है। जिसकी जांच उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, उदयपुर से करवाई गई है, जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(4) वर्ष 2003-04 में ऋण वितरण हेतु 72.00 लाख की राशि का लक्ष्य आबांटित किया गया था। उसमें 462 किसानों के द्वारा आवेदन करने पर 5.16 लाख का ऋण वितरण किया। जितने पात्र ऋणियों के प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए उन सभी को ऋण वितरण किया गया है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जोधपुर राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता भण्डार की मेडिकल दुकानों पर कार्यरत फार्मासिस्ट

543. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

(1) जोधपुर शहर में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता भण्डार जोधपुर द्वारा संचालित मेडिकल दुकानें किन-किन चिकित्सालयों में कब से संचालित हैं? विवरण मय सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दुकानों पर कितने फर्मासिस्ट कार्यरत हैं और इनमें से कितने नियमित हैं और कितने दैनिक वेतन के आधार पर कब से कार्यरत हैं? सूची नाम एवं मेडिकल शाखा सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जोधपुर उपभोक्ता भण्डार द्वारा मेडिकल दुकानों पर अनुबंध पर फार्मासिस्टों को लगाया गया है? यदि हां, तो उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर शहर में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता भण्डार , जोधपुर द्वारा कोई मेडिकल, दुकान संचालित नहीं की जा रही है अपितु जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. द्वारा जोधपुर शहर के निम्नलिखित चिकित्सालयों में उनके सम्मुख अंकित वर्ष से दवाईयों को दुकानें संचालित की जा रही हैं :-

क्र. सं.	नाम चिकिसालय	दुकानों की संख्या	कब से
1	2	3	4
1.	महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर	3	1989
2.	उम्मेद महिला अस्पताल, जोधपुर	5	1989 (2), 1994 (1), 2004 (2)
3.	मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर	4	1989 (1), 1994 (1),1999 (1), 2000 (1)
4.	पावटा सेटेलाइट अस्पताल, जोधपुर	2	1989 (1) 2003-04 (1)
5.	कमला नेहरू वक्ष चिकित्सालय, जोधपुर	1	1994
6.	रेजीडेन्सी डिस्पेन्सरी, जोधपुर	1	1994-95
7.	पुलिसलाइन डिस्पेन्सरी, जोधपुर	1	1994

(सहकारिता मंत्री)

1	2	3	4
8.	राजकीय नवचौकिया अस्पताल, जोधपुर	1	2003-04
9.	राजकीय ह्यूसन महिला बाग अस्पताल, जोधपुर	1	1989
10.	राजकीय पोपाड शहर चिकित्सालय	1	1998-99
11.	राजकीय बिलाडा चिकित्सालय	1	1989-90
12.	राजकीय औसियां चिकित्सालय	1	2004-05

(2) उक्त दुकानों पर कुल 22 फार्मासिस्ट कार्यरत हैं। इनमें से निम्नलिखित 13 फार्मासिस्ट नियमित रूप से, उनके सम्मुख अंकित विवरणानुसार कार्यरत हैं। दैनिक वेतन पर कोई फार्मासिस्ट कार्यरत नहीं है।

नाम चिकिल्सालय	नामाफार्मासिस्ट	नियुक्ति वर्ष
महात्मा गांधी अस्पताल	1. श्री राजेन्द्र सोनी	1993-94
महात्मा गांधी अस्पताल	2. श्री मांगीलाल टांक	1989-90
महात्मा गांधी अस्पताल	3. श्री गिरधारी चौधरी	1992-93
उम्मेद महिला अस्पताल	4. श्री डी.पी. शर्मा	1993-94
उम्मेद महिला अस्पताल	5. श्री हुकमाराम सिंघाटियां	1993-94
उम्मेद महिला अस्पताल	6. श्री जोनाराम चौधरी	1989-90
उम्मेद महिला अस्पताल	7. श्री अभिताब शर्मा	1989-90
मथुरादास माथुर चिकित्सालय	8. मो. इकबाल	1990-91
मथुरादास माथुर चिकित्सालय	9. श्री दशरथ सिंह	1989-90
मथुरादास माथुर चिकिल्सालय	10. श्री जयराज सिंह	1989-90
पावटा सेटेलाइट अस्पताल	11. श्री विक्रम सिंह	2002-03
पुलिस लाईन डिस्पेन्सरी	12. श्री आर.के. जैन	1993-94
राजकीय नवचोकिया डिस्पेंसरी	13. श्री जसवन्त सिंह	1993-94

(सहकारिता मंत्री)

(3) जी हां। सूची निम्नानुसार है:-

1. श्री सुरेन्द्र सांखला
2. श्री दीपेन्द्र सिंह
3. श्री मोहन सिंह
4. श्री आशु सिंह
5. श्री सत्यनारायणच शर्मा
6. श्री गणपत परिहार
7. श्री संगीता व्यास
8. श्री हेम सिंह
9. श्री लक्ष्मण सिंह
10. श्री श्यामसुन्दर गहलोत
11. श्री कमल जोशी
12. श्री महावीर सिंह
13. श्री श्रवण चौधरी

सहकारी निरीक्षकों की सहायक रजिस्ट्रार के पद पर पदोन्नति

544. श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सहकारिता विभाग में 135 सहायक रजिस्ट्रार के पद रिक्त हैं?

(2) क्या यह सही है कि करीब 150 निरीक्षकों द्वारा सहायक रजिस्ट्रार के पद पर वेतन श्रृंखला का परिलाभ लिया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक कर इन्हें पदोन्नति बैठक कर इन्हें पदोन्नति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सहकारिता विभाग में सहायक रजिस्ट्रार के 143 पद रिक्त हैं।

(2) वर्तमान में पदोन्नति योग्य अधिकांश निरीक्षक सहायक रजिस्ट्रार के समकक्ष वेतन, चयनित वेतनमान प्राप्त करने के कारण प्राप्त कर रहे हैं।

(सहकारिता मंत्री)

निरीक्षक ग्रेड प्रथम से सहायक रजिस्ट्रार के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जो शीघ्र ही पूर्ण कर ली जायेगी।

नोखा तहसील में संचालित जलग्रहण विकास योजनाएं

545. **श्री गोविन्द राम मेघवाल** (नोखा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

तहसील नौखा के ग्राम साधुणा, स्वरूपसर, पांचू, काहिरा बासी में संचालित जलग्रहण योजनाओं में अब तक कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी लागत के करवाये गये तथा वर्तमान में योजना की क्या स्थिति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

तहसील नोखा के ग्राम साधुणा, स्वरूपसर, पांचू काहिरा बासी में संचालित जलग्रहण योजनाओं में अब तक करवाये गये कार्य कितनी-कितनी लागत के करवाये गये तथा वर्तमान में योजना की क्या स्थिति है, इसका विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

क्र. सं.	तहसील	ग्राम पंचायत	जल ग्रहण परियोजनाओं का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि	मदवार किया गय व्यय					वर्तमान स्थिति पूर्ण/ अपूर्ण/ प्रगति पर
							प्रशासनिक व्यय मद	प्रशिक्षण व्यय	सामुदायिक संगठन व्यय	विकास कार्य मद	कुल किया गया व्यय	
1	नौखा	स्वरूपसर	स्वरूपसर	डीडीपी तृतीय	2000-01	30.00	2.16	0.25	1.25	15.00	18.66	प्रगति पर
2	नौखा	स्वरूपसर	स्वरूपसर बी	डीडीपी षष्टम	2003-2004	30.00	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	प्रगति पर
3	नौखा	बासी	बासी	डीडीपी तृतीय	2000-2001	30.00	2.06	1.50	1.50	21.50	26.46	प्रगति पर
4	नौखा	बासी	बासी बी	डीडीपी षष्टम	2003-2004	30.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	प्रगति पर
5	नौखा	काहिरा	काहिरा	डीडीपी द्वितीय	1999-2000	25.00	1.43	0.52	0.50	20.00	22.50	पूर्ण

क्र. सं.	तहसील	ग्राम पंचायत	जल ग्रहण परियोजनाओं का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि	मदवार किया गय व्यय					वर्तमान स्थिति पूर्ण/ अपूर्ण/ प्रगति पर
							प्रशासनिक व्यय मद	प्रशिक्षण व्यय	सामुदायिक संगठन व्यय	विकास कार्य मद	कुल किया गया व्यय	
6	नौखा	काहिरा	काहिरा बी	डीडीपी पंचम	2002-2003	30.00	0.00	0.50	1.50	22.50	24.50	प्रगति पर
7	नौखा	पांचू	पांचू	डीडीपी चतुर्थ	2001-2002	30.00	1.41	1.03	1.25	21.60	22.29	प्रगति पर
8	नौखा	पांचू	पांचू बी	डीडीपी षष्टम	2003-2004	30.00	0.00	0.00	0.00	7.40	7.40	प्रगति पर
9	नौखा	सावूणा	सावूणा	डीडीपी षष्टम	2003-2004	30.00	0.00	0.00	0.00	4.70	4.70	प्रगति पर
			योग				**7.11**	**3.30**	**5.30**	**130.30**	**147.01**	

दौसा जिले में प्रतिनियुक्त ग्राम सेवक

546. श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर (महुवा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक-एक ग्राम सेवक पदेन सचिव नियुक्त किया गया है? यदि हां, तो दौसा जिले की पंचायत समितियों में नियुक्त ग्राम सेवकों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक-एक ग्राम सेवक नियुक्त करने के बावजूद भी कई ग्राम सेवकों के पास एक से अधिक ग्राम पंचायतों का कार्यभार है? यदि हां, तो दौसा जिले में ऐसे कितने ग्राम सेवक हैं जो एक से अधिक ग्राम पंचायतों का कार्यभार देख रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार की बिना स्वीकृति के ग्राम सेवकों को कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया है? यदि हां, तो किस-किस ग्राम सेवक को कितने दिनों से किस-किस कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया? क्या सरकार इन प्रतिनियुक्त ग्राम सेवकों को ग्राम पंचायतों में नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम सेवक नियुक्त करने का प्रावधान है।

जिला दौसा के अधीन पंचायत समितियों में कुल 223 स्वीकृत पदों में से तीन पद रिक्त हैं। शेष 220 की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट अ)

(2) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट ब)

(3) जी हां।

जिला परिषद में कार्य की अधिकता के कारण 5 ग्राम सेवकों को एवं एक पंचायत समिति लालसोट में एवं एक को राज्य निर्वाचन अयोग में तथा एक जांच विचाराधीन होने के कारण पंचायत समिति बांदीकुई मुख्यालय पर लगाये गये हैं। इन्हें ग्राम पंचायतों में लगाये जाने के लिये कार्यमुक्त किया जा रहा है। इनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ठ स)

परिशिष्ट 'अ'

जिला परिषद दौसा, के अधीनस्थ विभिन्न पंचायत समितियों में कार्यरत ग्राम सेवक पदेन सचिवों की स्थिति की सूची :-

पंचायत समिति– महुवा

क्र. सं.	कार्मिक का नाम	क्र.सं.	कार्मिक का नाम
1.	श्री महेश पाराशर	22.	श्री उग्रसेन बैरवा
2.	श्री ओमप्रकाश शर्मा	23.	श्री सुशील चौहान
3.	श्री बिन्दु खां	24.	श्री दयाराम सैनी
4.	श्री गफफारखां	25.	श्री प्रताप शर्मा
5.	श्री दिनेश चन्द शर्मा	26.	श्री प्रताप नारायण
6.	श्री रामसिंह सैनी	27.	श्री दिनेश खण्डेलवाल
7.	श्री ब्रिजेश जोशी	28.	श्री महेश चन्द शर्मा
8.	श्री मोहन लाल शर्मा	29.	श्री दुजीराम सैनी
9.	श्री मनीश जैन	30.	श्री इन्दरलाल
10.	श्री घनश्याम सैनी	31.	श्री अनिल बंशल
11.	श्री अजय कुमार वर्मा	32.	श्री विशम्बर दयाल शर्मा
12.	श्री रामस्वरूप सैनी	33.	श्री विरेन्द्र सिंह
13.	श्री देवीलाल प्रजापत	34.	श्री प्रहलाद कुमार मीना
14.	श्री प्रहलाद हरिजन	35.	श्री रविकान्त शर्मा
15.	श्री बल्लू सिंह	36.	श्री देवीसहाय शुक्ला
16.	श्री अजय बंशल	37.	श्री प्रेमचन्द जैन
17.	श्री राममनोहर सिंह	38.	श्री बृजेन्द्र धाकड़
18.	श्री महेन्द्र शर्मा	39.	श्री सीताराम राजोरा
19.	श्री बनवारी लाल सैन	40.	श्री मानसिंह जाटव
20.	श्री सुरेश चन्द शर्मा	41.	श्री दीनदयाल गुप्ता
21.	श्रीफूल क[illegible]ली		

पंचायत समिति बांदीकुई

क्र. सं.	कार्मिक का नाम	क्र.सं.	कार्मिक का नाम
1.	श्री बाबूलाल शर्मा	22.	श्री घनश्याम मुदगल
2.	श्री कृष्णकुमार मुदगल	23.	श्री कल्याण सहाय शर्मा
3.	श्री सुनील कुमार गुप्ता	24.	श्री अब्दुल मजीज खां
4.	श्री गृजमोहन शर्मा	25.	श्री राघवेन्द्र सिंह राघव
5.	श्री रामदयाल शर्मा	26.	श्री विरेन्द्र सिंह बुन्देल
6.	श्री बनवारी लाल मीना	27.	श्री रामकरण योगी
7.	श्री हजारी लाल बैरवा	28.	श्री बसन्ती लाल सैनी
8.	श्री राकेश कुमार शर्मा	29.	श्री अशोक कुमार बैरवा
9.	श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा	30.	श्री ब्रह्म्मानन्द शर्मा
10.	श्री पूर्णचन्द गुप्ता	31.	श्री हरिमोहन मीणा
11.	श्री मोहन लाल शर्मा	32.	श्री हनुमान सिंह
12.	श्री ओम प्रकाश शर्मा	33.	श्री नवीन अग्रवाल
13.	श्री देवेन्द्र शर्मा	34.	श्री ओम प्रकाश शर्मा
14.	श्री दिनेश कुमार शर्मा	35.	श्री लक्ष्मीनारायण कुमावत
15.	श्री घनश्याम शर्मा	36.	श्री दिनेश चन्द शर्मा
16.	श्री रामदयाल मीना	37.	श्री राजकुमार सैनी
17.	श्री भागचन्द बैरवा	38.	श्री नाथूलाल गुर्जर
18.	श्री प्रेमचन्द जाट	39.	श्री किशन लाल सैनी
19.	श्री हुकम चन्द बैरवा	40.	श्री दिलीप कुमार शर्मा
20.	श्री शरद कुमार शर्मा	41.	श्री गोपाल सैनी
21.	श्री बाबूलाल शर्मा सैकण्ड	42.	श्री देवकीनंदन शर्मा

पंचायत समिति सिकराय

क्र. सं.	कार्मिक का नाम	क्र.सं.	कार्मिक का नाम
1.	श्री मांगीलाल मीना	20.	श्री बाबूलाल गुर्जर
2.	श्री रामजी लाल सैनी	21.	श्री इम्मन सिंह
3.	श्री ललितेश पालिवाल	22.	श्री नरेश कुमार स्वर्णकार
4.	श्री अशोक कुमार मीना	23.	श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा
5.	श्री मोती लाल शर्मा	24.	श्री दिनेश कुमार आर्य
6.	श्री चिरंजी लाल सैनी	25.	श्री पुरुषोत्तम पाराशर
7.	श्री कैलाश चन्द गुर्जर	26.	श्री ओम प्रकाश शर्मा
8.	श्री रत्ती राम गुर्जर	27.	श्री नंदलाल कोली
9.	श्री महेश चन्द शर्मा	28.	श्री टीकम चन्द मीना
10.	श्री मेघराज मीना	29.	श्री राधेश्याम बैरवा
11.	श्री सरदारसिंह गुर्जर	30.	श्री रामवतार गुर्जर
12.	श्री मन्ना लाल बैरवा	31.	श्री जयसिंह गुर्जर
13.	श्री जयसिंह गुर्जर	32.	श्री कैलाश चन्द शर्मा
14.	श्री हजारी लाल सैनी	33.	श्री रामजीलाल मीना
15.	श्री रामेश्वर गोठवाल	34.	श्री कमलेश कुमार गुप्ता
16.	श्री दशरथसिंह राजपूत	35.	श्री ओम प्रकाश शर्मा द्वितीय
17.	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा	36.	श्री टेम चन्द शर्मा
18.	श्री कैलाश चन्द शर्मा	37.	श्री रमेश सैन
19.	श्री ओम प्रकाश मीना	38.	श्री घनश्याम शर्मा

पंचायत समिति दौसा

क्र. सं.	कार्मिक का नाम	क्र.सं.	कार्मिक का नाम
1.	श्री गिरधारी लाल शर्मा	27.	श्री बाबूलाल बैरवा
2.	श्री संजय मीना	28.	श्री बाबूलाल प्रजापत
3.	श्री राजेश शर्मा	29.	श्री रामचन्द्र महावर
4.	श्री गोपाल कृष्ण शर्मा	30.	श्री मिठठन लाल शर्मा
5.	श्री दिनेश चन्द शर्मा	31.	श्री राधेश्याम भारद्वाज
6.	श्री अनिल बंशल	32.	श्री रामवतार मीना
7.	श्री जयराम मीना	33.	श्री नवलकिशोर शर्मा
8.	श्री राजेन्द्र शर्मा	34.	श्री रामगोपाल मीना
9.	श्री विष्णु कुमार शर्मा	35.	श्री धर्मेन्द्र जांगिड
10.	श्री आंशाराम महावर	36.	श्री दीलीप सहानी
11.	श्रीमती सुमन जांगिड	37.	श्री कैलाश चन्द शर्मा
12.	श्री अखलेश शर्मा	38.	श्री नरेन्द्र प्रसाद मीना
13.	श्री ताराचन्द शर्मा	39.	श्री रामकल्याण मीना
14.	श्री रामबाबू गुप्ता	40.	श्री दिनेश शर्मा
15.	श्री गुलाब चन्द शर्मा	41.	श्रीमती पुष्पांजली शर्मा
16.	श्री रेवड़ मल मीना	42.	श्री नेतराम जारवाल
17.	श्री पुरुषोत्तम अवरोल	43.	श्री गणेश विजय
18.	श्री स्वदेश कुमार शर्मा	44.	श्री नाथूलाल वर्मा
19.	श्री रामजी लाल शर्मा	45.	श्री जगदीश चन्द शर्मा
20.	श्री मौ. सलीम	46.	श्री सूरज प्रकाश
21.	श्री विनोद कुमार शर्मा	47.	श्री हीरा लाल सैनी

क्र. सं.	कार्मिक का नाम	क्र.सं.	कार्मिक का नाम
22.	श्री मूल चन्द सैनी	48.	श्री गिर्राज यादव
23.	श्री रामवतार मीना	49.	श्री राजसिंह तंवर
24.	श्री कृष्णावतार शर्मा	50.	श्री रामजी लाल शर्मा
25.	श्री सीताराम सांवला	51.	श्री पदम सक्सेना
26.	श्री गिर्राज बुनकर	52.	श्री नारायण लाल शर्मा

पंचायत समिति लालसोट

क्र. सं.	कार्मिक का नाम	क्र.सं.	कार्मिक का नाम
1.	श्री प्रकाश चन्द शर्मा	25.	श्री मोहन लाल गुप्ता
2.	श्री सीताराम बैरवा	26.	श्री ओम प्रकाश शर्मा
3.	श्री प्रभात सिंह	27.	श्री सत्यप्रकाश शर्मा
4.	श्री विक्रम सिंह	28.	श्री रामस्वरूप मीना
5.	श्री राजाराम मीना प्रथम	29.	श्री रमेश चन्द जांगिड
6.	श्री फरियाद अली	30.	श्री मोहन सिंह
7.	श्री बृजमोहन मीना	31.	श्री राजाराम मीना द्वितीय
8.	श्री जगदीश प्रसाद मीना	32.	श्री रामगोपाल नापित
9.	श्री बाबूलाल शर्मा	33.	श्री कैलाश चन्द सोनी
10.	श्री विजेन्द्र कुमार जैन	34.	श्री नपोलराज चक्रधारी
11.	श्री चन्द्र बैरवा	35.	श्री रामवतार मीना
12.	श्री बाबूलाल जागा	36.	श्री चिम्मन लाल बैरवा
13.	श्री बाबू[illegible] शर्मा	37.	श्री ताराचन्द गुप्ता
14.	श्री मोहन [illegible] सैनी	38.	श्री छोटेलाल बैरवा

क्र. सं.	कार्मिक का नाम	क्र.सं.	कार्मिक का नाम
15.	श्री गोपाल सिंह	39.	श्री सत्यनारायण शर्मा प्रथम
16.	श्री सत्यनारायण शर्मा द्वितीय	40.	श्री शम्भू दयाल शर्मा
17.	श्री बाबूलाल शर्मा	41.	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा
18.	श्री घनश्याम गुर्जर	42.	श्री फैली राम मीना
19.	श्री लटूर प्रसाद मीना	43.	श्री बृजमोहन मीना
20.	श्री सूरजमल सैनी	44.	श्री रमेश चन्द शर्मा
21.	श्रीमती कमला शर्मा	45.	श्री नीमलाल शर्मा
22.	श्री रामवतार छीपा	46.	श्री महावीर जैन
23.	श्री श्याम प्रकाश तिवाड़ी	47.	श्री हरिओम शर्मा
24.	श्री बृजकिशोर शर्मा		

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद दौसा

परिशिष्ट "ब"

अतिरिक्त भार वाले ग्राम सेवक पदेन सचिवों की सूची

क्र. सं.	नाम ग्राम पदेन सचिव	अतिरिक्त भार का विवरण
पंचायत समिति दौसा		
1	श्री कृष्णावतार शर्मा	ग्राम पंचायत श्यालावास, (मुख्यालय) को पापड़दा का अतिरिक्त चार्ज
पंचायत समिति बांदीकुई		
1	श्री घनश्याम गुप्ता	श्री बाबूलाल शर्मा, जांच विचाराधीन होने के कारण ग्राम पंचायत का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है।

क्र. सं.	नाम ग्राम पदेन सचिव	अतिरिक्त भार का वितरण
2	श्री अशोक बैरवा	श्री राकेश शर्मा ग्राम सेवक को जिला परिषद में प्रतिनियुक्ति होने के कारण अतिरिक्त चार्ज दिया गया है।
पंचायत समिति सिकराय		
1	श्री विक्रम चन्द मीना	ग्राम पंचायत मीना सीमला का अति. चार्ज
2	श्री नरेश कुमार स्वर्णकार	ग्राम पंचायत पीलोडी का अति. चार्ज
3	श्री रामजी लाल सैनी	ग्राम पंचायत हिंगवा का अति. चार्ज
4	श्री सरदार सिंह गुजर	ग्राम पंचायत कैलाई का अति. चार्ज
5	श्री कैलाश चन्द शर्मा	ग्राम पंचायत डोलिका का अति. चार्ज
6.	श्री पुरुषोतम पाराशर	ग्राम पंचायत ब्रा. बैराडा का अति. चार्ज
पंचायत समिति महवा		
1	श्री महेश पाराशर	ग्राम पंचायत नाहिडा का अति. चार्ज
पंचायत समिति लालसोट		
-1	श्री बृजकिशोर शर्मा	ग्राम पंचायत खेडला खुर्द का अति. चार्ज

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद दौसा

परिशिष्ट "स"

प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत ग्राम सेवकों की सूची

क्र.सं.	नाम	प्रतिनियुक्ति स्थान/मुख्यालय	अवधि
	पंचायत समिति दौसा		
1	श्री नारायण प्रसाद शर्मा	जिला परिषद मुख्यालय	मार्च ,2003
	पंचायत समिति सिकराय		
1	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा	जिला परिषद मुख्यालय	दिसम्बर, 2002
2	श्री ओम प्रकाश शर्मा द्वितीय	पंचायत समिति लालसोट	दिसम्बर, 2002
3	श्री टेम चन्द शर्मा	जिला परिषद मुख्यालय	नवम्बर, 2004
	पंचायत समिति महवा		
1	श्री सीताराम राजोरा	जिला परिषद मुख्यालय	सितम्बर, 2002
	पंचायत समिति लालसोट		
1	श्रीमती कमला शर्मा	राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर	नवम्बर, 2004
	पंचायत समिति बांदीकुई		
1	श्री राकेश कुमार शर्मा	जिला परिषद दौसा	फरवरी, 2003
2	श्री बाबूलाल शर्मा	पंचायत समिति बांदीकुई मुख्यालय जांच विचाराधीन होने के कारण	जनवरी, 2004

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद दौसा

डूंगरपुर जिले में समयोजना अन्तर्गत स्वीकृत एनीकट

547. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) डूंगरपुर जिले में वर्ष 2003-04 में समयोजना में कितने एनीकट स्वीकृत किये गये हैं? स्थान, पंचायत व पंचायत समितिवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) इस हेतु कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा अभी कितनी राशि शेष है?

(3) बनाये गये एनीकटों की क्या स्थिति है? पूर्ण-अपूर्ण का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) डूंगरपुर जिले में वर्ष 2003-04 में राष्ट्रीय सम विकास योजनान्तर्गत 145 एनीकट स्वीकृत किये गये हैं। स्थान पंचायत व पंचायत समितिवार ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) वर्ष 2003-04 में 711.958 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गई हैं। इस मद में इस वर्ष की राशि शेष नहीं है।

(3) स्वीकृत 145 एनीकटों में से 112 एनीकट पूर्ण हो चुके हैं तथा 33 एनीकट अपूर्ण हैं जो प्रगति पर हैं। पूर्ण-अपूर्ण का विवरण संलग्न ब्यौरे के कालम 8 में अंकित है।

कार्यालय जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) डूंगरपुर

राष्ट्रीय सम विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2003-2004 में स्वीकृत एनीकटों की पंचायत समितिवार सूची

क्र. सं.	कार्य का नाम	गांव	ग्राम पंचायत	कार्यकारी अभिकरण	स्वीकृति दिनांक	स्वीकृत राशि	वर्तमान स्थिति
	पंचायत समिति, बिछीवाडा						
1	अम्बावाला एनिकट घुघरा	घूघरा	घूघरा	पंचायत समिति, बिछीवाडा	24-Feb-04	4.96	पूर्ण
2	भाणजी वाला एनिकट निर्माण	खजूरी	खजूरी	पंचायत समिति, बिछीवाडा	13-Feb-04	4.96	पूर्ण
3	बोलवाला एनिकट निर्माण लेहणा	खजूरी	खजूरी	पंचायत समिति, बिछीवाडा	13-Feb-04	4.58	पूर्ण
4	करमैया एनिकट निर्माण	बलवाडा	बलवाडा	पंचायत समिति, बिछीवाडा	13-Feb-04	4.99	पूर्ण
5	सीतदरा एनिकट निर्माण	बलवाडा	बलवाडा	पंचायत समिति, बिछीवाडा	13-Feb-04	5.00	पूर्ण
6	पिपलिया एनिकट निर्माण कार्य	बलवाडा	बलवाडा	पंचायत समिति, बिछीवाडा	16-Jan-04	5.00	पूर्ण
7	बिलपन वाला एनिकट निर्माण	करावाडा	करावाडा	पंचायत समिति, बिछीवाडा	13-Feb-04	4.99	पूर्ण
8	एनिकट निर्माण वतरोकवाला	करावाडा	करावाडा	पंचायत समिति, बिछीवाडा	24-Feb-04	4.99	पूर्ण
9	साकडा वाला एनिकट निर्माण	करोली	करोली	पंचायत समिति, बिछीवाडा	24-Dec-03	5.00	पूर्ण

क्र. सं.	कार्य का नाम	गांव	ग्राम पंचायत	कार्यकारी अभिकरण	स्वीकृति दिनांक	स्वीकृत राशि	वर्तमान स्थिति
	पंचायत समिति, बिछीवाडा						
10	मानियावाला एनिकट निर्माण	करोली	करोली	पंचायत समिति, बिछीवाडा	24-Dec-03	5.00	पूर्ण
11	पावटीवाला एनिकट निर्माण	कांकरादरा	कांकरादरा	पंचायत समिति, बिछीवाडा	13-Feb-04	4.95	पूर्ण
12	बोलवाला एनिकट निर्माण सिन्दवई	कांकरादरा	कांकरादरा	पंचायत समिति, बिछीवाडा	13-Feb-04	4.99	पूर्ण
13	पालीया दरावाला एनिकट निर्माण	कनबा	कनबा	पंचायत समिति, बिछीवाडा	24-Feb-04	4.92	पूर्ण
14	एनिकट निर्माण भुतियानाका	आंतरसूबा	कनबा	पंचायत समिति, बिछीवाडा	24-Feb-04	4.97	पूर्ण
15	एनिकट निर्माण आडीकडाई	महूडी	महूडी	पंचायत समिति, बिछीवाडा	05-Jan-04	5.00	पूर्ण
16	एनिकट निर्माण सिकलयेरी नदी पर	माडा	माडा	पंचायत समिति, बिछीवाडा	24-Feb-04	4.97	पूर्ण
17	एनिकट शमसानघाट टेम्बा	माडा	माडा	पंचायत समिति, बिछीवाडा	24-Feb-04	4.94	पूर्ण
18	मोदरवाला नाटकीफला एनिकट निर्माण	मोदर	मोदर	पंचायत समिति, बिछीवाडा	13-Feb-04	4.79	पूर्ण

क्र. सं.	कार्य का नाम	गांव	ग्राम पंचायत	कार्यकारी अभिकरण	स्वीकृति दिनांक	स्वीकृत राशि	वर्तमान स्थिति
	पंचायत समिति, बिछीवाडा						
19	बरण्डाफला एनिकट निर्माण	मोदर	मोदर	पंचायत समिति, बिछीवाडा	21-Jan-04	6.55	पूर्ण
20	कवला फला एनिकट निर्माण	मालमाथा	मालमाथा	पंचायत समिति, बिछीवाडा	13-Feb-04	4.98	पूर्ण
21	एनिकट निर्माण कमडीदरा	नारेली	मेवाडा	पंचायत समिति, बिछीवाडा	05-Jan-04	3.03	पूर्ण
22	एनिकट निर्माण कुण्डलीवाला	मेवाडा	मेवाडा	पंचायत समिति, बिछीवाडा	05-Jan-04	4.94	पूर्ण
23	कजरी वाला एनिकट निर्माण	शिशोद	शिशोद	पंचायत समिति, बिछीवाडा	13-Feb-04	4.99	पूर्ण
24	एनिकट निर्माण नई बस्ती उपरगामिया	विकासनगर	विकासनगर	पंचायत समिति, बिछीवाडा	05-Jan-04	4.98	पूर्ण
25	करणवाला एनिकट निर्माण	विकासनगर	विकासनगर	पंचायत समिति, बिछीवाडा	24-Feb-04	4.98	पूर्ण

क्र. सं.	कार्य का नाम	गांव	ग्राम पंचायत	कार्यकारी अभिकरण	स्वीकृति दिनांक	स्वीकृत राशि	वर्तमान स्थिति
	पंचायत समिति, बिछीवाडा						
26	भणीयारीवाला एनिकट निर्माण	भेहणा	भेहणा	पंचायत समिति, बिछीवाडा	13-Feb-04	4.98	पूर्ण
27	एनिकट निर्माण शमसानवाला	भेहणा	भेहणा	पंचायत समिति, बिछीवाडा	24-Feb-04	5.00	पूर्ण
28	पादर वाला एनिकट निर्माण	पाल पादर	पादर	पंचायत समिति, बिछीवाडा	13-Feb-04	4.94	पूर्ण
29	एनिकट निर्माण जापावाला	पाल देवल	पाल देवल	पंचायत समिति, बिछीवाडा	5-Jan-04	4.95	पूर्ण
30	सासरिया वाला एनिकट निर्माण	पाल देवल	पाल देवल	पंचायत समिति, बिछीवाडा	21-Jan-04	9.28	पूर्ण
31	फनातफला एनिकट निर्माण	पालबडा	पालबडा	पंचायत समिति, बिछीवाडा	24-Feb-04	4.97	पूर्ण
32	एनिकट निर्माण भुवालीवाला	भुवाली	पालबड़ा	पंचायत समिति, बिछीवाडा	24-Feb-04	4.50	पूर्ण
33	नलाफला एनिकट निर्माण	रामपुर	रामपुर मेवाडा	पंचायत समिति, बिछीवाडा	21-Jan-04	4.99	पूर्ण
34	चोटेरी वाला एनिकट निर्माण	रैंटा	रैंटा	पंचायत समिति, बिछीवाडा	24-Dec-03	4.99	पूर्ण
35	एनिकट निर्माण कडाईवाला	रैंटा	रैंटा	पंचायत समिति, बिछीवाडा	05-Jan-04	4.98	पूर्ण

क्र. सं.	कार्य का नाम	गांव	ग्राम पंचायत	कार्यकारी अभिकरण	स्वीकृति दिनांक	स्वीकृत राशि	वर्तमान स्थिति
	पंचायत समिति, बिछीवाडा						
36	उमरादरा वाला एनिकट निर्माण	संचिया	संचिया	पंचायत समिति, बिछीवाडा	13-Feb-04	4.93	पूर्ण
37	भाटा दरा एनिकट निर्माण	साबली	साबली	पंचायत समिति, बिछीवाडा	13-Feb-04	4;93	पूर्ण
38	एनिकट निर्माण कमलावाला	साबली	साबली	पंचायत समिति, बिछीवाडा	24-Feb-04	4.97	पूर्ण
39	भण्डारिया (गराईया) वाला एनिकट निर्माण	भण्डारिया	सुरपुर	पंचायत समिति, बिछीवाडा	24-Dec-03	4.98	पूर्ण
40	चमेली का नाका एनिकट निर्माण	सुन्दरपुर	सुन्दरपुर	पंचायत समिति, बिछीवाडा	21-Jan-04	9.98	पूर्ण
41	एनिकट निर्माण दरावाला	सती रामपुर	सती रामपुर	पंचायत समिति, बिछीवाडा	13-Feb-04	5.00	पूर्ण
42	एनिकट गुलीमहुडी	मझोला	सती रामपुर	पंचायत समिति, बिछीवाडा	24-Feb-04	4.93	पूर्ण
43	शमसाना वाला एनिकट निर्माण छापी	छापी	छापी	पंचायत समिति, बिछीवाडा	13-Feb-04	4.95	अपूर्ण
44	तलियों का नाका एनिकट निर्माण	छापी	छापी	पंचायत समिति. बिछीवाडा	13-Feb-04	4.65	अपूर्ण

क्र. सं.	कार्य का नाम	गांव	ग्राम पंचायत	कार्यकारी अभिकरण	स्वीकृति दिनांक	स्वीकृत राशि	वर्तमान स्थिति
	पंचायत समिति, बिछीवाडा						
45	कण्डूलायाला एनिकट निर्माण	देवल	देवल	पंचायत समिति, बिछीवाडा	24-Feb-04	4.98	अपूर्ण
46	एनिकट ऊमेरीयाला निर्माण	शरम	वीरपुर	पंचायत समिति, बिछीवाडा	24-Feb-04	4.90	अपूर्ण
47	नवलपुरा एनिकट निर्माण	वागदरी	वागदारी	पंचायत समिति, बिछीवाडा	24-Dec-03	4.99	अपूर्ण
48	एनिकट निर्माण बावडीवाला	वागदरी	वागदारी	पंचायत समिति, बिछीवाडा	13-Feb-04	4.99	अपूर्ण
49	कालिया दरावाला एनिकट निमाण	वैंजा	वैंजा	पंचायत समिति, बिछीवाडा	13-Feb-04	4.93	अपूर्ण
50	लाम्बारा एनिकट निर्माण	चुण्डावाड़ा	चूण्डावाडा	पंचायत समिति, बिछीवाडा	24-Dec-03	4.99	अपूर्ण
51.	एनिकट निर्माण कजरीवाला	बोर का पानी	तलैया	पंचायत समिति, बिछीवाडा	24-Feb-04	4.50	अपूर्ण
52.	माताजी वाला एनिकट निर्माण	जालुकुंआ	जालुकुंआ	पंचायत समिति, बिछीवाडा	24-Dec-03	4.91	अपूर्ण
53.	रोजमरेयाला एनिकट निर्माण	कापडयेल	जालुकुंआ	पंचायत समिति, बिछीवाडा	13-Feb-04	4.95	अपूर्ण
54.	कान्तियाला एनिकट निर्माण शमसानघाट	जालुकुंआ	जालुकुंआ	पंचायत समिति, बिछीवाडा	24-Feb-04	4.96	अपूर्ण

क्र. सं.	कार्य का नाम	गांव	ग्राम पंचायत	कार्यकारी अभिकरण	स्वीकृति दिनांक	स्वीकृत राशि	वर्तमान स्थिति
	पंचायत समिति, बिछीवाडा						
55.	बावजी वाला एनिकट निर्माण	नवलश्याम	नवलश्याम	पंचायत समिति, बिछीवाडा	24-Dec-03	5.00	अपूर्ण
56.	दरेवाला एनिकट निर्माण गन्धवा	गंधवा	गंधवा	पंचायत समिति, बिछीवाडा	24-Feb-04	4.89	अपूर्ण
57.	खजुरवाला एनिकट निर्माण गामडी	गामडी अहाडा	गामडी अहाडा	पंचायत समिति, बिछीवाडा	13-Feb-04	4.93	अपूर्ण
58.	एनिकट निर्माण धमलात फला	धमलात फला	गामडी अहाडा	पंचायत समिति, बिछीवाडा	24-Feb-04	4.97	अपूर्ण
59.	केवला वाला एनिकट निर्माण	गुमानपुरा	गुमानपुरा	पंचायत समिति, बिछीवाडा	24-Feb-04	4.95	अपूर्ण
60.	ऊंटियावाला एनिकट निर्माण	ऊटिया	गैंजी	पंचायत समिति, बिछीवाडा	24-Feb-04	3.94	अपूर्ण
61.	एनिकट निर्माण गोदालावाला	गेड	गेड	पंचायत समिति, बिछीवाडा	05-Jan-04	4.98	अपूर्ण
62.	पिपलावाला एनिकट निर्माण	गेड	गेड	पंचायत समिति, बिछीवाडा	13-Feb-04	4.91	अपूर्ण
63.	गुन्दीवाला एनिकट निर्माण	गलन्दर	गलन्दर	पंचायत समिति, बिछीवाडा	13-Feb-04	4.99	अपूर्ण

क्र. सं.	कार्य का नाम	गांव	ग्राम पंचायत	कार्यकारी अभिकरण	स्वीकृति दिनांक	स्वीकृत राशि	वर्तमान स्थिति
	पंचायत समिति, बिछीवाड़ा						
64.	एनिकट निर्माण टिम्बरगावाला मानातलाई	माना तलाई	गलन्दर	पंचायत समिति, बिछीवाड़ा	24-Feb-04	4.90	अपूर्ण
65.	एनिकट निर्माण मोरन का नाका	गलन्दर	गलन्दर	पंचायत समिति, बिछीवाड़ा	24-Feb-04	4.96	अपूर्ण
	पंचायत समिति, सीमलवाड़ा						
66.	टाडा– प्रथम एनिकट निर्माण	धम्बोला	धम्बोला	पंचायत समिति, सीमलवाड़ा	24-Feb-04	4.05	पूर्ण
67.	टाडा द्वितीय एनिकट निर्माण	धम्बोला	धम्बोला	पंचायत समिति, सीमलवाड़ा	24-Feb-04	4.08	पूर्ण
68.	नानोडा एनिकट निर्माण	धम्बोला	धम्बोला	पंचायत समिति, सीमलवाड़ा	24-Feb-04	2.85	पूर्ण
69.	एनिकट निर्माण– 1	धुवेड मय भादर	धुवेड	परियोजना अधिकारी, स्वच्छ	13-Feb-04	4.37	पूर्ण
70.	चौकीयाला एनिकट निर्माण	धुवेड मय भादर	धुवेड	पंचायत समिति, सीमलवाड़ा	24-Feb-04	3.05	पूर्ण
71.	एनिकट निर्माण झरनी– प्रथम	झरनी	झरनी	पंचायत समिति, सीमलवाड़ा	24-Feb-04	3.41	पूर्ण

क्र. सं.	कार्य का नाम	गांव	ग्राम पंचायत	कार्यकारी अभिकरण	स्वीकृति दिनांक	स्वीकृत राशि	वर्तमान स्थिति
	पंचायत समिति, सीमलवाडा						
72.	एनिकट निर्माण झरनी-द्वितीय	झरनी	झरनी	पंचायत समिति, सीमलवाडा	24-Feb-04	3.24	पूर्ण
73.	अम्बाऊ एनिकट निर्माण मेडाफला	अम्बाउ	झलाई	पंचायत समिति, सीमलवाडा	20-Feb-04	4.87	पूर्ण
74.	एनिकट निर्माण कंकोडी	कांकोडी	झलाई	पंचायत समिति, सीमलवाडा	24-Feb-04	6.84	पूर्ण
75.	बेडसा एनिकट निर्माण	बेडसा	बेडसा	पंचायत समिति, सीमलवाडा	24-Feb-04	3.48	पूर्ण
76.	तलैया वाला एनिकट निर्माण	कुंआ	कुंआ	पंचायत समिति, सीमलवाडा	24-Feb-04	2.00	पूर्ण
77.	रोटवाला एनिकट निर्माण	कुंआ	कुंआ	पंचायत समिति, सीमलवाडा	24-Feb-04	1.71	पूर्ण
78.	जाफरा वाला एनिकट निर्माण	जापरा	माण्डली	पंचायत समिति, सीमलवाडा	13-Jan-04	4.84	पूर्ण
79.	मोर महूडी एनिकट निर्माण	मोरमहूडी	माण्डली	पंचायत समिति, सीमलवाडा	20-Feb-04	4.03	पूर्ण
80.	एनिकट निर्माण टंकारी	टंकारी	भचडिया	जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग, डूंगरपुर	27-Dec-03	4.82	पूर्ण

क्र. सं.	कार्य का नाम	गांव	ग्राम पंचायत	कार्यकारी अभिकरण	स्वीकृति दिनांक	स्वीकृत राशि	वर्तमान स्थिति
	पंचायत समिति, सीमलवाड़ा						
81.	एनिकट निर्माण कार्य	भचड़िया	भचड़िया	जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग, डूंगरपुर	27-Dec-03	4.74	पूर्ण
82.	एनिकट निर्माण	भाटीया	रामसौर जूना	जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग, डूंगरपुर	27-Dec-03	4.82	पूर्ण
83.	एनिकट निर्माण दिपावेला के खेत के पास	तम्बोलिया	साकरसी	पंचायत समिति, सीमलवाड़ा	13-Jan-04	5.00	पूर्ण
84.	एनिकट निर्माण चांदन वाले नाले पर	राती बेडी	सादड़िया	पंचायत समिति, सीमलवाड़ा	11-Feb-04	6.53	पूर्ण
85.	एनिकट निर्माण सनियावाला	सादड़िया	सादड़िया	पंचायत समिति, सीमलवाड़ा	24-Feb-04	3.73	अपूर्ण
86.	कावेरी छोटी एनिकट निर्माण	कावेरी छोटी	दरियाटी	पंचायत समिति, सीमलवाड़ा	20-Feb-04	4.05	अपूर्ण
87.	नागरिया निचलाफला एनिकट निर्माण	नागरिया पंचेला	नागरिया पंचेला	पंचायत समिति, सीमलवाड़ा	24-Feb-04	3.05	अपूर्ण

क्र. सं.	कार्य का नाम	गांव	ग्राम पंचायत	कार्यकारी अभिकरण	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत राशि	वर्तमान स्थिति
	पंचायत समिति, सीमलवाडा						
88.	एनिकट निर्माण कम्पाकुण्डली	नागरिया पंचेला	नागरिया पंचेला	पंचायत समिति, सीमलवाडा	24-Feb-04	3.25	अपूर्ण
	पंचायत समिति, सागवाड़ा						अपूर्ण
89.	कलजु का नाका एनिकट निर्माण,	छाणी	बरबोदनिया	पंचायत समिति, सागवाडा	13-Feb-04	3.02	पूर्ण
90.	कुवेडी वाला एनिकट निर्माण	बीलिया	बडगामा (बिलिया)	पंचायत समिति, सागवाडा	09-Jan-04	4.44	पूर्ण
91.	पछोर एनिकट निर्माण	बडगामा	बडगामा (बिलिया)	पंचायत समिति, सागवाडा	24-Feb-04	4.98	पूर्ण
92.	यादव बस्ती एनिकट निर्माण	भीलूड़ा	भीलूड़ा	पंचायत समिति, सागवाडा	12-Feb-04	8.01	पूर्ण
93.	महादेव वाला एनिकट निर्माण	डेचा	डेचा	पंचायत समिति, सागवाडा	09-Jan-04	5.61	पूर्ण
94.	हुतारिया एनिकट निर्माण	डेचा	डेचा	पंचायत समिति, सागवाडा	12-Feb-04	6.99	पूर्ण
95.	हाथली का नाका एनिकट निर्माण	ओबरी	ओबरी	पंचायत समिति, सागवाडा	13-Feb-04	4.98	पूर्ण

क्र. सं.	कार्य का नाम	गांव	ग्राम पंचायत	कार्यकारी अभिकरण	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत राशि	वर्तमान स्थिति
96.	पानीवाला एनिकट निर्माण	गोवाडी	गोवाडी	पंचायत समिति, सागवाडा	24-Jan-04	4.67	पूर्ण
97.	बेरी गडीदरा एनिकट निर्माण	शिवपुरी	गोवाडी	पंचायत समिति, सागवाडा	24-Jan-04	4.53	पूर्ण
98.	रिजगावाला दरा एनिकट निर्माण	गोवाडी	गोवाडी	पंचायत समिति, सागवाडा	24-Jan-04	4.94	पूर्ण
	पंचायत समिति, डूंगरपुर						
99.	एनिकट निर्माण बडलावाला	ओडवाडिया	धावडी	पंचायत समिति, डूंगरपुर	13-Feb-04	4.99	पूर्ण
100.	एनिकट निर्माण पिपलीवाला	ओडवाडिया	धावडी	पंचायत समिति, डूंगरपुर	24-Feb-04	4.90	पूर्ण
101.	एनिकट धावडी घाटीवाला कलारिया	खेमपुर	खेमपुर	पंचायत समिति, डूंगरपुर	24-Feb-04	5.00	पूर्ण
102.	एनिकट निर्माण आसेला का ओटा	खेडा कच्छवासा	खेडा	पंचायत समिति, डूंगरपुर	13-Feb-04	4.99	पूर्ण
103.	एनिकट निर्माण बोलियावाला	खेडा	खेडा	पंचायत समिति, डूंगरपुर	13-Feb-04	4.87	पूर्ण
104.	एनिकट निर्माण वडियों का वेला	नेजपुर	खेडा	पंचायत समिति, डूंगरपुर	24-Feb-04	4.94	पूर्ण

क्र. सं.	कार्य का नाम	गांव	ग्राम पंचायत	कार्यकारी अभिकरण	स्वीकृति दिनांक	स्वीकृति राशि	वर्तमान स्थिति
105.	एनिकट निर्माण सुलई वाला	सुलई	खेडा	पंचायत समिति, डूंगरपुर	24-Feb-04	4.98	पूर्ण
106.	एनिकट निर्माण जापादरा	ऊपरगांव	खेड़ा	पंचायत समिति, डूंगरपुर	24-Feb-04	9.99	पूर्ण
107.	एनिकट निर्माण मोटावांगा वाला	झौथरी	झौथरी	पंचायत समिति, डूंगरपुर	24-Feb-04	4.97	पूर्ण
108.	नालियावाला एनिकट निर्माण	पगारा	बेडा	पंचायत समिति, डूंगरपुर	13-Feb-04	5.00	पूर्ण
109.	एनिकट निर्माण बिजरंगा नाला	पगारा	बेडा	पंचायत समिति, डूंगरपुर	13-Feb-04	6.76	पूर्ण
110.	एनिकट निर्माण भुतवाला	डोलवर निचली	कहारी "ए"	पंचायत समिति, डूंगरपुर	24-Feb-04	4.99	पूर्ण
111	एनिकट निर्माण कतारवाला	डोलवर निचली	कहारी "ए"	पंचायत समिति, डूंगरपुर	24-Feb-04	5.00	पूर्ण
112.	रूपलीवाला एनिकट निर्माण	कोलखण्डा खास	कोलखण्डा	पंचायत समिति, डूंगरपुर	27-Dec-03	4.98	पूर्ण
113.	खोंटडा वाला एनिकट मय काजवे निर्माण	कोलखण्डा खास	कोलखण्डा	पंचायत समिति, डूंगरपुर	24-Feb-04	1.95	पूर्ण

क्र सं.	कार्य का नाम	गांव	ग्राम पंचायत	कार्यकारी अभिकरण	स्वीकृति दिनांक	स्वीकृत राशि	वर्तमान स्थिति
114.	एनिकट निर्माण खापरडा	माण्डवा	माण्डवा	पंचायत समिति, डूंगरपुर	24-Feb-04	4.92	पूर्ण
115.	साल पाटिया एनिकट निर्माण	मेताली	मेताली	पंचायत समिति, डूंगरपुर	24-Jan-04	5.00	पूर्ण
116.	कुण्डी वाला एनिकट निर्माण	बिलडी	बिलडी	पंचायत समिति, डूंगरपुर	24-Jan-04	5.00	पूर्ण
117.	एनिकट निर्माण रिजगावाला	वीरपुर	बिलडी	पंचायत समिति, डूंगरपुर	24-Feb-04	4.69	पूर्ण
118.	खरेडवाला एनिकट निर्माण हीराता	हीराता	हीराता	पंचायत समिति, डूंगरपुर	13-Feb-04	4.80	पूर्ण
119.	एनिकट निर्माण धरमीमाता हीराता	हीराता	हीराता	पंचायत समिति, डूंगरपुर	24-Feb-04	4.80	पूर्ण
120.	एनिकट निर्माण गमणिया वाला नाला नरातफला	नराता फला	पाडली गुजरेश्वर	पंचायत समिति, डूंगरपुर	24-Feb-04	4.95	पूर्ण
121.	एनिकट निर्माण जांबुआवाला माण्डेला निचली	माण्डेला नीचली	पाडली गुजरेश्वर	पंचायत समिति, डूंगरपुर	20-Feb-04	4.95	पूर्ण
122.	पाडा दरा एनिकट निर्माण	पोहरी खातुरात	पोहरी खातुरात	पंचायत समिति, डूंगरपुर	24-Jan-04	6.00	पूर्ण
123.	एनिकट निर्माण हत्थीवाला	नेगाला	पोहरी खातुरात	पंचायत समिति, डूंगरपुर	24-Feb-04	4.93	पूर्ण

क्र. सं.	कार्य का नाम	गांव	ग्राम पंचायत	कार्यकारी अभिकरण	स्वीकृति दिनांक	स्वीकृत राशि	वर्तमान स्थिति
124.	भंवरिया एनिकट निर्माण कार्य	पाल माण्डव	पाल माण्डव	पंचायत समिति. डूंगरपुर	05-Jan-04	5.00	पूर्ण
125.	बेडावाला एनिकट (दरा) निर्माण कार्य	दरा	पाल माण्डव	पंचायत समिति, डूंगरपुर	05-Jan-04	4.99	पूर्ण
126.	एनिकट निर्माण आमलिया फला महुडावाला	पाल माण्डव	पाल माण्डव	पंचायत समिति, डूंगरपुर	24-Feb-04	4.92	पूर्ण
127.	एनिकट निर्माण मानामहुडा	पाल माथुगामडा	पाल माथुगामडा	पंचायत समिति, डूंगरपुर	24-Feb-04	5.73	पूर्ण
128.	गोकलीवाला एनिकट निर्माण	डोजा	डोजा	पंचायत समिति, डूंगरपुर	24-Feb-04	4.96	पूर्ण
129.	एनिकट निर्माण अंकूल वाला बांदीघाटी	दामडी	दामडी	पंचायत समिति, डूंगरपुर	20-Feb-04	4.99	पूर्ण
130.	दरबोट एनिकट दामडी	दामडी	दामडी	पंचायत समिति, डूंगरपुर	27-Dec-03	4.98	पूर्ण
131.	एनिकट निर्माण ओम्बरी वाला	वलोता	वलोता	पंचायत समिति, डूंगरपुर	05-Jan-04	4.99	पूर्ण

क्र. सं.	कार्य का नाम	गांव	ग्राम पंचायत	कार्यकारी अभिकरण	स्वीकृति दिनांक	स्वीकृत राशि	वर्तमान स्थिति
132.	एनिकट निर्माण गोदीवाला	वलोता	वलोता	पंचायत समिति, डूंगरपुर	05-Jan-04	5.00	अपूर्ण
133.	एनिकट निर्माण हांगरीवाला	डोलवर उपली	वलोता	पंचायत समिति, डूंगरपुर	24-Feb-04	5.19	अपूर्ण
134.	एनिकट निर्माण हागडावाला लो	वलोता	वलोता	पंचायत समिति, डूंगरपुर	24-Feb-04	5.98	अपूर्ण
135.	वाहिरा वाला नाला एनिकट निर्माण नई बस्ती	आसेला	आसेला	पंचायत समिति, डूंगरपुर	13-Feb-04	5.79	अपूर्ण
136.	एनिकट निर्माण मोटीवाव मनपुर	मनपुर	आसेला	पंचायत समिति, डूंगरपुर	24-Feb-04	4.99	अपूर्ण
137.	एनिकट निर्माण बेहरणवाला	सेलज	लोलकपुर	पंचायत समिति, डूंगरपुर	24-Feb-04	4.87	अपूर्ण
	पंचायत समिति, आसपुर						
138.	बावलिया वाला एनिकट निर्माण कार्य	खलील	खलील	पंचायत समिति, आसपुर	05-Jan-04	5.42	पूर्ण

क्र. सं.	कार्य का नाम	गांव	ग्राम पंचायत	कार्यकारी अभिकरण	स्वीकृति दिनांक	स्वीकृत राशि	वर्तमान स्थिति
139.	गमीरपुरा-द्वितीय एनिकट निर्माण कार्य	गमीरपुरा	खलील	पंचायत समिति, आसपुर	5-Jan-04	4.99	पूर्ण
140.	गमीरपुरा-प्रथम एनिकट निर्माण कार्य	गमीरपुरा	खलील	पंचायत समिति. आसपुर	05-Jan-04	4.77	पूर्ण
141.	बडौदा एनिकट निर्माण कार्य	बडौदा	बडौदा	पंचायत समिति, आसपुर	05-Jan-04	3.65	पूर्ण
142.	झरियाणा-द्वितीय एनिकट निर्माण कार्य	झरियाणा	काब्जा	पंचायत समिति, आसपुर	05-Jan-04	4.42	पूर्ण
143.	झरियाणा-प्रथम एनिकट निर्माण कार्य	झरियाणा	काब्जा	पंचायत समिति, आसपुर	05-Jan-04	4.44	पूर्ण
144.	पूंजपुर एनिकट निर्माण कार्य	पूजपुर	पूंजपुर	पंचायत समिति, आसपुर	05-Jan-04	5.00	पूर्ण
145.	एनिकट निर्माण टांटिया	टांटिया	गणेशपुर	पंचायत समिति, आसपुर	24-Feb-04	4.70	पूर्ण
				योग		711.96	

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, डूंगरपुर

कोटा जिले के हैण्डपम्प मिस्त्रियों की प्रतिनियुक्ति

548. श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला कोटा की पंचायत समितियों में हैण्डपम्प मिस्त्रियों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा इनमें से कितने मिस्त्री झालावाड़ जिले में प्रतिनियुक्ति पर हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा जिला कोटा में उक्त मिस्त्रियों के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो क्या?

(3) क्या सरकार जिला कोटा के हैण्डपम्पों की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने हेतु उक्त हैण्डपम्प मिस्त्रियों की प्रतिनियुक्ति निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला कोटा की पंचायत समितियों में 75 हैण्डपम्प मिस्त्रियों के पद स्वीकृत हैं। इनमें से 14 हैण्डपम्प मिस्त्री झालावाड़ जिले में प्रतिनियुक्ति पर हैं।

(2) सरकार द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से हैण्डपम्प संधारण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

(3) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान की समाप्ती पर इनकी प्रतिनियुक्ति निरस्त की जावेगी।

हनुमानगढ़ जिले में निजी आवास योजनान्तर्गत बकाया मजदूरी

549. श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि हनुमानगढ़ जिले में विक्रम संवत 2059 में

(श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची)

अकाल राहत कार्य चलाये गये थे तथा उनमें निजी आवास योजना (व्यक्तिगत लाभ) मकान बनाने हेतु लागू की गई थी? यदि हां, तो इस प्रकार के कितने कार्य स्वीकृत किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि व्यक्तिगत आवास योजना में कार्यरत श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो इसके लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? सरकार उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। हनुमानगढ़ जिले में विक्रम संवत 2059 में अकाल राहत कार्य चलाये गये थे, जिनमें निजी आवास योजना (व्यक्तिगत लाभ) मकान बनाने हेतु लागू की गयी थी। इसमें निजी आवास के कुल 12737 कार्य स्वीकृत किये गये थे, जिनका विवरण संलग्न है।

(2) हनुमानगढ़ जिले में व्यक्तिगत लाभ की निजी आवास योजना में समस्त पात्र श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान (75 प्रतिशत गेहूं) कर दिया गया है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्कालय में रखी गई।)

सलूम्बर में अकाल राहत योजनान्तर्गत पक्के निर्माण

550. श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले में वर्तमान में श्रमिक अकाल राहत में कार्य कर रहे हैं? यदि हां, तो कितने? पंचायत समितिवार श्रमिकों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अकाल राहत के अन्तर्गत पक्के कार्य

(श्री अर्जुन लाल मीणा)

किये जा रहे हैं? यदि हां, तो पंचायत समितिवार पक्के कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार पंचायत समिति सलूम्बर व पंचायत समिति गिर्वा (उदयपुर) में पक्के कार्यों की स्वीकृति एवं श्रमिकों की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है। पंचायत समितिवार नियोजित श्रमिकों की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट "अ")

(2) जी हां। अकाल राहत संवत 2061 के तहत वर्तमान में जिले में चल रही अन्य योजनाओं में से सामग्री भाग की राशि प्राप्त कर कार्यों को डोवटेल कर पक्के कार्य चलाये जा रहे हैं। जिन पर केवल श्रम भाग राहत मद से दिया जा रहा है। कार्यों की सूची संलग्न है (परिशिष्ट "ब")

(3) राज्य सरकार द्वारा श्रमिक सीमा जिलों के लिए निर्धारित की जाती है। जिला कलक्टर द्वारा आवश्यकता के अनुसार जिले में श्रमिक सीमा का आबंटित किया जाता है। फिलहाल जिन विभागों या प्लान योजना मदों से मेटेरियल कम्पोर्नेट की राशि उपलब्ध है उन्हीं मदों के पक्के कार्यों को लिया जा रहा है। क्योंकि आपदा राहत कोष के निर्देशों के अनुसार अब मेटेरियल कम्पोर्नेट देने का कोई प्रावधान नहीं है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बाली के किसानों को फसल बीमा योजनान्तर्गत देय क्षतिपूर्ति राशि

551. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाली के अकालग्रस्त

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

घोषित 68 गांवों में फसल के 70 प्रतिशत से भी ज्यादा भाग की हानि किसानों को उठानी पड़ रही है? यदि हां, तो ऐसे पीड़ित किसानों की ग्राम पंचायतवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या फसल बीमा प्रीमियम चुकाने वाले पीड़ित किसानों को क्षतिपूर्ति बीमा राशि (बीमा क्लेम) का भुगतान करवा दिया गया? यदि हां, तो किस-किस किसान को कितनी फसल हानि के बदले कितनी बीमा क्लेम क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाना शेष है?

(3) क्या सरकार शीघ्र इन पीड़ित किसानों को बीमा क्लेम (क्षतिपूर्ति राशि) का भुगतान कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह सही नहीं है। तहसील बाला के 68 ग्राम अभावग्रस्त घोषित हैं। इन ग्रामों में 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक खराबा है। किसी भी ग्राम में 70 प्रतिशत खराबा नहीं है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बाली में फसल कटाई प्रयोग के अनुसार फसल बीमा क्षतिपूर्ति क्लेम नहीं बनता है। इस कारण बाली तहसील के किसानों को फसल हानि के बदले बीमा क्लेम की राशि देय नहीं है।

(3) बिन्दु संख्या 2 के अनुसार बाली तहसील के कृषकों को बीमा क्लेम (क्षतिपूर्ति राशि) देय नहीं है।

निगम बस सेवाओं में विद्यार्थियों को मासिक पास की राशि में छूट

552. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विद्यार्थियों को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस में यात्रा करते समय किराये में 50 प्रतिशत की रियायत दी जाती है?

(श्री रामलाल शर्मा)

(2) क्या यह भी सही है कि विद्यार्थियों व साधारण नागारिक दोनों को ही मासिक पास बनाने पर समान भुगतान करना पड़ता है? यदि हां, तो क्यों? कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विद्यार्थियों को 50 प्रतिशत रियायत पर मासिक पास जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। विद्यार्थियों को मासिक पास पर किराये में 50 प्रतिशत रियायत दी जाती है। जबकि

<u>साधारण नागरिक को</u>

1 से 3 माह के पास पर	–	40 प्रतिशत
3 से 6 माह के पास पर	–	50 प्रतिशत
6 से 12 माह के पास पर	–	60 प्रतिशत

रियायत दी जाती है।

(3) विद्यार्थियों को पूर्व में ही 50 प्रतिशत रियायती दर पर मासिक पास जारी किए जा रहे हैं।

परिवहन निगम में अधिकारी/कर्मचारियों का लम्बित चयनित वेतनमान

553. श्री हरीसिंह रावत (भीम) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हरीसिंह रावत)

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में अधिकारियों/कर्मचारियों को चयनित वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है? यदि हां, तो किस-किस संवर्ग को?

(2) क्या यह सही है कि उक्त नियमों के तहत कनिष्ठ लिपिकों को भी चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया है? यदि हां, तो किन-किन को व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि कतिपय कनिष्ठ लिपिकों को चयनित वेतनमान का लाभ वर्ष 1997 में दिया जाना था किन्तु उनको अभी तक उक्त लाभ नहीं दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार वर्ष 1995 के बाद जिन कनिष्ठ लिपिकों को चयनित वेतनमान का लाभ दिया जाना है, को अब उक्त लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में अधिकारियों को चयनित वेतनमान का लाभ नियमानुसार देय नहीं है। अपितु कर्मचारियों को चयनित वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है जिसकी संवर्गवार सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) जी हां। चयनित वेतनमान नियमों के तहत सेवा रेकार्ड के आधार पर कनिष्ठ लिपिक को 9, 18, 27 वर्ष का चयनित वेतनमान दिया गया है। सूची परिशिष्ट "2" पर उपलब्ध है। सेवा रेकार्ड सन्तोषप्रद नहीं होने एवं पात्रता नहीं रखने वाले कनिष्ठ लिपिकों को नियमानुसार देय तिथि को चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया है।

(3) जी नहीं। निर्धारित पात्रता रखने वाले एवं सेवा रेकार्ड सन्तोषप्रद वाले सभी कनिष्ठ लिपिकों को चयनित वेतनमान दिया गया है। वर्ष 1997 में जिन कनिष्ठ लिपिकों को चयनित वेतनमान देय था एवं नहीं दिया गया उनकी सूची मय कारण परिशिष्ट "3" पर संलग्न है। पूर्व में अंकण स्ट

(यातायात मंत्री)

उत्तीर्ण नहीं करने वाले कनिष्ठ लिपिकों को चयनित वेतनमान नहीं देने का प्रावधान था परन्तु इस प्रावधान को निगम मण्डल द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसरण में आदेश दिनांक 19.3.2005 द्वारा वापस लिया जाकर चयनित वेतनमान के प्रयोजनार्थ सेवा की गणना कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति दिनांक से ही करने के निर्देश दिए गए हैं। इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में पात्र कनिष्ठ लिपिकों को चयनित वेतनमान देने की कार्यवाही की जा रही है।

(4) वर्ष 1995 के बाद निर्धारित पात्रता पूर्ण करने वाले सभी कनिष्ठ लिपिकों को देय तिथि को चयनित वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है। निगम की सभी इकाइयों में चयनित वेतनमान हेतु गठित कमेटी द्वारा प्रकरणों पर विचार कर चयनित वेतनमान देने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पथ परिवहन निगम में घाटा-पूर्ति हेतु कार्य-योजना

554. श्री शान्तिलाल चपलोत (मावली) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम घाटे में चल रही है? यदि हां, तो वर्तमान में निगम कितने घाटे में है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पथ परिवहन निगम का घाटा कम करने के लिये प्रयासरत है? यदि हां, तो किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अप्रैल, 2004 से फरवरी, 2005 तक निगम की प्रावीजनल हानि रूपये 43.16 करोड़ को शामिल करने पर फरवरी, 2005 तक निगम रूपये 384.02 करोड़ हानि में है।

(2) जी हां। निगम को घाटे से उबारने के लिये किए जा रहे प्रयासों का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

परिशिष्ट "1"

राजस्थान परिवहन निगम को घाटे से उबारने के लिये किये गये प्रयासों का विवरण

(1) तेल कम्पनियों से वार्ता पर डीजल—आयल लुब्रिकेन्ट की खरीद पर छूट ली जा रही है।

(2) बिना टिकिट यात्रियों की रोकथाम हेतु सघन निरीक्षण अभियान से सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं।

(3) लागत नियंत्रण के उद्देश्य से वाहनों में नई तकनीक के इंजन लगाये जाने व अन्य सुधारात्मक प्रयासों के फलस्वरूप डीजल/आयल औसत, टायर केसिंग लाइफ आदि के अच्छे सुधार परिलक्षित हुये हैं।

(4) उत्तरांचल परिवहन निगम के टायरों को निगम के टायर प्लांट में रिट्रेड कर असंचालित आय में वृद्धि की गई है।

(5) बैंकों से वार्ता करके पूर्व में लिये गये ऋणों पर ब्याज दरों में कमी करवाई गई है।

(6) विज्ञापनों के माध्यम से असंचालित आय में वृद्धि के प्रयास किए जा रहे हैं।

(7) निगम बसों में पार्सल एवं कोरियर सेवा से असंचालित आय में वृद्धि की गई है।

(8) निगम के विभिन्न आगारों एवं कार्यशालाओं में उपलब्ध भूमि को डीजल/पैट्रोल पम्पों के आबंटन के प्रयास किए जा रहे हैं।

(9) सेवाओं की गुणवत्ता रख-रखाव पर विशेष ध्यान दिये जाने के परिणामस्वरूप सेवाओं की नियमितता, समय पाबंदी, दुर्घटना एवं ब्रेक डाउन दर नियंत्रित होने से सुधार परिलक्षित हुये हैं।

(10) डीजल औसत से और वृद्धि हेतु लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

(11) बेड़ा उपयोगिता प्रतिशत एवं वाहन उपयोगिता में सुधार किये गये हैं।

(12) यात्रियों की सुविधा एवं आकर्षण करने हेतु नई बसों को बेड़े में शामिल किया जा रहा है।

(13) कार्य में दक्षता लाने के उद्देश्य से निगम के कर्मचारियों/अधिकारियों को विभिन्न संस्थानों में प्रशिक्षण दिलवाया जा रहा है।

(14) सेवाओं के समानान्तर संचालन पर रोक लगाई गई है।

(15) गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष प्रति कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि की गई है।

(16) आय में वृद्धि हेतु लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं।

रतनगढ़ का "पूरा" योजना में चयन

555. **श्री राजकुमार रिणवा (रतनगढ़)** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2004 में राज्य के किसी क्षेत्र को "प्राविनल फोर अरबन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज" "पूरा" योजना में शामिल किया गया है? यदि हां, तो किस-किस शहर/क्षेत्र को व किस आधार पर?

(2) उक्त योजना में शामिल करने के लिये क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति कैसी होनी चाहिए एवं किन-किन परिस्थितियों के आधार पर उक्त योजना लागू की जाती है?

(3) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ का सम्पूर्ण क्षेत्र उक्त योजना की समस्त शर्तों को पूरा करता है तथा क्षेत्रीय विधायक द्वारा सरकार को उक्त क्षेत्र में योजना लागू करने हेतु लिखित निवेदन भी किया गया है? यदि हां, तो कब?

(श्री राजकुमार रिणवा)

(4) क्या सरकार अब विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ को उक्त योजना का लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, भारत सरकार द्वारा राज्य के 28 जिलों के 28 कस्बों का चयन कर "प्राविजन फोर अरबन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज" "पूरा" योजना में शामिल किया गया है। चयनित कस्बों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

मैदानी क्षेत्र के कस्बों जिनकी आबादी 30,000 से 1,00,000 तक एवं पहाड़ी क्षेत्र के कस्बे जिनकी आबादी 20,000 से 50,000 तक है तथा इन क्षेत्रों में जहां विद्युत कनेक्शन की कमी, कम साक्षरता एवं पाइप लाइन से पेयजल की उपलब्धता की कमी को आधार मानकर भारत सरकार द्वारा कस्बों का चयन किया गया है।

(2) मैदानी एवं पहाड़ी क्षेत्र में प्रश्न के भाग-1 के द्वितीय पैरा में वर्णित आधार पर कस्बों का चयन किया गया है।

(3) जी नहीं।

जी हां। मा. विधायक ने अपने पत्र दिनांक 27.8.2004 द्वारा मा. मुख्य मंत्रीजी को लिखित में निवेदन किया है।

(4) जी नहीं। "पूरा" योजना भारत सरकार द्वारा फिलहाल पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारम्भ की गयी है। चयनित कस्बों में योजना का क्रियान्वयन करने व योजना के चालू रहने पर भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त कस्बों को इस योजना में शामिल करने पर राज्य के अन्य क्षेत्रों के साथ रतनगढ़ को भी सम्मिलित करने पर विचार किया जाना संभव हो सकेगा।

परिशिष्ट "अ"

Rural Development Department
Government of Rajasthan
List of Districts/Clusters Selected for Provisions of Urban Amenities in Rural Areas (PURA)

S.No.	District	Town	Size of towns	Remarks
1.	Ajmer	Kekri	20-50 Thousand	Single Town
2.	Alwar	Khairthal	20-50 Thousand	Multiple Town
3.	Banswara	Banswara	50-1 lakh	Single Town
4.	Baran	Baran	50-1 lakh	Single Town
5.	Barmer	Balotra	50-1 lakh	Multiple Town
6.	Bharatpur	Kaman	20-50 Thousand	Mutiple Town
7.	Bhilwara	Shahpura	20-50 Thousand	Multiple Town
8.	Bundi	Bundi	50-1 lakh	Single Town
9.	Chittaurgarh	Chittaurgarh	50-1 lakh	Mutiple Town
10.	Churu	Saradarshahar	50-1 lakh	Multiple Town
11.	Dausa	Dausa	50-1 lakh	Single Town
12.	Dhaulpur	Bari	50-1 lakh	Multiple Town
13.	Dungarpur	Sagwara	20-50 Thousand	Multiple Town
14.	Ganganager	Suratgarh	50-1 lakh	Single Town
15.	Hanumangarh	Pilbanga	20-50 Thousand	Multiple Town
16.	Jaisalmer	Jaisalmer	50-1 lakh	Single Town
17.	Jalor	Bhinmal	20-50 Thousand	Multiple Town
18.	Jhalawar	Jhalawar	20-50 Thousand	Multiple Town
19.	Jhunjhunun	Nawalgarh	50-1 lakh	Single Town
20.	Karauli	Hindaun	50-1 lakh	Multiple Town
21.	Nagaur	Ladnu	50-1 lakh	Multiple Town
22.	Pali	Sojat	20-50 Thousand	Multiple Town
23.	Rajsamand	Rajsamand	50-1 lakh	Single Town
24.	Sawai Madhopur	Gangapur City	50-1 lakh	Multiple Town
25.	Sikar	Fetehpur	50-1 lakh	Single Town
26.	Sirohi	Sirohi	20-50 Thousand	Single Town
27.	Tonk	Niwai	20-50 Thousand	Single Town
28.	Udaipur	Fatehnagar	Town< 20,000	Pop 19,624

राजगढ़/रैणी (अलवर) पंचायत समिति के अपूर्ण-कार्य

556. **श्री समर्थलाल** (राजगढ़) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

जिला अलवर में पंचायत समिति राजगढ़ एवं रैणी में पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में विधायक कोटे एवं सांसद कोटे से कितनी राशि स्वीकृत की गई? उक्त राशि में किस-किस मद में कहां-कहां विकास कार्य करवाये जाने प्रस्तावित थे? उनमें से कितने कार्य पूर्ण हो गये एवं कितने कार्य अधूरे हैं? राशि व ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला अलवर में पंचायत समिति राजगढ़ एवं रैणी में पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल (वर्ष 1999-2004) में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम से 231.59 लाख रूपये एवं सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम से 99.115 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गयी।

उक्त राशि में जिस-जिस मद में जो कार्य करवाये गये हैं, उन कार्यों के पूर्ण व अपूर्ण की सूचना निम्नानुसार हैं :-

क्र. सं.	योजना का नाम	प.सं. राजगढ़ में स्वी. कार्य	पंसं. रैणी में स्वी. कार्य	कुल स्वी. कार्य	पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य
1.	एलएलए लेड	71	124	195	195	-
2.	एमपीलेड (लोकसभा)	39	24	63	60	3
3.	एमपीलेड (राज्यसभा)	1	-	1	1	-
	योग	**111**	**148**	**259**	**256**	**3**

कार्यों की राशि व ग्रामवार पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट – 1, 2 व 3 संलग्न है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बयाना-बसेडी क्षेत्र के विकास हेतु "डांग विकास बोर्ड" का गठन

557. **श्री अतर सिंह भड़ाना** (बयाना) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार बयाना-बसेड़ी क्षेत्रीय द्रुतगामी विकास हेतु "डांग विकास बोर्ड" के गठन का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

राज्य के डांग क्षेत्र जिसमें पंचायत समिति बयाना (भरतपुर) व बसेडी (धौलपुर) की चयनित ग्राम पंचायतें भी सम्मिलित हैं, के विकास हेतु वर्ष 1995-96 से डांग क्षेत्रीय विकास मण्डल का गठन किया हुआ है।

सीकर जिले में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्य

558. **श्रीमती राजकुमारी शर्मा** (सीकर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सीकर जिले में गत वित्तीय वर्ष में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना में क्या लक्ष्य निर्धारित थे?

(2) उक्त लक्ष्यों के विरूद्ध विभिन्न पंचायत समितियों द्वारा बैंकों को ऋण वितरण हेतु कितने प्रकरण भिजवाये गये तथा बैंकों ने कितने प्रकरणों में ऋण वितरण किया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) ऋण वितरण के आधार पर योजना में लक्ष्यों का उपार्जन कितना प्रतिशत रहा?

उत्तर

(1) सीकर जिले में वर्ष 2003-2004 में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना में रूपये 310.00 लाख का साख सृजन का लक्ष्य रखा गया था।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(2) पंचायत समितियों द्वारा बैंकों को ऋण स्वीकृति हेतु 2164 ऋण प्रार्थना पत्र भेजे गये जिनमें से बैंकों द्वारा 1258 प्रकरणों में ऋण वितरण किया गया। सूची परिशिष्ट "1" पर उपलब्ध है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त पूर्व में लाभान्वित परिवारों में से 179 परिवारों को ऋण की दूसरी किश्त भी दी गयी।

(3) जिले में रुपये 310.00 लाख के साख सृजन के लक्ष्य के विरुद्ध रुपये 310.16 लाख साख सृजित कर 100.05 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किये गये।

परिशिष्ट "1"

वर्ष 2003-04 में सीकर जिले में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत पंचायत समितिवार बैंकों को प्रयोजित ऋण प्रार्थना पत्र एवं बैंक द्वारा वितरित ऋण प्रकरणों का विवरण-

क्र. सं.	पंचायत समिति	बैंकों को स्वीकृति हेतु भेजे गये आवेदन पत्रों की संख्या	बैंकों द्वारा ऋण वितरण के प्रकरणों की संख्या	ऋण वितरण द्वितीय डोज
1	फतेहपुर	330	150	6
2	लक्ष्मणगढ़	224	110	47
3	पिपराली	184	114	13
4	धोद	189	101	19
5	दांतारामगढ़	342	225	42
6	खण्डेला	299	158	21
7	श्रीमाधोपुर	210	186	16
8	नीम का थाना	386	214	15
	योग	**2164**	**1258**	**179**

गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के चयन हेतु सर्वे

559. श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(1) क्या यह सही है कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले चयनित परिवारों का चयन किये हुए कई वर्ष बीत चुके हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा नए गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का चयन करने के लिये सर्वे कार्य करवाया गया था? यदि हां, तो क्या सरकार पुरानी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर नए गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का चयन करेगी? यदि नहीं, तो उन परिवारों के चयन का आधार क्या होगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के निर्देशानुसार ग्रामीण विकास द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का चयन बीपीएल सेन्सस-1997 में किया गया था।

(2) जी हां। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के चयन के उद्देश्य से बीपीएल सेन्सस-2002 भारत सरकार के निर्देशानुसार करवाया गया था।

बी.पी.एल. सेन्सस -2002 के सर्वे के आधार पर ही नये बी.पी.एल. परिवारों का चयन किया जावेगा।

भारत सरकार के निर्देशानुसार बीपीएल सेन्सस-2002 के अन्तर्गत बीपीएल परिवारों के चयन का आधार 13 सामाजिक एवं आर्थिक सूचकों पर प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 0 से 4 अंक दिये जाकर प्राप्त अंकों के आधार पर परिवारों को आरोही क्रम में सूचीबद्ध कर ग्राम सभाओं में अनुमोदन उपरान्त राज्य सरकार द्वारा कट आफ प्वाइन्ट निर्धारित कर बीपीएल परिवारों को चयन किया जाना है। प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है तथा आदेश होने तक अग्रिम कार्यवाही करने पर प्रतिबन्ध है।

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 297 की सूची

परिशिष्ट "क"

सीकर जिले से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक हासिल कर चुके खिलाड़ियों की सूची

क्र.सं.	अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त खिलाड़ी का नाम	सम्बन्धित खेल
1.	श्री भंवर सिंह शेखावत	तैराकी
2.	श्री सुरेश मिश्रा	वालीबाल
3.	श्री दीना राम	एथलेटिक्स
4.	श्री राजेन्द्र कुमार	कुश्ती
5.	श्री मूल सिंह	बाक्सिंग
6.	श्री सागरमल घायल	बाक्सिंग
7.	श्री अशोक छक्कड़	वालीबाल
8.	श्री विशाल सिंह	घुड़सवारी
9.	श्री महावीर सिंह	शूटिंग
10.	श्री बीरबल सिंह	नौकायन

क्र.सं.	राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त खिलाड़ियों का नाम	सम्बन्धित खेल
1.	कु. मेघा पारीक	जूडो
2.	कु. प्रेम दहिया	जूडो
3.	कु. प्रियंका लोरा	जूडो
4.	कु. गीता	जूडो
5.	कु. सन्तरा देवी	जूडो
6.	कु. सुमन	जूडो

क्र.सं.	राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त खिलाड़ियों का नाम	सम्बन्धित खेल
7.	श्री मोहम्मद राशीद	सॉफ्टबाल
8.	मो. शफीक	सॉफ्टबाल
9.	श्री निर्मल कुमार	सॉफ्टबाल
10.	श्री अजूब अली	सॉफ्टबाल
11.	श्री राकेश नेहरा	सॉफ्टबाल
12.	श्री इमरान कायम खानी	सॉफ्टबाल
13.	श्री इमरान खान	सॉफ्टबाल
14.	श्री हनीश अहमद	सॉफ्टबाल
15.	रजिया खत्री	सॉफ्टबाल
16.	कविता चौधरी	सॉफ्टबाल
17.	अनीता	सॉफ्टबाल
18.	परमेश्वरी	सॉफ्टबाल
19.	शारदा सैनी	सॉफ्टबाल
20.	बबीता	सॉफ्टबाल
21.	श्री राकेश कुमार	बास्केटबाल
22.	श्री शौकत अली	बास्केटबाल
23.	श्री भूपेन्द्र सिंह	बास्केटबाल
24.	श्री राजेन्द्र सिंह	बास्केटबाल
25.	श्री कैलाश चन्द्र	बास्केटबाल
26.	श्री कामरान खान	बास्केटबाल
27.	श्री संजय कुमार	बास्केटबाल

क्र.सं.	राष्ट्रीय प्रतियोगितायों में पदक प्राप्त खिलाडियों का नाम	सम्बन्धित खेल
28.	श्री फिरोज खान	बास्केटबाल
29.	श्री नदीम	बास्केटबाल
30.	श्री राजीव चौधरी	बास्केटबाल
31.	श्री नईम पठान	बास्केटबाल
32.	श्री विक्रम सिंह	बास्केटबाल
33.	श्री देवकीनन्दन	बास्केटबाल
34.	श्री रवीन्द्र सिंह	बास्केटबाल
35.	श्री शिवराज सिंह	बास्केटबाल
36.	श्री विनीत कुमार	बास्केटबाल
37.	श्री रणजीत सिंह	बास्केटबाल
38.	श्री बलवन्त सिंह	बास्केटबाल
39.	श्री रवीकुमार शर्मा	बास्केटबाल
40.	श्री रामनिवास	एथलेटिक
41.	श्री राधेश्याम	बास्केटबाल
42.	श्री इरफान अली	हैण्डबाल/बास्केटबाल
43.	श्री ग्यारसाराम	वालीबाल
44.	श्री जोरावर सिंह	बास्केटबाल
45.	श्री नत्थू सिंह	बास्केटबाल
46.	श्री सुरेन्द्र सिंह	बास्केटबाल
47.	श्री इकबाल	बास्केटबाल
48.	श्री शिवकुमार मिश्रा	बास्केटबाल

क्र.सं.	राष्ट्रीय प्रतियोगिताओंमें पदक प्राप्त खिलाडियोंका नाम	सम्बन्धित खेल
49.	श्री मांगीला	बास्केटबाल
50.	श्री रणजीत सिंह	बास्केटबाल
51.	श्री मानसिंह	बास्केटबाल
52.	श्री नवनीत सिंह	बास्केटबाल
53.	श्री मोहम्मद शाहीद	बास्केटबाल
54.	श्री शिवदान सिंह	एथलेटिक
55.	श्री राजेन्द्र चौहान	बास्केटबाल

परिशिष्ट-'ख'

राजस्थान सरकार

कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक : प. 5 (31) कार्मिक/क-2/84 **जयपुर दिनांक 23.9.97**

<u>अधिसूचना</u>

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल, इसके साथ संलग्न अनूसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न सेवा नियमों में, इसके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात :-

<u>संशोधन</u>

इसके साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ संख्या 2 में उल्लिखित प्रत्येक सेवा नियम के सामने स्तंभ संख्या 3 में यथा उल्लिखित विद्यमान नियम के पश्चात स्तंभ 4 में यथा उल्लिखित निम्नलिखित नया नियम जोड़ा जायेगा, अर्थात :-

<u>उत्कृष्ट खिलाडियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण</u> :- उत्कृष्ट खिलाडियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती के लिए चिन्हित आयोग के कार्य क्षेत्र के बाहर उस वर्ष की कुल रिक्तियों का 2 प्रतिशत होगा। किसी वर्ष-विशेष में पात्र तथा उपयुक्त खिलाडियों के उपलब्ध न होने की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी और ऐसी रिक्तियां पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेंगी। खिलाडियों के लिए आरक्षण क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा और इसका समायोजन उस सम्बन्धित प्रवर्ग में किया जायेगा जिससे खिलाडी सम्बद्ध हैं।

<u>स्पष्टीकरण</u> :- उत्कृष्ट खिलाडियों से अभिप्रेत हैं, और उसमें सम्मिलित हैं राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अन्तरराष्ट्रीय ओलम्पिक समिति

और भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त स्पोर्टस और खेलों में या, बैडमिंटन, टेनिस, शतरंज और क्रिकेट में उनसे सम्बन्धित राष्ट्रीय स्तर के संघ, फैडरेशन या बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त अन्तरराष्ट्रीय चैम्पियनशिपों में, सिविल सेवाओं के प्रत्येक वर्ग के लिए निम्नलिखित विवरणानुसार व्यक्तिश: या टीम के सदस्य के रूप में भाग लिया हो :-

क्र. सं.	सेवा का वर्ग	विवरण
1.	अधीनस्थ	एशियाई खेलों, एशियाई चैम्पियनशिपों
2.	लिपिकवर्गीय	राष्ट्रमंडल खेलों, विश्व चैम्पियनशिपों, विश्व के विश्वविद्यालय खेलों, विश्व स्कूल खेलों, दक्षेस खेलों, या ओलाम्कि खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो, जहां उसने (किसी व्यक्तिगत आइटम) में या उसकी टीम (टीम स्पर्धा में) ने प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।

अनुसूची

क्र.स.	सेवा नियम का नाम	विद्यमान नियम की संख्या	नये नियम की संख्या
1	2	3	4
1.	राजस्थान अधीनस्थ देवस्थान सेवा (श्रेणी I) नियम, 1954	8ख	8ग
2.	राजस्थान अधीनस्थ देवस्थान सेवा (श्रेणी II) नियम, 1954	8ख	8ग
3.	राजस्थानी अधीनस्थ सहकारी सेवा (श्रेणी I) नियम, 1955	8ख	8ग
4.	राजस्थान अधीनस्थ सहकारी सेवा (श्रेणी II), नियम 1955	8ख	8ग
5.	राजस्थान खान एवं भूगर्भ अधीनस्थ सेवा नियम, 1960	8ख	8ग
6.	राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1960	8ख	8ग
7.	राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963	7ख	7ग
8.	राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 1963	7ख	7ग
9.	राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम, 1963	7ख	7ग
10.	राजस्थान परिवहन अधीनस्थ सेवा नियम, 1963	7ख	7ग
11.	राजस्थान उद्यान अधीनस्थ सेवा नियम, 1965	7ख	7ग
12.	राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम. 1965	7ख	7ग
13.	राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम, 1966	7ख	7ग

1	2	3	4
14.	राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान अधीनस्थ सेवा नियम, 1966	7ख	7ग
15.	राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (जनस्वास्थ्य शाखा) नियम, 1967	7ख	7ग
16.	राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (सिंचाई शाखा) नियम, 1967	7ख	7ग
17.	राजस्थान पुरालेख अधीनस्थ सेवा नियम, 1968	7ख	7ग
18.	राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971	7ख	7ग
19.	राजस्थान सांख्यिकी अधीनस्थ सेवा नियम, 1971	7ख	7ग
20.	राजस्थान राजकीय मुद्रणालय अधीनस्थ सेवा नियम, 1973	7ख	7ग
21.	राजस्थान तकनीकी शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1973	7ख	7ग
22.	राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी (सा.नि.वि. भवन एवं पथ शाखा) सेवा नियम, 1973	7ख	7ग
23.	राजस्थान भू-जल अधीनस्थ सेवा नियम, 1973	7ख	7ग
24.	राजस्थान नगर नियोजन अधीनस्थ सेवा नियम, 1974	7ख	7ग
25.	राजस्थान खाद्य एवं आपूर्ति अधीनस्थ सेवा नियम, 1974	7ख	7ग

1	2	3	4
26.	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1974	8ख	8ग
27.	राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण अधीनस्थ सेवा नियम, 1975	7ख	7ग
28.	राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा (सामान्य शाखा) 1975	7ख	7ग
29.	राजस्थान भेड़ एवं ऊन अधीनस्थ सेवा नियम, 1975	7ख	7ग
30.	राजस्थान जन सम्पर्क अधीनस्थ सेवा नियम, 1975	7ख	7ग
31.	राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा नियम, 1975	7ख	7ग
32.	राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम, 1976	7ख	7ग
33.	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (निवारक शाखा) नियम, 1976	7ख	7ग
34.	राजस्थान राज्य उपक्रम अधीनस्थ सेवा नियम, 1976	7ख	7ग
35.	राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम, 1977	7ख	7ग
36.	राजस्थान संस्कृत शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1978	7ख	7ग
37.	राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1978	7ख	7ग
38.	राजस्थान मोटर गैराज अधीनस्थ सेवा नियम, 1979	7ख	7ग

1	2	3	4
39.	राजस्थान सर्किट हाउस अधीनस्थ सेवा नियम, 1979	7ख	7ग
40.	राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1979	7ख	7ग
41.	राजस्थान पुलिस न्याय सम्बन्धी विज्ञान अधीनस्थ सेवा नियम, 1980	7ख	7ग
42.	राजस्थान विधिक सेवा (राज्य एवं अधीनस्थ) नियम, 1981	7ख	7ग
43.	राजस्थान विधि रचना सेवा (राज्य एवं अधीनस्थ) नियम, 1981	7ख	7ग
44.	राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989	7ख	7ग
45.	राजस्थान कम्प्यूटर (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1992	7ख	7ग
46.	राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय स्टाफ नियम, 1957	8ख	8ग
47.	राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1970	6ख	6ग

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

सूरजमल केड़वाल

उप शासन सचिव

परिशिष्ट-2

तारांकित प्रश्न संख्या 300 के पत्र की प्रति

प्रधानमंत्री

PRIME MINISTER

New Delhi
March 1, 2005

Dear Shrimati Vasundra Raje Ji,

The recent reported disappearance of tigers from Sariska is a matter of great distress and concern. You may appreciate that immediate remedial action needs to be instituted both by the Centre and the State Government to protect our wildlife, especially the tiger, and their habitats, and prevent any further deterioration in the situation. Perhaps it would not be an exaggeration to say that since the launching of Project Tiger, the current situation presents the biggest crisis in the management of our wildlife . Rajasthan has been particularly well-endowed in this regard and you will agree with me that your Government would need to take all possible steps to preserve this rich heritage for the people of the State , the country and the international community.

While I am taking up the matter with the Ministry of Environment and Forests, I would like to suggest, for your urgent consideration, some immediate steps that could be taken by the State Government. These suggestions are based on the reports and observations of experts and information that has reached me from other sources :-

- Instituting a high level independent inquiry with outside experts to identify the cause[s] and fix responsibility for the disappearance of tigers from Sariska.
- The immediate stoppage of plying of all diesel vehicles within the Parks of Rajasthan.
- The filling up of all vacant posts in the Parks within the next 3 months.
- The preparation of a time schedule for the development of fuel, fodder and other necessities of the villagers in the areas outside the Parks [I am informed that a plan already exists and needs to be vigorously implemented].
- Tightening controls for stopping cattle from grazing inside the Parks and developing alternate grazing areas.

- Working out arrangements with the Ganesha Temple authorities in Sariska to control and regulate the number of pilgrims and complete stoppage of cooking inside the park.
- Carrying out rides in the vicinity of townships near the Parks to control sale and purchase of bush meat and identify the suppliers. This needs to be done on a compaign basis over a period of time.
- Construction of an alternative route for the canal that cuts through the Sariska Park within the next year.

I would also request you to consider introducing a system of post-mortem and enquiry for every death of a tiger in a National Park or Reserve and independent audit once a year of every National Park and Reserve by a group of outside experts.

Looking forward to hearing from you about the steps taken / being taken by your Government on these suggestions.

With warm regards.

Yours sincerely ,

Sd/

[Manmohan singh]

Smt.Vasundhara Raje Scindia
Chief Minister
Government of Rajasthan
Jaipur

परिशिष्ट-3

मांग संख्या 24- शिक्षा, कला एवं संस्कृति

पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या –24 मुख्य शीर्षक शिक्षा, कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत मांग में से 100 रूपया कम कर दिया जाय,

श्री बत्ती लाल (टोडाभीम) :

1. सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे अभूतपूर्व प्रयासों पर चर्चा के लिये।

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी) :

2. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ के रा.उ.प्रा. विद्यालय नकोर, करसाना, भाटोली (ब्राह्मणान) केवलपुरा, कारसोली को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

3. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी को राजकीय माध्यमिक विद्यालय बारावरदा, गादोला, सांगरिया, देलवास को उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

4. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ी सादडी जिला चित्तौड़गढ़ में गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, जीव-भौतिक एवं रसायन विज्ञान के ऐच्छिक विषय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गंगाराम चौधरी (चौहटन) :

5. बाड़मेर जिले की शालाओं में शिक्षकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री गंगाराम चौधरी)

6. ग्रामीण क्षेत्रों की राजकीय शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा के गिरते स्तर से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़) :

7. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) :

8. सरकार द्वारा प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने तथा उनमें अध्यापकों के पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी) :

9. सरकार द्वारा प्रा. वि. खोलने एवं विद्यालयों के क्रमोन्नत करने में भेदभाव बरतने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

10. बाड़मेर जिले के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

11. पिछले शिक्षा सत्र में बाड़मेर सीमावर्ती जिले में अल्पसंख्यकों के गांव में एक भी स्कूल क्रमोन्नत नहीं होने व एक भी प्राथमिक स्कूल नहीं खोलने से भारी असंतोष पर चर्चा के लिये।

12. बाड़मेर जिले की पं.सं. धोरीमन्ना की रा.उ.प्रा.वि. सिंधासवा हरनियान, उड़ासर, लुखु, मीठदाखुर्द, खारी, भीमथल, भलीसर गांव रतनपुरा भाखरपुरा, लुणवा जागीर, बारासण, मौखवा, मंगले की बेरी, बांटा, पीपराली, सुदाबेरी, राणासर कल्ला, माणकी को रा.मा.वि. में क्रमोनन्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. बाड़मेर जिले की पं.सं. सिणधरी की रा.उ.प्रा.वि. नोसर, भोजासर बोडवा, सणपा, कमण्ठाई, कोशलू एड सिणधरी, नेहरों की ढाणी जालीखेड़ा, धोलानाडा, मालपुरा, बाण्ड, नोख, कगाऊ रामसर का कुआ

(श्री हेमाराम चौधरी)

बेरीवाला तला, सोजटा, निम्बलकोट, राणासर खुर्द शोभाला, जैतभाल पुनियों की बस्ती (आदर्श चवा) केरलीनाडी सरणूचिमनजी, को रा.मा.वि. में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

14. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के प्रा.वि. को उच्च प्रा.वि. में क्रमोन्नत करने एवं नये प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के मा.वि. गुढानाथावत, धोवड़ा आदि स्थानों पर हायर सेकेण्ड्री स्कूल क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. हिण्डौली उपखण्ड मुख्यालय पर महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में उ.प्रा.वि. उमर, नीमकाथाना को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) :

18. विधान सभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण में पी.जी. कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) :

19. रा.बा.उ.मा. विद्यालय लूणकरणसर, रा.उ.मा. विद्यालय खाजूवाला में नये संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. जिला बीकानेर में शैक्षणिक वातावरण सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के कस्बा खाजूवाला तथा नालबाड़ी में नये बालिका प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

22. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के कस्बा लूणकरणसर में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) :

23. ग्रामीण शिक्षा के घटते स्तर से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

24. विधान सभा क्षेत्र तारानगर में उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय और खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा (गुढा) :

25. राज्य की शिक्षा कला एवं संस्कृति में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. शिक्षा के बढ़ते व्यावसायिककरण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) :

27. विधान सभा क्षेत्र सराड़ा में विद्यालय नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

28. राज्य के प्रत्येक कन्या माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक तथा प्रत्येक उच्च प्राथमिक को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. विधान सभा क्षेत्र सिकराय के प्रत्येक पंचायत केन्द्र अथवा उसके बड़े गांव में माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़) :

30. बुहाना तहसील सूरजगढ़ के विद्यालयों में अध्यापकों के समय पर स्कूल नहीं आने से हो रहे असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) :

31. ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापकों के ज्यादातर पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी) :

32. ग्रामीण क्षेत्र की पाठशालाओं में अध्यापकों की कमी, जीर्णशीर्ण पाठशालाओं की मरम्मत की समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीबाड़ा) :

33. विधान सभा क्षेत्र रानीवाडा के विद्यालयों में रिक्त पदों के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

34. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के गांव थूर, जसवंतपुरा, (बालिका) सेवाड़ा में नये माध्यमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरीसिंह रावत (भीम) :

35. टैक्निकल शिक्षा को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) :

36. शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु विशेष उपाय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

37. सुमेरपुर में महिला महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) :

38. रा.उ.मा. विद्यालय पहुंना (चित्तौड़गढ़) के नवीन भवन निर्माण के लिये राशि आबंटन कराना तथा बा. माध्य. विद्यालय पहुंना (चित्तौड़गढ़) को उ.मा.वि. पहुंना के भवन में शिफ्ट करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री अर्जुनलाल जीनगर)

39. तहसील मुख्यालय पर स्थित रा. बालिका माध्य. विद्यालय राशमी को क्रमोन्नत करने, राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं को नियमित प्राथमिक पाठशाला करने, रा. माध्यमिक विद्यालय हिण्डौली एवं रा. माध्य. विद्यालय सोनियाना तथा उ.मा.वि. जाडाना, लसा डियाकलां, मांत्रीकुण्डिया, सुवानिया मण्डणिया, कांटी को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह (दीगोद) :

40. तहसील सांगोद के उच्च प्राथमिक विद्यालय श्यामपुरा को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. शहरी क्षेत्र में निजी शिक्षा की सुविधा को ध्यान में रख कर विद्यालय खोलने तथा इनको क्रमोन्नत करते समय ग्रामीण व शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. सांगोद पंचायत के प्राथमिक विद्यालय मामोर को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. ग्रामीण क्षेत्र में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने तथा ग्रामीण क्षेत्र से प्रतिनियुक्ति पर शहरों में अध्यापकों को नहीं लगाने पर चर्चा के लिये।

44. ग्राम कुन्दरपुर के माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

45. उ.प्रा.वि. रामचन्द्रजी खेड़ा को मा.वि. (बालिका) में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

46. रा.मा.वि. रघुनाथगढ़ (अलवर) को उ.मा.वि. में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री जुबेर खान)

47. रा.मा.वि. बगडमेव (अलवर) को उच्च मा. विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. रा. महाविद्यालय गोविन्दगढ़ (अलवर) के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाडा) :

49. कालेज खोलने, रिक्त पद भरने व नये पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) :

50. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) :

51. नाथद्वारा नगर के छात्र एवं छात्राओं के महाविद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

52. विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा में स्थित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के विभिन्न वर्गों के पदों पर पदस्थापन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

53. विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा के विभिन्न उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों पर पदस्थापन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

54. विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा के गांव बासडा, कुण्डाल, सूरतसिंह की भागल की प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) :

55. विधान सभा क्षेत्र दूदू में सैकेण्डरी सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों में सभी रिक्त पदों को भरने एवं सभी मिडल स्कूलों में पीने के पानी के लिए हैण्ड पम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. प्रदेश में शिक्षा नीति व स्थानान्तरण नीति बनाने एवं पंचायत समिति दूदू के सभी प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. दूदू (जयपुर) में कालेज खोलने एवं सभी पंचायत मुख्यालयों पर उच्च प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. अध्यापकों को अध्यापन के प्रति जवाबदेय बनाने एवं प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम आवश्यक रूप से तीन शिक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर) :

59. आहोर विधान सभा क्षेत्र में नये विद्यालय खोलने, भर्ती में बैकलाग पूरा नहीं करने एवं पंचायतीराज शिक्षकों के बकाया भुगतान से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (नदबई) :

60. कस्बा नदबई में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. तहसील नदबई के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) :

62. निम्बाहेडा में आई.टी.आई. खोलने, श्री गोदावत जैन उ. माध्यमिक विद्यालय, छोटी सादडी को राजस्थान लेते हुए कार्यरत कार्मिकों को

(श्री अशोक कुमार नवलखा)

राजकीय सेवा में समायोजित करवाने व बकाया वेतन आदि के भुगतान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. राजकीय महाविद्यालय निम्बाहेड़ा में नये विषय प्रारम्भ करने एवं छोटी सादड़ी में महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेडा में नये प्राथमिक विद्यालय खोलने, प्राथमिक, उ.प्रा. व माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने व पूर्व में क्रमोन्नत विद्यालयों को बजट व पद आबंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. नव क्रमोन्नत माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए भवन निर्माण विस्तार हेतु बजट आबंटित करने, सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों में शालाओं की बाउण्ड्रीवाल निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) :

66. राज्य के विद्यालयों में कार्यरत व्याख्याताओं, रीडर व प्रोफेसरों को आधुनिक शिक्षा व खोज का प्रशिक्षण व ज्ञान नहीं होने से शोधछात्राओं को हो रही असुविधा की स्थिति पर चर्चा के लिये।

67. राजजस्थान राज्य उर्दू अकादमी का गठन नहीं करने तथा वित्तीय वर्ष 2004-05 का बजट लेप्स होने से प्रदेश के उर्दू भाषी लागों को पहुंची ठेस व पीड़ा पर चर्चा के लिये।

68. प्रदेश में निजी क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक महाविद्यालय, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय खोलने के लिए दिये जा रहे अनापत्ती प्रमाण पत्र से गिर रहे शिक्षा के स्तर से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

69. प्रदेश में उर्दू अध्यापकों सहित अध्यापकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

70. रा.मा.वि. बेरू, थून, पालका तथा सेमली तह. नगर (भरतपुर) को उच्च माध्यमिक तथा रा.उ.प्रा.वि. सैमलाकलां, जालकी एवं रामसिंहपुर पालकी को माध्यमिक स्तर पर इसी वित्तीय वर्ष में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) :

71. बांसवाडा जिले के अधिकांश विद्यालयों में शिक्षकों के अभाव से शिक्षा के अध्यापन कार्य में हो रही बाधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

72. विधान सभा क्षेत्र बागीदोरा की रा.मा.वि. सलोपाट में प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक नहीं होने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

73. बांसवाडा जिले में शारीरिक शिक्षकों के रिक्त स्थान पर पदस्थापन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गंगाराम चौधरी (चौहटन) :

74. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति शिक्षण संस्थाओं के नियमित निरीक्षण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. बाड़मेर जिले में अधिक बालिका विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. प्रारम्भिक शिक्षा को पूर्णतः पंचायत राज संस्थाओं को दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)

77. विधान सभा क्षेत्र सिरोही में वर्ष 2004-05 में एक भी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत नहीं करने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

78. कलाकारों के पुरुस्कार बंद करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) :

79. कोटा विश्वविद्यालय की स्थिति में सुधार, रामगंजमण्डी में पालिटेक्निक महाविद्यालय खोले जाने एवं खैराबाद में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) :

80. शिक्षा के गिरते स्तर में सुधार व इसे मजबूत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुनलाल मीणा (सलुम्बर) :

81. सलुम्बर को मेवाड़ काम्पलेक्स में जोड़ने एवं पर्यटन की दृष्टि से विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) :

82. विधान सभा क्षेत्र भीनमाल के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नयन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) :

84. विधान सभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण के अन्तर्गत सुभाष चौक जयपुर के आस-पास महिला महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) :

85. शहीद मंगेज सिंह रा.मा.वि. हरनांवा को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. विधान सभा क्षेत्र परबसतर के समस्त वैकल्पिक विद्यालयों एवं

(श्री राकेश मेघवाल)

शिक्षाकर्मी विद्यालयों को प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तित करने की आवश्यता पर चर्चा के लिये।

87. भवनहीन राजीव गांधी विद्यालयों में भवन निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) :

88. मेड़ता, भीमल तहसील मावली में माध्यमिक विद्यालय नहीं होने से जनता में व्याप्त आक्रोश पर चर्चा के लिये।

89. मावली औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को पालिटैक्नीक कालेज में क्रमोन्नत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

90. बालिका माध्यमिक विद्यालय घासा एवं माध्यमिक विद्यालय रक्ष्यावल तहसील मावली में नहीं होने से जनता में व्याप्त आक्रोश पर चर्चा के लिये।

91. पनौतियां तहसील रेलमगरा में माध्यमिक विद्यालय नहीं होने से जनता में व्याप्त आक्रोश पर चर्चा के लिये।

92. डबोक एवं खेमली तहसील मावली में उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं होने से जनता में व्याप्त आक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश मीणा (करौली) :

93. विधान सभा क्षेत्र करौली के महाविद्यालय में रिक्त पदों पर भर्ती नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

94. विधान सभा क्षेत्र करौली के विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी) :

95. विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद भरने, नये स्कूल खोलने व स्कूलों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) :

96. ग्राम राधाछोटी तहसील राजगढ़ (चूरू) में प्राथमिक बालिका विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. राजगढ़ (चूरू) में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. राजगढ़ (चूरू) तहसील के प्राथमिक विद्यालय कामाण, इन्दासर, जाणाऊमिठी, थान मठ्ई, राऊटीबा, बास रेवारियान को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. उच्च प्राथमिक कन्या विद्यालय डिगली तहसील राजगढ़ (चूरू) को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. शिक्षा विभाग की शालाओं में अध्यापकों के रिक्त स्थानों पर नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) :

101. विधान सभा क्षेत्र खण्डार में नवीन माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय डेकवा एवं माध्यमिक विद्यालय खाजना चौड को क्रमोन्नत करने एवं शिक्षा क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) :

102. राजकीय शाईल उच्च माध्यमिक विद्यालय, किशनगढ़ के सुसंचालन हेतु अतिरिक्त भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ में स्नातक स्तर पर भूगोल एवं स्नातकोत्तर स्तर पर ड्राइंग व पेन्टिंग, राजनीतिशास्त्र, रसायनशास्त्र जैसे विषय नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

104. किशनगढ़ (अजमेर) में महिला महाविद्यालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर) :

105. धौलपुर जिले के वाड़ी कस्बे में कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. धौलपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम करीमपुर सैकण्डरी स्कूल एवं ग्राम सरीना खेडा सैकण्ड्री स्कूल को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

107. धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में स्थित ग्राम पुरानी छावनी, मोरोली, विशनोदा, भैसेना, तगावली मिडल स्कूलों को सैकण्ड्री स्कूल में क्रमोन्नत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

108. विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में राज्य सरकार की घोषित नीति के अनुरूप प्राइमरी स्कूल तथा मिडल स्कूल नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर) :

109. बानसूर विधान सभा क्षेत्र में एक भी सरकारी कालेज एवं अलवर में विश्वविद्यालय नहीं होने से विशेषकर बालिका शिक्षा में हो रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

110. विधान सभा क्षेत्र बानसूर बर्डोद कस्बे में राजकीय सीनियर सैकण्डरी विद्यालय में 12 अध्यापकों के काफी समय से रिक्त पद होने के कारण विद्यार्थियों के अध्ययन में असुविधा की स्थिति पर चर्चा के लिये।

111. बानसूर विधान सभा क्षेत्र के राजकीय सीनियर सैकण्डरी विद्यालय बानसूर, गूंता शाहपुर, रामपुर एवं बर्डोद में भवनों व साइन्स लैब व चार दीवारी के अभाव में उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

112. बानसूर विधान सभा क्षेत्र के सभी विद्यालयों में अध्यापकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री महीपाल सिंह यादव)

113. बानसूर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम शाहपुर की राजकीय सीनियर सैकण्डरी विद्यालय में विज्ञान विषय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) :

114. राज्य के सरकारी मेडिकल कालेजों में प्रवेश हेतु सीटों की संख्या प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) :

115. डूंगरपुर जिले में पर्याप्त स्कूल नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

116. डूंगरपुर जिले में पर्याप्त स्कूल भवन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) :

117. शिक्षा की गुणवत्ता, संस्कृति विषयक अध्ययन, शिक्षकों के अभिनवयन प्रशिक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

118. सिवाना (बाड़मेर) में कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. नैतिक शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा, खेल-विषय को अनिवार्य करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) :

120. बैराठ विधान सभा क्षेत्र के राजकीय श्री कल्याण उच्च माध्यमिक विद्यालय, शाहपुरा के भवन को सार्वजिनक निर्माण विभाग द्वारा अनुपयोगी घोषित कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

121. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

122. राज्य में शिक्षा के नये उभरते क्षेत्रों में सरकार की भावी योजनाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) :

123. विधान सभा क्षेत्र बाली की राजकीय माध्यमिक विद्यालय, भाटून्द, भन्दर व लुणावा को उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

124. विधान सभा क्षेत्र बाली की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लुन्दाडा, सेन्दला व धणी को माध्यमिक स्तर तक क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

125. विधान सभा क्षेत्र बाली में पोलीटेक्निक कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. विधान सभा क्षेत्र बाली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बेड़ा, खुडाला व चामुण्डेरी में विज्ञान संकाय तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीजापुर, मुण्डारा, नाना में वाणिज्य संकाय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

127. विधान सभा क्षेत्र बाली के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में शिक्षाकर्मी स्कूलें खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये

श्री अमराराम (धोद) :

128. राज्य में निजी मेडिकल, डेन्टल कालेज एवं निजी शिक्षण संस्थाओं को नियंत्रित करने हेतु विभाग द्वारा कोई कारगर कदम नहीं उठाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

129. सीकर शहर में विश्वविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

130. सीकर जिले में विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में रिक्त पद नहीं भरे जाने से अध्यापन में हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री अमराराम)

131. लोक सेवा आयोग से चयनित आरक्षित पदों के प्रत्याक्षियों (एससी एवं ओबीसी) को पदस्थापना में देरी होने वाले नुकसान की स्थिति पर चर्चा के लिये।

132. राज्य में शिक्षा सहयोगी पैराटीचर एवं शिक्षाकर्मियों को स्थायी नहीं करने से उत्पन्न असंतोष के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :

133. राज्य में शिक्षा की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल गुप्ता

134. जयपुर शहर के खेल स्टेडियमों में खेलों के प्रशिक्षण हेतु समुचित सुविधायें उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) :

135. राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में रिक्त पदों की पूर्ति न किये जाने, अध्ययन का समुचित प्रबन्ध न होने तथा परीक्षाओं की विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

136. संस्कृत शिक्षा निदेशालय में अधिकारियों के पदों पर की गई प्रतिनियुक्तियों को समाप्त कर नियमों में निर्धारित प्रक्रिया से भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

137. एन.सी.टी.ई–एन.आर.सी. द्वारा स्वेच्छारिता एवं मनमाने ढंग से निर्णय लिये जाने के कारण राज्य के सरकारी तथा गैर-सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के अस्तित्व पर आये संकट से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) :

138. राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त पद भरने की विफलता पर चर्चा के लिये।

(श्री फतेह सिंह)

139. राज्य सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में बांसवाडा जिले में अनुसूचित जाति व जनजाति का बैंकलाग भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) :

140. राज्य में प्रस्तावित तकनीकी विश्वविद्यालय जोधपुर शहर में खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

141. बजट प्रावधान में नव क्रमोन्नत विद्यालयों हेतु जोधपुर शहर को पर्याप्त राशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बनध में चर्चा के लिये।

142. जोधपुर शहर के प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर गंगश्यामजी का मंदिर, कुंजबिहारीजी का मंदिर, राजरणछोडजी का मंदिर का जीर्णोद्वार एवं विकास हेतु आवश्यक पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) :

143. राज्य में शिक्षा साक्षरता की विभिन्न योजनाओं में तालमेल नहीं होने के कारण साक्षरता की धीमी गति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जीतराम (मालपुरा) :

144. राजकीय महाविद्यालय मालपुरा में वाणिज्य विषय प्रारम्भ करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

145. कन्या राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालपुरा में बायोलोजी वि .य प्रारम्भ करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

146. सभी क्रमोन्नत विद्यालयों में शीघ्र अध्यापकों के पद सृजित करने एवं उनका पदस्थापन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) :

147. ग्राम रलावता तहसील दांतारामगढ़ में राव शेखाजी की मूर्ति स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) :

148. माध्यमिक शिक्षा का सार्वजनिककरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

149. जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

150. ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में अध्ययन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिये विशेष निगरानी दल गठित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

151. सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बनने वाले भवनों के निर्माण का स्तर अच्छा बनाने के लिये प्रभावी निरीक्षण की व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया) :

152. उदयपुर में पोलीटेक्निक कालेज खुलवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

153. विधान सभा क्षेत्र फलासिया के कोटडा में महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

154. विधान सभा क्षेत्र फलासिया के भवन विहीन राजकीय विद्यालयों के लिये भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

155. विधान सभा क्षेत्र फलासिया के वनवासी आदिवासी बालक/बालिकाओं की शिक्षा के लिये पर्याप्त साधन/सुविधा उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

156. राज्य के सरकारी स्कूलों में चित्रकला व संगीत आदि विषयों का अधिकाधिक सृजन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) :

157. जयपुर जिले के ग्राम मौरीजा, छिगोई, अणतपुरा व जैतपुरा के माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) :

158. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के विद्यालयों/महाविद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

159. फुलेरा कस्बे में महिला महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

160. राज्य में संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों/महाविद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति तथा संस्कृत शिक्षा में निरीक्षण अधिकारियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या बढ़ाने तथा क्षेत्रीय कार्यालयों की आवश्यकतानुसार स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (फलासिया) :

161. संस्कृत शिक्षा विभाग के निदेशक पद पर विभागीय अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीबाड़ा) :

162. जालौर जिले के ऐतिहासिक किले को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर)

163. वल्लभनगर विधान सभा क्षेत्र में पुरातत्व महत्व के मन्दिर व छतरियों के रख-रखाव हेतु चर्चा के लिये।

मांग संख्या 47- पर्यटन पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-47 मुख्य शीर्षक पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रूपया कम कर दिया जाय,

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़) :

1. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में पर्यटन स्थलों के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) :

2. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के पर्यटन स्थल कतरियासर के विकास पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

3. बूंदी जिले में एवं हाड़ोती क्षेत्र में पर्यटन विकास की सम्भावनाओं के लिये आवश्यक कदम उठाये जाने पर चर्चा के लिये।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) :

4. पर्यटन विकास के प्रति सरकार की उदासीनता के बारे में चर्चा के लिये।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा (गुढ़ा) :

5. पर्यटन विकास के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

6. मेहन्दीपुर बालाजी तथा अन्य धार्मिक स्थलों को पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी) :

7. बून्दी जिले की ऐतिहासिक धरोहर को पर्यटन के नक्शे पर लाने एवं पर्यटकों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरी सिंह रावत (भीम) :

8. राज्य के पर्यटन को रोजगारमुखी बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) :

9. राज्य में पर्यटन के विकास के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

10. पाली जिले के सालासर महादेव तीर्थ एवं कोरटा जैन तीर्थ स्थल को पर्यटन क्षेत्र घोषित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) :

11. मात्रीकूण्डिया पर्यटन स्थल के विकास एवं पर्यटन स्थल नगरी, निलिया महोदव, सारणेश्वर महादेव, पंचमुखी हनुमानजी स्थल गंगरार, जाडेश्वर महादेव राशमी आदि पर्यटन स्थलों का मास्टर प्लान तैयार कर उसके विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह (दीगोद) :

12. बारां जिले के एक मात्र वन्यजीव सुरक्षित क्षेत्र सोसन गोडावण अभ्यारण को वन्य जीव पर्यटन से जोड़ने व 2 किलोमीटर डामर सड़क का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. सांगोद जिला कोटा के प्रसिद्ध "न्हाण" उत्सव को पर्यटन मानचित्र पर लाने हेतु प्रचार व न्हाण स्थल का विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री भरत सिंह)

14. शिव मंदिर चार चौमा तहसील दीगोद (कोटा) को पर्यटन स्थल में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. सूर्य मंदिर, बूढादीन तहसील दीगोद जिला कोटा के दर्शनीय स्थल, पुरावदोष स्थान को संरक्षण कर पर्यटन के लिये विकसित करने पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

16. जिला अलवर में गरवाजी स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने पर चर्चा के लिये।

17. सीलीसेढ़ लेक पर पर्यटन गतिविधियों की सुविधा विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) :

18. पंचायत समिति खमनौर द्वारा आयोजित प्रताप जयन्ति समारोह हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. नाथद्वारा नगर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिये विभाग द्वारा पर्याप्त बजट की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) :

20. पर्यटन स्थल जन्तर मन्तर की स्थिति सुधारने हेतु विभाग द्वारा आवश्यक कदम उठांये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) :

21. पुष्कर एवं अजमेर की दरगाह के धार्मिक स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (नदबई) :

22. देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये केवलादेव नेशनाल पार्क भरतपुर में पक्षियों हेतु पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) :

23. प्रसिद्ध दर्शनीय एवं पर्यटन स्थल श्री भंवरमाताजी, छोटी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ के विकास के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) :

24. राज्य की पर्यटन नीति में आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. राज्य के पर्यटन विकास निगम व होटल निगम का शीघ्र गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. राज्य में आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा हेतु पर्यटक पुलिस बल की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. जिला भरतपुर के नगर कस्बे के मेवसराय में स्थित प्राचीनकालीन गुम्मट को पर्यटन की दृष्टि से साज सज्जा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. राज्य के पर्यटक स्थलों का विकास करने तथा पर्यटकों को आवश्यक जन सुविधायें मुहैया कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) :

29. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा के सलाकरेश्वर महादेव झेर का पर्यटन विभाग से जोड़ने एवं सुविधा युक्त स्थान बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री जीतमल खांट)

30. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा के घोटीया आम्बा मेले (स्थान) को पर्यटन सुविधा से नहीं जोड़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

31. बांसवाड़ा जिले के अधिकांश स्थलों को चिन्हित कर पर्यटन सुविधाओं से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) :

32. कोटा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विभाग द्वारा पहल करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) :

33. राजस्थान दिवस समारोह की बदइंतजामी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) :

34. विभाग द्वारा लोहार्गल, शाकम्भरी व विषेड़ी के विकास हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) :

35. परबतसर विधान सभा क्षेत्र स्थित बाबा रामदेवजी के मन्दिर खण्डियास को पर्यटक स्थल घोषित करने पर चर्चा के लिये।

36. परबतसर स्थित विश्व प्रसिद्ध वीर तेजाजी मंदिर को पर्यटन स्थल घोषित करवाने हेतु चर्चा के लियें।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) :

37. मातृ कुण्डिया जिला चित्तौड़गढ़ को पर्यटन स्थल घोषित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

38. बृंगऋषी, चतुर साधना धाम तहसील मावली को पर्यटक स्थल की श्रेणी में नहीं लिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश मीणा (करौली) :

39. विधान सभा क्षेत्र करौली को पर्यटन की दृष्टि से पर्यटक स्थल घोषित करने पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी) :

40. चाकसू (जयपुर) में स्थित शीतलमाता मंदिर को पर्यटन स्थल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) :

41. धार्मिक स्थल गोगा मंदिर गांव ददरेवा तहसील राजगढ़ (चूरू) को पर्यटन मानचित्र पर लाकर पानी, शौचालय, आवासीय, सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" (खण्डार) :

42. सवाई माधोपुर में पर्यटन की विपुल सम्भावनाओं हेतु अभ्यारण का एक द्वार (गेट) खण्डार क्षेत्र की ओर से खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर) :

43. धौलपुर में चम्बल नदी के सहारे अच्छा रेस्टोरेंट बनाकर व नदी में इंजन वोट की सुविधा उपलब्ध कराकर पर्यटन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. धौलपुर के मचकुंड तालाब को पर्यटक स्थल बनाने हेतु वोटिंग की सुविधा, रेस्टोरेंट, रात्रि में लाईटिंग, म्यूजिक सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. धौलपुर जिले में मचकुंड, शेरगढ़ का किला, पुरानी छावनी मंदिर व महल, वावेर गार्डन, डमोह व अन्य पर्यटक स्थलों को विकसित कर पर्यटकों को आकर्षित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) :

46. सिवाना क्षेत्र के प्राकृतिक सम्पदा, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धरोहर वाले स्थान हलदेश्वर और गोयना (सिणधरी) को पर्यटक स्थान के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) :

47. पर्यटन की दृष्टि से प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले विदेशी दौरों से होने वाले लाभों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

48. ऐतिहासिक एवं पुरात्व के महत्व की दृष्टि से प्रसिद्ध प्राचीन नगर बैराठ (विराटनगर) को सरकार द्वारा विशेष पैकेज दिये जाने एवं पर्यटन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) :

49. विधान सभा क्षेत्र बाली के हट्टन्दी राता महावीर बीजापुर के ऐतिहासिक मंदिर को पर्यटन के रूप में विकसित कर मुख्य सड़क से जुड़वाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बाली के किले में संचालित जेल को अन्यत्र स्थानान्तरित कर किले को हैरिटेज के रूप में विकसित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद) :

51. सीकर जिले के पर्यटन स्थल हर्ष पर्वत के विकास तथा शेखावाटी सर्किट को विकसित करने हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाषचन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :

52. राज्य में पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने हेतु विभाग द्वारा आवश्यक कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) :

53. विभाग द्वारा बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम को, बणेश्वर धाम को पर्यटक स्थल घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) :

54. विभाग द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु जोधपुर शहर के राणीसर-पदमसर-बाईजी का तालाब एवं गैगलाव तालाब हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने पर चर्चा के लिये।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) :

55. राज्य में पर्यटन से सम्बन्धित विपुल सम्भावनाओं को तलाशने के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) :

56. राष्ट्रीय राजमार्गों पर विकसित किये गये सुविधा केन्द्रों (फेसिलिटी सेंटर्स) के उपयोग के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जीतराम (मालपुरा) :

57. लाम्बा हरिसिंह (मालपुरा) में स्थित ऐतिहासिक कुण्ड एवं किले को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु विभाग को पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) :

58. विभाग द्वारा जैसलमेर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये विशेष रियायतें एवं सुविधाएं प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया) :

59. विधान सभा क्षेत्र फलासिया के पर्यटन विकास हेतु वन क्षेत्रों तक पर्यटकों को लाने हेतु वन, बस्ती-गांवों के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

60. विधान सभा क्षेत्र फलासिया के दर्शनीय एवं आस्था केन्द्र मंदिर साण्डोलमाता कमलनाथ, रामकुण्डा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) :

61. फुलेरा विधान सभा क्षेत्र के सांभर कस्बे, सांभर झील, शाकम्भरी माता मंदिर, ज्वाला माता मंदिर व अन्य पर्यटन स्थलों के विकास न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

62. फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में सांभर झील को पक्षी विहार के रूप में पहचान दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

सदस्य सूची

शुक्रवार, 8 अप्रैल, 2005

नाम	पृष्ठ संख्या

नाम	पृष्ठ संख्या